वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

# भारत के सतत विकास की दिशा में अग्रसर

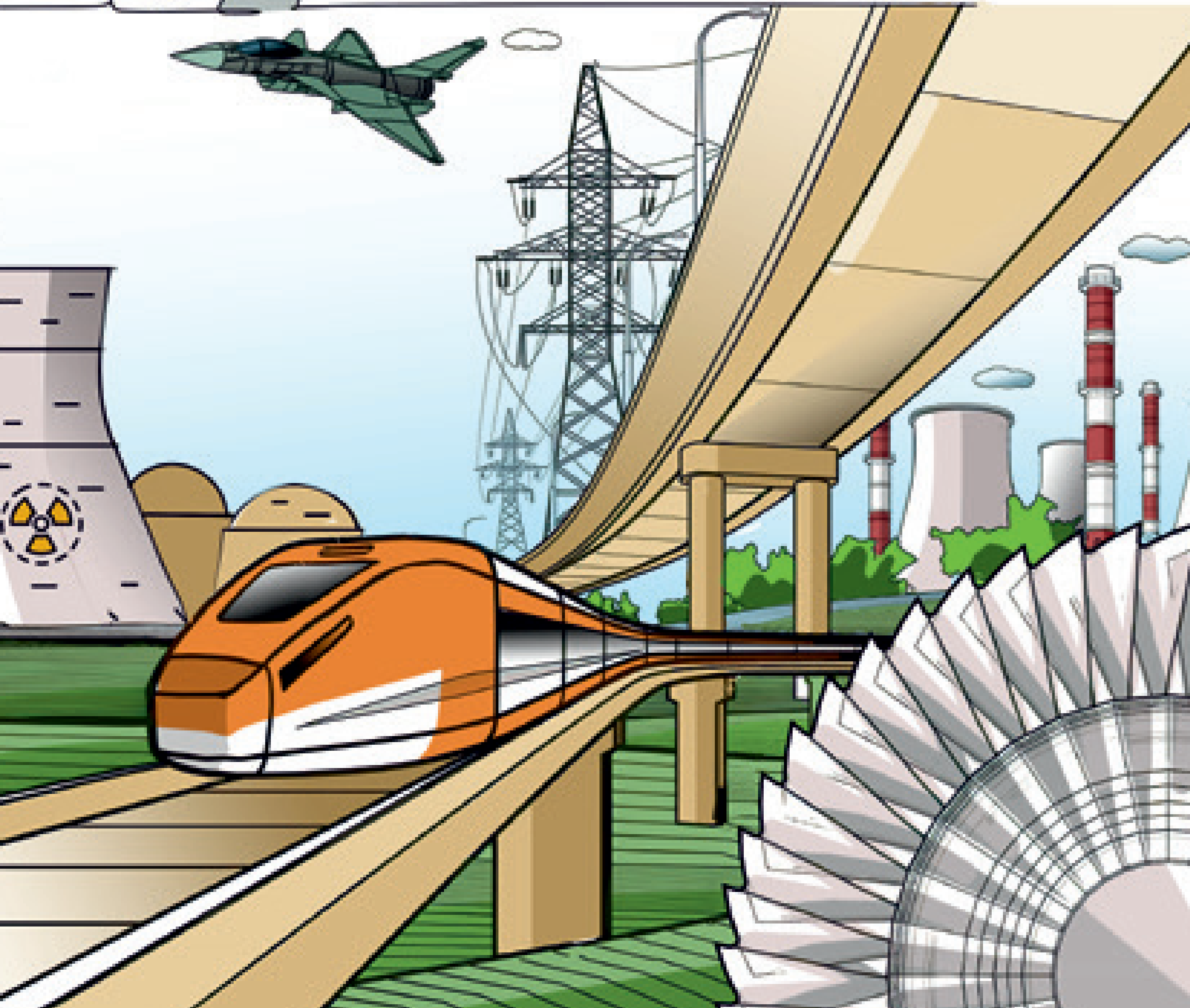

## प्रमुख क्षेत्र

- पावर- थर्मल, हाइड्रो, गैस , परमाणु और सौर पीवी
- परिवहन
- पारेषण (ट्रांसमिशन)
- रक्षा और एयरोस्पेस
- तेल एवं गैस
- ऊर्जा भंडारण

## परिचय

- 1964 से भारत में निर्माणशील
- भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम
- भारतीय कैपिटल गुड्स उद्योग में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक
- आज तक भारत और विदेश में 197 गीगावॉट विद्‌युत उत्पादन क्षमता स्थापित
- देश की कुल स्थापित थर्मल विद्‌युत उत्पादन क्षमता में बीएचईएल 55% हिस्सेदारी
- अखिल भारतीय उपस्थिति: 16 विनिर्माण इकाइयां; 8 सेवा केंद्र
- मानव संसाधन: 29,000+; 8,300+ अभियंता

## उपस्थिति

- देश के सभी राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 463 कोयला, 424 हाइड्रो, 103 गैस, 12 परमाणु और 58 मेगावाट स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्लांट निष्पादित किए
- सभी 6 बसे हुए महाद्वीपों के 88 देशों से व्यावसायिक संबंध

बी एच ई एल
BHEL

# बीएचईएल

देश को पावर और उद्योग क्षेत्र में **आत्मनिर्भर** बनाते हुए

- पावर, उद्योग और बुनियादी ढांचा के क्षेत्रों में संपूर्ण संधारणीय समाधान
- भारतीय विद्युत संयंत्र उपकरण निर्माताओं में निर्विवाद रूप से शीर्षस्थ कंपनी
- देश के आधारभूत एवं रणनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत
- विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी और परिसंपत्तियाँ
- भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर उच्च निवेश

# विषय सूची

## 4 वार्षिक समीक्षा

4 शेयरधारकों को पत्र

8 बीएचईएल का नेतृत्व

14 वर्ष के दौरान बीएचईएल एक नजर में

## 18 कॉर्पोरेट प्रोफाइल

18 बीएचईएल का परिचय

22 अखिल भारतीय उपस्थिति

24 बीएचईएल की दुनिया

26 उत्कृष्टता का सम्मान

## 30 निदेशक मंडल रिपोर्ट

39 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

44 व्यावसायिक खंडों का परिचय एवं निष्पादन

67 वित्तीय निष्पादन का व्यापक विश्लेषण

87 कॉर्पोरेट अभिशासन

117 संधारणीय विकास एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

127 व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

160 अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

189 **वित्तीय विवरण**

190 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण

263 समेकित वित्तीय विवरण

345 **अतिरिक्त जानकारी**

346 वित्तीय निष्पादन रुख

349 उत्पाद सूची

358 शब्दावली

362 **सूचना**


## विशेषताएँ


15 रेलयात्रा के अनुभव में क्रांतिकारी परिवर्तन

29 राष्ट्र के लिए क्षमता निर्माण

53 एयर कूल्ड कंडेनसर के माध्यम से संधारणीयता प्राप्त करना

63 कोयला गैसीकरण की स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भरता

167 ग्रिड को हरित बनाना: नवीकरणीय और कोयला आधारित विद्युत के बीच तारतम्यता स्थापित करना

381 परमाणु उर्जा विद्युत: विश्वसनीय और संधारणीय बेस-लोड समाधान का निर्माण

# शेयरधारकों को पत्र

## प्रिय शेयरधारक,

आपकी कंपनी की 59वीं वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 2022–23) आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

भारत में समग्र व्यावसायिक परिदृश्य मजबूत रहा है, जिससे हमारा देश वित्त वर्ष 2022–23 में 7.2% की उल्लेखनीय वृद्धि दर हासिल कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। औद्योगिक उत्पादन में भी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.1% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जहां एक ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और भू–राजनीतिक व्यवधानों का व्यवसायों पर कुछ प्रभाव पड़ा है, वहीं दूसरी ओर अधोसंरचना क्षेत्र में पर्याप्त निवेश तथा घरेलू उद्योगों के निरंतर विस्तार ने आपकी कंपनी के लिए विकास के काफी अवसर उत्पन्न किए हैं।

कंपनी ने पिछले कुछ समय में व्यापार विविधीकरण, परियोजना निष्पादन, प्रौद्योगिकी विकास, गुणवत्ता, जनशक्ति विकास आदि क्षेत्रों में कई पहलें की हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन पहलों के परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं।

यद्यपि वित्तीय मानदंड किसी संगठन के निष्पादन का अंतिम मानदंड होते हैं, परंतु यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय निष्पादन का वास्तविक आधार प्रत्यक्ष निष्पादन ही होता है। इसके अलावा, किसी भी संगठन, विशेष रूप से बड़े संगठनों के लिए भविष्य का निर्माण करना आवश्यक है जिसके लिए दीर्घकालिक सतत विकास हेतु उपर्युक्त चालक बलों पर ध्यान देना होता है।

"इस दिशा में, आपकी कंपनी ने हाल के दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं, उनमें से एक है– कंपनी के परिचालन दृष्टिकोण का "राजस्व केंद्रित" से बदलकर "परियोजना केंद्रित" होना। कंपनी ने परियोजना निष्पादन की दिशा में अनेक केंद्रित प्रयास किए हैं जैसे एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) का क्रियान्वयन, सामग्री का आवश्यकता के क्रम में प्रेषण, अग्रिम इंजीनियरिंग योजना और कार्रवाई, परियोजना निदेशकों को प्रदत्त शक्तियों को बढ़ाना, साइट डेटा डिजिटलीकरण आदि, जिनके परिणाम आने शुरू हो गए हैं।

व्यापक स्तर पर, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि कंपनी में अगस्त 2019 से सितंबर 2022 के बीच तीन वर्षों तक घटती ऑर्डर बुक और थर्मल ऑर्डर 'शून्य' होने के बावजूद इसी अवधि में परियोजना स्थलों पर इरेक्शन भार दोगुना (वित्त वर्ष 2022–23 में 5.41 लाख मीट्रिक टन हासिल किया) हो गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018–19 में 59% की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 में चालू वर्ष के बिलिंग की 86% तक वसूली में वृद्धि उत्पादन और बिलिंग की गुणवत्ता का प्रमाण है। सूक्ष्म

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्तर पर, कुछ समय पूर्व ही हमारी दो प्रमुख परियोजनाओं–मैत्री और नार्थ करनपुरा की सफलता इन प्रयासों के परिणाम दिखाने वाले विशिष्ट मामले हैं। बांग्लादेश में मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 को अगस्त 2022 को सिंक्रोनाइज किया गया था। कोविड की दो लहरों और परियोजना स्थल से जन शक्ति के बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट के बीच और सीमा एवं वीजा संबंधी अनेक चुनौतियां के बावजूद कुल 64 महीनों में इस काम को पूरा किया गया। हाल ही में, मैत्री परियोजना की इकाई 2 का सिंक्रोनाइजेशन 28 जून को किया गया। इस यूनिट के सिंक्रोनाइजेशन का कठिन कार्य जी2जी उच्च स्तरीय बैठक में किए गए वादे पर किया गया है। जिस समय यह वादा किया गया था, उस समय भी यह बहुत कठिन लक्ष्य था। देश के भीतर की परियोजनाओं की बात करें तो, 3×660 थर्मल पावर प्लांट नार्थ करनपुरा इकाई 1 को अक्टूबर, 22 में सिंक्रोनाइज किया गया था और यूनिट 2 के सिंक्रोनाइजेशन का कार्य प्रगति पर है जो अक्टूबर, 23 में पूरा होने की संभावना है। यह संयंत्र पानी की खपत को कम करने वाले एयर कूल्ड कंडेनसर से युक्त पहला यूटिलिटी स्केल पावर प्लांट है। इस युक्ति से सभी तीन इकाइयों के संचालन के बाद सालाना 30,500 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी। यह बचत लगभग 1.5 मिलियन लोगों की वार्षिक आवश्यकता के बराबर है। कोविड के प्रभावों के कारण ओईएम विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के बाबजूद बीएचईएल इंजीनियरों ने इस एयर कूल्ड कंडेनसर को कमीशन किया था।

## वित्त वर्ष 2022–23 की मुख्य निष्पादन उपलब्धियां

आइए, बीते साल में हमारे निष्पादन पर एक नजर डालते हैं:

- आपकी कंपनी ने परिचालन से 23,365 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जो पिछले वर्ष के 21,211 करोड़ रुपये की तुलना में 10% अधिक है। हमने पिछले वर्ष के 410 करोड़ रुपये के कर पश्चात लाभ की तुलना में बीते साल 448 करोड़ का कर पश्चात लाभ (PAT) कमाया।
- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल प्राप्य राशि (वसूली योग्य) में लगभग 9% की वृद्धि के बावजूद परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या पिछले वर्ष 571 दिनों से घटकर बीते वर्ष 567 दिन हो गई तथा परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या में व्यापार प्राप्य वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 107 दिनों के मुकाबले 102 दिनों तक कम हो गए। प्राप्यों में उक्त वृद्धि मुख्य रूप से प्रतिकूल भुगतान शर्तों वाली परियोजनाओं के निष्पादन के कारण हुई थी। रुपये
- कंपनी ने 23,548 करोड़ रुपये (कर रहित) के ऑर्डर प्राप्त किए, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक हैं। हितधारकों की बेहतर समझ के लिए और राजस्व आंकड़ों की रिर्पोर्टिंग के अनुरूप आर्डर बुक में रिपोर्टिंग सभी करों को छोड़कर की गई है। उद्योग क्षेत्र में ऑर्डर बुकिंग 9,537 करोड़ रुपये है, जो कि पिछले 13 वर्षों में सबसे अधिक है। इसमें रक्षा क्षेत्र से अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर हैं, जिसमें 20 अपग्रेडिड एसआरजीएम (भारतीय युद्धपोतों पर मुख्य बंदूक) का ऑर्डर भी शामिल है। बीएचईएल एसआरजीएम का देश में एकमात्र आपूर्तिकर्ता है।
- कंपनी ने बीते वर्ष प्रतिष्ठित थर्मल ईपीसी ऑर्डर–2×660 मेगावाट, एनटीपीसी तलचेर थर्मल पावर प्लांट प्राप्त किया। पिछले चार वर्षों में यह एकमात्र आर्डर ही प्राप्त हुआ है, जिससे बीएचईएल की थर्मल क्षेत्र में बाजार नेतृत्व की स्थिति बरकार रही।
- कंपनी ने स्पेयर्स एंड सर्विसेज बिजनेस में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की।
- 31 मार्च 2023 को कुल बकाया ऑर्डर बुक 91,336 करोड़ रुपये है (करों के अलावा) पिछले वर्ष यह 90,084 करोड़ रुपये थी। अप्रैल 2023 में 80 "वंदे भारत ट्रेनसेट" का प्रतिष्ठित आर्डर प्राप्त होने के बाद कुल बकाया ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) से अधिक हो गई। यह पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है।

  पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने 'इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर' श्रेणी में 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता' के लिए दो बार आईसीएआई पुरस्कार जीता है, जो लेखांकन/ रिपोर्टिंग प्रणालियों की गुणवत्ता को दर्शाता है।

## बढ़ते कदम

भारत के 140 करोड़ लोगों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप, बुनियादी सुविधा के विकास और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर की गई विभिन्न पहलें, आपकी कंपनी के लिए पूंजीगत माल के साथ–साथ ऊर्जा क्षेत्रों में भी अनेक अवसर पैदा करती हैं। इनमें से एक पहल है– आत्मनिर्भर भारत, जिसे हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने शुरू किया है जो विकास के अनेक अवसर उत्पन्न करती है। आपकी कंपनी इन उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

पारंपरिक (पावर) क्षेत्र में, हम एक आम सहमति बनती देख रहे हैं कि आर्थिक विकास और अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से, थर्मल पावर के उपयोग को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इससे थर्मल पावर सेक्टर में दोबारा जान आ गई है। यह भले ही कम या मध्यम अवधि के लिए हो पर यह एक ऐसा राहत का समय है जो आपकी कंपनी को नए और भविष्य के व्यवसायों में विविधता लाने की दिशा में और प्रयास करने का मौका देगा।

कंपनी ने थर्मल से संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक दायरे का विस्तार करते हुए, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लचीले परिचालन (ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए आदेशात्मक अनिवार्यता) के लिए इन–हाउस समाधान को सफलतापूर्वक विकसित करने में काफी प्रगति की है। कंपनी ने अपने आर्डर में निष्पादन के निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है और अगले चार ऑर्डर भी प्राप्त कर लिए हैं। सीईए द्वारा मौजूदा थर्मल सेटों में लचीलेपन की क्षमताओं को लागू करने संबंधी दिशानिर्देश जारी करने से इस क्षेत्र में और व्यवसाय उत्पन्न होने की उम्मीद है। ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक समझौतों (आपूर्ति और सेवाओं के लिए), डिलीवरी के समय को कम करने के लिए उन्नत प्रापण (प्रोक्योरमेंट) कार्रवाई/स्टॉकिंग, और सेवा में सुधार के कारण स्पेयर्स एंड सर्विसेज व्यवसाय भी बढ़ रहा है। एनपीसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने और लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के क्षेत्र में शुरू किए गए विकासात्मक प्रयासों से परमाणु व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास जारी हैं। जीएचएवीपी (गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना) को बीएचईएल के 44वें परमाणु भाप जनरेटर का प्रेषण इस क्षेत्र में हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। कंपनी ने हाइड्रो पावर में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। कंपनी 400 मेगावाट तक के विभिन्न आकारों के कस्टम–मेड हाइड्रो टर्बाइन और जनरेटर के डिजाइन, इंजीनियर और विनिर्माण की क्षमता रखती है और पुराने हो रहे हाइड्रो टर्बो जनरेटरों के विशाल बेड़े के लिए अनुकूल मरम्मत एवं अनुरक्षण समाधान प्रदान करती है।

जहां तक विविधीकरण का संबंध है, कंपनी का लक्ष्य है कि हमारा कम से कम 50% व्यवसाय गैर–कोयला क्षेत्र में हो। कंपनी ने इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसे उद्योग क्षेत्र की ऑर्डर बुक कुल ऑर्डर बुकिंग का 40% है। ये ऑर्डर पिछले वर्ष रक्षा क्षेत्र में अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर को मिलाकर हैं जिनमें अपग्रेडिड एसआरजीएम के आदेश, लड़ाकू विमान के लिए हीट एक्सचेंजर्स, एएमसीए की लीथियम–आयन बैटरी की आपूर्ति का पहला ऑर्डर (इस ऑर्डर से बीएचईएल अगली पीढ़ी के विमान की लीथियम–आयन बैटरी का एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता बन गया) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बीएचईएल ने हीट एक्सचेंजर्स, कंट्रोल सिस्टम, टर्बाइन, मोटर, जनरेटर आदि सहित उपकरणों की श्रृंखला तथा रणनीतिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण के एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को निरंतर बनाए रखा है।

बीएचईएल को अप्रैल, 2023 ऐतिहासिक सफलता मिली। हमें मेसर्स टीआरएसएल के साथ कंसोर्टियम के रूप में अब तक के सबसे बड़े ऑर्डरों में से एक, 80 वंदे भारत ट्रेनसेट की आपूर्ति और 35 साल के रखरखाव का ऑर्डर मिला है। जब एक ओर रेलवे सेमी–हाई स्पीड ट्रेनसेट, लोकोमोटिव, सिग्नलिंग आदि जैसे क्षेत्रों में बड़ी विस्तार और आधुनिकीकरण योजनाएं शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर इस ऑर्डर के मिलने से भविष्य में रेल व्यवसाय के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

एक और सफल व्यावसायिक पहल हुई हैः कोयला गैसीकरण। विभिन्न स्तरों पर यह स्वीकार किया गया है कि देश को अपने विशाल कोयला भंडार (अपर्याप्त गैस/तेल भंडार के कारण) का उपयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी स्वीकार किया गया कि, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए देश को बड़े पैमाने पर स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा। बीएचईएल ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुए 2,000 टीपीडी वाणिज्यिक पैमाने के संयंत्र के गैसीफायर के डिजाइन और इंजीनियरिंग कार्य को पूरा किया है। यह प्रौद्योगिकी उच्च राख वाले भारतीय कोयले के गैसीकरण के लिए दुनिया की पहली सिद्ध प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा, कोयला से अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम गठित करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। इससे हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत बीएचईएल के लिए बड़े व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे।

आपकी कंपनी 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' के अनुरूप तैयार है और ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन में विभिन्न संभावनाएं तलाश रही है। इसके लिए वाराणसी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। ये प्रयास भविष्य के इस क्षेत्र के स्केलेबल व्यवसायों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन सभी विविध पहलों ने बीएचईएल की गैर–कोयला खंड में दीर्घकालिक विकास संभावनाओं के लिए आधार तैयार किया है। ये प्रयास आपकी कंपनी की संधारणीयता, कार्बन फुटप्रिंट में कमी के प्रति प्रतिबद्धता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में योगदान का प्रमाण हैं।

कंपनी ने कुछ प्रौद्योगिकी समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। उनमें से प्रमुख हैं– मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जीएमबीएच स्विट्जरलैंड के साथ मौजूदा / उन्नत और नए गैस टरबाइन मॉडल के अधिक अधिकारों के लिए; मैसर्स सुमितोमो एसएचआई–एफडब्ल्यू के साथ ईंधनों की विस्तृत श्रृंखला को दहन (फायर) करने में सक्षम सबक्रिटिकल और सुपरक्रिटिकल सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बेड कॉम्बश्शन (सीएफबीसी) बॉयलर के लिए; मैसर्स एबीबी के साथ रेल खंड के लिए अंडरस्लंग प्रोपल्सन उपकरण के लिए। इन समझौतों के दोहरे लाभ होंगे। पहला, इनसे बीएचईएल के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से विविध नए व्यवसाय सृजित होंगे। दूसरा, आने वाले समय में बीएचईएल को अत्याधुनिक प्रोद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।

कंपनी ने अपने स्वयं के व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ–साथ अन्य सीपीएसई के लिए भी उपस्करों के स्वदेशीकरण और आयात निर्भरता में कमी लाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। अपने व्यवसाय के लिए, बीएचईएल ने एफजीडी जैसे कई उपस्कर इन–हाउस विकसित किए हैं और अपने विक्रेताओं/ सहयोगियों के उपस्कर विकास में सहयोग कर रहा है। हाल की सफलताओं में सकर रॉड पंप का विकास शामिल है, जो कि तेल उद्योग की एक प्रमुख आवश्यकता है और अब तक बड़े पैमाने पर चीन से आयात की जाती थी।

तथापि कंपनी के लिए चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। यद्यपि बढ़ती सामग्री लागत को कई लागत इष्टतमीकरण (ऑप्टिमाइजेशन) प्रयासों से नियंत्रित किया गया है फिर भी यह लाभप्रदता को लगातार प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। इसके अलावा, वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे कुछ ऑर्डर बहुत प्रतिस्पर्धी दरों पर मिले हैं। ये दोनों तथ्य मिलकर निकट भविष्य में कंपनी के शुद्ध लाभ को कम कर सकते हैं। कंपनी इस स्थिति से निपटने के लिए सख्त लागत नियंत्रण उपाय लागू कर रही है। निकट भविष्य में ऐसे नए ऑर्डर जिनमें कंपनी ने परियोजना प्रबंधन सुधार के प्रयास किए हैं और विशिष्ट साइटों पर पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता) की सेवाएं ली जाएंगी तथा लागत वृद्धि को एक कारक माना गया है, वे ऑर्डर लाभप्रदता में सुधार करने में सहायक होंगे। वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे ऑर्डरों में प्रतिकूल भुगतान शर्तों के कारण कंपनी की चलनिधि (लिक्विडिटी) स्थिति कमजोर बनी रह सकती है। लेकिन इनमें से अधिकांश ऑर्डर अगले दो वर्षों में काफी हद तक पूरे हो जाएंगे, जिससे चलनिधि में सुधार की उम्मीद है। हाल के वर्षों में प्राप्त इन नए ऑर्डरों की सुपुर्दगी समय पर करने पर लगातार ध्यान देने से इन ऑर्डरों की वसूली में और मदद मिलेगी।

## गुणवत्ता सर्वप्रथम पहल

आपकी कंपनी द्वारा की गई एक अन्य प्रमुख पहल 'गुणवत्ता सर्वप्रथम (क्वालिटी फर्स्ट)' है। इसे पूरे संगठन में मिशन मोड में शुरू किया गया है ताकि ग्राहकों को दिये जाने वाले कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को एक हॉलमार्क बनाया जा सके। इस दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप बीएचईएल को व्यावसायिक उत्कृष्टता अपनाने और उसके संवर्धन के लिए पहली बार "सीआईआई–एक्जिम बैंक की विशेष जूरी से प्रशस्ति" प्राप्त हुई। इस सम्मान की प्राप्ति आपकी कंपनी के सभी परिचालनों में व्यावसायिक उत्कृष्टता को अंगीकार करने और उसे पोषित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, "सीआईआई एक्जिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस 2022" में कंपनी की एचपीबीपी त्रिची, एचईईपी हरिद्वार, एचईपी भोपाल और एचपीईपी हैदराबाद इकाइयों को 'प्लेटिनम' सम्मान मिला वहीं पीईएम नोएडा, ईडीएन बेंगलुरु, बीएपी रानीपेट और पीएसएनआर नोएडा इकाइयों

को 'गोल्ड प्लस' सम्मान मिला। जकार्ता में गुणवत्ता नियंत्रण सर्किलों के 47वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाली सभी 8 गुणवत्ता सर्किल टीमों ने स्वर्ण पुरस्कार (पुरस्कार की उच्चतम श्रेणी) जीतकर भारत में गुणवत्ता सर्किल अभियान के अग्रणी के रूप में बीएचईएल का परचम लहराया है।

## प्रतिबद्ध जनशक्ति और नेतृत्व पाइपलाइन बनाना

आपकी कंपनी की दशकों से एक मॉडल नियोक्ता के रूप में पहचान बनी हुई है। हम यह मानते हैं कि समर्पित और प्रतिबद्ध जनशक्ति किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी है। इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें से एक है मानव संसाधन उत्कृष्टता का रोडमैप तैयार करने और लागू करवाने के लिए एक शीर्ष परामर्शदाता संगठन की सेवाएं लेना। दीर्घकालिक उत्तराधिकार योजना (सक्सेशन प्लान) के लिए सक्षमता मूल्यांकन के माध्यम से नेतृत्व विकास मॉडल बनाए गए हैं और व्यक्तिगत विकास योजनाओं आदि को लागू किया जा रहा है। संवाद कार्यक्रमों, यूनिट रीच–आउट कार्यक्रमों आदि के माध्यम से कर्मचारी सहभागिता/जुड़ाव बढ़ाने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बदलते कारोबारी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, नई आगामी प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित अनलर्निंग, लर्निंग और रीलर्निंग पहलों के माध्यम से हमारी जनशक्ति को सक्षम बनाने हेतु निरंतर प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

## हरित बीएचईएल

आज दुनिया भर में संपोषणीय भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रयास करना सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बन गया है। इस दिशा में हमारे देश ने 'पंचामृत' लक्ष्यों को अपनाया है जिसमें वर्ष 2070 तक नेट जीरो बनने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। हमने संधारणीय कंपनी के रूप में हमारे लोकाचार के अनुरूप वर्ष 2047 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए "बीएचईएल को हरित कंपनी" बनाने की बड़ी पहल की है। कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक मॉडल "हरित कंपनी" बनाने के अलावा, दीर्घावधि में लागत कम करके और उधार एवं बीमा आदि की उपलब्धता बढ़ाकर व्यावसायिक निष्पादन में सहयोग करने की अपेक्षा है। इसके अलावा, इससे कंपनी के भीतर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण हेतु नवाचार संस्कृति बनाने में मदद भी मिलेगी।

## कौशल विकास पहल

आपकी कंपनी ने देश की कौशल विकास के लिए प्रतिबद्धता में योगदान करते हुए अपनी क्षमताओं और बुनियादी सुविधा का लाभ लेकर वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) त्रिची (देश में अग्रणी वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन) में एक कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर (सीईएफसी) की स्थापना की है। इसके विस्तार केंद्र वाराणसी, हरिद्वार, भोपाल, झांसी और रानीपेट में स्थापित किए गए हैं। इनमें वेल्डरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के समर्थन से ये सीईएफसी स्थापित किए गए हैं। सीईएफसी अपनी स्थापना के पहले वर्ष में 2,000 वेल्डरों को प्रशिक्षित कर चुका है। यह पहल न केवल बीएचईएल की साइटों पर कुशल वेल्डरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि देश और पड़ोस के विभिन्न देशों में भी वेल्डरों की उपलब्धता में योगदान देगी, जहां वर्तमान में कुशल वेल्डरों की कमी है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय भारी उद्योग मंत्री ने भी इस प्रयास की सराहना की है।

## आभार

आपकी कंपनी की सफलता विभिन्न स्टेकहोल्डरों के विश्वास, निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन से ही संभव है। मैं, कंपनी पर विश्वास बनाए रखने के लिए अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों एवं व्यावसायिक भागीदारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम पर भरोसा जताया। मैं अपने कर्मचारियों को उनकी लगन, जोश और कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। निदेशक मण्डल के सदस्यों को निरंतर मार्गदर्शन देने के लिए तथा आप सभी प्रतिष्ठित शेयरधारकों को सहयोग करने तथा कम्पनी पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग मंत्रालय का हमारे सभी प्रयासों में उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।

आपकी कंपनी ने खुद को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम के रूप में स्थापित करने की यात्रा शुरू की है, और मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और सहयोग से हम यह लक्ष्य शानदार अंदाज में प्राप्त करेंगे।

शुभकामनाओं सहित

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
28 जुलाई, 2023

# बीएचईएल का नेतृत्व

निदेशक मंडल की स्थिति 20 जुलाई 2023 को

## कार्यकारी निदेशक

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**सुश्री रेणुका गेरा**
निदेशक
(इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एवं उत्पाद)

**श्री उपिन्द्र सिंह मठारू**
निदेशक (पावर)

**श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव**
निदेशक
(इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास)
अतिरिक्त प्रभार (वित्त)

**श्री कृष्ण कुमार ठाकुर**
निदेशक (मानव संसाधन)

## सरकारी निदेशक/अंशकालिक सरकारी निदेशक

**सुश्री आरती भटनागर**
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

**श्री विजय मित्तल**
संयुक्त सचिव,
भारी उद्योग मंत्रालय

## स्वतंत्र निदेशक

**डॉ. के शिव प्रसाद**
स्वतंत्र निदेशक

**डॉ. लेखाश्री समंतसिंघार**
स्वतंत्र निदेशक

**श्री रमेश पाटल्या मावस्कर**
स्वतंत्र निदेशक

# बीएचईएल का नेतृत्व

निदेशक मंडल की स्थिति 20 जुलाई 2023 को

## प्रबंधन समिति

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**रेणुका गेरा**
निदेशक (इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स

**उपिन्द्र सिंह मठारू**
निदेशक (पावर)

**जय प्रकाश श्रीवास्तव**
निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास)
अतिरिक्त प्रभार (वित्त)

**कृष्ण कुमार ठाकुर**
निदेशक (मानव संसाधन)

**शकील कुमार मनोचा**
कार्यपालक निदेशक (ओएसडी)

**अनिल जोशी**
कार्यपालक निदेशक (उद्योग क्षेत्र) नई दिल्ली

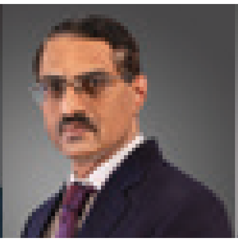

**जी मुरली**
कार्यपालक निदेशक (पीएस–एसआर), चेन्नई

**पंकज गुप्ता**
कार्यपालक निदेशक (एसबीडी), बेंगलुरु

**प्रवीण चन्द्र झा**
कार्यपालक निदेशक (एचईईपी एवं सीएफएफपी), हरिद्वार; अतिरिक्त प्रभार–एसएसबीजी, नोएडा

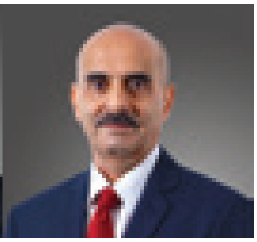

**एस बी नैथानी**
कार्यपालक निदेशक (पीईएम) नोएडा एवं आईएसजी, बेंगलुरु

**सुशील कुमार बवेजा**
कार्यपालक निदेशक (सीओसी एवं सीडीटी), नई दिल्ली

**टी एस वरदराजन**
कार्यपालक निदेशक (एचपीईपी), हैदराबाद

**एम इसादोर**
कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), नई दिल्ली

**विनय निगम**
कार्यपालक निदेशक (एचईपी) भोपाल; अतिरिक्त प्रभार–टीपी, झाँसी

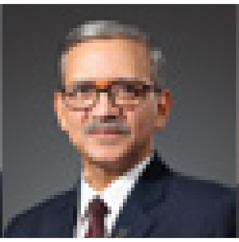

**टी एस मुरली**
कार्यपालक निदेशक (सीएसएम एवं सीसी) नई दिल्ली; सचिव – एम.सी

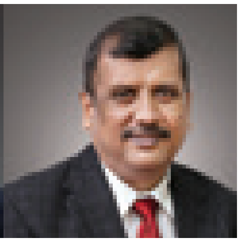

**राजीव सिंह**
कार्यपालक निदेशक (बीएपी), रानीपेट

**प्रवीण किशोर**
कार्यपालक निदेशक (पीएस–ईआर), कोलकाता

**के एस मूर्ति**
कार्यपालक निदेशक (सीओएम), नई दिल्ली

**बानी वर्मा**
कार्यपालक निदेशक (ईडीएन), बेंगलूरु एवं टीबीएसजी, नई दिल्ली

**पी सुधीर बाबू**
महाप्रबंधक प्रभारी (पीई एवं एसडी), हैदराबाद

**पुष्पेंद्र कुमार सक्सेना**
महाप्रबंधक प्रभारी (पीएस–एचक्यू), नई दिल्ली

**के रविशंकर**
महाप्रबंधक प्रभारी (कॉर्पोरेट आर एंड डी), हैदराबाद

# प्रबंधन समिति

### आसिम सुर
महाप्रबंधक प्रभारी (पीएसटीजी–II), नई दिल्ली

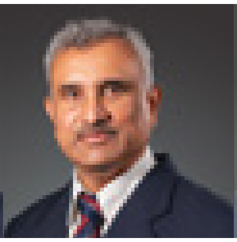

### एस जितेंदर रेड्डी
महाप्रबंधक प्रभारी (एचपीवीपी), वाइजैग

### अरुमोय मुखर्जी
महाप्रबंधक प्रभारी (पीएस–डबल्यूआर), नागपुर

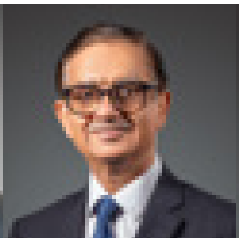

### राजेश कोहली
महाप्रबंधक प्रभारी (सीटीएम), नई दिल्ली

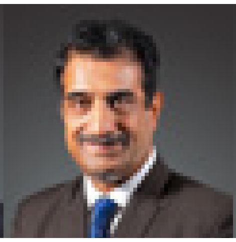

### एस एम रामनाथन
महाप्रबंधक प्रभारी (एचपीबीपी), त्रिची

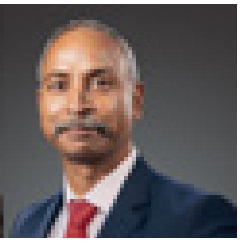

### नवीन सक्सेना
महाप्रबंधक प्रभारी (पीएस–एनआर), नोएडा

### आर के चोखानी
महाप्रबंधक प्रभारी (एनबीजी) नोएडा

### राजीव कुमार गुप्ता
महाप्रबंधक प्रभारी (आईओ), नई दिल्ली

### अमित केरकेट्टा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (कैपेक्स एवं एसएस एवं पी) नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रभार–एफएसआईपी, जगदीशपुर एवं सीएफपी, रुद्रपुर

### जितेंद्र दास
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (आईपीएम), नई दिल्ली

### पंकज रस्तोगी
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एचबीजी), नोएडा

### विनय कुमार बस्सी
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (आरओडी), नई दिल्ली

### रजनीश गोयल
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (ईएसएसजी एवं एनबीए), नई दिल्ली

### राहुल बंसल
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (सीक्यू एवं बीई), नई दिल्ली

### एस प्रभाकर
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (कोयला से रसायन समूह), नई दिल्ली

### राकेश सिंह
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (टीबीजी), नोएडा

### आर पी एस सिसोदिया
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएसटीजी–I), नई दिल्ली

### सुमीत सल्होत्रा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (कॉर्पोरेट वित्त), नई दिल्ली

### धीमान चट्टोपाध्याय
महाप्रबंधक (पीएस–टीएस), नोएडा

### आर वीरबाहु
महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट इंटरनल ऑडिट), नई दिल्ली

### राजीव कालड़ा
कंपनी सचिव

# बीएचईएल का नेतृत्व

## कॉर्पोरेट संगठनात्मक संरचना (01 अप्रैल 2023 की स्थिति)

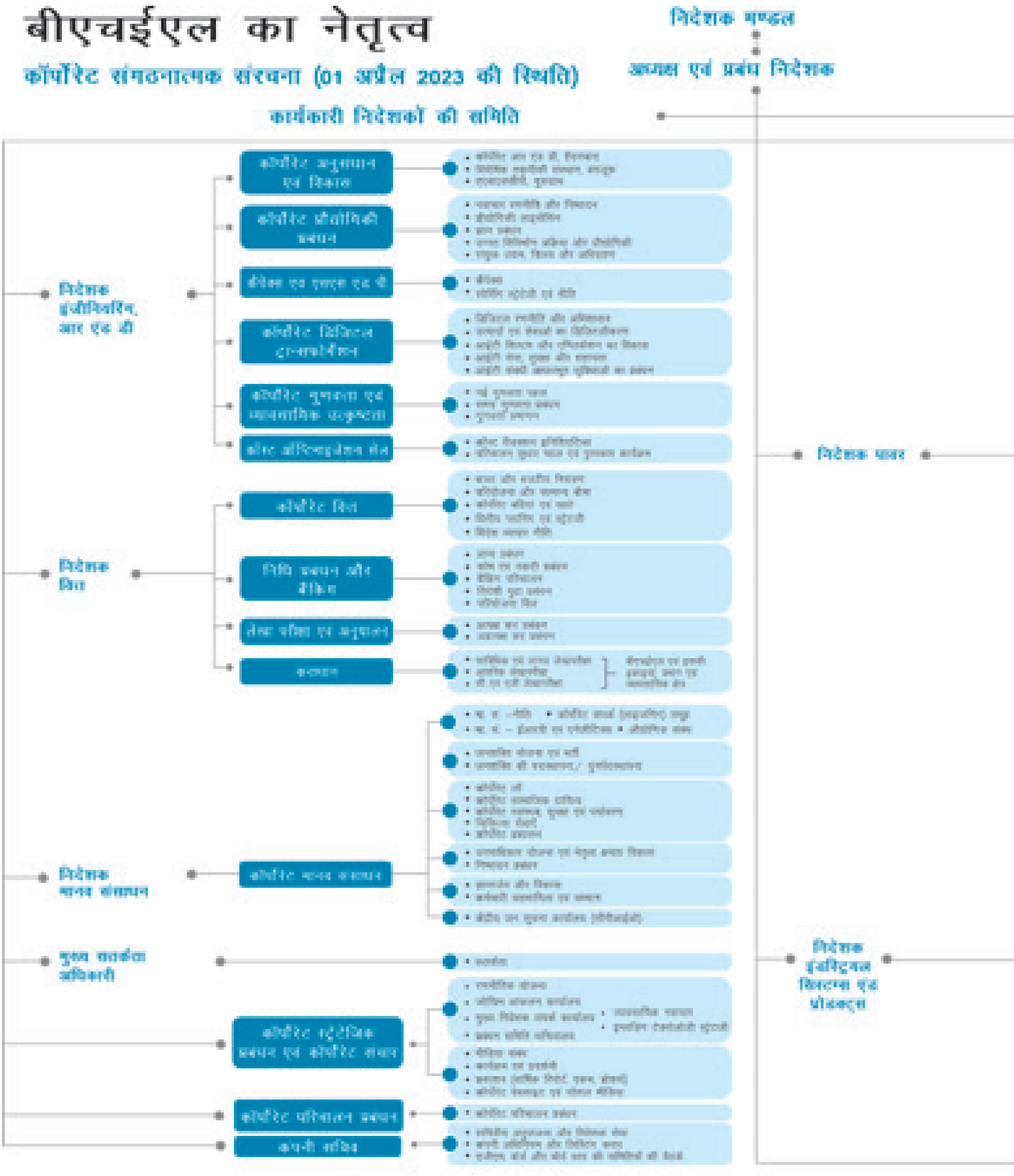

## प्रबंधन समिति

- पीएसबीजी I
- पीएसटीजी II
- न्यूक्लियर बिजनेस ग्रुप
- हाइड्रो बिजनेस ग्रुप
- तकनीकी सेवा
- कोयला से रसायन तक
- प्रोजेक्ट कमीशन सिनर्जी ग्रुप
- परियोजना इंजीनियरिंग प्रबंधन
- सोलर्स एवं स्टीरेज बिजनेस ग्रुप
- हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी
- इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप, बेंगलुरु
- पावर सेक्टर–उत्तरी क्षेत्र, नोएडा
- पावर सेक्टर–दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई
- पावर सेक्टर–पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
- पावर सेक्टर–पश्चिमी क्षेत्र, नागपुर
- पावर सेक्टर–मुख्यालय, एफएसएंडएस, मा. सं.

- कैप्टिव पावर एंड प्रोसेस प्लांट
- परियोजना प्रबंधन समूह (सीपीपी)
- क्षेत्रीय परिचालन प्रभाग (ट्रांसमिशन एवं इलेक्ट्रिकल उत्पाद)
- परिवहन व्यवसाय और सिस्टम समूह
- रक्षा और एयरोस्पेस बिजनेस ग्रुप

- ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप
- परियोजना इंजीनियरिंग और सिस्टम डिवीजन
- इलेक्ट्रिकल उत्पाद
- ऊर्जा भंडारण समाधान समूह
- नए व्यावसायिक क्षेत्र

- अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

**भोपाल**
- हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट

**हरिद्वार**
- हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट
- सेंट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट

**हैदराबाद**
- हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट

**तिरुचिरापल्ली**
- हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, तिरुचि
- सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट, तिरुचि
- इंडस्ट्रियल वॉल्व प्लांट गोइंदवाल
- पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, तिरुमयम

**रानीपेट**
- बॉयलर ऑक्जीलरी प्लांट

**बेंगलुरु**
- इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बेंगलुरु
- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन, बेंगलुरु
- इलेक्ट्रिकल मशीन्स रिपेयर प्लान्ट मुंबई
- सोलर बिजनेस डिवीजन, बेंगलुरु[1]

**झांसी**
- ट्रान्सफॉर्मर प्लांट

**जगदीशपुर**
- फैब्रिकेशन स्टाम्पिंग एवं इंसुलेटर प्लांट[2]

**रुद्रपुर**
- कम्पोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट[2]

**विशाखापत्तनम**
- हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट

1: निदेशक (इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स) को रिपोर्टिंग
2: निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) को रिपोर्टिंग

# वर्ष
# 2022-23
# की एक झलक

**स्वदेशी कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए रणनीतिक साझेदारी** - वाणिज्यिक स्तर की कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

**गैर-कोयला व्यवसाय विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना-** वार्षिक ऑर्डर बुकिंग में उद्योग क्षेत्र की अब तक की सबसे अधिक हिस्सेदारी

**उद्योग क्षेत्र के 13 वर्षों में सबसे अधिक ऑर्डर - ₹9,500 करोड़*** - रक्षा क्षेत्र में अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर – ₹3,600 करोड़*

**स्पेयर्स एवं सर्विसेज व्यवसाय में अब तक के सर्वाधिक ऑर्डर** – ₹3,800 करोड़*

**1x800 मेगावाट अडानी रायगढ़ थर्मल पावर प्लांट में भारत के पहले लचीले संयंत्र परिचालन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया** नवीकरणीय और पारंपरिक थर्मल पावर के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम

**निर्धारित समय से पहले आपूर्ति** - भारतीय रेलवे को 75 नग 6000 HP WAG-9H इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की आपूर्ति।

अनुसंधान एवं विकास और नवप्रवर्तन में 651 करोड़ रुपए का निवेश; **583 पेटेंट और कॉपीराइट दायर किए गए; कुल बौद्धिक पूंजी-5,443**

बीएचईएल ने सुपरक्रिटिकल और सबक्रिटिकल सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) **बॉयलर के लिए सुमितोमो एसएचआई एफडब्ल्यू एनर्जिया ओवाए, फिनलैंड** के साथ प्रौद्योगिकी समझौता किया है।

*करों को छोड़कर

# रेलयात्रा के अनुभव में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए

## भारत की आधुनिकीकरण यात्रा में बीएचईएल का योगदान

भारतीय रेलवे को अपने विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रयास में बीएचईएल के रूप में एक मूल्यवान साथी मिल गया है। बीएचईएल ने वंदे भारत ट्रेनसेट के लिए चार प्रणोदन (प्रपल्शन) प्रणालियों का ऑर्डर जीतने के बाद, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल) के साथ मिलकर भारतीय रेलवे से 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का एक और महत्वपूर्ण ऑर्डर सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। यह बीएचईएल के विविधीकरण अभियान का एक बड़ा प्रतिफल है। स्लीपर श्रेणी की इन वंदे भारत ट्रेनसेट को लंबी दूरी के लिए चलाया जा सकता है। ये ट्रेनसेट 160 किमी प्रति घंटे की उच्च गति से चलने में सक्षम हैं।

इस नवीन प्रकार के प्रगति पथ पर ले जाने वाले आर्डर में 80 ऊर्जा दक्ष वंदे भारत ट्रेनसेट की इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और आपूर्ति और मरम्मत का काम किया जाना है। इन ट्रेनसेटों के पूरे बेड़े का 35 वर्षों तक अनुरक्षण किया जाएगा ताकि इष्टतम विश्वसनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यात्री इन ट्रेनसेट से शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करने के साथ–साथ, उनकी सुख–सुविधाओं और सुरक्षा की प्राथमिकता वाली उन्नत विशेषताओं की आशा कर सकते हैं।

बीएचईएल की अत्याधुनिक व उन्नत प्रोद्योगिकी के साथ रेल परिवहन के 'मेक इन इंडिया' भविष्य का अनुभव लें। भारतीय रेलवे को आधुनिक, कुशल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई यात्रा का आरंभ।

# वर्ष की एक झलक

(आंकड़े ₹ करोड़ में हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

राजस्व

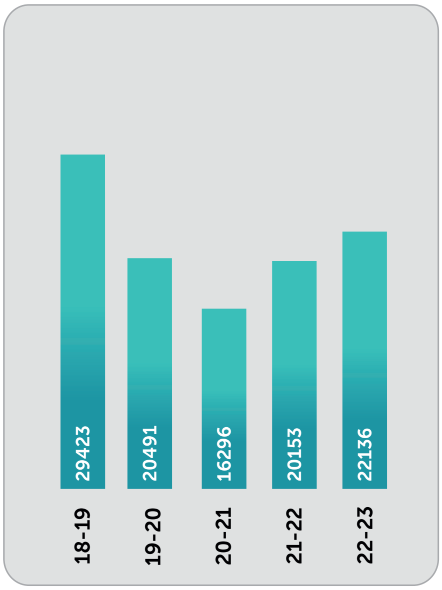


अन्य परिचालन आय

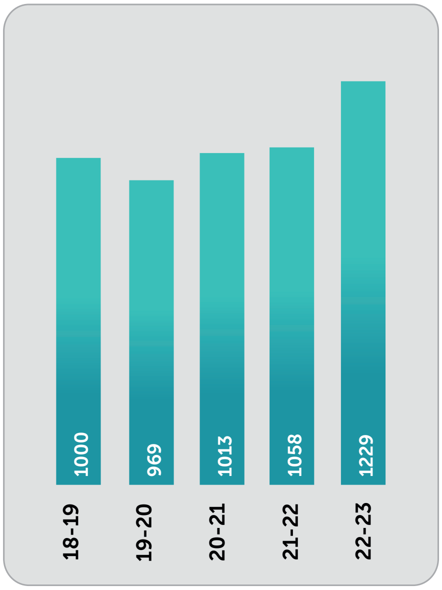


जनशक्ति (संख्या में) एवं
प्रति कर्मचारी राजस्व (₹ लाख में)

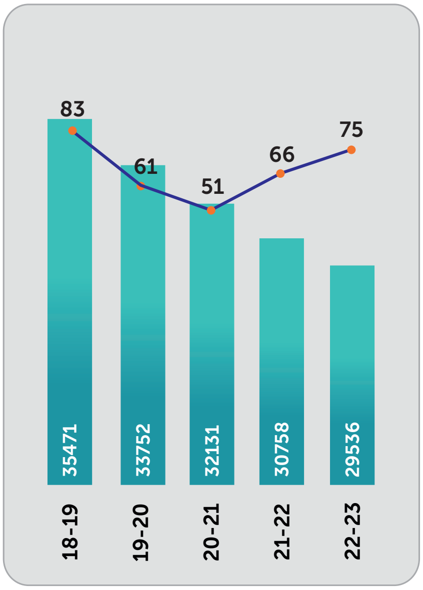


कुल (संख्या में) प्रति कर्मचारी से राजस्व (₹ लाख में)

अन्य व्यय–राजस्व के प्रतिशत में

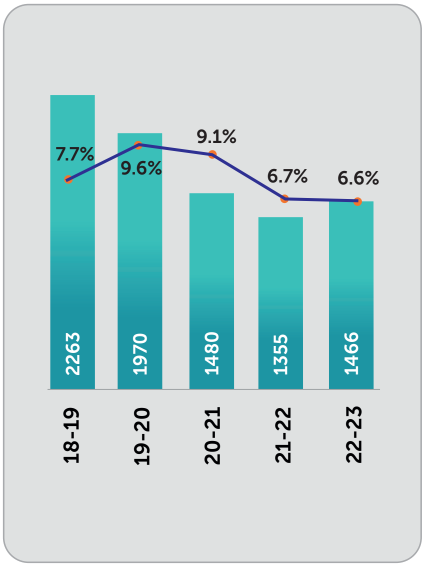


अन्य व्यय राजस्व का %

ईबीआईडीटीए

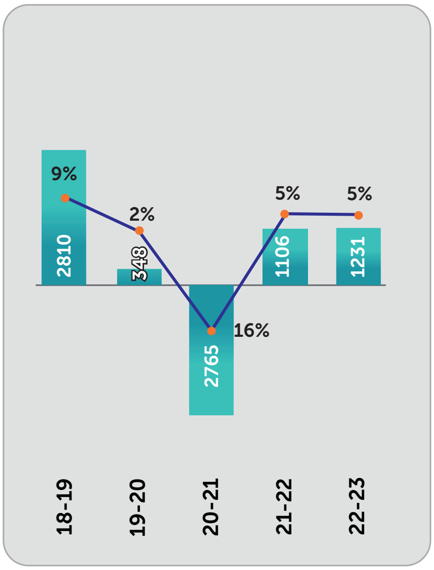


ईबीआईडीटीए ईबीआईडीटीए राजस्व के % के रूप में

माल सूची की स्थिति (रु करोड़ में)
एवं दिनों की संख्या

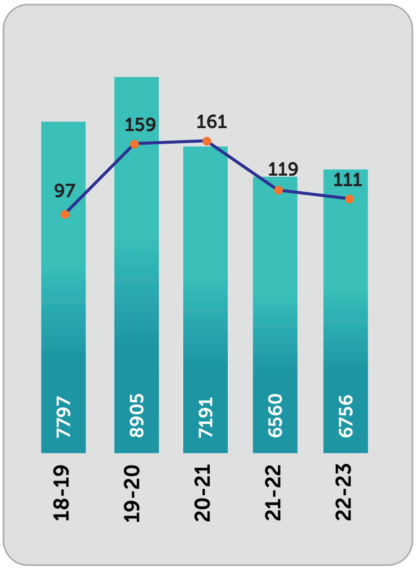


माल सूची (रु करोड़ में) दिनों की संख्या में माल सूची

# वर्ष की एक झलक

(आंकड़े ₹ करोड़ में हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

चालू अनुपात

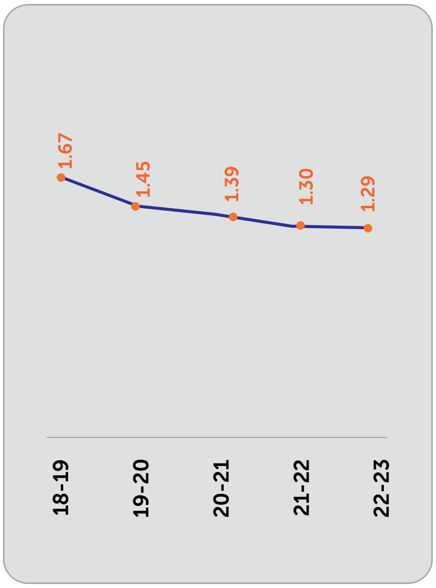


कुल क्षमता में से लिक्विडेशन का %
(प्रारंभिक निवल व्यापार प्राप्य + चालू वर्ष की निवल बिलिंग)

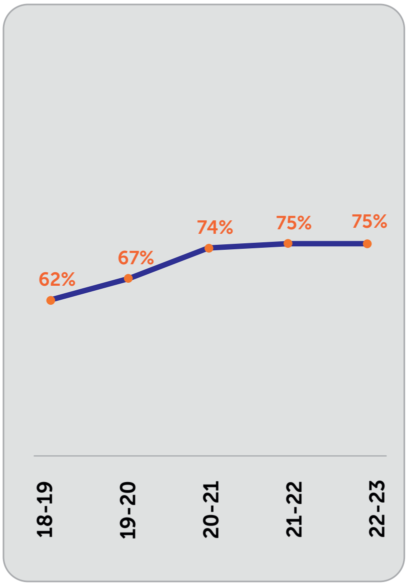


वर्तमान वर्ष की नेट बिलिंग से लिक्विडेशन का %

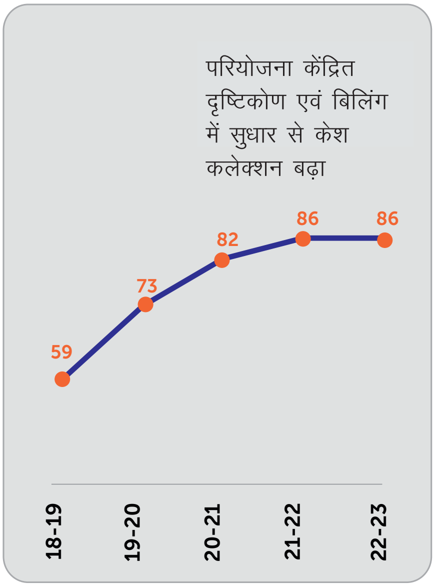


व्यापार प्राप्य (रु करोड़ में) एवं दिनों की संख्या

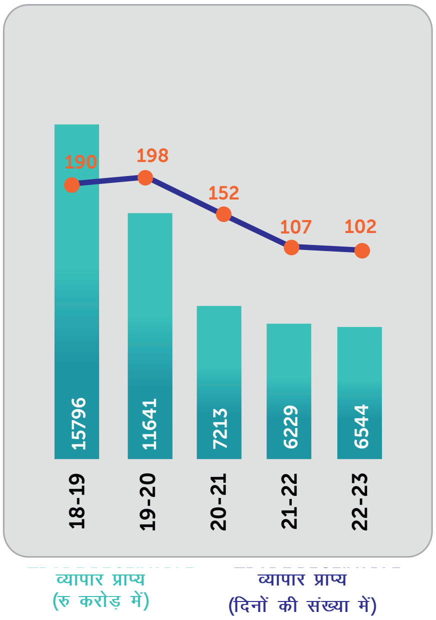


बाजार पूंजीकरण और नेट वर्थ का अनुपात

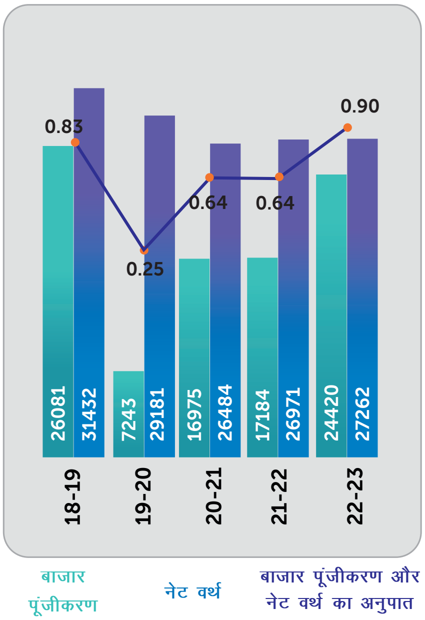

# बीएचईएल का परिचय

बीएचईएल ऊर्जा, उद्योग तथा बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्र में कार्यरत भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्यम है। कंपनी की स्थापना 1964 में हुई थी और तब से हम भारत में निर्माण (मेकिंग इन इंडिया) कर रहें हैं। हम पावर (थर्मल, हाइड्रो, गैस, नाभिकिय और सोलर फोटो–वोल्टाइक), ट्रांसमिशन, परिवहन, रक्षा, एयरोस्पेस, तेल एवं गैस तथा कुछ उभरते क्षेत्र जैसे ऊर्जा भंडारण प्रणाली एवं इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जर आदि क्षेत्रों में ग्राहकों को उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं।

बीएचईएल अपनी शुरुआत के समय से ही देश की विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने, मुख्य औद्योगिक एवं रणनीतिक क्षेत्रों में योगदान देने में सहायक रहा है। कंपनी की अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता अपने उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, नई प्रौद्योगिकियों का विकास और आमेलन, आर एंड डी तथा नवाचार पर अपने राजस्व के 2.5% से अधिक का लगातार व्यय, विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना, स्थायी व्यावसायिक समाधान प्रदान करने में परिलक्षित होती है। हम ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान कराने के अलावा कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, साफ–सफाई एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े पैमाने पर समाज को भी योगदान दे रहें है।

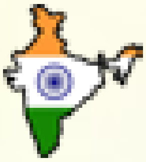

**1964** से भारत में निर्माणरत और वैश्विक स्तर पर उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति

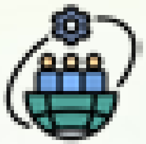

इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक, **29,000** से अधिक उच्च कुशल कर्मचारी; **8,300** इंजीनियर

भारत में **पूंजीगत माल के विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़े संगठनों** में से एक है

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपकरण तैयार करने वाले देश भर में **16** विनिर्माण केंद्र

अनुसंधान एवं विकास पर निरंतर वार्षिक राजस्व का **2.5%** से अधिक व्यय

बीएचईएल थर्मल, गैस, हाइड्रो और नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में सिद्धहस्त होने के साथ विद्युत परियोजनाओं की समूची श्रृंखला के विनिर्माण की क्षमता रखने वाली दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से एक है।

**4** क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र और 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्र

पिछले कुछ वर्षों में कई वैश्विक ओईएम के साथ **80+** प्रौद्योगिकी गठजोड़ (कोलैबोरेशन)

भारत और विदेश के विभिन्न हिस्सों में चल रही **140+** परियोजनाएँ

नवाचार क्षमताओं और प्रौद्योगिकी को आकार देने के लिए हैदराबाद में **अलग से एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र,** 14 उत्कृष्टता केंद्र और 5 अनुसंधान केंद्र

मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों जैसे विद्युत, रेलवे, औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद, रक्षा एवं एयरोस्पेस में उपकरणों की इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परीक्षण, आफ्टरमार्केट सेवाओं की विशेषज्ञता वाली **अत्याधुनिक सुविधाएं**

सभी 6 बसे हुए महाद्वीपों के **88** देशों से व्यावसायिक संबंध

## पावर सेक्टर

बीएचईएल थर्मल, गैस, हाइड्रो और नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में सिद्धहस्त होने के साथ विद्युत परियोजनाओं की समूची श्रृंखला के विनिर्माण की क्षमता रखने वाली दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से एक है। इसके उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 1000 मेगावाट इकाई आकार तक के जीवाश्म–ईंधन आधारित संयंत्रों के लिए स्टीम टर्बाइन, जनरेटर और बॉयलर तथा मैचिंग सहायक उपकरण
- SOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए फ्लू गैस डिसल्फेराइजेशन (FGD) सहित उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण प्रणाली, कण उत्सर्जन नियंत्रण के लिये उच्च दक्षता इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपेटर, NOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए बॉयलर मॉडिफिकेशन और सिलेक्टिव केटलिस्टिक रिडक्शन सिस्टम
- 299 मेगावाट यूनिट आकार तक गैस टर्बाइन और जनरेटर
- 400 मेगावाट यूनिट आकार तक के हाइड्रो टर्बाइन और जनरेटर
- 220/235/540/700MW न्युक्लियर टर्बाइन जनरेटर सेट
- संयंत्रों के जीवन चक्र विस्तार और नवीकरण, आधुनिकीकरण, लचीलाकरण उन्नयन, शेष जीवन चक्र आकलन, समस्या निदान के माध्यम से संयंत्र के निष्पादन में संवर्धन

## उद्योग क्षेत्र

उद्योग और बुनियादी सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्रों में बीएचईएल के प्रमुख उत्पाद निम्नानुसार हैं:

- परिवहनः सेमी हाई स्पीड (वंदे भारत) ट्रेनसेट, 9000 एचपी तक के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, 3000 एचपी तक के डीजल इलेक्ट्रिक लोको, ईएमयू कोच, आईजीबीटी आधारित प्रणोदन उपकरण (ट्रैक्शन कनवर्टर/सहायक कनवर्टर/वाहन नियंत्रण इकाई), इलेक्ट्रिक लोको और एसीईएमयू के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर/मेमू
- रक्षा एवं एयरोस्पेसः नेवल शिव के लिए सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम), उन्नत एसआरजीएम एवं इंटिग्रेटिड प्लेटफोर्म मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस), कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स, स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल्स, स्पेस ग्रेड सोलर पैनल, स्पेस ग्रेड बैटरी, अंतरिक्ष यान प्रोपेलेंट (प्रणोदक) टैंक की हॉट फार्मिंग, टाइटेनियम तथा रोटरी मेन जेनरेटर का निर्माण, टाइटेनियम शीट और ट्यूबों की वेल्डिंग और मशीनिंग सहित भारतीय रक्षा बलों के लिए रणनीतिक उपस्कर
- नवीकरणीय ऊर्जाः फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों और 400 डब्ल्यूपी तक मोनो–पीईआरसी सौर पीवी मॉड्यूल सहित ग्रेड कनेक्टिड एवं एकल (स्टैंड अलोन) सोलार पीवी अनुप्रयोगों के लिए संकल्पना से कमीशनिंग तक ईपीसी समाधान
- ऊर्जा भंडारण समाधान और नए व्यावसायिक क्षेत्रः अपस्ट्रीम इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाले इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) स्टेशनों के लिए ईवी चार्जर एवं सहायक इलेक्ट्रिकल प्रणाली, ईपीसी समाधान
- कैप्टिव पावर व प्रोसेस प्लांटः एकल (स्टैंडअलोन), एसटीजी, बीटीजी पैकेज, ईपीसी आधार पर रिफाइनरी सीपीपी, एएफबीसी एवं सीएफबीसी बॉयलर, यूबी पैकेज, ईपीसी आधार पर डाउनस्ट्रीम ऑयल एवं गैस पैकेज
- पारेषण (ट्रांसमिशन): 765 केवी तक के ईएचवी सबस्टेशन (एआईएस और जीआईएस प्रकार), ±800 केवी तक के यूएचवी सबस्टेशन और एचवीडीसी कनवर्टर स्टेशन, पावर ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर, वैक्यूम स्विचगियर, गैस इंसुलेटेड स्विचगियर, लचीला एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइस, 765 केवी तक के अनुप्रयोग के लिए कमपोसिट इंसुलेटर आदि।
- औद्योगिक उत्पादः ऑयल रिग्स, वेलहेड्स और एक्समैस ट्री वाल्व, मैकेनिकल पैकेज, फैब्रिकेटेड उपकरण और बॉयलर फीड पंप, कम्प्रेसर और एसी मशीन

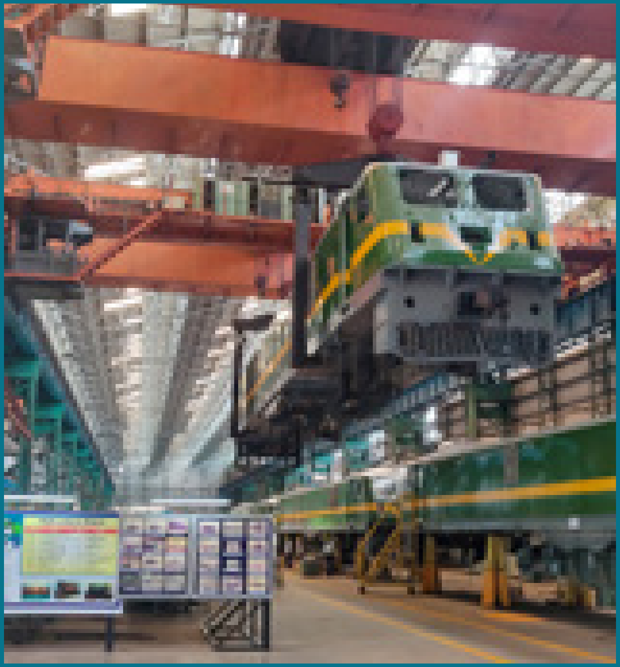

वर्तमान में 29,000 से अधिक कुशल और प्रेरित कार्यबल तथा देश भर में फैली भौतिक संपत्तियां पिछले कुछ वर्षों में हमारी यात्रा के पीछे प्रेरक शक्ति रही हैं। बीएचईएल की सम्पत्तियों में 16 विनिर्माण इकाइयों, 2 मरम्मत इकाइयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 सेवा केंद्रों, 3 सक्रिय संयुक्त उद्यमों, 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्रों, 1 विदेशी कार्यालय और भारत एवं विदेश में निष्पादित की जा रही 140 से अधिक परियोजनाओं का नेटवर्क है। विनिर्माण इकाइयां राष्ट्रीय एवं श्रृंखला मानकों का पालन करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार करती हैं।

बीएचईएल राज्य प्रतिष्ठानों (यूटिलिटीस) और भारतीय कैपिटल गुड्स उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में एक जाना पहचाना नाम है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए विद्युत उत्पादन उपकरणों का विश्व भर में स्थापित आधार 197 गीगावाट से अधिक है जो बीएचईएल को भारतीय विद्युत संयंत्र उपस्कर बनाने वाली कम्पनियों में निर्विवाद रूप से अग्रणी बनाती है। कंपनी ने लोकोमोटिव और ईएमयू लिए 800 से अधिक लोकोमोटिव एवं अन्य ट्रैक्शन उपकरण की आपूर्ति करने; देश में 240 इलेक्ट्रिक सबस्टेशन और 6 प्रमुख एचवीडीसी परियोजनाएं शुरू (कमीशन) के अलावा, देश में पावर ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल एसी मशीनों का सबसे बड़ा विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता है और देश भर में 1.2+ गीगावॉट सौर पोर्टफोलियो को स्थापित और चालू (कमीशन) किया।

बीएचईएल का विश्व के सभी बसे हुए महाद्वीपों के 88 देशों से व्यावसायिक संबंध हैं जिसमें पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, ओमान, इराक, सूडान, संयुक्त राष्ट्र और न्यूजीलैंड सम्मिलित हैं। आज तक, विदेशी बाजारों में लगभग 12 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में 2×660 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना और नेपाल में 4×225 मेगावाट अरुण–3 जलविद्युत परियोजना सहित 5 गीगावाट निष्पादन के किया जा रहा है।

बीएचईएल प्रौद्योगिकियों से युक्त अनेक उत्पादों एवं प्रणालियों का एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता होने के नाते राष्ट्र के रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीएचईएल देश में न्युक्लियर स्टीम टरबाइन का एकमात्र विनिर्माता है; भारत के न्युक्लियर पावर कार्यक्रम के तीनों स्तरों से जुड़ी हुई एकमात्र कंपनी है; तीन दशकों से अधिक समय से रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्कर एवं सेवाओं का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है; भारतीय नौसेना को उसके युद्धपोतों के लिए नेवल गन का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है।

# अखिल भारतीय उपस्थिति

- 16 — विनिर्माण इकाइयां
- 08 — सेवा केन्द्र
- 15 — क्षेत्रीय विपणन केन्द्र
- 150+ — भारत एवं विदेश में परियोजना साइट
- 04 — क्षेत्रीय कार्यालय
- 02 — मरम्मत इकाइयां

## विनिर्माण संयंत्रों /इकाइयों की अवस्थिति

| | | |
|---|---|---|
| बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयां | बंगलूरू | 1. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन (ईडीएन) |
| | | 2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन (ईएसडी) |
| | | 3. सोलर बिजनेस डिवीजन (एसबीडी) |
| | भोपाल | 4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी) |
| | गोइंदवाल | 5. इंडस्ट्रियल वॉल्व प्लांट (आईवीपी) |
| | हरिद्वार | 6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विप्मेंट प्लांट (एचईईपी) |
| | | 7. सेंट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी) |
| | हैदराबाद | 8. हेवी पावर इक्विप्मेंट प्लांट (एचपीईपी) |
| | जगदीशपुर | 9. फैब्रिकेशन स्टांपिंग एवं इंसुलेटर प्लांट (एफएसआईपी) |
| | झांसी | 10. ट्रान्सफॉर्मर प्लांट |
| | रुद्रपुर | 11. कम्पोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट |
| | रानीपेट | 12. बॉयलर ऑग्जीलरी प्लांट |
| | तिरुचिरापल्ली | 13. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी) |
| | | 14. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी) |
| | तिरुमयम | 15. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू) |
| | विशाखापत्तनम | 16. हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी) |
| बीएचईएल की मरम्मत इकाइयां | मुंबई | 1. इलेक्ट्रिकल मशीन्स रीपेयर प्लान्ट (ईएमआरपी) |
| | वाराणसी | 2. हेवी इक्विप्मेंट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी) |

# भारत

गोइंदवाल
चंडीगढ़
हरिद्वार
रुद्रपुर
नई दिल्ली
नोएडा
जयपुर
लखनऊ
वाराणसी
जगदीशपुर
पटना
गुवाहाटी
झांसी
वडोदरा
भोपाल
जबलपुर
रांची
कोलकाता
नागपुर
रायपुर
भुवनेश्वर
मुंबई
विशाखापत्तनम
सिकंदराबाद
हैदराबाद
बेंगलुरु
रानीपेट
चेन्नई
तिरुचिरापल्ली
तिरुमयम
क्षेत्रीय कार्यालय (पावर सेक्टर)
मरम्मत इकाइयां
कॉर्पोरेट कार्यालय
कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास
विनिर्माण इकाइयाँ
सेवा केंद्र
क्षेत्रीय विपणन केन्द्र

## विजन

बेहतर कल के लिए समाधान प्रदान करने वाला वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम बनना

# बीएचईएल की दुनिया

## मिशन

ऊर्जा, उद्योग और अधोसंरचना के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना

## राष्ट्रीय संस्थान

- अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने वाली भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक
- विश्व स्तर पर 140+ परियोजना स्थल एवं 16 विनिर्माण इकाइयों के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति

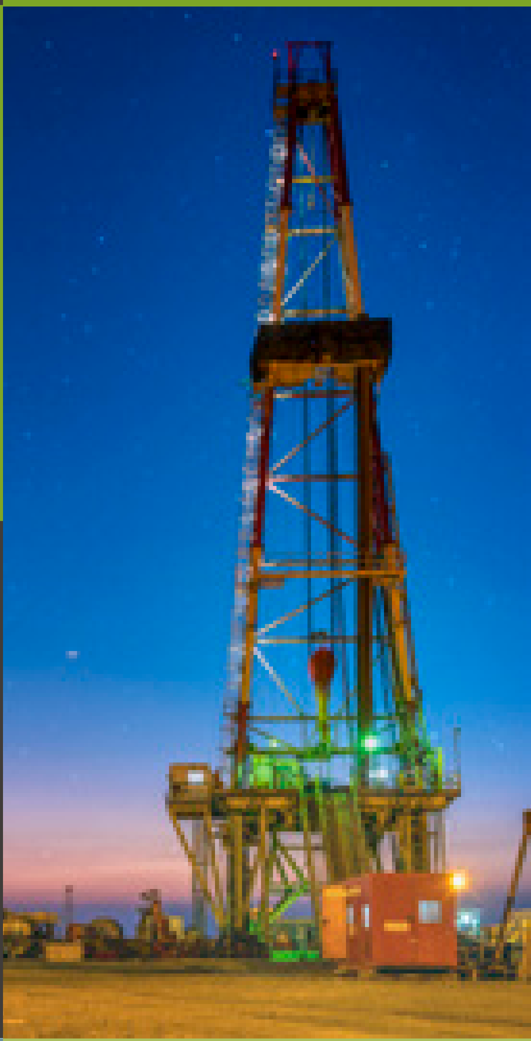

## क्या आप जानते हैं?

- बीएचईएल एकमात्र ऐसी कंपनी है जो राष्ट्रीय परमाणु योजना के तीनों चरणों से जुड़ी है
- बीएचईएल ने अपनी त्रिची विनिर्माण इकाई से रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अपना 44वां न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटर भेजा है
- बीएचईएल 1990 के दशक से देश में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी में अग्रणी रहा है
- बीएचईएल ने हल्के लड़ाकू विमान– तेजस Mk1 के लिए एयर साइकिल मशीन (एसीएम) आधारित 2 किलोवाट लिक्विड कूलिंग सिस्टम (तरल शीतलन प्रणाली) को डिजाइन और विकसित किया है
- बीएचईएल ने रेल व्हील फैक्ट्री, येलहंका और बेला में कास्ट स्टील पहियों की विनिर्माण प्रक्रिया के लिए सिरेमिक पोरिंग ट्यूब का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया है।
- बीएचईएल अगली पीढ़ी के विमानों के लिए ली–आयन बैटरी का एकमात्र आपूर्तिकर्ता होगा

## भारत को ऊर्जावान बनाते हुए

- 197 गीगावाट से अधिक के विद्युत उत्पादन उपकरणों को भारत और विदेशों में स्थापित किया
- 18.8 मेगावाट से अधिक के कैप्टिव पावर प्लांट कमीशन किए
- 1.2 गीगावाट से अधिक का सौर पोर्टफोलियो
- देश में स्थापित 55% ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 48% परमाणु ऊर्जा उत्पादन (द्वितीयक पक्ष) और 44% जल विद्युत उत्पादन क्षमता बीएचईएल आपूर्ति उपस्करों के माध्यम से स्थापित की गई है।

## कोर सेक्टर्स में अप्रतिम योगदान

- 7,30,000 एमवीए से अधिक के पारेषण (ट्रांसमिशन) उपकरण की आपूर्ति
- 33,500 से अधिक एसी मशीनों की आपूर्ति
- 800 से अधिक लोको की भारतीय रेलवे को आपूर्ति
- 415 से अधिक कंप्रेशर्स की आपूर्ति और 90 ऑयल ड्रिलिंग रिग्स की आपूर्ति
- 13500 से अधिक वेल हेड्स और क्रिसमस ट्री वाल्व की आपूर्ति
- 40 से अधिक सुपर रैपिड गन माउंट आपूर्ति भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए

## विश्व स्तर पर उपस्थिति

- 88 देशों से व्यावसायिक संबंध
- देश के बाहर 12 GW विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित; 5 GW पर काम चल रहा है।

## कर्मचारियों का महत्त्व

- 29,000 से अधिक समर्पित सशक्त जन शक्ति,
- लगभग 8300 इंजीनियर
- 1973 से सहभागी प्रबंधन संस्कृति

## सतत भविष्य के लिए प्रौद्योगिकियां

- बीएचईएल द्वारा इन–हाउस विकसित लचीला ऑपरेशन प्रोद्योगिकी – मेसर्स अदानी आरईजीएल (1x600 मेगावाट) इकाई की ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए भारत का पहला लचीला ऑपरेशन सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया।
- थर्मल पावर प्लांटों में हल्के डीजल तेल और भारी ईंधन तेल के विकल्प के रूप में मेथनॉल फायरिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया
- भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी रामागुंडम, तेलंगाना में चालू (कमीशन) किया गया– क्षमता 100 मेगावाट
- घरेलू स्तर पर 35MWp सौर ऊर्जा संस्थापनों $CO_2$ के लगभग 26,964 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी
- इन–हाउस डिजाइन और विकास से तेल निष्कर्षण उत्पाद सकर रॉड पंपिंग (एसआरपी) का आयात प्रतिस्थापन
- बीएचईएल की 10 विनिर्माण इकाइयां अब 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' इकाइयां हैं

## समाज के साथ विकासशील

- संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर
- हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 2022–23 के दौरान बीएचईएल में 49,200 से अधिक पौधे लगाए गए

## नवाचार

- अनुसंधान एवं विकास व्यय लगातार टर्नओवर का 2.5% से अधिक है, 5400 से अधिक बौद्धिक सम्पदा
- प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास
- पांच शोध संस्थान; 14 उत्कृष्टता केंद्र
- 12 विनिर्माण इकाइयों एवं प्रभागों के घरेलू अनुसंधान एवं विकास केंद्रों को डीएसआईआर से मान्यता प्राप्त है

# उत्कृष्टता का सम्मान

1. सीएमडी, बीएचईएल को परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 'सीईओ ऑफ द ईयर' से सम्मानित किया गया।

2. सीएमडी को बहुआयामी परिवर्तनकारी रणनीतियां लागू करने के लिए 'अभिशासन नाउ सीएमडी लीडरशिप अवार्ड 2022' से सम्मानित किया गया।

3. सीएमडी, बीएचईएल को राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईआईटी दिल्ली पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

4. क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया, औरंगाबाद चैप्टर द्वारा आयोजित 36वें राष्ट्रीय गुणवत्ता अवधारणा सम्मेलन (एनसीक्यूसी)–2022 के दौरान 20 टीमों ने परम उत्कृष्टता पुरस्कार (उच्चतम श्रेणी), 13 टीमों ने उत्कृष्टता पुरस्कार और 1 टीम ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता।

5. सुश्री रेणुका गेरा, निदेशक (आईएस एंड पी) को पेरिस सत्र, फ्रांस में 'सीआईजीआरई वूमेन इन एनर्जी अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

6. कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद की सुश्री सिरीशा बेले को उनकी प्रौद्योगिकी नवाचारों में उपलब्धियों के लिए तेलंगाना सरकार तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), तेलंगाना राज्य केंद्र से 'यंग इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022' प्राप्त हुआ ।

7. विभिन्न श्रेणियों में 'अभिशासन नाउ पीएसयू अवार्ड 2022' – अनुसंधान और नवाचार, मानव संसाधन उत्कृष्टता, भू–रणनीतिक पहुंच में वृद्धि, डिजिटल सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियोंः आईओटी / आईआईओटी के उपयोग में सर्वश्रेष्ठ पीएसयू अवार्ड।

8. बीएचईएल को भारत में विनिर्माण क्षेत्र में पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और वाणिज्यीकरण के लिए टॉप पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' की श्रेणी में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2021 और 2022 प्राप्त हुआ। पेटेंट महानियंत्रक कार्यालय, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

9. बीएचईएल को भारत की शीर्ष 50 नवोन्मेषी कंपनियों में चिह्नित कर 'सीआईआई के औद्योगिक नवाचार पुरस्कार 2022' से सम्मानित किया गया

10. बीएचईएल को व्यवसाय उत्कृष्ता अपनाने और उसके संवर्धन के लिए पहली बार सीआईआई–एक्जिम बैंक की विशेष जूरी से प्रशस्ति प्राप्त हुई। कंपनी की त्रिची, हरिद्वार, भोपाल और हैदराबाद इकाइयों को प्लेटिनम सम्मान मिला वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन – बेंगलुरु, पावर सेक्टर–उत्तरी क्षेत्र और रानीपेट इकाई को 'गोल्ड प्लस' सम्मान मिला।

11. बीएचईएल ने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सीबीआईपी पुरस्कार 2022 जीता। माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह के कर कमलों से यह पुरस्कार बीएचईएल के सीएमडी ने प्राप्त किया। इस अवसर पर सुश्री रेणुका गेरा, निदेशक (आईएस एंड पी), बीएचईएल भी उपस्थित थीं।

12. बीएचईएल को वित्त वर्ष 2021–22 में जीईएम पर ऑर्डर की संख्या में सबसे अधिक प्रापण (प्रोक्योरमेंट) के लिए सम्मानित किया गया था।

13. बीएचईएल को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट राष्ट्रीय कार्यशाला में ई–प्रोक्योरमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सीपीएसई के रूप में सम्मानित किया गया।

14. बीएचईएल को आईक्यूएमए (इंडोनेशिया क्वालिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन) द्वारा जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी सर्किल्स 2022 में 8 गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुए। इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों ने भाग लिया। टीमों को उनके कार्य क्षेत्र में नए विचारों, काम को सरल बनाने, गुणवत्ता लाने और नए उपकरण एवं तकनीक विकसित करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए।

15. बीएचईएल की एचपीईपी हैदराबाद इकाई को देश में क्वालिटी सर्किल मूवमेंट का समर्थन करने और इसके विकास में योगदान देने के लिए क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया (क्यूसीएफआई), हैदराबाद द्वारा क्वालिटी सर्किल्स पर वार्षिक चेप्टर सम्मेलन (सीसीक्यूसी–2022) के दौरान सर्वश्रेष्ठ संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

16. बीएचईएल को नवीकरणीय ऊर्जा इंडिया एक्सपो में अग्रणी ईपीसी–सौर श्रेणी का नवीकरणीय ऊर्जा भारत पुरस्कार – 2022 प्राप्त हुआ।

17. बीएचईएल को महारत्न सीपीएसई श्रेणी में 'महिला और दिव्यांग योगदान' के लिए आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

18. बीएचईएल को अनुकरणीय मानव संसाधन पद्धतियों को प्रदर्शित करने और कंपनी को भविष्य की अवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के कार्य में प्रभावी ढंग से मानव संसाधन दक्षताओं को विकसित करने के लिए वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस से प्रतिष्ठित उत्तर

भारत सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ।

19. बीएचईएल को शपावर इक्विपमेंट सेक्टरश श्रेणी में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ।

20. 51वें ईईपीसी इंडिया नेशनल अवार्ड्स में उत्पाद समूहरू प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स – लार्ज एंटरप्राइजश में 2018–19 के लिए स्टार परफॉर्मर का प्रतिष्ठित पुरस्कार।

21. बीएचईएल को ओडिशा के कंधमाल जिले में अपने समावेशी सीएसआर कार्यक्रम "कंधमाल के कृषक समुदायों को अर्थव्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रेरित करना (मार्केट)" के लिए 'पावर इक्विपमेंट सेक्टर' श्रेणी में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ।

22. बीएचईएल को अभिनव मानव संसाधन पद्धतियों के लिए एपेक्स इंडिया एचआर एक्सीलेंस प्लेटिनम अवार्ड 2022 और इंजीनियरिंग क्षेत्र में सुरक्षा में अपने बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के लिए एपेक्स इंडिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया।

23. बीएचईएल को पनकी, धाम, कानपुर में हेल्थकेयर सीएसआर परियोजना लाइफलाइन एक्सप्रेस– हॉस्पिटल ऑन ट्रेनश के लिए आईसीसी सोशल इम्पैक्ट अवार्ड्स 2023 प्राप्त हुआ।

24. बीएचईएल को संगठनात्मक निष्पादन के साथ–साथ, कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए टीम मार्क्समैन द्वारा शविनिर्माण में सबसे पसंदीदा कार्यस्थलश 2022–23 के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ।

25. बीएचईएल को अपने सीएसआर प्रोजेक्ट 'हील ए सोल–IV' के माध्यम से हेमोफिलिया से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने में अमूल्य योगदान के लिए हेमोफिलिया फेडरेशन इंडिया द्वारा वर्ल्ड हेमोफिलिया डे को मेमेंटो से सम्मानित किया गया।

26. बीएचईएल को रेलवे को संपोषणीय एवं ऊर्जा दक्ष समाधान क्षेत्र में अनुकरणीय उपलब्धि के लिए चौथे रेल विश्लेषण नवाचार और उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन 2023 में रेल विश्लेषण भारत द्वारा सम्मान प्राप्त।

27. श्री बिजय कुमार दास ने अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित "आयरन मैन लंबी दूरी की त्रिएथलॉन दौड़ को पूरा किया। यह दुनिया के सबसे कठिन एक दिवसीय खेल आयोजनों में से एक है।

# राष्ट्र के लिए क्षमता निर्माण

बीएचईएल ने त्रिची स्थित अपने वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआइ) में कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर (सीईएफसी) की स्थापना करके भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की "भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि योजना– चरण–II" से प्राप्त अनुदान से आरंभ किया गया है।

सीईएफसी, सालाना 5,000 वेल्डरों को कुशल बनाने की लक्ष्य क्षमता के साथ, विभिन्न वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इनमें शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग (एसएमएडब्ल्यू), गैस मेटल आर्क वेल्डिंग (जीएमएडब्ल्यू), गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग (जीटीएडब्ल्यू), साथ ही रोबोटिक वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, फ्रिक्सन वेल्डिंग और डिसेसमस मेटल वेल्डिंग जैसी उन्नत वेल्डिंग प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल सैद्धांतिक पहलुओं को कवर करते हैं बल्कि प्रतिभागियों को व्यावहारिक कौशल भी प्रदान करते हैं।

सीईएफसी हब और स्पोक मॉडल के तहत काम करता है। डब्ल्यूआरआई–त्रिची इसका हब है और वाराणसी, भोपाल, झांसी, हरिद्वार और रानीपेट में इसके विस्तार केंद्र स्थित हैं। यह मॉडल सीईएफसी को पूरे भारत में एक बड़ी आबादी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश भर में कौशल के अवसर उपलब्ध हों। परिणामस्वरूप, भारत में पारंपरिक और आधुनिक विनिर्माण उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में प्रशिक्षित वेल्डरों का एक पूल बनाया जा रहा है।

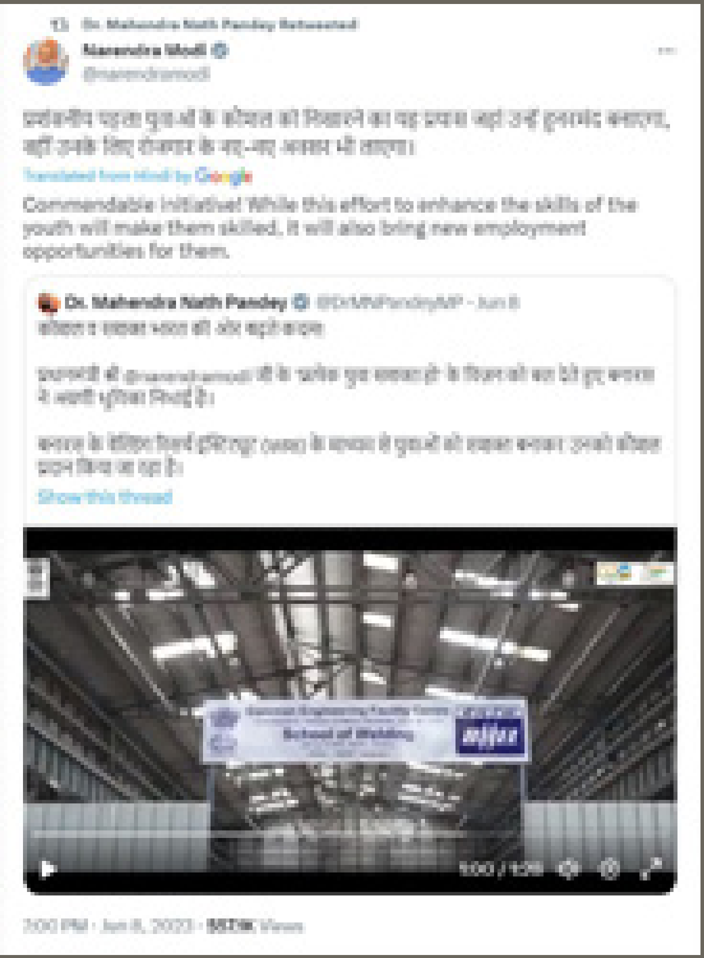


वर्तमान में, सीईएफसी के सभी कौशल केंद्र चालू हैं और इसके संचालन के पहले वर्ष में ही 2,000 से अधिक वेल्डरों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है।

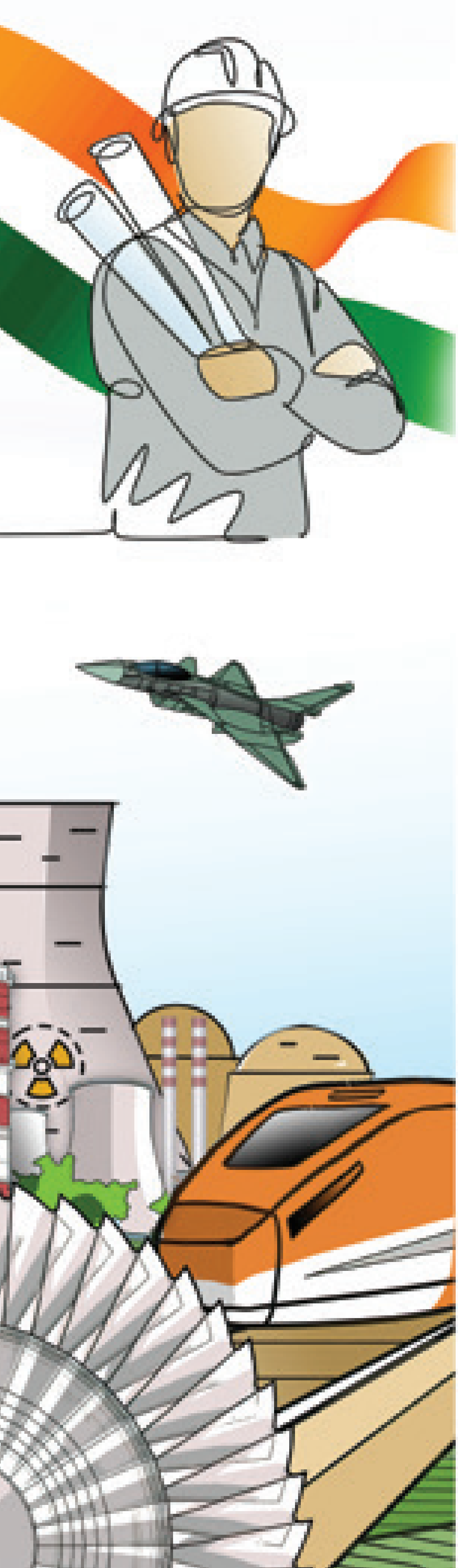

# निदेशक मंडल रिपोर्ट

## निदेशक मंडल की रिपोर्ट


**अनुलग्नक– I** ........................................ **39**

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

**अनुलग्नक– II** ........................................ **87**

कोर्पोरेट अभिशासन

**अनुलग्नक – III** ........................................ **116**

सीईओ और सीएफओ प्रमाण पत्र

**अनुलग्नक– IV** ........................................ **117**

संधारणीयता एवं सीएसआर

**अनुलग्नक– V** ........................................ **127**

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

**अनुलग्नक– VI** ........................................ **160**

अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

**अनुलग्नक– VII** ........................................ **166**

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण

**अनुलग्नक – VIII** ........................................ **168**

राजभाषा एवं सतर्कता तंत्र

**अनुलग्नक – VIII** ........................................ **171**

फॉर्म AOC-I और AOC-2

**अनुलग्नक– IX** ........................................ **174**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सीएजी टिप्पणी

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट

## प्रिय सदस्यो,

निदेशक मंडल को आपकी कंपनी के व्यवसाय और परिचालन पर 59वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

## वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

| | वर्ष | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| राजस्व | **22136** | 20153 |
| परिचालन से राजस्व | **23365** | 21211 |
| कर पश्चात लाभ / (हानि) | **448** | 410 |
| कुल व्यापक आय / (हानि | **430** | 487 |
| ईपीएस (₹ में) | **1.29** | 1.18 |

## कंपनी मामलों की स्थिति

कंपनी ने परिचालन से राजस्व में 10% की वृद्धि दर्ज की, पिछले वित्तीय वर्ष में 21,211 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 23,365 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, तथा पिछले वर्ष के 410 करोड़ रुपये की तुलना में 448 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ प्राप्त कर इसमें 9.3% की वृद्धि दर्ज की।

हाल के वर्षों में परियोजना निष्पादन, समापन और भौतिक प्रदर्शन पर निरंतर ध्यान देने के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं, ऑर्डर बुक में गिरावट के बावजूद परियोजना स्थलों पर इरेक्शन टन भार रिकॉर्ड 5.41 लाख मीट्रिक टन (पिछले 3 वर्षों की अवधि में दोगुना) है। तीन वर्षों से अधिक समय तक थर्मल सेक्टर में 'शून्य' ऑर्डर के साथ–साथ चालू वर्ष की बिलिंग की वसूली पिछले चार वर्षों में 59% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022–23 में 86% हो गयी। यह वास्तविक समय परियोजना निगरानी के लिए एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) के कार्यान्वयन, डेटा के एकल स्रोत को सुनिश्चित करने के लिए साइट डेटा डिजिटलीकरण, अनुक्रमिक आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने और पूर्ण परियोजनाओं के प्रौद्योगिकी और वित्तीय समापन सहित प्रमुख पहलों की सफलता का स्पष्ट संकेत है। केंद्रित परियोजना प्रबंधन प्रयासों के उत्कृष्ट परिणाम में एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) से सुसज्जित देश के पहले यूटिलिटी स्केल थर्मल पावर प्लांट, नॉर्थ करनपुरा यूनिट 1 की कमीशनिंग और प्रतिष्ठित 2x660 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बांग्लादेश की रुप में यूनिट 1 की कमीशनिंग के रूप में देखे गए। इसके अलावा, मैत्री परियोजना की इकाई 2 को बांग्लादेश सरकार द्वारा दिए गए अत्यंत कठिन समय लक्ष्य से पहले 28 जून 2023 को सिंक्रोनाइज़ किया गया है।

हाल के वर्षों में विविधीकरण के प्रयासों का फल उच्च राख वाले भारतीय कोयले के गैसीकरण के लिए बीएचईएल की स्वदेशी तकनीक (इसके लिए पहली सिद्ध तकनीक) पर आधारित 2,000 टीपीडी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र की स्थापना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के रूप में सामने आया जिसके बाद इंजीनियरिंग, अनुकूलन एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा सत्यापन और संयुक्त उद्यम का गठन किया गया। संयुक्त उद्यम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। हमारे रेल परिवहन व्यवसाय को बढ़ाने के प्रयासों से "वंदे भारत" ट्रेनसेट के 80 सेटों के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर मिला। इस परियोजना को बीएचईएल द्वारा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ कंसोर्टियम में मुख्य भागीदार के रूप में लिया जा रहा है और इसका मूल्य करों को छोड़कर 23,000 करोड़ रुपये से अधिक है (बीएचईएल का अंश लगभग 13,500 करोड़ रुपये है)।

भविष्य के विकास के परिप्रेक्ष्य के संबंध में, वित्त वर्ष 2022–23 में कंपनी के लिए ऑर्डर बुकिंग 23,548 करोड़ रुपये (करों का शुद्ध) तक पहुंच गई, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि उद्योग क्षेत्र में कंपनी के प्रयासों का फल मिला है और 9,537 करोड़ रुपये (करों का

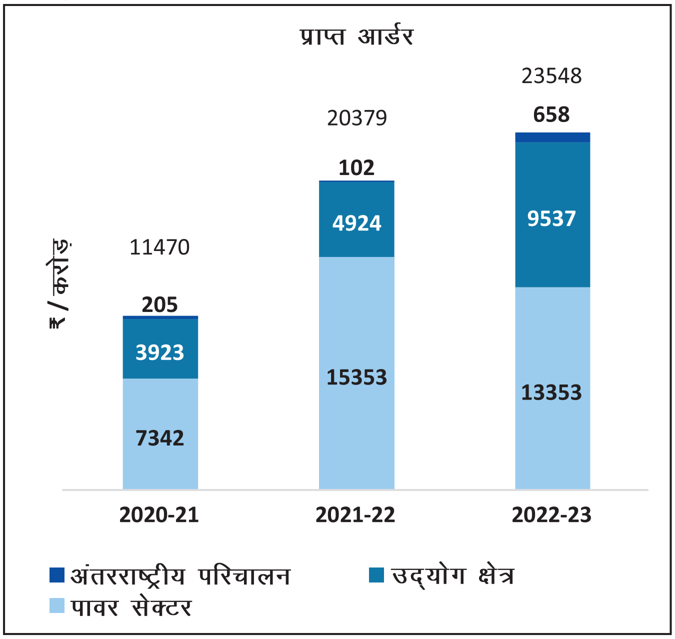


शुद्ध) का ऑर्डर प्राप्त हुआ जो पिछले 13 वर्षों में सबसे अधिक है तथा वार्षिक ऑर्डर बुक में इसकी हिस्सेदारी 40% है। ऑर्डर बुक की रिपोर्टिंग सभी हितधारकों की बेहतर समझ के लिए लागू करों को छोड़कर की जाती है, और राजस्व संख्याओं की रिपोर्टिंग के अनुरूप है।

31 मार्च 2023 तक कुल बकाया ऑर्डर बुक 91,336 करोड़ रुपये, शुद्ध करों का (PY 90,084 करोड़ रुपये) है। अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित "वंदे भारत" ट्रेनसेट ऑर्डर की प्राप्ति के साथ, कुल बकाया ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ (करों को छोड़कर) को पार कर गई है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है।

वित्त वर्ष 2022–23 में भू–राजनीतिक मामलों और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख इनपुट की कमी के कारण सामग्री उपलब्धता की विद्मान की चुनौतियों के बावजूद राजस्व में वृद्धि हासिल की गई है। स्पेयर और सेवा व्यवसाय, जो आपकी कंपनी के लिए फोकस क्षेत्र रहा है, ने लगभग 25% की वृद्धि दर्ज की है।

हाल के दिनों में सामग्री लागत न केवल बीएचईएल के लिए बल्कि घरेलू और वैश्विक उद्योग जगत के लिए भी एक चुनौती रही है। धातु की कीमतों में कुछ सुधार देखा गया है, फिर भी वे काफी ऊंचे स्तर पर हैं। इन बाधाओं के बावजूद, आपकी कंपनी वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सामग्री लागत को पिछले वर्ष के समान स्तर पर बनाए रखने में सक्षम थी।

आगामी वर्ष में, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के साथ–साथ अत्यधिक

प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से जीती गई पुरानी परियोजनाओं के निष्पादन से कंपनी की वित्तीय स्थिति और तरलता पर असर पड़ते रहने की उम्मीद है।

ईंधन की ऊंची कीमतों ने लाभप्रदाता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऊपर से, सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति भी परिचालन बजट पर लगातार दबाव डाल रही है जिसे कड़े बजटीय नियंत्रण उपायों के माध्यम से संभाला जा रहा है। कंपनी सिविल राजस्व में कम मार्जिन के बावजूद परियोजना को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो के लिए चुनौती बनी रहेगी।

आपकी कंपनी ने रुकी हुई इन्वेंट्री को अनलॉक करके इन्वेंट्री स्तर को अनुकूलित किया, और वर्ष 2022–23 के दौरान, 230 करोड़ रुपये मूल्य की अचल इन्वेंट्री को समाप्त कर दिया गया। कंपनी में स्क्रैप की बिक्री, अचल इन्वेंट्री के निपटान आदि के प्रयासों ने अन्य परिचालन आय बढ़ाने में मदद की है और ईबीआईटीडीए के स्तर को 1,231 करोड़ रुपये तक सुधारने में मदद की है, जो कि वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 1,106 करोड़ रुपये के ईबीआईटीडीए से लगभग 11% अधिक है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कर पश्चात लाभ को कराधान क्षेत्र में हुए लाभ से और सहायता मिली। वर्ष के दौरान, कंपनी को कुल 266 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड (ब्याज सहित) प्राप्त हुआ, जिससे शुद्ध नकदी सृजन के साथ–साथ लाभ अर्जित करने में भी मदद मिली।

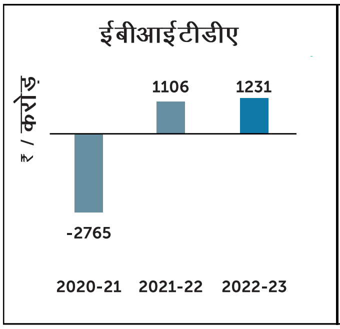


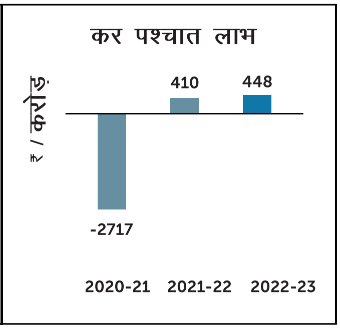


अन्य परिचालन आय, जो सीधे तौर पर लाभ में योगदान करती है, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अपने उच्चतम स्तर 1,229 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में 16% अधिक है। कर पश्चात लाभ में वृद्धि को विनिर्माण, प्रशासनिक और एस एंड डी खर्चों पर निरंतर कड़े बजटीय नियंत्रण से भी सहायता मिली, जो कि राजस्व के 6.6% पर अपने निम्नतम स्तर पर है, जो कंपनी में मजबूत बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

समन्वित प्रयासों और 'परियोजना केंद्रित" परिचालन पर जोर देने के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष 2022–23 में बिलिंग का परिसमापन 86% रहा, जो पिछले वर्ष के समान है। परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के संदर्भ में व्यापार प्राप्य वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान घटकर 102 दिन हो गई है, जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान यह 107 दिन थी।

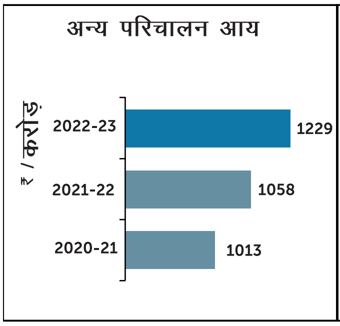


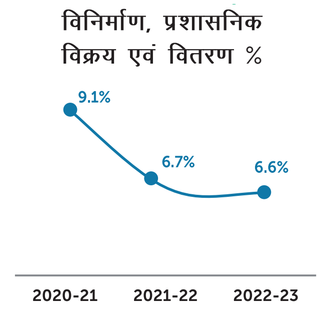


31 मार्च 2023 को व्यापार प्राप्य राशि 6,544 करोड़ रुपये (31 मार्च 2022 को 6,229 करोड़) थी और अनुबंध परिसंपत्ति 31 मार्च 2023 को 29,740 करोड़ रुपये (31 मार्च 2022 को 26,940 करोड़ रुपये) थी। हालाँकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल प्राप्य में वृद्धि हुई है, लेकिन परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के संदर्भ में कमी आई है जो कि पिछले वर्ष 571 दिनों से घटकर चालू वर्ष में 567 दिन हो गई है। प्राप्य में वृद्धि मुख्य रूप से निष्पादन के तहत अनुबंधों में विषम भुगतान शर्तों के कारण होती है, जिसके परिणामस्वरूप आस्थगित ऋणों का अधिक संचय होता है जो मध्यवर्ती और अंतिम माइलस्टोन के पूरा होने पर देय होते हैं।

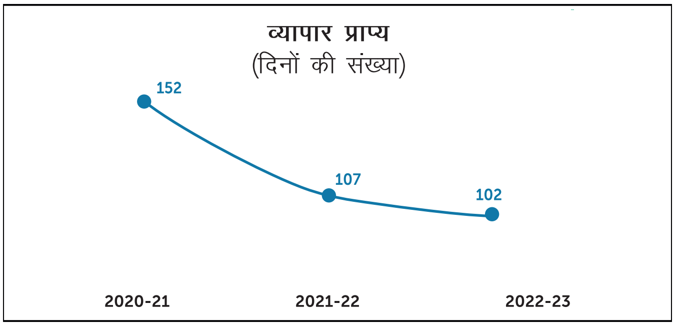


संविदा परिसंपत्तियों में उच्च निवेश के कारण, कंपनी की नकदी स्थिति पर कुछ दबाव था। हालाँकि, कंपनी ने 1,258 करोड़ रुपये के सकारात्मक नकदी और बैंक शेष (अल्पकालिक उधार का शुद्ध) के साथ अपनी ऋण मुक्त स्थिति बरकरार रखी है, और कंपनी के पास पूंजीगत व्यय और विविधीकरण पहलों में निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

## रिजर्व में अंतरण

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

## लाभांश

निदेशक मंडल ने 26 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लाभ में से 20% (2 रु. के प्रत्येक शेयर पर 0.40 रु.) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो कि 139.28 करोड़ है, बशर्ते कि आपका अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

कंपनी के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर") के विनियमन 43ए की आवश्यकताओं के अनुसरण में एक लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.bhel.com/dividend-distribution-policy-bhel-0 पर उपलब्ध है।

## जमा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के दायरे में आने वाले लोगों से जमा स्वीकार नहीं की है।

## पूंजी एवं वित्त

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी ने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से अपनी पूंजीगत व्यय और परिचालन निधि आवश्यकताओं को पूरा किया है। कंपनी को ब्याज आय अधिकतम करने के लिए कंपनी किसी भी उपलब्ध अधिशेष निधि का निवेश करती है। किसी भी रुक–रुक कर होने वाली परिचालन निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले अल्पकालिक उधार विकल्पों में डब्ल्यूसीडीएल, वाणिज्यिक पत्र (एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध), पीसीएफसी, आदि

शामिल हैं। पीसीएफसी उधार कंपनी को एक प्राकृतिक विदेशी मुद्रा बचाव प्रदान करते हैं। कंपनी ने शून्य ऋण कंपनी के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।

### ऋण और निवेश

कंपनी या उसकी सहायक कंपनी में ऋणदाता द्वारा निवेश का कोई उदाहरण नहीं है।

### क्रेडिट रेटिंग

आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इस प्रकार हैं:

| रेटिंग एजेंसी | रेटिंग की तिथि | दीर्घावधि रेटिंग | आउटलुक | अल्पावधि रेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| सीआरआई एसआईएल (CRISIL) | 18-06-2021 | CRISIL AA- | नेगेटिव | CRISIL A1+ |
| | 25-07-2022 | CRISIL AA- | नेगेटिव | CRISIL A1+ |
| इंडिया रेटिंग एण्ड रिसर्च | 01-07-2021 | Ind AA- | नेगेटिव | Ind A1+ |
| | 30-06-2022 | Ind AA- | नेगेटिव | Ind A1+ |
| सीएआरई CARE | 24-06-2021 | CARE AA- | स्थिर | CARE A1+ |
| | 17-06-2022 | CARE AA- | स्थिर | CARE A1+ |
| | 19-06-2023 | CARE AA- | स्थिर | CARE A1+ |

वित्तीय वर्ष के दौरान विविध खर्चों में कटौती और पुराने बकाया के निपटान के लिए कंपनी द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप परिचालन से सकारात्मक नकदी प्रवाह हुआ और संगठन की क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने में मदद मिली।

### वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्त वर्ष 2022–23 के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं। नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी की वर्तमान स्थिति और परिचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

### ट्रेडिंग का स्थगन

कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं। वित्त वर्ष 202–23 के दौरान कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग को स्थगित नहीं किया गया था।

### निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

क) वार्षिक खातों को तैयार करने में, सामग्री प्रस्थान के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (Ind AS) का पालन किया गया है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुदृढ़ता से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू कारोबार के आधार पर तैयार किया है;

ड) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं;

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

### प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

यह रिपोर्ट बाह्य वातावरण, भविष्य के लिए कंपनी की रणनीति, परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन, जोखिम और चिंताओं, और विभिन्न क्षेत्रों में की गई विभिन्न पहल जैसे कि व्यावसायिक क्षेत्रों के विविधीकरण, परियोजना निष्पादन में सुधार, लागत अनुकूलन, प्रौद्योगिकी विकास, डिजिटलीकरण, गुणवत्ता आदि के विकास पर प्रबंधन के दृष्टिकोण को व्यक्त करती है।

लगातार चुनौतीपूर्ण कारोबारी और आर्थिक माहौल के बीच, आपकी कंपनी ने विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। मुख्य व्यवसाय को मजबूत करना, निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना और गैर–कोयला क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने सहित विविधीकरण की दिशा में दृढ़ प्रयास दीर्घकालिक सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया **निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–I** देखें।

### कॉर्पोरेट अभिशासन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसरण में, कॉर्पोरेट अभिशासन पर एक रिपोर्ट (निदेशक मंडल एवं समिति की बैठकों के विवरण सहित) निम्नलिखित के साथ **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक–II** में दी गई है,,

i. सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची V के तहत निदेशकों की गैर अयोग्यता का प्रमाणपत्र।

ii. कॉर्पोरेट अभिशासन पर सेबी सूचीयन विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के तहत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

### स्वतंत्रता की घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत स्वतंत्रता के मानदंड से संबंधित घोषणा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निदेशक मंडल को दी गई है। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के तहत अधिसूचित भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) के ऑनलाइन डेटाबेस पर अपना पंजीकरण कराया है। निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास सत्यनिष्ठा और आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव है।

## अनुपालन

कई अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त, कंपनी ने प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की लगातार समीक्षा की है और उसे सुदृढ़ किया है।

- कंपनी ठोस कॉर्पोरेट अभिशासन को अपने मूल मूल्यों में से एक मानती है तथा प्रकटीकरण में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
- विभिन्न कानूनों में अनुपालन तंत्र को मजबूत करने के लिए, निदेशक मंडल द्वारा लागू कानूनों/अधिनियमों पर एक तिमाही कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।
- एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सेबी की ओर से किसी भी वित्तीय मामले पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।
- कंपनी ने लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।
- वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, कंपनी भारतीय लेखा मानकों (Ind AS), मार्गदर्शन नोट्स और आईसीएआई, कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू विधियों द्वारा जारी अन्य आधिकारिक साहित्य का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

  कंपनी वित्तीय विवरणों में अपने प्रकटन और पारदर्शिता मानकों में लगातार सुधार करने का प्रयास करती है।

## राजकोष में योगदान

कंपनी वर्षों से राजकोष में लगातार महत्वपूर्ण योगदान देती रही है और कर अनुपालन के संबंध में सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए हुए है। चालू वर्ष के दौरान राजकोष में कंपनी का योगदान ₹3,831 करोड़ से अधिक था।

## लेखापरीक्षा समिति

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के साथ–साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 18 के अनुसार एक निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति है, जिसके संबंध में विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। नियमित अंतराल पर होने वाली बैठकों में सभी मुद्दों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विचार–विमर्श किया जाता है। निदेशक मंडल स्तर की लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखा जाता है और कंपनी की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जहां निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

## निदेशकों में परिवर्तन और शीर्ष प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति का विवरण

सुश्री आरती भटनागर, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को 14 फ़रवरी 2023 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री रमेश पाटल्या मवास्कर को 8 जून 2023 से अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (ई, आर एंड डी) और निदेशक (वित्त) – अतिरिक्त प्रभार को 26 मई, 2023 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नामित किया गया है।

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर को 4 जुलाई, 2023 से पूर्णकालिक (कार्यात्मक) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में कार्यभार संभाला है।

लागू वैधानिक प्रावधानों और कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोशिएशन के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसार, सुश्री आरती भटनागर, श्री रमेश पाटल्या मवास्कर और श्री कृष्ण कुमार ठाकुर को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वे कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक तक निदेशक पद पर बने रहेंगे और बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी के आर्टिकल ऑफ असोशिएशन के अनुच्छेद 67 (i) के अनुसार, श्री उपिंद्र सिंह मठारू और श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव वार्षिक आम बैठक में रोटेशन में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, स्वयं को पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव रखेंगे।

## समापन

डॉ. राज के. अग्रवाल, जिन्हें 9 नवंबर, 2021 को अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, 12 सितंबर, 2022 को बीएचईएल के निदेशक मंडल से अपने त्यागपत्र के परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक नहीं रह गए हैं। डॉ. राज के. अग्रवाल ने व्यक्तिगत मामलों में व्यस्तता और कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए पर्याप्त समय देने में असमर्थता का हवाला देते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी पुष्टि की कि त्यागपत्र के लिए उनके द्वारा दिए गए कारणों के अलावा कोई अन्य कारण नहीं हैं।

श्री राज कमल बिंदल और श्री मनीष कपूर, जिन्हें 31 जनवरी, 2020 को अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, का कार्यकाल 27 जनवरी, 2023 को पूरा होने पर कंपनी का निदेशक पद समाप्त हो गया।

श्री शशांक प्रिया, तत्कालीन विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिन्हें 4 अक्टूबर, 2019 को अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, का 14 फरवरी, 2023 को अंशकालिक सरकारी निदेशक पद समाप्त हो गया।

श्री सुबोध गुप्ता जिन्हे 18 अप्रैल, 2018 के प्रभाव से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था, 17 मई, 2023 के भारी उद्योग मंत्रालय के पत्राचार के अनुसार 18 अप्रैल, 2023 से उनका कंपनी के निदेशक (वित्त) का पद समाप्त हो गया। इसके अलावा, वह 18 अप्रैल, 2023 से बीएचईएल के सीएफओ भी नहीं रहे।

निदेशक मंडल, बीएचईएल निदेशक मंडल पर अपने–अपने कार्यकाल के दौरान डॉ. राज के. अग्रवाल, श्री राज कमल बिंदल, श्री मनीष कपूर, श्री शशांक प्रिया और श्री सुबोध गुप्ता द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं, सलाह और मार्गदर्शन के लिए उनकी हृदय से सराहना करता है।

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुपालन में, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति और कंपनियों के नाम के साथ नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण और जो व्यक्ति निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता के साथ–साथ निदेशक पद धारण करता है, सूचना के व्याख्यात्मक विवरण/अनुलग्नक में दिया गया है।

## सीईओ / सीएफओ प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक**–III में दिया गया है।

## समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 34 के अनुसार तैयार समेकित वित्तीय विवरणों का संक्षिप्त विवरण प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण के तहत खंड 1.8.3 में दिया गया है।

## सतत विकास

हम, बीएचईएल में, अपनी विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं और गतिविधियों में संधारणीय परिचालन के लिए अथक प्रयास करते हैं और हमारा मिशन कथन– ''ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सतत व्यावसायिक समाधान प्रदान करना'' इसका प्रमाण है और इस दिशा में औद्योगिक प्रयास को बढ़ाने की इच्छा रखता है।

बीएचईएल में सतत विकास संधारणीयता के तीन स्तंभों, अर्थात् पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक को संबोधित करता है। एक जिम्मेदार और संधारणीय संगठन होने के नाते, बीएचईएल संगठन के भीतर और उसके बाहर पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक समानता और आर्थिक जीवन शक्ति के एकीकरण की दिशा में प्रयासरत है। इस दृष्टि की अभिव्यक्ति हरित उत्पादों के विकास, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, कुशल जल प्रबंधन, उन्नत हरित आवरण, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अनुकूलन और बेहतर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के प्रति हमारे दृष्टिकोण में स्पष्ट है।

इनमें से कुछ गतिविधियाँ जो हमें संधारणीय भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करती हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निदेशक मंडल रिपोर्ट के संलग्नक – IV में दिया गया है।

## हरित कंपनी

जलवायु परिवर्तन आज दुनिया भर में नीति निर्माण के केंद्र में आ गया है और व्यवसायों के काम करने के तरीके पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए 'पंचामृत' को अपनाया है और साथ ही 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता दिखलाई है। संधारणीय विकास के लिए हमारे लोकाचार के भाग के रूप में, कंपनी ने अब "बीएचईएल को एक हरित कंपनी बनाने" के लिए एक बड़ी पहल की है। यह पहल एक जिम्मेदार और सतत संगठन के रूप में बीएचईएल की स्थिति को और सुदृढ़ करेगी। कंपनी की साख बनाने के अलावा, इससे लागत कम होने और दीर्घावधि में उधार और बीमा की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण करने के लिए कंपनी के भीतर नवाचार की संस्कृति बनाने में भी मदद मिलेगी।

## व्यवसाय उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

सूचीयन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन करने वाली व्यवसाय उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक**–V में संलग्न है।

## अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय विकास की उपलब्धियां

संधारणीय भविष्य के लिए 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में देश के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीएचईएल ने स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से तैयार किया है। कंपनी नए व्यावसायिक क्षेत्रों में उत्पादों और प्रणालियों के विकास की दिशा में काम कर रही है; जैसे कोयले से रसायन, उच्च दक्षता वाले थर्मल प्लांट, रेल परिवहन, रक्षा, एयरोस्पेस, हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, आदि।

वित्त वर्ष 2022–23 में, बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर 691 करोड़ रुपये का व्यय किया है, जो लगभग राजस्व का 3% है। इसमें नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के विकास के लिए शुरू की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर किया गया व्यय और साथ ही ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों और डिजाइनों में संशोधन/सुधार के लिए किए गए प्रयास शामिल हैं। वर्ष के दौरान, बीएचईएल ने 503 पेटेंट और कॉपीराइट आवेदन दायर किए हैं, जिससे कंपनी की बौद्धिक पूंजी लगभग 5400 से अधिक हो गई है। कंपनी के राजस्व का 19%, जिसकी राशि 4,212 करोड़ रुपये है, अपने इन–हाउस विकसित उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं से प्राप्त किया गया है। प्रमुख विकासों का अधिक विवरण निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक–VI में प्रदान किया गया है।

## राजभाषा कार्यान्वयन

बीएचईएल की सभी इकाइयों/प्रभागों/कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ और राजभाषा कार्यान्वयन समितियां स्थापित की गई हैं, इन सभी प्रकोष्ठों में राजभाषा अधिकारी कार्यरत हैं। साथ ही पिछले दो वर्षों में राजभाषा क्रियान्वयन पर भी काफी बल दिया गया है। कर्मचारियों को अपने दिन–प्रतिदिन के आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने और राजभाषा कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कंपनी भर में 100 से अधिक राजभाषा चक्र बनाए गए हैं, जिससे कंपनी में हिंदी के उपयोग में वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी इकाइयों/प्रभागों में समितियों द्वारा त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं के रूप में कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' और इसके मोबाइल–ऐप संस्करण की परीक्षण समिति में भी सदस्य के रूप में योगदान दे रही है। अधिक विवरण के लिए निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–VIII देखें।

## सतर्कता तंत्र

बीएचईएल सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों की वकालत करता है ताकि इसके कामकाज में उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित हो सके। कंपनी के पास एक पूर्ण रूप से कार्यरत सतर्कता तंत्र है जिसमें सतर्कता विभाग, आंतरिक लेखा परीक्षा, व्हिसलब्लोअर नीति तंत्र, स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (रों) के साथ–साथ निदेशक मंडल स्तर की लेखा परीक्षा समिति शामिल है।

बीएचईएल के सतर्कता कार्य का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है जो कंपनी में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करते हैं। बीएचईएल की इकाइयों और प्रभागों में सीवीओ को रिपोर्ट करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता

में एक सतर्कता व्यवस्था है।

इंटीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी करने और उससे संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम) का एक पैनल मौजूद है। कंपनी अनुचित और अनैतिक पद्धतियों की रिपोर्टिंग को भी प्रोत्साहित करती है और इसकी एक व्हिसलब्लोअर नीति है जो शिकायतकर्ता को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराती है।

"निदेशक मंडल लेखा समितिष (बीएलएसी) व्हिसल ब्लोअर/विजिलेंस तंत्र के कामकाज की समीक्षा करती है, और सतर्कता प्रकार्यों की वार्षिक समीक्षा भी सीएमडी / संरचित बैठक(कों) के माध्यम से निदेशक मंडल द्व ारा की जाती है। अधिक विवरण निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक–VIII में दिया गया है।

## स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

बीएचईएल अपने कार्यबल की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के साथ–साथ इसके परिचालन के विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों से धरती की सुरक्षा हेतु स्थायी पद्धतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

हमारा मानना है कि अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय अनुपालन से ग्राहकों की निष्ठा वृद्धि, मूल्यवान साझेदारी और सहयोग और सतत विकास के मामले में दीर्घकालिक लाभ होंगे।

बीएचईएल ने व्यावसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा और पर्यावरण अनुपालन के उच्चतम स्तरों को प्राप्त करने की अपनी खोज में, अपनी विनिर्माण इकाइयों और पावर सेक्टर क्षेत्रों को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमाणन (आईएसओ 45001: 2018) और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (आईएसओ 14001: 2015)) के तहत प्रमाणित करवाया है। नियमित अनुपालन बढ़ाने के लिए, संगठन के भीतर एचएसई विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विनिर्माण इकाइयों और परियोजना स्थलों का आंतरिक ऑडिट भी किया जाता है।

अधिक विवरण **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक**–VIII में दिए गए हैं।

## डेटा और साइबर सुरक्षा

आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, डेटा और साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र में देश के अग्रणी इंजीनियरिंग संगठन के लिए। इस संबंध में, बीएचईएल ने अपनी आईटी संपत्तियों और डेटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इन उपायों में एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली शामिल है जिसमें डेटासेंटर, डेटा नेटवर्क, एप्लिकेशन और अंतिम उपयोगकर्ता उपकरणों के लिए परिधि सुरक्षा जैसी नवीनतम तकनीकें शामिल हैं। आगे का विवरण निदेशक मंडल रिपोर्ट की धारा 1.16 में शामिल किया गया है।

## अन्य सूचनाएं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक–VII में दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को निदेशक मंडल रिपोर्ट में निदेशकों

*माननीय केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने नई दिल्ली में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय के दौरे के दौरान ‘हरित बीएचईएलश पहल का शुभारंभ किया।*

के पारिश्रमिक आदि के विवरण का खुलासा करना आवश्यक है। लेकिन, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का पालन करने से छूट दी गई है। बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है और इसलिए ये निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (फॉर्म एओसी–1) के अनुसार विवरण और अधिनियम की धारा 134(3)(एच) के अनुसार फॉर्म एओसी–2 **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक**–IX में दिया गया है।

## लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वैधानिक लेखा परीक्षकों की तीन फर्मों को संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और चार फर्मों को शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक फर्मों के नाम वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिए गए हैं।

## लेखाओं (खातों) पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एकल स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक–X में दी गई है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी पूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी अनुलग्नक–X का हिस्सा है। .

## सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने और उनकी रिपोर्ट के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, पूर्णकालिक व्यवसायी कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया और उनकी रिपोर्ट कॉर्पोरेट अभिशासन अनुभाग का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि निदेशक मंडल की संरचना में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) (ए) और (बी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.2 और 3.1.4 के अनुसार अनुपालन नहीं किया गया है। गैर – अनुपालन निम्नलिखित कारणों से है (i) 30.05.2022 को एक स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और (ii) 27.01.2023 को दो गैर–कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में गैर–कार्यकारी निदेशक नहीं थे।

प्रबंधन ने टिप्पणी को नोट किया और बताया कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीएचईएल में स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी अपने निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए सरकार के साथ लगातार संपर्क में रही है ताकि सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन रिक्तियों को भरने का मामला सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

## लागत लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 और उसके संशोधनों के अनुसार, निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा ऑडिट समिति की अनुशंसा पर वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आपकी कंपनी के लागत खातों के लेखापरीक्षा के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में लागत लेखाकारों की सात फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत खातों और अभिलेखों को उचित रूप से बनाए रखा गया है और उनका अनुपालन किया गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखापरीक्षित रिपोर्ट 02 सितंबर, 2022 को एक्सबीआरएल मोड के तहत दायर की गई जो कि दाखिल करने की नियत तारीख के भीतर और लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं थी।

## प्रशंसा और आभार

आपके निदेशक कंपनी के परिचालन और रणनीतिक पहलों के विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मुक्त–कंठ से प्रशंसा करते हैं।

हम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और वैधानिक प्राधिकरणों/विभागों की उनके बहुमूल्य समर्थन और निरंतर सहयोग के लिए सहृदयता से प्रशंसा करते हैं और कृतज्ञतापूर्वक अपना आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण भारत और विदेशों में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों के प्रति निष्ठापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने जटिल दीर्घकालिक अवधि के निर्माण अनुबंधों में आने वाले विभिन्न समस्याओं को हल करने में सहयोग किया है।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पेशेवर निकायों, वैधानिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों के रचनात्मक सुझावों और निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकों ने कंपनी के सम्मानित शेयरधारकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन में दिए गए समर्थन और विश्वास के लिए उनकी हार्दिक सराहना की है और भविष्य में भी इसे जारी रखने की आशा करते हैं।

निदेशकगण सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों से प्राप्त निरंतर सहयोग के लिए उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। हम वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

अंत में, आपके निदेशकगण कंपनी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दिन–रात काम करने वाले बीएचईएल के सभी कर्मचारियों को उनकी लगन, कर्मठ प्रयासों, कड़ी परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए उनका सहृदय आभार व्यक्त करते हैं।

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

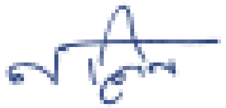

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2023

# निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

### 1.1 आर्थिक एवं व्यावसायिक अवलोकन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। वैश्विक स्तर पर और भारत में, मुद्रास्फीति के रुझान के कारण केंद्रीय बैंकों को नीतिगत दरें बढ़ानी पड़ीं, जिसका इस अवधि के दौरान व्यवसायों पर कुछ प्रभाव पड़ा।

वित्त वर्ष 2022–23 में भारत की 7.2% की आर्थिक वृद्धि के अनुरूप, वर्ष के दौरान ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई और विद्युत उत्पादन में 8.9% की वृद्धि हुई। भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के साथ–साथ बेस लोड जेनरेशन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा और सामर्थ्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सीईए की एनईपी 2032 तक लगभग 254 से 263 गीगावॉट कोयला आधारित स्थापित क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगा रही है। इसका मतलब है अगले 4–5 वर्षों में लगभग 15–20 गीगावॉट कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए संचयी नए ऑर्डर की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल भू–राजनीतिक परिदृश्य, बढ़ती विद्युत की मांग और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से लगातार विद्युत न मिलने से उत्पन्न ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं के कारण थर्मल पावर में वृद्धि देश के लिए अनिवार्य हो गई है।

बीएचईएल ने वर्ष के दौरान ईपीसी आधार पर 2x660 मेगावाट एनटीपीसी तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल करके थर्मल पावर बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को फिर से स्थापित किया। उल्लेखनीय है कि यह लगभग तीन वर्षों के अंतराल के बाद देश में दिया गया पहला कोयला आधारित थर्मल ऑर्डर है। इसके अलावा, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ट्रांसमिशन और स्पेयर्स एवं सेवाओं में कई अवसर हैं। यह आशा की जाती है कि कोयला ऊर्जा के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में और रासायनिक उद्योग के फीडस्टॉक दोनों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन (एनसीजीएम) में 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के चरण–वार कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया सिंथेटिक गैस (सिनगैस) का उत्पादन करती है जो उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में अपना अनुप्रयोग पाती है। अमोनिया, मेथनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, डाइ–मिथाइल–ईथर आदि जैसे रसायन, जो अन्यथा आयातित या आयातित प्राकृतिक गैस से उत्पादित होते हैं। इसके अलावा, आईजीसीसी तकनीक का उपयोग करके सिंथेटिक गैस का उपयोग विद्युत के उत्पादन में भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि एनसीजीएम आत्मनिर्भर भारत पहल में बड़े पैमाने पर योगदान देगा। यह बीएचईएल के लिए उच्च राख वाले भारतीय कोयले से सिनगैस उत्पन्न करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन (पीएफबीजी) तकनीक के व्यावसायीकरण के लिए व्यापक अवसर पैदा करता है। इस्पात, रिफाइनरी, सीमेंट जैसे अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सुदृढ़ आर्थिक विकास और महामारी के घटते खतरे के कारण अपनी विस्तारवादी योजनाओं को लेकर उत्साहित हैं। यह पुनर्रुथान पूंजीगत वस्तुओं की मांग में तब्दील हो रहा है। बीएचईएल, एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में, विभिन्न आयातित उपकरणों के स्वदेशीकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में व्यवसाय की तलाश कर रहा है और इस्पात और तेल क्षेत्रों के लिए उपकरणों के स्वदेशी विकास में प्रारंभिक सफलताएं पहले ही हासिल कर चुका है।

भारतीय रेलवे परिचालन के उन्नयन, आधुनिकीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के लिए कई पहल कर रहा है। माल ढुलाई और यात्री दोनों खंड बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें माल ढुलाई के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यात्रियों के लिए अलग–अलग कॉन्फ़िगरेशन के सेमी हाई–स्पीड ट्रेनसेट आदि शामिल हैं। यह भविष्य के लिए बीएचईएल के लिए एक प्रमुख लक्ष्य खंड है।

भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और उसके यौगिकों (डेरिवेटिवस) के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए ''राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन'' शुरू किया है। मिशन में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए निर्यात के अवसर पैदा करने, उद्योग, गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन, आयातित हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के विकास और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास की परिकल्पना की गई है। मिशन के तहत, भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता 2030 तक कम से कम 5 एमएमटी प्रति वर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे इलेक्ट्रोलाइज़र और अन्य उपकरण (जैसे भंडारण सिलेंडर, आदि) सहित हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में कई अवसर खुलते हैं। बीएचईएल ने इलेक्ट्रोलाइजर, टाइप–IV हाइड्रोजन भंडारण सिलेंडरों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और टाइप–IV हाइड्रोजन भंडारण सिलेंडरों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा की स्थापना पर काम शुरू किया है, जिससे इस क्षेत्र में भविष्य के स्केलेबल व्यवसायों का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

### 1.2 अवसर एवं आशंकाएँ

कोविड के बाद निवेश में तेजी, थर्मल पावर क्षेत्र का कायाकल्प,अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में क्षमता विस्तार योजनाएं और ''आत्मनिर्भर भारत अभियान'' के परिणामस्वरूप भारतीय बाजार नए अवसरों से भरे हुए हैं। थर्मल,हाइड्रो और परमाणु क्षेत्रों में आगामी महत्वपूर्ण अवसरों के अलावा,दूरदराज के क्षेत्रों से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को देखते हुए ट्रांसमिशन क्षेत्र में भी कई अवसर मिलने की उम्मीद है। स्पेयर और सेवा व्यवसाय भी स्थिर और बड़े अवसर प्रदान कर रहा है। रेल परिवहन में,व्यापक उन्नयन कार्यक्रम नए व्यावसायिक अवसर खोल रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण ने भू–राजनीतिक तनाव के आलोक में रणनीतिक महत्व ग्रहण कर लिया है,और यह न केवल महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा में सीधे योगदान करने का अवसर भी प्रदान करता है। कोयला से रसायन और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था आगामी क्षेत्र हैं,जिनसे देश में पर्याप्त आत्मनिर्भरता आने और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

विद्यमान भू–राजनीतिक तनाव के साथ–साथ मुद्रास्फीति के रुझानों के प्रभाव ने वैश्विक आर्थिक विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। नई वैश्विक क्षमताओं के जुड़ने का शृंखला व्यापार अवसरों पर भारी प्रभाव पड़ता है। वर्तमान भू–राजनीतिक तनाव के लंबे समय तक बने रहने और नए भौगोलिक क्षेत्रों और बाजारों पर इसके व्यापक प्रभाव का आपूर्ति शृंखलाओं पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे इनपुट सामग्री लागत में वृद्धि और क्षमताओं के कम उपयोग के कारण लाभप्रदता को नुकसान पहुंच सकता है।

आपकी कंपनी अवसरों और आशंकाओं दोनों पर नजर रख रही है,और तदनुसार अवसरों का लाभ उठाने के लिए और सक्रिय उपाय करके आशंकाओं को विफल करने के लिए स्वयं को तैयार कर रही है।

आपकी कंपनी ने एक रणनीतिक योजना 2022–27 भी तैयार की है और बीएचईएल को 'भविष्य' में बदलाव की रणनीतियों के अलावा लाभप्रदता, तरलता, गुणवत्ता और विलंबित परियोजना निष्पादन आदि की तत्काल चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई पहल की गई हैं। 'फ़्यूचर रेडी ग्लोबल इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन' नए उत्पादों और सेवाओं में विविधता लाकर, कुशल और प्रेरित कार्यबल द्वारा कंपनी को प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बना रहा है जिसके परिणाम पहले से ही प्राप्त हो रहे हैं।

## 1.3 व्यावसायिक पहलें

### 1.3.1 पारंपरिक व्यवसाय में नेतृत्व बनाए रखना

जबकि, ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित रहेगा,तथापि निरंतर और चौबीसों घंटे परिचालन, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और बड़े पैमाने पर परिचालन के लिए उनकी उपयुक्तता को देखते हुए,आने वाले वर्षों में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता का मुख्य आधार बने रहने की उम्मीद है। भविष्य में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए,विशेष रूप से ग्रिड के बेसलोड को पूरा करने के लिए, कोयला आधारित उच्च दक्षता वाले सुपरक्रिटिकल विद्युत संयंत्रों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। तथापि, हाल के वर्षों में थर्मल सेक्टर में ऑर्डर का स्तर कम रहा है (अगस्त 2019 से सितंबर 22 के बीच लगभग तीन वर्षों तक शून्य ऑर्डर के साथ), इस क्षेत्र में अब ऑर्डर में सुधार और कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए अच्छे ऑर्डर की संभावित श्रृंखला देखी जा रही है जिसके निकट भविष्य में फलीभूत होने की उम्मीद है। बीएचईएल ने इस मुख्य व्यवसाय क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखा है और थर्मल सेगमेंट में उत्पन्न होने वाले अवसरों को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है। लागत प्रतिस्पर्धी समाधानों के साथ–साथ बेहतर दक्षता मापदंडों की पेशकश के परिणामस्वरूप बीएचईएल को 2x660 मेगावाट एनटीपीसी तालचेर थर्मल पावर प्लांट का ऑर्डर मिला और आगामी थर्मल पावर प्लांट के लिए एक अन्य प्रमुख निविदा में भी ऑर्डर प्राप्त करने की स्थिति में है।

जल विद्युत क्षेत्र पर बीएचईएल के फोकस के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अच्छी ऑर्डर बुकिंग हुई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 में ग्राहक आधार को बढ़ाकर और इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्यों,नवीनीकरण,आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए प्रमुख ऑर्डर जीतकर हाइड्रो सेगमेंट में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है।

बीएचईएल थर्मल क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए अब सर्वोत्तम श्रेणी की दक्षता वाली उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) तकनीक,कम रेटिंग वाले सुपरक्रिटिकल प्लांट और कोयला गैसीकरण जैसी स्वदेशी रूप से विकसित स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियो की पेशकश कर रहा है।

बीएचईएल थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और कैप्टिव सेटों के अपने विशाल मौजूदा बेड़े का लाभ उठाने के साथ–साथ गैर–बीएचईएल सेटों के लिए स्पेयर और सेवाएं प्रदान करके अपने स्पेयर्स और सर्विसेज व्यवसाय का और विस्तार कर रहा है। बीएचईएल के बेहतर उपकरण निष्पादन और वर्ष के दौरान किए गए ठोस प्रयासों को देखते हुए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 में अब तक की सबसे अधिक ऑर्डर बुकिंग हासिल की। ग्राहकों को स्पेयर्स और सेवाओं की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक स्पेयर्स की आपूर्ति के साथ–साथ सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, वितरण चक्र को बेहतर बनाने और ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि के लिए, बीएचईएल ने तीव्रता से खपत होने वाले स्पेयर के कच्चे माल का स्टॉक करने की पहल की है। आपकी कंपनी इस सेगमेंट में आईटी सक्षम समाधानों की एक श्रृंखला भी प्रस्तुत कर रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण की स्थिति में ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए थर्मल पावर प्लांटों का लचीला परिचालन एक प्रमुख आवश्यकता होने की उम्मीद है। इस आगामी अवसर का लाभ उठाने के लिए, बीएचईएल कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लचीले परिचालन के लिए अनुकूलित समाधान पेश कर रहा है। ठोस प्रयासों से, बीएचईएल ने इस क्षेत्र में अपना पहला ऑर्डर पूरा करके और प्रदर्शन मापदंडों का सफल प्रदर्शन करके लचीले परिचालन समाधान की पेशकश करने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान चार और ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, सीईए ने मौजूदा थर्मल सेटों में लचीलेपन को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक व्यवसाय उत्पन्न होने की संभावना है।

### 1.3.2 विविधीकरण पहल

लाभदायक विकास का निर्माण और रखरखाव कंपनी के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है और इसके लिए, कंपनी मुख्य व्यवसाय में नेतृत्व बनाए रखने और बुनियादी ढांचे के विकास और स्वदेशीकरण पर सरकार के फोकस से उभरने वाले अवसरों का उपयोग करके विविधता लाने की दिशा में काम कर रही है। मौजूदा और नए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, आपकी कंपनी स्वच्छ कोयला, परिवहन, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में अवसरों की खोज कर रही है।

पिछले वर्ष के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप अप्रैल 2023 में बीएचईएल को विनिर्माण सह रखरखाव मोड में "वंदे भारत एक्सप्रेस" के 80 ट्रेनसेट की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त हुआ, जो रेलवे क्षेत्र में एक प्रमुख विविधीकरण पहल की सफलता का प्रतीक है। बीएचईएल रेल परिवहन में आगामी अवसरों, विशेष रूप से सेमी हाई स्पीड ट्रेनसेट के साथ–साथ उच्च रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक इंजनों की आगामी आवश्यकताओं से उत्पन्न अवसरों को भुनाने के लिए कमर कस रहा है।

वर्तमान भू–राजनीतिक स्थिति और इसके परिणामस्वरूप रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर भारत सरकार के प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए, बीएचईएल, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं की अपनी विस्तृत श्रृंखला के साथ, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रक्षा आवश्यकताओं के स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हाल के वर्षों में रक्षा और एयरोस्पेस व्यवसाय पर मजबूत फोकस के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022–23 में इस खंड के लिए सबसे अधिक ऑर्डर बुकिंग हुई। इसमें उन्नत एसआरजीएम, लड़ाकू विमानों के लिए हीट एक्सचेंजर्स और एएमसीए (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) के लिए 30 एएच ली–आयन बैटरी का पहला ऑर्डर शामिल है, जिससे बीएचईएल अगली पीढ़ी के विमानों के लिए ली–आयन बैटरी का एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता बन गया है।

इसके अलावा, कोयला गैसीकरण और हरित हाइड्रोजन को उभरते विकास क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है। बीएचईएल कोयला गैसीकरण में अग्रणी है और उच्च राख वाले भारतीय कोयले के गैसीकरण के लिए पहले से ही स्वदेशी रूप से दबावयुक्त द्रवीकृत बिस्तर गैसीकरण (पीएफबीजी) तकनीक विकसित कर चुका है। बीएचईएल ने अपनी पीएफबीजी तकनीक पर आधारित 168 टीपीडी कोयला गैसीकरण संयंत्र और हैदराबाद में 0.25 टीपीडी कोयला से मेथनॉल पायलट संयंत्र स्थापित किया है। इस तकनीक का व्यावसायीकरण करने के लिए बीएचईएल ने स्वदेशी रूप से 0.25 टीपीडी से 2000 टीपीडी गैसीफायर को बढ़ाने के लिए डिजाइन तैयार किया है, जो एक अनूठी उपलब्धि है। उच्च राख वाले कोयले के लिए उन्नयित पीएफबीजी गैसीफायर के डिजाइन को और ज्यादा अनुकूलित किया गया है एवं भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा मान्य किया गया है जिससे इस तकनीक के व्यावसायीकरण के लिए बीएचईएल की प्रौद्योगिकी तैयारी सुनिश्चित होती है। बीएचईएल ने वाणिज्यिक आकार की कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के अनुरूप विद्युत उत्पादन के लिए सीआईएल के साथ कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना और एनएलसीआईएल के साथ लिग्नाइट–आधारित गैसीकरण पायलट संयंत्र स्थापित करना है।

इसके अलावा, ग्रीन हाइड्रोजन को आने वाले समय में एक शानदार क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है और यह बीएचईएल के लिए एक आशाजनक व्यावसायिक अवसर है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप, बीएचईएल हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण, भंडारण और वितरण, ईंधन सेल इत्यादि जैसे क्षेत्रों की खोज कर रहा है। इस क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के साथ–साथ इस क्षेत्र में आगामी अवसरों का लाभ उठाने के लिए वैश्विक ओईएम के साथ रणनीतिक साझेदारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इन निकटवर्ती व्यावसायिक क्षेत्रों का दोहन करने के लिए क्रॉस कटिंग एनेबलर्स के कार्यान्वयन में संसाधन वृद्धि, सक्षम संगठन संरचना, साझेदारी बनाना और प्रौद्योगिकी विकास शामिल हैं।.

## 1.4 परिचालन उत्कृष्टता

### 1.4.1 परियोजना निष्पादन में सुधार

आपकी कंपनी की परिचालन विचारधारा में "राजस्व केंद्रित" से "परियोजना केंद्रित" होने के परिवर्तन से प्रदर्शन के मुद्दों का सफल समाधान हुआ है, परियोजना में देरी को काफी हद तक रोका गया है, नुकसान में कमी आई है और लंबे समय तक साइटों पर पड़ी सामग्री/उपकरण के लिए पुन% काम किया गया है और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ईरेक्शन एवं कमीशनिंग के लिए सामग्री/उपकरण उपलब्ध है। इसके परिणामस्वरूप, चालू वर्ष की बिलिंग की वसूली वित्त वर्ष 2021–22 के समान (चार साल पहले 59% से अधिक) 86% हुई है। साइट डेटा डिजिटाइजेशन (एसडीडी) पर चल रहे काम के साथ एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) के सफल कार्यान्वयन ने परियोजना की प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी के साथ–साथ मुद्दों के मामले में त्वरित हस्तक्षेप को सक्षम किया है। ये प्रयास पिछले तीन वर्षों में परियोजना स्थलों पर अपने निर्माण टन भार को दोगुना करने की कंपनी की उपलब्धियों को दर्शाते हैं, साथ ही उपयोगिताओं द्वारा थर्मल ऑर्डर में गिरावट के बावजूद उच्च परियोजना समापन और बकाया पंच पॉइंट की कम संख्या (बीएचईएल के कारोबार में थर्मल की हिस्सेदारी 75% से अधिक है)।

### 1.4.2 लागत अनुकूलन

बढ़ती सामग्री लागत को देखते हुए, लागत अनुकूलन सेल (सीओसी) को केंद्र बिंदु के रूप में रखते हुए कंपनी के परिचालन में लागत अनुकूलन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। रणनीतिक योजना 2022–27 के हिस्से के रूप में, चयनित उत्पादों/प्रणालियों के लिए डिजाइन टू कॉस्ट (डीटीसी) अभ्यास शुरू किया गया है, जिससे आने वाले वर्षों में बीएचईएल की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने की उम्मीद है।

उच्च मूल्य खरीद आदेशों का विश्लेषण, इस्पात खरीद लागत में कमी, उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के विक्रेता आधार में वृद्धि, सामग्री विनिर्देश का युक्तिकरण और मानकीकरण, इकाइयों और परियोजना स्थलों पर अधिशेष सामग्री का प्रभावी उपयोग, घटकों के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करना प्रमुख गतिविधियां हैं जो स्टील, तांबा, सीमेंट आदि में प्रमुख मूल्य वृद्धि के बावजूद इनपुट मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया गया है। इनसे चल रही परियोजनाओं में प्रत्यक्ष सामग्री लागत में कमी आने की उम्मीद है।

### 1.4.3 प्राप्य प्रबंधन

तरलता बनाए रखना कंपनी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण बिलिंग और ग्राहकों के साथ लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान पर ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022–23 में व्यापार प्राप्य 6,544 करोड़ रुपये पर रहीं। फिर भी, कंपनी द्वारा निष्पादित की जा रही कुछ प्रमुख परियोजनाओं में भुगतान की कड़ी शर्तो जैसे आपूर्ति आधारित भुगतान का चरणद्ध उपलब्धियों से जुड़े होने के कारण अनुबंध परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है।

इन बाधाओं के बावजूद, कंपनी पुराने और साथ ही वर्तमान वर्ष की बकाया प्राप्तियों को समय पर निपटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में चालू वर्ष की बिलिंग परिसमापन का प्रतिशत 59% से बढ़कर 86% हो गया है।

पंच प्वाइंट को समापन करके, निष्पादन गारंटी परीक्षणों को पूरा करने और लंबे समय से लंबित समय विस्तार मामलों के निपटान के माध्यम से पुराने ऋणों की वसूली पर ध्यान केंद्रित करने से चालू परियोजनाओं से नकदी प्रवाह सक्षम हो रहा है।

### 1.4.4 गुणवत्ता फोकस

पूर्व में शुरू की गई **''गुणवत्ता प्रथम''** पहल पूरे संगठन में मिशन मोड में लागू की गई है, जिसके उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। हमारी गुणवत्ता प्रणालियों की परिपक्वता को बढ़ाने के लिए, इकाइयों की परिपक्वता मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ''गुणवत्ता प्रबंधन प्रभावशीलता समीक्षा (क्यूएमईआर)'' मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (ईएफक्यूएम) 2020 ढांचे के अनुरूप व्यावसायिक उत्कृष्टता यात्रा को पुनर्जीवित किया गया है। गुणवत्ता प्रणालियों और पद्धतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, एक व्यापक मॉडल "क्यूएचआई (गुणवत्ता स्वास्थ्य सूचकांक)" लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करने के लिए गुणवत्ता प्रणालियों को डिजिटल किया गया है, और गुणवत्ता संवाद "कॉनवर्स" प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्ता सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा और अवशोषित किया जाता है।

इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप बीएचईएल को सीआईआई–एक्जिम बैंक के पहले 'बिजनेस एक्सीलेंस को अपनाने और पोषण के लिए विशेष जूरी प्रशस्ति' से सम्मानित किया गया, जो हमारे परिचालन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और अपनाने के लिए हमारे समर्पण को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल इकाइयों एचपीबीपी त्रिची, एचईईपी हरिद्वार, एचईपी भोपाल और एचपीईपी हैदराबाद को प्रतिष्ठित ''प्लेटिनम'' सम्मान मिला , जबकि पीईएम नोएडा, ईडीएन बेंगलुरु, बीएपी रानीपेट और पीएसएनआर नोएडा को बिजनेस एक्सीलेंस 2022".के लिए ''सीआईआई एक्जिम बैंक पुरस्कार'' में ''गोल्ड प्लस'' सम्मान मिला।

अधिक विवरण खंड 1.11 में दिया गया है।

### 1.4.5 डिजिटल परिवर्तन

उभरते व्यावसायिक परिदृश्य को पहचानते हुए, आपकी कंपनी ने एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में डिजिटल परिवर्तन किया है और अपने परिचालन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत कर रही है। परिवर्तन से सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं, बढ़ी हुई दक्षता और बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त हो रहा है। डिजिटल समाधानों का लाभ उठाकर, बीएचईएल बाजार की बदलती गतिशीलता के लिए नवाचार और अनुकूलन जारी रखता है, और डिजिटल युग में सतत विकास को आगे बढ़ा रहा है।

आईटी सक्षम परियोजना प्रबंधन को लागू करने के उद्देश्य से, एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) को शुरुआत में 7 थर्मल सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए लागू किया गया था। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, सिस्टम स्थिरता और परिपक्वता प्राप्त करने वाली सभी नई और प्रमुख ग्राहक परियोजनाओं को कवर करने के लिए इसे बढ़ाया गया है। डेटा के एकल बिंदु कैप्चर के साथ साइट से संबंधित गतिविधियों की वास्तविक समय की निगरानी में सुधार करने की दृष्टि से, आपकी कंपनी ने साइट

डेटा डिजिटलीकरण पहल को लागू करना शुरू कर दिया है। यह डेटा त्रुटियों को कम करके उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाएगा और बेहतर निर्णय लेने के लिए व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। साथ ही, आपकी कंपनी पारंपरिक एमआईआर आधारित एनालिटिक्स से सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) और डेटा वेयरहाउस और डेटा गवर्नेंस द्वारा समर्थित डेटा एनालिटिक्स की ओर स्थानांतरित हो रही है। समकालीन आईटी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए कार्यबल के कौशल को त्वरित रुप से अपनाने और स्केलिंग के लिए लगातार उन्नत किया जाता है।

आपकी कंपनी ने विनिर्माण प्रभागों में मशीनों के लिए इन–हाउस विकसित उद्योग 4.0 समाधान के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। समाधान वास्तविक समय डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप डाउनटाइम कम होता है और सीएनसी मशीनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस संपदा समाधान में बाजार में प्रतिस्पर्धी विशेषताएं हैं जिनका बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया है और पूरे संगठन में 70 मशीनों के लिए स्केल किया गया है। इस प्रमुख समाधान को जर्मनी में ''हनोवर मेस्से 2023'' सहित कई औद्योगिक मेलों में सराहा गया है।

## 1.5 कर्मचारी विकास एवं सहभागिता

बीएचईएल मानता है कि किसी भी संगठन की सफलता समर्पित और प्रेरित कार्यबल से ही संभव है। जैसे–जैसे बीएचईएल भविष्य के लिए तैयार वैश्विक इंजीनियरिंग संगठन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने के लिए मानव संसाधनों को संरेखित करने और चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में एक और कदम वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कॉर्पोरेट एचआर टीमों द्वारा यूनिट रीच–आउट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन था। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारी–संबंधित मुद्दों और चिंताओं को व्यापक रूप से समझना, संगठनात्मक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संगठनात्मक परिवर्तनों के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना और व्यक्त चिंताओं को हल करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना है।

बीएचईएल के लिए कर्मचारी विकास सर्वोपरि है। बीएचईएल ने अपने नेतृत्व क्षमता मॉडल की समीक्षा भी की है और बाद में संगठन के भीतर संभावित नेताओं को विकसित करने के लिए आईआईएम जैसे प्रसिद्ध संस्थानों में प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) जैसे विकास हस्तक्षेपों की पहचान की है।

बीएचईएल की निष्पादन प्रबंधन प्रणाली और परियोजना प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के चल रहे व्यापक ओवरहाल के अंग के रूप में, कर्मचारी निष्पादन को भूमिका अपेक्षाओं, व्यक्तिगत परिणामों और इकाई–स्तर और कंपनी–स्तर के परिणामों पर उनके प्रभाव के साथ संरेखित करने के लिए रणनीतिक उपाय लागू किए गए हैं।

गतिशील व्यावसायिक वातावरण की प्रतिक्रिया में, बीएचईएल ने निरंतर परिवर्तनों के बीच संपन्न होने के उद्देश्य से अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों के लिए पुन% कौशल कार्यक्रम सहित विभिन्न पहल लागू की हैं। इसके अलावा, बीएचईएल ने आंतरिक संचार चैनलों को मजबूत किया है, बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए ई–मॉड्यूल विकसित किया है और ज्ञान–साझाकरण प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया है।

अंत में, बीएचईएल कर्मचारी विकास और जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। इन सामंजस्यपूर्ण और औपचारिक पहलों को प्राथमिकता देकर, बीएचईएल का लक्ष्य एक मजबूत ढांचा स्थापित करना है जो संगठनात्मक

*हाइड्रो विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भोपाल संयंत्र में स्थापित नया सीएनसी हाइड्रो ब्लॉक*

उद्देश्यों के साथ संरेखित हो, कौशल वृद्धि को बढ़ावा दे और कर्मचारियों को उभरते व्यावसायिक परिदृश्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाए।

## 1.6 प्रौद्योगिकी विकास

भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर प्रोत्साहन से विभिन्न व्यवसायों में स्वदेशीकरण के लिए पर्याप्त अवसर मिलने की आशा है। पिछले कुछ वर्षों में, बीएचईएल अपने परिचालन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नेतृत्व और आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ–साथ अपने व्यवसाय के क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कोयले के स्वच्छ उपयोग के लिए कंपनी के प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में पहली बार स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का विकास और स्थापना हुई और अब यह इसके व्यावसायीकरण की प्रक्रिया में है। यह देश के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम है, ताकि वह अपने विशाल कोयला भंडार का उपयोग उन रसायनों के निर्माण के लिए कर सके जो वर्तमान में आयात किए जा रहे हैं। एनटीपीसी और आईजीसीएआर के सहयोग से विकसित उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) तकनीक कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में और मदद करेगी। पुराने और पुराने विद्युत संयंत्रों को एयूएससी सेटों से बदलने से परियोजना के जीवनकाल के दौरान उत्सर्जन में काफी कमी आएगी।

बीएचईएल महत्वपूर्ण घटकों को स्वदेशी बनाने और संयुक्त विकास के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करने की पहल भी कर रहा है।

अपस्ट्रीम तेल और गैस कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सकर रॉड पंपों का विकास, जो अब तक आयात किए जा रहे हैं, स्वदेशीकरण का एक और उदाहरण है। विभिन्न फ़्लू गैस डिसल्फराइजेशन घटकों का भी स्वदेशीकरण किया गया है जो देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगा। आपकी कंपनी को 15000 पीएसआई वेल हेड और एक्स–एमएएस ट्री वाल्व आदि जैसे उत्पादों के लिए विकासात्मक ऑर्डर भी प्राप्त हुए हैं।

आपकी कंपनी अब मुख्य विकास क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है; जैसे कि रेल परिवहन, रक्षा, एयरोस्पेस, कार्बन कैप्चर और ग्रीन हाइड्रोजन जिनसे भविष्य में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। कंपनी सक्रिय रूप से ट्रेनों के लिए अंडरस्लंग प्रोपल्शन, हाई–स्पीड लोकोमोटिव, शहरी परिवहन समाधान, रणनीतिक रक्षा उपकरण, हरित विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी, पीईआरसी सौर सेल, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र सहित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर काम कर रही है। अधिक विवरण अनुलग्नक – VI में दिया गया हैं।

## 1.7 व्यावसायिक खंडों की रूपरेखा और निष्पादन

कंपनी के दो व्यावसायिक खंड हैं पावर और उद्योग। ये खंड तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात पावर क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय परिचालन द्वारा संचालित होते हैं।

पावर खंड में थर्मल, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय के अलावा कोयले से रसायन, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण और गैस बीएचईएल सेटों के लिए स्पेयर्स के नये व्यवसायों के ऑर्डर शामिल हैं। 1969 में अपना पहला कोयला–आधारित सेट चालू करने के बाद , बीएचईएल पांच दशकों से अधिक समय से इस व्यवसाय में है।

उद्योग खंड परिवहन, पारेषण, रक्षा, एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर प्लांट, प्रक्रिया उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस और ऊर्जा भंडारण सहित कई उद्योगों के लिए प्रमुख उपकरण आपूर्ति करता है और ईपीसी आधार पर काम पूरा करता है।

व्यावसायिक खंडों
की रूपरेखा एवं
निष्पादन

# पावर सेक्टर

### 1.7.1 पावर सेक्टर

### संक्षिप्त परिचय

भारत का लक्ष्य अपनी सुदृढ़ आर्थिक विकास यात्रा को जारी रखना है, और "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के साथ–साथ बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास इसके लिए आधार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश के ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि का देश की आर्थिक वृद्धि के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई है। तदनुसार, सभी के लिए किफ़ायती दरों पर विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

संस्थापित क्षमताः ~416 गी.वा.

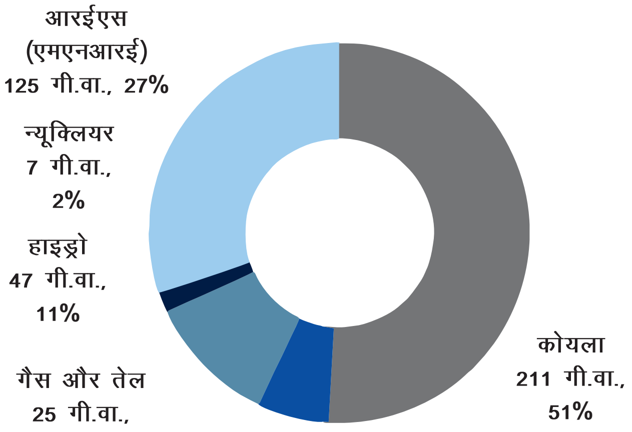


31 मार्च, 2023 तक

*स्रोतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए ऊर्जा मंत्रालय*

भारत में वर्तमान में 416 गीगावॉट का स्थापित क्षमता आधार है और इसकी वार्षिक विद्युत उत्पादन 1,624 बिलियन यूनिट (बीयू) (31 मार्च 2023 तक) है। विशेष रूप से, विद्युत उत्पादन में साल–दर–साल आधार पर 8.9% की वृद्धि दर देखी गई है, यह प्रवृत्ति निकट से मध्यम अवधि में भी जारी रहने की उम्मीद है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (हाइड्रो को छोड़कर) से क्षमता वृद्धि वर्ष में ~15 गीगावॉट थी, सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि ने इसमें ~13 गीगावॉट का योगदान दिया, जो देश के विद्युत विकास पैटर्न में उल्लेखनीय बदलाव को उजागर करता है।

### वर्तमान व्यापार परिदृश्य

सतत विकास और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सतत विकास पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय फोकस के साथ, ऊर्जा क्षेत्र एक बड़े परिवर्तन की दिशा में है। भारत ने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए पांच तत्वों, "पंचामृत" के रूप में डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में भी प्रमुख प्रतिबद्धताएं की हैं।

साथ ही, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने की उम्मीद है। राष्ट्र हमारे 1.4 अरब लोगों के आर्थिक विकास और आकांक्षाओं के साथ सतत विकास और जलवायु परिवर्तन रोकने की इन आवश्यकताओं को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

हाल की सरकारी नीतियों ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) आधारित पावर की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव प्रदर्शित किया है। जबकि अक्षय ऊर्जा में पर्याप्त अवसर उभरने की उम्मीद है, साथ ही, हाइड्रो और न्यूकिल्यर सेगमेंट और कोयला आधारित पावर संयंत्रों की निरंतरता और उपयुक्तता को देखते हुए आगामी वर्षों में भारत की पावर उत्पादन

*2x660 मेगावाट मैत्री एसटीपीपी, बांग्लादेश की इकाई 1 – बांग्लादेश में सबसे बड़े कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में से एक, जिसने वाणिज्यिक संचालन शुरू किया, का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था*

क्षमता कोयले के बड़े घरेलू भंडार की निरंतर एवं चौबीसों घंटे परिचालन के लिए और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का मुख्य आधार बने रहने की उम्मीद है। भविष्य में पावर की मांग को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से ग्रिड के बेसलोड, कोयला आधारित उच्च दक्षता वाले सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल पावर संयंत्रों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, विशेषकर, जब तक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए ग्रिड क्षमता हासिल नहीं हो जाती (बीईएसएस)।

हाल के वर्षों में भारतीय थर्मल सेक्टर में ऑर्डरिंग कम रही है (अगस्त 2019 से सितंबर 22 के बीच लगभग तीन वर्षों तक शून्य ऑर्डर के साथ), और अब देश थर्मल सेगमेंट ऑर्डरिंग में पुनरुत्थान देख रहा है। बीएचईएल ने 2x660 मेगावाट एनटीपीसी तालचेर टीपीपी के लिए ईपीसी ऑर्डर प्राप्त किया, और आगामी थर्मल पावर प्लांट के लिए एक अन्य प्रमुख निविदा में भी अनुकूल स्थिति में है। इसके अलावा, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों (15–20 गीगावॉट) की अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन है, जिसके अगले 4–5 वर्षों में फलीभूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा, देश में 50 गीगावॉट से अधिक थर्मल पावर प्लांट 2030 तक 30 साल से अधिक पुराने हो जाएंगे, जिनसे जीवन विस्तार और प्रदर्शन और दक्षता उन्नयन के साथ–साथ ब्राउनफील्ड विकास के लिए नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) के बड़े अवसर प्रदान किए जाने की उम्मीद है।

ताप विद्युत संयंत्रों से कम उत्सर्जन पर सरकार के ध्यान के परिणामस्वरूप, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण व्यवसाय और नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) व्यवसाय से अवसर जारी रहने की उम्मीद है। देश में थर्मल उपयोगिताएँ आने वाले वर्षों में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम), एनओएक्स और एसओएक्स में कमी के लिए सरकारी मानदंडों के कार्यान्वयन की संभावना तलाश रही हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ओपीजीसीएल, जीएसईसीएल, टैंजेडको जैसी विभिन्न उपयोगिताओं से उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के लिए ऑर्डर देने में तेजी देखी गई और मौजूदा विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की रेट्रोफिटिंग के लिए केंद्रीय और राज्य क्षेत्र दोनों उपयोगिताओं से कई निविदाएं पाइपलाइन में हैं।

आरईएस आधारित विद्युत उत्पादन प्रणालियों की क्षमता वृद्धि में पारंपरिक (बड़े और छोटे हाइड्रो संयंत्रों) के साथ–साथ पंप भंडारण उत्पादन स्टेशनों से आरईएस आधारित पावर सिस्टम की अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के लिए आवश्यक ग्रिड संतुलन और स्थिरीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल–विद्युत क्षमता में वृद्धि की भी आवश्यकता होती है। भारत की 133 गीगावॉट (पुनर्मूल्यांकन अध्ययन (2017–23) के अनुसार सीईए की पहचान की गई क्षमता) की विशाल हाइड्रो क्षमता का लगभग 42 गीगावॉट (32%) का दोहन किया जा चुका है और अब तक 15 गीगावॉट (11%) निर्माण के लिए लिया गया है। भविष्य में संभावित लगभग 76 गीगावॉट (57%) का दोहन अभी बाकी है। मार्च, 19 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जल विद्युत नीति और विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए जारी दिशानिर्देशों से मध्यम अवधि में जल विद्युत विकास को गति मिलने की संभावना है। इसके अलावा, भारत के 30% से अधिक जलविद्युत संयंत्रों ने 30–35 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो जीवन विस्तार और प्रदर्शन और दक्षता उन्नयन के लिए नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करते हैं। आपकी कंपनी इन आगामी अवसरों का दोहन करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है।

परमाणु ऊर्जा देश के समग्र ऊर्जा मिश्रण का एक अनिवार्य हिस्सा बनेगी क्योंकि इसे विश्व स्तर पर स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भारत में, वर्तमान में लगभग 7.4 गीगावॉट स्थापित क्षमता वाली परमाणु ऊर्जा, उत्पादन क्षमता का लगभग 1.6% और उत्पादन का 3% योगदान देता है, और कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से समकक्ष उत्पादन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन की तुलना में सालाना 41 मिलियन टन से अधिक $CO_2$ उत्सर्जन बचाता है। भारत सरकार परमाणु उत्पादन क्षमता को तीन गुना करने की योजना बना रही है जो आपकी कंपनी के लिए कई अवसर प्रदान करेगी। बीएचईएल रणनीतिक रूप से इस बाजार का दोहन करने के लिए तैयार है और परमाणु टरबाइन और जनरेटर के लिए एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता होने का गौरव रखता है और देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सभी तीन चरणों से जुड़ा है।

## प्रस्ताव

थर्मल, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के निष्पादन की सिद्ध क्षमता के साथ बीएचईएल विश्व की उन कुछ कंपनियों में से एक है जिसके पास पावर प्लांट उपकरणों की पूरी श्रृंखला के विनिर्माण और आपूर्ति की क्षमता है।

थर्मल पावर सेगमेंट में, बीएचईएल के पास 1,000 मेगावाट रेटिंग तक के स्टीम टर्बाइन, जनरेटर, बॉयलर और संबंधित सहायक सहित थर्मल विद्युत संयंत्रों को चालू करने की क्षमता है। कंपनी के पास ईपीसी आधार पर 660/700/800 मेगावाट रेटिंग के सुपरक्रिटिकल थर्मल सेट के साथ कई परियोजनाओं को निष्पादित करने का अनुभव है।

बीएचईएल ओपन और कम्बाइन्ड साइकिल दोनों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए 299 मेगावाट (आईएसओ) रेटिंग तक के गैस टर्बाइन और मैचिंग जेनरेटर ऑफर करता है। बीएचईएल थर्मल संयंत्रों के लिए सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलरों जो पेट–कोक, लिग्नाइट इत्यादि जैसे कम कैलोरी वाले ईंधन की विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त हैं, का भी निष्पादन और आपूर्ति करता है। हाल ही में, बीएचईएल ने सुमितोमो एसएचआई एफडब्ल्यू एनर्जिया ओवाई, फिनलैंड के साथ सुपरक्रिटिकल और सबक्रिटिकल सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर के लिए प्रौद्योगिकी समझौता किया है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, बीएचईएल उन कुछ संगठनों में से एक है जो देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सभी तीन चरणों, प्राथमिक और गौण दोनों द्वितीयक स्तरों (220/235/500/540/700 मेगावाट) से जुड़ा हुआ है। बीएचईएल के स्टीम जेनरेटर, टर्बाइन और जेनरेटर सेट में अधिकांश पीएचडब्ल्यूआर (प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर) शामिल हैं जो स्वदेशी भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आधार हैं। बीएचईएल स्टीम जेनरेटर, रिएक्टर हेडर, टर्बाइन जेनरेटर सेट, एमएसआर, हीट एक्सचेंजर्स, कंडेनसर आदि सहित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों के लिए उपस्कर और टीजी आइलैंड के 'ईपीसी' के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता हैं।

हाइड्रो पावर खंड में, बीएचईएल के पास 100 मेगावाट तक के कपलान प्रकार के कस्टम–निर्मित पारंपरिक हाइड्रो टर्बाइनों, 400 मेगावाट तक के फ्रांसिस और पेल्टन प्रकार,, 400 मेगावाट तक कस्टम–निर्मित सैलिएंट पोल वर्टिकल सिंक्रोनस हाइड्रो जेनरेटर, 10 मेगावाट तक बल्ब जनरेटर और 20 मेगावाट तक क्षैतिज जनरेटर के साथ–साथ मैचिंग स्थिर उद्दीपन प्रणाली / ब्रशलेस उद्दीपन प्रणाली, 250 मेगावाट तक पंप भंडारण संयंत्रों के लिए रिज़र्व पंप–टर्बाइन, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए उच्च क्षमता वाले पंप और मोटर्स (एलआईएस) 200 मेगावाट तक, 300 मेगावाट तक के पंप स्टोरेज प्लांट के लिए फिक्स्ड स्पीड जेनरेटर मोटर्स, 25 मेगावाट रेटिंग तक के मिनी/माइक्रो और छोटे हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो स्टेशनों के लिए बटरफ्लाई, वृत्ताकार वाल्व और सहायक, माइक्रोप्रोसेसर–आधारित डिजिटल गवर्निंग सभी प्रकार के हाइड्रो विद्युत संयंत्रों, प्लांट लेआउट और मैकेनिकल बीओपी, हाइड्रो विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण

और उन्नयन और संयंत्र और सिस्टम एकीकरण के संतुलन के लिए प्रणाली उपलब्ध है।

उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण व्यवसाय में, बीएचईएल थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलित उपकरण प्रदान करता है, और इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी), फ़्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), और एनओएक्स नियंत्रण उपकरण और फर्नेस संशोधन समाधान के रेट्रोफिट समाधान प्रदान करने की क्षमता रखता है।

कंपनी ने नवीकरण, आधुनिकीकरण और विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्र उपकरणों के उन्नयन के माध्यम से संयंत्र के निष्पादन सुधार में सिद्ध विशेषज्ञता प्राप्त की है, इसके अलावा, शेष जीवन मूल्यांकन, स्वास्थ्य निदान और संयंत्रों के जीवन विस्तार के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त है। बीएचईएल द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों के साथ ईएसपी और सीएंडआई के लिए रेट्रोफिट पैकेज भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण के साथ, ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए थर्मल पावर प्लांटों का लचीला परिचालन एक प्रमुख आवश्यकता होने की उम्मीद है। हाल ही में, बीएचईएल ने कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए अपनी लचीली परिचालन क्षमता को स्वदेशी रूप से विकसित और सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है, और अब वह इस क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

## वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

### ऑर्डर बुकिंग

वित्त वर्ष 2022–23 में, बीएचईएल ने तीव्र प्रतिस्पर्धा और सीमित अवसरों के बीच, विद्युत क्षेत्र में 2,400 मेगावाट का ऑर्डर हासिल किया है, जो कुल मिलाकर 13,353 करोड़ (करों को छोड़कर) है। इसमें स्पेयर्स और सर्विसेज बिजनेस में 3,800 करोड़ (करों को छोड़कर) की अब तक की सबसे अधिक ऑर्डर बुकिंग शामिल है।

वित्त वर्ष 2022–23 में बुक किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डरों में एनटीपीसी तालचेर थर्मल पावर प्लांट का 2x660 मेगावाट ईपीसी ऑर्डर, 850 मेगावाट एमईआईएल रेटले जलविद्युत परियोजना और टर्बाइन, जनरेटर और अन्य सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिए 230 मेगावाट लोअर सिलेरू जलविद्युत परियोजना, इसके अलावा, जीएसईसीएल उकाई टीपीएस यूनिट # 3 (200 मेगावाट) और यूनिट # 5 (210 मेगावाट), आरएंडएम परियोजना और एनटीपीसी परियोजनाओं में एचएमआई उन्नयन दर–संविदा के एलएमजेड स्टीमटर्बाइन के ताप दर (दक्षता) सुधार और जीवन विस्तार के लिए मुख्य ऑर्डर शामिल हैं।

बीएचईएल ने 2x660 मेगावाट एनटीपीसी तालचर थर्मल पावर प्लांट (तीन साल की अवधि के बाद देश में पहला ईपीसी ऑर्डर) के लिए ईपीसी ऑर्डर हासिल करके भारतीय थर्मल पावर उद्योग में अपना बाजार नेतृत्व बनाए रखा है। डीवीसी रघुनाथपुर टीजी ऑर्डर के उन्नयन के साथ धीमी गति से आगे बढ़ने वाले ऑर्डरों/होल्ड किए गए ऑर्डरों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कंपनी के प्रयासों का भी फल मिला है।

पनविद्युत व्यवसाय में, बीएचईएल ने ग्राहक पोर्टफोलियो का विस्तार करने के अलावा, लगभग 1,000 मेगावाट के ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

बीएचईएल ने स्पेयर्स और सेवाओं तथा आरएंडएम व्यवसाय क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, और इस व्यवसाय क्षेत्र में 3,800 करोड़ रुपये से अधिक के अपने अब तक के उच्चतम ऑर्डर को सुरक्षित करने में सक्षम रहा है। ये शॉर्ट–साइकिल ऑर्डर आगामी कुछ वर्षों में कंपनी के नकदी प्रवाह के साथ–साथ मुनाफे को भी बढ़ावा देंगे। बीएचईएल को जीईएम में विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसने वर्ष के दौरान पोर्टल से 419 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल करने में मदद की है (वित्त वर्ष 2021–22 में 104 करोड़ और वित्त 2020–21 में 12 करोड़ के मुकाबले)।

स्पेयर्स और सर्विसेज बिजनेस में, बीएचईएल ने कई घटकों/उपप्रणालियों को इन–हाउस विकसित किया है और इसके लिए पहला ऑर्डर प्राप्त किया है:

- गैर–बीएचईएल सेटों के एचपी रोटर और आईपी रोटर की मरम्मत
- कोयले के साथ बायोमास पेलेट्स की सह–फायरिंग की व्यवहार्यता की जाँच के लिए विशेषज्ञ सेवाएँ
- बायोमास स्ट्रॉ आधारित टॉरिफाइड पेलेट्स के परीक्षण सह–फायरिंग के दौरान बॉयलर के प्रदर्शन की निगरानी

*बीएचईएल ने 2x660 मेगावाट तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण–प्प की स्थापना के लिए एनटीपीसी से ईपीसी ऑर्डर प्राप्त किया*

- गैस रिसाव का पता लगाने, फायर हाइड्रेंट सिस्टम और अन्य पुर्जों के साथ–साथ कोयला और प्राकृतिक गैस सह–फायरिंग की आपूर्ति और ईएंडसी
- सिरेमिक लाइन्ड कोल नोजल टिप्स
- स्प्लिट शाफ्ट डिज़ाइन जेनरेटर रोटर का कार्यान्वयन
- ई211 ट्रिम हीटर की आपूर्ति

ऐसे ऑर्डर बीएचईएल की इंजीनियरिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं, और भविष्य में इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए नए मार्ग खोलने में सहायक होंगे।

बीएचईएल ने लॉन्ग टर्म स्पेयर्स सप्लाई एग्रीमेंट (एलटीएसएसए) और लॉन्ग टर्म सर्विस एग्रीमेंट (एलटीएसए) के माध्यम से व्यावसायिक अवसरों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं और विभिन्न ग्राहकों के साथ इसके 25 ऐसे समझौते हैं। उन्नत विनिर्माण कार्यों के माध्यम से तेजी से चलने वाले स्पेयर्स को स्टॉक करने की बीएचईएल की पहल के साथ इन समझौतों ने कंपनी को ग्राहकों को कम डिलीवरी समय प्रदान करने के साथ–साथ पेशकश की समग्र श्रृंखला को बढ़ाने में सक्षम बनाया है, जिससे स्पेयर्स और सेवाओं के ऑर्डर बुक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

## परियोजना निष्पादन

1964 में अपनी स्थापना के बाद से, बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2022–23 तक भारत में 463 कोयला आधारित यूटीलिटी सेट, 424 हाइड्रो यूटीलिटी सेट, 103 गैस आधारित यूटीलिटी सेट और 12 परमाणु आधारित यूटीलिटी सेट की आपूर्ति की है। अपने ठोस प्रयासों के माध्यम से, बीएचईएल ने यूटीलिटी विद्युत परियोजनाओं में वित्त वर्ष 2022–23 में 1,580 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हासिल की, जो कि थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर सेट के लिए वर्ष के दौरान भारत की कुल कमीशनिंग का 100% है। क्षमता वृद्धि के अलावा, सीमित बीएचईएल स्कोप (जैसे एसजी/ईएसपी/पीसीपी) वाली परियोजनाओं के लिए सिंक्रनाइज़ेशन हासिल किया गया है, जो कुल मिलाकर 1,460 मेगावाट है। इसके अलावा, बांग्लादेश के प्रतिष्ठित 2x660 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट #1 के लिए व्यावसायिक परिचालन दिसंबर 2022 में घोषित किया गया है – जो बांग्लादेश में सबसे बड़े कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में से एक है। बीएचईएल ने जनवरी, 2023 में एनटीपीसी उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट #1 में एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) से सुसज्जित देश का पहला थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है, जो एक बार फिर कंपनी की इंजीनियरिंग क्षमता को साबित करता है। एसीसी वाली इस इकाई में वाटर कूल्ड कंडेनसर (डब्ल्यूसीसी) वाली सामान्य इकाई की तुलना में एक तिहाई जल खपत है। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल ने 1x600 मेगावाट अडानी रायगढ़ थर्मल पावर प्लांट में लचीले परिचालन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और वित्त वर्ष 2022–23 में डब्ल्यूबीपीडीसीएल और अन्य उपयोगिताओं से लचीले परिचालन के लिए ऑर्डर प्राप्त किए।

सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर सेगमेंट में, बीएचईएल ने 31 मार्च, 2023 तक सुपरक्रिटिकल स्टीम जेनरेटर (एसजी) के 30 सेट और सुपरक्रिटिकल टर्बाइन जेनरेटर (टीजी) के 23 सेट चालू किए हैं। एक मुख्य परियोजना निष्पादन माइलस्टोन हासिल करते हुए, बीएचईएल ने गोरखपुर परमाणु ऊर्जा के लिए अपना 44वां न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटर भेजा है। जिससे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में इसकी स्थिति और सुदृढ़ हो गई है।

ग्राहकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने पर हालिया फोकस का असर दिखने लगा है और कई मामले समाप्त हो रहे हैं, जिससे बैंक गारंटी जारी करने के साथ–साथ ऐसे माइलस्टोन से जुड़े भुगतान में भी मदद मिलेगी।

बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के अंत तक देश की यूटीलिटी पैमाने की विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित थर्मल क्षमता में 55% की अपनी बड़ी हिस्सेदारी बनाए रखी, साथ ही देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन

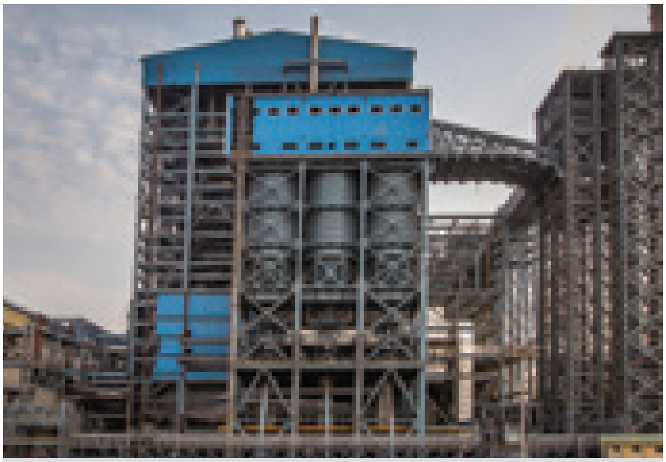

*केपीसीएल के लिए बेल्लारी, कर्नाटक में बीएचईएल द्वारा निष्पादित किया जा रहा 700 मेगावाट एसटीपीपी*

क्षमता (द्वितीयक पक्ष) में 48% और जल विद्युत उत्पादन क्षमता में 44% हिस्सेदारी बरकरार रखी। थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो सेगमेंट सहित यूटीलिटी पैमाने पर कुल मिलाकर, बीएचईएल को देश की कुल स्थापित क्षमता में 53% हिस्सेदारी प्राप्त है।

## उपस्करों का निष्पादन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कोयला और लिग्नाइट आधारित यूटीलिटी सेटों से देश की कुल 1,182.05 बीयू उत्पादन का 60.6% (716.54 बीयू) बीएचईएल द्वारा आपूरित सेटों द्वारा किया गया है (पिछले वर्ष में 59.4% के मुकाबले)।

यह अत्यंत गौरव की बात है और बीएचईएल के उत्पाद की गुणवत्ता का प्रमाण है कि बीएचईएल द्वारा कमीशन किए गए डब्ल्यूबीपीडीसीएल के तीन सबक्रिटिकल संयंत्रों को सीईए द्वारा पीएलएफ आधारित उत्पादकता रैंकिंग के मामले में भारत के 200 थर्मल पावर प्लांटों में से शीर्ष 5 में स्थान दिया गया है। इन तीन सबक्रिटिकल संयंत्रों में से, बकरेश्वर–2 (210 मेगावाट) ने 99.7% की परिचालन उपलब्धता (ओए) के साथ सभी क्षेत्रों में 92.38% का उच्चतम प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) हासिल किया।

बीएचईएल ने 14 फरवरी 1982 को सिंक्रोनाइज़ की गई सिंगरौली–1 (200 मेगावाट) की आपूर्ति की, स्थापना के बाद से 87% से अधिक के औसत पीएलएफ के साथ परिचालन के 41 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। बीएचईएल ने तीन सबक्रिटिकल इकाइयों (200 मेगावाट) की आपूर्ति की, जो 39 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, उन्होंने 95% से अधिक का पीएलएफ हासिल किया है, जिसमें कोरबा–3 एसटीपीएस (200 मेगावाट) ने पीएलएफ 97.7% और ओए 98.2% हासिल किया है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए तीन थर्मल सेटों ने 365 दिनों से अधिक समय तक निर्बाध परिचालन किया, अर्थात्, तालचेर –4 टीपीपी (466 दिन), कोडरमा –1 टीपीपी (394 दिन) और ट्रॉम्बे –8 टीपीपी (385 दिन), जो बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेटों के उल्लेखनीय प्रदर्शन को दर्शाता है।

परमाणु खंड में, बीएचईएल ने कैगा–1 (503 दिन) और आरएपीएस–3 (407 दिन) में 365 दिनों से अधिक समय तक निर्बाध परिचालन करने वाले दो परमाणु सेटों की आपूर्ति की और छह बीएचईएल आपूरित परमाणु सेटों ने 90% से अधिक का पीएलएफ हासिल किया (नरोरा यूनिट #1–2, कैगा यूनिट #2 और काकरापारा यूनिट #1–2)।

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों के साथ विद्युत संयंत्र उच्च ओए और पीएलएफ और कम आउटेज के संबंध में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे मजबूत डिजाइन और उच्च गुणवत्ता मानकों के प्रमाणक हैं।

## निष्पादन गारंटी परीक्षण:

वर्ष के दौरान, परियोजना समापन की दिशा में केंद्रित प्रयासों ने प्रदर्शन गारंटी (पीजी) परीक्षणों को पूरा करने और लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान में बीएचईएल को समृद्ध लाभांश का भुगतान किया है:

- कुल 69 पैकेजों के पीजी परीक्षण (पावर सेक्टर: 52 सेट (आर एंड एम सहित) सेट, उद्योग क्षेत्र: 17)
- 13 इकाइयों (आर एंड एम सहित) के लिए संपूर्ण मुख्य संयंत्र पैकेज (टर्बाइन, बॉयलर, ईएसपी और मिल्स, जैसा लागू हो) के लिए पीजी टेस्ट पूरे किए गए।
- बॉयलर में संसोधन के उपरांत, एनटीपीसी बाढ़ यूनिट 5 का बॉयलर एवं टरबाइन पीजी टेस्ट और एनपीजीसीएल नबीनगर 1 का बॉयलर पीजी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया और अनुमोदित किया गया।
- न्यू नेवेली यूनिट #1 और यूनिट #2 के सभी मुख्य संयंत्र पैकेज के पीजी टेस्ट पूरे हो गए। विशेष रूप से, ये वन्स–थ्रू टावर प्रकार बॉयलर के साथ देश की उच्चतम रेटिंग वाली लिग्नाइट से चलने वाली इकाइयाँ हैं।

**स्थापित क्षमता – यूटीलिटी***

3,13,567 मे.वा. (मार्च 31, 2023)

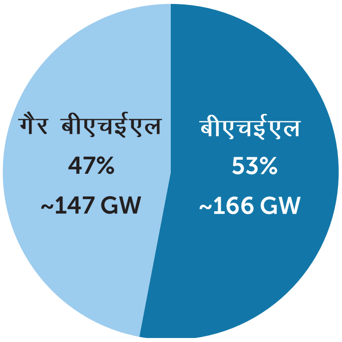


***थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो सम्मिलित हैं; सौर, पवन और जैव–ऊर्जा सम्मिलित नहीं है; स्थापना के समय क्षमता के आधार पर***

## नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम)

वर्ष के दौरान, बीएचईएल ने ईएसपी, डी–एनओएक्स सिस्टम (दहन संशोधन), सीएंडआई पैकेज, बीटीजी आरएंडएम, बॉयलर डक्ट रिप्लेसमेंट और फ्लेक्सिबिलाइजेशन समाधान के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न परियोजनाओं का नवीकरण और आधुनिकीकरण पूरा किया।

**उत्पादन – यूटीलिटी (कोयला एवं लिग्नाइट)**

1,182.05 बीयू (FY 2022–23)

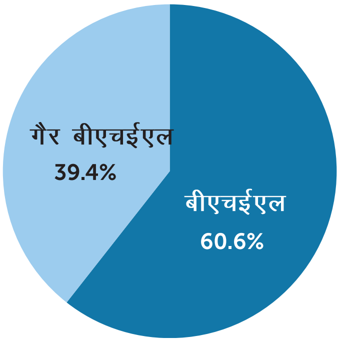

*बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेटों से सुसज्जित कोरबा–3 एसटीपीएस (200 मेगावाट) ने 97.7% का पीएलएफ और 98.2% का ओए हासिल किया*

## उत्कृष्टता का सम्मान एवं पुरस्कार

समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने, उपकरण प्रदर्शन में सुधार और बिक्री के बाद सेवा (एसएएस) समर्थन के माध्यम से ग्राहकों को उच्च मूल्य प्रदान करने के बीएचईएल के प्रयासों की विभिन्न ग्राहकों और अन्य एजेंसियों द्वारा सराहना की गई है:

| ग्राहक | बीएचईएल के लिए सराहना |
|---|---|
| एनटीपीसी और उसके संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां | • टीम के प्रत्येक सदस्य को निर्धारित समय के भीतर एनएसटीपीएस की यूनिट–1 के बॉयलर संशोधन कार्यों के लिए सराहना मिली।<br>• एनपीजीसी (मेगावाट) के यूनिट–3 बॉयलर और ईएसपी का सफल परीक्षण संचालन और सीओडी<br>• बोंगाईगांव की यूनिट–2 की ओवरहालिंग।<br>• दर्लिपल्ली 2X800 मेगावाट के रखरखाव कार्यों को शीघ्र पूरा करना<br>• कहलगांव एफजीडी और ईएसपी आरएंडएम की यूनिट–2 के शट डाउन कार्य (सर्विस ट्रांसफार्मर और संबंधित बस डक्ट को हटाना और खड़ा करना) का समापन |
| टेंजेडको | • उडानगुड़ी साइट 2X660 मेगावाट पर शून्य रिसाव के साथ बॉयलर हाइड्रोटेस्ट का सफल समापन<br>• उत्तरी चेन्नई चरण–III 1X800 मेगावाट में बिना किसी रिसाव के पाइप लाइनों के साथ नॉन ड्रेनेबल हाइड्रो परीक्षण और आरएच हाइड्रो परीक्षण का सफलतापूर्वक समापन<br>• उत्तरी चेन्नई चरण–II 2x600 मेगावाट की यूनिट–2 के नियंत्रण वाल्व सर्वो मोटर (आरएचएस) में दोषों का सुधार |
| महाजेनको | एचपीटी मॉड्यूल की पूर्ण ओवरहालिंग और चंद्रपुर की यूनिट–7 का वार्षिक ओवरहाल कार्य |

| ग्राहक | बीएचईएल के लिए सराहना |
|---|---|
| सीएसपीजीसीएल | यू#1 डीएसपीएम कोरबा साइट में सीओएच कार्य किया गया |
| डबल्यूबीपीडी सीएल | बक्रेश्वर, संतालडीह और सागरदिघी की सबक्रिटिकल इकाइयों में रिकॉर्ड प्लांट लोड फैक्टर। |
| एनपीसीआईएल | • 52वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस–2023 के अवसर पर प्रतिष्ठित ग्राहक द्वारा प्रोजेक्ट सेफ्टी रनर–अप शील्ड जीतना<br>• काकरापारा साइट के टीजी पाइपिंग के खड़े पाइपों के पुनर्निर्माण के लिए प्रयास और समय की बचत के साथ सफल यांत्रिक परीक्षण |
| यूपीआरवीयू एनएल | • ओबरा साइट की यूनिट–11 के जेनरेटर की पूर्ण ओवरहालिंग<br>• पारीछा टीपीएस की यूनिट–6 के साथ–साथ अनपरा टीपीएस की यूनिट–3 में भी सर्विसेज वर्क |
| डीवीसी | डीवीसी एमटीपीएस के यूनिट–6 का कंबशन संशोधन (डी–नॉक्स)। |
| एनएलसीआईएल | यूनिट–1 नेवेली साइट का सफल पुनःस्थापन |
| अडानी पावर | आरईजीएल, रायगढ़ (1x600 मेगावाट) में लचीले परिचालन का कार्यान्वयन। |

## भविष्य का दृष्टिकोण

आने वाले वर्षों में अपेक्षित आर्थिक विकास, घरेलू खपत को बढ़ाने वाले 1.4 बिलियन लोगों की आकांक्षाओं के साथ–साथ विनिर्माण विकास के लिए सरकार के दबाव से निकट भविष्य में ऊर्जा की मांग बढ़ने की उम्मीद है। यह ऊर्जा सुरक्षा और सामर्थ्य की आवश्यकता के साथ मिलकर निकट भविष्य में थर्मल आधारित विद्युत को बढ़ावा देगा । आपकी कंपनी ईपीसी क्षमताओं को बढ़ाने, उत्सर्जन कटौती समाधान (एफजीडी, एससीआर सिस्टम के साथ–साथ एयूएससी प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्र) की पेशकश जैसे क्षेत्रों में प्रयासों के माध्यम से इसे भुनाने के लिए काम कर रही है। बीएचईएल और गैर–बीएचईएल सेटों के आरएंडएम के लिए अनुकूलित समाधान सहित स्पेयर और सेवा व्यवसाय को बढ़ाना, और कोयले से लेकर रसायनों और कार्बन कैप्चर और इसके उपयोग और पृथक्करण प्रौद्योगिकियों जैसे आगामी क्षेत्रों के लिए योग्यता निर्माण भी कंपनी के लिए फोकस क्षेत्र हैं।

बीएचईएल ने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक स्पेयर्स आपूर्ति और सेवा समझौतों के माध्यम से स्पेयर्स और सेवा व्यवसाय में वृद्धि के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, साथ ही स्पेयर्स की तीव्र आपूर्ति के लिए अग्रिम खरीद और विनिर्माण कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उतार–चढ़ाव और डी–एनओएक्स (एससीआर) प्रणालियों के घरेलू निर्माण के कारण स्थिरता के मामलों सहित ग्रिड से निपटने के लिए बीएचईएल और गैर–बीएचईएल सेटों के लिए लचीलेपन समाधान की पेशकश की है। बीएचईएल ने लचीले परिचालन के कार्यान्वयन के लिए अपना पहला वाणिज्यिक ऑर्डर पहले ही सफलतापूर्वक निष्पादित कर लिया है और उसे इसके लिए और भी ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, बीएचईएल अपने मौजूदा सेटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डेवलपर्स को विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार में अपना अनुभव प्रदान कर रहा है।

बीएचईएल, एनटीपीसी और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) तकनीक में पुराने और उच्च प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले सेटों को उच्चतम दक्षता और सबसे कम उत्सर्जन वाले थर्मल पावर प्लांटों से बदलने की क्षमता है। इससे माननीय प्रधान मंत्री के पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के देश के प्रयासों में और मदद मिलेगी।

चूंकि, बड़े रेटिंग सेट आंशिक/कम/लचीले भार पर अपेक्षाकृत अक्षम हो जाते हैं, इसलिए 50 गीगावॉट से अधिक के पुराने थर्मल पावर प्लांट (थर्मल पावर प्लांट जो 2030 तक 30 साल से अधिक पुराने हो जाएंगे) को बंद कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर कम रेटिंग वाले सुपरक्रिटिकल सेट लगाए जाएंगे। विशेष रूप से 110/120/200 मेगावाट/210 मेगावाट/250 मेगावाट सेट की रेंज के लिए अनिवार्य है जो 30 वर्षों का अपना आर्थिक जीवन पूरा कर रहे हैं। भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, भविष्य में इन कम रेटिंग वाले सुपरक्रिटिकल सेटों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के लिए उपयोगिताओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, इस सेगमेंट में विभिन्न घटकों को स्वदेशी बनाने के आपकी कंपनी के प्रयासों से इस क्षेत्र में आगामी अवसरों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है। आपकी कंपनी का लक्ष्य संयंत्र दक्षता में सुधार के लिए अपनी इंजीनियरिंग सेवाओं की पेशकश के साथ–साथ बायोमास सह–फायरिंग के समाधान सहित अन्य उपायों के माध्यम से ग्रीन–हाउस उत्सर्जन को कम करने में देश को और अधिक समर्थन देना है।

भारत में लगभग 300 बिलियन टन कोयले का भंडार है और इस तथ्य को देखते हुए कि उच्च राख वाले कोयले के लिए श्रृंखला प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं हैं, भारतीय उच्च राख वाले कोयले के गैसीकरण के लिए बीएचईएल द्वारा स्वदेशी तकनीक का विकास एक बड़ा कदम है, और उम्मीद है कि इससे उत्पन्न होंगी कोयले को रसायन में बदलने की प्रमुख व्यावसायिक संभावनाएँ। इस तकनीक का उपयोग "एकीकृत कोयला गैसीकरण कंबाइंड साइकिल" तकनीक के माध्यम से हरित विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। आपकी कंपनी इन क्षेत्रों में अवसरों को समयबद्ध और केंद्रित तरीके से भुनाने के लिए काम कर रही है।

आगामी दशकों में बेस लोड़ को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपकी कंपनी परमाणु स्टीम टरबाइन और जनरेटर के

लिए एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता बनी हुई है और साथ ही देश के तीन चरण के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। वित्त वर्ष 2021–22 में प्राप्त कुल 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर से टर्बाइन आइलैंड ईपीसी पैकेजों के फ्लीट मोड ऑर्डरिंग के लिए अगले दौर की बोली के दौरान बीएचईएल को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की आशा है। आपकी कंपनी कुडनकुलम 2x1000 मेगावाट यूनिट 3 और 4 में भी काम निष्पादित कर रही है, जिसे रूसी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है और इस क्षेत्र में अपनी प्रस्तावों को स्वदेशी बनाने और बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम कर रही है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों को मध्यम–दीर्घकालिक क्षितिज में लागू किए जाने की उम्मीद है और आपकी कंपनी इस दिशा में काम कर रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता के कारण अधिकतम ऊर्जा आवश्यकताओं के प्रबंधन में जल विद्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस क्षेत्र में पांच दशकों से अधिक के अनुभव के साथ बीएचईएल, 400 मेगावाट तक के हाइड्रो टर्बाइन और जनरेटर के विभिन्न प्रकार और आकार के अनुकूलित समाधान प्रदान करता है। कंपनी ने कुशल रनर प्रोफ़ाइल विकसित की है और हाइड्रो टर्बाइनों का वजन कम किया है, जो इस क्षेत्र में हाल की सफलताओं में परिलक्षित होता है। इन–हाउस हाइड्रो प्रोफाइल विकसित करने के लिए अपनी स्वयं की एनएबीएल मान्यता प्राप्त हाइड्रो लैब के साथ, बीएचईएल ग्रीन फील्ड हाइड्रो परियोजनाओं के लिए ई एंड एम पैकेज में निर्विवाद बाजार नेता है और पुराने हाइड्रो सेट के आर एंड एम के लिए अग्रणी संगठन है। आपकी कंपनी टरबाइन प्रोफाइल (बीएचईएल के साथ–साथ गैर–बीएचईएल निर्माताओं के लिए) के कुशल उन्नयन, उनके जीवनकाल और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए जलविद्युत उत्पादकों की आदर्श भागीदार है। बीएचईएल लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) परियोजनाओं में आवश्यक बड़े आकार के पंप–मोटर्स में अग्रणी प्लेयर है।

*बीएचईएल द्वारा डिजाइन और विनिर्मित दुनिया के सबसे बड़े सिंगल–स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप–मोटर सेटों में से एक – कालेश्वरम एलआईएस, तेलंगाना*

# बीएचईएल

## द्वारा इलेक्ट्रिक यूटिलिटी संस्थापना

31.03.2023 तक चालू

### बीएचईएल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी संस्थापित आधार
(कोयला, गैस, परमाणु, डीजल और हाइड्रो परियोजनाएं)

| प्रकार | सेट | मेगावाट |
|---|---|---|
| कोयला | 463 | 133590 |
| गैस और सीसीपी | 103 | 7659 |
| डीजल | 23 | 199 |
| परमाणु | 12 | 3340 |
| हाइड्रो | 424 | 21417 |
| **कुल** | **1025** | **166205** |

### भारत में मेगावाट पैमाना सौर संस्थापना

| परियोजनाएं | मेगावाट |
|---|---|
| 60 | 1085 |

# एयर कूल्ड कंडेनसर
# के साथ संधारणीयता प्राप्त करते हुए

बीएचईएल ने वाटर कूल्ड कंडेनसर (डब्ल्यूसीसी) के बजाय एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) से सुसज्जित देश के पहले यूटिलिटी–स्केल थर्मल पावर प्लांट को कमीशन करके संधारणीयता में एक और माइलस्टोन हासिल किया है। डब्ल्यूसीसी की तुलना में एसीसी पानी की खपत को लगभग 63% तक कम कर देगा। उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण के साथ–साथ, यह थर्मल पावर प्लांटों के सतत परिचालन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बीएचईएल ने झारखंड में 3x660 मेगावाट उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट में एसीसी से सुसज्जित 660 मेगावाट की पहली इकाई चालू की है। एसीसी वाले इस संयंत्र के तीनों इकाइयों के काम करने पर सालाना 30,500 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी। यह बचत लगभग 15 लाख लोगों की वार्षिक आवश्यकता के बराबर है।

# उद्योग क्षेत्र

## व्यावसायिक खंडों की रूपरेखा एवं निष्पादन

### 1.7.2 उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है। उद्योग क्षेत्र, जिसमें बाजार–केंद्रित समूह शामिल हैं, परिवहन, रक्षा और एयरोस्पेस, ट्रांसमिशन, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल एवं गैस, कैप्टिव पावर प्लांट, औद्योगिक उत्पाद, बैटरी ऊर्जा भंडारण और ई–मोबिलिटी के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान उद्योग क्षेत्र को चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल में 9,537 करोड़ (करों को छोड़कर) मूल्य के ऑर्डर मिले। यह पिछले 13 वर्षों में उद्योग क्षेत्र द्वारा की गई सबसे अधिक ऑर्डर बुकिंग है और वर्ष के दौरान वार्षिक ऑर्डर बुकिंग का यह 40% है। इसके अलावा, अप्रैल 2023 में बीएचईएल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा ''वंदे भारत'' ट्रेनसेट के 80 सेटों के निर्माण और रखरखाव का ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया है, जिसका मूल्य करों को छोड़कर 23,000 करोड़ रुपये से अधिक है (इसमें बीएचईएल का हिस्सा लगभग 13,500 करोड़ रुपये है)।

*माननीय केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे बीएचईएल निर्मित एसआरजीएम से सुसज्जित भारतीय नौसैनिक पोत, आईएनएस चेन्नई का निरीक्षण करते हुए*

#### 1.7.2.1 परिवहन

रेल परिवहन क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते, बीएचईएल ने पिछले छः दशकों से भारत के रेल परिवहन क्षेत्र की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नवीन समाधान और "मेड इन इंडिया" सिस्टम एवं उपकरण की पेशकश करके भारतीय रेलवे की रोलिंग स्टॉक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

भारत सरकार ने देश की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बेहतर सुरक्षा, बेहतर उत्पादकता और दक्षता सुनिश्चित करने और इस तरह उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने के लिए भारत के रेल परिवहन में आधुनिकीकरण और पीढ़ीगत बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर विचार किया है। इस प्रयास के एक अंग के रूप में, भारतीय रेलवे अगले 10 वर्षों में एमईएमयू, ईएमयू और हाई स्पीड/सेमी–हाई स्पीड ट्रेनसेट, पारंपरिक और हाई पावर लोको और सिग्नलिंग सिस्टम के क्षेत्र में प्रमुख आवश्यकताओं को पेश कर रहा है। शहरी गतिशीलता क्षेत्र में, राज्य दो मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में बड़े पैमाने पर तीव्र पारगमन परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और छोटे शहरों के लिए हल्की रेल/मोनोरेल समाधान तलाशे जा रहे हैं। लगभग 50 शहरों में मेट्रो/मेट्रोलाइट घोषणाओं के साथ, इन सभी से आने वाले वर्षों में रेल परिवहन क्षेत्र में कई अवसर मिलने की आशा है।

बीएचईएल इसे भविष्य के प्रमुख व्यवसाय खंड के रूप में देखता है और आधुनिक रेल परिवहन प्रणाली की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकियों, विनिर्माण के साथ–साथ सेवा नेटवर्क और प्रक्रियाओं को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

प्रस्तावों की वर्तमान सूची

- **रोलिंग स्टॉक**
  - 9000 एचपी तक के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
  - 3000 एचपी तक के डीजल–इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
  - सेमी हाई स्पीड (''वंदे भारत'') ट्रेनसेट
  - ट्रैक मशीनें
- **ट्रैक्शन मशीनें**
  - ट्रैक्शन मोटर्स
  - ट्रैक्शन अल्टरनेटर
- **ट्रैक्शन ड्राइव प्रणाली और नियंत्रण**
  - इंसुलेटेड–गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर (आईजीबीटी) आधारित ट्रैक्शन और सहायक कनवर्टर
  - ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली और वाहन नियंत्रण इकाई
  - होटल लोड कनवर्टर और कम्पोजिट कनवर्टर
  - पारंपरिक रोलिंग स्टॉक के लिए नियंत्रण गियर उपकरण
  - पारंपरिक रोलिंग स्टॉक के लिए पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली
- **ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर**
  - इलेक्ट्रिक लोको ट्रांसफार्मर
  - ईएमयू/ट्रेनसेट ट्रांसफार्मर

**वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ:**

- विविधीकरण प्रयासों को एक व्यापक बढ़ावा देते हुए, बीएचईएल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने भारतीय रेलवे की ओर से 80 ''वंदे भारत'' ट्रेनसेटों की आपूर्ति और रखरखाव के लिए ऑर्डर प्राप्त किया। इन ट्रेनों का निर्माण कंसोर्टियम द्वारा आईसीएफ, चेन्नई में किया जाना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्विंदियों के संघ से कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए बीएचईएल ने यह सफलता हासिल की है। नतीजतन, अप्रैल 2023 में, बीएचईएल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने 23,000 करोड़ (करों को छोड़कर) का यह ऑर्डर हासिल किया।
- कोलकाता मेट्रो (15 वर्षों के बाद मेट्रो खंड में पुनः प्रवेश) के लिए आईसीएफ, चेन्नई से 3–चरण मेट्रो प्रणोदन के लिए पहला ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- जेएसडब्ल्यू विजयनगर मेटालिक्स वर्क्स से ड्यूल ड्राइवर केबिन के साथ 700 एचपी के 6 डीजल इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव के लिए पहला ऑर्डर प्राप्त हुआ। ड्यूल कैब लोको तीव्रता से परिचालन और बेहतर दृश्यता जैसे लाभों के साथ संयंत्र परिचालन को आसान बनाता है जिससे समग्र प्रक्रिया चक्र का समय कम हो जाता है और

*बीएचईएल द्वारा भारतीय रेलवे को आपूर्ति किया गया WAG-9H इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव*

इस प्रकार दक्षता और उपलब्धता में सुधार होता है।

- भारतीय रेलवे से 6000 एचपी के 22 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- भारतीय रेलवे के 6000 एचपी WAG-9H इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑर्डर में से 75 की आपूर्ति डिलीवरी शेड्यूल से पहले पूरी हो गई।
- बीएचईएल के 3–फेज प्रोपल्शन इलेक्ट्रिक्स से सुसज्जित 15 एमईएमयू/ईएमयू आरसीएफ कपूरथला/आईसीएफ चेन्नई से शुरू किए गए।
- एनटीपीसी लारा साइट पर सामग्री प्रबंधन परिचालन के लिए एनटीपीसी से प्राप्त ऑर्डर के तहत 6 डब्ल्यूएजी–9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की आपूर्ति पूरी हो गई।
- इलेक्ट्रिक लोको शेड, झाँसी को पहली बार WAG–7 रीजेनरेटिव लोकोमोटिव की आपूर्ति की गई।

### भविष्य का दृष्टिकोण

भारतीय रेलवे ने क्षमता निर्माण और माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) शुरू की है। माल ढुलाई के लिए हाई हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन और यात्री यातायात के लिए सेमी हाई स्पीड "वंदे भारत" ट्रेनसेट के रूप में नए युग के रोलिंग स्टॉक को भारतीय रेल द्वारा पेश किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने "वंदे भारत" ट्रेनसेट मॉडल को शहरी गतिशीलता खंड में "वंदे मेट्रो" के रूप में विस्तारित करने की भी योजना बनाई है।

अपने डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण अनुभव, प्रौद्योगिकी क्षमता और अखिल भारतीय उपस्थिति का लाभ उठाते हुए, बीएचईएल सभी प्रकार के रोलिंग स्टॉक के लिए उन्नत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक प्रणाली के डिजाइन और निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता विकसित करने और इन–हाउस क्षमता को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। आपकी कंपनी आगामी व्यवसायों, विशेष रूप से उच्च एचपी लोकोमोटिव, बैटरी/हाइड्रोजन ईंधन चालित लोकोमोटिव, हाई स्पीड रेल और सिग्नलिंग (टीसीएएस), मेट्रो/मेट्रोलाइट, और पुश–पुल लोकोमोटिव के लिए ओईएम/सहयोगियों के साथ भी काम कर रही है।

कंपनी का लक्ष्य "वंदे भारत" परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना है जो देश में प्रमुख रोलिंग स्टॉक प्लेयर्स में से एक के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करेगा। बीएचईएल, अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रगति और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के साथ, भारतीय रेल परिवहन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतया तत्पर है।

### 1.7.2.2 पारेषण

चूंकि भारत का पावर ग्रिड हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, जिसकी 2030 तक विद्युत मिश्रण में 50% हिस्सेदारी होने की उम्मीद है, देश में पारेषण प्रणाली में पर्याप्त निवेश होने की संभावना है। जब ग्रिड सौर और पवन ऊर्जा द्वारा परिवर्तनीय उत्पादन को संभालता है तो एक विश्वसनीय पारेषण नेटवर्क के निर्माण से जुड़ी जटिलता कई गुना बढ़ जाती है। "2030 तक 500 गीगावॉट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए 'पारेषण प्रणाली'" की विस्तृत योजना का हालिया अनावरण दूर–दराज के

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लोड केंद्रों तक विद्युत की निकासी के लिए आवश्यक पारेषण बुनियादी ढांचे को बनाने के भारत सरकार के इरादे की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है।

वर्तमान पारेषण नेटवर्क के उन्नयन और नए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) प्रणाली और संबंधित लाइनों को जोड़ने की तत्काल आवश्यकता है। गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) परियोजनाओं में अनुकूलित भू–आवश्यकताओं और न्यूनीकृत ओएंडएम व्यय के कारण मजबूत मांग जारी रहेगी। इसके अलावा, कई एचवीडीसी परियोजनाएं दूर–दराज के उत्पादन केंद्रों से विद्युत निकासी की योजना के विभिन्न चरणों में हैं।

तीव्रता से बदलते व्यापार परिदृश्य और बढ़ती मांग के दृष्टिकोण सहित, बीएचईएल की सभी क्षेत्रो से उपस्थिति है और यह पावर यूटिलिटीज की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों और प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। बीएचईएल ईएचवी जीआईएस सबस्टेशन, डिजिटल सबस्टेशन, एचवीडीसी परियोजनाओं आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने के लिए तत्पर है।

हमारी सेवाओं की वर्तमान श्रृंखला

- ईपीसी आधार पर 765 केवी तक अतिरिक्त हाई वोल्टेज सबस्टेशन (एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (एआईएस) और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) दोनों) और +/– 800 केवी तक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) कनवर्टर स्टेशन सहित **टर्नकी पारेषण समाधान।**
- **1200 केवी तक पावर ट्रांसफार्मर और 765 केवी तक शंट रिएक्टर,** 1200 केवी तक कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी), 400 केवी तक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर (सीटी, पीटी), ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, वैक्यूम स्विचगियर, कैपेसिटर बैंक, नियंत्रण और सुरक्षा उपकरण, 800 केवी तक एचवीडीसी कनवर्टर ट्रांसफार्मर, थाइरिस्टर वाल्व, आदि।
- **420 केवी तक गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस)।**
- **765 केवी तक के अनुप्रयोग के लिए कम्पोजिट इंसुलेटर।**
- **लचीली एसी पारेषण प्रणाली (FACTS) समाधान:** 400 केवी लाइनों के लिए तय श्रेणी क्षतिपूर्ति, 400 केवी अनुप्रयोगों तक विद्युत प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए नियंत्रित शंट रिएक्टर (सीएसआर) और फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर (पीएसटी)।

*बीएचईएल द्वारा पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड (पुगलूर, तमिलनाडु के बीच सफलतापूर्वक क्रियान्वित 800 kV, 6,000 डॅ अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (यूएचवीडीसी) लिंक का डीसी हॉल*

## वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- सबस्टेशन पैकेज के लिए ऑर्डर – मंदसौर और चितौड़गढ़ में 400/220 केवी सबस्टेशन।
- 400 केवी जीआईएस सबस्टेशन, 400/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन और 400 केवी एआईएस बे एक्सटेंशन के लिए ऑर्डर
- 500 एमवीए, 765/400 केवी ट्रांसफार्मर के लिए 55 ऑर्डर
- इसके अतिरिक्त, केंद्रीय/राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज से 400 केवी और 220 केवी ट्रांसफार्मर के लिए, 7706 एमवीए के् कुल 51 विभिन्न अन्य ऑर्डर प्राप्त हुए।

*बीएचईएल द्वारा रायचूर, कर्नाटक में कमीशन किया गया 765/400 केवी सबस्टेशन*

वार्षिक समीक्षा
कॉर्पोरेट प्रोफाइल
निदेशक मण्डल रिपोर्ट
वित्तीय विवरण
अतिरिक्त जानकारी
सूचना

- बीएचईएल उपकरण ने पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड (पुगलुर, तमिलनाडु) के बीच ±800 केवी, 6,000 मेगावाट अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (यूएचवीडीसी) लिंक पर 6,000 मेगावाट का रिकॉर्ड पावर पारेषण सक्षम किया।

### भविष्य का दृष्टिकोण

सरकार के विद्युत उत्पादन लक्ष्यों के कारण विद्युत पारेषण खंड में उल्लेखनीय वृद्धि देखने की उम्मीद है। भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत जोड़ेगा। विद्युत उत्पादन की वृद्धि के साथ विद्युत निकासी और पारेषण नेटवर्क (एचवीएसी और एचवीडीसी) की आवश्यकता पर अधिक ध्यान देने के साथ, कुल 2.17 लाख एमवीए सबस्टेशन क्षमता होने की उम्मीद है। अतिरिक्त पवन और सौर क्षमता के एकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2026–27 तक और 2030 तक कुल 4.33 लाख एमवीए जोड़ा जाएगा। बीएचईएल के पास भारत के पारेषण परिदृश्य में एक सुदृढ़ फुटप्रिंट है, जिसमें परियोजनाओं के साथ–साथ उत्पादों, दोनों में क्षमताएं हैं, और उभरते अवसरों को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

### 1.7.2.3 रक्षा और एयरोस्पेस

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ''आत्मनिर्भर भारत अभियान'' के तहत "मेक इन इंडिया" पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रक्षा व्यय और निवेश बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि भारत अपने सैन्य आधुनिकीकरण और उन्नयन में तेजी ला रहा है, खासकर वर्तमान भू–राजनीतिक विकास को देखते हुए। रक्षा मंत्रालय ने समयबद्ध तरीके से घरेलू उद्योग द्वारा आयातित रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए सकारात्मक सूची जारी की है। यह घरेलू उद्योग की क्षमताओं पर सरकार के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

विगत कुछ वर्षों में, बीएचईएल ने डिजाइन, इंजीनियरिंग, सटीक विनिर्माण, भारी फोर्जिंग, विशेष प्रयोजन वेल्डिंग और उन्नत सीएनसी मशीनिंग गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए अपनी सुविधाओं को उन्नत और संवर्धित किया है, जिनका उपयोग रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश जटिल, विशेष प्रयोजन मशीनें और उपकरण देश में अपनी तरह के अद्वितीय हैं और दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम मशीनों के बराबर हैं। बीएचईएल ने फर्मों और उसके गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एएफक्यूएमएस), एएस9100डी और सीईएमआईएलएसी, डीजीक्यूए योजना के तहत पुर्जों का स्व–प्रमाणन आदि जैसे प्रमाणपत्र भी हासिल किए हैं, जो प्रस्तावित वस्तुओं और सेवाओं के उच्चतम गुणवत्ता मानकों को प्रदर्शित करते हैं।

बीएचईएल रणनीतिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अत्याधुनिक सिस्टम डिजाइन और एकीकरण, संरचनात्मक डिजाइन, परिमित तत्व जैसे इंजीनियरिंग विश्लेषण, कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, 3 डी मॉडलिंग, शॉक और कंपन अध्ययन क्षमताओं की पेशकश भी करता है।

कंपनी रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन क्षमताओं का लाभ उठा रही है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अच्छी स्थिति में है।

### प्रस्तावों और क्षमताओं की वर्तमान सूची

- सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) / अपग्रेडेड एसआरजीएम, जिसमें लाइफ टाइम उत्पाद समर्थन भी शामिल है
- आईपीएमएस (एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली)
- एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स और पंप मॉड्यूल
- एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए एयर साइकिल आधारित लिक्विड कूलिंग सिस्टम (एलसीएस)।
- उपग्रहों के लिए टाइटेनियम आधारित प्रणोदक टैंक पुर्जों की परिशुद्धता मशीनिंग
- अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए टाइटेनियम शेल/डोम की हॉट फॉर्मिंग उपग्रहों के लिए स्पेस ग्रेड सौर पैनल और बैटरियाँ
- स्थायी चुंबक आधारित मोटर, जेनरेटर और फ्रीक्वेंसी कनवर्टर
- स्थैतिक द्वि–दिशात्मक कन्वर्टर्स

*बीएचईएल के हरिद्वार संयंत्र में विनिर्मित किया जा रहा सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम)*

- रोटरी फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स
- रोटरी मुख्य मोटर जेनरेटर
- टर्बो अल्टरनेटर और टर्बो अल्टरनेटर टर्बाइन
- रक्षा अनुप्रयोगों के लिए टर्बाइन, कंडेनसर, हीट एक्सचेंजर्स और वाल्व
- हीट एक्सचेंजर्स, नियंत्रण प्रणाली, टर्बाइन, स्थायी चुंबक मोटर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स, टर्बो अल्टरनेटर, डीजल अल्टरनेटर, कंडेनसर, ड्राइव टर्बाइन के साथ पंप आदि रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजाइन क्षमताएं।

### वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक ऑर्डर बुकिंग हासिल की गई। प्रमुख ऑर्डरों में भारतीय नौसेना के लिए उन्नत एसआरजीएम और एसआरजीएम के लिए स्पेयर, वाटर फ्रंट सपोर्ट, आईपीएमएस और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के लिए स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) के लिए स्पेयर शामिल हैं।
- युद्धक विमानों के लिए ली–आयन बैटरी के डिजाइन और विकास के लिए पहला ऑर्डर प्राप्त हुआ। इस ऑर्डर के साथ, बीएचईएल अगली पीढ़ी के विमानों के लिए ली–आयन बैटरी का एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता होगा।
- बीएचईएल ने एयरोस्प अनुप्रयोगों के लिए एयर साइकिल आधारित लिक्विड कूलिंग सिस्टम (एलसीएस) को सफलतापूर्वक डिजाइन, विकसित और आपूर्ति किया है।
- पहले स्वदेशी रोटरी मेन मोटर जेनरेटर (आरएमएमजी) को सफलतापूर्वक डिजाइन, निर्मित और वितरित किया गया।
- बीएचईएल ने एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए एयर साइकिल आधारित लिक्विड कूलिंग सिस्टम (एलसीएस) को सफलतापूर्वक डिजाइन, विकसित और आपूर्ति किया है।

### भविष्य का परिप्रेक्ष्य

बीएचईएल के पास देश की रक्षा बलों का समर्थन करने का पांच दशक का ट्रैक रिकॉर्ड है जो 1970 के दशक में लिएंडर श्रेणी फ्रिगेट्स के लिए मुख्य टर्बाइनों के स्वदेशीकरण के साथ शुरू हुआ था। तब से, बीएचईएल द्वारा रक्षा अनुप्रयोगों के लिए विशेष उपकरणों और हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति और योगदान दिया गया है, जिसमें युद्धपोतों के लिए एसआरजीएम, रणनीतिक कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, लड़ाकू विमानों के लिए हीट एक्सचेंजर्स शामिल हैं। आईएनएस विक्रांत सहित नौसेना के युद्धपोतों के लिए एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली – स्वदेशी विमान वाहक, मिसाइल लॉन्चर, एयरोस्पेस एप्लिकेशन के लिए पंप मॉड्यूल, गन कंट्रोल सिस्टम, एंटीना कंट्रोल सिस्टम, आदि।

कंपनी अब उन्नत अत्याधुनिक एसआरजीएम की पेशकश कर रही है और भारतीय नौसेना की आवश्यकता के अनुरूप अपनी क्षमताओं में भी वृद्धि कर रही है। बीएचईएल के पास स्थायी चुंबक मोटर प्रौद्योगिकी में सिद्ध विशेषज्ञता है और यह जहाज और युद्धपोतों के लिए प्रणोदन प्रणाली के स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीएचईएल भारतीय नौसेना को विभिन्न उपकरणों के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार सेवाओं में समाधान भी प्रदान कर रहा है। बीएचईएल दुनिया की कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक है, जिसके पास सैन्य विमानों/हेलीकॉप्टरों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स और पंप मॉड्यूल डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है और वर्तमान में यह विभिन्न प्रकार के कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स और पंप मॉड्यूल विकसित कर रहा है। कंपनी सीएएसडीआईसी, एचएएल, इसरो, एडीए, आदि जैसे ग्राहकों के साथ विभिन्न प्रकार के उपकरणों और सेवाओं के लिए घनिष्ठ समन्वय में भी काम कर रही है। बीएचईएल एयरोस्पेस क्षेत्र में व्यवसाय बढ़ाने के लिए इसरो और उसके केंद्रों के साथ मिलकर काम कर रही है और प्रक्षेपण यानों, उपग्रहों/पेलोड आदि में उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, बीएचईएल अपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रक्षा आवश्यकताओं के स्वदेशीकरण में व्यापक भूमिका निभाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

### 1.7.2.4 कैप्टिव पावर एवं प्रोसेस प्लांट

बीएचईएल चार दशकों से अधिक समय से इस व्यवसाय को सेवा दे रहा है, और भारत में अधिकांश धातु और खनन उद्योग, प्रक्रिया उद्योग और पेट्रो–रसायन उद्योग कैप्टिव विद्युत उत्पादन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत में, ये ऊर्जा गहन उद्योग विश्वसनीय विद्युत के लिए कैप्टिव पावर प्लांट और विद्युत उत्पादन और प्रक्रिया भाप आवश्यकताओं के लिए निकास गैसों के उपयोग पर निर्भर रहे हैं। वर्तमान भू–राजनीतिक परिदृश्य के कारण यूरोपीय देशों के लिए ऊर्जा लागत में भारी वृद्धि हुई है, जिससे विनिर्माण महंगा हो गया है। इस परिदृश्य से स्टील और एल्युमीनियम जैसी अत्यधिक ऊर्जा गहन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले भारतीय उद्योग के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए, बीएचईएल के इन–हाउस निर्मित कैप्टिव पावर जेनरेटिंग उपकरण का विस्तृत पोर्टफोलियो है। बॉयलर, स्टीम टर्बाइन और गैस टर्बाइन की मांग जारी रहने की उम्मीद है।

तेल और गैस खंड के संबंध में, बीएचईएल एकमात्र भारतीय ओईएम है जिसके देश में 230 गैस टर्बाइन सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। भारतीय रिफाइनरियों की योजनाबद्ध क्षमता विस्तार से गैस टर्बाइनों की और मांग बढ़ेगी। पारादीप, ओडिशा में चल रहे सल्फर रिकवरी यूनिट पैकेज के निष्पादन के साथ, बीएचईएल डाउनस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र के लिए प्रक्रिया पैकेज और समाधान पेश करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

### प्रस्तावों की वर्तमान सूची

- स्टैंडअलोन स्टीम टर्बाइन जेनरेटर (एसटीजी) सेट
- बॉयलर टर्बाइन जेनरेटर (बीटीजी) पैकेज, पल्वराईज्ड फ़्यूल (पीएफ), सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी), वायुमंडलीय फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (एएफबीसी), यूटिलिटी बॉयलर (यूबी) / गैस फायर्ड बॉयलर
- गैस टरबाइन आधारित ओपन, सह–उत्पादन और संयुक्त चक्र कैप्टिव पावर प्लांट
- डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर (डीएसओजी) के प्रोसेस पैकेज और उपकरण

### वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- विद्यमान और नए ग्राहकों से सात (07) एसटीजी (40 मेगावाट से ऊपर) के ऑर्डर प्राप्त हुए
- सीएफबीसी बॉयलर के लिए सुमितोमो एसएचआई एफडब्ल्यू, फिनलैंड के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

### भविष्य का दृष्टिकोण

भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, चीन से स्टील की आपूर्ति बाधित होने और रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण घरेलू स्टील उत्पादकों की ओर से मांग में अचानक वृद्धि हुई है। वर्तमान में, स्टील की घरेलू स्थापित क्षमता लगभग 154 मीट्रिक टन है और 2030 तक 300 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण के अनुरूप, अनुषंगी इस्पात उद्योगों के साथ–साथ एकीकृत इस्पात संयंत्रों

*बीएचईएल ने सीएफबीसी बॉयलर के लिए सुमितोमो एसएचआई एफडब्ल्यू, फिनलैंड के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौता किया*

के विस्तार योजनाओं के साथ आने की संभावना है, जिसके कैप्टिव पावर की मांग में तब्दील होने की संभावना है।

2030 तक भारत की कुल तेल शोधन क्षमता को 450 एमएमटीपीए तक बढ़ाने की भारत सरकार की योजना के अनुरूप, अगले 5–6 वर्षों में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड रिफाइनरी परियोजनाएं आने की उम्मीद है।

बीएचईएल अपने दशकों के अनुभव के साथ–साथ गैर–कोयला क्षेत्रों से विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इन आगामी अवसरों को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

### 1.7.2.5 औद्योगिक उत्पाद (तेल एवं गैस और विद्युत मशीनों सहित)

बीएचईएल पांच दशकों से अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवा दे रहा है और भारत में अधिकांश रिफाइनरियां और पेट्रो–रसायन उद्योग बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए स्थिर और घूमने वाले उपकरणों से सुसज्जित हैं।

भारत में डाउनस्ट्रीम तेल और गैस 2030 तक 249 एमएमटीपीए से 450 एमएमटीपीए तक बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए तैयार है। अगले 4–5 वर्षों में कार्यान्वयन के लिए डाउनस्ट्रीम तेल और गैस खंड में 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा की गई है।

कई रिफाइनर्स और पेट्रोकेम ग्राहकों की विस्तार परियोजनाएं भी पाइपलाइन में हैं।

इन आगामी परियोजनाओं में सेंट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर, फायर्ड हीटर, हीट एक्सचेंजर्स, वाल्व, उच्च टन भार वाले कॉलम और वेसल्स आदि जैसे औद्योगिक उत्पादों के लिए व्यावसायिक अवसर संभावित हैं।

### प्रस्ताव

- ऑयल रिग्स – 9,000 मीटर (3000 एचपी) की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए एसी–वीएफडी (वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव) और एसी–एससीआर (सिलिकॉन–कंट्रोल्ड रेक्टिफायर) तकनीक के साथ विभिन्न प्रकार के ऑन–शोर ड्रिलिंग रिग्स, वर्क–ओवर रिग्स 6,100 मीटर (650 एचपी) की गहराई तक सर्विसिंग।
- वाल्व – 15,000 पीएसआई तक वेल हेड्स और क्रिसमस ट्री, मड लाइन सस्पेंशन सिस्टम, चोक एंड किल मैनिफोल्ड, कोलबेड मीथेन (सीबीएम) वेलहेड्स, डीएसपीएम एच– मैनिफोल्ड असेंबली, मड वाल्व, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व आदि।
- सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर – एपीआई 617 अध्याय– 1 और 2 के अनुसार उर्वरक, रिफाइनरियों, पेट्रो–रसायन, पाइपलाइन, गैस प्रसंस्करण, इस्पात उद्योग आदि में उपयोग के लिए 3,00,000 $m^3$/घंटा तक मल्टी–स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर।
- मैकेनिकल पैकेज – फायर्ड हीटर, कॉलम, रिएक्टर, प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स और पर्ज गैस रिकवरी यूनिट।
- विद्युत मशीनें– एसी स्क्विरेल केज, स्लिप रिंग, सुरक्षित और खतरनाक क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए सिंक्रोनस मोटर्स, वैरिएबल स्पीड मोटर्स, औद्योगिक अल्टरनेटर, विशेष प्रयोजन मशीनें और एलटी वीएफडी।

*बीएचईएल द्वारा विनिर्मित पारंपरिक एक्स–मास ट्री वाल्व*

### वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- 9 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के ऑर्डर प्राप्त हुए, जिसमें आईओसीएल पानीपत से सबसे बड़ा हीट पंप कंप्रेसर ऑर्डर और गेल से सबसे बड़ा वीएफडी फेड मोटर चालित कंप्रेसर शामिल है
- गेल से अधिकतम ताप ड्यूटी (26.88 MMKCal-Hr) फायर्ड हीटर का ऑर्डर
- 2013 में बीएचईएल द्वारा संयंत्र का अधिग्रहण करने के बाद से एचपीवीपी वाइजेग के पुराने उत्पादों के लिए अब तक की सबसे अधिक ऑर्डर बुकिंग हासिल की गई।
- भारत के ''आत्मनिर्भर भारत मिशन'' के अनुरूप, बीएचईएल ने सकर रॉड पंप के तीन मॉडल विकसित करने का दायित्व लिया – एक कृत्रिम तेल इकट्ठा करने वाली लिफ्ट प्रणाली जिसका उपयोग अपस्ट्रीम तेल और गैस कंपनियों द्वारा पुराने कुओं के लिए किया जाता है – जो अब तक आयातित थे। कंपनी ने फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब स्वदेशी रूप से विकसित सकर रॉड पंपों की आपूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम है।

### भविष्य का दृष्टिकोण

तेल और गैस (डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम), स्टील, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पाद और सिस्टम की पेशकश के साथ बीएचईएल के लिए इस व्यवसाय क्षेत्र में भविष्य आशाजनक दिखता है।

बीएचईएल ने भारत सरकार के ''आत्मनिर्भर भारत मिशन'' के तहत वस्तुओं के स्वदेशीकरण के लिए भी कई उपाय किए हैं, जिससे इसकी पेशकश बढ़ाने में मदद मिलेगी। बीएचईएल द्वारा विकसित उत्पादों जैसे सकर रॉड पंप (एसआरपी), 15000 पीएसआई वेलहेड्स, एक्स–मास ट्री वाल्व, 5000 पीएसआई मड पंप और ऑयल रिग अनुप्रयोगों के लिए 1150 एचपी एसी मोटर का बाजार अपस्ट्रीम तेल एवं गैस क्षेत्र में किए गए पूंजीगत व्यय के अनुरूप बढ़ने की संभावना है।

स्टील सेक्टर में, बीएचईएल ने स्टील बनाने के लिए बीओएफ कन्वर्टर्स का निर्माण शुरू कर दिया है और एक्सियल ब्लोअर और टॉप रिकवरी टर्बाइन पेश करने के लिए तैयार है।

### 1.7.2.6 नए व्यापार क्षेत्र और ऊर्जा भंडारण समाधान मोबिलिटी

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने भारत में फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स (एफएएमई) योजना शुरू की। एफएएमई –I योजना की सफलता के बाद, एमएचआई ने एफएएमई–II योजना अधिसूचित की, जिसे अब 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

4W-EV की पैठ बढ़ने की उम्मीद है और इसके लिए आवश्यक रूप से EV चार्जर्स के लिए एक अखिल भारतीय नेटवर्क की आवश्यकता होगी जिसे आपकी कंपनी अपने स्वयं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं के साथ भुनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। FAME-II योजना के तहत MHI राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और एक्सप्रेसवे/राजमार्गों के किनारे के शहरों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत कर रहा है। इसके अलावा बीपीसीएल/एचपीसीएल/आईओसीएल जैसे तेल सार्वजनिक उपक्रमों की अपने बिक्री केंद्रों पर 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। एमएचआई ने FAME-II योजना के तहत 800 करोड़ के कुल अनुदान के साथ तेल पीएसयू (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 7,432 सार्वजनिक फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए हैं।

### प्रस्ताव

- ईवी चार्जर्स (सौर चार्जिंग सुविधा के साथ/बिना) और संबंधित विद्युत प्रणाली की आपूर्ति
- अपस्ट्रीम विद्युत प्रणाली के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए ईपीसी समाधान

### वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- बीपीसीएल से 70 नग 50 किलोवाट ईवी चार्जर की आपूर्ति, आई एंड सी के लिए ऑर्डर। यह पहली बार है जब BHEL निर्मित EV चार्जर की आपूर्ति की जाएगी।
- इन–हाउस विकसित 50 किलोवाट डीसी फास्ट ईवी चार्जर के प्रोटोटाइप को बीपीसीएल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

### भविष्य का दृष्टिकोण

देश के ई–मोबिलिटी मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ, बीएचईएल ने कई घरेलू विकास पहल शुरू की हैं। 122 किलोवाट चार्जर के सफल विकास और प्रमाणन और 50 किलोवाट चार्जर के प्रमाणीकरण के साथ, बीएचईएल सेगमेंट में ईपीसी समाधान पेश करके ईवी चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। साथ ही, ईवी चार्जर की अन्य रेटिंग के विकास और निर्माण की पहल भी की जा रही है।

### बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस)

फरवरी 2023 में केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने 4000 मेगावाट बीईएसएस क्षमता की परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की घोषणा की है। इसके अलावा, ग्रिड अनुप्रयोग के लिए स्टेशनरी स्टोरेज बैटरी सेल (एसएसबीसी) पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी उचित समय पर आने की उम्मीद है।

### प्रस्ताव

- बीईएसएस के लिए संपूर्ण ईपीसी समाधान

### भविष्य का परिप्रेक्ष्य

बीएचईएल ईपीसी मोड में बैटरी एनर्जी स्टोरेज व्यवसाय के अवसरों को सक्रिय रूप से तलाश रहा है।

### चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र

बीएचईएल ने सीएसआईआर प्रौद्योगिकी पर आधारित 16 प्रेशर वैक्यूम स्विंग अब्जॉर्प्शन (पीवीएसए) आधारित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र (500 एलपीएम और 1000 एलपीएम) का निर्माण और आपूर्ति की है। अधिकांश ग्राहक स्वास्थ्य सेवा उद्योग से हैं।

### 1.7.2.7 नवीकरणीय ऊर्जा

भारत का हाल ही में अद्यतन एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का सुझाव देता है। इसमें से अधिकांश सौर क्षमता होने की उम्मीद है।

### प्रस्तावों की वर्तमान सूची

- बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) के साथ या उसके बिना, सौर पीवी पावर संयंत्रों की अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक ईपीसी समाधान

- ग्राउंड माउंटेड, रूफ़ टॉप, कैनाल टॉप और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र
- यूटीलिटी के साथ–साथ रेलवे ट्रैक्शन अनुप्रयोगों के लिए सौर इनवर्टर
- घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर) को पूरा करने वाले लूज मल्टी क्रिस्टलीय सौर पीवी सेल
- मोनो–पीईआरसी सोलर पीवी मॉड्यूल (400 डब्लूपी तक)

## वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- कुल 152 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर संयंत्रों की सफल कमीशनिंग के साथ, बीएचईएल भारत में फ्लोटिंग सोलर सेगमेंट में अग्रणी संगठन के रूप में उभरा है।
- भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने जुलाई 2022 में देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी रामागुंडम, तेलंगाना (100 मेगावाट) और एनटीपीसी कायमकुलम (22 मेगावाट) को राष्ट्र को समर्पित किया।
- बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2022–23 में 95 मेगावाट की सौर क्षमता को चालू और सिंक्रोनाइज़ किया।
- बीएचईएल को रामागुंडम, तेलंगाना में अपने 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया अवाड्र्स के छठे संस्करण में 'लीडिंग ईपीसी – सोलर' श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला।
- बीएचईएल ने बीना, मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की सौर परियोजना डिजाइन और विकसित की। भारतीय रेलवे को 'जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम उपयोग' श्रेणी के तहत यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। यह संयंत्र दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है क्योंकि यह सीधे रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम को सौर ऊर्जा प्रदान करता है।

## भविष्य का दृष्टिकोण

भारत के हाल ही में अद्‌यतन एनडीसी से सौर क्षमताओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। लक्ष्य हासिल करने के लिए, एमएनआरई (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) ने एक रोडमैप जारी किया है जिसमें सरकार ने वित्त वर्ष 2023–24 से वित्त वर्ष 2027–28 तक 5 वर्षों के लिए सालाना 50 गीगावॉट आरई (नवीकरणीय ऊर्जा) क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। 1.2 गीगावॉट के पोर्टफोलियो के साथ घरेलू सौर ऊर्जा बाजार में, सौर पीवी सेल्स (105 मेगावाट/वर्ष) और पीवी मॉड्यूल (226 मेगावाट/वर्ष) की स्वदेशी विनिर्माण सुविधाओं और आयातित सौर पीवी सेल्स पर लगने वाले आधारभूत सीमा शुल्क के चलते बीएचईएल आगामी चुनिंदा अवसरों का लाभ ले रहा है।

इसके अलावा, बीएचईएल फ्लोटिंग सोलर के क्षेत्र में विभिन्न अवसरों को लक्षित करने के लिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में अपने अनुभव और इंजीनियरिंग और निष्पादन शक्ति का उपयोग करने के लिए काम कर रहा है।

*बीएचईएल द्वारा एनटीपीसी, रामागुंडम, तेलंगाना में कमीशन किया गया देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र –100 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र*

# कोयला गैसीकरण की स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से **'आत्मनिर्भरता'**

# कोयला गैसीकरण

कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया ऊर्जा उत्पादन के साथ–साथ उच्च स्तरीय रासायनिक उत्पादन के लिए भी विविध अवसर उपलब्ध कराती है। बीएचईएल 1985 से उच्च–राख वाले भारतीय कोयले का गैसीकरण करने में अग्रणी रहा है। बीएचईएल ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले के गैसीकरण के लिए दुनिया की पहली प्रेशराइज्ड फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन (पीएफबीजी) तकनीक विकसित की है। इसके अतिरिक्त बीएचईएल ने अमोनियम नाइट्रेट वाणिज्यिक पैमाने के संयंत्र के लिए 2,000 टीपीडी कोयले के लिए गैसीफायर की डिजाइन और इंजीनियरिंग का कार्य पूरा किया है।

यह स्वदेशी प्रौद्योगिकी कोयला गैसीकरण के लिए माननीय प्रधान मंत्री के विजन के साथ पूरी तरह से फिट बैठती है, जिसे राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन कोयले के गैसीकरण को प्राप्त करना है।

पीएफबीजी प्रौद्योगिकी की दिशा में, बीएचईएल ने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम 0.25 टीपीडी मेथनॉल उत्पादन प्रदर्शन संयंत्र का सफलतापूर्वक विकास किया है।

गैसीकरण के माध्यम से उच्च राख भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलना और अमाइन आधारित प्रक्रिया का उपयोग करना भारत में अपनी तरह का पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। इस परियोजना को नीती आयोग के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से वित्त पोषण प्राप्त हुआ।

# अंतरराष्ट्रीय परिचालन

व्यावसायिक खंडों की रूपरेखा एवं कार्यनिष्पादन

## 1.7.3 अंतरराष्ट्रीय प्रचालन

### संक्षिप्त परिचय?

बीएचईएल दुनिया भर में विश्व स्तरीय विद्युत उत्पादन, पारेषण और औद्योगिक उपकरणों का एक विश्वसनीय डिजाइनर, निर्माता और आपूर्तिकर्ता रहा है। बीएचईएल ईपीसी कॉंट्रेक्टर के रूप में काम करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है और विभिन्न अन्य व्यावसायिक साझेदारी मॉडल जैसे आपूर्ति और पर्यवेक्षण, केवल आपूर्ति, सब–कॉन्ट्रेक्टर, कंसोर्टियम पार्टनर, संविदा विनिर्माता आदि पर भी काम करता है। हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय सभी छह बसे महाद्वीपों के 88 देशों में फैला हुआ है। बीएचईएल की इन–हाउस डिजाइन टीम अंतरराष्ट्रीय डिजाइन मानकों से अच्छी तरह वाकिफ है और हमारे समाधान ग्राहक आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। हमने अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 GW विद्युत–संयंत्र उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना की है और अन्य 5 GW की स्थापना प्रगति पर है।

वर्तमान में, विदेशी बाजार में निष्पादित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं में बांग्लादेश में (2x660 MW) मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और भूटान में (6x200 MW) Punatsangchhu-I तथा (6x170 MW) Punatsangchhu-II हाइड्रो प्रोजेक्ट, मॉरीशस में; 8 MW सोलर पीवी प्रोजेक्ट, नेपाल में; (4x225 MW) अरुण–3 हाइड्रो प्रोजेक्ट और (2x20) MW राहुघाट हाइड्रो प्रोजेक्ट, नाइजीरिया में 26 MW कैलाबर गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट और 1.3 MW Kaduna सोलर मिनी ग्रिड प्रोजेक्ट, (2x200 MW) सीरिया में Tishreen थर्मल प्रोजेक्ट और स्पेयर और सर्विसेज के लिए कई ऑर्डर शामिल हैं। इसमें 125 MW Sendou थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सेनेगल के लिए पुर्जों और सेवाओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर शामिल है।

दुनिया महामारी के बाद रिकवरी की ओर है, यूक्रेन–रूस संघर्ष आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करके विश्व स्तर पर वांछित रिकवरी स्तर को बाधित कर रहा है। बीएचईएल इस परिदृश्य में उत्पन्न होने वाले अवसरों के संदर्भ में अपने डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए काम कर रहा है। कंपनी ने सात साल के अंतराल के बाद हनोवर, जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक मेले में भी भाग लिया है और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों में रुचि पैदा करने के लिए अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है।

### विदेशी ऑर्डर बुकिंग और परियोजना निष्पादन में मुख्य उपलब्धियां–

- विदेश में शुरू की गई सबसे बड़ी एकल इकाई – बीएचईएल ने प्रतिष्ठित 2x660 MW मैत्री एसटीपीपी, बांग्लादेश के लिए यूनिट–1 के सिंक्रनाइज़ेशन द्वारा अपनी इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता साबित की है।

  इस परियोजना का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से किया था।

- बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए COGEN पावर प्लांट के लिए 5 साल

  की अवधि के लिए गैस टर्बाइन कैपिटल पुर्जों की आपूर्ति के लिए OQ Oman के साथ दर संविदा।

- 336 MW Chhukha जलविद्युत संयंत्र, भूटान के 84 MW जनरेटर यूनिट–4 के प्रतिस्थापन और बहाली का ऑर्डर।

- मोटर, ट्रांसफार्मर, आदि के ऑर्डर के साथ–साथ पड़ोसी देशों, अफ्रीकी, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिकी देशों से बिक्री समर्थन के बाद 16 देशों से 58 ऑर्डर प्राप्त।

- सेनेगल से आफ्टर सेल सेगमेंट के रूप में विदेशों में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया।

### सम्मान

एक निर्यातक के रूप में बीएचईएल के प्रयासों की सराहना की गई है और इसे ''भू–रणनीतिक पहुंच में वृद्धि'' के क्षेत्र में 9वें गवर्नेंस नाउ पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

### भविष्य के लिए दृष्टिकोण

वैश्विक स्तर पर, पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र ऊर्जा संक्रमण और वित्त पोषण के मुद्दों का सामना करता रहा है। विकासशील/अफ्रीकी देशों का बढ़ता ऋण स्तर, राजकोषीय नीति निर्माताओं की नई चुनौतियों से निपटने की क्षमता को सीमित करता है। यूक्रेन–रूस युद्ध के कारण चल रहे भू–राजनीतिक तनाव, प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में निरंतर व्यवधान पिछले दो वर्षों में महामारी के प्रभाव के बाद, विश्व अर्थव्यवस्था की सुचारू रिकवरी में बाधक है।

बीएचईएल विशेष रूप से ऊर्जा, तेल और गैस क्षेत्रों में अनुकूलित उत्पादों और टर्नकी समाधानों की विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति के लिए अपनी विश्व स्तरीय डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और साथ ही खुद को पारंपरिक विनिर्माण स्थलों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है। पड़ोसी, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों पर हमारे फोकस ने बीएचईएल को कुछ आगामी परियोजनाओं में अनुकूल स्थिति में लाने में सक्षम बनाया है। वैश्विक पूंजीगत व्यय में मंदी के बीच, हमारी कंपनी मौजूदा क्षमताओं के जीवन विस्तार से उत्पन्न होने वाले स्पेयर के अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। भूराजनीतिक स्थिति ने यूरोपीय और रूसी देशों से आपूर्ति के लिए कई अवसर पैदा किए हैं। ऐसी भौगोलिक विशिष्ट रणनीतियों ने बीएचईएल को अपना अंतरराष्ट्रीय कारोबार बढ़ाने में सक्षम बनाया है जिसके आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ने की संभावना है। बीएचईएल ने अपने निर्यात कारोबार को बढ़ावा देने के लिए तीन–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है;

1. मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर जैसे उत्पादों का निर्यात
2. पड़ोसी देशों, अफ्रीका, मध्य पूर्व जैसे मौजूदा क्षेत्रों में अपना कार्य बढ़ाना
3. यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में भौगोलिक पहुंच बढ़ाना

*बीएचईएल द्वारा भूटान में कमीशन की गई 336 मेगावाट (मेगावाट) छुखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (एचईपी)*

# बीएचईएल की वैश्विक पहचान

सभी छह बसे हुए महाद्वीपों के

**88 देशों से व्यावसायिक संबंधों**

से वैश्विक पहचान

यह ग्राफिकल प्रतिरूप है दुनिया के भौतिक मानचित्र का प्रतिरूप नहीं है

## 1.8 वित्तीय निष्पादन का व्यापक विश्लेषण

### 1.8.1 बीएचईएल एकल (स्टैंडअलोन)

### क. वित्तीय परिणाम

**1. कुल आय**

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व | **22136** | 20153 |
| अन्य परिचालन आय | **1229** | 1058 |
| अन्य आय | **515** | 368 |
| कुल आय | **23880** | 21579 |

वित्त वर्ष 2022–23 में कुल आय में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। कुल आय के प्रत्येक तत्व के लिए मदवार स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

### 1.1. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| निर्माण और परियोजना से संबंधित गतिविधि से राजस्व | **16083** | 14107 |
| उत्पाद और अन्य सेवाओं की बिक्री | **6053** | 6046 |
| ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व (Ind AS 115 के अनुसार) | **22136** | 20153 |

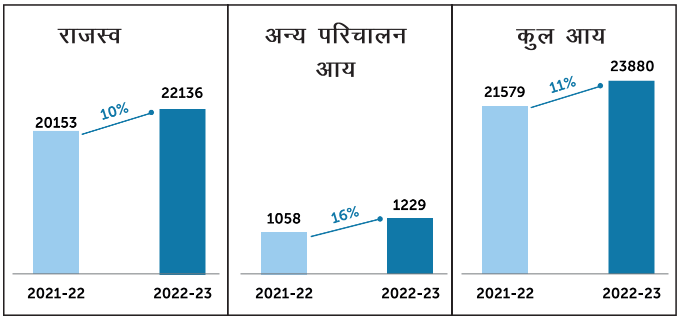


कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 14% राजस्व के साथ, वित्त वर्ष 2022–23 में राजस्व में लगभग 10% की कुल वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने परियोजना निष्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है और निर्माण एवं प्रोजेक्ट संबंधी गतिविधियों के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 14% वृद्धि की है। ये उपलब्धियां 'प्रोजेक्ट केंद्रित' परिचालन की दिशा में अपनी विचारधारा को बदलने के कंपनी के प्रयासों से हैं।

इसके अलावा, टॉपलाइन में वृद्धि इनपुट सामग्री की समय पर उपलब्धता और खरीद की लागत को प्रभावित करने वाली कंपनियों की कीमत में असामान्य अस्थिरता जैसे कई बाधाओं के बावजूद हासिल की गई है।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला की बाधाओं (जैसे स्थानीय लॉकडाउन और शंघाई बंदरगाह– चीन में स्थान की कमी) ने शॉप उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल की समय पर उपलब्धता को प्रभावित किया है। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर की कमी ने वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे के लिए प्रोपल्शन प्रणालियों के निर्माण में बाधा डाली।

हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और भू–राजनीतिक गड़बड़ी का हाल के दिनों में व्यवसाय पर कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन बुनियादी सुविधा क्षेत्र में अपेक्षित बड़े निवेश कंपनी के लिए बड़े विकास के अवसर प्रदान करेंगे। नई निविदाओं के आने से नए ताप विद्युत संयंत्रों की मांग बढ़ गई है। इसी तरह, कंपनी स्पेयर और सेवा व्यवसाय में ऑर्डर बुकिंग में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बीएचईएल ने इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा 3,800 करोड़ से अधिक का ऑर्डर बुक किया है। इस तरह के छोटी अवधि के ऑर्डर से छोटी से मध्यम अवधि में कंपनी के मुनाफे में सुधार लाने में भी मदद मिलने की संभावना है।

### 1.2. अन्य परिचालन आय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| अन्य परिचालन आय | **1229** | 1058 |

कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 1,229 करोड़ रुपये की अन्य परिचालन आय का उच्चतम स्तर हासिल किया है।

### 1.3. अन्य आय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| ब्याज आय | **421** | 303 |
| संयुक्त उद्यम में निवेश पर लाभांश – बीजीटीएस | **26** | 30 |
| म्यूचुअल फंड / पीपीई की मदों, सरकार की इकाइयों की बिक्री पर लाभ अनुदान और अन्य | **68** | 35 |
| कुल | **515** | 368 |

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अन्य आय का प्रमुख घटक ब्याज से प्राप्त आय रहा है, जिसे पिछले वर्षों के आयकर रिफंड से बढ़ावा मिला है, जो कि ₹ 106 करोड़ है। पिछले वर्ष की तुलना में सावधि जमा और अन्य निवेशों पर ब्याज दर अधिक होने के कारण वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान राजकोषीय आय भी वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में अधिक रही है।

इसके अलावा, एनआईएनएल का टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड में विनिवेश पूरा होने के साथ, बीएचईएल को ₹ 25 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है (1998 में किए गए ₹ 5 करोड़ के मूल निवेश का मूल्य शून्य था)

## 2. व्यय

### 2.1. सामग्री की खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| लगाए गए कच्चे माल की लागत | **5875** | 5062 |
| क्रय | **4658** | 4142 |
| सिविल, इरेक्शन एवं इंजीनियरिंग व्यय | **5421** | 4793 |
| **कुल** | **15954** | 13997 |
| (अभिवृद्धि)/तैयार माल की सूची में कमी, चालू कार्य और स्क्रैप | **(57)** | 525 |
| **कुल** | **15897** | 14522 |
| सामग्री लागत राजस्व का : | **72%** | 72% |

पिछले साल धातु की कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी अधिक हैं। वैश्विक स्तर पर निरंतर अनियमितता विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को और प्रभावित कर रही है। कोविड से संबंधित लॉकडाउन से उत्पन्न होने वाले ब्रेक / डेडलॉक के कारण अतिरिक्त लागत आई जिसने कंपनी के शुद्ध लाभ को भी प्रभावित किया है।

पिछले कुछ वर्षों से, कंपनी कई प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जैसे डिजाइन, स्वदेशीकरण आदि में लागत अनुकूलन, और उच्च सकल मार्जिन वाले क्षेत्रों में आदेशों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसने कंपनी को सामग्री लागत को 72% तक नियंत्रित करने में सहायता मिली है, जो पिछले वर्ष के बराबर है।

### 2.2. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| कर्मचारी हितलाभ व्यय | **5701** | 5517 |
| कर्मचारियों की सं. | **29536** | 30758 |

उच्च डीए दर/एचआरए आदि के कारण समग्र कर्मचारी हितलाभ व्यय पिछले वर्ष से केवल मामूली रूप से अधिक (3%) है। हालांकि, परिवर्तनीय खर्चों पर सख्त नियंत्रण है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 के अंत में जनशक्ति में ~ 4% की कमी आई है।

### 2.3. अन्य व्यय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| क) निर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य खर्च | **1466** | 1355 |
| ख) विद्युत और ईंधन | **488** | 415 |
| ग) प्रावधान (शुद्ध) | **(847)** | (1526) |
| घ) विनिमय दर भिन्नता | **(460)** | (82) |
| कुल | **647** | 162 |

विनिर्माण, प्रशासनिक और बिक्री एवं वितरण (एस एंड डी) खर्चों जैसे अन्य खर्चों के संबंध में सख्त नियंत्रण तंत्र के परिणामस्वरूप ऐसे व्यय (राजस्व के % के रूप में) वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में भी निचले स्तर पर सीमित हो गए हैं, जिससे शुद्ध लाभ में वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान ईंधन की ऊंची कीमतें चिंता का विषय रही हैं, जिसने परिचालन मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

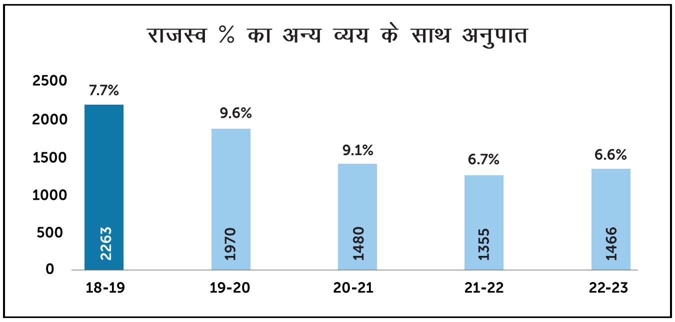


**प्रावधानों का विवरण (शुद्ध) निम्नानुसार है:**

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| संदिग्ध ऋण (ECL सहित), निर्णीत हर्जाना, ऋण, अग्रिम, जमा एवं अन्य | **(427)** | (1502) |
| बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण, एलडी, निवेश और हानियाँ | **148** | 350 |
| संविदात्मक दायित्व | **(568)** | (374) |
| कुल | **(847)** | (1526) |

कंपनी बैलेंस शीट में अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहती है। केंद्रित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कई मुद्दों का समाधान हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि प्रावधानों की शुद्ध वापसी हुई है, जिससे कंपनी की निचली रेखा में सकारात्मक योगदान हुआ है।

## 3. वित्तीय लागत

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| वाणिज्यिक पत्रों पर छूट एवं अन्य व्यय | 51 | 139 |
| ब्याज व्यय | 309 | 60 |
| प्रावधानों की समाप्ति | 161 | 156 |
| कुल | 521 | 355 |

वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में 2022–23 में वित्तीय लागत में वृद्धि हुई है जिसका कारण वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण केंद्रीय बैंक सभी स्तरों पर ब्याज दर में वृद्धि कर रहे हैं। उधार पर उच्च ब्याज दरों और उधार के तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर के कारण समग्र वित्त लागत में वृद्धि हुई है। उधारी में भी वृद्धि हुई है, जो चालू वर्ष के अंत में 5,385 करोड़ हो गई है, जबकि 31 मार्च 2022 को यह 4,745 करोड़ थी।

## 4. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | **260** | 314 |

मूल्यह्रास लागत पूंजीकरण समय अवधि और संपत्ति वर्ग के मिश्रण के आधार पर भिन्न होती है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मूल्यह्रास लागत में लगभग 17% की कमी आई है।

## 5. टैक्स व्यय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| वर्तमान कर– चालू वर्ष | **48** | 49 |
| –पिछले वर्ष | **(159)** | (126) |
| आस्थगित कर– चालू वर्ष | **114** | 109 |
| – पिछले वर्ष | **(1)** | (5) |
| कुल | **2** | 27 |

वर्ष के लिए वर्तमान कर व्यय मुख्य रूप से पिछले मूल्यांकन वर्षों से संबंधित आयकर रिफंड के समायोजन के कारण कर व्यय के उलट होने के कारण कम है। वर्ष के दौरान आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध) मुख्य रूप से अग्रणीत नुकसान की भरपाई के कारण हैं।

कंपनी को वित्त वर्ष 2022–23 में ₹ 266 करोड़ (₹ 106 करोड़ की ब्याज आय सहित) का आयकर रिफंड प्राप्त हुआ, जिसने न केवल नकदी प्रवाह बल्कि लाभप्रदता में भी सकारात्मक योगदान दिया।

## 6. लाभप्रदता

वर्ष 2022–23 में कंपनी की टॉप लाइन में 10% की वृद्धि हुई है। हालांकि सामग्री लागत वर्ष 2021–22 के बराबर यानी 72% के स्तर पर रही। यद्यपि, कड़े बजटीय नियंत्रण अपनाए जाने के बावजूद मुद्रास्फीति परिचालन बजट बनाए रखने पर दबाव डाल रही है। वर्ष के दौरान स्क्रैप की बिक्री, अचल इन्वेंट्री के निपटान आदि के माध्यम से कड़े प्रयास किए जाने से अन्य परिचालन आय अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है।

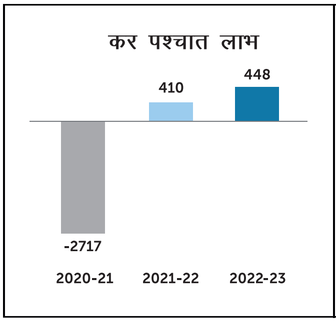


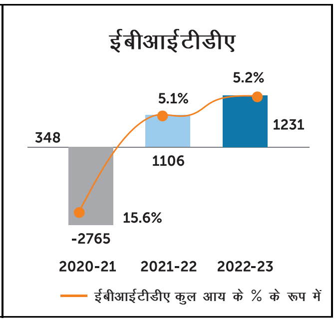


कर पश्चात लाभ ₹ 448 करोड़ (वित्त वर्ष 2021–22 ₹ 410 करोड़) है, जो कराधान क्षेत्र में किए गए प्रयासों और प्रावधानों को वापस लिए जाने के कारण भी हुआ है।

कुल मिलाकर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 1,231 करोड़ (वित्त वर्ष 2021–22 ₹ 1,106 करोड़) का EBITD हासिल किया, जो 11% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

## 7. अन्य व्यापक आय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| परिभाषित कर्मचारी का पुनः माप लाभ / (हानि) | **(23)** | 103 |
| घटाएं: उपर्युक्त मद से संबंधित आयकर | **(6)** | 26 |
| कुल | **(17)** | 77 |

अन्य व्यापक आय परिभाषित लाभ योजनाओं जैसे–ग्रेच्युटी, पीएफ, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी), आदि पुनः माप लाभ / (हानि) का प्रतिनिधित्व करती है।

## ख. वित्तीय स्थिति

## 8. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त परिसंपत्ति और चालू कार्य पूँजी

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पीपीई | अमूर्त | कुल | पीपीई | अमूर्त | कुल |
| सकल वहन मूल्य | 6621 | 328 | **6949** | 6331 | 309 | 6640 |
| घटाएं: संचित मूल्यह्रास / परिशोधन | 4212 | 261 | **4473** | 3995 | 247 | 4242 |
| शुद्ध वहन मूल्य (शुद्ध ब्लॉक) | **2409** | **67** | **2476** | 2336 | 62 | 2398 |
| CWIP और विकासशील अमूर्त संपत्तियाँ | 345 | 9 | **354** | 422 | 9 | 431 |
| कुल | | | **2830** | | | 2829 |

लागू Ind AS के अनुरूप, कंपनी सालाना पीपीई के उपयोगी जीवन का आकलन और संशोधन करती है, और मूल्यह्रास की गणना तदनुसार की जाती है। उपयोगी जीवन में किसी भी परिवर्तन के मामले में, उपयोगी जीवन में परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव को खातों के नोट्स के हिस्से के रूप में प्रकट किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 में 262 करोड़ का पूंजीगत व्यय हुआ है। कंपनी नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता ला रही है, जिसके लिए भविष्य में महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की आवश्यकता होने की संभावना है।

संपत्तियां (i) चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, कोलकाता में दूसरी मंजिल का कार्यालय (ii) इंदौरा आवासीय फ्लैट, नागपुर – भूमि और भवन और (iii) वडोदरा टाउनशिप – भूमि और भवन, जिनकी कुल ब्लॉक कीमत 1.42 करोड़ है, बिक्री के लिए चिह्नित की गई है परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत अनुमोदनाधीन है।

## 9. इक्विटी निवेश

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | निवेश | हानि | शुद्ध | निवेश | हानि | शुद्ध |
| संयुक्त उद्यमों में निवेश | 718 | (52) | **666** | 718 | (52) | 666 |
| अन्य इक्विटी लिखित में निवेश | 1 | 3 | **4** | 6 | (2) | 4 |
| **कुल** | **719** | **(49)** | **670** | 724 | (54) | 670 |

Ind AS के अनुरूप, संयुक्त उद्यमों (जेवी) और सहायक कंपनियों में निवेश को यदि कोई हानि हुई है तो उसे हिसाब में लेने के बाद अंकित किया गया था। अन्य इक्विटी में निवेश का लेखा लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है और रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य के आधार पर वहन मूल्य में परिवर्तित किया गया है।

नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) में निवेश के संबंध में कंपनी द्वारा मूल निवेश 5 करोड़ की तुलना में 25 करोड़ से अधिक मूल्य प्राप्त किया है (तुलन पत्र में मूल्य शून्य दर्शाया गया है), परिणामी लाभ को अन्य आय में दर्ज किया गया है।

## 10. व्यापार प्राप्य (शुद्ध)

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल |
| सकल प्राप्तियाँ | 14920 | 3801 | **18721** | 15137 | 3618 | 18755 |
| घटाएं: संदिग्ध कर्ज के लिए भत्ते | 11504 | 673 | **12177** | 11933 | 593 | 12526 |
| व्यापार प्राप्यँ (शुद्ध) | 3416 | 3128 | **6544** | 3204 | 3025 | 6229 |

वित्त वर्ष 2021–22 में 107 दिनों से लेकर वित्त वर्ष 2022–23 में 102 दिनों तक परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के संदर्भ में व्यापार प्राप्य (नेट) में कमी आई है।

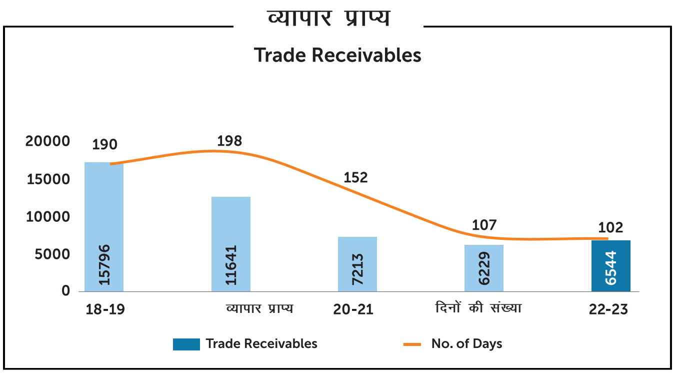


इसे बिलिंग की गुणवत्ता में सुधार, समय पर बकाया एकत्र करने, अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार अनुक्रमिक प्रेषण, ग्राहकों के साथ लंबित मुद्दों को समय पर बंद करने, धीमी गति से भुगतान/भुगतान न करने के मामले में अपेक्षित कार्रवाई करके बकाया के परिसमापन पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त किया जा सकता है।

## 11. नगदी एवं नगदी समतुल्य एवं बैंक बेलेंस

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| नगदी एवं नगदी समतुल्य | **1561** | 733 |
| जमा जिनकी परिपक्वता 03 महीने से ऊपर तथा 12 महीनों से कम | **4852** | 6211 |
| मार्जिन मनी के के रूप में निर्धारित बैंक शेष और एफडी | **230** | 210 |
| कुल | **6643** | 7154 |

कंपनी ने नकदी सृजन और संरक्षण पर अपना ध्यान जारी रखा है। अनुबंध परिसंपत्तियों में उच्च निवेश के कारण, कंपनी की नकदी स्थिति पर कुछ दबाव था, हालांकि, कंपनी ने सकारात्मक नकदी और बैंक शेष के साथ अपनी ऋण मुक्त स्थिति बरकरार रखी और पूंजीगत व्यय और विविधीकरण पहल में निवेश करने के लिए पर्याप्त लाभ उठाया।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि बिलिंग की गुणवत्ता में सुधार, परियोजना–केंद्रित दृष्टिकोण जैसे अनुक्रमिक प्रेषण, बकाया राशि का समय पर संग्रह आदि द्वारा बकाया के परिसमापन पर निरंतर ध्यान देने से CY बिलिंग परिसमापन में 86% (वित्तीय वर्ष 2021–22 के समान) में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

## 12. आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध) | **3423** | 3530 |

आस्थगित कर परिसंपत्ति मुख्य रूप से उन मदों के कारण सृजित की जाती है जिनके लिए वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय में लाभ उपलब्ध नहीं है लेकिन इन्हें आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप कतिपय शर्तों को पूरा करने पर भावी कर योग्य आय के साथ समायोजित किया जा सकेगा। वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी मुख्यत: अग्रणीत हानि को सेट ऑफ किए जाने के कारण हुई है।

## 13. अन्य परिसंपत्तियाँ

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल |
| संविदागत परिसंपत्तियां (शुद्ध) | 18929 | 10811 | **29740** | 18248 | 8692 | 26940 |
| इनपुट टैक्स प्राप्य | - | 1086 | **1086** | - | 964 | 964 |
| दावा वसूली योग्य | 300 | 801 | **1101** | 189 | 755 | 944 |
| कर प्राधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों के पास जमा राशि | 134 | 450 | **584** | 110 | 533 | 643 |
| अग्रिम एवं अन्य | 70 | 139 | **209** | 76 | 92 | 168 |
| घटाएं: प्रावधान | 133 | 236 | **369** | 96 | 243 | 339 |
| **कुल** | 19300 | 13051 | **32351** | 18527 | 10793 | 29320 |

संविदा परिसंपतियां संविदा की शर्तों के अनुसार भुगतान के लिए देय न होने वाले राजस्व को दर्शाती हैं। इस प्रकार अनुबंध संपत्तियों में मुख्य रूप से गतिविधि आधारित माइलस्टोन संबंधी भुगतान, सामग्री प्राप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर देय भुगतान, प्रेषण के लिए तैयार परियोजना से संबंधित तैयार माल आदि शामिल हैं। संविदा परिसंपत्तियों में ₹ 2,800 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण निष्पादन के तहत कुछ परियोजनाओं की विषम भुगतान शर्तें हैं।

## 14. माल सूचियाँ

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| कच्चा माल एवं घटक | **3029** | 2914 |
| डब्ल्यु आई पी | **3483** | 3349 |
| एफ जी | **512** | 608 |
| स्टोर्स एवं कल–पुर्जे | **203** | 208 |
| अन्य मालसूची | **273** | 228 |
| **उप कुल** | **7500** | 7307 |
| घटाएं: नॉन मूविंग इनवेंट्री के लिए प्रावधान | **744** | 747 |
| **कुल** | **6756** | 6560 |

अनुकूलित कार्यशील पूंजी प्रबंधन की दिशा में एक उपाय के रूप में, हाल के वर्षों में विवेकपूर्ण इन्वेंट्री प्रबंधन पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे इन्वेंट्री स्तर (राजस्व के दिनों की संख्या में) में सुधार हुआ है। कच्चे माल की खरीद की जा रही है, उत्पादन आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा रही है और इन्वेंट्री को इष्टतम स्तर पर रखा जा रहा है।

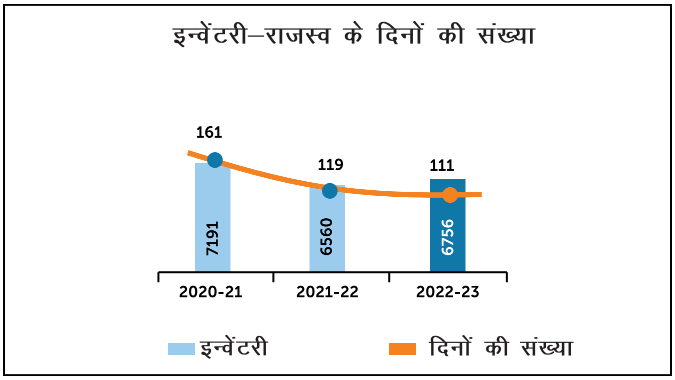


## 15. वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ / (देय) कुल

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ / (देय) – कुल प्रावधान का | **226** | 119 |

यह राशि मुख्य रूप से टीडीएस (निवल कर प्रावधान का प्रतिनिधित्व करती है, जो निकट भविष्य में रिफंड होने वाली है।

## 16. शेयर पूंजी

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| प्राधिकृत शेयर पूँजी | **2000** | 2000 |
| निगत, अभिदत्त और शेयर पूँजी भुगतान | **696** | 696 |

चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रमोटर (भारत सरकार) की शेयरधारिता 63.17 % पर बनी हुई है।

## 17. अन्य इक्विटी

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | **26275** | 25788 |
| नीतियों में बदलाव या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण बहाली | **-** | - |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय / (हानि) | | 487 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) का भुगतान | **(139)** | - |
| अंतिम शेष | **26566** | 26275 |

अन्य इक्विटी क्षेत्र में ₹ 35 करोड़ (गत वर्ष ₹ 35 करोड़ रुपये) का पूंजी भंडार और ₹ 38 करोड़ (गत वर्ष 38 करोड़ रुपये) का पूंजीगत ऋणमुक्ति रिजर्व शामिल है।

निवल मूल्य में वृद्धि वर्ष 2021–22 के दौरान कर पश्चात लाभ और वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रदत्त लाभांश के कारण हुई है। 29 सितंबर 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 20 प्रतिशत की दर से लाभांश अनुमोदित किया गया था और बाद में वर्ष के दौरान इसका भुगतान किया गया।

कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 20% लाभांश की संस्तुति की गई है जो कि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनाधीन है।

## 18. उधार एवं पट्टा देय देयताएं

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल |
| उधार | - | 5385 | **5385** | - | 4745 | 4745 |
| पट्टा देयताएं | 34 | 35 | **69** | 35 | 50 | 85 |
| **कुल** | 34 | 5420 | **5454** | 35 | 4795 | 4830 |

कंपनी ने नकदी प्राप्ति/ व्यय के अस्थायी अंतराल को पाटने के लिए अल्पकालिक उधार लिया है। डब्ल्यूसीडीएल, पीसीएफसी ऋण और वाणिज्यिक दस्तावेज के रूप में अल्पावधि उधारियां इष्टतम ब्याज दरों पर प्राप्त की गई। लिक्विडिटी की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने नकदी और बैंक शेष को सकारात्मक बनाए रखते हुए अपनी ऋण मुक्त स्थिति बरकरार रखी और पूंजीगत व्यय एवं विविधीकरण पहल में पर्याप्त निवेश किया है।

कंपनी का 31 मार्च 2023 को शुद्ध नकदी और बैंक शेष (अल्पकालिक उधार) ₹ 1258 करोड़ रुपये था जबकि 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए यह ₹ 2409 करोड़ था।

कंपनी ने देय तिथि पर या उससे पहले अपने उधारों चुकौती सुनिश्चित करना जारी रखा है।

## 19. वित्तीय देय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल |
| व्यापारिक देयताएं | 2194 | 9896 | **12090** | 2132 | 7750 | 9882 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 256 | 1277 | **1533** | 215 | 1124 | 1339 |
| **कुल** | 2450 | 11173 | **13623** | 2347 | 8874 | 11221 |

व्यापार देय में वृद्धि परिचालन के उच्च स्तर के अनुरूप है। व्यापार देयताओं का एक बड़ा हिस्सा प्रतिधारित धनराशि के कारण है एवं कुछ मामले मुकदमेबाजी/मध्यस्थ निपटान के अधीन हैं। कंपनी ने विक्रेताओं/उप–ठेकेदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना जारी रखा है और समय पर भुगतान जारी करने के लिए सभी प्रयास किए हैं।

## 20. प्रावधान

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल |
| संविदात्मक दायित्वों के लिए प्रावधान | 2990 | 784 | **3774** | 2620 | 1235 | 3855 |
| कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान | 878 | 1384 | **2262** | 857 | 1061 | 1918 |
| अन्य प्रावधान | 233 | 623 | **856** | 293 | 760 | 1053 |
| सीएसआर के लिए प्रावधान | - | 6 | **6** | 2 | 10 | 12 |
| **कुल** | 4101 | 2797 | **6898** | 3771 | 3067 | 6838 |

कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान छुट्टी, चिकित्सा और ग्रेच्युटी लाभों के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित है। अन्य प्रावधानों में मुख्य रूप से घाटे में चल रही संविदाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं। ₹ 06 करोड़ का सीएसआर प्रावधान चल रही परियोजनाओं पर अव्ययित राशि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे कंपनी संशोधन नियम 2021 के अनुसार पिछले साल एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया।

## 21. अन्य देय

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | | 31 मार्च, 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल | गैर–वर्तमान | वर्तमान | कुल |
| ग्राहकों से अग्रिम (मूल्य निर्धारण समायोजन सहित) | 2586 | 3049 | **5635** | 2194 | 3854 | 6048 |
| वैधानिक देय | - | 908 | **908** | - | 776 | 776 |
| सरकारी अनुदान | 20 | 5 | **25** | 19 | 6 | 25 |
| **कुल** | 2606 | 3962 | **6568** | 2213 | 4636 | 6849 |

परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान उपभोक्ताओं से प्राप्त अग्रिम को उत्तरोत्तर समायोजित किया जाता है। सांविधिक बकाये मुख्य रूप से जीएसटी देयता हैं जिसे "अन्य परिसंपत्तियों" (उपर्युक्त क्रमांक 13 देखें) के तहत दर्शाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के बाद नियत तिथियों को निपटाया जाएगा। कंपनी अपने सभी जीएसटी और अन्य बकाया का समय पर निर्वहन करती रही है।

## ग. निधि की स्थिति

## 22. निधि प्रवाह की स्थिति और चलनिधि

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन से उत्पन्न नकदी | **254** | (341) |
| कार्यशील पूंजी परिवर्तन से शुद्ध नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) | **(1106)** | 592 |
| परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) | **(742)** | 660 |
| निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) | **1480** | (1125) |
| वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह) | **89** | (330) |

कंपनी परिचालन से (कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले) 254 करोड़ रु. की सकारात्मक नकदी उत्पन्न कर पाई है, जबकि पिछले वर्ष यह नकारात्मक ₹ 341 करोड़ रु. थी। विषम भुगतान शर्तों के कारण, अनुबंध परिसंपत्तियों और परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी में अधिक निवेश हुआ, जिसके अगले 2–3 वर्षों में उत्तरोत्तर समाप्त होने की उम्मीद है।

### घ. प्रमुख वित्तीय अनुपात

सूचीबद्ध विनियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन में, जहां कहीं आवश्यक हो प्रमुख वित्तीय अनुपात, व्याख्या एवं उनके, वित्तीय विवरणों के नोट (43) में प्रदर्शित किए गए हैं।

### ड. क्षेत्रवार निष्पादनः

कंपनी के दो परिचालन क्षेत्र हैं–पावर और उद्योग खंड। दोनों व्यवसाय क्षेत्रों का सकारात्मक शुद्ध लाभ दर्शाया गया है। इन क्षेत्रों का निष्पादन निम्नलिखित हैः

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | पावर | उद्योग | पावर | उद्योग |
| खंड राजस्व | **17499** | **4637** | 15361 | 4792 |
| खंड परिणाम | **1400** | **433** | 1949 | (39) |
| खंड नियोजित पूँजी | **18300** | **3094** | 17100 | 3440 |

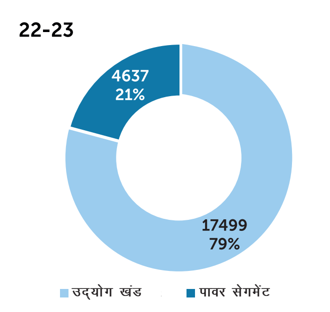


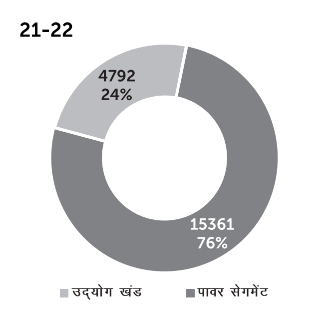


### 1.8.2 सहायक कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

**क. BHEL-GE गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS):**

BHEL-GE गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS) बीएचईएल और जीई (अमेरिका) के एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसका निर्माण जीई द्वारा निर्मित गैस टरबाइन की मरम्मत एवं सर्विसिंग के लिए किया गया है। इसका वित्तीय विवरण निम्नलिखित हैः

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| बीएचईएल की हिस्सेदारी (%) | **50% से एक शेयर कम** | 50: से एक शेयर कम |
| बीएचईएल का इक्विटी में निवेश | **2.38** | 2.38 |
| परिचालन से आय | **967.13** | 801.18 |
| टैक्स के बाद लाभ/ (हानि) | **112.56** | 100.84 |
| कुल मूल्य | **464.59** | 403.21 |

वित्तीय वर्ष 2022–23 में BGGTS द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 400% का अंतिम लाभांश और वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 4.67 करोड़ इक्विटी शेयर के रूप में 700% अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया।

**ख. NTPC BHEL पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL):**

NTPC BHEL पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL) बीएचईएल और एनटीपीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका उद्देश्य पॉवर संयंत्रों के ईपीसी संविदाओं का निष्पादन करना तथा पॉवर संयंत्रों के ईपीसी संविदाओं का निष्पादन करना तथा पॉवर संयंत्र उपकरणों का विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। संयुक्त उद्यम की आंध्र प्रदेश के मन्नावरम में बेलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) उपकरणों की विनिर्माण इकाई है। संक्षिप्त वित्तीय विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23* | 2021-22 |
|---|---|---|
| बीएचईएल की हिस्सेदारी (%) | **50%** | 50% |
| बीएचईएल का इक्विटी में निवेश | **50.00** | 50.00 |
| परिचालन से आय | **44.45** | 54.74 |
| वर्ष के दौरान लाभ /(हानि) | **(5.49)** | (19.87) |

* लेखापरीक्षा से पूर्व अनंतिम आँकड़ों पर आधारित

निदेशक मंडल द्वारा 8 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में एनबीपीपीएल को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 23.08.2019 के माध्यम से एनटीपीसी लिमिटेड को इस कंपनी की बीएचईएल की हिस्सेदारी को खरीदने पर विचार करने की सलाह दी है। उसके बाद या तो इसे इन–हाउस ईपीसी शाखा के रूप में जारी रखने का निर्णय लें या वर्तमान कार्य पूरा होने के बाद इसे बंद कर दें। इसके अलावा, दिनांक 28.10.2022 के पत्र के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय ने सलाह दी है कि 1x500 MW फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट में चल रहे शेष कार्यों के पूरा होने के बाद एनटीपीसी और बीएचईएल द्वारा एनबीपीपीएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

**ग. रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RPCL):**

रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RPCL) बीएचईएल, कर्नाटक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPCL) और आईएफसीआई लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक के येरामरस, रायचूर में 2x800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर संयंत्र एवं एडलापुर, रायचूर में 1x800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर संयंत्र के निर्माण, स्वामित्व एवं परिचालन के आधार पर स्थापित की गई है। 31 मार्च 2023 तक प्रदत्त इक्विटी पूँजी 2999.76 करोड़ रूपये थी, जिसमें केपीसीएल का 2335.72 करोड़ रूपये और बीएचईएल का 664.04 करोड़ रूपये का योगदान था। कंपनी की वित्तीय स्थिति विवरण नीचे दिया गया हैः

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 2022-23* | 2021-22 |
|---|---|---|
| बीएचईएल की हिस्सेदारी (%) | **22.14%** | 22.14% |
| बीएचईएल का इक्विटी में निवेश | **664.04** | 664.04 |
| परिचालन से आय | **3035.43** | 3198.68 |
| वर्ष के दौरान लाभ /(हानि) | **(1114.58)** | (678.22) |

* लेखापरीक्षा से पूर्व अनंतिम आँकड़ों पर आधारित

यद्यपि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022–23 में घाटा हुआ है, बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण प्लांट के परिचालन में सुधार होने की संभावना है जो कि कंपनी की बॉटम लाइन की बढ़ोत्तरी में सहायक है।

## घ. पावर प्लांट पर्फोर्मेंस प्राइवेट इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (PPPIL)

पॉवर प्लांट पर्फोर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पीपीआईएल) बीएचईएल और सीमेंस एजी, जर्मनी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे पुराने जीवाश्म ईंधन विद्युत संयंत्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए बढावा दिया गया है। चूंकि कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवसाय नहीं हो रहा था, इसलिए प्रोमोटर पार्टनर्स कंपनी को धीरे–धीरे बंद करने के लिए परस्पर सहमत हुए। जेवीसी के सभी लंबित अनुबंधों को बंद कर दिया गया और वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान समापन की प्रक्रिया शुरू की गई। जेवीसी का परिसमापन चल रहा है।

पीपीआईएल में 2 करोड़ रूपये का निवेश है जिसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है।

### 1.8.3 समेकित वित्तीय विवरण (CFS)

समेकित वित्तीय विवरण, Ind AS–110 "समेकित वित्तीय विवरण" एवं इंड AS–28 "सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश" के अनुसार तैयार किया गया है। संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण में Ind AS के अनुसार इक्वीटी विधि अपनाई गई है। सीएफएस के लिए मैसर्स पीपीआईएल पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह परिसमापन के अधीन है।

वित्तीय निष्पादन के परिणाम का संक्षिप्त विवरण उक्त Ind AS के अनुसार निम्नलिखित हैः

#### वित्तीय निष्पादनः

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | समाप्ति वर्ष | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| परिचालन से आय | **23365** | 21211 |
| कर पूर्व लाभ / (हानि) | **479** | 470 |
| कर पश्चात लाभ / (हानि) | **477** | 445 |
| अन्य व्यापक आय / (हानि) | **(17)** | 77 |
| कुल व्यापक आय / (हानि) | **461** | 522 |

संयुक्त उद्यम के संबंध में लाभ की हिस्सेदारी – बीजीजीटीएस वित्त वर्ष 2022–23 में ₹ 56.02 करोड़ रुपये था जबकि वित्त वर्ष 2020–21 में लाभ ₹ 50.42 करोड़ रुपये था। संयुक्त उद्यम कंपनियों (एनबीपीपीएल और आरपीसीएल) को वित्त वर्ष 2021–22 में घाटा हुआ है। इन दोनों संयुक्त उद्यमों में निवेश की लागत के बराबर संचित हानियां पहले ही वित्त वर्ष 2018–19 में समेकित वित्तीय परिणामों में लिखी जा चुकी हैं।

#### वित्तीय स्थिति

(करोड़ ₹ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
|---|---|---|
| **परिसंपत्तियाँ** | | |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां और सीडब्ल्यूआईपी (शुद्ध ाधारित मूल्य) | **2830** | 2829 |
| इक्विटी विधि से गणना किया गया निवेश | **232** | 202 |
| गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ | **3503** | 3294 |
| आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध) | **3423** | 3530 |
| गैर–वर्तमान अन्य परिसंपत्ति | **19300** | 18527 |
| वर्तमान परिसंपत्ति | **30082** | 27862 |
| **कुल** | **59370** | 56244 |
| **इक्विटी एवं देयता** | | |
| इक्विटी शेयर पूँजी | **696** | 696 |
| अन्य इक्विटी | **26132** | 25810 |
| गैर–वर्तमान देयताएं | **9190** | 8366 |
| वर्तमान देयताएं | **23352** | 21372 |
| **कुल** | **59370** | 56244 |

### 1.9 पूँजी निवेश

उत्पादकता बढ़ाने और सतत विकास हासिल करने पर ध्यान जारी रखते हुए, कंपनी ने अपनी मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन में निवेश किया है, जिससे वर्ष 2022–23 के दौरान रक्षा, ट्रांसमिशन, न्यूक्लियर जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में क्षमता को मजबूत किया गया है और ₹ 262 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी की हैदराबाद इकाई, भोपाल इकाई और कॉर्पोरेट आरएंडडी में भारी उद्योग मंत्रालय की कैपिटल गुड्स–II योजना के तहत विभिन्न परीक्षण सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है।

### 1.10 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

बीएचईएल का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली सम्यक रूप से प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं के रूप में तैयार की गई है ताकि कम्पनी के व्यवसाय का व्यवस्थित और दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित हो सके, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और

त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन के रिकॉर्ड की सत्यता और पूर्णता का पता लगाना और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कार्यान्वयन और रखरखाव के स्त्रोत नियम पुस्तकें, दिशा निदेश, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आईटी प्रणाली और नियंत्रण है और ये अच्छी तरह से परिभाषित संगठनात्मक संरचना अर्थात प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में विभिन्न स्तरों पर कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के माध्यम से प्रभावित होते हैं।

बीएचईएल के पास इन–हाउस आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो अपने प्रकार के व्यवसाय के परिचालन के अनुरूप है। कॉर्पोरेट आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा, बीएचईएल के सभी स्थानों पर आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियों को पूरा करने के लिए कंपनी में 12 आंतरिक लेखा परीक्षा कक्ष स्थापित किए गए हैं। आईएफसी की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, आंतरिक ऑडिट जोखिम वाले क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं और ऐसा कर वे नियंत्रण प्रदान करते हैं।

लेखा परीक्षा के कार्य निदेशक मंडल स्तर की ऑडिट कमेटी (बीएलएसी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक ऑडिट कार्यक्रम के अनुसार किए जाते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधियों के परिणाम सभी इकाइयों और क्षेत्रों के साथ साझा किए जाते हैं। बीएलएएसी प्रमुख आंतरिक ऑडिट टिप्पणियों और सीएजी ऑडिट निष्कर्षों की भी समीक्षा करता है और कंपनी के बदलते वातावरण को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। बीएचईएल में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण द्वारा सभी स्थानों पर वर्ष के दौरान नियंत्रण के परीक्षण द्वारा किया गया है और परीक्षण किए गए नियंत्रण को कंपनी के भीतर प्रभावी ढंग से संचालित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों को रखा जाता है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनात्मक प्रभाविता पर असंशोधित राय व्यक्त की।

## 1.11 गुणता निष्पादन

बीएचईएल को देश में गुणवत्ता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। कंपनी 1981 में भारत में क्वालिटी सर्कल अवधारणा पेश करने वाली पहली कंपनी थी। पिछले चार वर्षों में, गुणवत्ता को एक बार फिर से कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की पहचान बनाने के उद्देश्य से, कंपनी–व्यापी ''क्वालिटी फर्स्ट'' की मिशन मोड में पहल की गई है। इस पहल के तहत, कंपनी विभिन्न गुणवत्ता पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने उत्पादों, सेवाओं और आंतरिक प्रणालियों की गुणवत्ता को मजबूत कर रही है।

बीएचईएल ने ''क्वालिटी 360'' मॉडल का अनुसरण करते हुए अपनी गुणवत्ता प्रणालियों की परिपक्वता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने EFQM–2020 ढांचे के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी व्यावसायिक उत्कृष्टता यात्रा को मजबूत किया है, और संस्कृति को बढ़ाया है और साथ ही ''गुणवत्ता स्वास्थ्य सूचकांक (QHI)'' के कार्यान्वयन के माध्यम से गुणवत्ता स्वास्थ्य को पुनर्जीवित किया है।

उत्कृष्टता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान करते हुए, CII-EXIM बैंक ने BHEL को पहली बार ''व्यावसायिक उत्कृष्टता को अपनाने और पोषण के लिए विशेष जूरी प्रशस्ति'' से सम्मानित किया। बीएचईएल की एचपीबीपी त्रिची, एचईईपी हरिद्वार, एचईपी भोपाल और एचपीईपी हैदराबाद इकाइयों को प्लेटिनम मान्यता से सम्मानित किया गया, जबकि पीईएम नोएडा, ईडीएन बेंगलुरु, बीएपी रानीपेट और पीएसएनआर नोएडा को ''बिजनेस एक्सीलेंस 2022 के लिए सीआईआई एक्जिम बैंक पुरस्कार'' के तहत गोल्ड प्लस से सम्मानित किया गया। कंपनी ने 14 साल के अंतराल के बाद 2020 में पहली सीआईआई एक्ज़िम बैंक मान्यता जीतने और 2021 में 4 पुरस्कार जीतने से एक लंबा सफर तय किया है, जो 'गुणवत्ता सर्वप्रथम' अभियान की सफलता को दर्शाता है।

बीएचईएल ने कर्मचारी, प्रक्रिया और प्रक्रिया गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे संगठन में एक व्यापक गुणवत्ता रोडमैप विकसित और कार्यान्वित किया है। हमारे कार्यस्थल में दक्षता को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता में, बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2022–23 में सभी बीएचईएल डिवीजनों और इकाइयों में 5एस अभियान शुरू किया। 5एस पद्धति, सरल विनिर्माण उपकरण, उत्पादकता, गुणवत्ता, सुरक्षा आदि में सुधार के साथ कार्यस्थल उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस पहल के हिस्से के रूप में, नौ बीएचईएल इकाइयां/डिवीजन, अर्थात् एचईईपी हरिद्वार, एचपीबीपी त्रिची, एचपीईपी हैदराबाद, ईडीएन बेंगलुरु, एचईपी भोपाल, टीपी झाँसी, बीएपी रानीपेट, पीईएम नोएडा और पीएसएनआर खुर्जा साइट को पहली बार मेसर्स मार्गदर्शन से 5एस प्रमाणन प्राप्त हुआ, जो एक सुव्यवस्थित और कुशल कार्यस्थल वातावरण बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

गुणवत्ता प्रदर्शन संकेतक, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की परिपक्वता और समग्र व्यावसायिक उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत गुणवत्ता स्वास्थ्य सूचकांक (क्यूएचआई) को पूरे संगठन में लागू किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए QHI स्कोर के आधार पर, एचईईपी हरिद्वार, एचपीईपी हैदराबाद और एचपीबीपी त्रिची पूरे संगठन में QHI में 4.5% (वर्ष–दर–वर्ष) से अधिक की समग्र वृद्धि के साथ शीर्ष तीन इकाइयों के रूप में उभरी हैं।

विनिर्माण इकाइयों, इंजीनियरिंग केंद्रों और पावर सेक्टर के परियोजना स्थलों पर मौजूदा गुणवत्ता प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सीआईआई/सीक्यू और बीई द्वारा आवधिक गुणवत्ता ऑडिट, गुणवत्ता प्रबंधन प्रभावशीलता समीक्षा और कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) मूल्यांकन आयोजित किए जा रहे हैं। ईएफक्यूएम 2020 मॉडल के अनुसार सभी बीएचईएल डिवीजनों ने क्यूएमईआर समीक्षा और टीक्यूएम मूल्यांकन किया है।

बीएचईएल 1981 में गुणता चक्र (क्यूसी) आंदोलन की अवधारणा पेश करने वाला भारत का पहला संगठन था। इसमें 993 क्वालिटी सर्कल हैं, जिनमें से प्रत्येक बीएचईएल में निरंतर सुधार की संस्कृति में योगदान दे रहा है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, कुल आठ बीएचईएल गुणता चक्र टीमों ने जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण चक्रों के 47वें शृंखला सम्मेलन – 2022 (ICQCC) में भाग लिया और गोल्ड अवार्ड (सर्वोच्च पुरस्कार श्रेणी) प्राप्त किया।

गुणवत्ता पर संवाद यानी "Qonverse" वित्त वर्ष 2020–21 से प्रचलन में है जो इकाइयों को अन्य बीएचईएल इकाइयों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम और अनूठी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुख्य ध्यान प्रशिक्षण पर दिया जाता है, जिसमें गुणवत्ता के क्षेत्र में कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए इकाइयों के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) केंद्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के अलावा बीएचईएल के विभिन्न केंद्रों पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

नए क्षेत्रों में बीएचईएल के विविधीकरण के साथ, नए उत्पादों के लिए मजबूत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने पर प्रमुख जोर दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 में, वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए) ने पहली बार एएफक्यूएमएस (फर्मों और इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्वीकृति) के साथ एचपीवीपी विजाग इकाई और इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल की एचपीवीपी विजाग और बीएपी रानीपेट इकाइयां एयरोस्पेस मानक (एएस 9100) के अनुसार विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा संगठन की आवश्यकताओं का पालन करती हैं। बीएचईएल के विभिन्न उत्पाद भारतीय सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (एएसएमई), यूएसए; भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस); अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (एपीआई), यूएसए; और लॉयड्स रजिस्टर, आदि एजेंसियों द्वारा भी प्रमाणित हैं।

## 1.12 मानव संसाधन

किसी इंजीनियरिंग संगठन के लिए उसके कर्मचारी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं और बीएचईएल को अपने प्रेरित और सक्षम कार्यबल पर गर्व है। बीएचईएल को 'प्रोजेक्ट सेंट्रिक' संगठन में बदलने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। कर्मचारी–संबंधित मुद्दों और चिंताओं को व्यापक रूप से समझने, संगठनात्मक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संगठनात्मक परिवर्तनों के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने और व्यक्त चिंताओं को हल करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए यूनिट रीच आउट कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, व्यक्तिगत लक्ष्यों को यूनिट/डिवीजन एवं संगठन के लक्ष्यों के साथ संबद्ध करने को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए पुरस्कार और मान्यता को ठोस लक्ष्यों की उपलब्धि से जोड़ा गया है। इसके अलावा, बीएचईएल ने संगठन के महत्वपूर्ण सफलता कारकों के साथ संबद्ध संकेतक स्थापित करने के लिए कंपनी व्यापी बैलेंस स्कोरकार्ड ढांचे को मजबूत किया है और भूमिका धारकों और कार्यों के लिए केपीआई की निष्पक्षता, मूल्यांकन और प्रासंगिकता को बढ़ावा देने के लिए एक केपीआई लाइब्रेरी भी विकसित की गई है।

अपनी मानव पूंजी के दीर्घकालिक और निरंतर विकास के लिए, कार्यबल (कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों के साथ–साथ श्रमिकों) के प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षण, निरंतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए ई–मॉड्यूल का उपयोग, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, आंतरिक संचार को मजबूत करना, सरलीकरण जैसी पहल वर्ष के दौरान उन्हें कर्मचारी केंद्रित बनाने आदि की नीतियां अपनाई गईं।

### 1.12.1 ज्ञानार्जन और विकास

बीएचईएल के लिए अपने सभी कर्मचारियों, यानी कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों और आर्टीजन के प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक कौशल का निरंतर विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी द्वारा चल रहे ऊर्जा परिवर्तन के साथ–साथ विविधीकरण पहलों के साथ, कंपनी एक चुस्त, अनुकूली और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने के लिए अनलर्निंग और रीलर्निंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट (सीएलडी) द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं (क) प्रौद्योगिकी और कार्यात्मक प्रशिक्षण (ख) उन्नयन पोर्टल के माध्यम से ई–लर्निंग और (ग) प्रबंधकीय और व्यवहारिक प्रशिक्षण। परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में कर्मचारियों को प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को 98 ई–लर्निंग मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं। कर्मचारियों के लिए लागत कटौती के क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

मौजूदा ट्रेडों के लिए रीस्किलिंग FGD, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कंट्रोल सिस्टम, पावर ट्रांसफार्मर, कंप्रेसर, पंप, WAG–7 में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, टर्बाइन और इसकी सहायक कंपनियों जैसे क्षेत्रों में की गई है।

*बीएचईएल में नवंबर 2022 को 'गुणवत्ता सर्वप्रथम' विषय पर गुणवत्ता माह मनाया गया*

कोयले से मेथनॉल, कोयले से अमोनिया, बैटरी विनिर्माण और ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, एयूएससी प्रौद्योगिकी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग, प्रौद्योगिकी, थर्मल पावर प्लांटों का लचीलापन, ट्रेन टकराव बचाव प्रणाली (टीसीएएस) और स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली, आदि जैसे क्षेत्रों में स्किलिंग/अपस्किलिंग की गई है।

प्रौद्योगिकी/कार्यात्मक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आंतरिक संकायों की क्षमताओं को विकसित करने पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इन–हाउस संकायों को 'संकाय विकास कार्यक्रम' के माध्यम से विकसित किया गया, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सुरक्षा कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है जिसके लिए साइटों पर तैनात कर्मचारियों के लिए 'सेफ्टी इंडक्शन प्रशिक्षण' पर एक मासिक शृंखला शुरू की गई है, ताकि उनके सुरक्षा पहलू को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

बीएचईएल ने 2022–23 में अपनी इकाइयों में 1859 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया, जिनमें से 1390 ट्रेड (आईटीआई) प्रशिक्षु थे बाकी 469 प्रशिक्षु स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक या गैर–प्रौद्योगिकी क्षेत्र के थे। प्रशिक्षुओं को विनिर्माण क्षेत्र में सर्वोत्तम कौशल के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग बुनियादी ढांचे पर कार्य सीखने का अवसर प्रदान किया गया।

बीएचईएल का 7वां "ज्ञानार्जन सप्ताह" 5 से 11 सितंबर 2022 तक विनिर्माण इकाइयों और क्षेत्रों में मनाया गया, जिसका विषय था, 'रणनीति–नवाचार–कार्यान्वयन' को चल रही रणनीतिक योजना 2022–27 के अनुरूप बनाना।

### 1.12.2 निष्पादन एवं करियर विकास

बीएचईएल की परिवर्तनकारी यात्रा की योजना बनाने के क्रम में मा.सं. द्वारा उत्तराधिकार योजना की पहचान प्रमुख आवश्यक क्षेत्रों में से एक के रूप में की गई है। संगठन स्तर पर विशेष दायित्वों पर पुनर्विचार किया जा रहा है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की पहचान की जा रही है। इन भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार की योजना सर्वप्रथम इनके लिए सफलता के प्रमुख कारकों की पहचान करके और उत्तराधिकारियों का एक समूह विकसित और तैयार करके बनाई जा रही है ताकि कार्मिकों की कमी के जोखिम को कम किया जा सके।

बीएचईएल ने अपने नेतृत्व क्षमता मॉडल और उसके व्यावहारिक तत्वों पर दोबारा गौर किया, जिन्हें संगठन के नेतृत्व द्वारा प्रदर्शित करने की उम्मीद की जाती है। इस कार्य में विकास केंद्रों के माध्यम से वरिष्ठ नेतृत्व का आकलन करना और उसके बाद संगठन के अंदर संभावित नेतृत्व विकसित करने के लिए आईआईएम जैसे प्रसिद्ध संस्थानों में प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)

जैसे व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों की पहचान करना शामिल था।

विभिन्न अन्य स्तरों पर नेतृत्व विकसित करने के लिए आंतरिक रूप से और प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के सहयोग से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संगठन की आवश्यकताओं/ पद्धतियों के अनुरूप प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक कौशल विकसित करने के लिए केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वित किए गए हैं।

### कर्मचारी संतुष्टि और कार्य सहभागिता सर्वे 2021–22

प्रत्येक एकांतर वर्ष में कर्मचारी संतुष्टि और सहभागिता सर्वेक्षण किया जाता है। ज्ञानार्जन और विकास, संचार, कैरियर एवं कार्यनिष्पादन प्रबंधन, पुरस्कार और सम्मान स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, प्रतिपूर्ति और भौतिक कार्य पर्यावरण संरक्षण जैसे मानकों पर निर्भर हैं। 2021–22 के लिए कर्मचारी संतुष्टि और सहभागिता सूचकांक ईएसईआई 7.88 (दस के पैमाने पर) पर है।

### कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3)(p) के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार, निदेशक मंडल सूचीबद्ध कंपनी की रिपोर्ट में निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल एवं निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन की रीति को दर्शाने वाला विवरण शामिल किया जाएगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों से छूट दी है जो अन्य बातों के साथ धारा 134 (3) (पी), औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन विवरण के संबंध में इसके अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी, यदि निदेशक मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जो प्रशासनिक रूप से प्रभारी है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त छूट के अनुरूप, नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप–धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी।

सीपीएसई में, कंपनी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू में उन मापदंडों और पहलुओं का विवरण है जो कंपनी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू करने के लिए आवश्यक है। वर्ष के अंत में इस एमओयू का सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाता है एवं निर्धारित मापदंडों के आधार पर बीएचईएल को निष्पादन रेटिंग दी जाती है। इसके अलावा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक अच्छी निर्धारित प्रक्रिया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने एक प्रारूप तैयार किया है और कार्यकारी निदेशक के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल, जैसा कि उनकी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों में बताया गया है, पांच वर्ष या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, है।

निदेशक मंडल स्तर की समितियों के विचारार्थ विषय निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होते हैं। निदेशक मंडल स्तर की समितियों के कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के अवलोकनार्थ उसके समक्ष रखा जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल (आमतौर पर तीन साल की अवधि) भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। डीपीई बीएचईएल के प्रशासनिक मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल में गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन/ आकलन का कार्य कर रहा है।

### 1.12.3 औद्योगिक संबंध

बीएचईएल की सभी वर्गों के कर्मचारियों के साथ खुले और निरंतर संचार की नीति के माध्यम से सुनिश्चित 'सभी की भागीदारी के माध्यम से सर्वांगीण विकास', हमारी औद्योगिक संबंधों की यात्रा का प्रेरक मंत्र रहा है। विभिन्न कर्मचारी समूहों के साथ निकट सहयोग में प्रबंधन द्वारा भागीदारी संस्कृति को दिया गया प्रोत्साहन संगठन में एक सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण को बनाए रखने और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी की विभिन्न निर्माण इकाइयों, प्रभागों और कार्यालयों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे। कंपनी की नीतियों के खिलाफ हड़ताल के कारण वर्ष के दौरान नगण्य (0.002%) मानव दिवस नष्ट हुए, जो प्रबंधन के साथ–साथ कर्मचारी समूहों द्वारा संगठन के लक्ष्यों की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने के लिए किए गए ठोस प्रयासों का प्रमाण है।

भागीदारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए बीएचईएल की प्रतिबद्धता के अनुरूप, वर्ष के दौरान शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय मंच अर्थात् "बीएचईएल की संयुक्त समिति" की एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, इकाई स्तर पर, विभिन्न विनिर्माण स्थानों पर "प्लांट काउंसिल" की 38 बैठकें और "शॉप काउंसिल" की 278 बैठकें आयोजित की गईं। इन मंचों पर चर्चा विशेष रूप से उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता, सुरक्षा और डिलिवरी से ग्राहक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न लागत कटौती उपायों को अपनाकर कंपनी के समग्र प्रदर्शन में सुधार लाने के बारे में हुई। इन प्रयासों के माध्यम से, बीएचईएल का लक्ष्य स्थायी विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता सुनिश्चित करके कर्मचारियों सहित अपने विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित करना है।

### 1.12.4 जनशक्ति

दिनांक 31 मार्च, 2023 को कंपनी की कुल जनशक्ति 29,536 है जिनमें 10,187 कार्यपालक, 4,363 पर्यवेक्षक तथा 14,986 श्रमिक शामिल हैं।

*निदेशक (आईएसएंडपी), बीएचईएल आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी में परियोजना समीक्षा के दौरान बीएचईएल इंजीनियरों के साथ*

*बीएचईएल के सीएमडी एचईपी, भोपाल में पंचिंग ऑपरेशन का निरीक्षण करते हुए*

### 1.12.5 राष्ट्रपति के निदेशों के संबंध में स्थिति

(क) आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति (ख) वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कोई राष्ट्रपति निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

#### 1.12.5.1 आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति पर निर्देशः

केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण नीति पर राष्ट्रपति के निदेशों में सीधी भर्ती के साथ–साथ निर्दिष्ट पदों में पदोन्नति और उम्मीदवारों की निर्दिष्ट आरक्षित श्रेणी, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) में कुछ प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, निदेशों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में निर्दिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कुछ रियायतों और छूट का प्रावधान भी है। राष्ट्रपति के निदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोस्टर प्रणाली के माध्यम से आरक्षण प्रतिशत सुनिश्चित किया जाता है।

**इस विषय पर अन्य प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई हैः**

1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूएस कर्मचारियों का प्रतिशत

   31 दिसंबर, 2022 को कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 20.73%, 7.56% और 36.92% था। वर्ष 2021–22 के दौरान ग्रुप ए एवं ग्रुप सी के लिए 02 अनुसूचित जाति और 01 अनुसूचित जनजाति की भर्ती की गई ।

   31 दिसंबर 2021 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण और कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या, जैसा कि सरकार को दिया गया है, **अनुलग्नक–क** में दिया गया है।

2. 31 दिसंबर, 2022 को दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या

31 दिसंबर, 2022 को पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की कुल संख्या 835 थी। वर्ष 2022 में समूह ए में ओएच श्रेणी में एक पार्श्विक (लेटरल) भर्ती हुई थी। 31 दिसंबर, 2022 को कंपनी में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की समूहवार जनशक्ति **अनुलग्नक–ख** में दी गई है।

### 1.12.5.2 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों से संबंधित अधिनियम "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नियमों की अधिसूचना के साथ 9 दिसंबर, 2013 से लागू हो गया है, जिसे "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013" कहा जाता है। अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार, बीएचईएल की सभी इकाइयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है और उनके गठन और संपर्क विवरण इकाई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ता के कर्तव्यों, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए कार्रवाई और यौन उत्पीड़न के बारे में विभिन्न गलत धारणाओं पर प्रकाश डालने वाले पोस्टर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में सभी इकाइयों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार कंपनियों द्वारा आईसीसी के लिए सालाना अभिमुखी सत्र या प्रशिक्षण आयोजित किए जाने आवश्यक हैं। आंतरिक शिकायत समिति के पास महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए ज्ञान और संवेदनशीलता होनी चाहिए। यह न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। अधिनियम के अनुरूप संपूर्ण बीएचईएल आधार पर आईसीसी सदस्यों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इकाई स्तर पर, यौन

*कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया*

उत्पीड़न अधिनियम और लिंग संवेदीकरण पर 24 कार्यशालाएँ/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोई मामला सामने नहीं आया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के अग्रेनीत 03 मामलों का निस्तारण किया गया। 31.03.2023 तक कोई भी मामला लंबित नहीं है।

**अनुलग्नक–क**

## 31 दिसंबर 2022 तक एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान की गई नियुक्तियों को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

| ग्रुप | एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व ( 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति) | | | | | कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान की गई नियुक्तियाँ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सीधी भर्ती द्वारा | | | | | पदोन्नति द्वारा* | | | प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा | | | | | | | |
| | कर्मचारियों की कुल संख्या | ईड. ब्ल्युएस | एस सी | एसटी | ओबीसी | कुल | ईड. ब्ल्युएस | एस सी | एसटी | ओबीसी | कुल | एस सी | एसटी | कुल | एस सी | एसटी | ओबीसी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ग्रुप A | 11229 | 6 | 2033 | 929 | 3139 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ग्रुप B | 4522 | 0 | 917 | 527 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ग्रुप C | 13905 | 3 | 3184 | 797 | 6684 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ग्रुप D (SW के अतिरिक्त) | 151 | 0 | 32 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ---- लागू नहीं ---- | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ग्रुप D (SW) | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | **29826** | **9** | **6184** | **2256** | **11012** | **22** | **0** | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* बीएचईएल में इंडक्शन स्तर पर पदोन्नति से नियुक्तियां नहीं होतीं

**अनुलग्नक–ख**

वर्ष 2022 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति का विवरण

| ग्रुप | कर्मचारियों की सं. | | | | सीधी भर्ती | | | | | | | पदोन्नति* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कर्मचारियों की कुल संख्या | विएच | एचएच | ओएच | आरक्षित रिक्तियाँ | | | कुल | कुल नियुक्तियाँ की गई | | | आरक्षित रिक्तियाँ | | | कुल | कुल नियुक्तियाँ की गई | | |
| | | | | | विएच | एचएच | ओएच | | विएच | एचएच | ओएच | विएच | ओएच | एचएच | | विएच | एचएच | ओएच |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ग्रुप A | 11229 | 5 | 16 | 288 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
| ग्रुप B | 4522 | 1 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| ग्रुप C | 13905 | 16 | 24 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | -------------- लागू नहीं ----------- | | | |
| ग्रुप D | 170 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| कुल | **29826** | **24** | **51** | **760** | **0** | **0** | **5** | **5** | **0** | **0** | **1** | | | | | | | |

**टिप्पणी:**

(i) VH का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधेपन या न्यून दृष्टि से पीड़ित)

(ii) HH का अर्थ है श्रवणबाधित (सुनने में अक्षम व्यक्ति)

(iii) OH का अर्थ है अस्थि विकलांग (चलने में अक्षमता अथवा पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

* बीएचईएल में इंडक्शन स्तर पर पदोन्नति से नियुक्तियां नहीं होतीं

## 1.13 देश के लिए क्षमता निर्माण

कंपनी द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से डब्ल्युआरआई तिरुच्चि और उसके विस्तार केंद्रों वाराणसी, रानीपेट, भोपाल, झांसी एवं हरिद्वार वैल्डिंग प्रोद्योगिकी में कौशल विकास हेतु "कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र" तैयार किया जा रहा है। केंद्रों में "भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र चरण II (सीजी–II) में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि" की एमएचआई योजना के तहत बुनियादी और उन्नत वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों में सालाना ~ 5000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। डब्ल्युआरआई तिरुच्चि स्थित सीईएफसी और उसके विस्तार केंद्र वाराणसी, रानीपेट, भोपाल, झांसी एवं हरिद्वार पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं एवं जून 2023 तक इनमें 2000 से अधिक वेल्डरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

## 1.14 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, बीएचईएल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत है। कंपनी में कॉर्पोरेट कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के साथ प्रत्येक प्रमुख प्रशासनिक इकाई में 24 अन्य सीपीआईओ कार्यरत हैं। कंपनी में अधिनियम के अंतर्गत सीपीआईओ(ओं) के आदेशों के खिलाफ दायर पहली अपील को निपटाने के लिए 25 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी कार्यरत हैं।

नागरिकों को आरटीआई आवेदन और पहली अपील ऑनलाइन दाखिल करने में सुविधा के लिए, बीएचईएल ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल (https://rtionline.gov.in) को अपनाया है। परिणामस्वरूप, पोर्टल पर दायर आरटीआई आवेदनों और आरटीआई प्रथम अपीलों का जवाब ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिया जा रहा है। धारा 4 (1) (बी) का प्रकटीकरण बीएचईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा, अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने और आरटीआई प्रथम अपील दायर करने की प्रक्रिया को दर्शाने वाले कुछ दिशानिर्देश और प्रोफार्मा बीएचईएल की वेबसाइट पर दिए गए हैं।

सीपीआईओ और अन्य आंतरिक हितधारकों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत अपने दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाता है।

सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा गठित आरटीआई पर परिचालन समिति का सदस्य होने के नाते बीएचईएल स्कोप द्वारा आयोजित आरटीआई मामलों से संबंधित बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सभी चार तिमाहियों के लिए त्रैमासिक आरटीआई रिटर्न केंद्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान 602 आवेदन एवं 89 अपीलें प्राप्त हुई तथा 554 आवेदन एवं 78 अपीलों का निराकरण किया गया।

## 1.15 जोखिम और चिंताएं

बीएचईएल के व्यवसाय में वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, प्रौद्योगिकी, ईएसजी विशिष्ट, साइबर सुरक्षा और भू–राजनीतिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंतरिक और बाहरी जोखिम हैं। बदलते कारोबारी माहौल, गतिशील ग्राहक आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी संबंधी विचार, अनुबंधों की लंबी अवधि और प्रतिकूल परिस्थितियों में समय पर ऑन–साइट उत्पाद समर्थित आवश्यकताएं, बीएचईएल के कामकाज के लिए विशिष्ट कुछ जोखिम हैं।

उद्योग जोखिमों की व्यापकता, कंपनी के व्यापार पोर्टफोलियो की विविधता और संचालन के भौगोलिक स्थानों को ध्यान में रखते हुए, बीएचईएल ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। जोखिम की पहचान की प्रक्रिया में कंपनी के उद्देश्यों, बाहरी वातावरण, उद्योग रिपोर्टों के साथ–साथ आंतरिक और बाहरी हितधारकों सहित अन्य कारक सक्रिय रूप से सहायक हैं।

बीएचईएल ने एक सुव्यवस्थित और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति लागू की है। चार्टर का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य समझ, भाषा और कार्यप्रणाली स्थापित करना और प्रबंधन को यह आश्वासन देना है कि कंपनी में प्रमुख जोखिमों की उचित पहचान और प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है।

बीएचईएल के जोखिम प्रबंधन ढांचे में तीन स्तरीय संरचना है, जिसमें शीर्ष स्तर निदेशक मंडल (बीओडी) के प्रतिनिधित्व वाली निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) कॉर्पोरेट स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) और क्षेत्रों/इकाइयों/व्यावसायिक क्षेत्रों में यूनिट जोखिम प्रबंधन समितियां (यूआरएमसी) है। 'निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति' (बीएलआरएमसी) को कंपनी की जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निदेशक मंडल/बीएलआरएमसी शीर्ष जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को अन्य बातों के साथ–साथ एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करना, जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर समीक्षा करना, कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों आदि के तहत निर्धारित समिति के विचारार्थ विषय से संबंधित कोई अन्य कार्य करने के लिए उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं। बीएलआरएमसी ने 10 जनवरी 2023 को आयोजित बैठक में बीएचईएल के श्जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीतिश की समीक्षा की।

बीएलआरएमसी और आरएमएससी के संयोजक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बोर्ड/बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों का जोखिम प्रबंधन संचालन समिति द्वारा विस्तार से विश्लेषण किया जाता है, जो जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी भर में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है।

आरएमएससी उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम मापदंडों और उनके मापने के मापदंडों पर पुनर्विचार करता है और तदनुसार उनमें संशोधन/हटाने/जोड़ने की सिफारिश करता है। इस वर्ष, आरएमएससी ने 'अतिरिक्त घरेलू विनिर्माण क्षमताओं' के जोखिम विवरण के लिए गैर–कोयला व्यवसाय से बुक किए गए ऑर्डर से संबंधित एक नया जोखिम माप पैरामीटर शामिल करने की सिफारिश की है। नीतिगत परिवर्तनों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापार मिश्रण में बदलाव के कारण ऑर्डर बुक में कमी होने से यह संबंधित जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए रणनीति तैयार करने में सक्षम है। इकाई स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियाँ अपने–अपने क्षेत्रों से संबंधित जोखिमों का विश्लेषण करती हैं, निराकरण योजनाएँ तैयार करती हैं, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं और यदि आवश्यक हो तो शीर्ष प्रबंधन को भी सूचित करती हैं।

शीर्ष छह प्रमुख जोखिम जिनका कंपनी सामना करती है और उन्हें कम करने के लिए संबंधित रणनीतियों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

| जोखिम विवरण | शमन रणनीतियाँ |
|---|---|
| अतिरिक्त घरेलू विनिर्माण क्षमता, नीतिगत परिवर्तनों के कारण व्यापार मिश्रण में परिवर्तन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ऑर्डर बुक कम होना | चल रही ऊर्जा परिवर्तन ने जीवाश्म ईंधन–आधारित विद्युत उत्पादन से ध्यान हटाकर विद्युत उत्पादन के हरित तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी अप्रयुक्त क्षमताएं पैदा हो रही हैं। कंपनी के पारंपरिक 'थर्मल' व्यवसाय में लगभग तीन वर्षों के लिए मुख्य संयंत्र उपकरण ऑर्डर 'शून्य' था (2x660 मेगावाट, एनटीपीसी तालचेर के लिए सितंबर 2022 में ऑर्डर के साथ) जिससे बाद के वर्षों में राजस्व वसूली प्रभावित हुई है। कंपनी कम रेटिंग वाले सुपरक्रिटिकल प्लांट, स्वदेशी एयूएससी तकनीक के साथ–साथ थर्मल सेक्टर में टीपीपी के लचीले संचालन के लिए समाधान पेश कर रही है।<br><br>इसके अलावा क्लीन–कोयला और गैर–कोयला व्यवसाय से बुक किए गए ऑर्डर पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका विवरण निम्न है:<br>• "कोयला से रसायन" और "हरित हाइड्रोजन" मूल्य श्रृंखला जैसे उभरते नए क्षेत्रों में उद्यम करने के लिए रणनीतिक गठजोड़ पर जोर दिया गया।<br>– कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र स्थापित करने के लिए सीआईएल और एनएलसीआईएल के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बीएचईएल ने "राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन" को सक्षम करते हुए उच्च राख वाले भारतीय कोयले के गैसीकरण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पीएफबीजी तकनीक के उन्नयन के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग पूरी कर ली है।<br>– इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संभावित अवसरों को साकार करने के लिए अग्रणी सलाहकार नियुक्त करना।<br>• आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया मिशन, पीएलआई योजनाओं और पूंजीगत सामान संवर्धन योजना–II से उत्पन्न अवसरों की पूर्ति। |
| | • परिवहन, रक्षा और एयरोस्पेस, पुर्जों और सेवाओं और श्रृंखला संचालन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।<br>• BHEL-TRSL (बीएचईएल टीटागढ़ रेल सिस्टम लि.) कंसोर्टियम को 80 ''वंदे भारत'' ट्रेनों का ठेका दिया गया है। पांच बोलीदाताओं में से बीएचईएल–टीआरएसएल कंसोर्टियम एकमात्र पूर्ण घरेलू भारतीय बोलीदाता था, और यह ''आत्मनिर्भर भारत'' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। |
| परियोजनाओं की डिलीवरी में देरी से एलडी, पैनल्टी, ग्राहक असंतोष और कंपनी की छवि पर प्रभाव | परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा परियोजना केंद्रित संचालन समीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:<br>• साइट डेटा डिजिटाइजेशन (एसडीडी) पर चल रहे काम के साथ एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) के सफल कार्यान्वयन ने परियोजना की प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी के साथ–साथ मुद्दों के मामले में त्वरित हस्तक्षेप को सक्षम किया है।<br>• कंपनी ने एनटीपीसी 2x660MW तालचर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निष्पादन में सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) नियुक्त किया है।<br>• निरंतर निर्माण को सक्षम करने के लिए परियोजना स्थलों पर अनुक्रमिक आपूर्ति सुनिश्चित की गई<br>• परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग आदि गतिविधियां अवार्ड–पूर्व चरण में शुरू किया जाना।<br>• साइटों पर 'परियोजना निदेशक' – कार्य निष्पादन में तेजी लाने के लिए साइट पर तेजी से निर्णय लेने के लिए कार्यकारी निदेशक की वित्तीय शक्ति के साथ सशक्त परियोजना निदेशक की तैनाती<br>• ठेकेदार के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहित करने के लिए 'बोनस क्लॉज' को शामिल करना। |
| बढ़ते देनदार | • वर्तमान में चल रही और कमीशन की गई परियोजनाओं के लिए देनदारों से नकद वसूली की बेहतर प्रभावकारिता के लिए क्रॉस फंक्शनल टीमों का गठन। |
| बढ़ते देनदार | • पुराने बिलों और चालू वर्ष के बिलों के निपटान पर अलग–अलग ध्यान केंद्रित करके बिलिंग/नकद संग्रह प्रक्रिया की मजबूती से निगरानी।<br>• प्रबंधन द्वारा देनदारों और उनके प्रावधानों के प्रत्येक तत्व पर नियमित रूप से ध्यान और समीक्षा।<br>• परियोजना के नकदी प्रवाह से जुड़े विभिन्न माइलस्टोन को तेजी से पूरा करना<br>• देनदारों के परिसमापन के लिए मंत्रालय/सरकारी एजेंसियों से सहयोग मांगना |

| जोखिम विवरण | शमन रणनीतियाँ |
|---|---|
| | • मध्यस्थता / एनसीएलटी / एमआरसीडी कार्यवाही सहित कंपनी की व्यापार प्राप्य नीति के अनुरूप चूक करने वाले ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई।<br>• अनुबंध परिसंपत्तियों को व्यापार प्राप्य में बदलने के लिए परियोजना माइलस्टोन को पूरा करने पर ध्यान देना<br>गौरतलब है कि कंपनी संस्कृति के परियोजना केंद्रित दृष्टिकोण में प्रतिमान परिवर्तन के साथ क्रमिक प्रेषण, परियोजना गतिविधियों / माइलस्टोन की समय से डिलीवरी के साथ–साथ अनुशासित बिलिंग में निरंतर ध्यान केंद्रित करना, समय से बकाया संग्रहण से वर्तमान वर्ष के बिलिंग संग्रहण में अत्यधिक उछाल आया है जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के 59% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में 86% है। |
| प्रत्यक्ष सामग्री लागत में वृद्धि लाभप्रदता को प्रभावित करने वाली है। | • सामग्री लागत को कम करने की दृष्टि से, उद्योग बेंचमार्क के अनुरूप डिजाइन अनुकूलन के लिए एक लागत अनुकूलन सेल (सीओसी) का गठन किया गया है।<br>• कंपनी ग्राहक के ऑर्डर से लेकर निष्पादन चरण, स्वदेशीकरण आदि तक इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और विवेकपूर्ण खरीद की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी उच्च सकल मार्जिन वाले क्षेत्रों जैसे स्पेयर और सेवाओं, रक्षा, एयरोस्पेस, परमाणु, आदि में ऑर्डर पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। |
| | • एक ही प्रकार के सामान्य उत्पाद एक से अधिक इकाइयों में डिज़ाइन / विनिर्मित किए जा रहे हैं उन्हें एकीकृत और अनुकूलित किया जा रहा है।<br>• साइटों / इकाइयों पर अधिशेष सामग्री की पहचान और उसका उपयोग इन–हाउस विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। |

| जोखिम विवरण | शमन रणनीतियाँ |
|---|---|
| मुख्य उत्पादों में प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता<br>वर्तमान / भविष्य की बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने से व्यापार में हानि की संभावना | • प्रौद्योगिकी परिदृश्य में बदलाव और नए व्यावसायिक अवसरों के लिए आने वाली संभावनाओं को चिह्नित करते हुए, कंपनी इन–हाउस विकास, शैक्षिक संस्थानों से सहयोग और स्थापित उद्योगों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (टीसीए) के संयोजन के माध्यम से अवसरों पर ध्यान दे रही है। कंपनी के पास वर्तमान में वैश्विक इंजीनियरिंग और विनिर्माण नेताओं और भारतीय संस्थाओं के साथ 13 सक्रिय टीसीए हैं (700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्टीम टर्बाइन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी GmbH General Electric Technology GmbH] स्विट्जरलैंड के साथ सहयोग; सबक्रिटिकल के लिए सुमितोमो SHI FW (एसएफडब्ल्यू), फिनलैंड के साथ सहयोग) सुपरक्रिटिकल सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर, आदि)<br>• घरेलू प्रयासों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों का विकास और उन्नयन, जैसे कि कंपनी ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले से सिनगैस उत्पन्न करने के लिए पहले से ही स्वदेशी रूप से दबावयुक्त द्रवीकृत बिस्तर गैसीकरण (पीएफबीजी) तकनीक विकसित कर ली है।<br>• गैस टर्बाइन और इसके स्पेयर और सेवा व्यवसाय के लिए GE के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता।<br>– नए क्षेत्रों के लिए कुछ प्रमुख समझौता ज्ञापनों में निम्नलिखित के साथ समझौता ज्ञापन शामिल हैं :–<br>– कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र स्थापित करने के लिए सीआईएल और एनएलसीआईएल।<br>– हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला से संबंधित क्षेत्रों में संभावित सहयोग के लिए कमिंस इंडिया लिमिटेड। |

| जोखिम विवरण | शमन रणनीतियाँ |
|---|---|
| ऑनलाइन डाटा एवं सूचना सुरक्षा का भंग होना जो हानि होने महत्वपूर्ण सूचना ढ़ांचा भंग होने का कारण हो सकता है। | • नेक्स्ट–जेन साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (Cyber SOC) जिसमें यूजर और एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स (UEBA), सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स (SOAR) और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल (WAFs) जैसी उन्नत सुविधाएं हैं, को लागू किया गया है। व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरेक अंतर्निहित हैं। साथ ही, किसी आपदा से निपटने के लिए डीआर समाधान भी लागू किया जाता है। थ्रेट इंटेल सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट (SIEM) के साथ एकीकृत है जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पन्न कार्रवाई योग्य वस्तु और की गई वास्तविक कार्रवाई के बीच की समय सीमा कम से कम हो।<br>• बीएचईएल के सभी इंटरनेट राउटर्स का साइबर स्वच्छता केंद्र (CERT-In. MeitY का बोटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र) के साथ एकीकरण<br>• सभी आईएसओ 27001 प्रमाणित बीएचईएल इकाइयों में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) का एकीकरण।<br>• कंपनी की सुरक्षा स्थिति के समग्र दृष्टिकोण के लिए एंडपॉइंट सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत समाधान लागू किया गया है। पूरे संगठन में सामान्य सुरक्षा नीतियों को सिस्टम के माध्यम से लागू किया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए सेंट्रल डैशबोर्ड की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और किसी भी मैलवेयर को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय उपाय किए जाते हैं।<br>• फ़िशिंग मेल जोखिमों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए जागरूकता पैदा करते हुए, फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास समय–समय पर आयोजित किया जाता है। |

### 1.16 डाटा एवं साइबर सुरक्षा

बीएचईएल को साइबर खतरों से बचाने के साथ–साथ अपनी आईटी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कंपनी ने उन्नत सुरक्षा उपाय लागू किए हैं

संगठन ने अपने संपूर्ण बुनियादी ढांचे में एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (EDR) क्षमताओं के साथ एक एकीकृत और केंद्रीकृत एंडपॉइंट सुरक्षा समाधान भी लागू किया है।

बीएचईएल नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, महत्वपूर्ण आईटी सेवाओं के लिए दो–कारक प्रमाणीकरण तैयार किया है। इस कार्यान्वयन का उद्देश्य अनधिकृत पहुंच को प्रभावी ढंग से रोकना और बीएचईएल के नेटवर्क और डेटा की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करना है।

किसी भी संभावित खतरे या सुरक्षा घटनाओं का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए नेटवर्क, आईटी सिस्टम और अंतिम उपकरणों की निरंतर निगरानी 24/7 की जाती है। सभी लॉग एक सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट (SIEM) प्रणाली में एकत्र किए जाते हैं, जो सहसंबंध और विश्लेषण को साइबर खतरों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया एक केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (C-SOC) में होती है।

इस वर्ष, हमने विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताओं और सुधारों को लागू करके C-SOC को पूरी तरह से नया रूप दिया है, जो न केवल शमन प्रक्रिया को स्वचालित करता है, बल्कि पहचाने गए खतरों पर बीएचईएल की सक्रियता भी सुनिश्चित करता है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं

- एकीकृत ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस से प्राप्त इनपुट और CERT-In - NCIIPC जैसे सरकारी निकायों से सलाह के आधार पर साइबर खतरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिए SOAR (सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन और रिस्पांस) के माध्यम से स्वचालन।
- सामान्य सुरक्षा उपयोग के मामलों, जैसे अलार्म, व्यूज, रिपोर्ट, वेरिएबल और वॉचलिस्ट के लिए प्रीपैकेज्ड कॉन्फ़िगरेशन (इसे कंटेंट पैक कहा जाता है)।
- वैश्विक नियमों और नियंत्रण ढांचे के लिए पूर्वनिर्धारित डैशबोर्ड, ऑडिट ट्रेल्स और रिपोर्ट
- रेग्यूलेशन और नियंत्रण फ्रेमवर्क
- तीसरे पक्ष के सुरक्षा विक्रेता उपकरणों और ख़तरे की खुफ़िया फ़ीड से डेटा एकत्र करने की क्षमता
- स्केलेबल डेटा आर्किटेक्चर जो कई वर्षों के लॉग इवेंट एकत्र और सहसंबंधित करता है
- प्रासंगिक जानकारी के साथ घटनाओं को समृद्ध करने की क्षमता (जैसे गोपनीयता समाधान; खतरा डेटा और रेपुटेशन फ़ीड; और पहचान और एक्सेस मेनेजमेंट सिस्टम)
- सुरक्षित एप्लिकेशन डिलीवरी, DDoS और अन्य हमलों की रोकथाम के साथ वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (WAF) के साथ एकीकृत

बीएचईएल न केवल साइबर खतरों को कम करने में प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानता है, बल्कि कंपनी की आईटी संपत्तियों की सुरक्षा में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार करता है। बीएचईएल अपने आईटी विशेषज्ञों को शिक्षित और कुशल बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, साथ ही पूरे संगठन में सिमुलेशन अभ्यास, लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और व्यापक संचार के माध्यम से साइबर अपराध, सामाजिक इंजीनियरिंग हमलों और संबंधित जोखिमों के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाता है।

बीएचईएल द्वारा 2005 से सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के अपने संगठन–व्यापी प्रमाणीकरण को कायम रखा गया है।

नवीनतम ISO 27001 मानक (ISO 27001:2022) के साथ संरेखित करने के लिए, BHEL ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अपने ISMS सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बनाई है जिससे संगठन के सूचना सुरक्षा ढांचे को और मजबूती मिलेगी।

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

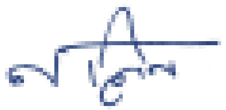

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2023

# निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक –II

## कॉर्पोरेट अभिशासन

### 2.1 कॉर्पोरेट अभिशासन पर हमारी धारणा

बीएचईएल एक मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे के भीतर कार्य करता है, जो शासन की गुणवत्ता, खुलासों में पारदर्शिता, हितधारकों के मूल्य में लगातार वृद्धि और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बीएचईएल अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज के विश्वास निर्माण पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए, कॉर्पोरेट प्रशासन की बुनियादी और नियामक आवश्यकताओं से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कंपनी का कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा पारदर्शिता, प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी, विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के प्रति निष्पक्षता की आधारशिला पर आधारित है।

बीएचईएल में कॉर्पोरेट अभिशासन में निम्नलिखित कारक मजबूती प्रदान करते हैं:

i. निदेशक मंडल की स्वतंत्रता एवं बहुमुखी प्रतिभा

ii. सभी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार

iii. सभी हितधारकों शेयरधारको, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज के प्रति कर्तव्यों का उत्तरदायित्व

iv. उच्च स्तरीय प्रकटीकरण और पारदर्शिता

v. कंपनी परिचालन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण कानूनी और नियामक अनुपालन

vi. लोगों तथा पर्यावरण के प्रति सहानुभुति रखते हुए ऊपर दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति

कंपनी कॉर्पोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं और आचार संहिता का अनुपालन करते हुए सभी मूल मूल्यों को चरितार्थ करते हुए, जो बीएचईएल के शेयरधारकों को दीर्घकालिक रिटर्न, ग्राहकों को अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों को आकर्षक अवसर, और समाज का संवर्धन करते हुए अपने व्यवसाय का परिचालन करने में विश्वास करती है।

### 2.2 निदेशक मंडल

#### i. निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, बीएचईएल एक "सरकारी कंपनी" है क्योंकि कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 63.17% भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास है।

निदेशक मंडल की स्वतंत्रता को बनाए रखने, प्रबंधन और नियंत्रण के निदेशक मंडल के कार्यों को भिन्न करने के लिए बीएचईएल के निदेशक मंडल की संरचना में कार्यपालक निदेशकों का एक समुचित मिश्रण है। जिसमें सीएमडी और गैर – कार्यकारी निदेशक शामिल है, जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नामितों और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया जाता है।

**31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:**

| निदेशकों की श्रेणी | निदेशक मंडल संरचना | 31 मार्च, 2023 को वास्तविक संख्या |
|---|---|---|
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 1 | 1 |
| पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक | 5 | 4 |
| भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित) | 2 | 2 |
| अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक | 8 | 2 |
| **कुल** | **16** | **9** |

31 मार्च, 2023 तक, बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की छह रिक्तियां और पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक यानी निदेशक (मा.सं.) की एक रिक्ति है। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है।

#### ii. वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों एवं पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

| निदेशक का नाम श्री / श्रीमती | निदेशक मंडल की बैठकों की सं. | | पिछली वार्षिक आम बैठक (29.09.2022 को आयोजित) |
|---|---|---|---|
| | आयोजित | उपस्थित | |
| **कार्यकारी निदेशक** | | | |
| डॉ. नलिन सिंघल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक@ | 11 | 11 | जी हाँ |
| सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त) | 11 | 11 | जी हाँ |
| रेणुका गेरा, निदेशक (आई एस एंड पी)$ | 11 | 11 | जी हाँ |
| उपिंदर सिंह मठारू, निदेशक (पावर)# | 11 | 11 | जी हाँ |
| जय प्रकाश श्रीवास्तव निदेशक (ई आर एंड डी) (12 अगस्त, 2022 से) | 6 | 6 | जी हाँ |
| **अंशकालिक सरकारी निदेशक – सरकार द्वारा नामित** | | | |
| शशांक प्रिया, विशेष सचिव एवं वित्त सलाहाकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ( 14 फरवरी, 2023 तक) | 10 | 8 | जी हाँ |

| निदेशक का नाम श्री / श्रीमती | निदेशक मंडल की बैठकों की सं. | | पिछली वार्षिक आम बैठक (29.09.2022 को आयोजित) |
|---|---|---|---|
| | आयोजित | उपस्थित | |
| आरती भटनागर, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (14 फरवरी, 2023 से) | 1 | 1 | * |
| विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय | 11 | 8 | जी हाँ |
| **अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक** | | | |
| राज कमल बिंदल (27 जनवरी, 2023 तक) | 9 | 9 | जी हाँ |
| मनीष कपूर (27 जनवरी, 2023 तक) | 9 | 9 | जी हाँ |
| डॉ. राज कुमार अग्रवाल (12 सितंबर, 2022 तक) | 6 | 6 | * |
| डॉ. के. शिवप्रसाद | 11 | 11 | जी हाँ |
| डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर | 11 | 11 | जी हाँ |
| आदित्य प्रसाद साहू (30 मई, 2022 तक) | 2 | 2 | * |

@निदेशक (मा.सं.) का अतिरिक्त प्रभार 21 अप्रैल, 2022 तक एवं उसके बाद 22 जनवरी, 2023 से 05 मार्च, 2023 तक

$ निदेशक (ई आर एंड डी) का अतिरिक्त प्रभार 11 अगस्त, 2022 तक

# निदेशक (मा.सं.) का अतिरिक्त प्रभार 2 अप्रैल, 2022 से 21 जनवरी, 2023 तक एवं उसके बाद 06 मार्च, 2023से

* यह इंगित करता है कि संबंधित व्यक्ति पिछली वार्षिक आम सभा में बीएचईएल के निदेशक नहीं थे ।

**i. 31 मार्च, 2023 तक अन्य कंपनियों में निदेशक, समिति सदस्यता और समिति अध्यक्ष का विवरण**

| निदेशक का नाम श्री / श्रीमती | अन्य कंपनियों में निदेशक का विवरण | अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता और समिति अध्यक्षता का विवरण* |
|---|---|---|
| डॉ. नलिन सिंघल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | –जी नहीं– |
| सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त) | 1. रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि.<br>2. बीएचईएल–गीई गैस टरबाइन प्राइवेट लि. | –जी नहीं– |
| रेणुका गेरा, निदेशक (आई एस एंड पी) | रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. | –जी नहीं– |
| उपिंदर सिंह मठारू, निदेशक (पावर) | –जी नहीं– | –जी नहीं– |
| जय प्रकाश श्रीवास्तव निदेशक (ई आर एंड डी) | –जी नहीं– | –जी नहीं– |
| आरती भटनागर , अंशकालिक सरकारी निदेशक | 1. एचएमटी<br>2. इंडिया इंटरनेशनल कनवेंशन एंड एक्जिबिशन सेंटर लि.<br>3. इनवेस्ट इंडिया<br>4. एमएमटीसी लि.<br>5. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.<br>6. इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन | **लेखा परीक्षा समिति**<br>1. एच.एम.टी. लिमिटेड (सदस्य)<br>2. एमएमटीसी लिमिटेड (सदस्य)<br>3. भारत व्यापार संवर्धन संगठन (अध्यक्ष)<br>**हितधारक संबंध समिति**<br>1. एच.एम.टी. लिमिटेड (सदस्य) |
| विजय मित्तल, अंशकालिक सरकारी निदेशक | 1. एंड्र्यू यूल एंड कं. लि.<br>2. टाइड वाटर ऑयल कं. इंडिया लि.<br>3. तुमकुरु मशीन टूल पार्क<br>4. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | –जी नहीं– |
| डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक | –जी नहीं– | –जी नहीं– |

| निदेशक का नाम श्री / श्रीमती | अन्य कंपनियों में निदेशक का विवरण | अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता और समिति अध्यक्षता का विवरण* |
|---|---|---|
| डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक | –जी नहीं– | –जी नहीं– |

* केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संपर्क समिति की

अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।

# अन्य कंपनियों में निदेशक/समिति सदस्यता निदेशक मंडल के संबंधित निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक एक ही समय में बीस (20) से अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में पदधारण नहीं करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक दस से अधिक (10) समितियों में सदस्य नहीं है या सभी सूचीबद्ध कंपनियों में पांच से अधिक (5) समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है जिसमें वह एक निदेशक है।

निदेशकों के बीच आपस में संबंधों का प्रकटीकरणः कोई नहीं

### ii. सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकों का विवरण और निदेशक पद की श्रेणी

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित निदेशकों ने सूचीबद्ध संस्थाओं में निम्नानुसार निदेशक का पदधारण कियाः

| निदेशक का नाम श्री/श्रीमती | सूचीबद्ध इकाई का नाम | निदेशक श्रेणी |
|---|---|---|
| आरती भटनागर, अंशकालिक सरकारी निदेशक | 1. एचएमटी लि.<br>2. एमएमटीसी लि.<br>3. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. | सरकार द्वारा नामित निदेशक |
| विजय मित्तल, अंशकालिक सरकारी निदेशक | 1. एंड्र्यू यूल एंड कं. लि.<br>2. टाइड वाटर ऑयल कं. इंडिया लि. | सरकार द्वारा नामित निदेशक |

### iii. निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या एवं दिनांक का विवरण

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और काफी पहले से इनकी तिथि निर्धारित की जाती हैं। कंपनी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से, प्रत्येक निदेशक को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना भेजते हैं।

निदेशक मंडल के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारी तक पहुंच है और वे किसी भी मामले को एजेंडा में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आमतौर पर अग्रिम रूप से भेजा जाता है। वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि चर्चा की जा रही मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/इनपुट प्रदान किया जा सके और/या आवश्यकता के अनुसार निदेशक मंडल को प्रस्तुतीकरण दिया जा सके। निदेशक मंडल तिमाही में कम से कम एक बार तिमाही परिणामों और एजेंडा पर अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए बैठक करता है। जब भी आवश्यक हो, अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं।

| | | |
|---|---|---|
| (i) 11 अप्रैल, 2022 | (ii) 21 मई, 2022 | (iii) 27 जून, 2022 |
| (iv) 4 अगस्त, 2022 | (v) 12 अगस्त, 2022 | (vi) 18 अगस्त, 2022 |
| (vii) 22 सितंबर, 2022 | (viii)11 नवंबर, 2022 | (ix) 16 दिसंबर, 2022 |
| (x) 10 फरवरी, 2023 | (xi) 25 मार्च, 2023 | |

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के तुरंत बाद निदेशक मंडल के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं और सभी निदेशकों को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए परिचालित किया जाता है और उसके बाद अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उपर्युक्त कार्रवाई और लागू करने के लिए स्वीकृत कार्यवृत्त को संबंधित विभागों / समूहों को परिचालित किया जाता है।

### iv. मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता की सूची

बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके निदेशक मंडल के सभी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निदेशकों अर्थात कार्यकारी निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का चयन एवं नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों का चयन एवं नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। बीएचईएल द्वारा संचालित व्यवसाय खंड के संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए निदेशक मंडल के लिए मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता की आवश्यकताएं, इन निदेशकों के चयन की सरकार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए, बीएचईएल का निदेशक मंडल अपने आप में ऐसे किसी भी मुख्य कौशल या कार्य के लिए आवश्यक क्षमता की पहचान नहीं करता है। साथ ही विशेष कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता के लिए निदेशकों की पहचान करता है।

### v. निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल, का कार्य कंपनी की रणनीतिक दिशा की निगरानी करना, कॉर्पोरेट प्रदर्शन की समीक्षा एवं निगरानी करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना तथा हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

### vi. स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल और समिति की बैठकों के विचार–विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा कंपनी को इंजीनियरिंग, वित्त, प्रबंधन, कानून, सार्वजनिक नीति आदि के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराते हैं। स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और सीएसआर समिति का हिस्सा है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और यह उनसे संबंधित परिभाषित कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, सीपीएसई के लिए गैर–शासकीय निदेशकों की आदर्श भूमिका और उत्तरदायित्वों पर 28 दिसंबर, 2012 को डीपीई कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति का गठन किया था। यह समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सूचीबद्धता विनियमों और

स्वतंत्र निदेशकों की संहिता की आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

स्वतंत्र निदेशकों के परिचय कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर वेब लिंक https://www.bhel.com/familiarization-programme-directors पर "निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

स्वतंत्र निदेशक श्री आदित्य प्रसाद साहू ने 30 मई, 2022 को बीएचईएल के निदेशक मंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वह झारखंड से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक डॉ. राज के. अग्रवाल ने व्यक्तिगत मामलों में व्यस्तता का हवाला देते हुए 12 सितंबर, 2022 को बीएचईएल के निदेशक मंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया और कहा कि कंपनी का एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में वह अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की थी कि त्यागपत्र के लिए उनके द्वारा दिए गए कारणों के अलावा कोई अन्य कारण नहीं हैं।

### vii. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना

निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए एजेंडे में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैः

- वार्षिक परिचालन योजना तथा बजट एवं उससे संबंधित अद्यतन सूचना
- पूंजी बजट एवं उससे संबंधित अद्यतन सूचना
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश
- मूर्त प्रकृति की सहयोगी कंपनियों एवं परिसंपत्तियों का क्रय निवेश जो वर्तमान में सामान्य व्यसाय में नहीं हैं
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और प्रचलनों में परिवर्तन और इसके कारण
- कंपनी और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए तिमाही परिणाम
- मूर्त विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर के मुद्दों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट।
- मध्यस्थता मामलों और प्रमुख कानूनी विवादों की स्थिति
- लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल बैठकों का कार्यवृत्त
- निदेशक स्तर से एक स्तर नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती से संबंधित सूचना
- निदेशक मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता वाले किसी भी संयुक्त उद्यम या अनुसंधान एवं विकास परियोजना या प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते का विवरण
- महत्वपूर्ण श्रम/लेबर समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान
- मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि
- निदेशक मंडल द्वारा वांछित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
- कोई भी अनुबंध जिसमें निदेशक (निदेशकों) की रुचि हो
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा अधिग्रहित निदेशको और समिति पदों के बारे में रूचि का प्रकटीकरण
- निदेशक मंडल की बैठक आदि पर सूचीकरण विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों और सचिवीय मानक–1 के अंतर्गत सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक अन्य मामले।

निदेशक मंडल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारु तथा कुशल प्रवाह देने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। सभी निदेशक मंडल स्तरीय समितियों के कार्यवृत्त परिचालित किए जाते हैं और निदेशक मंडल की बैठकों में चर्चा की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिसमें निदेशक मंडल की किसी समिति की किसी भी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो।

### viii. नए निदेशकों का चयन

बीएचईएल के अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से, बीएचईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति करते हैं। बीएचईएल के निदेशक मंडल में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दो अंशकालिक शासकीय निदेशकों को नामित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भी करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग की खोजबीन समिति के परामर्श से किया जाता है, जिसके पास प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरिंग, प्रशासन उद्योग आदि के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव रखने वाले विद्वान व्यक्तियों के पैनल की सूची होती है।

### ix. सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए, या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक की जाती है।

अंशकालिक शासकीय निदेशक भारत सरकार के विवेक पर बीएचईएल के निदेशक मंडल में बने रहेंगे। अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का कार्यकाल प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक को सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

### x. आचार संहिता

बीएचईएल ने सूचीकरण विनियमों 2005 समझौते के खंड 49 के अनुरूप "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" निर्धारित की है। संहिता को बाद में समय–समय पर नियामक ढांचे में बदलाव के अनुरूप संशोधित किया जाता है, जिसमें

सूचीकरण विनियमों में बदलाव और व्यापार की गतिशीलता में बदलाव तथा संहिता की मजबूती के लिए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को सम्मिलित करना था। वर्तमान संहिता भी संशोधित सूचीकरण विनियमों के अनुपालन में है।

संहिता में सम्मिलित हैं :–

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व तथा
- निदेशक मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान।

संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध है।

### xi. निदेशक मंडल का घोषणा पत्र / चार्टर

निदेशक मंडल तथा निदेशकों की व्यक्तिगत भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल का एक घोषणा पत्र / चार्टर निर्धारित किया है। घोषणा पत्र / चार्टर बीएचईएल कॉर्पोरेट अभिशासन के उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, सूचीबद्धता समझौते और निदेशकों को प्रदान करने के उद्देश्य से:

क) अपने वैधानिक कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि, ख) भविष्य को समझने तथा रणनीतियों को विकसित करने के लिए व्यावसायिक वातावरण की बेहतर समझ तथा ग) निदेशक मंडल के सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, बीएचईएल निदेशक मंडल ने निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति को मंजूरी दी है। इससे कंपनी के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के प्रशिक्षण हैं।

### xii. व्यवसायी कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र

कंपनी को कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त है कि कंपनी निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को सेबी / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी निदेशक के रूप में नियुक्त या निरंतरता रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। इसे संलग्न किया गया है।

### xiii. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(8) के संदर्भ में, वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

## 2.3 निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति

### i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट निदेशक मंडल ऑडिट समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ–साथ सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और निम्नानुसार हैं:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है
2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की अनुशंसाएं
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति
4. अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
   - i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले
   - ii. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण
   - iii. प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां
   - iv. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन
   - v. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन
   - vi. किसी भी संबंधित पक्ष से लेनदेन का प्रकटीकरण
   - vii. मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में योग्यताएं
5. अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना
6. प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, किसी मुद्दे (सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू, आदि) के माध्यम से जुटाए गए फंड के उपयोग / आवेदन के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड का विवरण/ सार्वजनिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रॉस्पेक्टस/नोटिस और रिपोर्ट प्रस्तुत करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए निदेशक मंडल को उचित सिफारिशें करना

7. लेखापरीक्षक/ऑडिटर की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखांकन/ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना

8. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की स्वीकृति या उसके बाद का कोई संशोधन

9. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा

10. इस प्रावधान के लागू होने की तिथि से, होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की परिसम्पत्ति का 10% जो भी कम हो, में मौजूदा ऋण / अग्रिम / निवेश सहित मौजूदा ऋणों / अग्रिमों / अग्रिमों/निवेशों के उपयोग की समीक्षा करना

11. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक हो

12. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन

13. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना

14. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति की रिपोर्टिंग सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना

15. किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई

16. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृतिकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को निदेशकमंडल को रिपोर्ट करना है

17. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ किसी भी संदेह के क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद भी चर्चा करना

18. जमाकर्ताओं, डिबेंचर/धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना

19. व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना

20. आंतरिक लेखापरीक्षा/निदेशक मंडल और/या भारत सरकार द्वारा बीएलएसी को संदर्भित लेखापरीक्षा पैरा की समीक्षा करना और इससे संदर्भित मुद्दों पर अपने सुझाव/मार्गदर्शन/टिप्पणियां प्रदान करना

21. सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में आवधिक रूप से चर्चा

22. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत–लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना

23. जहां भी आवश्यक हो, उपर्युक्त मामलों में बाहरी स्रोतों से व्यावसायिक सलाह लेना

24. लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की भी समीक्षा करेगीः

    i. वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

    ii. महत्वपूर्ण संबंधित पक्षों से लेनदेन का विवरण

    iii. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमियों के पत्र तथा

    iv आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

25. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

**ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम**

लेखा परीक्षा समिति की संरचना सूचीबद्धता विनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में है। लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है। सदस्य निदेशकों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन और अभिशासन पृष्ठभूमि के साथ विद्वान तथा प्रतिष्ठित व्यवसायी शामिल हैं।

लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन पिछली बार 14 फरवरी, 2023 से किया गया

था। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

| निदेशक का नाम श्रीमती / श्री | पद | बैठकों की सं. | |
|---|---|---|---|
| | | उनके कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित |
| मनीष कपूर, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी, 2023 तक) | अध्यक्ष | 6 | 6 |
| डॉ. के शिवप्रसाद स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष (10 फरवरी, 2023 से) | 2 | 2 |
| | सदस्य (9 फरवरी, 2023 तक) | 6 | 6 |
| शशांक प्रिया, अंशकालिक सरकारी निदेशक (14 फरवरी, 2023 तक) | सदस्य | 7 | 5 |
| सुश्री आरती भटनागर अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंशकालिक सरकारी निदेशक | सदस्य (10 फरवरी, 2023 से) | 1 | 1 |
| राज कमल बिंदल, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी, 2023 तक) | सदस्य | 6 | 6 |
| डॉ. राज के. अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक (12 सितंबर, 2022 तक) | सदस्य | 3 | 3 |
| डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक | सदस्य (11 नवंबर, 2022 से) | 4 | 4 |

निदेशक (वित्त), निदेशक (आई एस एंड पी) और निदेशक (ई, आर एंड डी) स्थायी रूप से आमंत्रित हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रतिनिधि लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रितों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कंपनी के लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार होगा जब वह लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करेगा लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

**iii. बैठकें और उपस्थिति**

समीक्षावधि में लेखापरीक्षा 21 मई, 2022, 4 अगस्त, 2022, 22 सितंबर, 2022, 11 नवंबर, 2022, 16 दिसंबर, 2022, 10 फरवरी, 2023 और 25 मार्च, 2023 को कुल आठ बैठकें हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का ब्यौरा पिछली टेबल में दिया गया है।

## 2.4 नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

**i. पारिश्रमिक नीति**

बीएचईएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित की गई हैं। इनका बीएचईएल के नियमों के अनुसार, कुछ भत्तों और लाभों के निर्धारण का प्रावधान है। अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशकों को निदेशक मंडल या उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

**ii. विचारार्थ विषय**

30 मार्च, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और पूर्ववर्ती सूचीबद्धता समझौते (अब सूचीबद्धता विनियम) के खंड 49 की आवश्यकताओं के अनुरूप, निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया। समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के साथ–साथ सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और निम्नानुसार हैं:

1. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और उनकी नियुक्ति और हटाने के लिए निदेशक मंडल को अनुशंसा करेंगे और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के प्रभावी मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट करेंगे, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों को या तो निदेशक मंडल द्वारा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा या एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा और इसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा की जाएगी।
2. निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को एक नीति की सिफारिश करना, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम / सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में / डीपीई दिशानिर्देश,
3. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना,
4. निदेशक मंडल विविधता पर नीति बनाना,
5. निदेशक मंडल को सिफारिश करने के लिए, अपनी सहायक कंपनियों और अन्य सरकारी संगठनों के बोर्डों में बीएचईएल अधिकारियों का नामांकन, जिन्हें एमएचआई को प्रस्तुत करने से पहले बीएचईएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है,
6. विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर कंपनी की नीति का निरीक्षण, पेंशन अधिकारों सहित पूर्णकालिक निदेशकों के लिए अनुलाभ और कोई भी प्रतिपूरक भुगतान, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय नहीं किया गया है,
7. पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कुछ अनुलाभों को मंजूरी देना जो

निदेशक मंडल की शक्तियों के अधीन हैं। व्यक्तिगत निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के प्रमुख समूहों के तहत शामिल किए गए तत्वों की समीक्षा, जैसे प्रोत्साहन लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि,

8. भत्तों एवं लाभों और अन्य संबंधित मामलों पर नीतियों को अंतिम रूप देना जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर तय किए गए हैं,

9. कार्य निष्पादन मानदंड के आधार पर निश्चित घटकों और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों का अनुमोदन,

10. गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड को अंतिम रूप देना,

11. निदेशक मंडल/शेयरधारकों को स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान/अनुदान दिए जाने वाले शुल्क/मुआवजे/स्टॉक विकल्प, यदि कोई हों, की अनुशंसा,

12. वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रूप में हो के लिए निदेशक मंडल की अनुशंसा,

13. अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के लिए बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और इसके वितरण के लिए नीति तय करना,

14. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित एनआरसी के विचारार्थ विषय से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

एमसीए ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत प्रावधान किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2), (3) और (4) निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।

**iii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन पिछली बार 10 फरवरी, 2023 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति की संरचना में निम्नलिखित निदेशक शामिल थेः

| निदेशक का नाम श्रीमती / श्री | पद | बैठकों की सं. | |
|---|---|---|---|
| | | उनके कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित |
| मनीष कपूर, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी, 2023 तक) | अध्यक्ष | 1 | 1 |
| डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष (10 फरवरी, 2023 से) | 0 | 0 |
| | सदस्य (9 फरवरी, 2023 तक) | 1 | 1 |
| विजय मित्तल, सं. सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक | सदस्य | 1 | 1 |
| डॉ. के शिवप्रसाद स्वतंत्र निदेशक | सदस्य (11 नवंबर, 2022 से) | 0 | 0 |
| आदित्य प्रसाद साहू, स्वतंत्र निदेशक (30 मई, 2022 तक) | सदस्य | 0 | 0 |

प्रमुख (मानव संसाधन), कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

**iv. बैठकें और उपस्थिति**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की समीक्षा वर्ष के दौरान 03 अगस्त, 2022 को एक बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त सारणी में दिया गया है।

v. वर्ष 2022–23 के दौरान कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रामिक नीचे दिया गया हैः

(₹ में)

| क्रम | निदेशक का नाम श्री / श्रीमती | वेतन | हितलाभ | अन्य हितलाभ | निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन | कुल | सेवा अनुबंध नोटिस अवधि विच्छेद शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. नलिन सिंघल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 56,31,608 | 9,85,870 | 36,039 | - | 66,53,516 | ---- |
| 2. | सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त) | 45,30,436 | 9,08,673 | 3,30,219 | - | 57,69,328 | रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी |
| 3. | रेणुका गेरा, निदेशक (आई एस एंड पी) | 45,82,728 | 9,19,193 | 6,53,976 | - | 61,55,897 | रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी |
| 4. | उपिंदर सिंह मठारू, निदेशक (पावर) | 45,53,116 | 9,11,479 | 6,52,646 | - | 61,17,241 | रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी |
| 5. | जय प्रकाश श्रीवास्तव निदेशक (ई आर एंड डी) | 30,96,690 | 6,03,811 | 3,48,844 | - | 40,49,345 | रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी |

vi. वर्ष 2022–23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरणः

(₹ में)

| स्वतंत्र निदेशक का नाम | बैठक शुल्क | | कुल |
|---|---|---|---|
| | निदेशक मंडल बैठक | समिति बैठक | |
| श्री राज कमल बिंदल | 2,70,000/- | 2,80,000/- | 5,50,000/- |
| श्री मनीष कपूर | 2,70,000/- | 2,40,000/- | 5,10,000/- |
| डॉ राज के. अग्रवाल | 1,80,000/- | 1,00,000/- | 2,80,000/- |
| डॉ के शिवप्रसाद | 3,30,000/- | 3,00,000/- | 6,30,000/- |
| डॉ लेखाश्री सामंतसिंघर | 3,30,000/- | 2,60,000/- | 5,90,000/- |
| श्री आदित्य प्रसाद साहू | 60,000/- | 20,000/- | 80,000/- |

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क रु. 30,000/– प्रति निदेशक मंडल बैठक और रु. 20,000/– प्रति निदेशक मंडल स्तरीय समिति बैठक में भाग लेने के लिए पात्र थे। स्वतंत्र निदेशक स्टॉक ऑप्शन के पात्र नहीं हैं।

vii. निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

निम्नलिखित को छोड़कर, किसी भी निदेशक के पास बीएचईएल में कोई इक्विटी शेयर नहीं है (31 मार्च, 2023 तक):

| निदेशक का नाम धारित | शेयरों की संख्या |
|---|---|
| डॉ. नलिन सिंघल (पति/पत्नी सहित) | 100 |

कंपनी ने वर्ष 2022–23 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

## 2.5 शेयरधारक समितियां

### 2.5.1 हितधारक संबंध समितियां

**i. विचारार्थ विषय**

निदेशक मंडल ने 12 मई 2014 को कंपनी अधिनियम, 2013 और पूर्ववर्ती सूचीबद्धता समझौते (अब सूचीबद्धता विनियम) की आवश्यकताओं के अनुरूप शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति को हितधारकों के संपर्क समिति (एसआरसी) के रूप में पुनर्गठित किया। समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की आवश्यकताओं के साथ–साथ सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप हैं और निम्नानुसार हैं:

1. कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, घोषित लाभांश न मिलना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं;
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;
3. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना;
4. दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना;
5. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों के हित के विभिन्न पहलुओं पर गौर करना;
6. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित समिति के विचारार्थ विषय से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

**ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम**

हितधारक संपर्क समिति का पुनर्गठन पिछली बार 14 फरवरी, 2023 को किया गया था। वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :–

| निदेशक का नाम श्रीमती / श्री | पद | बैठकों की सं. | |
|---|---|---|---|
| | | उनके कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित |
| मनीष कपूर, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी, 2023 तक) | अध्यक्ष | 3 | 3 |
| डॉ. के शिवप्रसाद स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष (10 फरवरी, 2023 से) | 1 | 1 |
| | सदस्य (9 फरवरी, 2023 तक) | 3 | 3 |
| शशांक प्रिया, अंशकालिक सरकारी निदेशक (14 फरवरी, 2023 तक) | सदस्य | 4 | 4 |
| सुश्री आरती भटनागर अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंशकालिक सरकारी निदेशक | सदस्य (10 फरवरी, 2023 से) | 0 | 0 |
| निदेशक (वित्त) | सदस्य | 4 | 4 |
| निदेशक (आई एस एंड पी) | सदस्य | 4 | 4 |

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी (सीआईआरओ) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

श्री राजीव कालरा, कंपनी सचिव, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

### iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष में समिति की दिनांक 13 मई, 2022, 03 अगस्त, 2022, 11 नवंबर, 2022 और 10 फरवरी, 2023 को कुल चार बैठकें हुईं । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का ब्यौरा ऊपर सारणी में दिया गया है।

### शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए) द्वारा सेबी को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 13 शिकायतें प्राप्त हुईं और 31 मार्च, 2023 तक सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया। रिपोर्ट की अवधि के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

### 2.5.2 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन 25 मार्च, 1992 को किया गया था। बाद में, निदेशक मंडल ने 1 अगस्त, 2014 से समिति के विचारार्थ विषयों को पुनरीक्षित किया। यह शेयर अंतरण समिति शेयरों की भौतिक बदली, उप–विभाजन, समेकन और शेयर प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है और अनुमोदन प्रदान करती है।

अंतिम बार शेयर अंतरण समिति का पुनर्गठन दिनांक 6 फरवरी, 2021 को किया गया था। निदेशक (वित्त) को अध्यक्ष के रूप में और निदेशक (ई, आर एंड डी) और निदेशक (आईएस एंड पी) को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

### 2022–23 के दौरान बैठकें

वर्ष के दौरान शेयर अंतरण समिति की सात बैठकें हुईं। शेयर अंतरण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त समय–समय पर निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

## 2.6 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति

### i. विचारार्थ विषय

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल ने सीएसआर गतिविधियों की उचित और आवधिक निगरानी के लिए 25 नवंबर, 2010 को सीएसआर के लिए निदेशक मंडल स्तर की शीर्ष समिति का गठन किया। समिति को वर्तमान में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति के रूप में नामित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुरूप, समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण एवं निदेशक मंडल को संस्तुत करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है।
2. परियोजनाओं, कार्यक्रमों की सिफारिश और खंड (1) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि
3. समय–समय पर कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की निगरानी करना
4. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास पर दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

### ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष एवं सदस्यों का नाम

समिति का पिछली बार पुनर्गठन 10 फरवरी, 2023 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित थे:

| निदेशक का नाम श्रीमती / श्री | पद | बैठकों की सं. | |
|---|---|---|---|
| | | उनके कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित |
| मनीष कपूर, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी, 2023 तक) | अध्यक्ष | 1 | 1 |
| डॉ. के शिवप्रसाद स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष (10 फरवरी, 2023 से) | 0 | 0 |
| | सदस्य (9 फरवरी, 2023 तक) | 1 | 1 |
| आदित्य प्रसाद साहू, स्वतंत्र निदेशक (30 मई, 2022 तक) | सदस्य | 0 | 0 |
| निदेशक (वित्त) | सदस्य | 1 | 1 |
| निदेशक (मा.सं.) | सदस्य (11 नवंबर, 2022 से) | 0 | 0 |

प्रमुख (सीएसआर), कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

**iii. बैठकें और उपस्थिति**

समीक्षा वर्ष के दौरान 03 अगस्त, 2022 को एक बार बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त सारणी में दिया गया है।

## 2.7 मानव संसाधन समिति

**i. विचारार्थ विषय**

निदेशक मंडल ने विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों को देखने के लिए 31 मई, 2006 को मानव संसाधन समिति का गठन किया:

क. कार्यपालकों की पदोन्नति और पुरस्कार/प्रोत्साहन के संबंध में वर्तमान नीतियों की समीक्षा ।

ख. परिवर्तित/उभरते व्यावसायिक वातावरण के लिए बीएचईएल को तैयार करने के लिए नीतियों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों परिवर्तनों के बारे में सुझाव देना।

**ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम**

पिछली बार समिति का पुनर्गठन 14 फरवरी, 2022 को किया गया था। वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित थे:

| निदेशक का नाम श्रीमती / श्री | पद |
|---|---|
| राज कमल बिंदल, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी, 2023 तक) | अध्यक्ष |
| डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष (10 फरवरी, 2023 से) |
| | सदस्य (11 नवंबर, 2022 से 9 फरवरी, 2023 तक) |
| निदेशक (आईएस एंड पी) | सदस्य |
| निदेशक (ई, आर एंड डी) | सदस्य |
| निदेशक (मा.सं.) | सदस्य (11 नवंबर, 2022 से) |

प्रमुख (मा.सं.), कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

**iii. बैठकें और उपस्थिति :–**

वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई

## 2.8 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

**i. विचारार्थ विषय**

निदेशक मंडल ने सीपीएसई के लिए गैर–सरकारी निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर आधारित मॉडल पर 28 दिसंबर 2012 के डीपीई ओएम के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति का गठन किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची पअ की आवश्यकताओं और सूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में भी है।

**ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम**

वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित थे:

| निदेशक का नाम श्रीमती / श्री | पद | बैठकों की सं. | |
|---|---|---|---|
| | | उनके कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित |
| राज कमल बिंदल, (27 जनवरी, 2023 तक) | अध्यक्ष एवं प्रमुख, स्वतंत्र निदेशक | 1 | 1 |
| डॉ. के शिवप्रसाद स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष एवं प्रमुख, स्वतंत्र निदेशक (28 जनवरी, 2023 से) | 0 | 0 |
| | सदस्य (27 जनवरी, 2023 तक) | 1 | 1 |
| मनीष कपूर, (27 जनवरी, 2023 तक) | सदस्य | 1 | 1 |
| डॉ. राज के. अग्रवाल, (12 सितंबर, 2022 तक) | सदस्य | 0 | 0 |
| डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर | सदस्य | 1 | 1 |
| आदित्य प्रसाद साहू, स्वतंत्र निदेशक (30 मई, 2022 तक) | सदस्य | 0 | 0 |

**iii. बैठकें और उपस्थिति**

समीक्षा वर्ष के दौरान समिति की 10 जनवरी, 2022 को एक बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त सारणी में दिया गया है।

## 2.9 निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन समिति:

**i. विचारार्थ विषय**

पूर्ववर्ती सूचीबद्धता समझौते (अब सूचीबद्धता विनियम) के अनुरूप, निदेशक मंडल ने 14 नवंबर, 2014 को निदेशक मंडल स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया। निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और निम्नानुसार हैं:

1. व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे: (क) विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक प्रारूप, (ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय, (ब) व्यवसाय निरंतरता योजना
2. कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपर्युक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
3. जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देख रेख करना,
4. जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर समीक्षा करना जिसमें दो साल में कम से कम एक बार, उद्योग की बदलती गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना शामिल है
5. निदेशक मंडल को उनकी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय वस्तु के बारे में सूचित करना
6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी
7. किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना, बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना,
8. निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार अन्य समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप होने पर अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय,
9. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित समिति के विचारार्थ विषय से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

**ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम**

पिछली बार समिति का पुनर्गठन 14 फरवरी, 2023 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति की संयोजन में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित थे:

| निदेशक का नाम श्रीमती / श्री | पद | बैठकों की सं. | |
|---|---|---|---|
| | | उनके कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित |
| शशांक प्रिया, अंशकालिक सरकारी निदेशक (14 फरवरी, 2023 तक) | अध्यक्ष | 3 | 3 |
| सुश्री आरती भटनागर अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अंशकालिक सरकारी निदेशक | अध्यक्ष (14 फरवरी, 2023 से) | 0 | 0 |
| राज कमल बिंदल, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी, 2023 तक) | सदस्य | 3 | 3 |
| डॉ. राज के. अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक (12 सितंबर, 2022 तक) | सदस्य | 1 | 1 |
| डॉ. के शिवप्रसाद स्वतंत्र निदेशक | सदस्य (11 नवंबर, 2022 से) | 1 | 1 |
| डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक | सदस्य (11 नवंबर, 2022 से) | 1 | 1 |
| निदेशक (वित्त) | सदस्य | 3 | 3 |
| निदेशक (आईएस एंड पी)# | सदस्य | 3 | 2 |
| निदेशक (पावर)* | सदस्य | 3 | 2 |
| निदेशक (ईआर एंड डी)# | सदस्य | 3 | 3 |
| निदेशक (मा.सं.)* | सदस्य (11 नवंबर, 2022 से) | 1 | 0 |
| अध्यक्ष, जोखिम प्रबंधन समिति | सदस्य | 3 | 3 |
| मुख्य जोखिम अधिकारी | सदस्य एवं संयोजक | 3 | 3 |

# 23 अप्रैल 2022 को आयोजित बैठक के समय निदेशक (आई एस एंड पी) निदेशक (ईआर एंड डी) का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे थे।

* 10 जनवरी 2023 को आयोजित बैठक के समय निदेशक (पावर) निदेशक (मा.सं.) का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे थे।

**iii. बैठकें और उपस्थिति**

समिति की समीक्षाधीन अवधि के दौरान 23 अप्रैल, 2022, 18 अक्तूबर, 2022 और 10 जनवरी, 2023 को कुल तीन बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर सारणी में दिया गया है।

## 2.10 निदेशक मंडल स्तर की परियोजना समीक्षा समिति

**i. विचारार्थ विषय**

निदेशक मंडल स्तर की परियोजना समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(क) समिति रु. 500 करोड़ और उससे अधिक के संविदा मूल्य वाली सभी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेगी,

(ख) समिति देनदारों की आवधिक स्थिति की समीक्षा करेगी,

(ग) समिति ऐसे कार्यपालकों को आमंत्रित कर सकती है, जिन्हें वह समिति की बैठकों में उपस्थित होना उचित समझे।

**ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम**

पिछली बार 25 मार्च, 2022 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। वर्ष के दौरान समिति की संयोजन में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे

| निदेशक का नाम श्रीमती / श्री | पद | बैठकों की सं. | |
|---|---|---|---|
| | | उनके कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित |
| विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय | अध्यक्ष | 2 | 2 |
| राज कमल बिंदल, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी, 2023 तक) | सदस्य | 1 | 1 |
| डॉ. राज के. अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक (12 सितंबर,2022 तक) | सदस्य | 1 | 1 |
| डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक | सदस्य | 2 | 2 |
| निदेशक (आईएस एंड पी) | सदस्य | 2 | 2 |
| निदेशक (पावर) | सदस्य | 2 | 2 |

प्रमुख (पीएस–पीएमजी) और महाप्रबंधक (प्राप्य प्रबंधन) संबंधित कार्यसूची के लिए समिति के संयोजक हैं। निदेशक (वित्त) को समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रमुखों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाएगा। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

### iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 31 मई, 2022 एवं 21 फरवरी, 2023 को दो बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

## 2.11 मध्यस्थता एवं प्रमुख कानूनी विवाद तथा वैकल्पिक विवाद समाधान हेतु समिति

### i. विचारार्थ विषय

विचारार्थ विषय की शर्तें मध्यस्थता के मामलों के साथ–साथ प्रमुख कानूनी विवादों की समीक्षा करना और उसके बाद निदेशक मंडल को तदनुसार अवगत कराना है। साथ ही, बीएचईएल सुलह योजना, 2018 के तहत मसौदा निपटान समझौते को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करना है।

### ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

पिछली बार 25 मार्च, 2022 को समिति पुनर्गठित की गई थी। वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

| निदेशक का नाम श्रीमती / श्री | पद | बैठकों की सं. | |
|---|---|---|---|
| | | उनके कार्यकाल में आयोजित | उपस्थित |
| राज कमल बिंदल, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी, 2023 तक) | अध्यक्ष | 3 | 3 |
| डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष (10 फरवरी, 2023 से) | 1 | 1 |
| | सदस्य (09 फरवरी, 2023 तक) | 3 | 3 |
| विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक | सदस्य | 4 | 3 |
| आदित्य प्रसाद साहू, स्वतंत्र निदेशक (30 मई, 2022 तक) | सदस्य | 1 | 1 |
| निदेशक (आईएस एंड पी)* | सदस्य | 4 | 4 |
| निदेशक (पावर)# | सदस्य | 4 | 4 |
| निदेशक (ईआर एंड डी)* | सदस्य | 4 | 4 |
| निदेशक (मा.सं.)# | सदस्य (11 नवंबर, 2022 से) | 2 | 2 |

#18 नवंबर, 2022 और 21 फरवरी, 2023 को आयोजित बैठकों के समय निदेशक (पावर) के पास निदेशक (मा.सं.) का अतिरिक्त प्रभार भी था।

* 13 मई, 2022 और 03 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठकों के समय निदेशक (आईएस एंड पी) के पास निदेशक (ई आर एंड डी) का अतिरिक्त प्रभार भी था।

प्रमुख विधि, कार्पोरेट कार्यालय समिति के संयोजक है और समिति द्वारा समीक्षा हेतु आवश्यक सूचना प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख (मानव संसाधन), कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी रूप से आमंत्रित हैं।

### iii. बैठकें और उपस्थिति:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 13 मई, 2022, 03 अगस्त, 2022, 18 नवंबर, 2022 एवं 21 फरवरी, 2023 को कुल चार बैठकें हुईं । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

### 2.12 सामान्य बैठकें

**i. पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों (एजीएम) का स्थान और समय:**

| वर्ष | स्थान | दिनांक | समय |
|---|---|---|---|
| **वित्तीय वर्ष 2019–20 (56 वीं एजीएम)** | वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। आयोजन स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय था। | 28 सितंबर, 2020 | 10.00 पूर्वा. |
| **वित्तीय वर्ष 2020–21 (57वीं एजीएम)** | वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। आयोजन स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय था। | 23 सितंबर, 2021 | 10.00 पूर्वा. |
| **वित्तीय वर्ष (58वीं एजीएम)** | वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। आयोजन स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय था। | 29 सितंबर, 2022 | 10.00 पूर्वा. |

**ii. पिछली तीन सामान्य बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:**

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 25(2ए) के प्रावधानों के अनुरूप, डॉ राज के अग्रवाल, डॉ के शिवप्रसाद और डॉ लेखाश्री सामंतसिंघर की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए 29 सितंबर, 2022 को आयोजित 58वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किए गए।

**iii. पोस्टल बैलट (डाक मतपत्र)**

पिछले वर्ष डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### 2.13 प्रकटीकरण

**i. कंपनी हितों के विरूद्ध होने की संभावना वाले संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण लेन–देनों का प्रकटीकरण**

कंपनी ने ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी) में प्रवेश नहीं किया है जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। बहरहाल, वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण 2022–23 के नोट्स में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा किया गया है।

सामग्री सहायक कंपनियों का निर्धारण करने वाली कंपनी की नीति और संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति इस लिंक पर उपलब्ध है

https://www.bhel.com/sites/default/files/Policy%20on%20RPTs%20wef%2001042022_0.pdf

**ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर पूंजी बाजार से संबंधित लगाए गए गैर–अनुपालना, दंड और सख्ती**

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन का कोई मामला नहीं था और पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड/कठोरता लागू नहीं की गई थी।

हालाँकि, कंपनी को एनएसई एवं बीएसई से निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17 (1) के प्रावधान के गैर–अनुपालन के लिए वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी और तीसरी तिमाही में निदेशक मंडल की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम होने पर जुर्माना लगाने का नोटिस मिला। नोटिस के जवाब में, कंपनी ने एक्सचेंजों को स्पष्ट किया कि स्वतंत्र निदेशकों की कमी कंपनी की किसी लापरवाही/डिफॉल्ट के कारण नहीं है, क्योंकि नियुक्ति उसके नियंत्रण में नहीं है। इसके मद्देनजर, कंपनी ने एक्सचेंजों से अपनी अलग–अलग नीतियों के तहत जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला भारत सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी को एनएसई और बीएसई से जनवरी, 2021 में कोविड के दौरान वाणिज्यिक पत्र के मोचन दायित्व के बारे में सूचना दाखिल करने में देरी के संबंध में सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 57 (1) के गैर–अनुपालन के लिए जुर्माना लगाने के नोटिस भी मिले। असामान्य कोविड समय को ध्यान में रखते हुए जुर्माना माफ करने की मांग करने वाली कंपनी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों ने लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया।

**iii. सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति**

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीबद्ध कंपनियों और स्टॉक सूचीबद्धता समझौते के खंड 49 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, के अनुसरण में कंपनी द्वारा एक विस्तृत व्हिसल ब्लोअर नीति का मसौदा तैयार किया गया था और इसे 12 अगस्त 2014 को आयोजित अपनी 464 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। नीति भी सूचीबद्धता विनियम के अनुरूप है।

इसके बाद, सभी कर्मचारियों के सूचनार्थ एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें व्हिसल ब्लोअर नीति को अधिसूचित किया गया और सक्षम प्राधिकारी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के संपर्क विवरण को सूचित किया गया।

व्यापक प्रचार के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर भी उपलब्ध है। सक्षम प्राधिकारी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के पते, संपर्क नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन समय–समय पर अधिसूचित किए जा रहे हैं। नीति के तहत प्राप्त शिकायतों का निवारण इस संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति के पास जाने से रोका नहीं जाता।

**iv. कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन, अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन और सूचीबद्धता विनियमों की गैर–अनिवार्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को अपनाना**

सीपीएसई और सेबी के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य आवश्यकताएं [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] 2015 का कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2022 तक विधिवत अनुपालन किया गया है। सूचीबद्धता विनियमों के तहत गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध

में, बीएचईएल में असंशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था पहले से ही है।

खातों से ऐसा कोई व्यय डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं है और न ही ऐसा कोई व्यय किया गया है जो व्यक्तिगत हो या निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय (प्रशासनिक और अन्य विविध व्यय सहित) को घटाकर 6.26% कर दिया गया है। इसे लागत में कमी के उपायों और कड़े बजटीय नियंत्रणों द्वारा संभव बनाया गया है।

**v. राष्ट्रपति के निदेश**

पिछले तीन वर्षों 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ।

**vi. जोखिम प्रबंधन**

सेबी विनियम, 2015 तथा उसके संशोधनों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बीएचईएल ने निदेशक मंडल के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन, न्यूनीकरण और शमन के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति स्थापित की है। चार्टर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कंपनी भर में एक सुनियोजित और व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करना है जो यह सुनिश्चित करता है कि जोखिमों की ठीक से पहचान की जा चुकी है और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम पहचान, जोखिम निर्धारण, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम शमन और नियमित समीक्षा और निगरानी शामिल है। विवरण पैरा 1.15 'जोखिम और चिंताएं' में है।

**vii. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण की जानकारी निदेशक मंडल की रिपोर्ट का भाग है और पैरा 1.12.5.2 'कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा' के अनुलग्नक –I के रूप में उपलब्ध है।

**viii. विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान आवंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोगः**

शून्य

**ix. सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक एक हिस्सा है, में सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क**

सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क का खुलासा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है। सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा अलग–अलग नियुक्त किया गया था और वे वही लेखापरीक्षक नहीं थे जिन्होंने बीएचईएल के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की हो।

**x. उन फर्मों/ कंपनियों को ऋण और अग्रिम जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं**

शून्य

**xi. सूचीबद्ध इकाई की वास्तविक सहायक कंपनियों और उसके वैधानिक लेखा परीक्षकों का विवरण**

लागू नहीं

**xii. कॉर्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र**

कॉर्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है।

## 2.14 संचार माध्यम

सूचीयन विनियमों के अंतर्गत आवश्यक है कि कंपनी के गैर–लेखापरीक्षित/लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत किए जाने के लिए आयोजित निदेशक मंडल की बैठक की सूचना कंपनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज की अग्रिम रूप से दी जाएगी। इसके अलावा, उक्त परिणाम रिकॉर्ड / अनुमोदित किए जाने के बाद, स्टॉक एक्सचेंजों को तुरंत सूचित किए जाते हैं। ये स्वीकृत वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल की बैठक के समापन के 48 घंटों के भीतर पूरे या काफी हद तक पूरे भारत में प्रसारित होने वाले कम से कम एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में और उस क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं जहां का पंजीकृत कार्यालय कंपनी स्थित है और कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर भी अपलोड की गई है। शेयरधारकों से संबंधित अन्य जानकारी जैसे निदेशक पद में परिवर्तन, अवैतनिक लाभांश का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट आदि भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रमुख आदेशों की प्राप्ति, कमीशन की गई प्रमुख परियोजनाओं, महत्वपूर्ण सहयोग, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं आदि जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं सहित आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती हैं और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित की गईं और विस्तृत परिणाम दस्तावेज और पूरक जानकारी/प्रस्तुतियां भी स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों के साथ–साथ कंपनी की वेबसाइट पर वित्तीय परिणाम घोषणा के बाद भी अपलोड की गईं । यद्यपि वित्तीय परिणामों पर विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को व्यक्तिगत स्तर पर बीएचईएल ने अपने विचार से अवगत नहीं कराया है। नियमित तौर पर सीधी बातचीत के अतिरिक्त विभिन्न निवेशक सम्मेलनों/बैठकों में भी बी.एच.ई. एल. ने प्रतिभागिता की है।

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी अपनी वेबसाइट पर सूचना प्रसारित करती है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना, आचार संहिता, आरपीटी से निपटने की नीति, निवेशक की शिकायतों आदि की प्रबंधन एवं सहायता के लिए जिम्मेदार कंपनी के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी शामिल है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की 'हरित पहल' के अनुसरण में, कंपनी वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजती है, जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। जिन्होंने आरटीए और वार्षिक रिपोर्ट हार्ड कॉपी का विकल्प नहीं चुना है। इस पहल की निरंतर सफलता के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल आईडी को अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/आरटीए के साथ पंजीकृत करें।

## 2.15 सामान्य शेयरधारक सूचना

| | वार्षिक आम बैठक की तिथि | समय | स्थान |
|---|---|---|---|
| i | 24 अगस्त, 2023 | 10:00 (पूर्वा.) | कंपनी 28 दिसंबर, 2022 के एमसीए परिपत्र के साथ पठित 5 मई, 2020 के एमसीए परिपत्र के अनुसार वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है। वार्षिक आम सभा के लिए स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। विवरण के लिए कृपया इस वार्षिक आम सभा की सूचना देखें। |
| ii. | वित्तीय वर्ष | 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 | |
| iii. | रिकॉर्ड तिथि | शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 | |
| iv. | लाभांश भुगतान तिथि | 22 सितंबर, 2023 या इससे पूर्व | |

वार्षिक रिटर्न https://www.bhel.com/agm.related पर उपलब्ध है।

**v. लाभांश इतिहासः**

बीएचईएल द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का विवरण (निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष में अंतरण के लिए देय नहीं) संक्षेप में निम्नानुसार दिया गया है:

| वर्ष | लाभांश दर | लाभांश भुगतान की कुल राशि (करोड़ रु. में) | जिस तारीख को लाभांश घोषित किया गया |
|---|---|---|---|
| 2015–2016 (अंतिम) | 20% | 97.90 | 22.09.2016 |
| 2016–2017 (अंतरिम) | 40% | 195.81 | 07.02.2017* |
| 2016–2017 (अंतिम) | 39% | 190.92 | 22.09.2017 |
| 2017–2018 (अंतरिम) | 40% | 293.72 | 08.02.2018* |
| 2017–2018 (अंतिम) | 51% | 374.48 | 19.09.2018 |
| 2018–2019 (अंतरिम) | 40% | 278.57 | 05.02.2019* |
| 2018–2019 (अंतिम) | 60% | 417.85 | 19.09.2019 |
| 2021–2022 (अंतिम) | 20% | 139.28 | 29.09.2022 |
| 2022–2023 (अंतिम) | 20% | 139.28 | ** |

* निदेशक मंडल की बैठक की तिथि जिस दिन अंतरिम लाभांश घोषित हुआ

** निदेशक मंडल की दिनांक 26 मई, 2023 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अंतिम लाभांश संस्तुत। वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदनाधीन।

**नोटः**

1) 2017–18 के दौरान, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 03.10.2017 को 1:2 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर आवंटित किए अर्थात प्रत्येक दो पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के लिए रु. 2 का एक पूर्ण प्रदत्त नया बोनस इक्विटीशेयर। नतीजतन, शेयरों की कुल संख्या 244.76 करोड़ से बढ़कर 367.14 करोड़ हो गई।

2) 2018–19 के दौरान, कंपनी ने 18,93,36,645 पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों का बाय बैक किया, जो रिकॉर्ड तिथि (यानी मंगलवार, 06 नवंबर, 2018) के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों से कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 5.16% है। आनुपातिक आधार पर, 'निविदा प्रस्ताव' प्रक्रिया के माध्यम से 86 (छियासी रुपये केवल) प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर नकद में देय रु. 1628.30 करोड़ के कुल प्रतिफल के लिए, परिणामस्वरूप, शेयरों की कुल संख्या 367.14 करोड़ से घटकर 348.21 करोड़ हो गई है।

3) यदि किसी शेयरधारक ने पिछले सात वर्षों में से किसी के लिए लाभांश का दावा / प्राप्त नहीं किया है और उसे अभी तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित नहीं किया गया है, तो वह निम्नलिखित का पालन करके इस अवैतनिक लाभांश का दावा कर सकता है। प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर अपलोड कर दी गई है। वर्ष 2014–15 (अंतिम) के लिए दावा न किए गए लाभांश को वर्ष 2022–23 के दौरान पहले ही निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2015–16 (अंतिम) और 2016–17 (अंतरिम) के लिए दावा न किया गया लाभांश 24.10.2023 और 08.03.2024 को आईईपीएफ को अंतरित किया जाना है।

4) लाभांश/शेयरों के संबंध में जो आईईपीएफ को अंतरित किए गए हैं, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा,लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से इसका दावा कर सकते हैं। ये नियम आईईपीएफ की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) और कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर उपलब्ध हैं।

**vi. a) स्टॉक एक्सचेंजों और स्टॉक कोड पर सूचीबद्धता**

निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में बीएचईएल के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जिनके लिए 2022–23 सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है:

| स्टॉक एक्सचेंज का नाम | स्टॉक कोड |
|---|---|
| 1. बीएसई लिमिटेड फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई– 400 001 | 500103 |
| 2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं। सी–1, ब्लॉक – जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 | BHEL |

इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र भी बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हैं।

| बाजार मूल्य डेटाः वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न, बंद 2022–23 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| माह | बीएसई | | | | एनएसई | | | | बाजार सूचकांक (बंद) | |
| | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा | एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स | एनएसई निफ्टी |
| | (रु. में) | | | शेयरों की सं. (करोड़ में) | (रु. में) | | | शेयरों की सं. (करोड़ में) | | |
| अप्रैल–22 | 58.65 | 49.50 | 52.65 | 4.69 | 58.65 | 49.45 | 52.65 | 53.10 | 57060.87 | 17102.55 |
| मई–22 | 55.80 | 44.55 | 51.25 | 4.99 | 55.80 | 44.50 | 51.20 | 61.26 | 55566.41 | 16584.55 |
| जून–22 | 52.80 | 41.40 | 45.00 | 2.88 | 52.70 | 41.40 | 44.95 | 34.08 | 53018.94 | 15780.25 |
| जुलाई–22 | 54.75 | 44.40 | 53.85 | 2.76 | 54.75 | 44.40 | 53.85 | 34.27 | 57570.25 | 17158.25 |
| अगस्त–22 | 60.65 | 51.40 | 58.75 | 4.83 | 60.70 | 51.35 | 58.80 | 55.98 | 59537.07 | 17759.30 |
| सितंबर–22 | 65.05 | 54.75 | 59.85 | 5.21 | 65.10 | 54.75 | 59.90 | 57.02 | 57426.92 | 17094.35 |
| अक्तूबर–22 | 74.70 | 59.90 | 74.05 | 6.08 | 74.75 | 59.90 | 74.05 | 77.35 | 60746.59 | 18012.20 |
| नवंबर–22 | 84.85 | 69.05 | 83.65 | 6.24 | 84.85 | 69.05 | 83.70 | 76.08 | 63099.65 | 18758.35 |
| दिसंबर–22 | 91.45 | 73.05 | 79.20 | 5.54 | 91.55 | 73.10 | 79.20 | 72.22 | 60840.74 | 18105.30 |
| जनवरी–23 | 83.50 | 71.70 | 78.50 | 2.67 | 83.50 | 71.65 | 78.40 | 34.83 | 59549.90 | 17662.15 |
| फरवरी–23 | 79.65 | 66.30 | 69.75 | 2.10 | 79.70 | 66.30 | 69.80 | 30.50 | 58962.12 | 17303.95 |
| मार्च–23 | 79.90 | 69.59 | 70.13 | 1.85 | 79.95 | 69.50 | 70.05 | 30.02 | 58991.52 | 17359.75 |

स्रोतः www.bseindia.com / www.nseindia.com

### viii. इनसाइडर ट्रेडिंग पर नीति

बीएचईएल अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने और ऐसी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 के अनुरूप, कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को 'इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता' को अपनाया था, जिसे बाद में 29 जनवरी, 2009 से संशोधित किया गया था।. निदेशक मंडल ने 6 अप्रैल, 2015 को आयोजित 469वीं बैठक में सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुरूप 'इनसाइडर्स द्वारा ट्रेडिंग और रिपोर्टिंग ट्रेडिंग के लिए आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण, 2015' को मंजूरी दी। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के लिए, निदेशक मंडल ने 01.04.2019 से प्रभावी नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को विनियमित और रिपोर्टिंग के लिए और निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए संशोधित बीएचईएल आचार संहिता को भी मंजूरी दी थी। संहिता का उद्देश्य नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015, संशोधित के अनुपालन को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करना है। संहिता अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं का भी प्रावधान करती है। इस कोड के तहत कंपनी के कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन विभाग–प्रमुख, कंपनी के मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी हैं।

ix. (क) इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)

कंपनी ने बीएचईएल (भौतिक और डीमैट मोड दोनों) के इक्विटी शेयरों से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को अपना रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) नियुक्त किया है। कंपनी के इक्विटी शेयरों से संबंधित सभी मामले जैसे समेकन, शेयर प्रमाणपत्रों का खो जाना, ट्रांसमिशन, डीमैटरियलाइजेशन, लाभांश, पते में परिवर्तन, आदि तथा संबंधित पत्राचार और प्रश्नों हेतु संपर्क किया जा सकता है:

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड
यूनिट: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली.110055
दूरभाष: 011–42541234
फैक्स नं. 011–23552001
ईमेल: rta@alankit.com
वेबसाइट: www.alankit.com

(ख) वाणिज्यिक पत्रों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट:

मेसर्स KFIN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी,
प्लॉट नं. 31–32, वित्तीय जिला
नानकरमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना–500032
Toll Free No-: 1800 309 4001
ई–मेल: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

शेयरधारकों की सेवा में आरटीए का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। निवेशकों की सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया।

x. शेयर अंतरण पद्धति:

भौतिक खंड के तहत सभी शेयर हस्तांतरण गतिविधियों जैसे दस्तावेजों की प्राप्ति / प्रेषण और उनका सत्यापन मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसार, 01.04.2019 से, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (प्रतिभूतियों के संचरण या अंतरण के मामले को छोड़कर) को प्रभावी करने के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को अभौतिकीकृत प्रपत्र सूचीकरण विनियमों के अनुरूप, शेयर प्रमाण पत्र ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, सब–डिवीजन और समेकन के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए जा रहे हैं।

xi. शेयरधारिता का वितरण

क. 31 मार्च, 2023 की होल्डिंग के आकार के अनुसार शेयरों का वितरण

| धारित इक्विटी शेयरों की सं. | शेयरधारकों की सं. | शेयरधारकों का % | शेयरों की सं. | शेयरधारिता का % |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 908986 | 87.23 | 93993168 | 2.70 |
| 501 - 1000 | 67414 | 6.47 | 53674161 | 1.54 |
| 1001 - 2000 | 34834 | 3.34 | 52351850 | 1.50 |
| 2001 - 3000 | 11698 | 1.12 | 30228370 | 0.87 |
| 3001 - 4000 | 4826 | 0.46 | 17356850 | 0.50 |
| 4001 - 5000 | 4153 | 0.40 | 19719931 | 0.57 |
| 5001 - 10000 | 5846 | 0.56 | 43475924 | 1.25 |
| 10001 and above | 4245 | 0.41 | 3171263101 | 91.07 |
| **कुल** | **1042002** | **100.00** | **3482063355** | **100.00** |

ख. 31 मार्च, 2023 को शेयरधारिता पैटर्न

| श्रेणी | 2023 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | वोटिंग शक्ति (%) | धारित शेयरों की सं. | वोटिंग शक्ति (%) | धारित शेयरों की सं. |
| **प्रमोटर होल्डिंग** | | | | |
| **भारतीय प्रमोटर** | | | | |
| भारत के राष्ट्रपति (पीओआई) | 63.17 | 2199650402 | 63.17 | 2199650402 |
| **कुल प्रमोटर होल्डिंग** | **63.17** | **2199650402** | **63.17** | **2199650402** |
| **गैर–प्रमोटर होल्डिंग** | | | | |
| बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, योग्य संस्थागत खरीदार, वैकल्पिक निवेश कोष | 11.50 | 400542743 | 11.09 | 386286711 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक (योग्य विदेशी निवेशक सहित) | 8.58 | 298734941 | 4.00 | 139407793 |
| म्युचुअल फंड और यूटीआई | 4.02 | 139820242 | 1.57 | 54537776 |
| अन्य | | | | |
| व्यक्तिगत, एचयूएफ, कर्मचारी | 11.48 | 399645637 | 18.36 | 639427887 |
| कॉर्पोरेट निकाय | 0.65 | 22462202 | 0.83 | 28818539 |
| एनआरआई और विदेशी/इकाई | 0.51 | 17837995 | 0.64 | 22123766 |
| ट्रस्ट | 0.01 | 300464 | 0.02 | 610839 |
| क्लियरिंग सदस्य | 0.07 | 2559156 | 0.31 | 10754500 |
| आईपीएफ | 0.01 | 494773 | 0.01 | 435642 |
| निदेशक और रिश्तेदार | 0 | 300 | 0 | 300 |
| राज्य सरकार | 0 | 14500 | 0 | 9200 |
| **कुल गैर–प्रमोटर होल्डिंग** | **36.83** | **1282412953** | **36.83** | **1282412953** |
| **कुल योग** | **100** | **3482063355** | **100.00** | **3482063355** |

## 31 मार्च, 2023 को शेयरधारिता पैटर्न

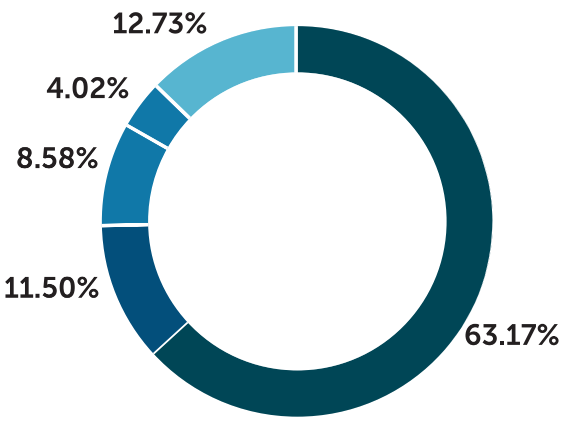


- भारत के राष्ट्रपति
- बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, क्यूआईबी वैकल्पिक निवेश निधि
- विदेशी संस्थागत निवेशक (योग्य विदेशी निवेशकों सहित)
- म्युचुअल फंड और यूटीआई
- अन्य

ग. **शेयरधारकों की सूची जिनके पास 31 मार्च, 2023 को 1% से अधिक शेयर हैं**

| शेयरधारक का नाम एवं श्रेणी | 31 मार्च, 2023 | |
|---|---|---|
| | वोटिंग शक्ति | धारित शेयरों की सं. |
| **प्रमोटर** | | |
| भारत के राष्ट्रपति | 63.17 | 2199650402 |
| गैर–प्रमोटर | | |
| भारतीय जीवन बीमा निगम | 10.07 | 350767507 |
| फिडेलिटी इमर्जिंग मार्केट फंड | 1.08 | 37638600 |

### xii. शेयरों का डीमेटिरियलाएजेशन और चलनिधि

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार, बीएचईएल के शेयरों में सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा 05 अप्रैल, 1999 से डीमैट रूप में व्यापार करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएचईएल ने डीमैट मोड के अंतर्गत अपनी प्रतिभूतियों के प्रवेश के लिए देश के दोनों डिपॉजिटरी अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और संट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है।

बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 99.97% (एनएसडीएलः 94.09%, सीडीएसएलः 5.88%) शेयरधारकों द्वारा 31 मार्च, 2023 तक डीमैट मोड में रखा जा रहा है। शेयरधारकों द्वारा भौतिक मोड में रखे गए शेयर 0.03% हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति की शेयरधारिता (कंपनी के प्रमोटर होने के नाते कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 63.17% हिस्सा है) भी डिमैटरलाइज्ड रूप में/धारित है। कंपनी को अंतरराष्ट्रीय सिक्यूरिटीज पहचान संख्या INE257A01026 आबंटित हुआ है।

**xiii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभावः**

शून्य

**xiv. निदेशक मंडल की मुख्य रिपोर्ट में वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची का खुलासा किया गया है।**

**xv. विदेशी मुद्रा जोखिम या कमोडिटी मूल्य जोखिम और प्रतिरक्षण (हेजिंग) गतिविधियां**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्रतिरक्षण (हेजिंग) गतिविधियां/लेनदेन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप हैं।

पूरे वर्ष इकाई द्वारा सामना किए गए कमोडिटी और कमोडिटी जोखिमों के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजरः

क) सूचीबद्ध इकाई का कमोडिटी में कुल एक्सपोजरः रु 4311 करोड़ (लगभग)

ख) विभिन्न कमोडिटी के लिए सूचीबद्ध इकाई का एक्सपोजरः

| कमोडिटी का नाम | विशेष कमोडिटी हेतु में एक्सपोजर (करोड़ रु.) (लगभग) | विशेष कमोडिटी हेतु मात्रा के संदर्भ में एक्सपोजर (मीट्रिक टन में) (लगभग) | एक्सपोजर कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से इस तरह के प्रतिशत | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | घरेलू मार्केट | | अंतरराष्ट्रीय मार्केट | | कुल |
| | | | ओटीसी | एक्सचेंज | ओटीसी | एक्सचेंज | |
| स्टील | 3938 | 422750 | - | | | | |
| कॉपर | 566 | 6386 | - | | | | |
| एल्यूमीनियम | 55 | 1746 | - | | | | |
| निकेल | 45 | 205 | - | | | | |
| टिन | 8 | 30 | - | | | | |

c) प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं जैसे स्टील, कॉपर, एल्युमीनियम आदि की खरीद केंद्रीय रूप से चुनी गई इकाइयों में से एक द्वारा विभिन्न बीएचईएल इकाइयों की आवश्यकताओं की समेकित कर जहां तक संभव हो, मूल्य लाभ प्राप्त करने के लिए की जा रही है। कंपनी कीमतों में उतार–चढ़ाव से बचने के लिए, समय–समय पर फ्रेमवर्क समझौतों को अंतिम रूप दिया जाता है।

xvi. प्लांट अवस्थिति

| बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयाँ | |
|---|---|
| बेंगुलुरु | 1. इलेक्ट्रॉनिक डिविजन (ईडीएन) |
| | 2. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिविजन (ईएसडी) |
| | 3. सोलर बिजनेस डिवीजन (एसबीडी) |
| भोपाल | 4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी) |
| गोइंदवाल | 5. इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट (आईवीपी) |
| हरिद्वार | 6. हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विप्मेंट प्लांट (एचईईपी) |
| | 7. सेंट्रल फॉउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी) |
| हैदराबाद | 8. हेवी पॉवर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी) |
| जगदीशपुर | 9. फेब्रीकेशन, स्टेम्पिंग एंड इंसुलेटर प्लांट (एफएसआईपी) |
| झांसी | 10. ट्रांसफॉर्मर प्लांट (टीपी) |
| रुद्रपुर | 11. कम्पोनेंट फेब्रीकेशन प्लांट (सीएफपी) |
| रानीपेट | 12. बॉयलर ऑक्जिलरी प्लांट (बीएपी) |
| तिरुचिरापल्ली | 13. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी) |
| | 14. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी) |
| तिरुमयम | 15. पॉवर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू) |
| विशाखापत्तनम | 16. हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स प्लांट ( एचपीवीपी) |
| **बीएचईएल रिपेयर यूनिट** | |
| मुम्बई | 1. इलेक्ट्रिकल्स मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी) |
| वाराणसी | 2. हेवी इक्विपमेंट प्लांट (एचईआरपी) |

**xvii. पत्र व्यवहार का पता**

शेयरधारक कंपनी के शेयरों से संबंधित अपने प्रश्न और अन्य पत्राचार निम्नलिखित दिए गए पते पर किसी को भी भेज सकते हैं

**मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड,**

**यूनिटः बीएचईएल**

| | |
|---|---|
| 4ई/2,अलंकित हाउस, | फोनः 011.42541234 |
| झंडेवाला एक्सटेंशन | फैक्सः 011.23552001 |
| नई दिल्ली 110055 | ईमेलः rta@alankit.com |

अथवा

| | |
|---|---|
| श्री राजीव कालरा | फोनः 011.26001046 |
| कंपनी सचिव | फैक्सः 011.66337533 |
| | ईमेलः shareholderquery@bhel.in |

**बीएचईएल**
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस
सिरी फोर्ट नई दिल्ली 110 049

**नोटः** इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले शेयर धारक सभी पत्राचार में संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को संबोधित करें।

घोषणाः सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, यह घोषित किया जाता है कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बीएचईएल के "व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2023

## निदेशकों की नॉन–डिस्क्वालिफिकेशन (अन–अर्हता) का प्रमाण पत्र

सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के विनियम 34(3)
और अनुसूची V के पैरा सी खंड 10(i) के अनुसार}

सदस्यगण,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट,
नई दिल्ली–110049

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (CIN L74899DL1964GOI004281) जिसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली –110049 है (इसे यहाँ 'कंपनी' के रूप में संदर्भित किया है) के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है। इन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V के पैरा सी खंड 10(i) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की यथास्थिति सहित) एवं अन्य आवश्यक समझे गए तथ्यों और कंपनी तथा कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन के आधार पर हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

| क्र सं. | निदेशक का नाम (डीआईएन के अनुसार) | डीआईएन | कम्पनी में नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | नलिन सिंघल | 1176857 | 08.07.2019 |
| 2 | आरती भटनागर | 10065528 | 14.02.2023 |
| 3 | विजय मित्तल | 09548096 | 25.03.2022 |
| 4 | शिवप्रसाद कोडंगल्लूर | 09392812 | 09.11.2021 |
| 5 | लेखाश्री सामंतसिंघर | 09392192 | 09.11.2021 |
| 6 | सुबोध गुप्ता | 08113460 | 18.04.2018 |
| 7 | रेणुका गेरा | 08970501 | 01.12.2020 |
| 8 | उपिन्द्र सिंह मठारु | 09541886 | 21.03.2022 |
| 9 | जय प्रकाश श्रीवास्तव | 09703643 | 12.08.2022 |

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व है कि सत्यापन के आधार पर हम इन पर विचार व्यक्त करें । यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का परिचालन किया है।

**कृते पी पी अग्रवाल एंड कंपनी**
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30–05–2023

हस्ता/–
**(प्रमोद प्रसाद अग्रवाल)**
प्रोपराइटर
सीपी नं.: 10566 एफसीएसः 4955
पीर रिव्यू नं. 1241/2021
यूडीआईएनः F004955E000416619

सी–154, एलजीएफ, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065
ईमेलः fes.ppa@gmail.com फोनः 011–35541587

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डी–427, दूसरी मंजिल, पालम एक्सटेंशन, रामफल चौक,
सेक्टर 7, द्वारका, नई दिल्ली–110075
ईमेल आईडी: asacs2022@gmail.com
फोन: 011–45052182;

# कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सदस्यगण
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट,
नई दिल्ली–110049

1. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (CIN: L74899DL1964 GOI004281) द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देश में निर्धारित है।

2. कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उक्त विनियमों और दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

3. "हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जारी कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की सभी लागू शर्तों का अनुपालन किया है,सिवाय इसके कि निदेशक मंडल की संरचना सेबी के विनियम 17 (1) (ए) और (बी) [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 और 3.1.2 के अनुपालन में नहीं थी क्योंकि, (i) 30.05.2022 को एक स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र के कारण कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और (ii) 27.01.2023 को दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने के परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में गैर–कार्यकारी निदेशक नहीं थे।

*आईसीएसआई यूनिक कोड: **P2003DE049100***    *एमएसएमई उद्योग आधार संख्या: **DL10E0008584***

4. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बीएचईएल सरकारी कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रिमंडलीय की नियुक्ति समिति के अनुमोदन सहित निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना शामिल है। कंपनी भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क कर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति का अनुरोध कर रही है ताकि सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के साथ–साथ कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारत सरकार में प्रक्रियाधीन है।

5. हम यह भी कहना चाहते है कि, इस संदर्भ में इस तरह का अनुपालन प्रमाण–पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसमें प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का परिचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनिक कोड़ P2003DE049100
पीर रिव्यू प्रमाणपत्र सं. 2725/2022

Digitally signed by GARIMA GROVER
Date: 2023-05-31 14:55:56 +05'30'

गरिमा ग्रोवर
पार्टनर
एसीएस.: 27100
सीपी सं.: 23626

दिनांक : 31.05.2023

स्थान : नई दिल्ली

यूडीआईएन : A027100E000433418

Page **2** of **2**

अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डी–427, दूसरी मंजिल, पालम एक्सटेंशन, रामफल चौक, सेक्टर 7,
द्वारका, नई दिल्ली–110075
ईमेल आईडी: asacs2022@gmail.com
फोनः 011–45052182;

# सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार}

सेवा में,
सदस्यगण,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सीआईएन L74899DL1964GOI004281 (यहां इसे 'कंपनी' या 'बीएचईएल' कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के अनुपालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरणों/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु उचित आधार मिल सकें।

बीएचईएल की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और कंपनी के रिटर्न्स और अन्य अभिलेखों के सत्यापन तथा कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि (31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष) के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। हमारी यह भी राय है कि कंपनी में उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र भी है, जो की गई रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बीएचईएल द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाई गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्तों, फार्मों और दाखिल रिटर्न्स एवं अन्य अभिलेखों की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम,1956 (एससीआरए) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियमय;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (श्सेबी अधिनियमश) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः–

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और प्रबंध अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

आईसीएसआई यूनिक कोडः P2003DE049100    एमएसएमई उद्योग आधार संख्याः DL10E0008584

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूची से हटाना) विनियम, 2021; तथा

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय) विनियम, 2018;

(viii) अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (उद्योग पर लागू) के तहत अनुपालन/प्रक्रियाएं/प्रणालियां, जिनमें नीचे सूचीबद्ध हैं (कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के तहत आवधिक प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित किया जा रहा है) :

1) परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004;

2) बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001;

3) फैक्टरी अधिनियम, 1948;

4) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923; तथा

5) खतरनाक रासायनिक नियम, 1989 का विनिर्माण, भंडारण और आयात

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:-

(क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य सचिवीय मानक;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ इक्विटी सूचीबद्धता समझौते; तथा

(ग) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है। इस संबंध में हमारी टिप्पटिया इस प्रकार है:

निदेशक मंडल की संरचना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.2 और 3.1.4 के अनुपालन नहीं हो पाने के कारण (i) 30.05.2022 को एक स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र के कारण कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और (ii) 27.01.2023 को दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के पूरा होने के परिणामस्वरूप कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में गैर–कार्यकारी निदेशक नहीं थे।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बीएचईएल सरकारी कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रिमंडलीय की नियुक्ति समिति के अनुमोदन सहित निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना शामिल है। कंपनी भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क कर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति का अनुरोध कर रही है ताकि सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के साथ–साथ कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारत सरकार में प्रक्रियाधीन है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

आम तौर पर, निदेशक मंडल की बैठकों की तिथि निश्चित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त समय दिया जाता है। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी में एवं स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है। अपेक्षाकृत कम समय में कार्यसूची भेजने सहित बैठक बुलाने की स्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों की सहमति ली गई थी।

पृष्ठ 2

निदेशक मंडल/समिति की बैठक (बैठकों) में किए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार तथा परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई विशेष घटनाएं/कार्रवाई नहीं हुई है।

कृते –
अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
पीर रिव्यू प्रमाणपत्र सं–2725/2022

हस्ता/–
गरिमा ग्रोवर
साझेदार (पार्टनर)
एसीएस नं. 27100
सी.पी. सं. 23626
UDIN: A027100E000490585

दिनांक–15.06.2023
स्थान– नई दिल्ली

टिप्पणी: इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो "अनुलानक–क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

पृष्ठ 3

"अनुलग्नक क"

**सेवा में,**
**सदस्यगण,**
**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

(i) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

(ii) हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जैसा कि सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त था। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

(iii) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले बताई गई टिप्पणियों/कमियों को शामिल नहीं किया गया है।

(iv) जहां कहीं आवश्यक लगा, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और गतिविधियों आदि के होने के बारे में प्रबंधन से स्पटीकरण प्राप्त किया है।

(v) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन और हमारी राय देने के लिए सीमित थी कि क्या कंपनी के पास उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र हैं या नहीं।

(vi) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का परिचालन किया है।

कृते –
अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
पीर रिव्यू प्रमाणपत्र सं–2725 / 2022

हस्ता / –
गरिमा ग्रोवर
साझेदार (पार्टनर)
एसीएस नं. 27100
सी.पी. सं. 23626
UDIN: A027100E000490585

दिनांक–15.06.2023
स्थान– नई दिल्ली

पृष्ठ 4

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

## सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

**(सेबी (एलओडीआर) अधिनियम 2015 के 17(8) की शर्तों के अनुसरण में)**

सेवा में,
निदेशक मंडल
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

क) हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसारः

i. इन विवरणों में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ नहीं दिया गया है या किसी प्रकार के भ्रामक विवरण नहीं है;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और लागू इंड एएस, कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

इ) हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन है।

ब) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को गठन/डिजाइन या संचालन में कमियों का खुलासा किया है; या ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का परिचालन, यदि कोई हो, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव किया है।

क) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है।

i. वर्ष 2022–23 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो;

ii. वर्ष 2022–23 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो, और इसका खुलासा वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में किया गया है; तथा

iii. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के धोखाधड़ी के उदाहरण, और उसमें भागीदारी, यदि कोई हो जिसके बारे में हमें पता चला है, शामिल है।

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एवं डी) –
निदेशक वित्त एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# संधारणीयता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

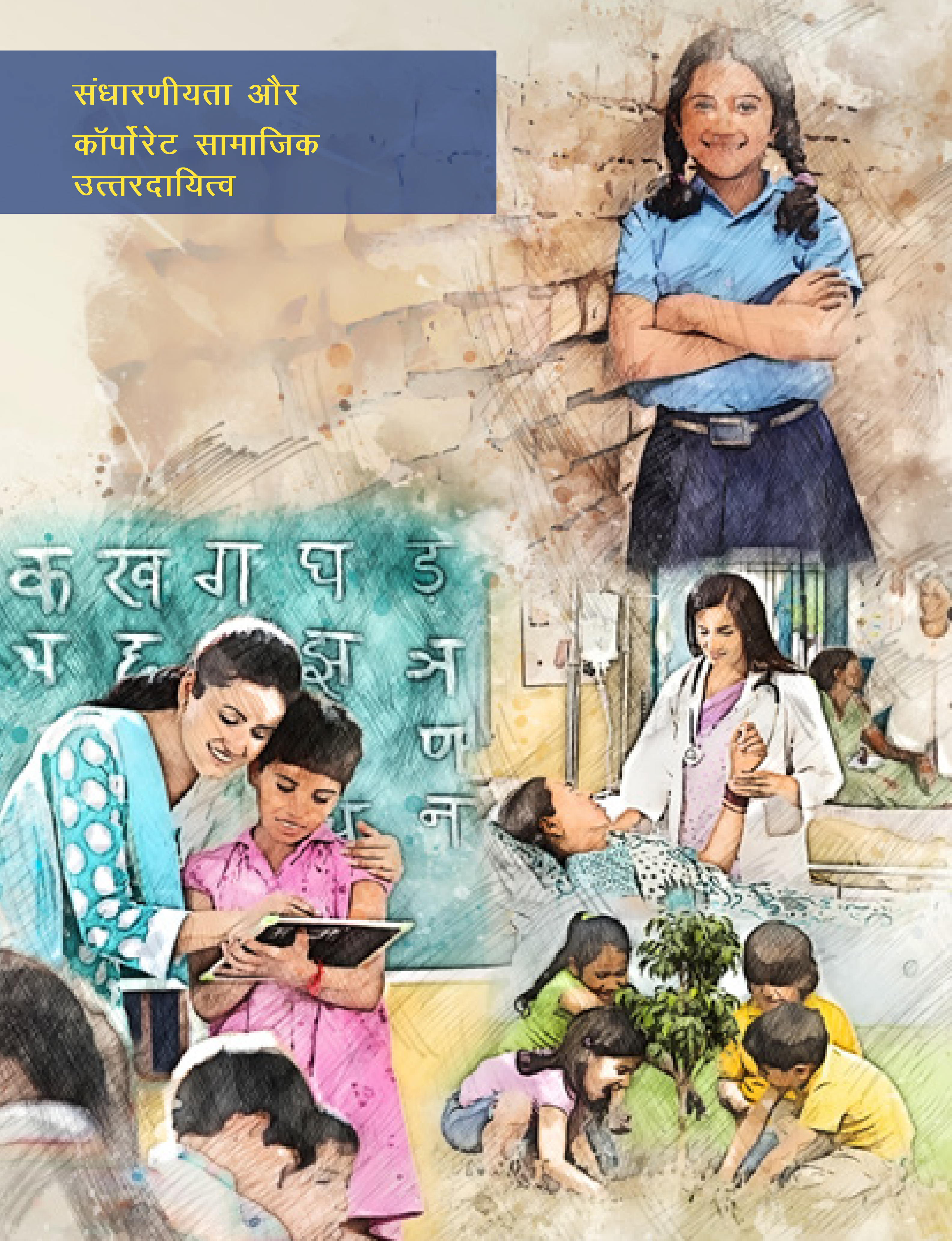

*सीएमडी, बीएचईएल ने बीएचईएल तिरुचिरापल्ली परिसर में मियावाकी वन (इस तरह के पहले वन) विकसित करने के क्रम में वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया*

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–IV

## संधारणीयता एवं सीएसआर

### 4.1 संधारणीयता निष्पादन –पर्यावरणीय

हमारा मिशन कथन "ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में स्थायी व्यावसायिक समाधान प्रदान करना" हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और उन निर्णयों से निकलने वाली गतिविधियों में स्थिरता के सिद्धांतों को दर्शाता है।

संधारणीयता के पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान देने के लिए, पर्यावरण की अत्यधिक देखभाल करते हुए व्यावसायिक गतिविधियां की जाती हैं। उत्तरदायी सामग्री और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जल प्रबंधन, जैव विविधता प्रबंधन, कार्बन प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में फोकस क्षेत्र हैं, और हमारी गतिविधियां तदनुसार संपन्न की जाती हैं।

हमारी आर एंड डी गतिविधियों का मूल मंत्र अपनी मूल्य शृंखला के भीतर, अधिक स्वच्छ एवं हरित उत्पादों का विकास करना है ताकि उनके पूरे जीवन चक्र में पर्यावरण पर उनका कम प्रभाव पड़े। हमारे उत्पाद दशकों लंबे समय तक कार्यरत हैं, और इन उत्पादों के अधिकांश पर्यावरणीय प्रभाव परिचालन से हैं। स्वच्छ उत्पादों को विकसित करने के हमारे प्रयास उनके परिचालन चरण के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से हमारे उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद कर रहे हैं, अर्थात कम गैसों का उत्सर्जन, कम पानी की आवश्यकता और मौजूदा संयंत्रों में रेट्रोफिटिंग उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के माध्यम से उत्सर्जन को कैप्चर करना है। आर एंड एम के साथ–साथ जीवन विस्तार सेवाओं के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार करने का हमारा निरंतर प्रयास, उत्सर्जन को कम करने के लिए एयूएससी और कोयला गैसीकरण जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियां प्रदान करना, हाइड्रो और परमाणु क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रदान करना और मौजूदा विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एफजीडी और एससीआर की रेट्रोफिटिंग प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान की गई इनमें से कुछ पहलों का विवरण नीचे दिए गए अनुभागों में दिया गया है।

#### 4.1.1 सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्वक उपभोग

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन और उपभोग के लिए सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अत्यंत मितव्ययिता के साथ किया जा रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रिड्यूस–रीसायकल–रीयूज़ के सिद्धांतों को परिश्रमपूर्वक लागू किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान, हमारे परिसर में लगभग 763 मीट्रिक टन कचरे का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप हमारी प्रक्रियाओं में बराबर मात्रा में नए कच्चे माल की खपत से बचा गया। बीएचईएल ने एक इन–हाउस पोर्टल–सदुपयोग– बनाया है जो विनिर्माण कार्यों के साथ–साथ परियोजना स्थलों पर अधिशेष सामग्री के प्रभावी क्रॉस–यूनिट उपयोग को सक्षम बनाता है और संसाधनों के अनुकूलन और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

### 4.1.2 ऊर्जा प्रबंधन

विद्युत उत्पादन उपस्कर के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी के रूप में, हम अपने परिसर में ऊर्जा प्रबंधन और अपने ग्राहकों को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी/उपस्कर उपलब्ध कराने के महत्व को समझते हैं। ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं पर काम करना हमारी कंपनी की एक नियमित विशेषता है और हाल के दिनों में, परियोजनाओं की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, जिससे हमें मांग के प्रबंधन में मदद मिली है। हमारी ऊर्जा गहन इकाइयाँ ISO 50001 प्रमाणन प्राप्त कर चुकी हैं और इसे बनाए रखने की इस पूरी श्रृंखला के परिणामस्वरूप विद्युत की मांग में उल्लेखनीय कमी आई है और परिणामस्वरूप हमारी आय बढ़ी है।

**वर्ष के दौरान पूरी की गई कुछ प्रमुख ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं इस प्रकार हैं:**

- विभिन्न भट्ठियों के बेहतर इन्सुलेशन और संचालन के साथ संरचनात्मक सुधार, पारंपरिक से पुनर्योजी बर्नर–आधारित दहन प्रणाली में अपग्रेडेशन, और सीएफएफपी हरिद्वार में अन्य परियोजनाओं से वार्षिक विद्युत की मांग प्रतिवर्ष 6.63 मिलियन यूनिट कम होने की उम्मीद है।
- एफएसआईपी जगदीशपुर में 500 टन मैनुअल प्रेस पर उच्च क्षमता के पारम्परिक प्रकार के कंप्रेसर के स्थान पर सिंगल स्क्रू कंप्रेसर की स्थापना, जिससे वार्षिक विद्युत की मांग प्रतिवर्ष 59,000 यूनिट कम होने की संभावना है।
- त्रिची इकाई में विभिन्न ईएनसीओएन परियोजनाओं का निष्पादन जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 3.6 लाख यूनिट विद्युत की अपेक्षित वार्षिक कमी हुई।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भोपाल इकाई में 5 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। कुल मिलाकर वर्ष 2022–23 के दौरान, पूरे संगठन में कुल 29.78 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन किया गया, जिससे पिछले छह वर्षों के दौरान सौर प्रणालियों द्वारा कुल ऊर्जा उत्पादन लगभग 160 मिलियन यूनिट हो गया।

*बीएचईएल द्वारा 'बीएचईएल को हरित कंपनी बनाने' की पहल – जिसमें बड़ी बीएचईएल इकाइयों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान से घने शहरी वन (मियावाकी) बनाए जा रहे हैं*

### 4.1.3 जल और जैव विविधता प्रबंधन

पीने योग्य पानी की दुर्लभ उपलब्धता दुनिया भर में और भारत में तो और भी बड़ी चिंता का विषय होने की उम्मीद है। इस संदर्भ में, एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, बीएचईएल अपनी प्रक्रियाओं में पानी की खपत को कम करने का प्रयास कर रहा है। हम पानी की खपत को कम करने, प्रक्रियाओं में पानी को रिसाइकल करने और बागवानी के लिए स्वच्छ किए गए पानी का पुनः उपयोग करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को संशोधित कर रहे हैं।

बीएचईएल की इकाइयों ने रूफटॉप वर्षा जल संग्रहण पिट, भूजल पुनर्भरण पिट/तालाब/झील/कुओं सहित कुल 126 वर्षा जल संचयन प्रणालियां स्थापित की हैं जो भूजल के पुनर्भरण में योगदान करते हैं। इसके अलावा, गंदे पानी को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए हमारे पास 22 एफ्लूएंट परिशोधन संयंत्र (ईटीपी) और 16 सीवेज परिशोधन संयंत्र (एसटीपी) हैं। बीएचईएल की 10 विनिर्माण इकाइयों को शून्य तरल निकासी संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है और शेष इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। उपचारित अपशिष्ट/सीवेज का उपयोग विनिर्माण संयंत्र और टाउनशिप के अंदर बागवानी के लिए किया जाता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, हरियाली बढ़ाने की दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 49,200 पौधे लगाए गए, साथ ही पिछले छह वर्षों के दौरान लगाए गए पौधों की संख्या 2,62,000 से अधिक रही।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने 'बीएचईएल को हरित कंपनी बनाने' की पहल की है। कंपनी के पास 2023–24 के दौरान 75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों के अलावा, बीएचईएल की बड़ी इकाइयों में घने शहरी वन (मियावाकी वन) बनाने की योजना है। वित्त वर्ष 2022–23 में झांसी इकाई में 500 वर्ग मीटर में मियावकी तकनीक का उपयोग करके वृक्षारोपण किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, हरिद्वार में 3 एकड़ स्थान, हैदराबाद में 1 एकड़ और त्रिची में 2.75 एकड़ स्थान की पहचान मियावकी तकनीक का उपयोग करके वृक्षारोपण करने के लिए की गई है। इसके अलावा, बीएचईएल परिसर के भीतर जल निकाय भी बनाए जा रहे हैं जो वर्षा जल का भंडारण करेंगे और वर्षा जल संचयन प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। हरिद्वार में दो बड़े आकार के तालाब, भोपाल में एक बड़ा तालाब और आर एंड डी हैदराबाद में एक तालाब वित्त वर्ष 2023–24 में मानसून की शुरुआत से पहले ही बनाए जा चुके हैं।

### 4.1.4 कार्बन प्रबंधन

अपने ऊर्जा मिश्रण को अधिक प्रभावशाली/उपयोगी बनाने की दिशा में अपने केंद्रित दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में, हम जमीन पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ–साथ छत पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। अब हमारे परिसर में सौर पीवी संयंत्रों की कुल क्षमता लगभग 34.89 मेगावाट है। वर्ष 2022–23 के दौरान ही हमने अपनी एचईपी भोपाल इकाई में 5 मेगावाटपी एसपीवी संयंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित उत्पादों को विकसित करने की दिशा में हमारे अनुसंधान एवं विकास प्रयास भी हमारे ग्राहकों को विद्युत उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद कर रहे हैं।

इससे हमें वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 26,964 $MTCO_2$ – समकक्ष तक कार्बन प्रभाव से बचने में मदद मिली है। इसके अलावा, हमारा सुव्यवस्थित और लगातार बढ़ता हरा–भरा आवरण भी कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पूरी की गई परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा दक्षता/संरक्षण के क्षेत्र में हमारे प्रयासों से हमें अपने स्कोप–2 उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है।

### 4.1.5 अपशिष्ट प्रबंधन

बीएचईएल के संचालन के आकार और दायरे को ध्यान में रखते हुए, कचरे के उत्पादन को कम करने और उत्पन्न कचरे के पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग को बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। हमारे कारखानों में उत्पन्न कचरे को स्रोत पर ही अलग कर दिया जाता है और आगे की प्रक्रिया/निपटान के लिए उचित रूप से संग्रहीत किया जाता है। हमारे द्वारा उत्पन्न लगभग सभी गैर–खतरनाक कचरे का उपयोग या तो संस्थान में ही पुनर्चक्रण (recycling) /पुनः उपयोग के माध्यम से किया जाता है

*बीएचईएल हरिद्वार इकाई में फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आयोजित साइकिल रैली*

या इसके उपर्युक्त उपयोग के लिए अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं (recyclers) को भेजा जाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, लगभग 27,615 मीट्रिक टन कचरा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं (recyclers) को बेचा गया।

इसके अलावा, प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से लड़ने के लिए, हमारे टाउनशिप परिसर को ''एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त'' बनाने के लिए संगठन द्वारा एक अनोखी पहल की गई और परिणामस्वरूप हमारी 14 टाउनशिप का तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट किया गया और संस्थानों को ''एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त'' के रूप में पुनः प्रमाणित किया गया।

## 4.2 बीएचईएल को हरित कंपनी बनाना

जलवायु परिवर्तन और इसे कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता ने आज की दुनिया में केंद्रीय भूमिका निभायी है। आपकी कंपनी जलवायु परिवर्तन की इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई उत्पाद और समाधान पेश कर रही है और कई संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है। परिचालन के मोर्चे पर, आपकी कंपनी हमेशा एक पर्यावरण के प्रति जागरूक संगठन रही है, जो पर्यावरणी पर प्रभाव को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अब, जलवायु कार्रवाई पर भारत के एजेंडे में सक्रिय रूप से योगदान देने के उद्देश्य से, आपकी कंपनी खुद को हरित कंपनी में बदलने का प्रयास कर रही है। एक त्रि–आयामी रणनीति अपनाई गई है जिसमें (i) इकाइयों का ग्रीन कंपनी रेटिंग (ग्रीनको रेटिंग) के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। इससे उन्हें उनकी पिछली उपलब्धियों के लिए मान्यता मिलेगी और आगे सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। (ii) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी भर में नौ केंद्रित संधारणीयता संबंधी पहलों को लागू करने के लिए पहचाना गया है। इनमें शामिल हैं – बीएचईएल परिसरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण इकाइयों का जल ऑडिट, सभी इकाइयों के लिए शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) की स्थिति प्राप्त करना, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नए अवसरों की पहचान करने के लिए विनिर्माण इकाइयों का ऊर्जा ऑडिट, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए बीएचईएल परिसरों के भीतर जल निकाय बनाना, अधिक जल संचयन प्रणाली स्थापित करना, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए बीएचईएल टाउनशिप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बायोडिग्रेडेबल कचरे की कंपोस्टिंग सुनिश्चित करना, दिन के समय कारखानों और भवनों में प्राकृतिक सूर्य प्रकाश का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम ताकि दिन के समय के दौरान प्रकाश के उद्देश्य के लिए विद्युत के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके, और हमारे कार्यों में आरई के उपयोग को बढ़ाने के लिए, कैप्टिव उपयोग के लिए अधिक सौर पीवी विद्युत संयंत्र स्थापित करना। (iii) बीएचईएल नेट जीरो के लिए एक रोडमैप विकसित करने की प्रक्रिया में है।

## 4.3 संधारणीयता निष्पादन– सामाजिक

बीएचईएल ने अपनी सीएसआर पहलों को पूरा करने के लिए सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। इन सात प्रमुख क्षेत्रों का बीएचईएल की सीएसआर नीति में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सभी गतिविधियां कंपनी अधिनियम–2013 की अनुसूची में उल्लखित गतिविधियों और क्षेत्रों के अनुरूप हैं। सभी सीएसआर आवंटन और व्यय बीएचईएल की सीएसआर नीति के अनुसार हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर से संबंधित मौजूदा प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और सीपीएसई के लिए मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। बीएचईएल ने सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय–समय पर जारी डीपीई दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन किया है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख विषयों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है–

*पूरी कंपनी में अगस्त 2022 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आजोजित सफाई अभियान*

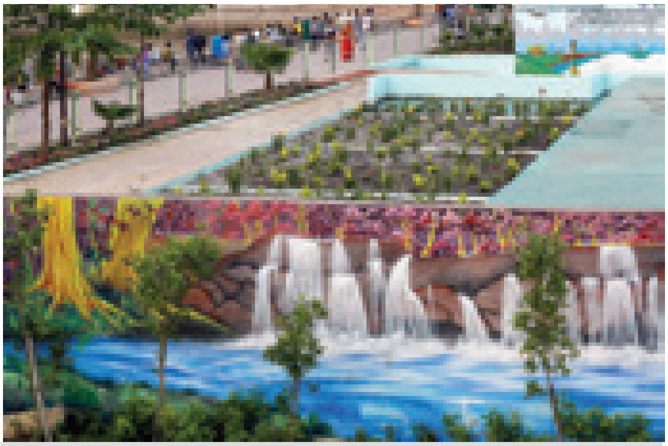

*बीएचईएल द्वारा तेलीबांधा झील (आरएससीएल) की संचालन एवं रखरखाव सहित सफाई की जा रही*

## स्वच्छ भारत

- बीएचईएल ने हरिद्वार और ऋषिकेश जिला, उत्तराखंड में बायो–डाइजेस्टर शौचालयों के निर्माण के लिए अपने सीएसआर कार्यक्रम को जारी रखा। इन बायो–डाइजेस्टर शौचालयों के 23 क्लस्टर पूरे हो चुके हैं।

## शिक्षित भारत

- राजकीय पॉलिटेक्निक, जिला निजामाबाद, तेलंगाना में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण।

## स्वस्थ भारत

- "हील–ए–सोल IV" के लिए वित्तीय सहायता – भारत भर के विभिन्न जिलों में हीमोफिलिया (पी एंड सीडब्ल्यूएच) से पीड़ित व्यक्तियों और बच्चों को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर (एएचएफ) किट प्रदान करना।
- वाराणसी और चंदौली, उत्तर प्रदेश जिले में 12 स्थानों पर सुलभ शौचालय परिसरों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए ''सुलभ श्रृंखला सामाजिक सेवा संगठन" (एसआईएसएसओ) को वित्तीय सहायता।''
- जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में 200 क्लीफ्ट रोगियों की क्लीफ्ट सर्जरी के लिए "मिशन स्माइल" को वित्तीय सहायता।
- गरीब और जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कमजोर नागरिकों को बुनियादी और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सतपुड़ा (एमपी), बीकानेर (राजस्थान) और नोएडा (यूपी) में मोबाइल हेल्थकेयर यूनिट चलाने हेतु हेल्पएज इंडिया को वित्तीय सहायता।
- एनजीओ को वित्तीय सहायता – पूरे भारत में (अपेक्षित जिलों में) कैंसर से पीड़ित 0–19 वर्ष की आयु के 200 बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए "कैन किड्स किड्स कैन" को वित्तीय सहायता एवं अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण और बच्चों के लिए रोगनिवारक देखभाल केंद्र तथा रोगी परिवहन हेतु एम्बुलेंस।
- राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, जांगलू, जिला, बीकानेर, राजस्थान में टिन शेड और चौकी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

*बीएचईएल द्वारा स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित आयुष शिविर*

*हील–ए–सोल IV अभियान के अंतर्गत हीमोफिलिया (पी एंड सीडब्ल्यूएच) से पीड़ित व्यक्तियों और बच्चों को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर (एएचएफ) किट प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता का पूरे भारत के विभिन्न आकांक्षी जिलों विस्तार*

- दिल्ली–एनसीआर में समाज के वंचित वर्ग को कोविड से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता।
- जिला सूर्यापेट, तेलंगाना में 36 जिम स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर, सूर्यापेट को वित्तीय सहायता।

## समावेशी भारत

- वाराणसी में हेरिटेज स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए नगर आयुक्त, वाराणसी को वित्तीय सहायता।
- बीएचईएल ने ओडिशा के आकांक्षी जिले कंधमाल में "आर्थिक परिवर्तन के लिए कंधमाल के कृषि समुदायों को अभिप्रेरित करना (MARKET)" नामक परियोजना के लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान) को अपनी वित्तीय सहायता जारी रखी।

## हरित भारत

- तिरुवल्लुर, तमिलनाडु में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पायरोलेटर इकाई स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर, तिरुवल्लुर का वित्तीय सहायता।

## 4.4 सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

[कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की आवश्यकता के अनुसार]

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा (अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न)

2. सीएसआर समिति की संरचना

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | निदेशक पद का प्रकार/पदनाम | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की सं. | वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की सं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनीष कपूर, स्वतंत्र निदेशक (27 जनवरी 2023 तक) | अध्यक्ष | 1 | 1 |
| 2 | डॉ. के शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष (10 फरवरी 2023 से) | 0 | 0 |
| | | सदस्य (09 फरवरी 2023 से) | 1 | 1 |
| 3 | आदित्य प्रसाद साहू, स्वतंत्र निदेशक (मई 2022 तक) | सदस्य | 0 | 0 |
| 4 | निदेशक (वित्त) | सदस्य | 1 | 1 |
| 5 | निदेशक (मा.सं) | सदस्य (11 नवंबर 2022 से) | 0 | 0 |

प्रमुख (सीएसआर), कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित सदस्य होते है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

3. कंपनी की वेबसाइट का वेब लिंक देखें जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजना को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया है। वेब लिंक–https://www.bhel.com/csr

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में पूरी की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें।

   लागू नहीं

5. (क) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

   **₹ (–) 1,301.61 करोड़**

   (ख) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

   **₹ (–) 26.03 करोड़**

   (ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष **शून्य**

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो **शून्य**

   (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) – (घ)] **शून्य**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (चल रही परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा अन्य) पर व्यय की गई राशि – **571.906 लाख**

   (ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में व्यय की गई राशि –**28.595 लाख**

   (ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो। **शून्य**

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क) + (ख) + (ग)]* – **600.50 लाख**

   (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या व्यय न की गई सीएसआर राशिः

| वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रू.) | व्यय न की गई राशि (रू. में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि | | धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार, अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को अंतरित राशि | | |
| | राशि (लाख में) | अंतरण की तिथि | फंड का नाम | राशि | अंतरण की तिथि |
| शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं |

च. समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

| क्र. सं. | विवरण | राशि (लाख में) |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत। | (-) 2603.00 |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि* | 600.50 |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii) – (i)] | शून्य |
| (iv) | पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष | शून्य |
| (v) | अगले वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii) – (iv)] | शून्य |

* वित्त वर्ष 2020–21 में 2,126.95 लाख रुपये की शेष सीएसआर राशि को कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसमें से 911.08 लाख और 600.50 लाख रुपये क्रमशः वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 में व्यय किए गए हैं।

7.(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों की शेष सीएसआर राशि का विवरण:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं. | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष | धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (लाख में) | धारा 135 की उप धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ लाख में) | वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. लाख) | धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार, अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में अंतरित राशि | | अगले वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ लाख में) | विसंगति, यदि कोई हो |
| | | | | | राशि (₹ में) | अंतरण की तिथि | | |
| 1 | 2019-20 | शून्य | - | - | लागू नहीं | - | 1550.94 | शून्य |
| 2 | 2020-21 | 2126.95 | 2126.95 | 1441.99 | लागू नहीं | - | 2126.95 | शून्य |
| 3 | 2021-22 | शून्य | 2126.95 | 911.08 | लागू नहीं | - | 1215.87 | शून्य |

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है: **नहीं**

यदि हां, तो निर्मित/ अधिगृहीत पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: **लागू नहीं**

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: **लागू नहीं**

| क्रम सं. | संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता स्थान सहित] | संपत्ति या संपत्ति का पिन कोड | निर्माण की तारीख | व्यय की गई सीएसआर राशि | पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकारी/ लाभार्थी का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
| | | | | | सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो | नाम | पंजीकृत पता |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

9. कारणों को निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है।

1) धारा 135 (5) के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत (–) 26.03 करोड़ था। इसलिए, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर बजट शून्य था।

2) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर व्यय पिछले वर्ष से जारी सीएसआर परियोजनाओं से लिया गया था। बीएचईएल की सीएसआर नीति के अनुसार, व्यय न की गई प्रतिबद्ध राशि व्यपगत नहीं होगी और भविष्य में सीएसआर परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी।

10. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

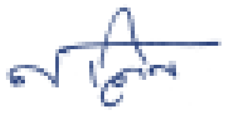

नई दिल्ली

दिनांक – 28 जुलाई, 2023

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष

(निदेशक मंडल सीएसआर समिति)

# अनुलग्नक–क

## बीएचईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति की रूपरेखा

### सीएसआर विज़न

बेहतर कल की दिशा में काम करने वाला एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनना।

### सीएसआर मिशनः

कंपनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध किए गए सीएसआर क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में कंपनी की जिम्मेदारी का ईमानदारी से और प्रभावी ढंग से निर्वहन करना।

### नीति के उद्देश्यः

- कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और प्रचलित डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाली उन सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की योजना बनाना जिन्हें बीएचईएल शुरु करना चाहता है।
- सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को पूरा करने की कार्यविधि तैयार करना।
- इन सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी (मॉनिटरिंग) करना।
- बीएचईएल में सीएसआर कार्य प्रणाली के बारे में हितधारकों को जागरूक करना।
- व्यवसाय के संचालन और सीएसआर एजेंडे को लागू करने में संधारणीय विकास के वृहद्तर उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम करना।

### नीति की मुख्य विशेषताएंः

- नीति में कंपनी अधिनियम–2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम–2014 और सीएसआर व सततता (संयोजनीयता) पर डीपीई दिशानिर्देशों में बताई गई आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।
- यह उन सीएसआर गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित करती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों पर आधारित हैं।
- नीति यह निर्दिष्ट करती है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाएगा।
- कंपनी को सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि का कम से कम 75% व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों को वरीयता देनी होगी।
- एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के कुल मूल्य वाली परियोजना को मेगा परियोजना कहा जाएगा और ऐसी परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रूप से एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
- किसी भी आपदा/विपदा में राहत गतिविधियों के लिए वार्षिक सीएसआर बजट का 5% आपातकालीन निधि के रूप में आरक्षित करने का प्रावधान है।
- नीति यह निर्धारित करती है कि वर्ष में कुल सीएसआर व्यय का 5% प्रशासनिक उपरिव्यय व क्षमता बढाने के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
- यह बीएचईएल में सीएसआर के लिए संगठनात्मक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

### सीएसआर नीति के लिए वेब–लिंक

बीएचईएल सीएसआर नीति को www.bhel.com पर सीएसआर अनुभाग के अंतर्गत होस्ट किया गया है और इसे https://www.bhel.com/csr लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

# अनुलग्नक–V व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

## भाग–कः सामान्य प्रकटीकरण

### सूचीबद्ध इकाई का विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्याः | L74899DL1964GOI004281 |
| 2. | कंपनी का नामः | भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
| 3. | निगमन की तिथि | 13 नवंबर 1964 |
| 4. | पंजीकृत कार्यालय पताः | बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110 049 |
| 5. | कार्पोरेट कार्यालय पता | बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110049 |
| 6. | ईमेल आईडीः | shareholderquery@bhel.in |
| 7. | दूरभाषः | 011-66337598 |
| 8. | वेबसाइटः | **www.bhel.com** |
| 9. | रिपोर्टित वित्तीय वर्षः | 2022-23 |
| 10. | शेयर बाजार के नाम जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैंः | BSE एवं NSE |
| 11. | प्रदत्त पूंजीः | ₹ 696.41 करोड़ |
| 12. | रिपोर्ट के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क ब्यौरा (टेलीफोन, ईमेल एड्रेस | अजय सक्सेना (अ.म.प्र.–कॉर्पोरेट स्ट्रैटिजिक मैनेजमेंट),<br>email: ajaysaxena@bhel.in, 011-66337390 |
| 13. | रिपोर्टिंग बाउंड्री – क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत डिस्क्लोजर स्टेंड अलोन आधारित (अर्थात केवल सूचीबद्ध कंपनी के लिए) हैं अथवा समेकित आधारित (अर्थात सूचीबद्ध कंपनी एवं सभी सहयोगी कंपनियों को मिलाकर जो इसके समेकित वित्तीय विवरण का अंग हैं | एकल (स्टेंड अलोन) आधारित |

### उत्पाद / सेवाएं

**14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा)**

| क्र.सं | मुख्य गतिविधि का विवरण | कारोबारी गतिविधि का विवरण | कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | विनिर्माण (सी) | विद्युत उपस्कर, सामान्य एवं विशिष्ट प्रयोजन हेतु मशीनरी एवं उपस्कर, यातायात उपकर (सी10) | 100% |

**15. कंपनी द्वारा विक्रय किए गए उत्पाद/सेवाएं (कुल टर्नओवर का 90%):**

| क्र.सं | उत्पाद / सेवाएं | एनआईसी कोड | कुल टर्नओवर का % |
|---|---|---|---|
| 1 | जल–विद्युत ऊर्जा संयंत्रों के अलावा अन्य विद्युत संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव | 45207 | 31% |
| 2 | केंद्रीय हीटिंग बॉयलर के अलावा स्टीम या अन्य स्टीम उत्पन्न करने वाले बॉयलर और गर्म पानी के बॉयलर का निर्माण | 28131 | 26% |
| 3 | स्टीम इंजनों और टर्बाइन का निर्माण | 29111 | 8% |
| 4 | सभी आकारों और प्रकारों के ट्रांसफार्मरों का निर्माण और इलेक्ट्रिक मोटरों की रिवाइडिंग | 31102 | 7% |

| क्र.सं | उत्पाद / सेवाएं | एनआईसी कोड | कुल टर्नओवर का % |
|---|---|---|---|
| 5 | विद्युत वितरण और नियंत्रण उपस्कर का निर्माण [1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए विद्युत सर्किट (जैसे स्विच, फ़्यूज़, वोल्टेज लिमिटर्स, सर्ज सप्रेसर्स, जंक्शन बॉक्स आदि) को स्विच करने या संरक्षित करने के लिए विद्युत उपकरण; 1000 वोल्ट से अधिक न होने वाले वोल्टेज के लिए समान उपकरण (रिले, सॉकेट आदि सहित); विद्युत नियंत्रण या पावर कैपेसिटर सहित विद्युत के वितरण के लिए उपर्युक्त दो या अधिक उपकरणों से सुसज्जित बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट और अन्य आधार।] | 31200 | 7% |
| 6 | जेनरेटर/जनरेटिंग सेट का निर्माण | 31101 | 4% |
| 7 | इलेक्ट्रिक मोटरों का निर्माणः यूनिवर्सल एसी/डीसी मोटर और डीसी मोटर या जनरेटर | 31103 | 4% |
| 8 | अन्य मूवर्स एन.ई.सी. का निर्माणः हाइड्रोलिक टर्बाइन, वाटर व्हील और उनकी नियामक मशीनरी; मेरीन प्रोपल्शन के लिए या इलेक्ट्रिक जनरेटर या पंपों के प्राइम मूवर के रूप में उपयोग के लिए गैस टर्बाइन; बॉयलर टर्बाइन सेट या इंटीग्रल बॉयलर के साथ एक स्थिर स्टीम इंजन। | 29119 | 3% |

## III. परिचालन

**16. उन स्थानों की संख्या जहां संयंत्र और / या संचालन / इकाई के कार्यालय स्थित हैं:**

| स्थान | प्लांट की संख्या | कार्यालयों की संख्या | कुल |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय | 16 | 29 | 45 |
| अंतरराष्ट्रीय | 0 | 1 | 1 |

कंपनी की 16 विनिर्माण इकाइयां (अथवा प्लांट), 2 मरम्मत इकाइयाँ, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सर्विस केंद्र एवं 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्र हैं। प्लांटों के नाम के लिए कृपया "अखिल भारतीय उपस्थिति" देखें:

**17. बाजार में कंपनी की पहुँच**

क. स्थानों की संख्या

| स्थान | संख्या |
|---|---|
| राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) | 28 (राज्य), 8 (केन्द्रशासित प्रदेश) |
| अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या) | 88 |

ख. कंपनी का कुल टर्नओवर में से निर्यात का प्रतिशत कितना है?

निर्यात में कुल टर्नओवर का 4.86% योगदान है

ग. ग्राहकों का संक्षिप्त विवरण

घरेलू बाजार में बीएचईएल के ग्राहकों में सरकारी एवं प्राइवेट स्वामित्व वाली कंपनियाँ शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीएचईएल के ग्राहक सरकारी मंत्रालय अथवा कंपनियां, पेरेस्टेटल एजेंसियां, स्वतंत्र विद्युत निर्माता एवं गैर–सरकारी कंपनियाँ शामिल हैं।

## IV. कर्मचारी

बीआरएसआर प्रारूप के दिशानिर्देशों के अनुसार औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2 (आई) के तहत 'कर्मचारी' और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2 (जेडआर) के तहत 'कामगार' की परिभाषा देखें। बीआरएसआर प्रारूप के दिशानिर्देशों में 'स्थायी कर्मचारी', 'स्थायी कामगार', 'स्थायी कर्मचारी के अलावा' और 'स्थायी कामगार के अलावा अन्य' की परिभाषा भी देखें।

**18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवरण:**

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजन सहित):

| क्र.सं. | विवरण | कुल (A) | पुरूष | | महिलाएं | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या (B) | % (B/A) | संख्या (C) | % (C/A) |
| | | | **कर्मचारी** | | | |
| 1. | स्थायी (D) | 29536 | 27790 | 94.09% | 1746 | 5.91% |
| 2. | स्थायी के अतिरिक्त (E) | 15705 | 14495 | 92.3% | 1210 | 7.7% |
| 3. | **कुल कर्मचारी** (D + E) | 45241 | 42285 | 93.47% | 2956 | 6.53% |
| | | | **कामगार** | | | |
| 4. | स्थायी (F) | 14986 | 14592 | 97.37% | 394 | 2.63% |
| 5. | स्थायी के अतिरिक्त (G) | 15639 | 14430 | 92.27% | 1209 | 7.73% |
| 6. | **कुल कामगार** (F + G) | 30625 | 29022 | 94.77% | 1603 | 5.23% |

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

| क्र.सं. | विवरण | कुल (A) | पुरूष | | महिलाएं | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या (B) | % (B/A) | संख्या (C) | % (C/A) |
| | | | **दिव्यांग कर्मचारी** | | | |
| 1. | स्थायी (D) | 823 | 801 | 97.33% | 22 | 2.67% |
| 2. | स्थायी के अतिरिक्त (E) | 47 | 33 | 70.21% | 14 | 29.79% |
| 3. | **कुल कर्मचारी** (D + E) | 870 | 834 | 95.86% | 36 | 4.14% |
| | | | **दिव्यांग कामगार** | | | |
| 4. | स्थायी (F) | 401 | 398 | 99.25% | 3 | 0.75% |
| 5. | स्थायी के अतिरिक्त (G) | 47 | 33 | 70.21% | 14 | 29.79% |
| 6. | **कुल कामगार** (F + G) | 448 | 431 | 96.21% | 17 | 3.79% |

* बीएचईएल संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी विभिन्न इकाइयों / प्रभागों / विभागों में ठेकेदारों को नौकरी / कार्य अनुबंध प्रदान करता है। ठेकेदारों के साथ श्रमिकों की संख्या समय–समय पर बदलती रहती है।

**19. महिलाओं की भागीदारी/ समावेशन/ प्रतिनिधित्व**

| | कुल (A) | महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या (B) | % (B/A) |
| निदेशक मंडल | 9 | 3 | 33.33% |
| मुख्य प्रबंधन कार्मिक | 1 | 0 | 0% |

31 मार्च 2023 को स्थिति

**20. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर**

| | वित्तीय वर्ष 2022-23 | | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरूष | महिला | कुल | पुरूष | महिला | कुल | पुरूष | महिला | कुल |
| स्थायी कर्मचारी | 4.01% | 4.97% | 4.15% | 5.45% | 3.77% | 5.29% | 4.13% | 5.28% | 5.17% |
| स्थायी कामगार | 3.21% | 7.66% | 3.41% | 3.71% | 6.51% | 3.78% | 6.71% | 4.60% | 4.65% |

## V. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनी (संयुक्त उद्यम सहित)

**21. (क) होल्डिंग/ सहायक/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम**

| क्रम सं. | होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम (A) | बताएं कि क्या यह स्वामित्व/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है | सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का % | क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 49.99% | नहीं |
| 2. | एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 50.00% | नहीं |
| 3. | रायचूर पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 22.14% | नहीं |

निदेशक मंडल रिपोर्ट – फॉर्म एओसी – I का अनुलग्नक – IX देखें

## VI. सीएसआर विवरण

### 22. सीएसआर विवरण

(i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं) हां, बीएचईएल के लिए सीएसआर लागू है

(ii) टर्नओवरः 22,136 करोड़

(iii) कुल संपत्तिः 27,262 करोड़

## VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

### 23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/व्यथाः

| हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है | शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रदान करें | वित्तीय वर्ष 2021–22 | | | वित्तीय वर्ष 2020–21 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या | वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी | वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या | वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी |
| समुदाय | हाँ https://pgportal.gov.in/ | 218 | 0 | - | 253 | 0 | - |
| निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) | नहीं | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| शेयरधारक | हाँ संपर्क विवरण www.bhel.com पर उपलब्ध कराया गया है | 13 | 0 | - | 37 | 0 | - |
| कर्मचारी और कामगार | हाँ (आंतरिक प्रणाली) | 196 | 175 | - | 55 | 32 | - |
| ग्राहक* | हाँ (आंतरिक प्रणाली) | 466 | 219 | - | 509 | 173 | - |
| मूल्य श्रृंखला भागीदार/साझेदार | हाँ https://suvidha.bhel.in/ | 92 | 09 | - | 68 | 11 | - |

* ग्राहक शिकायत को समेकित करने की प्रणाली कार्यान्वयनाधीन है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयरधारक समिति के लिए कृपया निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–II देखें

सतर्कता प्रणाली के लिए निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–VIII देखें

**24. कंपनी के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के संबंध में व्यावसयिक आचार संबंधी मुद्दों का संक्षिप्त विवरण**

| क्रम सं. | वास्तविक मुद्दे की पहचान की गई | जोखिम है या अवसर | जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यावसायिक नैतिकता | R | मूल्य/नैतिक व्यवहार उन तरीकों से कार्य करना है जो कंपनी के नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को देखने के तरीके के अनुरूप हैं। इसका पालन न करने से ईमानदारी, कार्यस्थल पर अंतर–कार्मिक संबंधों, हितों के टकराव और व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव के कारण प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। हालाँकि, बीएचईएल के पास मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा है और यह वैधानिक मानदंडों का सख्ती से पालन करके और सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन करके इसे प्रदर्शित करता है। | बीएचईएल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं और आचार संहिता के अनुपालन में अपने व्यवसाय का संचालन करने में विश्वास करता है, प्रत्येक मूल मूल्यों का उदाहरण देता है, ग्राहकों के लिए अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों के लिए आकर्षक अवसर, आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी और समाज की प्रगति और संवर्धन में भागीदार बनने का अवसर देता है। बीएचईएल कोड/प्रक्रिया मौजूद हैं जैसे व्हिसलब्लोअर नीति, धोखाधड़ी रोकथाम नीति,<br>सीडीए नियम आदि सिद्धांत 1 देखें। | नकारात्मक प्रभाव |
| 2. | जलवायु परिवर्तन | R | जीएचजी उत्सर्जन करने वाले पूंजीगत श्रेष्ठ उत्पादों की मांग में कमी। मांग में कमी देश स्तर पर नीतिगत परिवर्तनों का प्रत्यक्ष परिणाम है। | नए उत्पादों के साथ उत्पाद पोर्टफोलियो का विविधीकरण। | नकारात्मक प्रभाव |
| 3. | संधारणीय उत्पाद एवं सेवाएं | O | हमारे ग्राहकों द्वारा ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु संबंधी कार्यवाई के कारण नए व्यावसायिक अवसर | - | सकारात्मक प्रभाव |
| 4. | कुशल जनशक्ति | R | नए उत्पादों या व्यवसाय या संचालन के नए तरीकों के लिए नए कौशल और दक्षता की आवश्यकता होती है | कार्यबल का पुनर्कौशल और आवश्यक कौशल की पार्श्विक नियुक्ति। सिद्धांत 3 का संदर्भ लें। | नकारात्मक प्रभाव |
| 5. | ग्राहक संतुष्टि | R | परियोजनाओं और उत्पादों की देरी से डिलीवरी के परिणामस्वरूप ग्राहक असंतोष और कंपनी पर वित्तीय देनदारियां बढ़ गईं। | ग्राहक अनुभव में सुधार बीएचईएल के मूल मूल्यों में शामिल है। कंपनी परियोजना योजना और निगरानी के लिए एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली द्वारा समर्थित अपनी परिचालन विचारधारा को ष्राजस्व केंद्रितष् से ष्परियोजना केंद्रितष् में बदल रही है। | नकारात्मक प्रभाव |
| 6. | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | R | सुरक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन हमारे व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। कार्यस्थल (कार्यस्थलों), परियोजना स्थल (स्थलों), कारखानों पर खतरे और जोखिम कर्मचारियों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे संचालन में बाधा आ सकती है। | कर्मचारियों और श्रमिकों को नियमित रूप से एचएसई संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें शुरूआती/प्रारम्भिक स्तर भी शामिल है। एचएसई टीम द्वारा बार–बार सुरक्षा मूल्यांकन किया जाता है। सिद्धांत 3 देखें | नकारात्मक प्रभाव |

24. कंपनी के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के संबंध में व्यावसयिक आचार संबंधी मुद्दों का संक्षिप्त विवरण (जारी)

| क्रम सं. | वास्तविक मुद्दे की पहचान की गई | जोखिम है या अवसर | जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | मानवाधिकार एवं श्रम स्थितियाँ | R | इसके संचालन और आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकार जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करने और प्रतिकूल जोखिमों और परिणामी क्षति को कम करने की जिम्मेदारी। | बीएचईएल की नीतियां मानव अधिकार, भारत के संविधान और लागू कानूनों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। कंपनी में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं। कंपनी ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, भारत (जीसीएनआई) के संस्थापक सदस्य में से एक है और भारत में पहल का एक हिस्सा है। सिद्धांत 3 और 5 का संदर्भ लें | नकारात्मक प्रभाव |
| 8. | कॉर्बन फुटप्रिंट | O | ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर, ईंधन में बदलाव अर्थात लागत में कमी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, हरित आवरण में वृद्धि, और बेहतर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण। सिद्धांत 6 देखें | - | सकारात्मक प्रभाव |
| 9. | जल और अपशिष्ट प्रबंधन | O | संचालन के दौरान उत्पन्न पानी और अपशिष्ट जैसे प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग करके पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना | - | सकारात्मक प्रभाव |
| 10. | समान अवसर और समावेशन | O | कंपनी एक समान अवसर नियोक्ता है और भारत सरकार की विविध संस्कृति और प्रतिभा के लिए अग्रणी नीतियों द्वारा निर्देशित भर्ती और रोजगार संबंधों में लिंग, जाति, धर्म, भाषाई, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। | - | सकारात्मक प्रभाव |
| 11. | सामाजिक जुड़ाव और प्रभाव | O | सीएसआर उन समाज और समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कमजोर और निम्न स्तर पर हैं। इससे कंपनी की ब्रांड धारणा में, ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों के लिए आकर्षण; प्रतिभा प्रतिधारण; और समग्र व्यावसायिक सफलता में भी सुधार होता है। | - | सकारात्मक प्रभाव |

## खंड–ख प्रबंधन एवं प्रक्रिया संबंधी विवरण

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

| प्रकटीकरण प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7* | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ | | | | | | | | | |
| 1. क. क्या आपकी इकाई की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती है। (हां/ नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं | हां | हां |
| ख. क्या नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां /नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं | हां | हां |
| ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो। | जहां भी लागू हो, वेबलिंक उपलब्ध कराए गए हैं | | | | | | | | |
| 2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हां /नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं | हां | हां |
| 3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके वेल्यू चेन भागीदारों को उपलब्ध कराई गई है? (हां /नहीं) | हां | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 4. उन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोडों / प्रमाणीकरणों लेबलों / मानकों (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फ़ेयरट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) तथा मानदंडों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) के नाम जिन्हें आपकी कम्पनी द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है? | e, f | a, b, c | b, c, e, f | f | e, f | b, d | f | f | a |
| 5. इकाई द्वारा निर्धारित समयसीमा यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट प्रतिबद्धताएं और लक्ष्य, | g | 50% ऑर्डर बुक से गैर फॉसिल क्षेत्र (FY23–27) | g | NA | g | g | NA | g | NA |
| 6. कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों का निष्पादन पूरा न कर पाने का कारण | उत्कृष्ट^ | 42.7% वित्त वर्ष 23 के दौरान | 100% | NA | 100% | 100% | NA | 100% | NA |
| **अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी** | | | | | | | | | |
| **7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों को उजागर करते हुए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा दिए गए विवरण, (कंपनी में इस प्रकटन के संबंध में लचीलापन है)** | | | | | | | | | |
| 8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीति) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण। | नामः उपिंदर सिंह मठारू#<br>पदनामः निदेशक (पावर) एवं अतिरिक्त प्रभार (मा.सं.)<br>डीआईएनः 0009541886<br>दूरभाषः 011– 26001002<br>ई–मेलः pmgus@bhel.in | | | | | | | | |
| 9. क्या इकाई के पास संधारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार निदेशक मंडल/निदेशक की विनिर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। | हाँ<br>नामः उपिंदर सिंह मठारू#<br>पदनामः निदेशक (पॉवर), अतिरिक्त प्रभार(मा.सं.)<br>डीआईएनः 0009541886<br>दूरभाषः 011– 26001002<br>ई–मेलः pmgus@bhel.in | | | | | | | | |

<table>
<tr><th>समीक्षा का विषय</th><th colspan="9">क्या निदेशक/निदेशक मंडल समिति या अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई? कृपया निर्दिष्ट करें–</th><th colspan="9">आवधिकता (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)</th></tr>
<tr><td></td><td>पी 1</td><td>पी 2</td><td>पी 3</td><td>पी 4</td><td>पी 5</td><td>पी 6</td><td>पी 7</td><td>पी 8</td><td>पी 9</td><td>पी 1</td><td>पी 2</td><td>पी 3</td><td>पी 4</td><td>पी 5</td><td>पी 6</td><td>पी 7</td><td>पी 8</td><td>पी 9</td></tr>
<tr><td colspan="19">10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:</td></tr>
<tr><td>उक्त नीतियों का निष्पादन एवं अनुवर्ती कार्रवाई</td><td colspan="18">जहां भी लागू हो, बीआरएसआर के अनुभाग सी में समीक्षाएं और आवृत्ति प्रदान की जाती है।</td></tr>
<tr><td>सिद्धांतों की प्रासंगिकता की सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार</td><td colspan="18">जहां कहीं भी लागू हो, बीआरएसआर की धारा सी में वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा और आवृत्ति प्रदान की जाती है।</td></tr>
<tr><td>11. क्या कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन/ मूल्यांकन कराया है? (हाँ/ नहीं)। यदि हाँ तो एजेंसी के नाम का उल्लेख करें</td><td colspan="18">संगठन की नीतियां और प्रक्रियाएं आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 27001, सीएजी, संसदीय समितियों, प्रशासनिक मंत्रालय आदि द्वारा ऑडिट/ समीक्षा के अधीन हैं।</td></tr>
</table>

क. आईएसओ 9001; b. आईएसओ 14001; c. आईएसओ 45001; d. आईएसओ 50001; e. मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध पर यूएनजीसी के दस सिद्धांत; f. डीपीई दिशानिर्देश: g. इस संदर्भ में सरकार और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन

**12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी में शामिल नहीं हैं, तो कारण बताया जाए:**

| प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कंपनी सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/ नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और उन्हें लागू कर सके (हां/नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हां | नहीं | नहीं |
| इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और प्रौद्योगिकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

*पॉलिसी एडवोकेसी के संदर्भ में सिद्धांत 7 के संबंध में, हालांकि कंपनी के पास नीति नहीं है लेकिन 'पॉलिसी एडवोकेसी इन जिम्मेदार तरीके से' के आधार पर स्थापित पद्धतियों का पालन किया जाता है।

#3 जुलाई 2023 तक निदेशक (मा.सं.) का कार्यभार संभाला। श्री कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (मा. सं.) 4 जुलाई 2023 से बीआरएसआर के कार्यान्वयन और ओवरसाइट के लिए जिम्मेदार हैं।

^कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अनुमानित रेटिंग/ग्रेडिंग।

## खंड ग: सिद्धांतों के अनुसार निष्पादन प्रकटीकरण

### सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

सीपीएसई के कॉर्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों की आवश्यकताओं तथा सेबी द्वारा वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में सभी निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 'व्यापार नियमावली व नैतिक आचरण' संहिता' प्रभावी है।

https://www.bhel.com/code-business-conduct-ethics-board-members-senior-management-personnel

निदेशक मंडल के पास निदेशक मंडल के लिए एक निर्धारित चार्टर है जो निदेशक मंडल और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसके अलावा, कंपनी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने और ऐसी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करती है। इस दिशा में निदेशक मंडल द्वारा नामोदिष्ट व्यक्तियों और उनके तत्काल सम्बधियों को व्यापार के विनियमन और रिपोर्टिंग के लिए बीएचईएल कोड ऑफ कंडक्ट नीति को अनुमोदन प्रदान किया गया। सेबी (Prohibition of Insider Trading) विनियमन, 2015 और सूचीबद्ध विनियमों के अनुसार उचित प्रकटीकरण के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों और कंपनी के अन्य नामित कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस प्रकार की गोपनीयता बनाए रखें। यह कोड अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के उचित प्रकटन के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं का भी प्रावधान करता है। यह कोड अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के उचित प्रकटन के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं का भी प्रावधान करता है।

https://www.bhel.com/code-conduct-prevention-insider-trading

इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक आंतरिक परिचालन दिशानिर्देश लागू किए गए हैं। एक संरचित डिजिटल डेटाबेस मौजूद है जिसमें सभी 'नामित व्यक्तियों' के नाम के साथ–साथ अतिरिक्त व्यक्तियों का विवरण भी शामिल है जिनके साथ यूपीएसआई साझा किया गया था। प्रारंभिक और निरंतर प्रकटीकरण का विवरण इन नामित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नामोदिष्ट व्यक्तियों को ईमेल यह सूचित करने के लिए की जाती है कि उनके पास ई–मेल है साथ ही ट्रेडिंग विंडो बंद होने के लिए सूचित करने हेतु भी ई–मेल की जाती है। उन व्यक्तियों को अलग से ई–मेल की जाती है जिनके साथ नामोदिष्ट व्यक्तियों द्वारा ई–मेल साझा किया जाता है।

डीपीई के कॉर्पोरेट अभिशासन और लिस्टिंग विनियम संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में बीएचईएल द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय एवं स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। कंपनी की कारपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष सांविधिक कानूनों के अनुपालन से बीएचईएल की गोपनीय लेखा परीक्षा की जाती है और उक्त रिपोर्ट कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। सूचीबद्ध विनियमों का अनुपालन करते हुए, सभी निदेशक मंडल सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रतिवर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने संगत वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के वार्षिक आचार संहिता और आचार संहिता के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इस आशय की पुष्टि कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में की जाती है। 'Code of Conduct for Regulating & Reporting Trading by Insiders and for Fair Disclosure', तथा उचित प्रकटन के लिए निदेशक (वित्त) कंपनी का अनुपालन अधिकारी है। इसके अतिरिक्त कंपनी के मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा 'Code of Practice and Procedure for Fair Disclosure'' का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अलावा, अपने कर्मचारियों (स्थायी आदेशों द्वारा शासित लोगों के अलावा) के लिए आचरण के उच्च मानक स्थापित करने के बीएचईएल के निरंतर प्रयास के एक हिस्से के रूप में, 'बीएचईएल आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1975' मौजूद हैं जिन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। इसे धोखाधड़ी रोकथाम नीति और व्हिसिल ब्लोअर नीति द्वारा संवर्धित किया गया है जो न केवल कंपनी को अस्वीकार्य पद्धतियों के खिलाफ हथियार देती है बल्कि एक निवारक के रूप में भी कार्य करती है। कंपनी आरटीआई अधिनियम 2005, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी ऑडिट के अधीन है।

https://www.bhel.com/bhel-fraud-prevention-policy-0

https://www.bhel.com/whistle-blower-policy-0

विक्रेताओं और ग्राहकों के साथ व्यापारिक व्यवहार के क्षेत्र में, बीएचईएल ने दोनों पक्षों को नैतिक आचरण के लिए बाध्य करके खरीद और अनुबंध को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 'इंटीग्रिटी पैक्ट' अपनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की उचित मंजूरी के साथ, बीएचईएल में इंटीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तीन स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों (आईईएम) का एक पैनल नियुक्त किया गया है।

बीएचईएल के भीतर, 'शक्ति के प्रत्यायोजन' के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों के लिए जवाबदेही को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। कार्य नीति, खरीद नीति और अन्य नीति दस्तावेज बीएचईएल के कामकाज में पारदर्शिता और उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा की प्रतिबद्धता को सुविधाजनक बनाते हैं। खरीद में पारदर्शिता, दृश्यता और जवाबदेही को और बढ़ाने के लिए, बीएचईएल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से अपनी खरीद को वित्त वर्ष 2018–19 में 30 लाख से वित्त वर्ष 2022–23 में 6,189 करोड़ बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, आंतरिक लेखापरीक्षा क्रय/कार्य अनुबंधों का स्वतंत्र लेखापरीक्षा करती है।

#### आवश्यक संकेतक

**1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:**

बीएचईएल द्वारा अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आवश्यकता के आधार पर क्यूरेट किया जाता है और इसमें एक कार्यक्रम के भीतर कई विषय (जिनमें नौ सिद्धांतों को शामिल किया जाता है) शामिल हैं।

| सेगमेंट | आयोजित किए गए कुल प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव | जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| निदेशक मंडल | 4 | एक स्वतंत्र निदेशक की विशिष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, निदेशक मंडल की बैठकों में प्रभावशीलता, निदेशक मंडल समितियों की भूमिका और निर्णय लेना, व्यवसाय से परिचित होना। | 100% |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (निदेशक मंडल के अलावा) | 2 | कवर किए गए विषय सोशल ऑडिट, पीओएसएच और श्रम कानून, जो उस कानूनी ढांचे का हिस्सा हैं जिसके तहत कंपनी संचालित होती है। | 100% |
| बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी | 1537 | नौ सिद्धांतों के अनुरूप प्रौद्योगिकी, कार्यात्मक, सुरक्षा, प्रबंधकीय और व्यावहारिक विषय | 70.6% |
| कामगार | 1537 | | 45.9% |

**2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/ विधि प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना / दंड/ पुरस्कार/ शमन शुल्क/ समाधान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में (ध्यान दें: इकाई सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी:** वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशकों/केएमपी द्वारा नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों को कार्यवाही में कोई जुर्माना/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग शुल्क/सामग्री प्रकृति की निपटान राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

**3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदा अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है —लागू नहीं**

**4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब–लिंक प्रदान करें।**

जी हाँ, बीएचईएल की भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी विरोधी नीति है। बीएचईएल द्वारा उच्च स्तर का आचरण करने के प्रयासों के लिए अपने कर्मचारियों (स्थायी आदेशों से शासित कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए बीएचईएल आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1975 नीति है। इसे धोखाधड़ी निवारण नीति और व्हिसल ब्लोवर नीति द्वारा बढ़ाया गया है, जो न केवल कंपनी को अस्वीकार्य पद्धतियों के विरुद्ध हथियार देता है, बल्कि एक निवारक के रूप में भी कार्य करता है। कंपनी 'सूचना का अधिकार अधिनियम' 2005, संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट लेखा–परीक्षण एवं कंपनी अधिनियम–2013 के खंड 139 के तहत नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के परीक्षणाधीन है।

https://www.bhel.com/bhel-fraud-prevention-policy-0

https://www.bhel.com/whistle-blower-policy-0

व्यवसाय के क्षेत्र में विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के साथ डीलिंग के लिए बीएचईएल ने क्रय एवं अनुबंध गतिविधियों क्रियाकलापों में दोनों पक्षों के नैतिक आचरण में अत्यधिक पारदर्शिता व ईमानदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से 'ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एमओयू किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त उचित अनुमोदन के आधार पर बीएचईएल में 'पारदर्शिता एवं ईमानदारी नीति' के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु दो स्वतंत्र बाहरी मॉनीटरों (आईईएम) के पैनल को नियुक्त किया गया है। बीएचईएल में 'शक्तियों का प्रत्यायोजन (डेलीगेशन ऑफ पावर्स) के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारी को भली–भांति परिभाषित किया गया है। कार्य नीति, क्रय नीति तथा ऐसे अन्य नीति निर्धारक दस्तावेज बीएचईएल की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को परिभाषित करने के साथ ही उच्चतम स्तर की पारदर्शिता के प्रति कम्पनी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा में क्रय/कार्य अनुबंधों की स्वतंत्र लेखा परीक्षा की जाती है।

5. उन निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों / कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा घूस/ भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

| | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| **निदेशक** | 0 | 0 |
| **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक** | 0 | 0 |
| **कर्मचारी** | 4 | 1 |
| **कामगार** | 0 | 0 |

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

| | वित्तीय वर्ष 2022-23 | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | टिप्पणी | संख्या | टिप्पणी |
| निदेशकों के हितों के टकराव के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | 0 | -- | 0 | -- |
| केएमपी (निदेशकों को छोड़कर) के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | 0 | -- | 0 | -- |

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/ विधि प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई जुर्माना/ कार्रवाई से संबंधित सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें–

कृपया निदेशक मंडल रिपोर्ट की सतर्कता प्रणाली, अनुलग्नक – VIII देखें।

## नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला साझेदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:

| आयोजित कुल जागरूकता कार्यक्रम | प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत | जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत मूल्य श्रृंखला भागीदारों (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य द्वारा) का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 33 | 1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक क्रय नीति पर जागरूकता (एमएसई)– एमएसई के लिए आदेश (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया)<br>2. ऑनलाइन आपूर्तिकर्ता पंजीकरण पोर्टल<br>3. गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (GeM)<br>4. बीएचईएल की अनुबंध की सामान्य शर्तें<br>5. स्थानीय स्रोतों की पहचान करने के लिए घरेलू उद्योग के साथ बीएचईएल संवाद | 20% |

2. क्या कंपनी के पास निदेशक मंडल के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/उसका प्रबंधन करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं?

हां, कंपनी का निदेशक मंडल के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/ उसका प्रबंधन करने के लिए एक विस्तृत विधिक ढांचा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 में विस्तृत प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत, समय–समय पर और यदि पहले से प्रस्तुत किए गए विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो निदेशक मंडल के निदेशकों को किसी भी कंपनी (कंपनियों)/ निकायों/ कॉर्पोरेट/ फर्मों/ व्यक्तियों के अन्य एसोसिएशनों में अपने हित (उनकी शेयरधारिता सहित) का खुलासा करना अपेक्षित होता है। निदेशक इस बात का उल्लेख करते हुए निदेशक मंडल को एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करते हैं कि उनके हित के कारण कंपनी के व्यवसाय के संबंध में उनके हितों का कोई टकराव नहीं है और जब भी ऐसा कोई विरोध/हित उत्पन्न होता है तो वे तुरंत निदेशक मंडल को सूचित करेंगे।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशकों ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता को मंजूरी दे दी है। संहिता में (i) सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं (ii) विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियां और साथ ही (iii) निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, निदेशक मंडल और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और निदेशक मंडल को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल का एक चार्टर निर्धारित किया है।

इन प्रक्रियाओं के अलावा, निदेशक मंडल के सदस्यों के हितों के टकराव से बचने/ प्रबंधन करने के लिए, निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों को कुछ अतिरिक्त प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है, जैसे कि उनकी स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत करना (अर्थात वे स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें ऐसी किसी भी परिस्थिति या स्थिति के मौजूद होने या उसकी संभावना होने की जानकारी नहीं है, जो उन्हें निष्पक्ष स्वतंत्र निर्णय लेने और बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने दायित्वों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है) और कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV का अनुपालन जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ (i) व्यावसायिक आचार दिशानिर्देश (ii) भूमिका और कार्य (iii) स्वतंत्र निदेशकों के दायित्व का प्रावधान किया गया है।

## सिद्धांत 2: उत्पाद जीवन चक्र संधारणीयता

बीएचईएल पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और उपकरणों की दक्षता में सुधार के माध्यम से हरित पर्यावरण में योगदान दे रहा है। विद्युत चक्र दक्षता में निरंतर सुधार और कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से कम उत्सर्जन, सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल तक प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा समय पर हासिल किया गया है। बीएचईएल द्वारा सप्लाइ किए गए विद्युत संयंत्र उपकरणों की विशेषताओं में सहायक उपकरण से विद्युत की कम खपत, प्लांट की उच्च दक्षता, संरचनात्मक रूप से ताप सह और उच्च परिचालन उपलब्धता प्रदान करने के साथ ही उन्नत जीवन चक्र लागत प्राप्त करने में सहायता करना शामिल है।

बीएचईएल फ़्लू–गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम, सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) सिस्टम, सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी) की आपूर्ति और कमीशनिंग के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है। बीएचईएल ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले से सिनगैस उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन (पीएफबीजी) तकनीक विकसित की है। सिनगैस आगे औद्योगिक रसायनों के उत्पादन के लिए फ़ीड के रूप में कार्य करता है। उत्पादों में सन्निहित कार्बन को कम करने की दिशा में भी सचेत प्रयास किया जा रहा है। कंपनी ने प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को स्वच्छ ईंधन से बदलने का विकल्प चुना है, उदाहरण के लिए, गैस का उपयोग अब सेरालिन जैसे उत्पादों के उत्पादन के दौरान ताप ऊर्जा के स्रोत (पहले कोयले के बजाय) के रूप में किया जाता है, और इसने अपने विनिर्माण संयंत्रों में भट्टियों को एलपीजी से आरएलएनजी में भी परिवर्तित कर दिया है।

### नेतृत्व संकेतक

**1. इकाई द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद एवं प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।**

| | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2021-22 | विवरण |
|---|---|---|---|
| आर एंड डी | 3.59% | 2.24% | 50 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की गईं |
| कैपेक्स | 10% | 2% | प्रमुख व्यय इस प्रकार हैं: बीएचईएल में 5 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) पावर प्लांट, एससीआर (चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती) उत्प्रेरक प्रौद्योगिकी के लिए ऊर्जा बचत और व्यय में बचत हेतु रीजनरेटिव बर्नर कमीशन किया गया। |

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–VI और अनुलग्नक–VII देखें

2. क. क्या इकाई के पास सतत स्रोत के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं?

   ख. यदि हाँ, तो इनपुट का कितना प्रतिशत सतत रूप से प्राप्त है?

   हां, बीएचईएल ने व्यवसाय सुधार और संधारणीय व्यवसाय के रूप में ई–प्रोक्योरमेंट/जीईएम लागू किया है। साथ ही आपूर्तिकर्ता पंजीकरण केवल ऑनलाइन मोड में किया जाता है। बीएचईएल अपने कई मूल्य श्रृंखला भागीदारों से विभिन्न सामग्री और घटक प्राप्त करता है जो प्रमाणित हैं और आईएसओ 14001, आईएसओ 45001 आदि जैसे मानकों के अनुरूप हैं।

   हमारे 100% इनपुट संधारणीय होते हैं।

3. जीवन चक्र समाप्त होने पर पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई–अपशिष्ट (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट ।

   बीएचईएल के उत्पाद पूंजीगत वस्तु श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनका जीवन अधिकांश मामलों में 25 वर्ष से अधिक होता है। नवीनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादों या प्रणालियों के जीवन का विस्तार बाजार की आवश्यकतानुसार किया जाता है।

   पूंजीगत माल के जीवन की समाप्ति के बाद वे पुनः उपयोग के लिए अयोग्य हो जाते हैं और इसलिए उन्हें स्वामी द्वारा पूंजीगत उत्पादों के स्क्रैप के रूप में निपटाया जाता है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) कंपनी की गतिविधियों पर लागू है। (हाँ / नहीं) यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण निदेशक मंडल को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे कम करने के लिए उठाए गए कदम।

   विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बीएचईएल की गतिविधियों पर लागू नहीं होती है।

### नेतृत्व संकेतक

1. क्या कंपनी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग) के लिए स्पमि Cycle Perspective@ Assessments (LCA) किया है?

   यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें?

   नहीं, कंपनी ने उत्पादों के लिए जीवन चक्र मूल्यांकन (Life Cycle Perspective/Assessments (LCA)) नहीं किया है।

2. यदि आपके उत्पादों/ सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय समस्याएं या जोखिम हैं जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/ आकलन (एलसीए) में पहचान की गई है या किसी अन्य साधन के माध्यम से संक्षेप में इसे दूर करने हेतु की गई कार्रवाई का वर्णन करें।

   – लागू नहीं

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा सेवा प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए), में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य द्वारा) में से पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग किए गए इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

   कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाओं से/धातु स्क्रैप की अच्छी खासी मात्रा उत्पन्न होती है, हालांकि अपशिष्ट को कम करने के लिए इंजीनियरिंग उपाय किए जाते हैं। बाद में इस स्क्रैप का कंपनी के अंदर पुनर्चक्रण होता है और इसका पुनः उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हरिद्वार में सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी) स्टील फोर्जिंग्स और कास्टिंग्स बनाती है जिसके लिए स्टील स्क्रैप एक प्रमुख कच्चा माल है। पुनः प्रयोज्य सामग्री का इस्तेमाल भी निर्मित वस्तुओं की पैकिंग के लिए किया जाता है। जहां संभव हो, परियोजना स्थलों पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए क्रेटों में सामान की आपूर्ति की जाती है, जहां निर्माण के दौरान क्रेट सामग्री का पुनः उपयोग किया जाता है।

   इस समय इस प्रकार पुनर्चक्रित/ पुनः उपयोग की गई वस्तुओं का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है।

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग की मात्रा (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान की गईः

   बीएचईएल की व्यवसाय प्रकृति बी2बी है और हमारी आपूर्ति दीर्घकालिक जीवन चक्र (25 वर्ष और उससे अधिक) के साथ पूंजीगत माल श्रेणी में आता है। पैकेजिंग की सभी सहायक सामग्री, जिसमें हम अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, देश और विदेश में फैले अपने ग्राहकों की संपत्ति बन जाती है। इस स्थिति में, उत्पाद (जीवन चक्र समाप्त होने पर) या ग्राहक से पैकेजिंग सामग्री को पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है।

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में), जैसा कि बिंदु 4 (पिछले बिंदु) में बताया गया है।

## सिद्धांत 3: कर्मचारी कल्याण

बीएचईएल मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कंपनी की मानव संसाधन प्रबंधन नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत मानव संसाधनों की सक्षम, प्रेरित और प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करना और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर समय उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति को सुगम बनाना है। कंपनी ने रोजगार संबंध, करियर विकास/उन्नति और कर्मचारियों के अनुमोदन/ लाभ, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण को विनियमित करने तथा पारदर्शिता और कार्यान्वयन की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए 'कार्मिक मैनुअल' के रूप में एचआरएम नीतियों और नियमों को दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया है। इन नीतियों को एक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा दो योजनाओं के अंतर्गत समाहित किया गया है – पहली कामगारों के लिए और दूसरी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए। इस स्कीम के तहत किसी शिकायत से कंपनी की नीतियों– नियमों या प्रबंधन निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी कर्मचारी से संबंधित शिकायत अभिप्रेत है। इन दोनों योजनाओं में त्रि–स्तरीय समाधान का प्रावधान है। प्रत्येक चरण में शिकायत के समाधान के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, यदि पीड़ित कर्मचारी शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं होता है तो कर्मचारियों और अधिकारियों को शिकायत निवारण योजना में अपीलीय तंत्र भी प्रदान किया जाता है।

बीएचईएल की एक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति है जो संगठन के सभी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को पर्यावरण की सुरक्षा को उचित महत्व देते हुए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह नीति आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप है और https://www.bhel.com/sites/default/fi.pdf लिंक पर एक्सेस की जा सकती है। इस नीति को लागू करने वाली सभी इकाइयों/प्रभागों में एचएसई प्रकोष्ठ, संगठन स्तर पर एचएसई मामलों से संबंधित रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस बारे में कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सभी कार्यस्थलों पर एचएसई नीति को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है तथा इसकी क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनूदित किया गया है और इसे आंतरिक एवं बाहरी एजेंसियों द्वारा 45 आवधिक लेखा परीक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। कार्यस्थलों पर आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक और बाहरी एजेंसियों द्वारा समय–समय पर जांच की जाती है, जिसमें इस नीति की कार्यप्रणाली और इसके महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण के उपायों का विवरणः

| श्रेणी | सम्मिलित/कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत : | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (A) | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व हितलाभ | | पितृत्व हितलाभ | | डे केयर सुविधा | |
| | | संख्या (B) | % (B/A) | संख्या (C) | % (C/A) | संख्या (D) | % (D/A) | संख्या (E) | % (E/A) | संख्या (F) | % (F/A) |
| स्थायी कर्मचारी | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 27790 | 27790 | 100% | 27790 | 100% | 0 | 0 | 27790 | 100% | 0 | 0 |
| महिला | 1746 | 1746 | 100% | 1746 | 100% | 1746 | 100% | 0 | 0 | 1746 | 100% |
| कुल | 29536 | 29536 | 100% | 29536 | 100% | 1746 | 5.91% | 27790 | 94.09% | 1746 | 5.91% |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा* | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 14495 | 14430 | 99.55% | 14430 | 99.55% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| महिला | 1210 | 1209 | 99.92% | 1209 | 99.92% | 1209 | 99.92% | 0 | 0.00% | 167 | 13.80% |
| कुल | 15705 | 15639 | 99.58% | 15639 | 99.58% | 1209 | 7.7% | 0 | 0.00% | 167 | 1.06% |

बीएचईएल अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा अधिवर्षिता/मृत्यु पर कर्मचारियों/पति/पत्नी को भी दी जाती है। बीएचईएल के विनिर्माण संयंत्रों सहित अनेक परिसरों में डे केयर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।.

*स्थायी कर्मचारियों के अलावा' बीएचईएल सलाहकारों/एफटीए के मामले में चिकित्सा बीमा/दुर्घटना बीमा पर प्रीमियम की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

ख. कामगारों के कल्याण के उपायों का विवरणः

| श्रेणी | सम्मिलित/कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत : | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (A) | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व हितलाभ | | पितृत्व हितलाभ | | डे केयर सुविधा | |
| | | संख्या (B) | % (B/A) | संख्या (C) | % (C/A) | संख्या (D) | % (D/A) | संख्या (E) | % (E/A) | संख्या (F) | % (F/A) |
| स्थायी कर्मचारी | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 14592 | 14592 | 100% | 14592 | 100% | 0 | 0 | 14592 | 100% | 0 | 0 |
| महिला | 394 | 394 | 100% | 394 | 100% | 394 | 100% | 0 | 0 | 394 | 100% |
| कुल | 14986 | 14986 | 100% | 14986 | 100% | 394 | 2.63% | 14592 | 97.37% | 394 | 2.63% |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 14430 | 14430 | 100% | 14430 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| महिला | 1209 | 1209 | 100% | 1209 | 100% | 1209 | 100% | 0 | 0.00% | 167 | 13.81% |
| कुल | 15639 | 15639 | 100% | 15639 | 100% | 1209 | 7.7% | 0 | 0.00% | 167 | 1.07% |

बीएचईएल अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा अधिवर्षिता/मृत्यु पर कर्मचारियों/ पति/पत्नी को भी दी जाती है। बीएचईएल के विनिर्माण संयंत्रों सहित अनेक परिसरों में डे केयर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्थायी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए बीमा का प्रावधान संविदा में अंतर्निहित होता है।

2. चालू वित्त वर्ष और पूर्व वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

| हितलाभ | वित्तीय वर्ष 2022-23 | | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या | कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या | कंपनी द्वारा कटौती एवं प्राधिकरण के पास जमा (हाँ/नहीं/लागू नहीं) | कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या | कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या | कटौती एवं प्राधिकरण के पास जमा (हाँ/नहीं/लागू नहीं) |
| भविष्य निधि | 100% | 100% | हाँ | 100% | 100% | हाँ |
| उपदान (ग्रेच्युटी) | 100% | 100% | हाँ | 100% | 100% | हाँ |
| ईएसआई* | - | - | - | - | - | - |
| अन्य (बीएचईएल पेंशन योजना) | 100% | 100% | लागू नहीं | 100% | 100% | लागू नहीं |

पीएफ और ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में, सभी कर्मचारी और कामगार भी बीएचईएल पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

*बीएचईएल में ईएसआई लागू नहीं है क्योंकि बीएचईएल सभी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा योजना प्रदान करता है।

3. कार्यस्थलों तक पहुँच

**क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी के परिसर/कार्यालय ऐसे है जहां दिव्यांगजन कर्मचारी और कामगार आसानी से पहुंच सकें?**

हां, बीएचईएल के परिसर और कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुगम हैं। संरचनात्मक सुधार और अन्य परिवर्तन (नीतियों आदि में) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार किए जाते हैं।

**4. क्या कंपनी के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ तो नीति का वेबलिंक प्रदान करें।**

हां, यह कंपनी भारत सरकार द्वारा अधिदेशित समाज के सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, निःशक्त कर्मियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए भर्ती और पदोन्नति में सकारात्मक कार्रवाई करती है। कंपनी एक समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है तथा भर्ती एंव रोजगार संबंधी मामलों में लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के मामले में भेदभाव नहीं करती है।

यदि किसी कर्मचारी को स्वास्थ्य आधार पर समय से पूर्व सेवानिवृत किया जाता है, तब भी, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया जाता है। स्थानांतरण और जॉब रोटेशन नीति, दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरुप है।

**5. पेरेन्टल (मातृत्व या पितृत्व) अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों व श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरें।**

| | स्थायी कर्मचारी | | स्थायी कामगार | |
|---|---|---|---|---|
| लिंग | कार्य पर वापसी दर | प्रतिधारण दर | कार्य पर वापसी दर | प्रतिधारण दर |
| पुरूष | 100% | 100% | 100% | 100% |
| महिला | 100% | 100% | 100% | 100% |
| कुल | 100% | 100% | 100% | 100% |

**6. निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें।**

दो योजनाओं के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र – कर्मचारियों के लिए और अन्य के लिए स्टाफ और अधिकारियों के लिए एक शिकायत से कंपनी की नीतियों के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी कर्मचारी से संबंधित शिकायत अभिप्रेत है। इन दोनों योजनाओं में त्रि–स्तरीय समाधान का प्रावधान है। प्रत्येक चरण में शिकायत के समाधान के लिए अंतिम समय सीमा निर्धारित की जाती है, इसके अलावा, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शिकायत निवारण योजना

के तहत एक अपीलीय तंत्र भी उपलब्ध कराया गया है, जहां यदि व्यथित कर्मचारी शिकायत निवारण से संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकता है। स्थायी कर्मचारियों/ कामगारों से भिन्न कर्मचारियों के लिए शिकायतों का निवारण यथास्थिति मामले के आधार पर या संविदाकारों के माध्यम से किया जाता है।

| | हाँ/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें) |
|---|---|
| स्थायी कामगार | हाँ |
| स्थायी कामगार से भिन्न | हाँ |
| स्थायी कर्मचारी | हाँ |
| स्थायी कर्मचारी से भिन्न | हाँ |

**7. सूचीबद्ध निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों अथवा एशोसिएशनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यताः**

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2022-23 | | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों /कामगारों की संख्या (A) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जो यूनियनो/ एशोसिएशन का हिस्सा हैं (B) | % (B / A) | संबंधित श्रेणी (C) में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या | संबंधित श्रेणी (D) में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जो यूनियनो/ एशोसिएशन का हिस्सा हैं | % (D / C) |
| **कुल स्थायी कर्मचारी** | 29536 | 29536 | 100.00% | 30758 | 30758 | 100.00% |
| –पुरूष | 27790 | 27790 | 100.00% | 28925 | 28925 | 100.00% |
| –महिला | 1746 | 1746 | 100.00% | 1833 | 1833 | 100.00% |
| **कुल स्थायी कामगार** | 14986 | 14986 | 100.00% | 15720 | 15720 | 100.00% |
| –पुरूष | 14592 | 14592 | 100.00% | 15305 | 15305 | 100.00% |
| –महिला | 394 | 394 | 100.00% | 415 | 415 | 100.00% |

बीएचईएल में भागीदारी प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर श्रमिकों और कंपनी के हित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय निकाय अर्थात 29 प्रतिभागी संघ हैं।

कर्मचारियों की सभी तीन श्रेणियों अर्थात अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित संघों/ट्रेड यूनियनों द्वारा किया जाता है। हालाँकि, चूंकि कार्यपालक/पर्यवेक्षक संघों और श्रमिक संघों की सटीक सदस्यता का पता लगाने के लिए कोई चेक–ऑफ सुविधा नहीं है, इसलिए कर्मचारियों के तीन वर्गों के संबंध में एक निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है।

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2022-23 | | | | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (A) | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय पर | | कौशल उन्नयन संबंधी | | कुल (D) | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय पर | | कौशल उन्नयन संबंधी | |
| | | सं. (B) | % (B/A) | सं. (C) | % (C/A) | | सं. (E) | % (E/D) | सं. (F) | % (F / D) |
| **कर्मचारी** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 27790 | 3869 | 13.9% | 12182 | 43.8% | 28925 | 2060 | 7.1% | 6884 | 23.8% |
| महिला | 1746 | 452 | 25.9% | 1029 | 58.9% | 1833 | 289 | 15.8% | 851 | 46.4% |
| **कुल** | **29536** | **4321** | **14.6%** | **13211** | **44.7%** | **30758** | **2349** | **7.6%** | **7735** | **25.1%** |
| **कामगार** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 14592 | 1462 | 10.0% | 4031 | 27.6% | 15305 | 1461 | 9.5% | 3192 | 20.9% |
| महिला | 394 | 128 | 32.5% | 168 | 42.6% | 415 | 40 | 9.6% | 133 | 32.0% |
| **कुल** | **14986** | **1590** | **10.6%** | **4199** | **28.0%** | **15720** | **1501** | **9.5%** | **3325** | **21.2%** |

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षाओं का विवरण:

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2022-23 | | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (A) | संख्या | % (B / A) | कुल (C) | संख्या | % (D / C) |
| | | | **कर्मचारी** | | | |
| पुरुष | 27990 | 27990 | 100% | 28925 | 28925 | 100% |
| महिला | 1746 | 1746 | 100% | 1833 | 1833 | 100% |
| **कुल** | **29736** | **29736** | **100%** | **30758** | **30758** | **100%** |
| | | | **कामगार** | | | |
| पुरुष | 14592 | 14592 | 100% | 15305 | 15305 | 100% |
| महिला | 394 | 394 | 100% | 415 | 415 | 100% |
| **कुल** | **14986** | **14986** | **100%** | **15720** | **15720** | **100%** |

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

**क. क्या कंपनी द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां /नहीं) यदि हां, तो इस प्रणाली का विवरण दें।**

हां, ओएचएसएमएस कंपनी भर में कार्यान्वित की जाती है और कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आता है और यह प्रणाली सभी कार्यस्थलों पर लागू होती है।

**ख. कार्य संबंधी खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?**

कंपनी के पास कार्य संबंधी खतरों की पहचान करने और नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए मजबूत प्रणालियां/ प्रक्रियाएं हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

HIRA (Hazard Identification and Risk Assessment) – हमारी सभी इकाइयां जोखिमों की पहचान करने के लिए HIRA का पालन कर रही हैं। संबंधित प्रपत्र उपलब्ध हैं और इस दस्तावेज की अपेक्षित किसी भी परिवर्तन के लिए वार्षिक समीक्षा की जाती है।

JSA (Job Safety Analysis) – JSA कार्य के प्रत्येक चरण में खतरों का पता लगाने और सुरक्षा सावधानियों को अपनाये जाने के लिए विशिष्ट उद्देश्य से नौकरियों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यह कार्य/प्रक्रिया के लिए योजना स्तर पर किया जाता है।

कार्यविधि विवरण (Method Statement) – यह एक विशिष्ट कार्य करने या किसी परियोजना को पूरा करने के सुरक्षित तरीके को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसमें शामिल लोगों को आवश्यक सावधानियां या नियंत्रण उपाय सूचित किए जाएं। कार्यविधि विवरण यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों की पहचान की गई है और सुरक्षा प्रणालियां स्थापित हैं।

ग. **क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य संबंधी खतरों की सूचना देने और ऐसे जोखिमों से स्वयं को बचाने की प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/नहीं)** हां, कामगारों के लिए कार्य संबंधी खतरों की सूचना देने और ऐसे जोखिमों से खुद को हटाने की प्रक्रिया है। असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति को आनलाइन/ऑफलाइन रिकॉर्ड करने की व्यवस्था है। कामगारों को ऐसे किसी भी कार्य संबंधी खतरों की पहचान करने और अपने संबंधित कार्य परिसरों में उपलब्ध पद्धति के माध्यम से उसे सूचित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, इन सभी खतरों और जोखिमों को दूर करने के लिए प्रणालियां उपलब्ध हैं।

घ. **क्या कंपनी के कर्मचारियों/कामगारों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं)**

हाँ, कर्मचारी और कामगार कंपनी द्वारा संचालित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के साथ–साथ बाहरी स्वास्थ्य

देखभाल सुविधाओं के माध्यम से दी जा रही गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं जिनकी प्रतिपूर्ति कंपनी नीति के अनुसार समुचित रूप से की जाती है।

**11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दिया गया है:**

| सुरक्षा घटना/संख्या | श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|---|
| लॉस्ट टाइम इन्जरी की आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति कार्य घंटे पर) | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 0 | 0 |
| कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 47 | 46 |
| मृत्यु | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 2 | 3 |
| कार्य से संबंधित अत्यधिक चोट अथवा खराब स्वास्थ्य (मृत्यु के अतिरिक्त) | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 45 | 43 |

**12. सुरक्षित और स्वास्थ्य से परिपूर्ण कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायों का विवरण प्रस्तुत करें।**

बीएचईएल अपने सभी कर्मचारियों और बीएचईएल के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षित कार्य स्थल और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में दृढ़ विश्वास रखता है। यह सक्रिय नेतृत्व के माध्यम से और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करके सुरक्षा और स्थिरता की संस्कृति विकसित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बीएचईएल ने अपने कर्मचारियों और उप–ठेकेदारों के कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर एचएसई प्रशिक्षण / विशेषज्ञ वार्ता / वेबिनार आयोजित किए। ''सुरक्षित कार्यस्थल'' के लिए जागरूकता फैलाने के लिए संरचित प्रशिक्षणों के अलावा, पूरे संगठन में एक विशेष अभियान ''बीएचईएल सुरक्षा पखवाड़ा–2023'' के रूप में सुरक्षा दिवस (4 मार्च – 17 मार्च, 2023) से शुरू होकर मनाया गया। अन्य एचएसई कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर आयोजित किए गए थे।

''पर्यावरण जागरूकता माह (5 जून – 30 जून, 2022), स्वच्छता पखवाड़ा (16–31 अगस्त 2022), आदि। इन अभियानों में उच्च–स्तरीय प्रबंधन भागीदारी को शामिल करने के लिए अन्य प्रतियोगिताओं के अलावा नवीन अंतर–इकाई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

बीएचईएल अपने सुरक्षा प्रदर्शन और पर्यावरण संवर्धन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, डिजिटल एचएसई सिस्टम विकसित किए गए हैं। ये सिस्टम डेटा को ऑनलाइन प्राप्त करने और एचएसई डेटा के विश्लेषण की दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे।

**13. निम्नलिखित के बारे में कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की संख्या:**

कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सुरक्षा से संबंधित असुरक्षित स्थितियों को दर्ज करने के लिए बीएचईएल के संबंधित परिसरों में व्यवस्था है। इसका समाधान संबंधित विभागों द्वारा तत्काल किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

**14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:**

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा) |
|---|---|
| स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पद्तियां | 100% |
| कार्य करने की दशाएं | 100% |

15. **सुरक्षा से संबंधित (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रणालियों तथा कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न बड़े जोखिमों / समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

सुरक्षा संबंधी सभी घटनाओं के लिए मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) किया जाता है और उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। समय–समय पर सुरक्षा निरीक्षण और सुरक्षा जांच भी किए जा रहे हैं। लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सभी टिप्पणियों (आंतरिक और बाहरी) के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

### नेतृत्व संकेतक

1. **क्या कंपनी में (क) कर्मचारी (हाँ / नहीं), (ख) कामगार (हाँ / नहीं) की मृत्यु की स्थिति में किसी जीवन बीमा या किसी प्रतिपूरक पैकेज का प्रावधान है।**

हाँ, मृत्यु की स्थिति में बीएचईएल द्वारा कर्मचारियों के साथ–साथ कामगारों को भी जीवन बीमा या प्रतिपूरक पैकेज प्रदान किया जाता है।

2. **यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य शृंखला के भागीदारों द्वारा सांविधिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों का विवरण प्रस्तुत करें।**

बीएचईएल के सभी मूल्य शृंखला भागीदार पीएफ अधिनियम और ईएसआई अधिनियम के तहत आते हैं जो उन्हें कटौती और सांविधिक बकायों को जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। बीएचईएल और सेवा प्रदाता के बीच हुई सेवा संविदा में भी सेवा प्रदाता द्वारा पीएफ, ईएसआई आदि जैसे आवश्यक सांविधिक भुगतानों के लिए'भुगतान शर्तों के अंतर्गत भी एक खंड शामिल है। प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान करते समय बीएचईएल आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संविदाकार द्वारा कामगारों को देय पीएफ और ईएसआई आदि सांविधिक राशियों को जमा किया जाता है।

3. **गंभीर रूप से घायल हुए उन कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनकी कार्य के दौरान मृत्यु हुई / जो घायल हुए / अस्वस्थ हुए (जैसा कि आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) जिन्हें स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है।**

शून्य। वित्त वर्ष 2022–23 और 2021–22 के दौरान बीएचईएल की इकाइयों या प्रतिष्ठान या कर्मचारी के निकटतम संबंधी द्वारा किसी भी प्रकार के अनुकंपा रोजगार की मांग करते हुए प्रस्तुत किए गए, उच्च जोखिम कार्य से संबंधित चोट / अस्वस्थता / मृत्यु से प्रभावित कर्मचारियों और श्रमिकों के संबंध में कोई पात्र मामले नहीं हैं।

| | कुल प्रभावित कर्मचारी / कामगार | | उन कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है | |
|---|---|---|---|---|
| | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2021-22 |
| कर्मचारी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. **क्या कम्पनी निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम उपलब्ध कराती है? (हां / नहीं)**

हां, बीएचईएल निरंतर रोजगार बनाए रखने और सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन की सुविधा के लिए संक्रमण सहायता प्रदान करता है।

5. **मूल्य शृंखला के भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण**

बीएचईएल के सभी मूल्य शृंखला भागीदार संगत श्रम कानूनों और कार्यों के अंतर्गत आते हैं जिसके कारण केंद्रीय और राज्य दोनों श्रम विभाग मूल्य शृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियों और कार्य स्थितियों से संबंधित आवधिक निरीक्षण करते हैं। इसमें पाई गई कमियों का समाधान भागीदारों द्वारा किया जाता है।

6. **स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियो के आकलनों और मूल्य शृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों / समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई अथवा की जा रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें।**

कृपया ऊपर दिए गए बिंदु संख्या 05 का अवलोकन करें।

## सिद्धांत 4: हितधारकों की भागीदारी

बीएचईएल के हितधारकों के अंतर्गत "ग्राहक", "कर्मचारी", "शेयरधारक", "विक्रेता" एवं समाज सम्मिलित हैं। हितधारकों की अपेक्षाओं और चिंताओं को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से प्रमुख मुद्दों की पहचान की जाती है और स्पष्ट एवं मापनीय लक्ष्यों वाले कार्यक्रमों या कार्य योजनाओं द्वारा इनका समाधान किया जाता है। क्षमता वृद्धि हेतु बीएचईएल इकाइयां नियमित रूप से वेंडर मीट विशेषतः एमएसई (स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करते हुए) का आयोजन करती हैं जो खुले संवाद के साथ–साथ सहयोग और परस्पर लाभप्रदता प्रदान करती है। ग्राहक बैठकें, सर्वेक्षण, निवेशक समुदाय बैठकों, सम्मेलनों, प्रकाशनों आदि के माध्यम से कई माध्यमों से जुड़े हुए हैं। निवेशक समुदाय बैठकों, सम्मेलनों, प्रकाशनों आदि के माध्यम से जुड़ा हुआ है और उनके निवेश निर्णयों के बारे में संगत सूचना प्रदान की जाती है।

बीएचईएल ने अपनी विनिर्माण इकाइयों /क्षेत्रों/ प्रभागों /कार्यालयों/ कार्यालयों के आसपास के क्षेत्रों में वंचित, निर्धन और जरूरतमंद हितधारकों की पहचान की है और उनकी कठिनाइयों का निराकरण बीएचईएल की सीएसआर नीति जो कि कंपनी अधिनियम–2013 के अनुच्छेद–135 एवं भाग– VII और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ–साथ सीएसआर और सीपीएसई के लिए स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।

https://www.bhel.com/sites/default/files/BHEL_CSR_Policy_2022.pdf

### नेतृत्व संकेतक

1. **इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करें।**

जो हितधारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीएचईएल की राजस्व अर्जन क्षमता और लाभ साझा करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, वे प्रमुख हितधारकों के रूप में चिह्नित किए जाते है। उदाहरण के तौर पर, आपूर्तिकर्ता या मूल्य शृंखला भागीदार प्रापण (प्रोक्योरमेंट) के सापेक्ष हितधारक हैं। उनका चयन पंजीकरण प्रक्रिया और खुली निविदाओं में पूर्व–योग्यता शर्तों के माध्यम से किया जाता है।

2. आपके निकाय के प्रमुख हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक समूह के साथ संबद्धता की आवृत्ति :

| हितधारक समूह | क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हाँ/नहीं) | संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, समुदाय, बैठकें, नोटिस निदेशक मंडल, वेबसाइट), अन्य | सहभागिता/संबद्धता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य–कृपया निर्दिष्ट करें) | ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा |
|---|---|---|---|---|
| शेयरधारक | जी नहीं | ई–मेल, समाचार पत्र विज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएचईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रकटीकरण | जुड़ाव की आवृत्ति तिमाही, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक होती है साथ ही किसी घटना के घटित होने के समय भी होती है। | कंपनी को प्रभावित करने वाली सभी सामग्री तथा सेबी के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 |
| आपूर्तिकर्ता | जी नहीं | ई–मेल, विज्ञापन, वेंडर मीट, वेबसाइट आदि | नियमित | आपूर्तिकर्ता को जागरूक करना:<br>• लोक क्रय नीति (भारत में बनाने पर प्राथमिकता)<br>• MSMED अधिनियम<br>• आयात प्रतिस्थापन<br>• GeM पोर्टल पर निकाली गई संविदाओं में प्रतिभागिता<br>• बीएचईएल के शिकायत निवारण पोर्टल, सुविधा (SUVIDHA) पर शिकायत दर्ज करना एवं उसकी स्थिति की जानकारी<br>• बीएचईएल के गुणवत्ता उद्देश्य |
| कर्मचारी | जी नहीं | ईमेल, मासिक न्यूज लैटर, सूचना पट्ट, इंट्रानेट वेबसाइट, शॉप फ्लोर, शॉप काउंसिल, प्लांट काउंसिल एवं ज्वाइंट काउंसिल बैठकें | मासिक | कंपनी की मासिक प्रगति और व्यापार स्थिति, लक्ष्य, उपलब्धियां और विभाग/अनुभाग स्तरीय चिंताओं आदि साझा करना। |
| ग्राहक | जी नहीं | ई–मेल, विज्ञापन, फोन द्वारा बैठकें, वेबसाइट आदि | नियमित | ग्राहक की आवश्यकताओं का आकलन, मौजूदा पूंजी की तुलना में उनकी आवश्यकता, शिकायत समाधान, व्यवसाय पूछताछ आदि |
| समुदाय | जी हां | बैठकें, स्थानीय एनजीओ | मामला–दर–मामला आधार | उनकी समस्याओं का आकलन करना जो उनकी कमजोरी का कारण हैं एवं जिसके कारण वे बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में पीछे रहते हैं। |

## नेतृत्व संकेतक

**1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और निदेशक मंडल के बीच परामर्श की प्रक्रिया प्रदान करना या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाए तो निदेशक मंडल को दिए गए ऐसे परामर्शों से फीडबैक किस प्रकार प्राप्त होता है।**

बीएचईएल के शेयरधारकों के लिए निदेशक मंडल तक पहुंच का सबसे महत्वपूर्ण फोरम कंपनी की वार्षिक आम बैठक है। इन बैठकों के दौरान, शेयरधारक कंपनी के कार्यनिष्पादन, रणनीतियों और दृष्टिकोण के संबंध में विभिन्न प्रश्न उठाते हैं, अपनी शिकायतें साझा करते हैं और न केवल व्यावसायिक बल्कि आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों/ क्षेत्रों में भी कम्पनी के निष्पादन में सुधार के लिए मूल्यवान फीडबैक प्रदान करते हैं।

बीएचईएल की मूल्य शृंखला भागीदार के पास स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) तक पहुंच है, जिन्हें सीवीसी द्वारा परामर्श के लिए नामित किया जाता है। वे विक्रेता बैठक आदि के दौरान कंपनी के सतर्कता संबंधी अपने मुद्दों को भी साझा कर सकते हैं। ऐसे चैनलों के माध्यम से प्राप्त आपूर्तिकर्ता की प्रतिक्रिया बीएचईएल के शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत के दौरान साझा की जाती है।

**2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है। (हां/नहीं) यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण दें जिनमें इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को कंपनी की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था।**

जी हाँ, हितधारकों ने बीएचईएल के विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक प्रयासों अर्थात स्वदेशीकरण को अपना समर्थन प्रदान किया है।

"आत्मनिर्भर भारत" के तहत विभिन्न मदों में, बीएचईएल के कारखानों और परियोजना स्थलों में सौर ऊर्जा और जल संचयन क्षमता का उपयोग, महिला कर्मचारियों का सशक्तिकरण आदि। बातचीत के दौरान प्राप्त आपूर्तिकर्ता प्रतिक्रिया का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि ईएमडी की छूट, खरीद प्राथमिकता आदि के माध्यम से एमएसई के लाभों का ध्यान रखा जाता है। .

**3. कमजोर/हाशिए पर हितधारकों की चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ जुड़ाव के मामलों का विवरण प्रदान करें।**

समुदाय के वंचित वर्ग के लिए बीएचईएल स्थानीय एनजीओ द्वारा बेसलाइन सर्वेक्षण के बाद सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है। ये स्थानीय गैर सरकारी संगठन अपने बेसलाइन सर्वेक्षणों के दौरान समुदायों के साथ जुड़ते हैं और उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझते हैं।

## सिद्धांत 5: मानवाधिकार

भारत का संविधान और विभिन्न लागू कानूनों के परिप्रेक्ष्य में बीएचईएल की नीतियाँ मानवाधिकारों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएचईएल के विशेष प्रावधान है। मानवाधिकारों के दुरुपयोग के संदर्भ में, कंपनी में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। बीएचईएल ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, भारत (जीसीएनआइ) का संस्थापक सदस्य है और यह भारत में की गई पहलों का एक हिस्सा है।

कंपनी कम्युनिकेशन ऑन प्रोग्रेस (सीओपी) के माध्यम से 2001 से वार्षिक आधार पर यूएनजीसी के दस सिद्धांतों पर अपने प्रदर्शन की रिपोर्ट करती है जिसमें यूएनजीसी के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बीएचईएल की प्रतिबद्धता शामिल है।

इस सीओपी को वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है–

https://www.bhel.com/commitment-ungc-programme

### नेतृत्व संकेतक

1. कर्मचारी और कामगार जिन्हें इकाई के मानवाधिकार मुद्दों और नीति के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (A) | कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (B) | % (B / A) | कुल (C) | कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या(D) | % (D / C) |
| **कर्मचारी** | | | | | | |
| स्थायी | 29536 | 3332 | 11.3% | 30758 | 686 | 2.2% |
| स्थायी से भिन्न | 15638 | 534 | 3.41% | 15620 | 0 | 0% |
| कुल कर्मचारी | 45174 | 3866 | 8.56% | 46378 | 686 | 1.5% |
| **कामगार** | | | | | | |
| स्थायी | 14986 | 1083 | 7.2% | 15720 | 205 | 1.3% |
| स्थायी से भिन्न | 15638 | 534 | 3.41% | 15620 | 0 | 0% |
| **कुल कर्मचारी** | 30624 | 1617 | 5.3% | 31340 | 205 | 0.65% |

नोट कंपनी नीति से संबंधित कार्यक्रम के लिए, यहाँ पर केवल मा.सं. नीति से संबंधित कार्यक्रम को शामिल किया गया है।

2. कर्मचारियों और कामगारों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

| श्रेणी कुल (A) | वित्त वर्ष 2022-23 | | | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | न्यूनतम मजदूरी के बराबर | | न्यूनतम मजदूरी से अधिक | | कुल | न्यूनतम मजदूरी के बराबर | | न्यूनतम मजदूरी से अधिक | | |
| | सं. (B) | % (B /A) | सं. (C) | % (C / A) | सं. (D) | सं. (E) | % (E / D) | सं. (F) | % (F / D) | |
| | कर्मचारी | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | 29536 | 0 | 0 | 29536 | 100% | 30758 | 0 | 0 | 30758 | 100% |
| पुरूष | 27790 | 0 | 0 | 27790 | 100% | 28925 | 0 | 0 | 28925 | 100% |
| महिला | 1746 | 0 | 0 | 1746 | 100% | 1833 | 0 | 0 | 1833 | 100% |
| **स्थायी से भिन्न** | 15705 | 6225 | 39.64% | 9480 | 60.36% | 15324 | 6916 | 45.13% | 8408 | 54.87% |
| पुरूष | 14495 | 5778 | 39.86% | 8717 | 60.14% | 13791 | 6264 | 45.42% | 7527 | 54.58% |
| महिला | 1210 | 447 | 36.94% | 763 | 63.06% | 1533 | 652 | 42.53% | 881 | 57.47% |
| | कामगार | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | 14986 | 0 | 0 | 14986 | 100% | 15720 | 0 | 0 | 15720 | 100% |
| पुरूष | 14592 | 0 | 0 | 14592 | 100% | 15305 | 0 | 0 | 15305 | 100% |
| महिला | 394 | 0 | 0 | 394 | 100% | 415 | 0 | 0 | 415 | 100% |
| **स्थायी से भिन्न** | 15639 | 6225 | 39.80% | 9414 | 60.20% | 15260 | 6916 | 45.32% | 1644 | 10.77% |
| पुरूष | 14430 | 5778 | 40.04% | 8652 | 59.96% | 13728 | 6264 | 45.63% | 7464 | 54.37% |
| महिला | 1209 | 447 | 36.97% | 762 | 63.03% | 1532 | 652 | 42.56% | 880 | 57.44% |

3. पारिश्रमिक /वेतन / मजदूरी के विवरण के प्रारूप:

बीएचईएल के कर्मचारियों और कामगारों का वेतन/मजदूरी ढांचा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया है:

| | पुरूष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | संबंधित श्रेणी की औसत पारिश्रमिक /वेतन/मजदूरी | संख्या | संबंधित श्रेणी की औसत पारिश्रमिक /वेतन/मजदूरी |
| निदेशक मंडल (BoD)*^ | 4 | ₹ 55,00,000 | 1 | ₹ 55,00,000 |
| मुख्य प्रबंधक कार्मिक | 1 | ₹ 47,00,000 | 0 | 0 |
| निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधक कार्मिक के अलावा कर्मचारी | 27785 | ₹ 14,00,000 | 1745 | ₹ 21,00,000 |
| कामगार | 14592 | ₹ 11,00,000 | 394 | ₹ 12,00,000 |

* स्वतंत्र निदेशकों पर विचार नहीं किया जाता है। वित्त वर्ष 2022–23 में स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई कुल बैठक फीस ₹ 26,00,000 थी। वित्त वर्ष 2022–23 में स्वतंत्र निदेशक को भुगतान की जाने वाली औसत बैठक फीस ₹ 5,30,000 थी।

भुगतान पीपी/एसआईपी/पीआरपी और प्रतिपूर्ति को छोड़कर हैं। डेटा 31 मार्च 2023 तक के कर्मचारियों से संबंधित है।

4. **क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा/ के कारण उत्पन्न मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार कोई (व्यक्ति/समिति) है? (हां नहीं)**

   हाँ। मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए प्रत्येक बीएचईएल परिसर में शिकायत निवारण अधिकारी मौजूद हैं।

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।**

   मानवाधिकार संबंधी मुद्दों से संबंधित औपचारिक रूप से निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र है। यह तंत्र त्रि–स्तरीय समाधान प्रदान करता है। पहले स्तर पर नियंत्रण अधिकारी, दूसरे स्तर पर विभाग प्रमुख, तीसरे स्तर पर शिकायत निवारण समिति ।

6. **कर्मचारियों और कामगारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का विवरण**

| | वित्त वर्ष 2022-23 | | वित्त वर्ष 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान दर्ज | वर्ष के अंत में लंबित | वर्ष के दौरान दर्ज | वर्ष के अंत में लंबित |
| यौन उत्पीड़न | 0 | 0 | 3 | 3 |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बाल श्रम | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जबरन श्रम / अनैच्छिक | 0 | 0 | 0 | 0 |
| श्रम | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मजदूरी | | | | |
| अन्य मानव अधिकार संबंधी | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए प्रणाली।**

एक निवारक कदम के रूप में, शिकायतकर्ता की पहचान केवल आंतरिक शिकायत समिति को ही पता होती है और उसे सुरक्षित रखा जाता है। पूछताछ में सभी बैठकें (शिकायतकर्ता और प्रतिवादी) कभी भी आमने–सामने नहीं की जातीं।

8. **क्या मानवाधिकार संबंधी अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां /नहीं)**

हां, मानवाधिकार संबंधी अपेक्षाएं व्यावसायिक समझौते या अनुबंध का एक हिस्सा है। बीएचईएल और सेवा प्रदाता के बीच सेवा अनुबंध में बाल श्रम, न्यूनतम मजदूरी आदि जैसी मानवाधिकार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने करने के लिए प्रावधान है।

9. **वर्ष के लिए मूल्यांकन:**

बीएचईएल के सभी परिसरों का नियमित रूप से संबंधित कानून/कार्य/संविधि से संबंधित अनुपालन हेतु केन्द्रीय तथा राज्य श्रम विभाग, पीएफ तथा ईएसआई विभागों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं अथवा विभागों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा कमियों को चिह्नित किया जाता है।

10. **उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले बड़े जोखिमों / समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

किसी महत्वपूर्ण जोखिम/समस्या की पहचान नहीं की गई।

## नेतृत्व संकेतक

1. **मानवाधिकार शिकायतों/परिवादों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित और लागू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

मानवाधिकारों को कायम रखना कंपनी की मूल्य प्रणाली का केंद्र है और यह निष्पक्ष और नैतिक व्यवसाय और रोजगार पद्धतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों का समर्थन, सुरक्षा और प्रचार करने का प्रयास करता है। कंपनी जाति, रंग, धर्म, लिंग, दिव्यांगजन आदि के बावजूद सभी के लिए एक सुरक्षित समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में भी यही सुनिश्चित किया गया है।

2. **किसी भी मानवाधिकार के संबंध तत्काल कार्रवाई के दायरे और कवरेज का विवरण।**

सभी वैधानिक कानूनों/नियामक आवश्यकताओं और उनके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निवारक/वैधानिक ऑडिट के दौरान समय–समय पर प्लांट और कार्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी इस विषय पर अपने शिक्षुओं सहित कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ जागरूकता सत्र भी आयोजित करती है।

3. **क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार इकाई का परिसर/कार्यालय विकलांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

हाँ। सिद्धांत 3, नेतृत्व संकेतक संख्या 3 देखें।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण:**

बीएचईएल के मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन मानवाधिकार मानदंडों के आधार पर किया जाता है क्योंकि वे श्रम संबंधी कानूनों/अधिनियमों/क़ानूनों के अंतर्गत आते हैं और इनका मूल्यांकन या निरीक्षण संबंधी सरकारी विभाग/संस्थान द्वारा किया जाता है।

5. **उपर्युक्त प्रश्न 4 के आकलनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई अथवा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें।**

लागू नहीं।

## सिद्धांत 6: पर्यावरण

बीएचईएल की आईएसओ 14001 से मान्यता प्राप्त एक सुस्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) है। कॉर्पोरेट एचएसई नीति के आधार पर, सभी विनिर्माण इकाइयों और क्षेत्रों ने आईएसओ 14001 'पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली' मानक की आवश्यकता के अनुरूप अपने एचएसई सिस्टम प्राप्त किए हैं। ईएमएस एक व्यवस्थित तरीके से पर्यावरण से संबंधित जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करता है। बीएचईएल की सभी इकाइयों और पावर सेक्टर के क्षेत्रीय प्रभागों के एचएसई प्रकोष्ठ शीर्ष स्तर पर कॉर्पोरेट एचएसई के मार्गदर्शन में एचएसई नीति के कार्यान्वयन का कार्य कर रहे हैं। ईएमएस का अनुपालन और आईएसओ 14001 की अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन निकाय द्वारा आवधिक ऑडिट किए जाते हैं। कंपनी की एचएसई नीति इंटरनेट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित वेब लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है

https://www.bhel.com/sites/default/files/HSEPOLICY.pdf

बीएचईएल ने 2070 तक भारत की नेट ज़ीरो प्रतिबद्धता में योगदान के रूप में "बीएचईएल को एक हरित कंपनी बनाने" के लिए एक बड़ी पहल की है।

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII, 7.1 ऊर्जा संरक्षण देखें।

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–IV, 4.2 बीएचईएल को हरित कंपनी बनाना देखें।

नेतृत्व संकेतक

**1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:**

| मापदंड | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|
| कुल विद्युत खपत (क) (गीगा जूल में) | 893815 | 759595 |
| कुल ईंधन खपत (ख) (गीगा जूल में ) | 1758770 | 1929497 |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) (गीगा जूल में) | 107216 | 97812 |
| **कुल ऊर्जा खपत** (क+ख+ग) **गीगा जूल में)** | **2759801** | **2786904** |
| प्रति रुपया टर्नओवर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत किलो जूल/ टर्नओवर रूपये में) | 12.47 | 13.855 |
| ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – कम्पनी द्वारा संगत मेट्रिक का चयन किया जाए। | - | - |

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विद्युत की खपत में वृद्धि वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में उत्पादन गतिविधि में वृद्धि के कारण है।

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यनिर्धारण किया गया है/ आश्वासन लिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम–

किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई मूल्यांकन/ मूल्यनिर्धारण नहीं किया गया /आश्वासन नहीं दिया गया।

**2. क्या कंपनी के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।**

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत बीएचईएल की किसी भी सुविधा की पहचान नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में नहीं की गई है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अनुलग्नक–VII, 7.1 ऊर्जा संरक्षण देखें।

**3. पानी के संबंध में निम्नलिखित जानकारी नीचे दिए गए प्रारूप में प्रदान करें:**

| मापदंड | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|
| **स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतही जल | 0 | 0 |
| (ii) भूमिगत जल | 5407690 | 6107432 |
| (iii) थर्ड पार्टी वाटर | 12961712 | 13795524 |
| (iv) समुद्री जल/ अलवणीकृत जल | 0 | 0 |
| (v) अन्य | 0 | 0 |
| **कुल पानी निकासी मात्रा (किलोलीटर में)** (i + ii + iii + iv + v) | 18369402 | 19902956 |
| **पानी की कुल खपत की मात्रा (किलोलीटर में)** | 18369402 | 19902956 |
| **प्रति रूपया टर्नओवर पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर लि. प्रति रू.में)** | 0.083 | 0.098 |
| पानी की तीव्रता (वैकल्पिक)– कंपनी द्वारा संबंधित मेट्रिक का चयन किया जा सकता है। | -- | -- |

किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई आकलन/मूल्यांकन नहीं किया गया है / आश्वासन नहीं दिया गया है। वित्त वर्ष 2021–22 का डेटा दोबारा तैयार किया गया है।

**4. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

हाँ। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, बीएचईएल ने 16 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 22 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे परिसर से निकलने वाला पानी वैधानिक आवश्यकता के अनुसार एफ्लुएंट मानकों के अनुरूप हो और इसकी मात्रा यथासंभव कम हो। इस संबंध में, हमारी 10 विनिर्माण इकाइयों को शून्य तरल स्राव इकाई घोषित किया गया है और शेष में इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में उपचारित अपशिष्ट/सीवेज का उपयोग विनिर्माण संयंत्र और टाउनशिप के अंदर बागवानी के लिए किया जाता है।

**5. कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें:**

| मापदंड | इकाई | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|---|
| NOx | मीट्रिक टन | 136.59 | 144.50 |
| SOx | मीट्रिक टन | 164.28 | 160.84 |
| पार्टिकुलेट मैटर्स (पीएम) | मीट्रिक टन | 344.00 | 338.91 |
| लगातार जैविक प्रदूषक (POC) | मीट्रिक टन | 0 | 0 |
| वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) | मीट्रिक टन | 5.17 | 5.6 |
| खतरनाक वायु प्रदूषक (HAP) | मीट्रिक टन | 9.40 | 8.45 |
| अन्य–कार्बन मोना आक्सॉइड | मीट्रिक टन | 0.024 | 0.023 |

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान SOx, PM और HAP के उत्सर्जन में वृद्धि उत्पादन गतिविधि में वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में वृद्धि के कारण है।

वायु उत्सर्जन का मूल्यांकन बाहरी एजेंसियों जैसे–उन्नत पर्यावरण परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, ग्वालियर; तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वेल्लोर; पीसीआरआई हरिद्वार; ह्यूबर्ट एनवायरो केयर सिस्टम (पी) लिमिटेड, चेन्नई; मेसर्स एवरग्रीन सॉल्यूशंस सिस्टम प्रा. लिमिटेड, बेंगलुरु आदि से कराया जाता है। वित्त वर्ष 2021– 22 के लिए डेटा को फिर से तैयार किया गया है।

**6. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

| मापदंड | इकाई | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|---|
| **कुल दायरा 1 उत्सर्जन** (GHG का विघटन–CO2, CH4 N2O HFCs, में PFCs, SF6, NF3, यदि उपलब्ध है ) | मीट्रिक टन $CO_2$ के बराबर | 115744 | 126295 |
| **कुल दायरा 2 उत्सर्जन** (GHG का विघटन–$CO_2$, $CH_4$, $N_2O$, HFCs, PFCs, $SF_6$, $NF_3$, यदि में उपलब्ध हो।) | मीट्रिक टन $CO_2$ के बराबर | 233385 | 198339 |
| **कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति रुपया टर्न–ओवर** | प्रति रुपया $CO_2$ ग्राम के बराबर | 1.58 | 1.61 |
| **कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)** – इकाई द्वारा संगत मेट्रिक का चयन किया जा सकता है | - | - | - |

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्कोप 2 उत्सर्जन में वृद्धि वित्त वर्ष 2021–22 की तुलना में उत्पादन गतिविधि में वृद्धि के कारण है।

किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई आकलन/मूल्यांकन नहीं किया गया / आश्वासन नहीं दिया गया। वित्त वर्ष 2021–22 का डेटा दोबारा तैयार किया गया है।

**7. क्या कंपनी के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

हाँ। बीएचईएल ने छत सहित लगभग 34.895 मेगावाटपी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे संगठन को अपनी विद्युत की खपत कम करने में मदद मिली है। इस बड़े पैमाने पर सौरीकरण से हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करके वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 26,964 $MTCO_2$ तक कम करने में मदद मिली है।

ऊर्जा की खपत को कम करने और इस तरह विद्युत की खपत से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हमारी इकाइयों में हर साल ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

– निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–IV, 4.1.2 ऊर्जा प्रबंधन देखें

– निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–IV, 4.1.4 कार्बन प्रबंधन देखें

– निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII, 7.1 ऊर्जा संरक्षण देखें

**8. कंपनी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

| मापदंड | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|
| उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) | | |
| प्लास्टिक अपशिष्ट (A) | 68.98 | 47.36 |
| ई–वेस्ट (B) | 42.17 | 77.90 |
| जैव– चिकित्सा अपशिष्ट (C) | 6.51 | 9.13 |
| निर्माण एवं धवस्त करने से उत्पन्न अपशिष्ट (D) | 0 | 0 |
| बैटरी अपशिष्ट (E) | 88.10 | 77.25 |
| रेडियोएक्टिव अपशिष्ट (F) | 0 | 0 |
| अन्य हानिकारक अपशिष्ट, यदि कोई हो कृपया विनिर्दिष्ट करें (G) | 1278.90 | 1308.82 |
| अन्य गैर– हानिकारक अपशिष्ट (N), यदि कोई तो कृपया विनिर्दिष्ट करें (सामग्री आधार पर ब्रेक अप यानी संबंधित क्षेत्र में प्रयुक्त सामग्री) | 45944.15 | 42494.96 |
| कुल (A+B + C + D + E + F + G + H) | 47428.81 | 44015.42 |
| **उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकिलिंग, पुनः उपयोग या अन्य रिकवरी कार्यों के माध्यम से कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में) उत्पन्न किया गया।** | | |
| **अपशिष्ट की श्रेणी** | | |
| (i) पुनर्चक्रण | 94.06 | 91.14 |
| (ii) पुनःप्रयोग | 669.37 | 797.22 |
| (iii) अन्य रिकवरी विकल्प | 0 | 0 |
| **कुल** | 763.44 | 886.36 |
| **उत्पन्न होने वाले प्रत्येक श्रेणी के लिए निपटान पद्धति की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| **अपशिष्ट की श्रेणी** | | |
| (i) भस्मीकरण | 6.92 | 1.044 |
| (ii) लैंडफिलिंग | 1359.29 | 2875.99 |
| (iii) अन्य निपटान परिचालन | 27615.08 | 23745.98 |
| **कुल** | 28981.29 | 26623.01 |

तालिका में, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई–वेस्ट अपशिष्ट और बैटरी वेस्ट की दर्शाई गई मात्रा वर्ष के दौरान प्राधिकृत एजेंसियों को बेची गई मात्रा

है। अन्य निपटान में ई–नीलामी/अन्य माध्यमों से बाहरी एजेंसियों को रिसाइकिल/ रि–यूज/ रिकवरी के लिए स्क्रैप की बिक्री का डेटा शामिल है।

काफी मात्रा में स्क्रैप जमा होने के बाद, इसे अंतिम निपटान के लिए एजेंसी को बेच दिया जाता है। किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई आकलन/मूल्यांकन नहीं किया गया /आश्वासन नहीं दिया गया। वित्त वर्ष 2021–22 का डेटा दोबारा तैयार किया गया है।

* उत्पादन गतिविधि में वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान उत्पन्न कुल कचरा बढ़ गया है।

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक–IV, 4.1.3 उत्तरदायी सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों की खपत का अवलोकन करें,

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक– IV, 4.1.3 जल एवं जैव विविधता प्रबंधन का अवलोकन करें।

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक– IV, 4.2 अपशिष्ट प्रबंधन का अवलोकन करें।

**9. प्रतिष्ठान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई पद्धतियों का विवरण प्रस्तुत करें।**

हमारी विनिर्माण गतिविधि में, अपशिष्ट उत्पादन में कमी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जाता है और धातु शीट को काटने के लिए हमारी नेस्टिंग योजना इस प्रकार से बनाई गई है कि इस पहलू का ध्यान रखा जाए। हालांकि, एक बार जब स्क्रैप उत्पन्न हो जाता है, तो इसका उपयोग या तो स्थानीय फाउंड्री की दुकान में कास्टिंग/फोर्जिंग बनाने के लिए किया जाता है या सीएफएफपी हरिद्वार/अधिकृत रिसाइकलर को की खपत से बचने के लिए भट्टी में पिघलने के लिए भेजा जाता है, ताकि नए कच्चे माल की जरूरत न पड़े।

पूरे बीएचईएल में, पुनर्विक्रय मूल्य वाले ठोस अपशिष्ट/स्क्रैप को एकत्र किया गया, अलग किया गया, संग्रहीत किया गया और अधिकृत रिसाकिलर्स को बेचा गया। इनमें से कुछ का कोई पुनर्विक्रय मूल्य नहीं है जिसका उपयोग निचले इलाकों को भरने के लिए किया जाता है। खतरनाक कचरे/ई–कचरे का निपटान संबंधित कानूनों में निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है।

इकाइयों में उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट को नियामक अपेक्षाओं के अनुसार निपटाया जाता है और प्राधिकरण की जांच के लिए आवश्यक रिकॉर्ड विधिवत रखा जाता है। खतरनाक कचरा जिसे बाहर इस्तेमाल किया जा सकता है, अधिकृत रिसाइकलरों को भेजा जाता है। शेष खतरनाक अपशिष्ट, जिसे जलाकर या सुरक्षित लैंडफिल में दबा दिया जाना है, को अंतिम निपटान के लिए उनके संबंधित राज्यों के ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी (टीएसडीएफ) को भेज दिया जाता है।

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक–IV, 4.1.1 उत्तरदायी सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों की खपत का अवलोकन करें,

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक– IV, 4.1.3 जल एवं जैव विविधता प्रबंधन का अवलोकन करें।

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक– IV, 4.1.5 अपशिष्ट प्रबंधन का अवलोकन करें।

**10. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/ आस–पास इकाई/ कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है, तो कृपया निर्दिष्ट करें और निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें:**

लागू नहीं

**11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:**

लागू नहीं

**12. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:**

हां, बीएचईएल भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

## नेतृत्व संकेतक

**1. निम्नलिखित प्रारूप में नवीकरणीय और गैर–नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण प्रदान करें:**

| मापदंड | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|
| **नवीकरणीय स्रोतों से (गीगा जूल में)** | | |
| कुल विद्युत खपत (A) | 107216 | 97812 |
| कुल ईंधन खपत (B) | 0 | 0 |
| अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (C) | 0 | 0 |
| **नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत** (A+B+C) | 107216 | 97812 |
| **गैर नवीकरणीय स्रोतों से (गीगा जूल में)** | | |
| कुल विद्युत खपत (D) | 893815 | 759595 |
| कुल ईंधन खपत (E) | 1758771 | 1929497 |
| गैर नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (F) | 0 | 0 |
| **गैर नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (D+E+F) (गीगा जूल में)** | 2652586 | 2689092 |

किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई आकलन/ मूल्यांकन नहीं किया गया/ आश्वासन नहीं दिया गया।

**2. जल स्राव के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

हमारी विनिर्माण इकाइयों में 16 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और 22 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और ऑक्सीडेशन पॉन्ड स्थापित हैं जो उत्पन्न सीवेज/ व्यवसाय अपशिष्ट का वांछित स्तर तक परिशोधन करते हैं।

| मापदंड | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|
| **स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतही जल | 0 | 0 |
| – कोई ट्रीटमेंट के बिना | 0 | 0 |
| – ट्रीटमेंट किया हुआ– कृपया ट्रीटमेंट का स्तर विनिर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (ii) भूमिगत जल | 0 | 0 |
| – कोई ट्रीटमेंट के बिना | 0 | 0 |
| – ट्रीटमेंट किया हुआ– कृपया ट्रीटमेंट का स्तर विनिर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (iii) समुद्री जल | 0 | 0 |
| – कोई ट्रीटमेंट के बिना | 0 | 0 |
| – ट्रीटमेंट किया हुआ– कृपया ट्रीटमेंट का स्तर विनिर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (iv) अन्य पक्षों को प्रेषित | 0 | 0 |
| – कोई ट्रीटमेंट के बिना | 0 | 0 |
| – ट्रीटमेंट किया हुआ– कृपया ट्रीटमेंट का स्तर विनिर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (v) अन्य | 0 | 0 |
| – कोई ट्रीटमेंट के बिना | 0 | 0 |
| – ट्रीटमेंट किया हुआ– कृपया ट्रीटमेंट का स्तर विनिर्दिष्ट करें | 106680 | 87272 |
| **कुल डिस्चार्ज जल (किलोलीटर में)#** | 106680 | 87272 |

# वित्त वर्ष 2022–23 में उपचारित अपशिष्ट स्त्राव में वृद्धि हुई क्योंकि इन्सुलेटर इकाई ने अपनी उत्पादन गतिविधि में वृद्धि की है और इसलिए संबंधित अपशिष्ट स्त्राव में वृद्धि हुई है।

किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन /मूल्यांकन / आश्वासन नहीं किया गया। वित्त वर्ष 2021–22 का डेटा पुनः तैयार किया गया है।

**3. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और स्त्राव (किलोलीटर में):**

लागू नहीं

**4. कृपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

हमने अधिक ऊर्जा खपत वाली कई विनिर्माण इकाइयों में एलपीजी के स्थान पर आरएलएनजी का उपयोग शुरू किया है जिसकी पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है। इस तरह हम उस सीमा तक ईंधन के परिवहन से जुड़े स्कोप–3 उत्सर्जन कम हो रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को ऊर्जा बचाने और स्कोप–3 उत्सर्जन से बचने के लिए कार पूल का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बीएचईएल स्कोप–3 उत्सर्जन को कम करने की कोशिश कर रहा है। परंतु, फिलहाल इसकी गणना नहीं की जा रही है।

बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन नहीं किया गया।

**5. उपर्युक्त प्रश्न 10 में बताए गए आवश्यक संकेतकों के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ–साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

**6. यदि कंपनी ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया विवरण प्रदान करें:**

| क्र. सं. | की गई पहल | पहल का विवरण (यदि कोई वेब लिंक हो तो प्रदान करें वेब–लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है) | पहल का परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1. | सीएफएफपी हरिद्वार में परंपरागत दहन का रेजनरेटिव बर्नर–आधारित दहन प्रणाली में उन्नयन | उपलब्ध नहीं | 6.63 मिलियन यूनिट की संभावित वार्षिक विद्युत बचत |
| 2. | एनटीपीसी कहलगांव एफजीडी और एनटीपीसी तालचर परियोजना स्थलों पर बांस और तली में राख (बॉटम एश) का उपयोग करके हरित निर्माण | उपलब्ध नहीं | आरएमसी में सीमेंट उपयोग में कटौती के माध्यम से कंक्रीट उत्पादन की लागत में 5–10% की उल्लेखनीय कमी आई है |

जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में, संगठन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध को स्वीकार करता है। इस वैश्विक चुनौती का समाधान करने के लिए, बीएचईएल अपने उत्पादों एवं सेवाओं के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास कर रहा है, जिससे ग्राहकों को संयंत्र के जीवन चक्र में पर्यावरणीय उत्सर्जन को कम करके संधारणीय तरीके से विद्युत उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सके।

आंतरिक परिचालन में भी, कंपनी द्वारा ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। कंपनी ने बीएचईएल के विभिन्न स्थानों पर कुल 34.895 मेगावाट (लगभग) का सोलर फोटो वोल्टाइक (ग्राउंड माउंटेड और रूफ–टॉप) संयंत्र स्थापित किया है, जिससे कंपनी को अपने ऊर्जा मिश्रण को अधिक संधारणीय बनाने में मदद मिली है। कंपनी के नवीकरणीय अनुप्रयोगों की सूची में सोलर वॉटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग आदि भी शामिल हैं। कंपनी ने जल और ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन संरक्षण आदि से संबंधित कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–IV: संधारणीय निष्पादन– पर्यावरण देखें

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII: ऊर्जा संरक्षण देखें

**5. क्या इकाई में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों/वेब लिंक में दें।**

हाँ, बीएचईएल की व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है। इसे कोविड–19 के प्रकोप के दौरान उस पर कार्रवाई की गई थी। व्यापार निरंतरता योजना और/या आपदा प्रबंधन योजना इंटरनेट पर प्रकाशित नहीं की गई ।

**8. कंपनी की मूल्य श्रृंखला से पर्यावरण पर उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।**

कोई खास असर देखने में नहीं आया.

**9. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।**

पर्यावरणीय प्रभाव के लिए 100: मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन किया गया।.

## सिद्धांत 7: नीति का समर्थन

बीएचईएल कई प्रतिष्ठित उद्योग निकायों/चेम्बरों का सदस्य है। बीएचईएल द्वारा नीति से संबंधित मामलों में अपने विचार और राय रखने के लिए ऐसे निकायों (जैसे संगोष्ठियों और बैठकों में भागीदारी, कार्य समूहों में भागीदारी आदि) के साथ बातचीत के विभिन्न तंत्रों का उपयोग किया जाता है। कंपनी के हितों का प्रतिनिधित्व सरकारी प्रश्नों, ज्ञान साझाकरण, सर्वेक्षणों की प्रतिक्रिया, उद्योग की जरूरतों पर प्रतिक्रिया, जीएसटी, राजकोषीय बजट, विदेश व्यापार, कंपनी कानून, औद्योगिक नीति, पूंजीगत सामान नीति, निर्यात संवर्धन आदि जैसी सरकारी नीतियों के गठन के माध्यम से किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी के विचार विभिन्न अंतर–सरकारी मंचों जैसे संयुक्त आयोग आर्थिक निगम (जेसीईसी), संयुक्त इंजीनियरिंग समिति (जेईसी), संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी), संयुक्त संचालन समिति (जेएससी), संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) आदि में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। कंपनी एमएचआई, डीपीई, डीआईपीपी, नीति आयोग जैसे सरकारी निकायों के साथ भी बातचीत करती है और नीति निर्माण के लिए इनपुट/सुझाव प्रस्तुत करती है।

### नेतृत्व संकेतक

**1. क. व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या**

नौ संबद्धताएं

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची, जो इकाई का सदस्य/संबद्ध है।

| क्र.स. | व्यापार एवं उद्योग मंडल/संघ का नाम | व्यापार एवं उद्योग मंडल/ संघ का दायरा (राज्य/राष्ट्रीय) |
|---|---|---|
| 1 | इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) | राष्ट्रीय |
| 2 | भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) | राष्ट्रीय |
| 3 | भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी) | राष्ट्रीय |
| 4 | भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) | राष्ट्रीय |
| 5 | फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) | राष्ट्रीय |
| 6 | एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) | राष्ट्रीय |
| 7 | सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) | राष्ट्रीय |
| 8 | संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया नेटवर्क | राष्ट्रीय |
| 9 | पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री | अंतरराष्ट्रीय |

**2. इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें**

बीएचईएल द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण का कोई उदाहरण सामने नहीं आया है।

## नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति का विवरणः

| क्र. सं. | सार्वजनिक नीति का समर्थन | इस समर्थन के लिए अपनाया तरीका | क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ / नहीं) | निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें) | वेब लिंक यदि उपलब्ध है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सार्वजनिक नीति का समर्थन (i) डिजिटलीकरण (ii) पीएसई@2047, (iii) हरित पीएसई के लिए मॉडल फ्रेमवर्क–हरित विनिर्माण और नेट जीरो कार्बन के प्रति दृष्टिकोण, (iv) एमएसएमई के साथ पीएसई के लिए व्यापार करने में आसानी, आदि को बढ़ावा देना | सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, स्कोप आदि औद्योगिक निकायों के साथ अभ्यावेदन / परिषद की बैठकों के माध्यम से। | नहीं | -- | -- |
| 2. | अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सहयोग की सुविधा | विभिन्न अंतर–सरकारी मंचों जैसे संयुक्त आयोग आर्थिक निगम (जेसीईसी), संयुक्त इंजीनियरिंग समिति (जेईसी), संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी), संयुक्त संचालन समिति (जेएससी), संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी), आदि में प्रतिनिधित्व के माध्यम से। | नहीं | -- | -- |
| 3. | पूंजीगत क्षेत्र को बढ़ावा देना, भारतीय विद्युत क्षेत्र का विकास, आत्मनिर्भर भारत पहल, एफटीए आदि। | सरकारी मंत्रालयों जैसे एमएचआई, एमओपी आदि के साथ बातचीत के माध्यम से। | नहीं | -- | -- |
| 4. | सीमा शुल्क, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात प्रोत्साहन जैसे मामलों पर इनपुट | बजट 2023–24 के लिए बजट पूर्व ज्ञापन | नहीं | - | - |

## सिद्धांत 8: समावेशी विकास

बीएचईएल की सुसंरचित संगठनात्मक संरचना, नीति और प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से विभिन्न सीएसआर कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। सीएसआर नीति द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII से कई गतिविधियों की पहचान इसके प्रमुख क्षेत्रों के रूप में की गई है। सीएसआर नीति में परिभाषित सात प्रमुख क्षेत्र हैं– स्वच्छ भारत, हरित भारत, स्वस्थ भारत, हैरिटेज भारत, समावेशी भारत, शिक्षित भारत और उत्तरदायी भारत। इस नीति को वेबसाइट लिंक https://www.bhel.com/sites/default/files/ BHEL_CSR_Policy_2022.pdf पर होस्ट किया गया है और यह पूरी तरह से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

नीति को त्रि–स्तरीय संरचनाः कॉर्पोरेट स्तर (निदेशक मंडल स्तर सीएसआर समिति, स्तर–1 समिति और स्तर–2 समिति केवल प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन के लिए है) के साथ इकाई स्तर की सीएसआर समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। कंपनी सीएसआर नीति के अनुरूप विशेष एजेंसियों जैसे एनजीओ, सरकारी एजेंसियों आदि के माध्यम से समाज के गरीबों, जरूरतमंदों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित करने वाली देश भर में कई सामाजिक पहलों का समर्थन करती है। बीएचईएल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ भारत, पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे के विकास और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में कई सीएसआर पहल की हैं, जिन्होंने अंततः समाज के समग्र कल्याण और समावेशी विकास में योगदान दिया है। समाज को अधिकतम लाभ प्रदान करने और शुरू की गई पहलों की सार्थकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएसआर परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है।

आपूर्ति श्रृंखला में, बीएचईएल सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) का समर्थन करता रहा है क्योंकि वे कमजोर क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं; जैसे महिलाएं, युवा और गरीब घरों के लोग। कंपनी के पास लगभग 6000 पंजीकृत एमएसई हैं जो अपनी विभिन्न इकाइयों / संयंत्रों / डिवीजनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। एमएसई बीएचईएल के लगभग 30% आपूर्तिकर्ता आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) संशोधन

आदेश, 2018 (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) के लिए सार्वजनिक क्रय नीति में अनिवार्य है, पिछले कुछ वर्षों में बीएचईएल की कुल क्रय का 25% से अधिक एमएसई से किया गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, एमएसई से वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद 32.6%, एससी/एसटी एमएसई से 0.06% और महिला स्वामित्व वाले एमएसई से 0.41% रही। एससी/एसटी एमएसई और महिला एमएसई मिलाकर कुल पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं का हिस्सा 2% से भी कम है। एससी/एसटी एमएसई और महिला एमएसई की कम खरीद हिस्सेदारी इस तथ्य के कारण है कि बीएचईएल निविदाओं में इस प्रकार की संस्थाओं की भागीदारी कम है और इसके अलावा ऐसी आपूर्तिकर्ता संस्थाएं कई बार प्रावधान के बावजूद निविदाओं/एमएसई प्रमाणपत्र में अपनी श्रेणी की स्थिति घोषित नहीं करती हैं। उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र में उपलब्ध है। इसके अलावा, बीएचईएल ने एमएसई को समर्थन देने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत कर लिया है। एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम मौजूद हैं, जिसमें वे अपने बिलों पर छूट देकर शीघ्र भुगतान का लाभ उठा सकते हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, TReDS के माध्यम से बीएचईएल द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति 100% थी।

पिछले दो वर्षों के दौरान, बीएचईएल ने गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से अपनी खरीद बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी की 58.94% वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद GeM के माध्यम से की गई है।

### नेतृत्व संकेतक

**1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

–लागू नहीं।

**2. आपकी कंपनी द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास और पुन्स्थापन (आर एंड आर) परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें।**

–लागू नहीं।

**3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए उपलब्ध तंत्र का वर्णन करें।**

समुदाय द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)/लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जिसे बाद में बीएचईएल में लोक शिकायत अधिकारी को सौंपा जाता है।

**4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में प्रविष्टी):**

| | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|
| एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त | 32.6% | 29% |
| जिले के भीतर और पड़ोसी जिलों से सीधे प्राप्त | 10% | 10% |

### नेतृत्व संकेतक

**1. सामाजिक प्रभाव आकलन में चिह्नित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भः ऊपर दिए गए आवश्यक संकेतक के प्रश्न संख्या–1)**

– लागू नहीं

**2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान नामित जिलों में सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि है

| क्र. स. | राज्य | अकांक्षी जिले | व्यय की गई राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्तराखंड | हरिद्वार | 33.60 |
| 2 | उडीसा | कंधमाल | 25.17 |
| 3 | अखिल भारतीय | अखिल भारतीय | 31.28 |

**3. (क) क्या आपकी अधिमान्य क्रय नीति है जहां आप हाशिए पर / कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ / नहीं)**

– हाँ

**(ख) आप किन हाशिये पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?**

कंपनी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) का समर्थन कर रही है क्योंकि वे कमजोर क्षेत्रों, जैसे महिलाओं, युवाओं और गरीब घरों के लोगों के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं। बीएचईएल इकाइयों द्वारा विशेष रूप से एमएसई (स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं सहित) के साथ–साथ एससी/एसटी के लिए नियमित विक्रेता बैठकें और आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो पारस्परिक लाभ के लिए आवश्यकताओं की पहचान और कार्य योजना तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में अनिवार्य प्राथमिकताओं के अनुसार एमएसई के लिए आदेश (एमएसएमई–भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी) का पालन किया जाता है।

**(ग) यह कुल खरीद (मूल्यानुसार) का कितना प्रतिशत है?**

बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2022–23 में अपनी खरीद का 32.6% एमएसएमई से खरीदा।

**4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरणः**

कंपनी के पास पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा नहीं है या उसे अर्जित नहीं किया गया है। परंतु, कंपनी ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में निवेश किया है जिससे बीएचईएल के स्वामित्व वाली बौद्धिक संपदा प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, बीएचईएल ने 503 पेटेंट और कॉपीराइट दाखिल किए हैं। बीएचईएल द्वारा पेटेंट और कॉपीराइट से अर्जित राजस्व (लाभ) को अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पेटेंट और कॉपीराइट प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विकास का परिणाम हैं। इन आईपीआर के परिणामस्वरूप बीएचईएल उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है और उत्पाद पेशकश का विस्तार होता है। यह दीर्घकालिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी बढ़त भी प्रदान करता है और कंपनी के व्यावसायिक हितों को सुरक्षित करते हैं। कंपनी के राजस्व का 19% से अधिक, इसके इन–हाउस विकसित उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं से प्राप्त किया गया है।

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–VI अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी उपलब्धियों पर वार्षिक रिपोर्ट।

**5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में जहां पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है, किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण।**

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कोई विवाद सामने नहीं आया।

**6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरणः**

| क्र. स. | सीएसआर परियोजना | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | कमजोर और हाशिये पर रहने वाले समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | "हील ए सोल – IV" – पूरे भारत में हीमोफिलिया वाले व्यक्तियों और बच्चों को मुफ्त एंटी हीमोफिलिक फैक्टर (एएचएफ) प्रदान करना | 160 | 100% |
| 2 | नोएडा, बीकानेर, सतपुड़ा में तीन मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना | 40000 | 100% |
| 3 | राजकीय पॉलिटेक्निक में बालक एवं बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण | 304 | 100% |
| 4 | हरिद्वार में कलेफ्ट रोगियों की सर्जरी के लिए "मिशन स्माइल" को वित्तीय सहायता | 200 | 100% |
| 5 | नूंह, हरियाणा में "जन आरोग्यम" सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम | 11000 | 100% |
| 6 | भारत में कैंसर से पीड़ित 200 बच्चों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना | 500 | 100% |

## सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य

### नेतृत्व संकेतक

**1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

ग्राहक मूल्य बीएचईएल की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो हमारे विजन, मिशन और मूल्यों में भी परिलक्षित होता है। कंपनी उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बीएचईएल के प्रत्येक उत्पाद की पेशकश पर अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं के अलावा ग्राहकों के साथ अनुबंध की शर्तों और आवश्यकताओं के अनुसार विस्तृत उत्पाद लेबल/नेम प्लेट/परीक्षण प्रमाण पत्र के साथ लेबल किया गया है।

ग्राहकों की शिकायतें बैठकों के दौरान पत्र, ईमेल, फोन कॉल जैसे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती हैं। शिकायतों को बाद में समाधान के लिए आगे बढ़ाया जाता है। रिपोर्ट किए गए सभी प्रमुख गुणवत्ता मुद्दों को मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) के लिए लिया जा रहा है और आरसीए समितियों के माध्यम से हल किया जा रहा है। शिकायतों के अलावा, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, ग्राहकों की बैठक, आमने–सामने बातचीत, वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग और प्रशंसा पत्रों के माध्यम से ग्राहकों की प्रतिक्रिया ली जाती है।

**2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें ष्उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक पैरामीटरष, ष्सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोगष और ष्पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटानष के बारे में जानकारी होती है।**

1. बीएचईएल उत्पाद पूंजीगत वस्तुएं हैं और इसलिए इनका परिचालन काल 25 वर्षों की अवधि का है। ग्राहकों को दिये जाने वाले उत्पादों/प्रणालियों के साथ सुरक्षा, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से परिचालन आदि को कवर करने वाला मैनुअल भी दिया जाता है। बीएचईएल द्वारा ग्राहक कर्मियों के प्रशिक्षण में इन्हीं पहलुओं को शामिल किया गया है।

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्याः**

| | वि.व 2022-23 | | अभियुक्तयां | वि.व 2021-22 | | अभियुक्तयां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित | | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित | |
| डाटा गोपनीयता | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| विज्ञापन | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| साइबर सुरक्षा | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति | लागू नहीं | | | | | |
| प्रतिबंधित व्यापार पद्धति | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| अनुचित व्यापार पद्धति | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| अन्य | - | - | - | - | - | - |

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण वापस मंगाए गए उत्पाद का विवरणः**

सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद को वापस मंगानें का कोई मामला नहीं है

5. **क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब–लिंक प्रदान करें।**

हाँ। बीएचईएल बी2बी व्यवसाय में है और व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ व्यवहार नहीं करता है। इसलिए, कोई भी व्यक्तिगत ग्राहक डेटा संग्रहीत नहीं किया जाता है।

निदेशक मंडल रिपोर्ट "डाटा एवं साइबर सुरक्षा" का अवलोकन करें ।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयताय उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटनाएं उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई शास्ति/कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

– लागू नहीं

**नेतृत्व संकेतक**

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)**

बीएचईएल के उत्पादों एवं सेवाओं संबंधी जानकारी www.bhel.com से प्राप्त की जा सकती है।

**2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

ग्राहकों को संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों या प्रणालियों पर परिचालन नियमावली और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

**3. उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं के बाधित/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद है।**

बीएचईएल अपने ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क में है और किसी भी व्यवधान (उदाहरण के लिए हाल के दिनों में कीविड–19 के कारण) को ईमेल, पत्र और अनुबंध/खरीद आदेश में सहमत किसी भी अन्य संचार माध्यम से सूचित किया जाता है। इसके अलावा, स्थापित मशीनों की प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट या ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर ग्राहकों के साथ सक्रिय बातचीत से ग्राहक परिसर में संचालन में व्यवधान को रोकने में मदद मिलती है। ग्राहकों को उनकी मशीनों के बारे में पत्रों या अन्य डिजिटल माध्यमों के रूप में आवधिक संचार/संपर्क किया जाता है जिनका जीर्णोद्धार या अनिवार्य निरीक्षण बकाया या होना रहता है।

**4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के बारे में उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं)। यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के परिचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)**

हाँ। बीएचईएल द्वारा भेजे गए उत्पादों पर सभी आवश्यक और मानक जानकारी प्रदर्शित/स्टैंसिल की जाती है।

हाँ, बीएचईएल प्रमुख उत्पादों, सेवाओं के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करता है।

**5. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क. डेटा उल्लंघनों और उनके प्रभाव के मामलोन की संख्या शून्य।

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत शून्य।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए
**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**

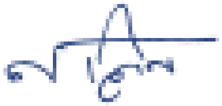

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2023

# अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी उपलब्धियां

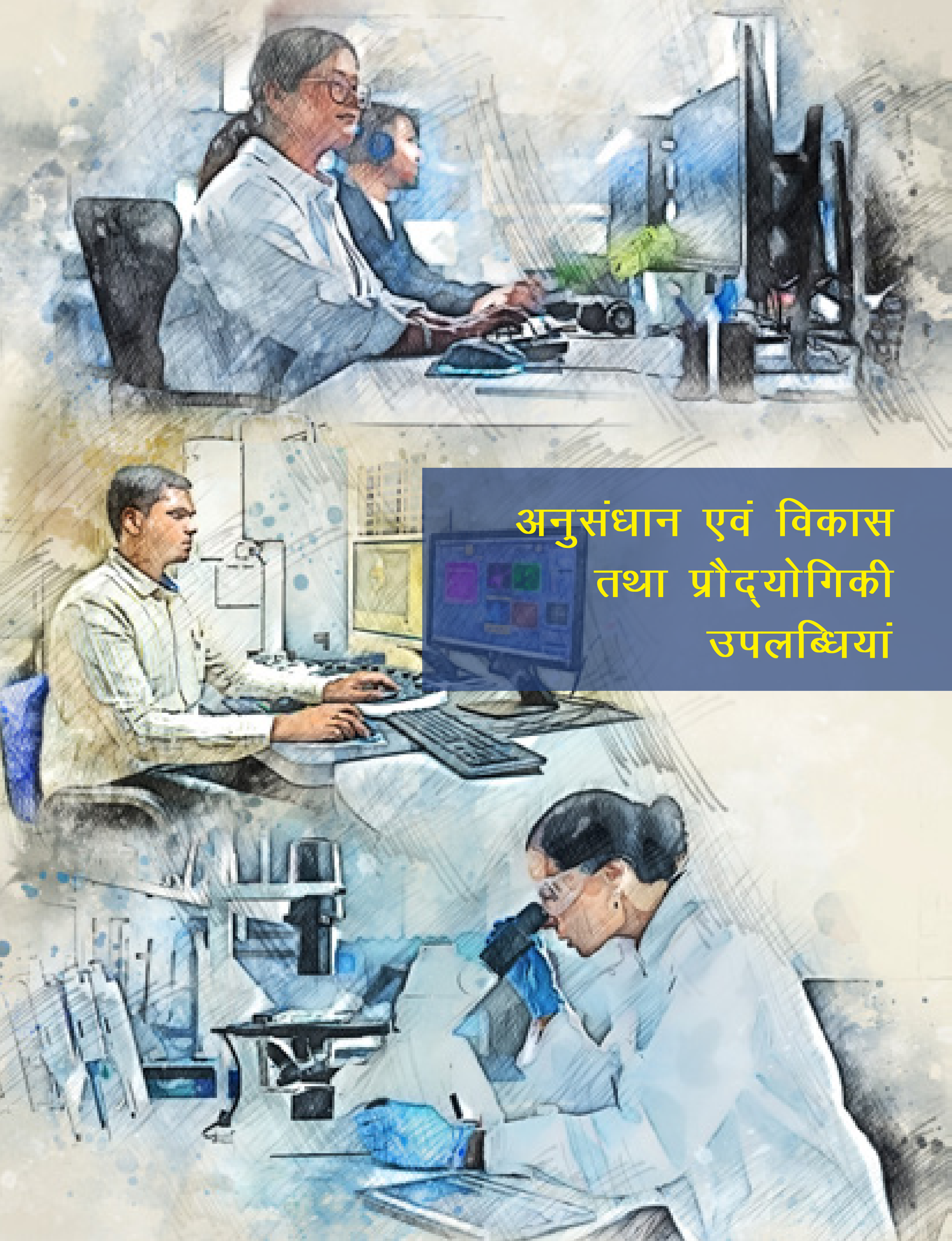

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-VI

## अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उपलब्धियां

### 1.1 अनुसंधान एवं विकास रणनीति

बीएचईएल ने स्वयं को देश में भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान एवं विकास और नवाचार संगठन के रूप में स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2022–23 में, कंपनी के राजस्व का बड़ा हिस्सा–19% इन–हाउस विकसित उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं से उत्पन्न हुआ और 31 मार्च 2023 तक 5,443 आईपीआर दाखिल किए गए हैं। यह तथ्य नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों के सृजन एवं सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पिछले वर्षों में अनुसंधान एवं विकास व्यय लगातार राजस्व के 2.5% से अधिक होने के साथ, बीएचईएल इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्योग में अनुसंधान एवं विकास पर सबसे अधिक व्यय करने वालों में से एक है।

बीएचईएल के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम निरंतर नवाचार के साथ–साथ देश में पूंजीगत सामग्री के आयात के स्वदेशीकरण के लिए कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। इन कार्यक्रमों के साथ कंपनी के प्रयासों को जोड़कर, बीएचईएल यह सुनिश्चित करती है कि यह प्रौद्योगिकी प्रगति में सबसे आगे रहे, और उद्योग की मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया दे।

बीएचईएल चल रहे ऊर्जा परिवर्तन के महत्व के साथ–साथ विशाल उपलब्ध कोयला भंडार को देखते हुए देश की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोयले का उपयोग करने की अनिवार्यता को पहचानता है। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी कोयला गैसीकरण जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के डिजाइन को पूरा करने के लिए एनटीपीसी और आईजीसीएआर के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी की है। यह अत्याधुनिक एयूएससी तकनीक सुपरक्रिटिकल और सबक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों की तुलना में काफी अधिक दक्षता और कम उत्सर्जन की पेशकश करके नए उद्योग मानक स्थापित करती है।

बीएचईएल ने देश में पुराने और अकुशल सबक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांटों को बदलने के विकल्प के रूप में लो रेटिंग सुपरक्रिटिकल सेट भी विकसित किया है, जो 30 साल (2030 तक 50 गीगावॉट से अधिक) का अपना आर्थिक जीवन पूरा कर रहे हैं। भविष्य में इन कम रेटिंग वाले सुपरक्रिटिकल सेटों (350 मेगावाट) की आवश्यकता बढ़ सकती है, आगामी विस्तार परियोजनाओं में भूमि की कमी (कम रेटिंग सेटों को 660/800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल सेटों से बदलना) और मौजूदा थर्मल पावर प्लांटों में लचीले संचालन की आवश्यकता को देखते हुए।

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले के गैसीकरण के लिए बीएचईएल की इन–हाउस विकसित पीएफबीजी तकनीक का उपयोग करके हैदराबाद में 0.25 टीपीडी मेथनॉल जेनरेशन प्लांट के स्वदेशी डिजाइन, स्थापना और प्रदर्शन के माध्यम से स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। यह संयंत्र उच्च राख वाले भारतीय कोयले का उपयोग करता है, जो स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए बीएचईएल की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। कंपनी अब कोयला गैसीकरण से उत्पादित सिनगैस का उपयोग करके अन्य फीडस्टॉक रसायनों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इस क्षेत्र में एक ऐसा

*कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद में कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स (सीएफडी) का उत्कृष्टता केंद्र*

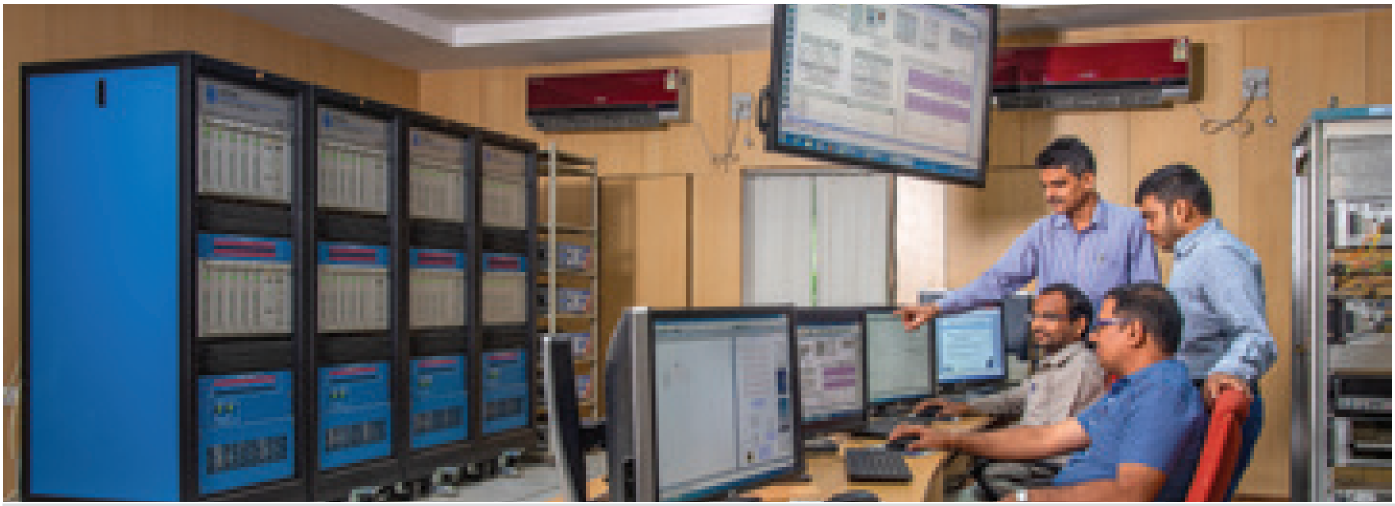

*कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद में उन्नत ट्रांसमिशन सिस्टम उत्कृष्टता केंद्र*

विकास जो रसायनों के आयात पर देश की निर्भरता को काफी कम कर देगा। बीएचईएल कार्बन कैप्चर और इसकी उपयोग प्रौद्योगिकियों के महत्व को भी पहचानता है और इसमें अग्रणी पेशेवर बनने की इच्छा रखता है।

परिवहन क्षेत्र में, बीएचईएल सक्रिय रूप से आत्मनिर्भरता का प्रयास कर रहा है और भारतीय रेलवे के विविध रोलिंग स्टॉक अनुप्रयोगों के लिए उन्नत विद्युत प्रणालियों को डिजाइन और विनिर्माण करने के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ा रहा है। भारतीय रेलवे के साथ घनिष्ठ सहयोग में, BHEL पारंपरिक WAG–7 इंजनों के लिए पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे अनुकूलित समाधान सफलतापूर्वक प्रदान कर रहा है। भारत की पहली वातानुकूलित लोकल ट्रेन के लिए आईजीबीटी–आधारित प्रणोदन प्रणाली और 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे विद्युत देने के लिए रेलवे पटरियों के किनारे सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित किया गया है।

बीएचईएल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम्स डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर (सीएएसडीआईसी), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) एवं अन्य जैसे प्रतिष्ठित ग्राहकों के साथ मिलकर निकट समन्वय में काम करके रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन सहयोगों के माध्यम से, बीएचईएल रणनीतिक उपकरणों और सेवाओं की एक विविध श्रृंखला के विकास और वितरण में योगदान देता है।

संक्षेप में, स्वच्छ स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास, परिवहन प्रणालियों में प्रगति तथा रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में इसकी भागीदारी के प्रति बीएचईएल की प्रतिबद्धता नवाचार, आत्मनिर्भरता और भारत में विभिन्न उद्योगों की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के समर्पण का उदाहरण है।

प्रौद्योगिकी परिदृश्य में बदलाव और नए व्यावसायिक अवसरों की संभावनाओं को पहचानते हुए, बीएचईएल इन–हाउस विकास, शिक्षा जगत के साथ सहयोग और स्थापित उद्योग अग्रणीयों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (टीसीए) के संयोजन के माध्यम से अवसरों का समाधान कर रही है।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बदलाव पहचानते हुए और विभिन्न नए व्यावसायिक क्षेत्रों / अवसरों की ओर ध्यान देने के लिए, बीएचईएल इन–हाउस विकास से अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, साथ ही प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों (टीसीए) के माध्यम से प्रतिष्ठित निर्वाहकों द्वारा प्रौद्योगिकी सहायता के साथ सहयोग प्राप्त कर रहा है। बीएचईएल के पास भारतीय संस्थाओं और वैश्विक इंजीनियरिंग व विनिर्माण अग्रणियों के साथ 13 टीसीए हैं। भारतीय बाजार की आवश्यकताओं के साथ–साथ निर्यात को पूरा करने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों के तेजी से समावेश एवं स्वदेशीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

### चल रहे प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते

### वैश्विक ओईएम के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग

| क्र.सं. | सहयोगी का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|
| 1 | सीमेंस एनर्जी ग्लोबल जीएमबीएच – को. केजी, जर्मनी | स्टीम टर्बाइन, जेनरेटर और लेटरल / एक्सियल कंडेनसर |
| 2 | जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जीएमबीएच, स्विट्जरलैंड | परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्टीम टर्बाइन |
| 3 | लियोनार्डो एस.पी.ए., इटली | सुपर रैपिड गन माउंट 76 / 62 |
| 4 | सुमितोमो एसएचआई एफडब्ल्यू एनर्जी ओवाई फिनलैंड | सबक्रिटिकल और सुपरक्रिटिकल सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर |
| 5 | वाल्मेट ऑटोमेशन ओवाई फिनलैंड | नई पीढ़ी के सी–आई ऑटोमेशन (वितरित नियंत्रण प्रणाली) |
| 6 | मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान | लूप गैस डिसल्फराइजेशन |
| 7 | एचएलबी पावर को., लिमिटेड, कोरिया गणराज्य | गेट्स और डैम्पर्स |
| 8 | वोग्ट पावर इंटरनेशनल इंक, एयूएसए | हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी) |
| 9 | बैबॉक पावर एनवायरनमेंटल एइंक, यूएस | एससीआर प्रणालियाँ डिनोक्स अनुप्रयोग |
| 10 | नैनो को. लिमिटेड, कोरिया गणराज्य | डी–एनओएक्स अनुप्रयोगों के लिए एससीआर उत्प्रेरक |
| 11 | कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान | मेट्रो के लिए स्टेनलेस स्टील के कोच एवं बोगियां |

### भारतीय संस्थाओं के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग

| क्र.सं. | सहयोगी का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) भारत | स्पेस ग्रेड लिथियम ऑयन सेल्स |
| 2. | सीएसआईआर–आईआईपी, देहरादून, भारत | प्रेशर वैक्यूम स्विंग एडसॉर्पसन आधारित ऑक्सीजन संयंत्र (पीवीएसए) |

बीएचईएल कंपनी के भीतर ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के साथ–साथ अपने कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से इसे उन्नत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इंजीनियरिंग को अपने सभी उत्पादों में डिजाइन ओप्टिमाइजेशन एवं समय चक्र (cycle time) को कम करने के लिए एक लक्षित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, जो अंततः लागत में कमी की ओर ले जाएगा।

### 6.2 अनुसंधान एवं विकास संरचना

कंपनी की अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) संरचना का नेतृत्व निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) करते हैं। वे कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन (सीटीएम) तथा कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग द्वारा समर्थित रणनीतिक दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ–साथ कंपनी की समग्र अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। सीटीएम कंपनी की प्रौद्योगिकी रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग इन–हाउस प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के संवर्धन के लिए, बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों में अपने विभिन्न उत्पाद प्रभागों के भीतर समर्पित अनुसंधान एवं उत्पाद विकास (आरपीडी) समूह हैं।

बीएचईएल ने एक सुसज्जित अत्याधुनिक आरएंडडी बुनियादी ढांचा स्थापित किया है, जिसमें कॉर्पोरेट आरएंडडी हैदराबाद (इंटेलिजेंट मशीन और रोबोटिक्स, मशीन डायनेमिक्स, यूएचवी प्रयोगशाला, कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, स्थायी चुंबक मशीनें, आदि), एचपीबीपी तिरुचिरापल्ली (कोयला अनुसंधान केंद्र) और ईडीएन बेंगलुरु (पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईजीबीटी और कंट्रोलर टेक्नोलॉजी) आदि सहित विभिन्न स्थानों पर 14 उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं। कंपनी में 5 विशिष्ट अनुसंधान संस्थान और हैं अर्थात् प्रदूषण नियंत्रण और अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), हरिद्वार, वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई), तिरुच्चि, सिरेमिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीटीआई), बेंगलुरु, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन केंद्र (सीईटी), भोपाल और अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (एएसएससीपी), गुरुग्राम।

उद्योग–शैक्षणिक सहयोग के महत्व को पहचानते हुए, बीएचईएल ने आईआईटी, सीएसआईआर, एआरसीआई, एआरएआई और अन्य सहित देश के प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी की है। ये सहयोग बीएचईएल को चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान करने और उत्पादों और प्रक्रियाओं में सफल विकास के लिए शिक्षा जगत की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल ने संधारिणीय वृद्धि में सहायक उभरते व्यावसायिक अवसरों पर प्रभावी ढंग से ध्यान देने के लिए अपनी अनुसंधान एवं विकास

*कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद में धातुकर्म विभाग में उन्नत सामग्रियों की क्रीप परीक्षण सुविधा*

*वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई), त्रिची में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप*

प्रक्रियाओं को फिर से व्यवस्थित किया है। इससे सुनिश्चित होता है कि बीएचईएल उभरती बाजार जरूरतों के प्रति प्रतिक्रिया देता रहे और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता एवं निरंतर नवाचार के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को अनुकूलित करता रहे।

### 6.3 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

नए और बेहतर उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के विकास के लिए बीएचईएल के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रमुख विकास हुए हैं।

- आईसीएफ चेन्नई के गैर–एसी ईएमयू के लिए इलेक्ट्रिक्स का डिजाइन एवं विकास किया गया। ट्रैक्शन कनवर्टर, सहायक कनवर्टर, ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन प्रणाली (टीसीएमएस) सॉफ्टवेयर एवं रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास 'मेक इन इंडिया' योजना के अनुसार शुरू किया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में प्रोटोटाइप ट्रेन को कमीशन किया गया।
- ~22% की बेंचमार्क दक्षता वाले पैसिवेटेड एमिटर रियर कॉन्टैक्ट (पीईआरसी) मोनो–क्रिस्टलीय सौर सेल स्वदेशी रूप से विकसित किए गए। पीईआरसी टेक्नोलॉजी यानी सिंगल साइड एचिंग, रियर पैसिवेशन स्टैक और लेजर कॉन्टैक्ट ओपनिंग के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रक्रिया चरणों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर बेंचमार्क प्राप्त किया गया है, साथ ही मौजूदा प्रक्रिया चरणों में विशेष रूप से टेक्सचराइजेशन, डिफ्यूजन और एआरसी (एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग) डिपोजिशन में सुधार किया गया है। इन–हाउस विकसित पीईआरसी सेल का उपयोग करके निर्मित मॉड्यूल का परीक्षण किया गया है और फील्ड परीक्षणों के लिए बीएचईएल एएसएससीपी, गुरुग्राम में स्थापित किया गया है।
- लिक्विड फ्यूल बर्निंग टेस्ट फैसिलिटी (एलएफबीटीएफ) में मेथनॉल फायरिंग के प्रदर्शन को सफलतापूर्वक स्थापित और आंकलन किया गया। इसमें कम चिपचिपे मेथनॉल ईंधन के लिए प्रणाली स्थापित करना शामिल है जिसमें मेथनॉल के लिए उपयुक्त दबाव प्रणाली, एटमाइजर, इग्निटर और फ्लेम स्कैनर शामिल हैं और यह थर्मल पावर प्लांट में हल्के डीजल तेल और भारी ईंधन तेल के विकल्प के रूप में मेथनॉल फायरिंग सिस्टम की पेशकश करने में सक्षम होगा।
- बीएचईएल ने इन–हाउस डिजाइन और विकसित सकर रॉड पंपिंग (एसआरपी) यूनिट (जिसे बीम पंपिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है) का उपयोग तेल क्षेत्रों में ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर चीन से आयात किया जाता है।
- आसान असेंबली, असेंबली समय में कमी, डिलीवरी समय में कमी और रखरखाव में आसानी के लिए 6000 एचपी लोकोमोटिव के लिए ट्रैक्शन कन्वर्टर पैनल का डिजाइन सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- हल्के लड़ाकू विमान MK1 के लिए कड़े सैन्य मानकों (ईएमआईईईएमसी, पर्यावरण और विद्युत आपूर्ति परीक्षण) के अनुसार 2 किलोवाट एयर साइकिल मशीन (एसीएम) आधारित लिक्विड कूलिंग सिस्टम (एलसीएस) का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास, विनिर्माण और परीक्षण किया गया।
- 500 एमवीए, 765 / 400 / 33 केवी, 1–फेस इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर (आईसीटी) विकसित किया गया है जो ऑन लोड टैप चेंजर (ओएलटीसी) के बिना, ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों के लिए सीईए मानक विनिर्देश के अनुसार निश्चित आई2 आर लॉस की आवश्यकता को पूरा करता है।
- रणनीतिक अनुप्रयोग के लिए 1000 किलोवाट, 430 वोल्ट, 6 पोल मुख्य मोटर और जेनरेटर (एमएमजी) (सिंगल शाफ्ट पर सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन शामिल है) को डिजाइन और निर्मित किया गया।

- रक्षा अनुप्रयोग के लिए उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) के लिए 100 KVA रोटरी फ्रीक्वेंसी कनवर्टर (आरएफसी) का डिजाइन, विकास, विनिर्माण और टाइप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- बीएचईएल ने थर्मल पावर प्लांटों के लचीले संचालन के लिए इन–हाउस तकनीक विकसित कर इसे एक इकाई में सफलतापूर्वक कमीशन कर निष्पादन मापदंडों का प्रदर्शन किया है।
- एकीकृत कंप्रेसर नियंत्रण प्रणाली का स्वदेशीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। एंटी–सर्ज कंट्रोलर (एएससी) और अन्य संबंधित कंप्रेसर कंट्रोल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर पैकेजों के संपूर्ण विस्तार के सॉफ्टवेयर सिमुलेशन टूल के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और सत्यापन विकास प्रक्रिया में शामिल है। उत्तरी रिफाइनरीज, बैजी इराक परियोजना के लिए एकीकृत कंप्रेसर नियंत्रण प्रणाली की आपूर्ति की गई है।
- ग्रिड फेल होने की स्थिति में क्रिटिकल लोड मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड कनेक्टेड मोड और एसी माइक्रोग्रिड मोड (अर्थात आइलैंडेड मोड) दोनों में संचालित करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के पावर कंडीशनिंग सिस्टम (पीसीएस) के लिए एसी माइक्रो ग्रिड नियंत्रक का डिजाइन और विकास सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। इसमें ब्लैक स्टार्ट क्षमता भी है यानी आइलैंडेड मोड में सेल्फ–स्टार्ट करने की क्षमता।
- रेल व्हील फैक्ट्री में कास्ट स्टील पहियों के निर्माण के लिए सफलतापूर्वक स्वदेशी सिरेमिक पोरिंग ट्यूब और रेल व्हील फैक्ट्री, येलहंका और रेल व्हील प्लांट, बेला दोनों के ऑर्डर पूर्ण किए।
- 630 mm केंद्र ऊंचाई फ्रेम में सबसे बड़ी रेटिंग 2000 KW, 6.6 KV, 8 पोल इंडक्शन मोटर का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण किया गया। यह मोटर 50 Hz के साथ–साथ 60 Hz आपूर्ति आवृत्ति संचालन के लिए उपयुक्त है।
- टर्बाइन चालित जनरेटर अनुप्रयोग के लिए अनुकूलित फ्रेम आकार में 4900 KW, 11 KV, 4 पोल अल्टरनेटर का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण किया गया।
- निम्नलिखित डिजाइन स्वचालन पहल पूरी हो चुकी हैं :–
  - पूर्ण हाइड्रो जेनरेटर – मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वेंटिलेशन डिजाइन को एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में समेकित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप विनिर्माण ड्राविंग और बीओएम के स्वचालित रूप से जनरेट होने के कारण साइकल टाइम में कमी आई है।
  - 400 KV, 3 फेस ऑटोट्रांसफॉर्मर टैंक की नॉलेज आधारित इंजीनियरिंग परियोजना ।
  - वर्टिकल इंडक्शन मोटर्स (2–6 MW, 10–36 पोल)

### 6.4 अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए फोकस क्षेत्र

भविष्य के लिए बीएचईएल के अनुसंधान एवं विकास फोकस में शामिल हैं:

- इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (ईएमयू), उच्च शक्ति वाले लोकोमोटिव और हाई स्पीड ट्रेनसेट के लिए तीन–चरण एसी ड्राइव सिस्टम के क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए संपूर्ण समाधान।
- कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के सफल विकास एवं प्रदर्शन के बाद, विशेष रूप से उच्च राख वाले भारतीय कोयले के लिए, कंपनी सिनगैस से रसायन व हरित ईंधन (मेथनॉल, हाइड्रोजन, आदि) उत्पन्न करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए कार्य कर रही है।
- ईंधन सेल अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद एवं प्रणालियाँ ।
- इलेक्ट्रोलाइजर, ट्रैक्शन प्रोपल्शन सिस्टम, हाइड्रोजन स्टोरेज सिलेंडर–टाइप IV के लिए सीओई और हाइड्रोजन स्टोरेज टाइप–IV सिलेंडर के लिए राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा स्थापित करने की योजना।
- रक्षा और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए एयरो स्ट्रक्चर, समुद्री गैस टर्बाइन, ली–आयन बैटरी सिस्टम, हीट एक्सचेंजर्स आदि जैसे उत्पादों और प्रणालियों का विकास।
- डाउनस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र के लिए उत्पादों का विकास।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए उत्पादों और प्रणालियों का विकास।
- ई–मोबिलिटी इकोसिस्टम (पावर ट्रेन, चार्जिंग स्टेशन आदि सहित) और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए समाधानों का विकास।
- इंटेलिजेंट मशीनों एवं रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों सहित नई प्रौद्योगिकियों की स्थापना के साथ उद्योग 4.0 का अनुप्रयोग।
- डिजिटल सबस्टेशन और उन्नत पावर ट्रांसमिशन के लिए उत्पाद और सिस्टम जैसे $\pm$800kV HVDC, 765 kV, 1200 kV ट्रांसमिशन सिस्टम।

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28 जुलाई, 2023

# अनुलग्नक–VII

## 7.1 उर्जा का संरक्षण

भारी इंजीनियरिंग उपकरण के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी के रूप में, हम अपने परिसर में ऊर्जा प्रबंधन और अपने ग्राहकों को ऊर्जा कुशल तकनीक/उपकरण प्रदान करने के महत्व को समझते हैं। ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं लाना हमारी कंपनी की एक स्थायी विशेषता है और हाल के दिनों में, परियोजनाओं की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिससे हमें मांग पक्ष प्रबंधन में मदद मिली है। हमारी ऊर्जा सघन इकाइयाँ ISO 50001 प्रमाणित हैं। इकाइयों में ऊर्जा ऑडिट में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं की पहचान की गई है और इनके कार्यान्वयन से ऊर्जा लागत में बचत हुई है।

वर्ष के दौरान पूरी की गई कुछ प्रमुख ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- विभिन्न फर्नस के बेहतर इन्सुलेशन और बेहतर डैम्पर परिचालन के साथ संरचनात्मक सुधार, और सीएफएफपी हरिद्वार में पारंपरिक से पुनर्योजी बर्नर–आधारित दहन प्रणाली में उन्नयन, वार्षिक विद्युत मांग में 6.63 मिलियन यूनिट की संभावित कमी के साथ ।
- 34.89 MWP की कुल घरेलू स्थापित सौर क्षमता ने 29.78 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन में मदद की और इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 26,964 मिलियन–समतुल्य कार्बन फुटप्रिंट से बचा गया।
- लगभग 59000 यूनिट की अनुमानित वार्षिक विद्युत मांग में कमी के साथ एफएसआईपी जगदीशपुर में 500 टन मैनुअल प्रेस पर उच्च क्षमता वाले रेसीप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर के स्थान पर सिंगल स्क्रू कंप्रेसर की स्थापना ।

वर्ष में क्रियान्वित विभिन्न ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली प्रति वर्ष विद्युत की मांग में लगभग 83 लाख यूनिट की कमी आई है।

## 7.2 प्रौद्योगिकी समावेशन और अनुसंधान एवं विकास

**अनुसंधान एवं विकास**

| | | |
|---|---|---|
| 1. विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए | } | निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अंतर्गत आर एंड डी एवं प्रौद्योगिक उपलब्धियां अनुबंध. VI में दिया गया है। |
| 2. उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप प्राप्त लाभ | | |
| 3. ध्यान दिए जाने वाले भावी क्षेत्र | | |
| **4. अनुसंधान एवं विकास पर खर्च** | | |
| कुल | -- | ₹ 690.85 करोड़ |
| a) आवर्ती | -- | ₹ 688.97 करोड़ |
| b) पूंजी | -- | ₹ 1.88 करोड़ |
| संपूर्ण कारोबार में व्यय का प्रतिशत | -- | 3% |

**प्रौद्योगिकी समावेशन**

पिछले पांच वर्षो के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण

| प्रौद्योगिकी | आयातित वर्ष | समावेशन स्थिति |
|---|---|---|
| गेट एवं डेम्पर | 2018 | प्रौद्योगिकी समावेशन पूर्ण हो गया है |
| सिलेक्टिव केटेलिटिक रिडक्शन (SCR) केटेलिस्ट | 2018 | प्रौद्योगिकी समावेशन प्रगति पर है |
| एससीआर सिस्टम | 2018 | |
| न्यूक्लियर पीएचडब्ल्यूआर एप्लीकेशन के लिए स्टीम टरबाइन | 2018 | |
| न्यू जेनरेशन सीएण्डआई आटोमेशन | 2020 | |
| सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर | 2022 | |

## 7.3 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(करोड़ रूपये में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| उपयोग में लाई गई विदेशी मुद्रा | 1530 | 1886 |
| कमाई गई विदेशी मुद्रा | 1585 | 2477 |

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

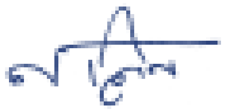

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28 जुलाई, 2023

# हरित ग्रिडः
# नवीकरणीय एवं कोयला आधारित
# विद्युत के बीच तालमेल स्थापित करना

भारत जलवायु परिवर्तन पर अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रगति कर रहा है। विशेष रूप से, ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों से उत्पन्न विद्युत की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, यह परिवर्तन ऊर्जा प्रणाली (पावर ग्रिड) के लिए विशेष रूप से सौर और पवन जैसे नवीकरण ीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत की अनिरंतर होने वाली प्रकृति को संभालने में चुनौतियाँ पैदा करता है।

कोयला आधारित थर्मल पावर के साथ परिवर्तनीय आर ई पावर को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए, बीएचईएल ने कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए आवश्यक रैंप–दरों के साथ लागत प्रभावी लचीले परिचालन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। मेसर्स अदानी के रायगढ़ स्थित 1x600 मेगावाट आरईजीएल प्लांट में कमीशन किया गया यह समाधान (फ्लेक्सिबिलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है) देश में अपनी तरह का प्रथम है और इसे ग्राहकों से सराहना मिली है। लचीले परिचालन समाधानों के कार्यान्वयन के लिए बीएचईएल के पास ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप विशिष्ट और स्वदेशी पेशकशें हैं। कंपनी को इस क्षेत्र में 4 और ऑर्डर मिले हैं।

भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी मौजूदा थर्मल उपयोगिताओं को इस नई ऑपरेटिंग फ्लेक्सी व्यवस्था के लिए तैयार करना अनिवार्य कर दिया है। उपयोगिताओं को जनवरी 2024 तक आवश्यक रैंप दरों के साथ 55% प्रौद्योगिकी न्यूनतम भार की आवश्यकता का अनुपालन करना होगा। इसके अलावा, परिभाषित रैंप दरों के साथ 40% प्रौद्योगिकी न्यूनतम भार प्राप्त करने के लिए, सीईए ने संबंधित उपयोगिताओं के विभिन्न टीपीपी के लिए आयु वार चरणबद्ध योजना को परिभाषित किया है।

# निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक – VIII

### 8.1 राजभाषा कार्यान्वयन

बीएचईएल राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी सभी इकाइयों/प्रभागों/कार्यालयों में राजभाषा कक्ष स्थापित किए गए हैं और इन सभी कक्षों में राजभाषा अधिकारी कार्यरत हैं। सभी इकाइयों/प्रभागों/कार्यालयों में इकाई/प्रभागों/कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी इकाइयों/प्रभागों में नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित की गई हैं। वर्ष के दौरान बीएचईएल में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जिनमें लगभग 4500 कर्मचारियों ने भाग लिया। कंपनी में कुल 17 हिंदी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। बीएचईएल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित मेमोरी आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' और इसके मोबाइल–ऐप की परीक्षण समिति में एक सदस्य के रूप में भी योगदान दे रहा है।

विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर कंपनी की सभी इकाइयों/प्रभागों में विभिन्न प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के तत्वावधान में कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी इकाइयों/प्रभागों/कार्यालयों में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह मनाया गया। इन समारोहों के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं, सेमिनारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कवि सम्मेलनों का आयोजन किया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय सहित दिल्ली–एनसीआर स्थित सभी कार्यालयों में 'राजभाषा उल्लास पर्व' मनाया गया।

एक अनूठी पहल में, 1981 में बीएचईएल द्वारा शुरू की गई क्वालिटी सर्कल की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, बीएचईएल ने पिछले दो वर्षों में कंपनी में राजभाषा चक्र की शुरुआत की है। कर्मचारियों को अपने दैनिक आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए 100 से अधिक राजभाषा चक्रों का गठन किया गया है, जिससे कंपनी भर में हिंदी के उपयोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कंपनी में राजभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी की सभी इकाइयों/प्रभागों/कार्यालयों में कई प्रतियोगिताएं/कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान, माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने बीएचईएल की 7 इकाइयों/प्रभागों का निरीक्षण किया और इस प्रयास में बीएचईएल के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया और सराहना की। बीएचईएल विभिन्न शहरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इन समितियों के तत्वावधान में कई प्रतियोगिताएं, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बीएचईएल अपने परिसर में प्रतियोगिताओं और नराकास की अन्य गतिविधियों के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

### 8.2 सतर्कता प्रणाली

बीएचईएल में गुड अभिशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन किया जाता है ताकि निर्णय निर्माताओं के कामकाज में उच्चतम स्तर

*कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी इकाइयों/प्रभागों/कार्यालयों में राजभाषा उल्लास पर्व मनाया गया*

*बीएचईएल में 2022 में मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सतर्कता सार–संग्रह 'विश्लेषण' का विमोचन*

की अखंडता सुनिश्चित की जा सके। कंपनी के पास एक पूर्ण निगरानी तंत्र मौजूद है। बीएचईएल के सतर्कता कार्य का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करता है, जो कंपनी में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है। बीएचईएल की प्रत्येक विनिर्माण इकाई/पावर सेक्टर क्षेत्र/उद्योग क्षेत्र में एक सतर्कता व्यवस्था है, जिसका नेतृत्व सीवीओ को रिपोर्ट करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी करता है।

बीएचईएल में सतर्कता तंत्र कंपनी के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए कर्मचारियों को ईमानदारी, दक्षता, पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए समान वातावरण की सुविधा प्रदान करता है। सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति और दृष्टिकोण अपनाया है।

निवारक सतर्कता बीएचईएल का फोकस क्षेत्र रहा है, क्योंकि दंडात्मक सतर्कता की तुलना में सक्रिय सतर्कता भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं को कम करने का एक बेहतर उपकरण है। निवारक सतर्कता का मुख्य उद्देश्य सिस्टम में खामियों को दूर करके निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अस्पष्टता और विवेक को कम करना है, जिससे कदाचार के दायरे को कम करने के लिए प्रक्रिया को और अधिक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाया जा सके। वर्ष के दौरान, इकाइयों में अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कॉर्पोरेट सतर्कता टीम द्वारा इकाइयों/क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया।

संगठन में गतिविधियों की यादृच्छिक जांच औचक निरीक्षण, सिस्टम अध्ययन, सीटीई प्रकार के निरीक्षण आदि के माध्यम से की गई। इन जांच के निष्कर्षों के आधार पर, विवेकाधीन शक्तियों को कम करने और स्पष्टता लाने के लिए सिस्टम सुधार/सुधार का सुझाव दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप नीतियों/दिशानिर्देशों की गलत व्याख्या की गुंजाइश भी कम हो जाएगी।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 2982 कर्मचारियों (सीडीए नियमों के तहत कवर किए गए लगभग 20% कर्मचारी) के वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच की गई। वर्ष के दौरान, इकाइयों/क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता पर 124 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, 36 मामलों की जांच की गई, 58 शास्ति (16 बड़े और 42 छोटे) लगाई गई और 47 चेतावनी/परामर्श पत्र भी जारी किए गए। इसके अलावा, 196 शिकायतों (वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त 190) में से 191 का निपटारा कर दिया गया और शेष निपटान के विभिन्न चरणों में हैं। विजिलेंस की सलाह पर विभिन्न एजेंसियों, कर्मचारियों, विक्रेताओं और संविदाकारों से ₹ 68.91 लाख (लगभग) की वसूली की गई है।

सीवीसी द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 2022 को जारी परिपत्र संख्या 20/09/2022 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक ''भ्रष्टाचार मुक्त भारत – विकसित भारत" थीम के साथ मनाया गया। लिंक 'अखंडता प्रतिज्ञा' (https://pledge.cvc.nic.in) बीएचईएल इंटरनेट पर होस्ट की गई थी, और विभिन्न विनिर्माण इकाइयों/क्षेत्रों/कार्यालयों की सभी इंट्रानेट साइटों और सभी हितधारकों को अखंडता प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

सतर्कता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कर्मचारियों, उनके आश्रितों और स्कूलों/कॉलेज के छात्रों के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम यानी वाद–विवाद, भाषण, पैनल चर्चा, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, नारे/पोस्टर प्रतियोगिता आदि आयोजित किए गए। भारत भर के विभिन्न शहरों से इन प्रतियोगिताओं में लगभग 1500 कर्मचारियों ने भाग लिया। गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त संदेश और वीएडब्ल्यू–2022 के दौरान

आयोजित गतिविधियों की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गईं ।

सतर्कता विभाग खरीद नीति, नियमों और प्रक्रियाओं आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने, सीवीसी और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का प्रसार करने और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों, केस अध्ययनों और लेखों को साझा करने के उद्देश्य से त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर 'दिशा' प्रकाशित करता है। वर्ष के दौरान चार अंक प्रकाशित किए गए और 2013 से अब तक चालीस अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। ई–न्यूजलेटर को व्यापक प्रचार दिया गया है, और सभी कर्मचारियों को ई–मेल के माध्यम से भेजा जाता है और बीएचईएल की इकाइयों/क्षेत्र इंट्रानेट वेबपेज पर भी होस्ट किया जाता है।

### 8.3 स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण एचएसई

कर्मचारी किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़ी संपत्ति हैं, और उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख निर्धारक हैं। बीएचईएल में, हम अपनी सभी गतिविधियों में, विशेषकर अपने कार्यबल के लिए 'शून्य–नुकसान' हेतु हरसंभव प्रयास करते हैं। बीएचईएल के पास ISO 14001 और ISO 45001 प्रमाणन मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक अच्छी तरह से स्थापित और आसानी से सुलभ 'स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण' (एचएसई) नीति है। बीएचईएल में जोखिम प्रबंधन के लिए एचआईआरए (खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन), जेएसए (जॉब सेफ्टी एनालिसिस), मेथड स्टेटमेंट आदि प्रक्रियाओं और तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

सर्वोत्तम सुरक्षा तरीकों की समीक्षा और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक और बाहरी एजेंसियों द्वारा समय–समय पर ऑडिट किए जाते हैं। बीएचईएल ने निर्माण श्रमिकों को प्रेरण स्तर और नौकरी विशिष्ट सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख परियोजना स्थलों पर सुरक्षा पार्क भी स्थापित किए हैं। सभी साइटों पर प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ प्राथमिक चिकित्सा बक्से और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की सुविधाएं हैं।

सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर संरचित प्रशिक्षणों के अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से शुरू होकर 4 से 17 मार्च 2023 के दौरान पूरे संगठन में 'बीएचईएल सुरक्षा पखवाड़ा–2023' के रूप में एक विशेष मुहिम चलाई गई थी । सुरक्षा मुहिमों में अधिक भागीदारी के लिए अन्य एचएसई मुहिम भी बड़े पैमाने पर चलाई गई, जैसे बीएचईएल पर्यावरण माह (5 जून – 04 जुलाई, 2022), स्वच्छता पखवाड़ा (16 – 31 अगस्त 2022), आदि । पुरस्कार योजनाएं जैसे कि सबसे लंबी दुर्घटना मुक्त अवधि, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा परियोजना को इकाइयों/प्रभागों/क्षेत्रों में अपने डोमेन क्षेत्र के सुरक्षा पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु शुरू किया गया।

बीएचईएल को इन प्रयासों की मान्यता के रूप में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारों में 'इंजीनियरिंग क्षेत्र में एपेक्स इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स 2022 के तहत स्वर्ण पुरस्कार' और 'गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार–2022' शामिल हैं।

उपरोक्त प्रयास तैनात मानव संसाधन के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए कंपनी के निरंतर प्रयास को दर्शाते हैं।

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28 जुलाई, 2023

# निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक-IX

## फार्म एओसी-I

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधानों के अनुसरण में)
सहायक कंपनियों / सहभागी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताएं

### भाग कः सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी का विवरण करोड़ रूपए की राशि में)

| | |
|---|---|
| 1. क्र.सं. | लागू नहीं |
| 2. सहायक कंपनी का नाम | |
| 3. उस तारीख से जब सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था। | |
| 4. संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी के रिपोर्टिंग समय से भिन्न हो। | |
| 5. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर। | |
| 6. शेयर पूंजी | |
| 7. आरक्षित और अधिशेष | |
| 8. कुल संपत्ति | |
| 9. कुल देनदारियां | |
| 10. निवेश | |
| 11. कारोबार | |
| 12. कराधान से पूर्व लाभ | |
| 13. कराधान के लिए प्रावधान | |
| 14. कराधान के बाद लाभ | |
| 15. प्रस्तावित लाभांश | |
| 16. शेयरधारिता का % | |

| | |
|---|---|
| 1. सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अब तक परिचालन शुरू नहीं किया है | शून्य |
| 2. सहायक कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया या बेचा गया | शून्य |

# भाग "ख" : सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

(₹ करोड़ में)

| संयुक्त उद्यम के नाम | बीएचईएल– जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड |
|---|---|---|---|
| 1. नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र की दिनांक | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 |
| 2. वह दिनांक जिसमे संबद्ध या संयुक्त उद्यम का संबंद्धीकरण या अधिग्रहण किया गया था | 5 मई, 1997 | 28 अप्रैल, 2008 | 15 अप्रैल, 2009 |
| 3. वर्ष के अंत में बीएचईएल के द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर | | | |
| सं. | 2379999 | 50000000 | 664040000 |
| निवेश की राशि | 2.38 | 50.00 | 664.04 |
| होल्डिंग प्रतिशत की सीमा | एक शेयर घटा 50% | 50% | 22.14% |
| 4. महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण | संयुक्त नियंत्रित इकाइयां | | |
| 5. सहयोगी/संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं होने का कारण | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 6. नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धारिता के लिए कारण नेटवर्थ | 232.29* | शून्य | शून्य |
| 7. वर्ष के लिए लाभ/हानि | इक्विटी मैथर्ड के अनुसार | | |
| i. समेकन में विचार किया गया | 56.02 | शून्य | शून्य |
| ii. समेकन में विचार नहीं किया गया | - | (2.75) | (246.77) |

*वित्त वर्ष 2022.23 के अंत तक

कोष्ठक मे दिए गए अंक ऋणात्मक हैं। आरपीसीएल में, बीएचईएल द्वारा अपने नॉमिनी के नाम पर 300 शेयर भी रखे गए हैं।

मैसर्स पावर प्लांट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लिमिटेड परिसमापन के अधीन है। इसलिए इस पर समेकन हेतु विचार नहीं किया गया है। इस संयुक्त उद्यम में रु. 2.00 करोड़ की राशि का प्रावधान निवेश हेतु किया गया है।

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

**(राजीव कालड़ा)**
कंपनी सचिव
M. No. 14567

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एंड डी),
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार
DIN: 09703643

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 01176857

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 315104E

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
M No. 053714

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 008567C

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
M. No. 404531

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 000709C/C400277

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
M. No. 406044

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# फार्म सं. एओसी–2

**अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में**

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र जिसमें तृतीय प्रावधान के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन–देन (आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन) शामिल हैं।**

**1. ठेके/अनुबंधों/लेन–देन के विवरण, आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | संबंधित पक्ष का/के नाम एवं संबंध का स्वरूप | : | शून्य |
| (b) | ठेके/व्यवस्थाओं/लेन–देन का स्वरूप | : | शून्य |
| (c) | ठेकों या व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि | : | शून्य |
| (d) | ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की विशिष्ट शर्तें, मूल्य सहित अगर हो तो | : | शून्य |
| (e) | इन ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन | : | शून्य |
| (f) | निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि | : | शून्य |
| (g) | अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, | : | शून्य |
| (h) | वह दिनांक जब आम सभा मे प्रस्ताव पारित हुआ, जैसा कि खंड 188 के अंतर्गत वांछित | : | शून्य |

**2. सामग्री संबंधी ठेकों या अनुबंधों या लेन–देन के विवरण, आर्म्स लेंथ आधार**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | संबंधित पार्टी के नाम एवं संबंध का स्वरूप | : | शून्य |
| (b) | ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन–देन का प्रकृति | : | शून्य |
| (c) | ठेकों या व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि | : | शून्य |
| (d) | ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की विशिष्ट शर्तें, मूल्य सहित, अगर हो तो | : | शून्य |
| (e) | निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि/तिथियां अगर हों तो | : | शून्य |
| (f) | अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, अगर हो तो | : | शून्य |

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए
**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**

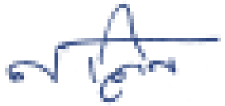

**डॉ. नलिन सिंघल**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2023

# निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक-X

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**सेवा में सदस्यगण**

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**

### एकल वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

#### राय

हमने यहां **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ('कंपनी')** के संलग्न एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन पत्र तथा 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित) तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण एवं वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है, के सारांश की लेखा परीक्षा की है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों के नोट भी दिया गया है (इसके पश्चात इसे "एकल वितीय विवरण" कहा जाएगा) जिसे लेखा परीक्षा की तिथि को / पर समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारे द्वारा तैयार किया गया है। 19 शाखाओं का ऑडिट हमारे द्वारा किया गया और 10 शाखाओं का ऑडिट कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") में अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं और यथा संशोधित कंपनीज (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, के साथ पाठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, (इंड एएस) एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2023 को कंपनी की स्थिति तथा इसी दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाह को यथार्थ व उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

#### राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां खंड में वर्णित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी आचार संहिता के साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और इससे आधरित नियमों के प्रवधानों के अंतर्गत एकल वितीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्कताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उचित हैं।

#### मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा विषय वे विषय हैं जो कि हमारे व्यावसायिक मतानुसार वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों पर राय बनाते हुए एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में पूर्णतः समाधान किया गया और हमें इन विषयों पर और कोई राय नहीं देनी है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा विषयों के नीचे वर्णित मामलों का उल्लेख किया है।

| मुख्य लेखा परीक्षा विषय | लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया |
|---|---|
| ***इंड एएस 115 के अंतर्गत "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के सम्बंध मे राजस्व एवं अन्य शेषों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति की सटीकता।***<br><br>इन राजस्व लेखा मानकों के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों का चिह्नित करना, चिह्नित विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लेन–देन मूल्य का निर्धारण, एक आधार अवधि में मान्य राजस्व के मापन के आधार की उपयुक्तता, वित्तीय विवरणों में शेष के प्रस्तुतीकरण सहित प्रकटीकरण से संबंधित कतिपय मुख्य निर्णय शामिल हैं।<br><br>आकलित प्रयास राजस्व निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण आकलन है क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयासों, शेष निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है।<br><br>एकल वित्तीय विवरणों के **नोट 40 को देखें।** | ***प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं***<br><br>आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैः<br><br>• पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई जानकारी रचना प्रक्रिया पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।<br>• मौजूदा जारी अनुबंधों और नए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर विशिष्ट निष्पादन दायित्व और लेन–देन मूल्य का निर्धारण से संबधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया।<br>• इंड एएस 115 के अनुरूप राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में अनुप्रयुक्त लेखांकन प्रणालियों और अनुबंधों एवं इससे संबद्ध सूचनाओं में परिवर्तन के संगत सूचनाओं का परीक्षण किया, जिनका नए राजस्व लेखा मानकों के अनुसार का खुलासा करने और अभिलेखबद्ध करने में प्रयोग किया गया।<br>• महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान के लिए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर समीक्षा की गई, जिसमें कि शेष निष्पादन दायित्व को पूर्ण करने में आकलित प्रयासों को बदलने की आवश्यकता है।<br>• तर्कसंगतता और अन्य संबंधित सामग्री मदों के ब्योरों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया गया। |
| ***व्यापार प्राप्य एवं अनुबंध संपत्तियों का मूल्यांकन वसूली की संभावना***<br><br>31 मार्च, 2023 के अंत में कंपनी के पास ₹29,740.03 करोड़ (निवल) की अनुबंध संपत्तियां तथा ₹6,543.89 करोड़ के व्यापार प्राप्य बकाया हैं।<br><br>यह शेष इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधो से राजस्व" के अनुसार पूर्ण हुए अनुबंधों और चालू अनुबंधो के लिए मान्य राजस्व से संबंधित हैं। इसके आकार और प्रबंधकीय निर्णय के उच्च स्तरीय होने के कारण इसकी वसूली की संभावना का आकलन एक मुख्य लेखा विषय है।<br><br>एकल वित्तीय विवरणों के **नोट 6, 9, 40 को देखें।** | ***प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया***<br><br>अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य के राजस्व मान्यता और समीक्षा तंत्र के लिए हमने कंपनी की आतंरिक प्रक्रिया का आकलन किया है। आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैः<br><br>• ग्राहकों के साथ बीजक बनाने की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया।<br>• परियोजनावार बकाया विवरण और प्रबंधन द्वारा इसके समीक्षा तंत्र की सूची को प्राप्त किया।<br>• अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की क्षति पर कंपनी के दिशानिर्देशों और नीतियों की समीक्षा की।<br>• सैंपल आधार पर वर्ष के अंत में अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की<br>एजिंग की सटीकता की जांच की।<br>• तर्कसंगतता, वसूली की संभावना और अन्य संबंधित सामग्री मदों के विवरणों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया |

| मुख्य लेखा परीक्षा विषय | लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया |
|---|---|
| *आकस्मिक देयता का आकलन*<br><br>कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है।<br><br>हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त<br><br>क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तद्नुसार, हमारी लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों के विश्लेषण और शामिल कानून के निर्णय व्याख्या पर केंद्रित थी।<br><br>(एकल वित्तीय विवरण के **नोट 32 को देखें।**) | *प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रिया*<br><br>लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:<br>• दावों या विवादों के संबंध में प्रबंधन की विस्तृत समझ प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को प्राप्त करना<br>• चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाएं करना:<br>• प्रबंधन बैठक के पत्राचार, संचार, कार्यवृत्त को पढ़कर मामलों को समझना<br>• स्थिति अद्यतन, आधार के साथ परिणामों की अपेक्षा, और कंपनी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के भविष्य के पाठ्यक्रम सहित प्रबंधन कर्मियों के उचित स्तर के साथ पुष्टि संबंधी पूछताछ करना, और प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय, यदि कोई हो, का अवलोकन करना।<br>• कंपनी के कानूनी वकीलों से सीधे पुष्टि प्राप्त करना और परिणामों की उनकी राय/संभाव्यता मूल्यांकन पर विचार करना।<br>• संभावित परिणामों और अनुमानों की तर्कसंगतता के बारे में प्रबंधन के निर्णय का समर्थन करने वाले साक्ष्य का मूल्यांकन करना।<br>• लागू लेखा मानकों के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। |

## एकल वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाएं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधकीय परिचर्चा व विश्लेषण में सम्मिलित की गई जानकारी, निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन तथा शेयरधारकों की सूचना आती है परंतु एकल वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं होती है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएंगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर कोई आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए ध्यान रखना कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाएं कहीं असंगत तो नहीं हैं अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हमें ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो हम उसे पढ़ते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि यह अन्य सूचना सारतः अनुचित कथित है, तो हमें प्रशासन प्रभारियों को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

## एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार किए जाने हेतु उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और इंड एएस के अनुरूप कंपनी के वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हों। इस उत्तरदायित्व में ऐसे पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी सम्मिलित है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को पता लगाने और रोकने हेतु उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग उचित और विवेकपूर्ण आकलन और निर्णय लेने एवं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के मूर्त अनुचित कथन से मुक्त तथा वास्तविक और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत कराने वाले वित्तीय विवरणों के निर्माण और प्रस्तुतीकरण हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव हेतु प्रासंगिक हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह को एक उन्नतिशील व्यावसायिक इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए समूह की योग्यता का आकलन करने, क्रियाशील इकाई से संबन्धित जानकारियां यथा आवश्यक प्रकटीकरण करने

और जब तक प्रबंधन समूह के परिसमापन या परिचालन रोकने की मंशा न रखती हो अथवा इसके अतिरिक्त कोई यथार्थ कारण न हो, तब तक समूह को लेखांकन का आधार बनाने के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

## एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले सारतः त्रुटिपूर्ण कथन से समग्र रूप में मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण सदैव किसी सारतः त्रुटिपूर्ण कथन का पता लगा ही लेगा, यदि कोई हो तो। त्रुटिपूर्ण कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें संदेहास्पद माना जाता है, यदि, एकल रूप में या कुल मिलाकर, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप में प्रभावित करना प्रत्याशित है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, पूरे लेखा परीक्षण के दौरान हम पेशेवर तरीके से निर्णय लेते हैं और पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारतः गलत कथन, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, की पहचान करना और जोखिमों को आंकना और इन जोखिमों के अनुक्रियाशील लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को पूरा करना, और लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो कि हमारी राय के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप सारतः गलत कथन को न खोज पाने का जोखिम, गलती के परिणामस्वरूप से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल–साजी, जानबूझकर की गई चूकें, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी किया जाता है।
- परिस्थितियों के अनुसार लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के अनुसार, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन में प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या कुछ ऐसी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है, जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना होगा या हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक की दिनांक तक की रिपोर्ट से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी की चिंता का विषय बनी रह सकती है।
- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और व्यवसाय को उचित रूप में दर्शाते हैं।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का परिमाण है जो, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकता हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई किसी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षण के प्लान किए स्कोप तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई कमियों को शामिल करते हैं, जो लेखा परीक्षण के दौरान हमारी नजर में आती हैं।

हम उन आरोपों को भी इस उल्लेख के साथ अभिशासन प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है,और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता जहां लागू हो, वहां सुरक्षा संबंधी उपायों पर निर्भर करते हैं, को संप्रेषित करते हैं।

बताए गए मामलों में से जिन मामलों में अभिशासन पर आरोप लगाए गए हैं, हम उन मामलों को मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों के रूप निर्धारित करते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों को तब तक रखते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम होंगें और इस तरह के जिक्र से लोकहित प्रभावित होगा।

**अन्य विषयः**

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरण में शामिल 10 (दस) वित्तीय विवरणों/सूचनाओं को लेखा परीक्षण नहीं किया था जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2023 को रु. 35883 करोड़ की कुल संपत्ति और उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए रु. 12805 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में दर्शाया गया था। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारियों की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई जिनकी रिपोर्ट हमें भेजी गई और ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन पर हमारी राय प्रस्तुत की गई।

**हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।**

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट :

(1) अधिनियम के खंड 143 के उपखंड (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्ननक क" प्रस्तुत करते हैं।

(2) अधिनियम के खंड 143 (3) के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट देते हैं किः

क. जहां तक हमें जानकारी और विश्वास है, हमने लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं विवरण प्राप्त कर लिए हैं।

ख. हमारे विचार से, कंपनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि हमें इन बहियों की जांच में मिला है और हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो गई है।

ग. शाखा लेखा परीक्षकों के द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखा की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है और रिपोर्ट करते समय हमारे साथ सही तरीके से विचार विमर्श किया गया है।

घ. इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा जांचे गए तुलन पत्र (अन्य व्यापक आय) सहित लाभ एवं हानि खाता विवरण तथा इक्विटी लेन–देन में परिवर्तन और हमारे द्वारा इस दौरान की गई शाखाओं से प्राप्त जानकारियों के अनुसार है।

ड. हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता हैं।

- एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) जो इस बारे में है कि किसी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।
- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उचितता के संबंध में और इस तरह के परिचालन प्रभाव के संबंध में नियंत्रण, "अनुबंध ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- अन्य विषयों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं:

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है। वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 32 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंध पर, सामग्री के संभावित नुकसान (यदि कोई हो) के लिए लागू कानून और लेखा मानकों के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया है। वित्तीय विवरणों पर नोट 39 का संदर्भ लें।

iii. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv. प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी/फंडिंग पार्टी द्वारा इस समझ के साथ कोई धनराशि अग्रिम/प्राप्त या ऋण या निवेश नहीं किया गया है कि मध्यस्थ किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा।

iv. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 31 में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

v. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(3) इस अधिनियम की धारा 143 (5) में अपेक्षित, हमने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर विचार किया है, उसके बाद उसी के अनुसार कार्य किया है और उसका प्रभाव कंपनी के लेखा एवं वित्तीय विवरण **"अनुबंध ग"** पर आया है।

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

## (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि की हमारी रिपोर्ट "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" के तहत दी गई है, पैरा–1 में यथा उल्लिखित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण एवं लेखा पुस्तकों व लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, हम निम्नलिखित बता रहें हैं:

i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

क. अ. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ब. कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी के पास तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए सत्यापन का कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित है।. कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड, अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, सिवाय इसके कि नोट 3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अतिरिक्त प्रकटीकरण में खुलासा किया गया है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

ii) (अ) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री (तृतीय पक्ष के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। तीसरे पक्ष के पास पड़ी सूची के संबंध में, उनके द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्टि की गई है। स्टोर और पुर्जों की सूची के संबंध में, प्रबंधन के पास एक सत्यापन कार्यक्रम है जिसमें तीन साल की अवधि में वस्तुओं को कवर करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं के साथ डिजाइन किया गया है, जो हमारी राय में उपयुक्त है। पुस्तक अभिलेखों की तुलना में मालसूची के भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं।

(ब) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक अभिलेखों के अनुसार, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से संघ वित्त के तहत वर्ष के दौरान ₹ 60,000 करोड़ (फंड बेस्ड लिमिट ₹ 6,000 करोड़, नॉन फंड बेस्ड लिमिट लेटर ऑफ क्रेडिट ₹ 3,000 करोड़ और बैंक गारंटी ₹ 51,000 करोड़) की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। हमारे द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दायर की गई तिमाही रिटर्न या स्टेटमेंट कंपनी के खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii) (a-A, B), (iii) (b), (iii) (c), (iii) (d), iii) (e) और iii (f) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जीएसआर दिनांक 05.06.2015 के आलोक में निवेशकों को संबंधी अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं होती। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियम 2014 (जमा की स्वीकृति) के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अर्थ में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi) हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विहित कंपनी (लागत रिकार्ड्स एवं लेखा) नियम, 2014 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा रखी गई लेखा पुस्तिकाओं तथा कंपनी के रिकार्डों का व्यापक निरीक्षण किया और हमारी राय में कंपनी ने निर्धारित लेखा एवं रिकार्ड्स को संरक्षित रखा है। तथापि, इन लेखों और लागत रिकार्डों की विस्तृत जांच की न तो हमारी अपेक्षा है और न ही हमने की है।

vii) (अ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रस्तुत की गई तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों पर यथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को जमा कर रही है।

(ब) माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर,उपकर और किसी भी अन्य सांविधिक देय राशि के संबंध में 31 मार्च, 2022 को उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय कोई निर्विवाद राशि नहीं थी।

(स) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, माल एवं सेवा कर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर का विवरण, जो विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

| क्र. सं. | सांविधिक प्रावधान का नाम | देयताओं की प्रकृति | लंबित राशि | विरोध के अधीन की गई राशि | जमा नहीं हुई राशि | फोरम जहां विवाद लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, विभिन्न राज्यों के मूल्य वर्धित कर और बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर, वैट | 125.27 | 12.44 | 112.83 | निर्धारण अधिकारी |
| | | | 515.34 | 105.69 | 409.65 | उप. आयुक्त/ संयुक्त। आयुक्त/ आयुक्त (अपील) |
| | | | 231.83 | 92.36 | 139.47 | अपीलीय न्यायाधिकरण |
| | | | 36.96 | 1.67 | 35.29 | उच्च न्यायालय |
| | | | 4.84 | 4.84 | - | निर्धारण अधिकारी |
| 2 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 | उत्पाद कर | 43.79 | - | 43.79 | निर्धारण अधिकारी |
| | | | 5.60 | 0.10 | 5.50 | आयुक्त (अपील) |
| | | | 93.08 | 5.22 | 87.86 | अपीलीय न्यायाधिकरण |
| | | | 27.49 | - | 27.49 | उच्च न्यायालय |
| 3 | वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन | सेवा कर | 4.59 | 0.47 | 4.12 | आयुक्त (अपील)/अन्य अपीलीय प्राधिकारी |
| | | | 524.26 | 11.87 | 512.39 | अपीलीय न्यायाधिकार |
| 4 | सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 | कस्टम ड्यूटी | 5.80 | 5.80 | - | उच्च न्यायालय |
| | | | 18.36 | 0.01 | 18.35 | आयुक्त (अपील)/अन्य अपीलीय प्राधिकारी |
| 5 | जीएसटी एक्ट | जीएसटी | 4.14 | 0.18 | 3.96 | आयुक्त (अपील) |
| 6 | आयकर | आयकर | 0.43 | 0.43 | - | आयुक्त (अपील) |
| 7 | आयकर (विदेश) | आयकर | 13.87 | - | 13.87 | आकलन प्राधिकरण (लीबिया) |
| | | | 10.30 | - | 10.30 | रवांडा अपील न्यायालय |

viii) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किए गए खातों की पुस्तकों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।

ix) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

क) कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा घोषित विलफुल डिफॉल्टर नहीं है।

ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं, और कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी फंड का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने सहायक, सहयोगियों या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा लागू की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

x) (क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (इ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi) (क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान नोटिस किया गया है या रिपोर्ट किया गया है, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे मामले की सूचना दी गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमने ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और विस्तार का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को/यान में रखा है।

xii) चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड संख्या 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां कहीं भी लागू हो और वित्तीय विवरण में विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लागू लेखा मानक द्वारा आवश्यक है।

xiv) (क) हमारी राय में और जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अब तक जारी कंपनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लेखापरीक्षा की अवधि के लिए विचार किया है।

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों या उसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xvi) (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (a), (b) एवं (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, कंपनी कोर निवेश कंपनी नहीं है और इसलिए क्लॉज 3 (xvi) (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii) कंपनी को चालू और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix) वित्तीय अनुपात, काल प्रभाव तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियों एवं वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल व प्रबंधन के हमारे ज्ञान के संबंध में हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर योजनाओं, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी 31 मार्च 2022 तक मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है एवं जब वे एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं।

xx) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारः

(क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची

VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरण की आवश्यकता वाली चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधानों के अनुपालन में उपरोक्त वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# अनुलग्नक–ख भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक दिनांक को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

**हमने समसंख्यक तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (''कंपनी'') की 31 मार्च 2023 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।**

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने कि लिए जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव, जिसके अंतर्गत क्रमबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जो कि अपने व्यापार का कुशल एवं प्रभावी ढंग से परिचालन किया जा रहा था, जिसमे सम्मिलित हैं – कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियां, सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता का पता लगाना और कंपनी अधिनियम 2013, के अंतर्गत अपेक्षानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना।

## लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करने के लिए है। हम अपना लेखा परीक्षण लेखापरीक्षा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस नोट) पर लेखा परीक्षण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाइडेंस नोट के अनुसार संचालित करते हैं, जो इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गईं हों और आईसीएआई द्वारा जारी की गईं हों। उन मानकों और गाइडेंस नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और लेखापरीक्षा की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें, उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और व्यवस्थित किया गया था और सभी भौतिक पहलुओं में इस तरह का प्रभावी ढंग से नियंत्रण संचालित है।

हमारी आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग को नियंत्रित करती है, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री दोष के जोखिम का निर्धारण करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर डिजाइन का परीक्षण और मूल्यांकन तथा आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी परिचालन शामिल है। चुनी हुई प्रतिक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरण को गलत दर्शाए जाने के जोखिम का निर्धारण भी शामिल है, चाहे कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि जो लेखा परीक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं और अन्य मामले पैराग्राफ में नीचे दी गई अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में उनके द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक डिजाइन की गई प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है, जो (1) ऐसे रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जिसमें कंपनी की सम्पत्तियों का विवरण पर्याप्त, सही और उचित रूप में दर्शाया गया है। (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेन–देन आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और कहां कि प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाने या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति खराब हो सकती है।

## राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे ।

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एकल) के वर्ष 2022–23 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा (ऑडिट) के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश**

| क्र.सं. | जांच किए गए क्षेत्र | सुझाए गए उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई सिस्टम है। यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के संसाधित करने का वित्तीय लेनदेन सहित खातों की यथार्थता पर प्रभाव, यदि कोई हो तो बताएं। | हां, कंपनी के सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। प्रत्येक विभाग अलग–अलग लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर हमने पाया कि, जो भी लेखा लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर के किए गए हैं, उनमें लेखाओं की सत्यनिष्ठा की में किसी भी प्रकार कि कमी और वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा/रिपोर्ट किया गया है। |
| 2 | क्या कंपनी द्वारा कर्ज चुकाने में अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा वर्तमान ऋण का कोई रि–स्ट्रक्चरिंग किया गया है या देनदारी, ऋण, ब्याज आदि को बट्टा खाता में लिखा है/ छूट के प्रकरण हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकार कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)। | हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॅार्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की कोई रि–स्ट्रक्चरिंग/वेवर/राइट ऑफ नहीं किया गया है ब्याज नहीं लगाया गया है। |
| 3 | क्या किसी केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियम और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग किया गया है? जिन मामलों में भिन्नता हो उनका उल्लेख करें। | केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त की गई निधि को उसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग किया गया है। |

| **एबीपी और एसोसिएट्स के लिए** | **पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए** | **एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए** |
|---|---|---|
| चार्टर्ड अकाउंटेंट | चार्टर्ड अकाउंटेंट | चार्टर्ड अकाउंटेंट |
| **FRN - 315104E** | **FRN - 008567C** | **FRN - 000709C/C400277** |
| (बिमल कुमार चंदुका) | (स्वाति सिंह) | (विजित वैदमुथा) |
| भागीदार | भागीदार | भागीदार |
| **M No. 053714** | **M. No. 404531** | **M. No. 406044** |

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

[illegible]

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Dated: [illegible]

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय:- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

[illegible]

(संजय कु. झा)
महानिदेशक

[illegible], नई दिल्ली-110002
4th, 5th & 10th Floor, C.B.D. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel: [illegible], Fax: [illegible], Email: [illegible]

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023**

The preparation of financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2023 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Sanjay K. Jha)
Director General of Audit (Energy)

**Place: New Delhi**
**Dated: 27 July 2023**

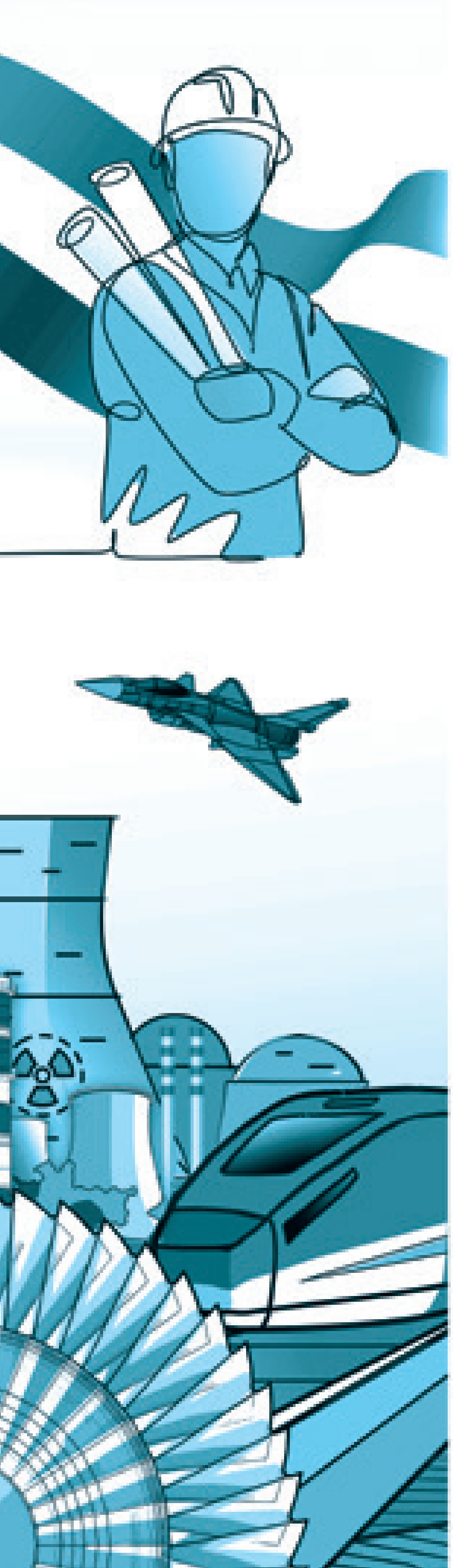

# वित्तीय विवरण

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण........ 190

# एकल तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | नोट | पृ. सं | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क. परिसंपत्तियाँ | | | | | | |
| 1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ | | | | | | |
| (क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर | 3क | 203 | | 2408.74 | | 2336.34 |
| (ख) पूंजीगत चालू कार्य | 3ख | 203 | | 344.59 | | 422.32 |
| (ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 4क | 204 | | 67.24 | | 62.12 |
| (घ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 4ख | 204 | | 9.26 | | 8.66 |
| (ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | | | |
| (i) निवेश | 5 | 212 | 669.54 | | 669.71 | |
| (ii) व्यापार प्राप्य | 6 | 213 | 3415.54 | | 3203.84 | |
| (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 7 | 215 | 83.96 | 4169.04 | 86.73 | 3960.28 |
| (च) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुदध देनदारियां) | 8 | 216 | | 3422.62 | | 3530.08 |
| (छ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ | 9 | 217 | | 19300.14 | | 18526.54 |
| **कुल गैर चालू परिसंपत्तियाँ** | | | | **29721.63** | | **28846.34** |
| 2. चालू परिसंपत्तियाँ | | | | | | |
| (क) माल सूची | 10 | 218 | | 6755.90 | | 6560.21 |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | | | |
| (i) व्यापार प्राप्य | 6 | 213 | 3128.35 | | 3024.75 | |
| (ii) नकद एवं नकद समकक्ष | 11 | 219 | 1560.52 | | 732.62 | |
| (iii) नकद एवं नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक बैलेंस | 12 | 219 | 5082.06 | | 6421.07 | |
| (iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 7 | 215 | 278.23 | 10049.16 | 211.56 | 10390.00 |
| (ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुदध) | 13 | 219 | | 226.38 | | 119.24 |
| (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | 9 | 217 | | 13050.84 | | 10792.53 |
| **कुल चालू परिसंपत्तियाँ** | | | | **30082.28** | | **27861.98** |
| **कुल परिसंपत्तियाँ** | | | | **59803.91** | | **56708.32** |
| ख. इक्विटी एवं देयता: | | | | | | |
| 3. इक्विटी | | | | | | |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 14 | 220 | | 696.41 | | 696.41 |
| अन्य इक्विटी | 15 | 221 | | 26565.75 | | 26274.75 |
| कुल इक्विटी | | | | **27262.16** | | **26971.16** |
| 4. देयताएं | | | | | | |
| 4.1 गैर चालू देयताएं | | | | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| (i) पट्टा देयताएं | 16 | 221 | 33.75 | | 35.12 | |
| (ii) व्यापार देय | 17 | 222 | | | | |
| (i) सूक्ष्म एवं लघु उदयमों का कुल बकाया राशि | | | 128.11 | | 127.45 | |
| (ii) सूक्ष्म एवं लघु उदयमों के अलावा अन्य का कुल बकाया राशि | | | 2065.92 | | 2004.48 | |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएँ | 18 | 224 | 255.70 | 2483.48 | 215.10 | 2382.15 |
| (ख) प्रावधान | 19 | 224 | | 4101.02 | | 3771.21 |
| (ग) अन्य गैर–चालू देयताएँ | 20 | 224 | | 2605.81 | | 2212.65 |
| **कुल गैर चालू देयताएं** | | | | **9190.31** | | **8366.01** |

# एकल तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | नोट | पृ. सं | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.2 चालू देयताएं** | | | | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| (i) ऋण | 21 | 225 | 5385.00 | | 4745.00 | |
| (ii) पट्टा देयताएं | 16 | 221 | 34.76 | | 49.81 | |
| (iii) व्यापार देय | 17 | 222 | | | | |
| (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि | | | 1211.53 | | 745.82 | |
| (ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि | | | 8684.30 | | 7003.77 | |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएँ | 18 | 224 | 1276.93 | 16592.52 | 1124.09 | 13668.49 |
| (ख) प्रावधान | 19 | 224 | | 2796.63 | | 3066.70 |
| (ग) अन्य चालू देयताएँ | 20 | 224 | | 3962.29 | | 4635.96 |
| **कुल चालू देयताएँ** | | | | **23351.44** | | **21371.15** |
| **कुल देयताएँ** | | | | **32541.75** | | **29737.16** |
| **कुल इक्विटी एवं देयताएँ** | | | | **59803.91** | | **56708.32** |
| तैयारी का आधार, मापन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | 198 | | | | |

साथ में दिए गए नोट(1–57) इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

**(राजीव कालड़ा)**
कंपनी सचिव
**M. No. 14567**

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एंड डी),
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार
**DIN: 09703643**

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**DIN: 01176857**

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# एकल लाभ–हानि विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | नोट | पेज | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **आय** | | | | | | |
| परिचालनों से राजस्व | **22** | **226** | | 23364.94 | | 21211.09 |
| अन्य आय | **23** | **227** | | 514.81 | | 367.81 |
| **कुल आय** | | | | **23879.75** | | **21578.90** |
| **व्यय** | | | | | | |
| खपत किए गए कच्चे माल की लागत | | | | 5875.28 | | 5062.40 |
| बॉट आउट वस्तुओं की खरीद | | | | 4657.33 | | 4141.75 |
| सिविल, इरेक्शन और इंजीनियरिंग व्यय | | | | 5421.08 | | 4792.61 |
| स्टोर और स्पेयर की खपत | | | | 404.18 | | 271.44 |
| तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन | **24** | **227** | | (57.15) | | 525.64 |
| कर्मचारी लाभ व्यय | **25** | **228** | | 5700.63 | | 5516.84 |
| अन्य व्यय | **26** | **228** | | 647.03 | | 162.49 |
| वित्त लागत | **27** | **231** | | 521.43 | | 354.72 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | **3.1**<br>**4.1** | **206**<br>**211** | | 260.34 | | 314.06 |
| **कुल व्यय** | | | | **23430.15** | | **21141.95** |
| **कर पूर्व लाभ** | | | | **449.60** | | **436.95** |
| कर व्यय | **28** | **232** | | | | |
| **चालू कर** | | | (111.22) | | (77.13) | |
| आस्थगित कर | | | 113.27 | 2.05 | 103.84 | 26.71 |
| वर्ष का लाभ (क) | | | | **447.55** | | **410.24** |

# एकल लाभ–हानि विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | नोट | पेज | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| **अन्य व्यापक आय** | 29 | 232 | | |
| वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (शुद्ध कर) | | | | |
| –निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनर्मापन | | | (17.27) | 76.87 |
| **अन्य व्यापक आय वर्ष के लिए (ख)** | | | **(17.27)** | **76.87** |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ख) | | | **430.28** | **487.11** |
| **प्रति इक्विटी शेयर आय** | 30 | 233 | | |
| (1) मूल (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये) | | | 1.29 | 1.18 |
| (2) मिश्रित (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये) | | | 1.29 | 1.18 |

| | | |
|---|---|---|
| तैयारी का आधार, मापन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | 198 |

साथ में दिए गए नोट(1–57) इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

**(राजीव कालड़ा)**
कंपनी सचिव
**M. No. 14567**

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एंड डी),
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार
**DIN: 09703643**

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**DIN: 01176857**

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

## क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

| 2 रू प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी, अभिदान और पूर्ण भुगतान | शेयरों की संख्या | | राशि | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष की शुरूआत में शेष | **3482063355** | 3482063355 | **696.41** | 696.41 |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | **-** | - | **-** | - |
| वर्ष के अंत में शेष | **3482063355** | 3482063355 | **696.41** | 696.41 |

## ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | आरक्षित एवं अधिशेष | | | | अन्य व्यापक आय की अन्य मदें | कुल अन्य इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरक्षित पूंजी | पूंजी मोचन कोष | सामान्य कोष | प्रतिधारित आय | | |
| **1 अप्रैल 2022 को शेष राशि** | **35.18** | **37.87** | **30,476.66** | **(3956.70)** | **(318.26)** | **26,274.75** |
| लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां | - | - | - | - | - | - |
| **1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि** | **35.18** | **37.87** | **30,476.66** | **(3956.70)** | **(318.26)** | **26,274.75** |
| जोड़ें : वर्ष की कुल व्यापक आय | | | | 447.55 | (17.27) | 430.28 |
| घटाएं : अंतिम लाभांश (नोट 31) | | | | (139.28) | | (139.28) |
| 31 मार्च 2023 को शेष | **35.18** | **37.87** | **30,476.66** | **(3648.43)** | **(335.53)** | **26,565.75** |

# इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | आरक्षित एवं अधिशेष | | | | अन्य व्यापक आय की अन्य मदें | कुल अन्य इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरक्षित पूंजी | पूंजी मोचन कोष | सामान्य कोष | प्रतिधारित आय | | |
| **1 अप्रैल 2021 को शेष राशि** | **35.18** | **37.87** | **30,476.66** | **(4366.94)** | **( 395.13)** | **25,787.64** |
| लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां | - | - | - | - | - | - |
| **1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि** | **35.18** | **37.87** | **30,476.66** | **(4366.94)** | **( 395.13)** | **25,787.64** |
| जोड़ें : वर्ष की कुल व्यापक आय | | | | 410.24 | 76.87 | 487.11 |
| 31 मार्च 2022 तक शेष | **35.18** | **37.87** | **30,476.66** | **(3956.70)** | **(318.26)** | **26,274.75** |

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

**(राजीव कालड़ा)**
कंपनी सचिव
**M. No. 14567**

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एंड डी),
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार
**DIN: 09703643**

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**DIN: 01176857**

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| क: परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह | | |
| कर पूर्व लाभ/हानि | 449.60 | 436.95 |
| समायोजन के लिए: | | |
| प्रावधान एवं राइट ऑफ | (86.31) | (1120.06) |
| मूल्य ह्रास एवं परिशोधन | 260.34 | 314.06 |
| वित्तीय लागत (ब्याज की छूट सहित) | 521.43 | 354.72 |
| ब्याज एवं लाभांश आय | (447.30) | (333.14) |
| अप्राप्त विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ) | (401.85) | 19.26 |
| सरकारी अनुदान का परिशोधन | (8.90) | (6.20) |
| अन्य | (33.02) | (6.61) |
| **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनों से प्राप्त/खर्च नकद** | **253.99** | **(341.02)** |
| कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन: | | |
| व्यापारिक प्राप्तियां | 92.04 | 1881.12 |
| अनुबंध संपत्तियां | (2370.65) | (2594.15) |
| मालसूची | (192.40) | 603.40 |
| ऋण अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां | (262.28) | 143.49 |
| **उप योग** | **(2733.29)** | 33.86 |
| व्यापारिक देयताएं | 2103.68 | 1300.85 |
| ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जमा एवं अन्य प्रावधान | (167.84) | (383.70) |
| प्रावधान | (308.48) | (358.60) |
| **उप योग** | **1627.36** | **558.55** |
| **शुद्ध नकदी (उपयोग की गई) / कार्यशील पूंजी से** | **(1105.93)** | **592.41** |
| **परिचालन से उत्पन्न नकदी** | **(851.94)** | **251.39** |
| आय कर भुगतान | (155.54) | (258.00) |
| आयकर वापसी | 265.96 | 666.88 |
| **परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह** | **(741.52)** | 660.27 |
| ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| बैंक जमा का प्रतिदान/परिपक्वता (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक की होने पर) | 1358.78 | (1251.12) |
| प्राप्त ब्याज | 250.72 | 257.93 |
| निवेश से प्राप्त आय | 25.42 | 0.00 |
| संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश | 26.18 | 30.35 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री | 7.76 | 6.90 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद | (188.40) | (169.39) |
| **निवेश गतिविधियों से प्राप्त/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी** | **1480.46** | **(1125.33)** |

# नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| अल्पावधि ऋण से आय | **640.00** | (88.78) |
| पट्टे की बाध्यता (मूलधन) की कार्यवाही (चुकौती) | **(49.77)** | (48.79) |
| लीज दायित्व (ब्याज) की कार्यवाही / (चुकौती) | **(7.27)** | (9.57) |
| लाभांश भुगतान | **(139.18)** | (0.30) |
| ब्याज भुगतान | **(354.82)** | (182.06) |
| **निवल नकद (प्रयुक्त) / वित्तपोषण गतिविधियों से (देखें बिंदु 4)** | **88.96** | **(329.50)** |
| **घ. नकदी व नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(ह्रास)** | **827.90** | **(794.56)** |
| **नकदी व नकदी समकक्ष का प्रारंभिक शेष (अतिरिक्त नकद ऋण को छोड़कर)** | **732.62** | **1527.18** |
| **नकदी व नकदी समकक्षों का जमा शेष (नोट 11 देखे)** | **1560.52** | **732.62** |

(1) इंड एएस–7: नकदी प्रवाह विवरण में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है।

(2) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं भी लागू किए गए हैं, उन्हें फिर से एकत्र/पुनर्गठित किया गया है।

(3) नकद और नकद समकक्षों में शून्य करोड़ (पिछले वर्ष 0.15 करोड़) की विनिमय भिन्नता हानि शामिल है।

(4) वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन नोट 21 (vi), एवं नोट 39 बी, पर उपलब्ध हैं।

(5) वर्ष के दौरान कंपनी को 266 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड मिला है, जिसमें 106 करोड़ रुपये की ब्याज आय भी शामिल है।

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

**(राजीव कालड़ा)**
कंपनी सचिव
**M. No. 14567**

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एंड डी),
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार
**DIN: 09703643**

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**DIN: 01176857**

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

## नोट [1] – कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल" या "कंपनी") भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली –110049 में है।

कंपनी विद्युत संयंत्र उपस्कारों की एकीकृत विनिर्माता है और अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों, जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल, तेल एवं गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस के लिए उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, इरेक्शन, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग का कार्य करती है।

## नोट [2] - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधारः

**क) अनुपालन का विवरण**

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में और उसके संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

**ख) माप का आधार**

वित्तीय विवरण क्रियाशील इकाई– प्रतिष्ठान (going concern) आधार पर और संग्रहण (accrual) लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक पॉलिसी में अन्यथा उल्लेखित न हो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

**ग) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा**

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल करेंसी (कार्यकारी मुद्रा) है।

**घ) अनुमान और निर्धारण का उपयोग**

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। तदनुसार, लेखांकन अनुमानों में पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण किया जाता है।

**लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन**

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार हैं:

**i) राजस्व**

कंपनी निर्माण ठेकों/अनुबंधों के लिए राजस्व लेखांकन में अपनाए गए लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है।

**ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर**

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एवं इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

**iii) कर्मचारी लाभ योजनाएं**

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

**iv) प्रावधान और आकस्मिकताएँ**

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए हैं।

### 2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एवं इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (विदेश में संविदा के तहत उपयोग किए गए के अलावा) पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी, अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी लाभप्रदता काल–खंड के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि द्वारा की जाती है, इसमें से तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी काल–खंड के आकलन के आधार पर उपयोगी काल–खंड वाली निम्नलिखित मदों छोड़कर यह गणना की जाती है:–

| संपत्ति श्रेणी | (वर्ष) |
|---|---|
| प्लांट एवं उपकरण | 15–30 |
| बिल्डिंग | 5–60 |
| विद्युत अधिष्ठापन एवं उपकरण | 10–30 |
| इरेकशन उपकरण, कैपिटल टूल्स एवं टैकल | 5 |
| जल निकासी, सीवरेज और जल आपूति | 30 |
| सर्वर और नेटवर्क | 5 |
| सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र | 25 |

मूल्यह्रास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है। जब तक कंपनी लीज अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियाँ लीज अवधि के छोटे और उनके उपयोगी लाभप्रदता वाले समयांतराल से अधिक हो जाती हैं। फ्री होल्ड जमीन का मूल्यह्रास नहीं होता है।

प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण जिनकी लागत रु 10,000/– या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य 10,000/– रुपये या उससे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है।

इरेक्शन/परियोजना स्थलों परः सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबंध के कार्यकाल पर पूरी तरह से परिशोधित होती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत प्रतिष्ठान और अन्य समान सक्षम कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) के कार्यकाल में मूल्यह्रास किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद अनुबंध, यदि कोई हो।

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में होता है।

निर्माण के वर्ष में अस्थायी संरचनाएं पूरी तरह से ह्रासमान हैं।

अलग–अलग उपयोगी जीवन के साथ महत्वपूर्ण घटकों को अलग से हिसाब में लेकर मूल्यह्रास किया जाता है।

### 3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उक्त व्यवस्था पट्टा है अथवा इसमें पट्टा शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद लीज/पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर परिसंपत्ति के राइट–ऑफ–यूज के तहत पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर लीज देयता का प्रारंभिक निर्धारण, प्रोत्साहन के बिना प्रारंभिक पट्टा भुगतान, निहित परिसंपत्ति को नष्ट किए जाने और हटाने की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हैं।

पट्टों के तहत किए गए पट्टा भुगतान वित्त व्यय और बकाया लीज देयता में की गई कमी के मध्य सेट/स्थिर किया जाता है। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि दायित्व/देयता के अधिशेष पर लगातार आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके। वित्त पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है।

आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें वित्त पट्टा प्राप्य के प्रारंभिक निर्धारण में शामिल हैं और पट्टे की अवधि में मान्य आय को कम करती हैं। पट्टा परिचालन से होने वाली आय को स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर पट्टे की अवधि में आय के रूप में जाना जाता है, जहां पट्टे के किराये में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप है।

### 4. अमूर्त परिसंपत्तियां

10000/– से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैः

| | |
|---|---|
| सॉफ्टवेयर | 3 साल |
| अन्य | 10 साल |

वर्ष की शुरुआत में 10000/– या उससे कम डब्ल्यूडीवी की अमूर्त संपत्ति का पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और परिशोधन के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, का लेखा–जोखा संभावित रूप से किया जाता है।

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन हैं। व्यय की गई पूंजी में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल हैं जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

अनुसंधान और विकास हेतु अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

### 5. उधार लागत

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष उधार लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा गया है।

जिस परिपरिसंपत्ति में उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से अधिक समय लगता है, जैसे कि बारह महीने से ज्यादा, उसे इस प्रयोजन के लिए अर्हक परिसंपत्ति माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ – हानि के स्टेटमेंट में दर्शाया गया है, जिसमें वे व्यय हुए हैं।

### 6. सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश की गणना ह्रास हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर की जाती है।

यदि प्रबंधन का इरादा निकट भविष्य में निवेश का निपटान करना है, तो इसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसकी धारित राशि और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है।

### 7. मालसूची

मालसूची (इन्वेंटरी) की कीमत लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली जाती है। तैयार माल और कार्य प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, ढीले उपकरणों, दुकानों और पुर्जों की लागत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

### 8. राजस्व मान्यता

जिन वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहकों से वादा किया गया है, उनके अंतरण को दर्शाने के लिए राजस्व को ऐसी राशि में दर्शाया गया है, जो उस प्रतिफल को दर्शाती है, जिसे वह संस्था उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्राप्त करने के लिए पात्र होने की उम्मीद रखती है।

निर्माण और दीर्घकालिक सेवा अनुबंधों के संबंध में, कंपनी माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को स्थानांतरित करती है और कुछ समय के बाद राजस्व का निर्धारण करती है। राजस्व का निर्धारण लागत दृष्टिकोण पर आधारित इनपुट पद्धति से किया जाता है। समय के साथ संतुष्ट निष्पादन बाध्यता की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में फिर से मापा जाता है।

माल और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व का निर्धारण नियंत्रण को ग्राहक को अंतरित करते समय और अनुबंध के तहत निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि के आधार पर किया गया है।

#### अन्य आय

- लाभ और हानि विवरण/स्टेटमेंट में कंपनी को भुगतान प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि को लाभांश से प्राप्त आय मान्य है।
- ब्याज आय, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग द्वारा मान्य है।
- निर्यात प्रोत्साहन/शुल्क वापसी और बीमा के लिए दावों का प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

### 9. विदेशी मुद्रा अंतरण/लेनदेन (विनिमय)

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को लेन–देन की तिथि को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

विदेशी मुद्रा वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर–मौद्रिक देनदारियों और गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर पर परिवर्तित (अदल–बदल) किया जाता है।

### 10. कर्मचारी लाभ

#### निर्धारित योगदान योजना

कंपनी द्वारा कर्मचारियों हेतु पेंशन एवं फेमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा–काल हेतु लाभ एवं हानि विवरणिका में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

#### निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्च्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपर्युक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्ते होती हैं।

एक्चुअरी लाभ और हानि के साथ–साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के शुद्ध) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

#### दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरूप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर–संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि सबंधी विवरणिका में दर्शाया गया है।

### 11. प्रावधान

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के दावों को, समान लेन–देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

(ii) जब कंपनी संबंधित उत्पादों या अनुबंधों पर राजस्व का निर्धारण करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है तो कंपनी वारंटी के लिए अनुमानित लागत प्रदान करती है। प्रावधान पिछले अनुभव/ तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

(iii) जब यह संभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अनुमानित नुकसान का तुरंत पता लगाया जाता है।

(iv) यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को व्यय करने की जरूरत पड़े।

तथापि, जहां धन के कालिक मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हो, वहां जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

## 12. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब आश्वासन मिलता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। गैर मौद्रिक अनुदानों को परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के रूप में देखा जाता है और इसे आस्थगित आय के रूप में माना जाता है। आस्थगित आय को संपत्ति के उपयोगी लाभप्रदता काल पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ – हानि विवरण में दर्शाया जाता है। राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित लागतों के साथ मिलान हेतु आवश्यक अवधियों पर लाभ और हानि के विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी वे क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं।

## 13. आय–कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर। वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए निर्धारित किया गया है और इसमें पिछले वर्षों के कर को भी समायोजित किया गया है।

आस्थगित कर बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है, जो बैलेंस शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शाई जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की दर्शाई गई राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति हो पाएगी।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

## 14. परिसंपत्तियों की हानि

### वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार और पट्टे की प्राप्य राशियों के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है, यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर, वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

### गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहां किसी भी तरह की हानि का संकेत होता है। लाभ और हानि का आकलन हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है, जहां कैरींग राशि नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि संकेतों से पता चलता है कि हानि में कमी आई है अथवा अब हानि नहीं हो रही है, तो पूर्व कालावधि में नुकसान से हुई हानि का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है। यदि वसूली राशि को इंगित करते हुए लागत में परिवर्तन हो तो, इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

यदि कोई इम्पेयरमेंट लॉस होना नहीं पाया गया है तथा संपत्ति की वहन राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का शुद्ध है तो इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

## 15. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारण खंड विशेष की परिचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार किया जाता है। जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अनावंटित राजस्व/ व्यय/ सम्पत्ति/ देनदारियों के तहत शामिल किया गया है।

## 16. वित्तीय लिखत

### i) नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

– ए) परिशोधित लागत और (बी) लाभ एवं हानि ("FVTPL") के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां।

– परिशोधित लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियां

प्रारंभ में, सभी वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो कैरींग राशि का निर्धारण करने में लेनदेन की लागत शामिल होती है, जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो अंतरित किए जाते हैं और न ही रोककर

रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डि–रेकोग्नाइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में वित्तीय देनदारियों को डि–रेकोग्नाइज किया जाता है।

बाद में नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता हैः

**क. परिशोधित लागत –**

"परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखत का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि में दर्शाया जाता है। इम्पेयरमेन्ट से होने वाले नुकसान को लाभ – हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

**ख. एफवीटीपीएल श्रेणी –**

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय लिखत बाद में लाभ – हानि विवरण में दर्ज परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर तैयार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष लेनदेन लागत को लाभ – हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्न रूप में दर्शाया जाता हैः

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है।

**ii) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत**

यदि प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाला कोई एंबेडेड डेरिवेटिव हो उसे हॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट से अलग रखा जाता है और अलग से हिसाब में लिया जाता है। यदि हॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट की आर्थिक विशेषताएं एवं जोखिम और एम्बेडेड डेरिवेटिव आपस में जुड़े ना हों तो उसी प्रकार का एक अलग लिखत एम्बेडेड डेरिवेटिव को परिभाषित करेगा और संयुक्त लिखत को लाभ – हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं निर्धारित किया जाएगा।

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर निर्धारित और परिकलित किया जाता है। लेनदेन की अट्रीब्युटेबल लागत को लाभ और हानि में लागत के रूप में दर्शाया जाता है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, डेरिवेटिव को लाभ–हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

## 17. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में बैंक में शेष और अपने पास उपलब्ध नकदी शामिल होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा शामिल हैं जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रूप में परिवर्तनीय हैं और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

## नोट [3क] – गैर चालू परिसंपत्तियाँ

### संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिंदु 2 को देखें (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| सकल खंड | 6620.97 | 6330.89 |
| घटाएँ : संचित मूल्यह्रास | 4212.23 | 3994.55 |
| **निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.1 देखें)** | **2408.74** | 2336.34 |

आरओयू परिसंपत्तियों के संबंध में निवल ब्लॉक में ₹ 155.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 154.83 करोड़) शामिल हैं।

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, एवं तदनुसार इंड एएस ट्रांजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है।

## नोट [3क] – गैर चालू परिसंपत्तियाँ

### प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| संयंत्र, मशीनरी एवं अन्य उपस्कर: | | | | |
| चल रहा पर इरेक्शन/ फेब्रिकेशन/प्रतीक्षारत इरेक्शन | 82.41 | | 131.43 | |
| मार्गस्थ | 6.95 | 89.36 | 9.37 | 140.80 |
| चल रहा निर्माण कार्य –सिविल | | 253.96 | | 280.12 |
| निर्माण भंडार – (मार्गस्थ सहित) | | 1.27 | | 1.40 |
| कुल | | **344.59** | | 422.32 |

### सीडबल्यूआईपी कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2023

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| चल रही परियोजनाएं | **115.98** | **53.36** | **73.56** | **89.13** | **332.03** |
| अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं | **-** | **0.59** | **-** | **11.97** | **12.56** |

### सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता सूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है)– 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष में पूरा किया जाना है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| **नई बिल्डिंग – नोएडा** | | | | | |
| ट्रांसफॉर्मर डबल बॉटलनेक्किंग | **224.76** | **-** | **-** | **-** | **224.76** |
| ₹ 10 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या–18) | **10.27** | **-** | **-** | **-** | **10.27** |
| **अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं** | **16.99** | **0.09** | **-** | **0.34** | **17.42** |
| उपस्कर फेब्रिकेशन संयंत्र – भंडारा | **-** | **-** | **-** | **7.74** | **7.74** |
| ₹ 1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या – 4) | **-** | **0.28** | **-** | **1.60** | **1.88** |

**सीडबल्यूआईपी कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2022** (₹ करोड़ में)

| विवरण | अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| चल रही परियोजनाएं | 115.39 | 127.88 | 115.41 | 51.31 | 409.99 |
| अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं | 0.59 | 0.07 | 2.36 | 9.31 | 12.33 |

**सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता सूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है) – 31 मार्च, 2022 को** (₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष में पूरा किया जाना है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| चल रही परियोजनाएं | | | | | |
| नई बिल्डिंग – नोएडा | 217.38 | - | - | - | 217.38 |
| सेलेक्टिव केटलिस्ट रीडक्सन प्लांट – बेंगलुरु | 62.12 | - | - | - | 62.12 |
| 10 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या – 25) | 37.83 | - | - | - | 37.83 |
| अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं | | | | | |
| इक्युप्मेंट फेब्रिकेशन प्लांट – भंडारा | - | - | - | 7.74 | 7.74 |
| ₹ 1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या – 4) | 0.07 | - | - | 1.58 | 1.65 |

## नोट [4क] – गैर–चालू परिसंपत्तियां

## अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिंदु 4 को देखें (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| सकल ब्लॉक | **327.88** | 308.92 |
| घटाएँ: संचित परिशोधन | **260.64** | 246.80 |
| **निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 4.1 देखें)** | **67.24** | 62.12 |

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, एवं तदनुसार इंड एएस ट्रांजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है

## नोट [4ख] – गैर–चालू संपत्तियां

## विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां | **9.26** | 8.66 |
| कुल | **9.26** | 8.66 |

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों की कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2023 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| चल रही परियोजनाएं | **5.67** | **1.05** | **-** | **2.54** | **9.26** |
| अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

निर्माणाधीन अमूर्त संपत्तियों की पूर्णता अनुसूची (जो अतिदेय हैं या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है) – 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष में पूरा किया जाना है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| **चल रही परियोजनाएं** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2022 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| चल रही परियोजनाएं | 1.39 | - | 1.18 | 6.09 | 8.66 |
| परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित | - | - | - | - | - |

निर्माणाधीन अमूर्त संपत्तियों की पूर्णता अनुसूची (जो अतिदेय हैं या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है) – 31 मार्च, 2022 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष में पूरा किया जाना है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| **चल रही परियोजनाएं** | | | | | |
| एससीआर परियोजनाएं तकनीकी जानकारी (अतिदेय) | 4.71 | - | - | - | 4.71 |
| **अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं** | - | - | - | - | - |

# नोट 3.1 – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास/ परिशोधन | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2022 को प्रारंभिक शेष | परिवर्धन/ समायोजन | कटौती/ समायोजन | 31.03.2023 को अंतिम शेष | 01.04.2022 पर संचित मूल्यह्रास | वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन | मूल्यह्रास समायोजन | 31.03.2023 को संचित मूल्यह्रास | 31.03.2023 को निवल ब्लॉक | 31.03.2022 को निवल ब्लॉक |
| भूमि–फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित) | 27.71 | 0.02 | 0.00 | **27.73** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **27.73** | 27.71 |
| भवन– फ्री होल्ड भवन | 1743.65 | 86.92 | (6.49) | **1824.08** | 669.59 | 56.04 | (5.48) | **720.15** | **1103.93** | 1074.06 |
| सड़कें, पुल एवं पुलियाँ | 15.85 | 0.25 | 0.00 | **16.10** | 14.16 | 0.60 | 0.00 | **14.76** | **1.34** | 1.69 |
| जल व मल निकासी एवं जल–आपूर्ति | 31.49 | 4.73 | (0.01) | **36.21** | 8.21 | 1.17 | (0.01) | **9.37** | **26.84** | 23.28 |
| प्लांट व मशीनरी | 3209.81 | 121.78 | (5.96) | **3325.63** | 2390.20 | 117.15 | (2.96) | **2504.39** | **821.24** | 819.61 |
| रेलवे साईडिंग | 8.85 | 0.00 | 0.00 | **8.85** | 5.31 | 0.44 | 0.00 | **5.75** | **3.10** | 3.54 |
| लोकोमोटिव व वेगन | 28.33 | 0.00 | 0.00 | **28.33** | 17.57 | 1.66 | 0.00 | **19.23** | **9.10** | 10.76 |
| फर्नीचर व फिक्चर्स | 62.09 | 9.03 | (1.11) | **70.01** | 44.08 | 4.60 | (0.86) | **47.82** | **22.19** | 18.01 |
| वाहन | 14.33 | 0.57 | (0.00) | **14.90** | 10.24 | 1.21 | (0.00) | **11.45** | **3.45** | 4.09 |
| कार्यालय व अन्य उपकरण | 141.10 | 7.72 | (1.46) | **147.36** | 120.11 | 9.69 | (1.23) | **128.57** | **18.79** | 20.99 |
| इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर | 152.83 | 2.55 | 9.87 | **165.25** | 141.97 | 8.50 | 9.89 | **160.36** | **4.89** | 10.86 |
| इलेक्ट्रिकल अधिष्ठापन | 251.67 | 30.57 | 4.04 | **286.28** | 180.44 | 4.31 | 3.31 | **188.06** | **98.22** | 71.23 |
| निर्माण उपस्कर | 71.85 | 0.25 | (0.21) | **71.89** | 69.22 | 1.23 | (0.21) | **70.24** | **1.65** | 2.63 |
| 10,000/– तक की लागत वाली अचल संपत्तियाँ | 22.05 | 1.78 | (0.91) | **22.92** | 22.05 | 1.78 | (0.91) | **22.92** | **-** | - |
| सोलर पावर जेनरेशन | 119.54 | 19.84 | 4.08 | **143.46** | 26.48 | 4.87 | 1.10 | **32.45** | **111.01** | 93.06 |
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ | 429.75 | 33.59 | (31.37) | **431.97** | 274.92 | 33.00 | (31.21) | **276.71** | **155.26** | 154.83 |
| **कुल** | **6330.90** | **319.60** | **(29.53)** | **6620.97** | **3994.55** | **246.25** | **(28.57)** | **4212.23** | **2408.74** | **2336.35** |
| पिछला वर्ष | 6172.41 | 208.19 | (49.71) | **6330.89** | 3746.26 | 295.79 | (47.50) | **3994.55** | **2336.34** | 2426.15 |

नोटः

सकल ब्लॉक (पूर्व में आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2023 को रु. 13756.12 करोड़ और 31.03.2022 को ₹ 13507.29 करोड़ था।

31.03.2023 को सकल ब्लॉक में ₹ 14.90 करोड़ रुपये ((पिछले वर्ष ₹ 7.11 करोड़) की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग में न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

31.03.2023 को निवल ब्लॉक में 0.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.12 करोड़) अनुपयोगी और सक्रिय उपयोग में न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

सकल ब्लॉक में भारत सरकार से अनुसंधान के लिए प्राप्त अनुदान से खरीदी गई संपत्ति की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति ₹ 237.42 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 259.42 करोड़ रूपये) कंपनी की नहीं है।

वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है।

## टेबल 3.1(क): राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियां निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास/ परिशोधन | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2022 को प्रारंभिक शेष | परिवर्धन/ समायोजने | कटौती/ समायोजन | 31.03.2023 को अंतिम शेष | 01.04.2022 पर संचित मूल्यह्रास | वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन | मूल्यह्रास समायोजन | 31.03.2023 को संचित मूल्यह्रास | 31.03.2023 को निवल ब्लॉक | 31.03.2022 को निवल ब्लॉक |
| भूमि (विकास व्यय सहित) | 118.86 | 0.98 | 0.00 | **119.84** | 14.13 | 3.38 | (0.00) | **17.51** | **102.33** | 104.73 |
| भवन | 1.63 | 0.00 | 0.00 | **1.63** | 0.36 | 0.05 | 0.00 | **0.41** | **1.22** | 1.27 |
| प्लांट व मशीनरी | 37.81 | 8.46 | (6.26) | **40.01** | 23.10 | 10.62 | (6.26) | **27.46** | **12.55** | 14.71 |
| कार्यालय व अन्य उपस्कर | 16.84 | 0.00 | (0.33) | **16.51** | 15.02 | 0.42 | (0.31) | **15.13** | **1.38** | 1.82 |
| ईडीपी उपस्कर | 229.51 | 15.38 | (19.13) | **225.76** | 208.73 | 13.46 | (19.13) | **203.06** | **22.70** | 20.78 |
| वाहन | 5.50 | 3.80 | (2.87) | **6.42** | 3.08 | 1.34 | (2.74) | **1.68** | **4.74** | 2.42 |
| अन्य | 19.61 | 4.97 | (2.78) | **21.80** | 10.51 | 3.73 | (2.77) | **11.46** | **10.34** | 9.10 |
| **कुल** | **429.75** | **33.59** | **(31.37)** | **431.97** | **274.92** | **33.00** | **(31.21)** | **276.71** | **155.26** | **154.83** |
| पिछला वर्ष | 455.37 | 33.18 | (58.80) | 429.75 | 291.18 | 42.35 | (58.61) | 274.92 | 154.83 | 164.19 |

## नोट [3.1] – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के बारे में अतिरिक्त जानकारी

1. (क) अचल परिसंपत्तियां जिनका स्वामित्व लिखत बीएचईएल के नाम पर नहीं है (31/03/2023 तक)

| संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस से संबंधित मद के तहत) | सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में) | नाम पर धारित लीज/स्वामित्व विलेख | क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित है | कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| **पीपीईः–** | | | | | |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 1.64 | तमिलनाडु राज्य सरकार | नहीं | 24-11-2010 | पट्टा (टाइटल डीड) जारी किया जाना बाकी है |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 1.24 | तमिलनाडु राज्य सरकार | नहीं | 13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच विभिन्न तिथि | क्षेत्र और सर्वेक्षण संख्या दर्शाने वाले भूमि हस्तांतरण दस्तावेज (राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहित) उपलब्ध हैं । राज्य सरकार द्वारा बीएचईएल के पक्ष में असाइनमेंट डीड जारी किया जाना बाकी है। |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 0.52 | तेलंगाना राज्य सरकार | नहीं | 1974 से | टाइटल डीड के ट्रांसफर का काम चल रहा है, मामला जैप्छ के माध्यम से राज्य सरकार से उठाया गया है। |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 0.18 | मध्यप्रदेश राज्य सरकार | नहीं | Since 1957 | भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से प्रदान की गई भूमि, बीएचईएल के नाम पर टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है। |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 0.11 | तेलंगाना राज्य सरकार | नहीं | 30-01-1961 | भारी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी (वर्ष 1961 और 63 में संदर्भ संख्यारू 171,192,92–ए, 61,202) |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 0.08 | बछा लाल पुत्र स्वर्गीय राम किशोर | नहीं | 08-06-1983 | बढ़े हुए मुआवजे में विवाद के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है। अपील संख्या 659– 1995 |
| भूमि फ्रीहोल्ड | 0.0022 | बी सरोजा देवी | नहीं | 01-04-1965 | श्रीमती बी सरोजा देवी और मैसर्स बीएचईएल के बीच उच्चतम न्यायालय में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निपटान के लिए वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया है और यह लंबित है। |
| भूमि–लीजहोल्ड (राइट ऑफ यूज ऑफ असेट्स) | 68.38 | 464.8287 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के नाम पर, 9.0688 एकड़ भूमि महाराष्ट्र, राज्य सरकार के नाम पर, 2.7676 एकड़ भूमि निजी मालिकों के नाम पर | नहीं | 20-03-2013 | प्रस्तावित भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी पूरा नहीं हुआ है। |
| बिल्डिंग – फ्रीहोल्ड | 0.11 | जे बी कन्स्ट्रकशन (बिल्डर) | नहीं | 34 वर्ष | 4 फ्लैटों के मालिकाना हक पर बिल्डर और जमीन के मालिक के बीच विवाद है |
| बिल्डिंग – फ्रीहोल्ड | 0.05 | महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटी | नहीं | 34 वर्ष | सहकारी समिति के नाम पर 6 फ्लैट हैं। कोई विवाद नहीं है। |
| बिल्डिंग – लीजहोल्ड (राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियाँ) | 2.56 | महाराष्ट्र राज्य सरकार | नहीं | 01-02-1991 | महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीजी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इस प्रकार एमवीआईआरडीजी बीएचईएल के साथ 2 मंजिलों के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है। |

## नोट [3.1] – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के बारे में अतिरिक्त जानकारी

1. (क) अचल संपत्तियां जिनका स्वामित्व लिखत बीएचईएल के नाम पर नहीं है (31/03/2022 तक)

| संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस से संबंधित मद के तहत) | सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में) | नाम पर धारित लीज/स्वामित्व विलेख | क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित है | कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| पीपीई:– | | | | | |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 1.64 | तमिलनाडु राज्य सरकार | नहीं | 24-11-2010 | भूमि प्रशासन प्राधिकरणों द्वारा असाइनमेंन्ट डीड जारी किया जाना बाकी है |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 1.24 | तमिलनाडु राज्य सरकार | नहीं | 13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच विभिन्न तिथि | क्षेत्र और सर्वेक्षण संख्या दर्शाने वाले भूमि हस्तांतरण दस्तावेज (राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहित) उपलब्ध हैं । राज्य सरकार द्वारा बीएचईएल के पक्ष में असाइनमेंट डीड जारी किया जाना बाकी है। |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 0.52 | तेलंगाना राज्य सरकार | नहीं | 1974 से | टाइटल डीड के ट्रांसफर का काम चल रहा है, मामला टीएसआईआईसी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया है। |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 0.18 | मध्यप्रदेश राज्य सरकार | नहीं | 1957 से | भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से प्रदान की गई भूमि, बीएचईएल के नाम पर टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है। |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 0.11 | तेलंगाना राज्य सरकार | नहीं | 30-01-1961 | भारी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी (वर्ष 1961 और 63 में संदर्भ संख्याः 171,192,92–ए, 61,202) |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 0.08 | बछा लाल पुत्र स्वर्गीय राम किशोर | नहीं | 08-06-1983 | बढ़े हुए मुआवजे में विवाद के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है। अपील संख्या 659– 1995 |
| भूमि–फ्रीहोल्ड | 0.0022 | बी सरोजा देवी | नहीं | 01-04-1965 | श्रीमती बी सरोजा देवी और मैसर्स बीएचईएल के बीच उच्चतम न्यायालय में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निपटान के लिए वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया है और यह लंबित है। |
| भूमि–लीजहोल्ड (राइट ऑफ यूज ऑफ असेट्स) | 68.38 | 464.8287 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के नाम पर, 9.0688 एकड़ भूमि महाराष्ट्र, राज्य सरकार के नाम पर, 2.7676 एकड़ भूमि निजी मालिकों के नाम पर | नहीं | 20-03-2013 | प्रस्तावित भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी पूरा नहीं हुआ है। |
| बिल्डिंग – फ्रीहोल्ड | 0.11 | जे बी कन्स्ट्रकशन (बिल्डर) | नहीं | 34 वर्ष | 4 फ्लैटों के मालिकाना हक पर बिल्डर और जमीन के मालिक के बीच विवाद है |
| बिल्डिंग – फ्रीहोल्ड | 0.05 | महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटी | नहीं | 34 वर्ष | सहकारी समिति के नाम पर 6 फ्लैट हैं। कोई विवाद नहीं है। |
| बिल्डिंग – लीजहोल्ड (राइट (ऑफ) यूज ऑफ असेट्स) | 2.56 | महाराष्ट्र राज्य सरकार | नहीं | 01-02-1991 | महाराष्ट्र सरकार ने डटप्क्ब के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इस प्रकार टीएसआईआईसी बीएचईएल के साथ 2 मंजिलों के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है। |

# नोट [3.1] – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के बारे में अतिरिक्त जानकारी

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| 2. भूमि एवं भवन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: | | |
| क i) जमीन, जिसके लिए औपचारिक अंतरण पट्टा लिखत नहीं किया गया है (एकड़ में) | **8421.02** | 8421.02 |
| निवल ब्लॉक (₹करोड़ में) | **64.96** | 65.68 |
| ii) फ्लैटों की संख्या, जिनके लिए औपचारिक पट्टा लिखत नहीं किया गया है (संख्या में) | **12** | 12 |
| निवल ब्लॉक (₹करोड़ में) | **1.01** | 1.06 |
| iii) जमीन, जिसके लिए प्रदत लागत अनंतिम है; (एकड़ में) | **480.04** | 480.04 |
| [पंजीकरण प्रभार एवं स्टांप शुल्क (प्रावधानों को छोड़कर), जिसकी गणना भुगतान पर की जाएगी] | | |
| निवल ब्लॉक (₹करोड़ में) | **61.26** | 61.98 |
| ख. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्य को पट्टे पर दी गई जमीन (एकड़ में)) | **20.47** | 29.78 |
| ग. जमीन, जो प्रतिकूल/ अनधिकृत कब्जे में है (एकड़ में) | **873.48** | 883.66 |

घ. हरिद्वार संयंत्र में 1297.86 एकड़ (पिछला वर्ष 1297.86 एकड़) भूमि का म्यूटेशन लंबित है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें 934 एकड़ (च्ल 934 एकड़) भूमि ऐसी है जो बीएचईएल के कब्जे में है लेकिन वर्ष 2004 से 2007 में उत्तराखंड सरकार के सिडकुल के नाम पर गलत तरीके से म्यूटेट की गई है।

ङ. इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार के दिनांक 01.12.2003 के कार्यालय ज्ञापन के तहत हरिद्वार संयंत्र में 8 एकड़ भूमि का आईओएसएल/ राज्य सरकार को हस्तांतरण लंबित है।

(उपर्युक्त (ख से ङ) की भूमि की लागत प्रत्यक्ष नहीं है)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| 3. i) भूमि का कुल क्षेत्रफल एकड़ में | **16660.72** | 16660.72 |
| ii) 2 (i) में से फ्री होल्ड भूमि (सेल डीड)/ कब्जे / लाइसेंस अधिकार (एकड़ में) | **15987.38** | 15987.38 |
| iii) 2 (ii) में से पट्टा होल्ड भूमि (एकड़ में) | **673.34** | 673.34 |

4. कंपनी 10000/– रु. तक की लागत/ओपनिंग नेट ब्लॉक वाले किसी पीपीई मद पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करती है। पिछले वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की एक वस्तु पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| रु. 10,000/– तक की पीपीई पर 100% मूल्यह्रास चार्ज ऑफ | **7.21** | 6.50 |
| घटाएँ : उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्रास | **(4.39)** | (3.53) |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित अतिरिक्त राशि | **2.82** | 2.97 |

5. परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत, आवश्यक अनुमोदन के अधीन इन संपत्तियों (i) चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, कोलकाता में दूसरी मंजिल का कार्यालय (ii) इंदौर आवासीय फ्लैट, नागपुर – भूमि और भवन और (iii) वडोदरा टाउनशिप – भूमि और भवन, जिन सबका निवल ब्लॉक मूल्य ₹1.42 करोड़ है, की पहचान बिक्री के लिए की गई है।

## 6. पूंजीगत व्यय की स्थिति का सारांशः

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि | **338.82** | 226.44 |
| सीडब्ल्यूआईपी में वृद्धि / (कमी) | **(77.73)** | 19.11 |
| विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी) | **0.60** | (7.69) |
| पूंजीगत अग्रिम में वृद्धि / (कमी) | **0.25** | (6.77) |
| **कुल** | **261.94** | 231.09 |

## नोट 4.1 – अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास/ परिशोधन | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2022 को प्रारंभिक शेष | परिवर्धन / समायोजने | कटौती / समायोजन | 31.03.2023 को अंतिम शेष | 01.04.2022 पर संचित मूल्यह्रास | वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन | मूल्यह्रास समायोजन | 31.03.2023 को संचित मूल्यह्रास | 31.03.2023 को निवल ब्लॉक | 31.03.2022 को निवल ब्लॉक |
| **आंतरिक स्रोतों से विकसित** | | | | | | | | | | |
| – अन्य | 71.02 | 0.44 | 0.00 | **71.46** | 66.66 | 2.59 | 0.00 | **69.25** | **2.21** | 4.37 |
| **आंतरिक स्रोतों से विकसित के अलावा अन्य** | | | | | | | | | | |
| – सॉफ्टवेयर | 53.05 | 3.46 | (0.25) | **56.26** | 50.52 | 1.76 | (0.25) | **52.03** | **4.23** | 2.52 |
| – तकनीकी ज्ञान | 184.85 | 15.31 | 0.00 | **200.16** | 129.62 | 9.74 | 0.00 | **139.36** | **60.80** | 55.23 |
| **कुल** | **308.92** | **19.21** | **(0.25)** | **327.88** | **246.80** | **14.09** | **(0.25)** | **260.64** | **67.24** | **62.12** |
| पिछले वर्ष | 290.83 | 18.25 | (0.15) | **308.92** | 228.67 | 18.27 | (0.14) | **246.80** | **62.12** | 62.16 |

सकल ब्लॉक (पिछले आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2023 को ₹ 598.12 करोड़ एवं 31.03.2022 को ₹ 584.11 करोड़ था।

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में कोई ह्रास हानि नहीं हुई।

## नोट [5] – गैर चालू परिसंपत्तियाँ
## वित्तीय परिसंपत्तियाँ – निवेश

संयुक्त उपक्रमों में निवेश पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 का बिन्दु 6 देखें एवं वित्तीय लिखत के लिए नोट 2 का बिन्दु 16 i (ख) देखें (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | | | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि | | शेयरों की संख्या | राशि | |
| I कोटेड इक्विटी लिखत | | | - | | | - |
| II अनकोटेड इक्विटी लिखत (पूरी तरह भुगतान किए गए शेयर) | | | | | | |
| (क) संयुक्त उद्यमों में निवेश (लागत पर)) | | | | | | |
| (i) रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. | 664040000 (10) | | 664.04 | 664040000 (10) | | 664.04 |
| (ii) बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्रा. लि. | 2379999 (10) | | 2.38 | 2379999 (10) | | 2.38 |
| (iii) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. | 50000000 (10) | 50.00 | | 50000000 (10) | 50.00 | |
| घटाएँ: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान | | 50.00 | - | | 50.00 | - |
| (iv) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. | 1999999 (10) | 2.00 | | 1999999 (10) | 2.00 | |
| घटाएँ: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान | | 2.00 | - | | 2.00 | - |
| | | | 666.42 | | | 666.42 |
| (ख) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी लिखतों में निवेश (एफपीटीपीएल पर) | | | | | | |
| (i) नीलांचल इस्पात निगम लि. | | - | - | 5000000 (10) | 5.00 | |
| जोड़ें / (घटाएँ): उचित मूल्य समायोजन | | - | - | | (5.00) | |
| (ii) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लि. | 728960 (10) | 0.91 | | 728960 (10) | 0.91 | |
| जोड़ें / (घटाएँ): उचित मूल्य समायोजन | | 2.22 | 3.13 | | 2.38 | 3.29 |
| (iii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. | 1892 (10) | * | | 1892 (10) | * | |
| सहकारी समितियों में हिस्सेदारी: | | | | | | |
| कुल | | | 669.54 | | | 669.71 |
| *भा. रु. 1 लाख से कम का मूल्य | | | | | | |
| अनकोटड निवेश की कुल राशि | | | 719.33 | | | 724.33 |
| निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि | | | 49.79 | | | 54.62 |

# विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य 1 लाख /– से कम है –

## संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों के बारे में जानकारी

| विवरण<br>(क) संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी) | देश जहां निगमन हुआ | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|---|
| | | स्वामित्व का अनुपात (:) | |
| बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सेर्विसेस प्रा. लि. (बीजीजीटीएस) | भारत | **एक शेयर 50% से कम** | एक शेयर 50% से कम |
| एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. (एनबीपीपीएल) | भारत | **50%** | 50% |
| रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. (आरपीसीएल) | भारत | **22.14%** | 22.14% |
| पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. (पीपीआईएल) | भारत | **एक शेयर 50% से कम** | एक शेयर 50% से कम |

(i) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर 50.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक 50.00 करोड़ रुपये) तक किया गया है। 08 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के समापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) ने एनटीपीसी को सलाह दी है कि वह बीएचईएल की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करे एवं या तो इसे एक ई–हाउस शाखा के रूप में चलाता रहे या वर्तमान कार्य पूरा होने के बाद इसे बंद करने का निर्णय ले। यह सलाह एनबीबीपीएल बोर्ड द्वारा 29.08.2019 को हुई बैठक में नोट की गई थी।

(ii) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान 2.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2.00 करोड़ रुपये) किया गया है क्योंकि जेवीसी परिसामन के तहत है एवं इक्विटी के रूप मेँ भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

(iii) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में निवेश का निपटान कर दिया गया है और वर्ष के दौरान 25.39 करोड़ की बिक्री आय प्राप्त हुई है।

## नोट [6] – वित्तीय परिसंपत्तियाँ – व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 14 देखें। **(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| असुरक्षित, शोध्य | **3743.94** | **3433.95** | 3538.39 | 3340.61 |
| साख का मूल्यह्रास (बी एंड डी ऋणों के लिए भत्तों में शामिल) | **11176.04** | **367.08** | 11599.09 | 277.54 |
| | **14919.98** | **3801.03** | 15137.48 | 3618.15 |
| घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | **11504.44** | **672.68** | 11933.64 | 593.40 |
| **कुल व्यापार प्राप्य (शुद्ध)** | **3415.54** | **3128.35** | 3203.84 | 3024.75 |
| व्यापार प्राप्यों के मूल्यह्रास हेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण इंड एएस 109 के के अनुसार किया जाता है; | | | | |
| व्यापार प्राप्यें में शामिल हैं: | | | | |
| (क) निदेशकों से प्राप्य | - | - | - | - |
| (ख) अधिकारियों से प्राप्य | - | - | - | - |

## गैर–चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च 2023

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | बिल नहीं किया गया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य | **50.85** | **100.34** | **116.08** | **78.12** | **1410.59** | - | - | **1755.98** |
| ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण ह्रासित (क्रेडीट इम्पेयर्ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य | **1.72** | **0.01** | **3.56** | **21.61** | **1961.06** | - | - | **1987.96** |
| iv) विवादित व्यापार प्राप्य – (क्रेडीट इम्पेयर्ड) | **95.54** | **91.62** | **283.17** | **340.39** | **10365.32** | - | - | **11176.04** |

## गैर–चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च 2023

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | बिल नहीं किया गया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य | **2395.97** | **331.70** | **281.11** | **107.69** | **317.48** | - | - | **3433.95** |
| ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण हासित (क्रेडीट इम्पेयर्ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iv) विवादित व्यापार प्राप्य – (क्रेडीट इम्पेयर्ड) | **2.72** | **0.81** | **23.33** | **14.67** | **325.55** | - | - | **367.08** |

## गैर–चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च 2023

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | बिल नहीं किया गया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य | 39.02 | 38.13 | 172.50 | 288.06 | 1063.63 | - | - | 1601.34 |
| ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण हासित (क्रेडीट इम्पेयर्ड) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य | 0.89 | 5.28 | 16.95 | 66.50 | 1847.41 | - | - | 1937.03 |
| iv) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हासित (क्रेडीट इम्पेयर्ड) | 95.20 | 100.67 | 395.44 | 630.60 | 10377.20 | - | - | 11599.11 |

## गैर–चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च 2023

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | बिल नहीं किया गया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य | 2214.21 | 237.21 | 337.62 | 197.02 | 354.55 | - | - | 3340.61 |
| ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडीट इम्पेयड | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iv) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडीट इम्पेयड | 11.23 | 0.88 | 35.77 | 35.58 | 194.08 | - | - | 277.54 |

## नोट [7] – वित्तीय परिसंपत्तियाँ – अन्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 14 देखें।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| **प्रतिभूति जमा** | | | | |
| एसईबी, पोर्ट ट्रस्ट एवं अन्य के पास जमा | | | | |
| असुरक्षित, शोध्य | **83.96** | **116.98*** | 81.80 | 112.86* |
| साख का मूल्यह्रास | **3.59** | **11.32** | 2.87 | 11.69 |
| | **87.55** | **128.30** | 84.67 | 124.55 |
| घटाएँ: डूबे एवं संदिग्ध जमा के लिए भत्ते | **3.59** | **11.32** | 2.87 | 11.69 |
| | **83.96** | **116.98** | 81.80 | 112.86 |
| 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि | **-** | **-** | 4.93 | - |
| बैंक जमा पर अर्जित ब्याज | **-** | **140.68** | - | 76.62 |
| **कर्मचारियों को अग्रिम** | **-** | **20.61** | - | 22.19 |
| घटाएँ: डूबे और संदिग्ध अग्रिमों के भत्ते | **-** | **0.04** | - | 0.11 |
| | | **20.57** | | 22.08 |
| **कुल** | **83.96** | **278.23** | 86.73 | 211.56 |
| *अदालतों में जमा राशि ₹ 88.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 81.77 करोड़) शामिल है | | | | |
| प्रतिभूति जमा में शामिल है: | | | | |
| निदेशकों से प्राप्य | **-** | **-** | - | - |
| अधिकारियों से प्राप्य | **-** | **0.01** | - | 0.01 |

# नोट [8] – गैर चालू परिसंपत्तियाँ

## आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियां)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 13 देखें. (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ** | | |
| प्रावधान | **1654.02** | 1629.68 |
| भुगतान आधार पर देय राशि की अनुमति | **549.35** | 440.00 |
| मूल्यह्रास (पीपी–ई एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ) | **12.13** | 46.04 |
| करयोग्य हानि पर | **1105.79** | 1311.74 |
| अन्य | **101.33** | 102.62 |
| **उप कुल** | **3422.62** | 3530.08 |
| घटाएँ : आस्थगित कर देयताएं | **-** | - |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियां)** | **3422.62** | 3530.08 |

## आस्थगित कर शेषों में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 01 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि | प्रतिधारित आय में स्वीकृत | लाभ और हानि खाते का विवरण | ओसीआई में स्वीकृत | 31 मार्च, 2023 को शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ** | | | | | |
| प्रावधान | 1629.68 | - | 24.34 | - | **1654.02** |
| भुगतान आधार पर देय राशि की अनुमति | 440.00 | - | 103.54 | 5.81 | **549.35** |
| मूल्यह्रास (पीपी–ई एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ) | 46.04 | - | (33.91) | - | **12.13** |
| करयोग्य हानि पर | 1311.74 | - | (205.95) | - | **1105.79** |
| अन्य | 102.62 | - | (1.29) | - | **101.33** |
| **उप कुल** | **3530.08** | | **(113.27)** | **5.81** | **3422.62** |
| घटाएँ : आस्थगित कर देयताएं | | - | - | - | **-** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियां)** | **3530.08** | **-** | **(113.27)** | **5.81** | **3422.62** |

## नोट [9] – अन्य परिसंपत्तियाँ

ह्रास पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 14 देखें

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| **अनुबंध परिसंपत्तियाँ (बिना बिल किया हुआ राजस्व सहित)** | | | | |
| आरक्षित, शोध्य | **18928.58** | **10811.45** | 18248.24 | 8691.63 |
| साख का मूल्यह्रास | **2773.38** | **584.87** | 2768.53 | 663.72 |
| | **21701.96** | **11396.32** | 21016.77 | 9355.35 |
| घटाएँ: दोषयुक्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | **2773.38** | **584.87** | 2768.53 | 663.72 |
| **उप कुल (क)** | **18928.58** | **10811.45** | 18248.24 | 8691.63 |
| **सुरक्षा जमा** | | | | |
| कर प्राधिकरणों एवं अन्यों के पास जमा | | | | |
| आरक्षित, शोध्य | **103.09** | **378.58** | 79.96 | 443.32 |
| आरक्षित, संदिग्ध | **31.19** | **71.19** | 30.45 | 89.74 |
| | **134.28** | **449.77** | 110.41 | 533.06 |
| घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान | **31.19** | **71.19** | 30.45 | 89.74 |
| **उप कुल (ख)** | **103.09** | **378.58** | 79.96 | 443.32 |
| **ऋण व अग्रिम** | | | | |
| आरक्षित, शोध्य | | | | |
| क्रय के लिए अग्रिम (वेंडर एवं सब कॉन्ट्रैक्टर) | **41.14** | **128.69** | 41.54 | 56.42 |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य | **-** | **1079.97** | | 958.31 |
| वसूली योग्य दावे एवं अन्य | **210.04** | **652.15** | 139.76 | 642.85 |
| पूंजी अग्रिम | **17.29** | **-** | 17.04 | - |
| आरक्षित, अशोध्य | | | | |
| क्रय के लिए अग्रिम (वेंडर एवं सब कॉन्टैक्टर) | **11.92** | **9.65** | 11.50 | 35.69 |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य | **-** | **6.44** | | 5.38 |
| वसूलीयोग्य दावे एवं अन्य | **90.29** | **149.02** | 49.67 | 111.92 |
| पूंजी अग्रिम | **-** | **-** | 4.69 | - |
| | **370.68** | **2025.92** | 264.20 | 1810.57 |
| घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान | **102.21** | **165.11** | 65.86 | 152.99 |
| **उप–कुल (ग)** | **268.47** | **1860.81** | 198.34 | 1657.58 |
| **कुल (क+ख+ग)** | **19300.14** | **13050.84** | 18526.54 | 10792.53 |

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| i) निर्विवाद संविदा परिसंपत्तियां – शोध्य | **15020.29** | **10811.45** | 13874.67 | 8691.63 |
| ii) अविवादित संविदा परिसंपत्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड | **-** | **-** | - | - |
| iii) विवादित संविदा परिसंपत्तियां – शोध्य | **3908.29** | **-** | 4373.57 | - |
| iv) विवादित संविदा परिसंपत्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड | **2773.38** | **584.87** | 2768.53 | 663.72 |
| **कुल** | **21701.96** | **11396.32** | **21016.77** | **9355.35** |
| **ऋण व अग्रिम में शामिल है:** | | | | |
| (क) निदेशकों से प्राप्य | **-** | **-** | - | - |
| (ख) अधिकारियों से प्राप्य | **-** | **-** | - | - |

## नोट [10] - चालू परिसंपत्तियाँ
## माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 7 देखें। (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| कच्चा माल एवं अवयव | **2900.92** | | 2784.94 | |
| मार्गस्थ में सामग्री | **127.98** | **3028.90** | 129.30 | 2914.24 |
| चल रहा कार्य (उप ठेकेदारों वाली मदों सहित) | | **3482.75** | | 3349.47 |
| तैयार माल | | | | |
| इंटर डिविसन ट्रान्सफर इन ट्रांसिट | **422.57** | | 518.09 | |
| स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स | **89.20** | **511.77** | 89.85 | 607.94 |
| उत्पादन | | | | |
| ईंधन स्टोर | **149.68** | | 151.94 | |
| विविध | **6.14** | | 5.70 | |
| मिश्रित | **47.37** | **203.19** | 50.32 | 207.96 |
| अन्य माल सूची | | | | |
| फेब्रिकेटर्स/ ठेकोदारों के पास सामग्री | **85.43** | | 60.10 | |
| खुले औजार | **24.35** | | 24.32 | |
| स्क्रेप (अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य पर) | **163.30** | **273.08** | 143.26 | 227.68 |
| | | **7499.69** | | 7307.29 |
| घटाएँ: अचल माल सूची के लिए प्रावधान | | **743.79** | | 747.08 |
| **कुल** | | **6755.90** | | 6560.21 |
| **नोटः** | | | | |
| माल सूची का बट्टाकरण | | **59.72** | | 76.77 |
| घटाएँ: इसके उलट | | **63.01** | | 49.15 |
| शुद्ध | | **(3.29)** | | 27.62 |

## नोट [11] - चालू परिसंपत्तियां
## वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद और नकद के समकक्ष

नकद और नकद के समकक्ष पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 17 देखें। (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| बैंकों में शेष : | | | | |
| ईईएफसी खाता | 226.21 | | 28.20 | |
| चालू/नकद क्रेडिट खाता | 1205.22 | 1431.43 | 687.82 | 716.02 |
| कैश, डिमांड ड्राफ्ट ऑन हैन्ड | | 128.99 | | 13.06 |
| हाथ में नकदी एवं स्टेम्प ऑन हैन्ड | | 0.08 | | 0.08 |
| मार्गस्थ रेमिटेन्सेज | | 0.02 | | 3.46 |
| **कुल** | | 1560.52 | | 732.62 |

* विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एस्क्रो (एस्करो) खाते में ₹ 112.23 करोड़ शामिल हैं।

## नोट [12] - चालू परिसंपत्तियाँ
## वित्तीय परिसंपत्तियाँ – बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| 3 महीने से अधिक की लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता वाली फिक्स्ड डिपॉजिट | | 4852.34 | | 6211.12 |
| जारी किए गए बीजी के लिए मार्जिन मनी के नामे फिक्स्ड डिपॉजिट | | 213.43 | | 202.65 |
| बैंकों में बकाया राशि (निर्धारित): | | | | |
| चार्जिंग स्टेशन परियोजना | 7.06 | | 3.94 | |
| लावारिस लाभांश खाता | 1.91 | | 1.81 | |
| सीईएफ़सी खाता | 6.92 | | - | |
| अप्रत्यावर्तनीय खाता | 0.37 | | 1.52 | |
| बोनस अंक पर आंशिक शेयरों की बिक्री से आय | 0.03 | 16.29 | 0.03 | 7.30 |
| **कुल** | | 5082.06 | | 6421.07 |
| **कुल नकद एवं बैंक में जमा राशि [11 + 12]** | | 6642.58 | | 7153.69 |

## नोट [12] - चालू परिसंपत्तियाँ
## वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ / देयताएं (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| अग्रिम कर – टीडीएस | 285.80 | 180.71 |
| घटाएँ: कराधान के प्रावधान | 59.42 | 61.47 |
| **कुल** | 226.38 | 119.24 |

# नोट [14] - इक्विटी

## इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में) | राशि | शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में) | राशि |
| **क.इक्विटी शेयर पूंजी** | | | | |
| **प्राधिकृत** | **10000000000 (2)** | **2000.00** | 10000000000 (2) | 2000.00 |
| **जारी, सब्सक्राइब्ड एवं पूर्णतः प्रदत्त** | **3482063355 (2)** | **696.41** | 3482063355 (2) | 696.41 |
| क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान | | | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष | **3482063355** | **696.41** | 3482063355 | 696.41 |
| बढ़े/घटेः वर्ष के दौरान परिवर्तन | **-** | **-** | - | - |
| वर्ष के अंत में शेष | **3482063355** | **696.41** | 3482063355 | 696.41 |
| **ख) शेयरधारकों द्वारा वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरों का विवरण** | | | | |
| भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर) | **2199650402** | **63.17%** | 2199650402 | 63.17% |
| वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग का प्रतिशत परिवर्तन | | **Nil** | | Nil |
| भारतीय जीवन बीमा निगम | **350770257** | **10.07%** | 350769757 | 10.07% |
| प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹) | | **2.00** | | 2.00 |

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम/अधिकार

कंपनी के पास केवल 2 रुपये प्रति शेयर (पिछले वर्ष 2 रुपये प्रति शेयर) के बराबर मूल्य वाली श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है।

घ) बोनस शेयर जारी करना (31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के पिछले पाँच वर्षों में) कंपनी ने 03 अक्टूबर, 2017 को 1रू 2 के अनुपात में बोनस शेयर आवंटित किया, यानी दो मौजूदा पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के लिए एक इक्विटी शेयर। परिणामस्वरूप, भुगतान की गई पूंजी वित्त वर्ष 2016–17 में 489.52 करोड़ रुपये से बढ़कर आरक्षित निधि के पूंजीकरण द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 में 734.28 करोड़ रुपये हो गई।

(ङ) शेयर बायबैक (31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के पिछले पाँच वर्षों में)

कंपनी ने 25 अक्टूबर, 2018 के अपने बोर्ड के अनुमोदन को रद्द कर दिया, अपने 18,93,36,645 रुपये के शेयर 2 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को वापस खरीद लिया, जिनमें से प्रत्येक कुल जारी किए गए 5.16ः एवं पेड–अप इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्त वर्ष 2018–19 में 86 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर 1628,29,51,470 की राशि के लिए कंपनी के पात्र इक्विटी शेयरधारक को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, भुगतान की गई शेयर पूंजी वित्त वर्ष 2017–18 में 734.28 करोड़ रुपये से कम होकर वित्त वर्ष 2018–19 में 696.41 करोड़ रुपये हो गई।

## नोट [15] - अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| पूंजीगत कोष | **35.18** | 35.18 |
| पूंजी मोचन कोष | **37.87** | 37.87 |
| सामान्य कोष | **30476.66** | 30476.66 |
| प्रतिधारित आय | **(3648.43)** | (3956.70) |
| ओसीआई (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन) | **(335.53)** | (318.26) |
| कुल | **26565.75** | 26274.75 |

उपर्युक्त प्रत्येक विशिष्ट शीर्ष के तहत जोड़ने और कटौती के लिए, SOCIE (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) को देखा किया जा सकता है।

### आरक्षित कोष का स्वरुप एवं उद्देश्य

**(क) पूंजी कोषः** यह मुख्य रूप से बीएचईएल के साथ तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के समामेलन के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की लागत से अधिक निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

**(ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधिः** कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की खरीद पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित निधि में वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर राशि है।

**(ग) सामान्य आरक्षित निधिः** यह भविष्य में (ज्ञात / अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लाभ के संचय का प्रतिनिधित्व करता है।

**(घ) प्रतिधारित आयः** सामान्य कोष को हस्तांतरण, लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) या शेयरधारकों को भुगतान की गई अन्य राशि को घटाकर कंपनी द्वारा अर्जित लाभ कंपनी को प्रतिधारित आय हैं।

**(ङ) शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः मापः** योजना परिसंपत्तियों एवं वास्तव में हासिल की गई रिटर्न पर ब्याज से आय के बीच अंतर, एवं योजनाओं के भीतर एक्चुरियल धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष में देनदारियों में कोई भी परिवर्तन, 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता प्राप्त हैं एवं इसके बाद लाभ एवं हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत करने के लिए नहीं है।

## नोट [16] - वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

पट्टा पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 3 देखें।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| पट्टा देयताएं | **33.75** | **34.76** | 35.12 | 49.81 |
| **कुल** | **33.75** | **34.76** | 35.12 | 49.81 |

पट्टे के संबंध में/और अधिक विवरण नोट [39] में दिया गया है।

## नोट [17] - वित्तीय देयताएं – व्यापार देय

.

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| **व्यापार देय** | | | | |
| (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि | **128.11** | **1211.53** | 127.45 | 745.82 |
| (ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | **2065.92** | **8558.03** | 2004.48 | 6881.11 |
| (iii) स्वीकृत | **-** | **126.27** | - | 122.66 |
| **कुल** | **2194.03** | **9895.83** | 2131.93 | 7749.59 |

**सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| (i) लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया के रूप में आपूर्तिकर्ता का मूलधन* | 1359.41 | 886.81 |
| (ii) लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया, देय ब्याज | - | - |
| (iii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ, धारा 16 के संदर्भ में दिए गए ब्याज की राशि | - | - |
| (iv) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय एवं देने योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना। | - | - |
| (v) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि एवं वर्ष के अंत में अदत्त शेष | - | - |
| (vi) कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए बाद के वर्षों में भी बकाया एवं देय ब्याज की राशि जब तक कि, उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती है। | - | - |

* यहां बकाया के रूप में दिखाई गई राशि में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को नोट 17 और 18 में दर्शाई गई राशि शामिल है। यहां दिखाई गई राशि 31 मार्च, 2023 को अनुबंधित भुगतान के लिए देय नहीं है।

## गैर–चालू व्यापार देय कालप्रभावन कार्यक्रम – 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | बिल नहीं हुआ बकाया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) एमएसएमई | - | - | - | - | - | 125.82 | 125.82 |
| ii) अन्य | - | - | - | - | 0.36 | 1710.97 | 1711.33 |
| iii) विवादग्रस्त बकाया–एमएसएमई | - | - | - | 2.29 | - | - | 2.29 |
| iv) विवादग्रस्त बकाया – अन्य | 1.51 | 59.06 | 9.86 | 271.70 | 0.09 | 12.37 | 354.59 |

## चालू व्यापार देय कालप्रभावन कार्यक्रम – 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | बिल नहीं हुआ बकाया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) एमएसएमई | 0.02 | - | - | - | 196.38 | 1010.60 | 1207.00 |
| ii) अन्य | 581.83 | 0.58 | 0.27 | 2.10 | 1534.73 | 6455.49 | 8575.00 |
| iii) विवादग्रस्त बकाया–एमएसएमई | - | - | - | - | - | 4.53 | 4.53 |
| iv) विवादग्रस्त बकाया – अन्य | - | - | - | 6.98 | - | 102.32 | 109.30 |

## गैर–चालू व्यापार देय कालप्रभावन कार्यक्रम – 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | बिल नहीं हुआ बकाया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) एमएसएमई | - | - | - | - | 0.04 | 125.96 | 126.00 |
| ii) अन्य | - | - | - | - | 0.21 | 1637.95 | 1638.16 |
| iii) विवादग्रस्त बकाया–एमएसएमई | - | - | - | 0.50 | - | 0.95 | 1.45 |
| iv) विवादग्रस्त बकाया – अन्य | 0.32 | 59.58 | 27.22 | 261.62 | 0.09 | 17.49 | 366.32 |

## चालू व्यापार देय कालप्रभावन कार्यक्रम – 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | बिल नहीं हुआ बकाया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) एमएसएमई | - | - | - | - | 166.16 | 579.66 | 745.82 |
| ii) अन्य | 2.41 | - | - | - | 1497.22 | 5488.49 | 6988.12 |
| iii) विवादग्रस्त बकाया–एमएसएमई | - | - | - | - | - | - | - |
| iv) विवादग्रस्त बकाया – अन्य | 0.04 | 0.97 | 0.51 | 13.10 | - | 1.03 | 15.65 |

$ भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं, यह संविदात्मक रूप के अनुसार रखी गई रकम को दर्शाता है जो चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होना है।

* बकाया का विवरण संविदात्मक रूप से नियत तिथि के आधार पर दिया जाता है, लेकिन इनका भुगतान तभी किया जाएगा जब विवाद का समाधान उनके पक्ष में होगा।

## नोट [18] वित्तीय देयताएं– अन्य

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| ठेकेदारों एवं अन्य से जमा राशि | 247.10 | 416.66 | 206.45 | 431.36 |
| देयताएँ | | | | |
| - कर्मचारियों का बकाया | - | 384.33 | - | 214.05 |
| - पूंजीगत व्यय~ | 8.60 | 111.50 | 8.65 | 80.83 |
| - अन्य* | - | 354.33 | - | 386.92 |
| भुगतान नहीं किया गया लाभांश** | - | 1.91 | - | 1.81 |
| उधार पर ब्याज | - | 8.20 | - | 9.12 |
| **कुल** | 255.70 | 1276.93 | 215.10 | 1124.09 |

* अन्य में बोनस शेयरों के कारण भिन्नात्मक शेयरों की बिक्री आय ₹ 0.03 करोड़ शामिल हैं।
~ एमएसएमई के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 19.77 करोड़ और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 13.54 करोड़ शामिल हैं
**वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि देय और बकाया नहीं है।

## नोट [19] - प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 10 और 11 देखें।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| अनुबंधात्मक दायित्व | 2990.16 | 784.26 | 2620.03 | 1235.45 |
| कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान'* | 878.37 | 1383.68 | 856.82 | 1060.62 |
| दूसरे प्रावधान | 232.49 | 622.54 | 292.69 | 760.14 |
| कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ** | - | 6.15 | 1.67 | 10.49 |
| **कुल** | 4101.02 | 2796.63 | 3771.21 | 3066.70 |

*कर्मचारी लाभों पर अधिक विवरण/प्रकटीकरण नोट (25) में उपलब्ध है

**सीएसआर व्यय पर नोट (26) के बिन्दु VIII के अनुसार प्रकटीकरण

## नोट [20] - अन्य देयताएं

सरकारी अनुदान पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 12 देखें।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| "संविदागत देयताएं ( ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जिसमें राजस्व से अधिक बिलिंग भी शामिल है)।" | 2585.67 | 3049.34 | 2193.43 | 3854.33 |
| वैधानिक बकाया की तरफ देयताएँ | - | 908.32 | - | 775.55 |
| आस्थगित आय– सरकारी अनुदान # | 20.14 | 4.63 | 19.22 | 6.08 |
| **कुल** | 2605.81 | 3962.29 | 2212.65 | 4635.96 |

# सोलर पीवी प्लांट लगाने एवं माड्यूल विनिर्माण के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है

## नोट [21] - चालू वित्तीय देयताएं – उधार

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **प्रतिभूति** | | |
| बैक से ऋण | **1115.00** | - |
| | **4270.00** | 4745.00 |
| (कच्चे माल, घटकों, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल एवं भंडार के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत) | | |
| **उप– योग (क)** | **5385.00** | 4745.00 |
| अप्रतिभूति | | |
| **उप– योग (ख)** | **-** | - |
| **कुल उधार (क+ख)** | **5385.00** | 4745.00 |

**(i) स्वीकृत सीमा का विवरण**

| विवरण | स्वीकृत सीमा | उपयोग | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
| | | मूल्य (₹/करोड़) | % उपयोग | मूल्य (₹/करोड़) | % उपयोग |
| **गैर–निधि आधारित सीमाएं** | **54000** | **33602** | **62.23%** | **33936** | **62.84%** |
| बैंक गारंटी# | 51000 | 30853 | 60.50% | 31369 | 61.51% |
| साख पत्र (क्रेता क्रेडिट सहित) | 3000 | 2749 | 91.63% | 2567 | 85.57% |
| **फंड आधारित सीमाएं** | **6000** | **4270** | **71.17%** | **4745** | **79.08%** |
| डब्ल्यूसीडीएल | | 4270 | | 4745 | |
| पीसीएफसी | | शून्य | | शून्य | |
| **वाणिज्य पत्र** | **5000** | **शून्य** | | **शून्य** | |

"₹ 60000 करोड़ की कुल सहायता संघ सीमा (निधि आधारित, गैर–निधि आधारित) कच्चे माल, घटकों, प्रगति पर काम, तैयार माल, स्टोर, व्यापार प्राप्यें और अन्य वर्तमान और भविष्य दोनों वर्तमान संपत्ति के दृष्टिबंधक के माध्यम से पहले शुल्क द्वारा सुरक्षित।

कंपनी बैंकों की सीमा (फंड बेस रु. 9000 करोड़ और नॉन फंड रु. 51000 करोड़) के पुनः आवंटन पर सहयोगी बैंकों के साथ चर्चा कर रही है, जिससे समग्र सीमा रु. 60000 करोड़ पर अपरिवर्तित रहती है।

वाणिज्यिक पत्र असुरक्षित अल्पकालिक उधार की प्रकृति के होते हैं।

# बकाया बैंक गारंटियों में 31 मार्च, 2023 को पहले से बदले गए लेकिन वेकेशन के लंबित बीजी के कारण ₹4 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 439 करोड़) शामिल हैं। इसके अलावा, 31.03.2023 को बकाया बीजी ₹30849 करोड़ है। (पिछले वर्ष 30930 करोड़)

(ii) वित्त वर्ष 2022–23 में बैंकों से ऋण ₹ 4270 करोड़ WCDL (कार्यशील पूंजी मांग ऋण) और पिछले वर्ष के लिए, सावधि जमा के खिलाफ रु. 1115 करोड़ ऋण तथा ₹ 4745 करोड़ WCDL के लिए ऋण को दर्शाता है।

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल की गई त्रैमासिक रिटर्न या चालू संपत्ति के विवरण "खाता बहियां" के अनुरूप हैं।

(v) 31.03.2023 को बकाया स्वयं के दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी ₹ 403 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1165 करोड़) है।

(vi) वित्तीय गतिविधियों के कारण उधार में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष (नकद ऋण को छोड़कर) | **4745.00** | 4833.78 |
| वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह (नकद ऋण को छोड़कर) | **640.00** | (88.78) |
| अंतिम शेष (नकद ऋण को छोड़कर) | **5385.00** | 4745.00 |

वित्तीय गतिविधियों के कारण पट्टा देयता में परिवर्तन के लिए, नोट 36 [बी] देखें।

## नोट [22]
## परिचालनों से राजस्व

राजस्व मान्यता पर लेखाकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 8 देखें (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व** | | |
| निर्माण और परियोजना से संबंधित गतिविधि से राजस्व | **16083.09** | 14107.10 |
| उत्पाद और अन्य सेवाओं की बिक्री | **6053.21** | 6046.28 |
| **उप–योग (क)** | **22136.30** | 20153.38 |
| **अन्य परिचालन आय** | | |
| **भाड़ा व बीमा** | **187.84** | 129.35 |
| स्क्रेप बिक्री | **299.90** | 273.63 |
| आपूर्तिकर्ताओं से वसूली | **131.33** | 113.98 |
| रिटेन बैक देयताएं | **406.22** | 239.95 |
| बीमा दावे | **47.94** | 76.51 |
| निर्यात प्रोत्साहन | **19.63** | 50.50 |
| अन्य | **135.78** | 173.79 |
| **उप–योग (ख)** | **1228.64** | 1057.71 |
| **परिचालन से राजस्व (क + ख)** | **23364.94** | 21211.09 |
| परिचालन से प्राप्त राजस्व में माल और सेवा कर शामिल नहीं है | **3566.00** | 2970.00 |

## नोट [23]
### अन्य आय

राजस्व निर्धारण पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 8 देखें

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **ब्याज से आय*** | | |
| बैंकों से | **302.35** | 246.75 |
| अन्य | **118.77** | 56.04 |
| **उप–योग (क)** | **421.12** | 302.79 |
| **लाभांश आय** | | |
| संयुक्त उद्यमों में निवेश पर लाभांश (दीर्घकालिक व्यापार) | **26.18** | 30.35 |
| **उप–योग (ख)** | **26.18** | 30.35 |
| **अन्य आय** | | |
| निवेश की बिक्री से लाभ | **25.42** | - |
| कैप्टिव उपयोग के लिए सोलर पानी प्लांट पर सरकारी अनुदान | **8.90** | 6.20 |
| पीपीई व पूँजी स्टोर की बिक्री से लाभ (शुद्ध) | **7.76** | 6.90 |
| अन्य | **25.43** | 21.57 |
| **उप–योग (ग)** | **67.51** | 34.67 |
| **कुल अन्य आय (क+ख+ग)** | **514.81** | 367.81 |
| *टीडीएस शामिल है | **13.44** | 18.92 |

## नोट[24]
### तैयार माल, चालू कार्य एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन (वृद्धि)/कमी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| **चालू कार्य** | | | | |
| अंतिम शेष | **3482.75** | | 3349.47 | |
| आरंभिक शेष | **3349.47** | **(133.28)** | 3786.38 | 436.91 |
| **तैयार माल** | | | | |
| अंतिम शेष | **422.57** | | 518.09 | |
| आरंभिक शेष | **518.09** | **95.52** | 628.72 | 110.63 |
| **स्क्रेप** | | | | |
| अंतिम शेष | **163.30** | | 143.26 | |
| आरंभिक शेष | **143.26** | **(20.04)** | 147.46 | 4.20 |
| **मार्गस्थ अंतर प्रभागीय अंतरण** | | **0.65** | | (26.10) |
| **(वृद्धि)/कमी** | | **(57.15)** | | 525.64 |

## नोट [25]
## कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| वेतन, मजदूरी, बोनस, प्रावधान और अन्य लाभ | **4859.69** | 4710.99 |
| भविष्य निधि एवं अन्य में योगदान | **473.56** | 460.01 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | **244.69** | 239.89 |
| उपदान (ग्रेच्युटी) निधि में योगदान | **114.14** | 95.78 |
| समूह बीमा | **8.55** | 10.17 |
| **कुल** | **5700.63** | 5516.84 |

## नोट [26]
## अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| विद्युत व ईंधन | | **487.67** | | 415.08 |
| अन्य उप अनुबंधों पर व्यय | | **243.91** | | 243.72 |
| कैरिज आउटवर्ड | | **249.55** | | 241.23 |
| सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान | | **153.97** | | 148.93 |
| मरम्मत व अनुरक्षण: | | | | |
| भवन | **33.00** | | 27.32 | |
| प्लांट व मशीनरी | **32.41** | | 26.44 | |
| अन्य | **77.55** | **142.96** | 74.05 | 127.81 |
| बीमा | | **108.03** | | 95.88 |
| यात्रा व वाहन | | **110.59** | | 84.89 |
| बैंक प्रभार | | **90.76** | | 92.17 |
| आर एंड डी व्यय | | **12.81** | | 12.10 |
| भाड़ा व्यय | | **51.01** | | 48.22 |
| कोलबोरेशन्स व रॉयल्टी पर व्यय | | **54.61** | | 45.21 |
| दर एवं कर | | **36.62** | | 23.04 |
| कार्यालय व्यय | | **29.32** | | 27.32 |
| कौशल विकास पर व्यय | | **11.47** | | 12.83 |
| विधिक, लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन व्यय | | **47.67** | | 32.45 |
| ईडीपी, सॉफ्टवेयर व पट्टा व्यय | | **17.61** | | 17.40 |
| जल प्रभार | | **22.83** | | 20.50 |
| गैर आवासीय किराया | | **9.85** | | 12.77 |
| निर्यात संबंधी व्यय | | **8.64** | | 8.01 |

## नोट [26]
## अन्य व्यय (पिछले पृष्ठ से जारी)

((₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| शिष्टाचार व्यय | **3.14** | 2.73 |
| पर्यावरण सुरक्षा | **5.14** | 4.59 |
| सेमिनार, विकास एवं प्रशिक्षण व्यय | **2.90** | 1.28 |
| इक्विटी शेयर के निवेश में अप्राप्त हानि | **0.16** | 0.29 |
| प्रचार एवं जनसम्पर्क व्यय | **3.62** | 1.94 |
| विविध व्यय | **49.29** | 49.97 |
| विनिमय भिन्नता [शुद्ध (लाभ) / हानि] | **(459.93)** | (81.62) |
| प्रावधान और बट्टे खाते में डालना (नीचे बिंदु संख्या vii पर विवरण) | **(847.17)** | (1526.25) |
| योग | **647.03** | 162.49 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **आगे की जानकारी:** | | |
| (i) विधिक, लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन व्यय शामिल है: | | |
| सांविधिक लेखापरीक्षकों का भुगतान: | | |
| लेखापरीक्षा शुल्क | **1.01** | 0.97 |
| कर लेखापरीक्षा | **0.22** | 0.21 |
| तिमाही सीमित समीक्षा एवं अन्य | **0.60** | 0.60 |
| लेखापरीक्षा व्यय | **0.12** | 0.08 |
| लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान: | **0.16** | 0.15 |
| (ii) निदेशकों का शुल्क | **0.26** | 0.25 |
| (iii) विभागीय मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय: | | |
| प्लांट व मशीनरी | **175.59** | 159.08 |
| भवन | **31.41** | 33.06 |
| अन्य | **33.34** | 33.09 |
| (iv) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय | **128.49** | 122.83 |
| (v) विदेश यात्राओं पर व्यय | | |
| दौरों की संख्या | **302** | 127 |
| व्यय | **5.57** | 1.92 |

(vi) प्रावधान एवं बट्टे खाते:

(परिसंपत्तियों का प्रावधान एंव इम्पेयरमेन्ट के संबंध में 2 के नोट 11 एवं 14 का संदर्भ ग्रहण करें) (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| **संदिग्ध ऋण, परिसमाप्त क्षति और ऋण, अग्रिम और जमा** | | | | |
| वर्ष के दौरान सृजित | **885.10** | | 729.55 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी | **1112.29** | **(227.19)** | 2209.16 | (1479.61) |
| **संविदात्मक दायित्व** | | | | |
| वर्ष के दौरान सृजित | **313.68** | | 151.95 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी | **881.27** | **(567.59)** | 526.44 | (374.49) |
| **अन्य** | | | | |
| वर्ष के दौरान सृजित | **171.95** | | 367.26 | |
| कमः वर्ष के दौरान निकासी | **372.24** | **(200.29)** | 389.38 | (22.12) |
| बट्टे खाते डाला गया निवेश | | | | 5.36 |
| बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण | | **30.62** | | 98.34 |
| निर्णीत हर्जाना और वसूला गया संविदात्मक शुल्क | | **113.55** | | 233.59 |
| बट्टे खाते डाली गई हानि | | **3.73** | | 12.68 |
| **कुल प्रावधान और बट्टे खाते डालना** | | **(847.17)** | | (1526.25) |

(vii) **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा डीपीआई से जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार , अपनी सीएसआर नीति में कंपनी को प्रत्येक वित्त वर्ष में अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का कम से कम 2% हिस्सा व्यय करना आवश्यक है ।

वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर व्यय विवरण इस प्रकार हैः (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि | **-** | - |
| ख. पिछले वर्ष से उपलब्ध राशि | **12.16** | 21.27 |
| **ग. कुल (अ+ब)** | **12.16** | 21.27 |
| घ. वर्ष के दौरान निम्न पर व्यय राशि– | | |
| (i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण | **-** | - |
| (ii) उक्त (i के अलावा अन्य उद्देश्यों पर | **6.01** | 9.11 |
| **कुल** | **6.01** | 9.11 |
| **राशि अग्रेषितः** | **6.15** | 12.16 |
| चालू | **6.15** | 10.49 |
| गैर चालू | **-** | 1.67 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| | कैश में | कैश मेंभुगतान किया जाना है | कैश में | कैश मेंभुगतान किया जाना है |
| (i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण | - | - | - | - |
| (ii) उक्त (i के अलावा अन्य उद्देश्यों पर | **4.69** | **1.32** | 6.14 | 2.97 |
| **कुल** | **4.69** | **1.32** | 6.14 | 2.97 |
| **सीएसआर गतिविधियों के प्रकार** | स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, जिम्मेदारी और समावेशिता, आपदा राहत, जल, जैव विविधता, कार्बन और अपशिष्ट प्रबंधन | | | |

चल रही परियोजनाओं पर अव्ययित राशि ₹ 21.27 करोड़ कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम 2022 के अनुसार पिछले साल एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था और इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

## नोट [27]

## वित्तीय लागत

उधार लेने की लागत और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के नोट 5 [2] के बिंदु 5 और 11 देखें.

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| वाणिज्यिक पत्र पर छूट | | **51.17** | | 137.41 |
| प्रावधान की समाप्तिः | | **160.50** | | 156.01 |
| ब्याज लागतः | | | | |
| बैंक/वित्तीय संस्थान | **296.55** | | 46.65 | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | **1.45** | | 0.74 | |
| पट्टा दायित्व पर | **7.03** | | 8.50 | |
| अन्य | **4.24** | **309.27** | 4.01 | 59.90 |
| वाणिज्यिक पत्र जारी करने पर अन्य व्यय | | **0.49** | | 1.40 |
| **उप कुल** | | **521.43** | | 354.72 |
| घटाएंः पूंजीकृत उधार लागत | | **-** | | - |
| **कुल** | | **521.43** | | 354.72 |

## नोट [28]
## कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के नोट [2] बिंदु 13 देखें

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| **चालू कर** | | | | |
| वर्तमान वर्ष के लिए | **47.88** | | 48.86 | |
| पहले के वर्षों के लिए | **(159.10)** | **(111.22)** | (125.99) | (77.13) |
| **आस्थगित कर** | | | | |
| वर्तमान वर्ष के लिए | **114.02** | | 108.96 | |
| पहले के वर्षों के लिए | **(0.75)** | **113.27** | (5.12) | 103.84 |
| **कुल** | | **2.05** | | 26.71 |

## नोट [29]
## अन्य व्यापक आय/व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| आय/(व्यय) | | |
| परिभाषित कर्मचारी लाभ का पुनः मापन | **(23.08)** | 102.72 |
| घटाएँ: उक्त मदों से संबंधित आय कर * | **(5.81)** | 25.85 |
| **कुल** | **(17.27)** | 76.87 |
| * शामिल है | | |
| चालू कर | **-** | - |
| आस्थगित कर | **(5.81)** | 25.85 |

**आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) का आयकर दर से गुणा के बाद पुनर्मिलान**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **कर पूर्व कुल व्यापक आय/हानि (टीसीआई) (क)** | **426.52** | 539.67 |
| **सांविधिक आय कर दी दर (ख)** | **25.168%** | 25.168% |
| **कर व्यय ग = (कxख)** | **107.35** | 135.82 |
| **के कारण अंतर: (घ)** | | |
| कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य व्यय नही | **48.74** | 48.61 |
| विशेष दर पर कर योग्य आय के कारण कर में अंतर | **-** | (0.76) |
| कर व्यय में परिवर्तन – पहले के वर्ष | **(159.85)** | (131.11) |
| **उप– योग (घ)** | **(111.11)** | (83.26) |
| **शुद्ध कर व्यय ङ = (ग+घ)** | **(3.76)** | 52.56 |

## नोट [30]
## प्रति शेयर अर्जन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| इक्विटी शेयरधारकों के लाभ/हानि | **447.55** | 410.24 |
| इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | **348.21** | 348.21 |
| **प्रति शेयर मूल एवं मासिक आय ₹ 2** | **1.29** | 1.18 |

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारांक औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूट हुए अर्जन की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ को जाती है हो कि प्रति शेयर पर बेसिक अर्जन प्राप्त करने के लिए मानी जानी वाली इक्विटी शेयरों की वेटेज औसत संख्या से होती है एवं उन सभी इक्विटी शेयरों की वैटेज औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

## नोट [31]
## प्रति शेयर लाभांश

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश जिनकी पहचान देनदरियों में नहीं की गई हैं** | | |
| प्रति क्वालीफाइंग इक्विटी शेयर पर रूपए 0.40 वित्त वर्ष 2022–22 के लिए और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए | **139.28** | 139.28 |

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और बैलेंस शीट की तारीख में देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

## नोट [32] - आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| **क. आकस्मिक देनदारियां** | | |
| **कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में नहीं माने गए:** | | |
| (क) बिक्री कर मामला | **1227.09** | 1279.61 |
| (ख) सेवा कर मामलें | **606.56** | 920.46 |
| (ग) कोर्ट और मध्यस्थता मामलें | **711.81** | 592.77 |
| (घ) एक्साइज ड्यूटी मामलें | **166.39** | 162.18 |
| (ङ) सीमा शुल्क और अन्य | **934.51** | 880.06 |
| (च) वस्तु एवं सेवा कर | **4.14** | - |
| (छ) अन्य मामले (विवादित स्टाफ मामलों सहित) | **59.69** | 48.37 |
| (ज) निर्णीत हर्जाना (एलडी) के अंतर्गत दावे | **3596.61** | 2872.25 |
| **कुल** | **7306.80** | 6755.70 |

वार्षिक समीक्षा | कॉर्पोरेट प्रोफाइल | निदेशक मण्डल रिपोर्ट | वित्तीय विवरण (एसएफएस) | अतिरिक्त जानकारी | सूचना

(i) कंपनी द्वारा विभिन्न अदालतों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को देखते हुए, इस स्तर पर संसाधनों के बहिर्वाह का इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है। आमतौर पर, अदालत और मध्यस्थता मामलों की आकस्मिक देयताएं पुरस्कार/अदालत के निर्णय पर निर्भर होता है और आकस्मिक देयता की मामले दर मामले के आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

(ii) संबंधित कार्यवाहियों में संकल्प के लंबित होने के कारण (क) से (च), यदि कोई हो, के संबंध में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, नकदी के बहिर्वाह की संभावना आकस्मिक है।

(iii) परिनिर्धारित क्षति परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है जो विलंब विश्लेषण के आधार पर परियोजना की कमीशनिंग और ट्रायल ऑपरेशन के बाद निपटाया जाएगा और इसका प्रकटीकरण एएस–37 के अनुरूप किया जा रहा है।

(iv) **आकस्मिक देनदारियों में परिवर्तन** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **वर्ष के प्रारभ में शेष** | **6755.70** | 6045.49 |
| घटाएं: प्रारम्भिक शेष में कमी | **727.70** | 129.84 |
| बढ़ोतरी वर्ष के दौरान वृद्धि (शुद्ध) | **1278.81** | 840.05 |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **7306.80** | 6755.70 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **ख. प्रतिबद्धताएं** | | |
| (क) अनुबंध की अनुमानित राशि, शुद्ध अग्रिम, बाकी शेष को पूंजी खाते पर | **282.05** | 209.20 |
| निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था। (उपर्युक्त में अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित सम्मिलित हैं) | **32.71** | 7.56 |
| (ख) संयुक्त उद्यम संस्थाओं में निवेश जिसके लिए कंपनी को परियोजना के निगमन/वाणिज्यिक संचालन/परियोजना की पहली इकाई/पहली ईपीसी अनुबंध के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए उनके निपटान के लिए प्रतिबंध है,जैसा भी मामला हो। | **50.00** | 50.00 |

(ग) व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध होने के नाते सामग्री की खरीद के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं जिसे सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया माना गया है।

## नोट [33]

वर्तमान वित्तीय देनदारियों में 1990–91 तक सरकार के अनुरोध पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में भारत सरकार द्वारा मांगे गए गारंटी शुल्क के लिए **₹100.51 करोड़** (पिछले वर्ष ₹100.51 करोड़) की राशि शामिल है। चूंकि कंपनी द्वारा ऋण (सरकार द्वारा गारंटीकृत) लिए जाने के समय इस तरह के गारंटी शुल्क के भुगतान के लिए कोई शर्त नहीं थी, उचित कार्रवाई के लिए मामले की समीक्षा की जा रही है।

## नोट [34]

कंपनी ने अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (ASSCP), गुड़गांव को 1 अप्रैल 1999 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) से 30 साल की अवधि के लिए लीज पर लिया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक पट्टा समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

## नोट [35]

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और स्टॉक / सामग्री उप–ठेकेदारों / फैब्रिकेटर के पास प्रदर्शित शेष राशि पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है, ग्राहक द्वारा अनुमोदित बिलिंग अनुसूची के अनुसार अनुबंध के अनुसार ग्राहकों पर बिल बनाए जाते हैं और समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है और जहां भी आवश्यक समझा जाता है, प्रावधान किए जाते हैं। ग्राहक के साथ अंतिम समाधान परियोजना के पूरा होने पर किया जाता है (परीक्षण संचालन और पीजी परीक्षण पूरा हो गया है)। पूर्ण की गई परियोजनाओं का प्राप्य व्यापार ₹ 7963 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7593 करोड़) है। पूर्ण किए गए अनुबंधों में से, ग्राहकों के साथ समाधान की गई परियोजनाओं पर ₹6185 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6376 करोड़) की बकाया व्यापार प्राप्यं हैं।

## नोट [ 36 ]
## पट्टों पर प्रकटीकरण–इंड एएस 116

**पट्टो पर प्रतिबद्धताएं – पट्टेदार के रूप में**

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे समझौते भूमि, भवन और ईडीपी उपकरणों के संबंध में हैं। कंपनी ने कंप्यूटर आइटम, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और पेरिरल्स पट्टा व्यवस्था के लिए एक दर अनुबंध किया है। पट्टे पर ली गई संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के प्रयोग के अधिकार का संपत्ति के रूप में अलग से प्रकटीकरण किया जाता है। पट्टा रेंटल को ब्याज, रखरखाव और मूलधन मूल्य के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और रखरखाव शुल्क लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है और मूल राशि को पट्टा देयताओं के लिए समायोजित किया जाता है।

**कंपनी ने निम्न उपलब्ध व्यावहारिक उपायों को लागू किया:**

(i) 12 माह से कम पट्टा अवधि के पट्टों पर अल्पकालिक छूट।

(ii) अल्पमूल्य (50000 रुपये से कम की संपत्ति) की आधारभूत परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए अल्पमूल्य पट्टा छूट।

**क) पट्टा देयताओं का आयु–वार विश्लेषण निम्नानुसार है**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य के न्यूनतम पट्टे के भुगतान | | ब्याज | | न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य (पीवी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | की स्थिति | | की स्थिति | | की स्थिति | |
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| एक वर्ष से भीतर # | **36.62** | 54.51 | **3.52** | 6.60 | **33.10** | 47.91 |
| एक वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर | **34.60** | 40.52 | **2.78** | 5.40 | **31.82** | 35.12 |
| 5 वर्ष के बाद | **2.14** | - | **0.21** | - | **1.93** | - |

# उन पट्टों के संबंध में भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि जहां 31 मार्च, 2023 के अंत तक शेष पट्टा अवधि 12 महीने से कम है, 7.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.54 करोड़ रुपये) है।

**ख) वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान पट्टा देनदारियों में परिवर्तन**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | तिथि को | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| **1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताए*** | **84.93** | 101.61 |
| जोड़ें: परिवर्धन | **33.58** | 33.18 |
| जोड़ें ब्याज की वृद्धि | **7.03** | 8.50 |
| घटाएं: भुगतान/समायोजन | **57.04** | 58.36 |
| **31 मार्च की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं*** | **68.50** | 84.93 |

* मार्च 31, 2023 और मार्च 31, 2022 को क्रमशः 1.66 करोड़ रुपये (FY 1.90 करोड़ रुपये) और 1.90 करोड़ रुपये (FY 2.96 करोड़ रुपये) का ब्याज शामिल है।

**ग) लाभ या हानि में मान्य राशि:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | को समाप्त वर्ष से अनुसार | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (कृपया नोट संख्या 34 देखें) | **4.91** | 2.27 |
| कम मूल्यों की पट्टा संपत्ति से संबंधित व्यय (कृपया नोट संख्या 34 देखें) | **1.26** | 1.23 |
| प्रयोग की गई संपत्ति का मूल्यह्रास शुल्क | **33.00** | 42.35 |
| ब्याज पर व्यय (वित्त लागत सहित) | **7.03** | 8.50 |

**ग) कंपनी के पास विभिन्न पट्टा अनुबंध हैं जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इन न रद्द करने योग्य पट्टा अनुबंधों के लिए भावी पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | के समाप्त वर्ष से अनुसार | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| अधिकतम एक वर्ष तक | **0.04** | - |
| एक वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर | **0.06** | - |
| पाँच वर्ष के बाद | **-** | - |

## नोट 37] - "कर्मचारी लाभ" पर प्रकटीकरण – इंड एएस 19

**क. कंपनी के पास परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्न योजनाएं है:**

i) उपदान (ग्रेच्युटी) योजना

ii) सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य योजना

iii) भविष्य निधि योजना

iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा

### (i) ग्रेच्युटी (वित्तपोषित योजना)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है वह सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन पर ग्रेच्युटी (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का पात्र है, अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है। ग्रेच्युटी देयताएं भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जिसकी सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। अनुमानित इकाई क्रेडिट बीमांकिक विधि के उपयोग से देयताओं का मूल्यांकन किया गया है।

### ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | निर्धारित लाभ देयताएं | | नियोजित सम्पत्तियों का उचित मूल्य | | शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देनदारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च से अनुसार | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| **प्रारंभिक शेष** | **1933.60** | 2005.26 | **1581.44** | 1697.44 | **352.16** | 307.82 |
| वर्ष के लाभ में सम्मिलित: | | | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | **89.49** | 95.78 | **-** | - | **89.49** | 95.78 |
| पिछली सेवा लागत | **-** | - | **-** | - | **-** | - |
| ब्याज लागत/(आय) | **135.35** | 135.35 | **110.70** | 135.35 | **24.65** | - |
| **वर्ष के लाभ में स्वीकृत कुल राशि** | **224.84** | 231.13 | **110.70** | 135.35 | **114.14** | 95.78 |
| अन्य व्यापक आय (ओसीआई) मे सम्मिलित | | | | | | |
| पुनर्मापन हानि (लाभ ): | | | | | | |
| बीमांकित हानि (लाभ) से उतप्न्न: | | | | | | |
| जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन | **(19.36)** | - | **-** | - | **(19.36)** | - |
| वित्तीय अनुमान में परिवर्तन | **(74.88)** | (47.57) | **-** | - | **(74.88)** | (47.57) |
| अनुभव समायोजन | **23.95** | (19.22) | **(0.73)** | (15.35) | **24.68** | (3.87) |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **(70.29)** | (66.79) | **(0.73)** | (15.35) | **(69.56)** | (51.44) |
| **अन्य** | | | | | | |
| नियेक्ता द्वारा भुगतान किया गया योगदान | **-** | - | **-** | - | **-** | - |
| लाभ का भुगतान किया गया | **(237.93)** | (236.00) | **(237.93)** | (236.00) | **-** | - |
| लाभ जिसका भुगतान नहीं हुआ | | | | | | |
| **अंतिम शेष** | **1850.22** | 1933.60 | **1453.48** | 1581.44 | **396.74** | 352.16 |

### नियोजित परिसम्पत्तियों का विवरण

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि* | **79.03%** | 76.96% |
| उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (उद्घृत) | **16.52%** | 19.55% |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्घृत) | **3.00%** | 2.80% |
| बैंक शेष | **1.45%** | 0.69% |
| **कुल** | **100.00%** | 100.00% |

*बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम है

**बीमांकिक अनुमान**

रिपोर्टिंग के दिनांक तक निम्नलिखित मुख्य अनुमान थे:

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| **आर्थिक अनुमानः** | | |
| छूट की दर | **7.40%** | 7.00% |
| वेतन वृद्धि दर | **प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष** | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष |
| **जनसांख्यिकीय अनुमानः** | | |
| सेवानिवृत्ति की आयु का | **60** | 60 |
| मृत्यु दर तालिका | **IALM का 100% (2012-14)** | IALM का 100% (2012-14) |
| **निकासी दर % (सभी आयु वर्ग )** | | |
| 30 वर्ष तक | **3%** | 3% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1%** | 2% |
| 44 वर्ष से अधिक | **1%** | 1% |

**संवेदनशीलता विश्लेषण**

महत्वपूर्ण मूल अनुमानों में परिवर्तन के कारण परिभाषित लाभ की संवेदनशीलता इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | ग्रेच्युटी | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | | 31 मार्च, 2022 को | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर में बदलाव (0.50% संचालन) | **(91.64)** | **99.80** | **(91.26)** | 99.51 |
| वेतन वृद्धि दर (0.50% संचालन) में परिवर्तन | **36.56** | **(42.09)** | **43.70** | (47.40) |

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता प्रत्यक्ष नहीं है और इसलिए इन के कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति पूर्व पेंशन वृद्धि दर और जीवन की आशा के रूप में संवेदनशीलता नहीं लागू होती हैं।
उपर्युक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग–अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से संबद्ध हो सकते हैं।

**भविष्य के वर्षों में उपदान (ग्रेच्युटी) योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | उपदान (ग्रेच्युटी) | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| एक वर्ष के अंदर | **160.65** | 213.13 |
| 1–2 वर्ष के बीच में | **135.51** | 149.43 |
| 2–3 वर्ष के बीच में | **113.15** | 134.26 |
| 3–4 वर्ष के बीच में | **100.52** | 112.14 |
| 4–5 वर्ष के बीच में | **88.94** | 98.80 |
| 5–6 वर्ष के बीच में | **80.57** | 87.74 |
| 6 वर्ष के बाद | **1170.88** | 1138.10 |
| **कुल** | **1850.22** | 1933.60 |

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान ₹ 102.96 करोड़ रु होगा।
समीक्षाधीन अवधि के अंत में ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना देयताएं की भारित औसत 14.60 वर्ष (31 मार्च 2022 ₹ 14.81 वर्ष) है।

### जोखिम एक्सपोजर

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित हैं, जो गतिशील प्रकृति के हैं और समय के साथ परिवर्तनशील हैं। कंपनी के समक्ष विभिन्न जोखिम जैसे वेतन वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु, विकलांगता और निकासी उपलब्ध है।

### (ii) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति /पत्नी को कंपनी के अस्पतालों / इंपाइनेल्ड अस्पतालों में मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है, जो कंपनी के मेडिकल नियमों के अधीन हैं। वे कंपनी द्वारा तय की गई सीमा में बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए वार्षिक देयताएं वास्तविक मूल्यांकन आधार पर मान्य की जाती हैं।

### सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयताओं में संचलनः

(₹ करोड़ में)

| विवरण | निर्धारित लाभ देयताएं | | नियोजित सम्पत्तियों का उचित मूल्य | | शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देनदारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च से अनुसार | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| **प्रारंभिक शेष** | **2210.85** | 2255.85 | **1919.34** | 1948.34 | **291.51** | 307.51 |
| वर्ष के लाभ में सम्मिलितः | | | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | **40.29** | 39.26 | **-** | - | **40.29** | 39.26 |
| पिछली सेवा लागत | **-** | - | **-** | - | **-** | - |
| ब्याज दर/(आय) | **154.76** | 152.27 | **134.36** | 152.27 | **20.40** | - |
| **वर्ष के लाभ में शामिल कुल राशि** | **195.05** | 191.53 | **134.36** | 152.27 | **60.69** | 39.26 |
| अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलितः | | | | | | |
| पुनमार्पन हानि (लाभ): | | | | | | |
| बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्नः | | | | | | |
| जनसांख्यिकीय अनुमान | **18.72** | - | **-** | - | **18.72** | - |
| वित्तीय धारणा | **(96.85)** | (54.57) | **-** | - | **(96.85)** | (54.57) |
| अनुभव का समायोजन | **109.13** | (16.96) | **(34.48)** | (16.27) | **143.61** | (0.69) |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **31.00** | (71.53) | **(34.48)** | (16.27) | **65.48** | (55.26) |
| **अन्य** | | | | | | |
| नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गये अंशदान | | | | | | |
| भुगतान किए गये लाभ | **(187.30)** | (165.00) | **(187.30)** | (165.00) | **-** | - |
| **अंतिम शेष** | **2249.60** | 2210.85 | **1831.92** | 1919.34 | **417.68** | 291.51 |

कंपनी की नियोजित परिसम्पत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। कंपनी के फंड देयताओं के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रबंधित एक न्यास के माध्यम से चलाया जा रहा है।

## बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे:

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| **आर्थिक अनुमान:** | | |
| छूट की दर | **7.40%** | 7.00% |
| वेतन वृद्धि दर | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष |
| **जनसांख्यिकीय अनुमान:** | | |
| सेवानिवृत्ति की आयु | **60** | 60 |
| मृत्यु दर तालिका | **100% of IALM (2012-14)** | 100% of IALM (2012-14) |
| **निकासी दर: (सभी आयु वर्ग)** | | |
| 30 वर्ष तक | **3%** | 3% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1%** | 2% |
| 44 वर्ष से अधिक | **1%** | 1% |

## संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयताओं की संवेदनशीलता है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | | 31 मार्च, 2022 को | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर में बदलाव (0.50% संचलन) | **(105.76)** | **104.84** | **(100.44)** | 101.60 |
| वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में परिवर्तन | **106.07** | **(104.21)** | **101.79** | (100.97) |

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता प्रत्यक्ष नहीं है और इसलिए इन के कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।
उपर्युक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग–अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से संबद्ध हो सकते हैं।

**भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता का विश्लेषण:** (₹ करोड़ में)

| विवरण | सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| एक वर्ष के अंदर | **183.29** | 133.39 |
| 1–2 वर्ष के बीच में | **198.87** | 140.73 |
| 2–3 वर्ष के बीच में | **203.84** | 149.11 |
| 3–4 वर्ष के बीच में | **210.98** | 158.65 |
| 4–5 वर्ष के बीच में | **220.47** | 169.44 |
| 5–6 वर्ष के बीच में | **228.18** | 181.98 |
| 6 वर्ष के बाद | **1003.97** | 1277.55 |
| **कुल** | **2249.60** | 2210.85 |

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित योगदान 49.81 करोड़ रुपये है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.78 वर्ष (31 मार्च 2022 को रू. 12.42 वर्ष) है।

### जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित हैं, जो प्रकृति में गतिशील हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं, कंपनी विभिन्न जोखिमों जैसे कि चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट की दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी को प्रकट करती है।

### ((iii) भविष्य निधिः

कंपनी पृथक न्यास को पूर्वनिर्धारित दरों पर नियत भविष्य निधि योगदान का भुगतान करती है जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्टि न्यूनतम दर में वापसी सुनिश्चित करना कंपनी की देयताएं है। तदनुसार, कंपनी ने एक्चयूरी से रिपोर्ट प्राप्त की है, एक्चुरियल वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देयताओं के अनुसार जहां भी संभावित ब्याज की कमी उत्पन्न हो, के लिए, खातों में इसका प्रावधान किया गया है।

**भविष्य निधि न्यास में ब्याज की कमी का विवरणः**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष के अंत तक | |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयताएं में अधिकता/(कमी) | **(14.90)** | 1.26 |
| एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर पीएफ ब्याज देयताओं में कमी के लिए संचित प्रावधान | **28.10** | 13.20 |
| पुनमार्पन लाभ / (हानि) अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त है | **(24.20)** | (1.39) |
| ब्याज की कमी/ (अधिशेष) लाभ और हानि विवरण के माध्यम से हिसाब | **(9.30)** | (2.65) |

कंपनी में विभिन्न स्थानों पर स्थित पीएफ न्यास हैं जो संबंधित कर्मचारियों को सेवा प्रदान करते हैं और इनका प्रबंधन अलग से किया जाता है। नियोजित संपत्ति और देयताओं का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

| स्थान | निर्धारित लाभ देयताएं | | नियोजित परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य तक | | अधिशेष/(कमी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| बीएचईएल ईपीएफ न्यास, रानीपुर, हरिद्वार | **1764.84** | 1664.32 | **1776.01** | 1680.03 | **11.17** | 15.71 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि – तिरुचि | **916.65** | 935.88 | **906.77** | 929.35 | **(9.88)** | (6.53) |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल | **1493.84** | 1394.81 | **1487.41** | 1395.61 | **(6.43)** | 0.80 |
| बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि न्यास | **1433.99** | 1375.80 | **1433.50** | 1386.09 | **(0.49)** | 10.29 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि – हैदराबाद | **843.58** | 823.06 | **871.94** | 853.42 | **28.36** | 30.36 |
| बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ न्यास, चेन्नई | **907.95** | 854.23 | **896.65** | 847.56 | **(11.30)** | (6.67) |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–बेंगलुरु | **614.87** | 620.46 | **626.89** | 627.07 | **12.02** | 6.61 |
| बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ न्यास, रानीपेट | **332.24** | 357.05 | **332.46** | 359.84 | **0.22** | 2.79 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास झांसी | **476.99** | 455.36 | **491.52** | 468.66 | **14.53** | 13.30 |
| भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि–विजाग | **148.74** | 145.91 | **186.84** | 179.46 | **38.10** | 33.55 |
| **कुल** | **8933.69** | 8626.88 | **9009.99** | 8727.09 | **76.30** | 100.21 |

भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास (समेकित) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | परिभाषित लाभ देयताएं | | नियोजित परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य | |
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| **आरम्भिक शेष** | **8626.88** | 8395.04 | **8727.09** | 8465.86 |
| वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित: | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | **353.89** | 337.15 | **-** | - |
| ब्याज लागत / (आय) | **683.04** | 657.45 | **683.04** | 657.45 |
| **वर्ष के लाभ में शामिल:** | **1,036.93** | 994.60 | **683.04** | 657.45 |
| **अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित:** | | | | |
| पुनर्मार्पन हानि (लाभ): | | | | |
| बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्न होने वाली: | | | | |
| जनसांख्यिकी अनुमान | | | | |
| वित्तीय अनुमान | **(1.22)** | (1.65) | | - |
| अनुभव समायोजन | **(4.04)** | 3.54 | **(29.15)** | 31.28 |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि:** | **(5.26)** | 1.89 | **(29.15)** | 31.28 |
| **अन्य** | | | | |
| नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान | **-** | | **353.89** | 337.15 |
| कर्मचारी अंशदान | **717.79** | 725.84 | **717.79** | 725.84 |
| लाभ का भुगतान किया | **(1862.90)** | (1904.95) | **(1862.90)** | (1904.95) |
| समायोजन/अंतरण | **420.24** | 414.46 | **420.24** | 414.46 |
| **अंतिम शेष** | **8933.68** | 8626.88 | **9009.99** | 8727.09 |

नोटः घाटे वाले पीएफ न्यास के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ–हानि विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से लेखांकित की गई है जैसा कि ऊपर बिंदु (I) के अंतर्गत दिखाया गया है।

उपरोक्त के अलावा, पुनर्प्राप्ति के सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ट्रस्ट निवेश में कमी भी संचयी रूप से 68.47 करोड़ प्रदान की गई है।

## नियोजित परिसम्पत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| भारत सरकार की प्रतिभूतियां [कोटिड] | **905.49** | 1026.09 |
| राज्य सरकार प्रतिभूतियां [उद्घृत] | **4451.33** | 4061.08 |
| कॉर्पोरेट बॉन्डस् [उद्घृत] | **3017.93** | 3062.28 |
| विशेष जमा [अनकोटिड/अनउद्धृत] | **364.71** | 384.27 |
| लिक्विड फंड [उद्घृत] | **17.19** | 14.25 |
| अल्पावधि जमा [अनउद्घृत] | **33.46** | 13.07 |
| म्यूचुअल फंड एवं इक्विटी शेयर [उद्घृत] | **219.88** | 166.05 |
| **कुल** | **9009.99** | 8727.09 |

**बीमांकिक अनुमान**

रिपोर्टिंग की तिथि को प्रमुख बीमांकिक अनुमान इस प्रकार थे:

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| **आर्थिक अनुमान:** | | |
| छूट दर | **7.40%** | 7.00% |
| खाता बही पर वैधानिक ब्याज दर की उम्मीद | **8.15%** | 8.10% |
| निधि पर ब्याज आय में अपेक्षित कमी | **0.05%** | 0.05% |
| **जनसांख्यिकी अनुमान** | | |
| मृत्यु दर तालिका | **IALM का 100% (2012-14)** | IALM का 100% (2012-14) |
| **निकासी दर% (सभी आयु वर्ग)** | | |
| 30 वर्ष तक | **3.00%** | 3.00% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1.00%** | 2.00% |
| 44 वर्ष से अधिक | **1.00%** | 1.00% |

## संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख धारणाओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयताओं की संवेदनशीलता निम्न प्रकार से है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | | 31 मार्च, 2022 को | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर में परिवर्तन (0.50% परिवर्तन) | **(1.67)** | **1.83** | **(1.30)** | 1.38 |

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है.

**भविष्य के वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य निधि | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| अगले 12 महीनों के भीतर | **860.93** | 916.15 |
| 2–5 वर्षों के बीच | **1706.54** | 1681.13 |
| 5–10 वर्षों के बीच | **1396.90** | 2150.37 |
| 10 वर्षों के बाद | **4969.31** | 3879.23 |
| **कुल** | **8933.68** | 8626.88 |

## जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित हैं, जो प्रकृति में परिवर्तनशील हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार कंपनी के पास विभिन्न जोखिमों जैसे चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट की दर, मृत्यु दर, विकलांगता और आहरण की संभावना है।

## (iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा– (निपटान भत्ता – गैर वित्त पोषित योजना)

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर स्वयं व परिजनों एवं सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों की गृह नगर या इच्छानुसार भारत में किसी भी स्थान पर पुनर्वास करने हेतु यात्रा व सामान के परिवहन के व्यय की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय निपटान भत्ता (सैटलमेंट अलाउंस) है।

### निपटान भत्ता देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | समायोजन देयता | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| **आरंभिक शेष** | **11.63** | 10.30 |
| वर्तमान सेवा लागत | **0.81** | 0.69 |
| ब्याज दर/(आय) | **0.81** | 0.69 |
| **वर्ष के लाभ में शामिल** | **1.62** | 1.38 |
| बीमांकिक हानि (लाभ) | **2.97** | 2.60 |
| **वर्ष के लिए टीसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **4.59** | 3.98 |
| **अन्य** | | |
| नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान | **-** | - |
| लाभ का भुगतान | **(2.79)** | (2.65) |
| **अंतिम शेष** | **13.43** | 11.63 |

### बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग की तिथि में प्रमुख बीमांकिक अनुमान इस प्रकार थे:

| विवरण | समायोजन देयता | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| **आर्थिक अनुमानः:** | | |
| छूट दर | **7.40%** | 7.00% |
| वेतन वृद्धि दर | **6.50% P.A. for 1st 4 yrs. & then 6% P.A. thereafter** | 6.50% P.A. for 1st 4 yrs. & then 6% P.A. thereafter |
| **जनसांख्यिकी अनुमानः** | | |
| सेवानिवृत्ति आयु | **60** | 60 |
| मृत्यु तालिका | **100% of IALM (2012-14)** | 100% of IALM (2012-14) |
| **निकासी दर (सभी आयु वर्ग)** | | |
| 30 वर्ष तक | **3%** | 3% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1%** | 2% |
| 44 वर्ष ऊपर | **1%** | 1% |

## ख. दीर्घकालीन छुट्टी देयताएं (अर्जित छुट्टी–ई एल/अर्धवैतनिक अवकाश–एचपीएल) – (गैर वित्त पोषित योजना)

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति छमाही में 15 दिन (अधिकतम) अर्जित अवकाश और और 10 दिन का अर्ध वैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान करती है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा के दौरान होता है। कंपनी नीतियों व नकदीकरण नियमों के आधार पर सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता आयु पर अर्जित अवकाश और अर्ध वैतनिक अवकाश को एक साथ मिलाकर अधिकतम 300 दिनों का नकदीकरण किया जा सकता है। अवकाश देयताओं को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रूप में माना जाता है और अनुमानित यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया है।

## दीर्घावधि छुट्टी देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | समायोजन देयता | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| **आरंभिक शेष** | **1030.72** | 1241.74 |
| **वर्ष के लाभ में शामिल है:** | | |
| वर्तमान सेवा लागत | **130.91** | 142.00 |
| ब्याज लागत (आय) | **72.15** | 83.82 |
| बीमांकिक हानि (लाभ) | **(61.60)** | (181.51) |
| **वर्ष के लिए लाभ के रूप में मान्य कुल राशि** | **141.46** | 44.31 |
| प्रदत्त लाभ | **135.00** | 255.33 |
| **अंतिम शेष** | **1037.18** | 1030.72 |

**बीमांकिक अनुमान**

रिपोर्टिंग की तिथि को मुख्य बीमांकिक अनुमान निम्न प्रकार से हैं :

| विवरण | समायोजन देयता | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| **आर्थिक अनुमान:** | | |
| छूट दर | **7.40%** | 7.00% |
| वेतन में वृद्धि | **6.50% P.A. for 1st 4 yrs. & then 6% P.A. thereafter** | 6.50% P.A. for 1st 4 yrs. & then 6% P.A. thereafter |
| **जनसांख्यिकी अनुमान:** | | |
| सेवा निवृत्ति आयु | **60** | 60 |
| मृत्यु दर | **100% of IALM (2012-14)** | 100% of IALM (2012-14) |
| **निकासी दर (सभी आयु)** | | |
| 30 वर्ष तक | **3%** | 3% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1%** | 2% |
| 44 वर्ष से ऊपर | **1%** | 1% |

## ग. पेंशन निधि

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2022–22 में पेंशन निधि (परिभाषित अंशदान योजना) के लिए 254 करोड़ रुपये (पीवाई रुपये 280 करोड़) का योगदान किया।

## नोट [38] – इंडएएस–24 के अनुसार प्रकटीकरण–संबंधित पक्ष

### क. संबंधित पक्षकारों की सूची

(i)

| | |
|---|---|
| संयुक्त उद्यम कंपनियां | बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS)<br>एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL)<br>रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RPCL)<br>पावर प्लांट पर्फामेन्स इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (PPIL) |
| रोजगार के बाद लाभ योजनाएं | भविष्य निधि न्यास<br>ग्रेच्युटी न्यास<br>पीआरएमबी न्यास<br>पेंशन न्यास |
| अन्य | केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं |

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। महत्वपूर्ण लेन–देन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिताओं, रेलवे आदि के साथ हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित भी किया जाता है। ऐसी संस्थाओं के साथ लेन–देन सामान्य है, जो बाजार संचालित दरों पर आधारित है।

### ii) अन्य संबंधित पक्ष

### क. मुख्य प्रबन्धक अधिकारी [केएमपी]

| विवरण | पदनाम | पद कब से / कब तक |
|---|---|---|
| **कार्यकारी निदेशक** | | |
| श्री डॉ. नलिन सिंघल | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | |
| श्री सुबोध गुप्ता | निदेशक (वित्त) & सीपीएफ़ | |
| सुश्री रेणुका गेरा | निदेशक ( आईएस एवं पी) | |
| श्री उपिंदर सिंह मठारू | निदेशक ( पावर ) | |
| श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव | निदेशक ( ई एवं आर & डी ) | 12 अगस्त 2022 से |
| **कम्पनी सचिव** | | |
| श्री राजीव कालड़ा | कम्पनी सचिव | |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| **प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को मुआवजा** | | |
| - अल्पकालिक कर्मचारी लाभ | **2.85** | 3.15 |
| - रोजगार के बाद के लाभ | **0.50** | 0.36 |
| - अन्य दीर्घकालिक लाभ | **-** | - |
| - समाप्ति लाभ | **-** | - |
| - शेयर आधारित भुगतान | **-** | - |
| **कुल** | **3.35** | 3.51 |

## ख. सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

| नाम | सरकारी / स्वतंत्र | धारित (से/ तक) |
|---|---|---|
| श्री शशांक प्रिय | सरकारी निदेशक | 14.02.2023 तक |
| श्री विजय मित्तल | सरकारी निदेशक | |
| श्रीमति आरती भटनागर | सरकारी निदेशक | 14.02.2023 से |
| श्री राज कमल बिंदल | स्वतंत्र निदेशक | 27.01.2023 तक |
| श्री मनीष कपूर | स्वतंत्र निदेशक | 27.01.2023 तक |
| श्री डॉ. राज के अग्रवाल | स्वतंत्र निदेशक | 12.09.2022 तक |
| श्री डॉ. के शिवाप्रसाद | स्वतंत्र निदेशक | |
| श्रीमती डॉ. लेखश्री सामंतसिंघर | स्वतंत्र निदेशक | |
| श्री डॉ. आदित्य प्रसाद साहू | स्वतंत्र निदेशक | 30.06.2022 तक |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| बैठक शुल्क – स्वतंत्र निदेशक | 0.26 | 0.25 |

## क. सेवा उपरांत लाभ योजना के साथ लेन-देन अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

| सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक | सेवा उपरांत लाभ योजना | नियोक्ता द्वारा योगदान 31 मार्च वर्ष के अंत तक | |
|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2022 |
| पीआरएमबी न्यास | सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना | - | - |
| ग्रेच्युटी न्यास | ग्रेच्युटी | - | - |
| कर्मचारी सेवानिवृत्ति कोष | पेंशन निधि | 246.95 | 115.00 |
| बीएचईएल ईपीएफ न्यास, रानीपुर, हरिद्वार | भविष्य निधि | 57.81 | 55.13 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–तिरुची | भविष्य निधि | 56.00 | 53.43 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल | भविष्य निधि | 56.25 | 53.03 |
| बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि न्यास | भविष्य निधि | 44.01 | 41.46 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–हैदराबाद | भविष्य निधि | 42.45 | 40.56 |
| बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ न्यास, चेन्नई | भविष्य निधि | 30.67 | 28.21 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–बेंगलुरु | भविष्य निधि | 28.60 | 27.75 |
| बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ न्यास, रानीपेट | भविष्य निधि | 17.83 | 18.58 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास झांसी | भविष्य निधि | 13.77 | 13.19 |
| भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि–विजाग | भविष्य निधि | 6.50 | 5.81 |

## ग. संयुक्त उद्यम और शेष राशि के साथ लेनदेन का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| **उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री** | | |
| बीजीजीटीएस | **239.24** | 281.48 |
| आरपीसीएल | **9.42** | 3.27 |
| एनबीपीपीएल | **2.21** | 3.83 |
| **लाभांश आय** | | |
| बीजीजीटीएस | **26.18** | 30.35 |
| **रॉयल्टी आय** | | |
| बीजीजीटीएस | **1.85** | 1.80 |
| **उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय** | | |
| बीजीजीटीएस | **0.87** | 1.04 |
| एनबीपीपीएल | **-** | 1.52 |
| **वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि** | | |
| बीजीजीटीएस | **112.07** | 143.55 |
| आरपीसीएल | **636.90** | 550.90 |
| एनबीपीपीएल | **225.17** | 263.89 |
| **वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि** | | |
| बीजीजीटीएस | **0.44** | 0.11 |
| आरपीसीएल | **20.90** | 20.95 |
| एनबीपीपीएल | **23.58** | 67.95 |
| **संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान** | | |
| बीजीजीटीएस | **10.27** | - |
| आरपीसीएल | **20.81** | 20.17 |
| एनबीपीपीएल | **190.15** | 188.70 |

**नोटः** निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान के लिए संदर्भ नोट (5) देखें

## नोट [39] – प्रकटीकरण (प्रावधानों में संचलन) – इंड एएस – 37

(₹ करोड़ में)

| क. परिनिर्धारित हर्जाना | तक | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| **आरंभिक शेष** | **8559.20** | 9511.80 |
| जोड़ें: परिवर्धन | **259.62** | 152.07 |
| घटाएँ: उपयोग / राइट ऑफ / भुगतान | **86.73** | 111.76 |
| घटाएँ: निकासी / समायोजन | **497.42** | 992.91 |
| **अंतिम शेष** | **8234.67** | 8559.20 |

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप परिनिर्धारित हर्जाने का प्रावधान किया गया है और इसे निपटान या अन्यथा खातों में उपर्युक्त तरीके से लिखा जाता है। परिनिर्धारित हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 32 के पैरा ए (जी) में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

| ख. संविदात्मक देयताएं | तक | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | | 31 मार्च, 2022 को | |
| **आरंभिक शेष** | | | | |
| जैसा कि नोट (19) दिया गया है | **3855.48** | | 3992.45 | |
| जैसा कि नोट (6) में दिया गया है | **708.05** | | 723.45 | |
| जैसा कि नोट (9) में दिया गया है | **632.23** | **5195.76** | 699.86 | 5415.76 |
| जोड़ें: उधार लागत | | **160.11** | | 155.78 |
| जोड़ें: परिवर्धन | | **409.04** | | 277.50 |
| घटाएँ: पीवी समायोजन | | **94.65** | | 107.45 |
| घटाएँ: उपयोग/राईट ऑफ/भुगतान | | **192.24** | | 88.78 |
| घटाएँ: निकासी/समायोजन | | **688.44** | | 438.94 |
| जोड़ें / (घटाएं): अनुमान और दरों में परिवर्तन | | **(0.71)** | | (18.11) |
| **अंतिम शेष** | | | | |
| जैसा कि नोट (19) में दिया गया है | **3774.42** | | 3855.48 | |
| जैसा कि नोट (6) में दिया गया है | **552.05** | | 708.05 | |
| जैसा कि नोट (9) में दिया गया है | **462.40** | **4788.87** | 632.23 | 5195.76 |

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी देयताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 11 के अनुरूप पैसे के समय मूल्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक दायित्व का प्रावधान किया गया है। अनुबंध के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बरकरार रखा जाता है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय अनुबंध के आधार पर और संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर साल–दर–साल भिन्न हो सकते हैं। नोट 6 और 9 में बी एंड डी ऋणों के लिए गैर–चालू भत्ते में खुलासा पूरी तरह से प्रदान की गई परियोजनाओं से बकाया राशि से संबंधित संविदात्मक दायित्व शामिल हैं।

## नोट [40] - प्रकटीकरण – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व –इंड एएस–115

### क. इम्पेयरमेन्ट प्रावधानों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | व्यापार प्राप्यं | अनुबंध की संपत्ति | व्यापार प्राप्यं | अनुबंध की संपत्ति |
| **आरंभिक शेष** | **4314.79** | **1190.54** | **4887.12** | 1142.25 |
| जोड़ें: परिवर्धन | **279.02** | **271.45** | **344.18** | 146.78 |
| घटाएं: बट्टा खाते डाला गया | **57.46** | **-** | **216.42** | - |
| घटाएं वापसी | **213.90** | **83.34** | **700.09** | 98.49 |
| **अंतिम शेष** | **4322.46** | **1378.65** | **4314.79** | 1190.54 |

### ख. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व का विभाजन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पावर | | औद्योगिक | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | भारत के भीतर | भारत से बाहर | भारत के भीतर | भारत से बाहर | |
| **2022-23** | | | | | |
| **ग्राहकों से राजस्व** | | | | | |
| **राजस्व मान्यता का समय** | | | | | |
| (क.) सही समय पर (उत्पाद/सेवाएं) | **2640.50** | **32.82** | **3335.32** | **44.57** | **6053.21** |
| (ख.) समय के बाद (परियोजनाएं) | **13903.36** | **922.29** | **1181.90** | **75.54** | **16083.09** |
| **2021-22** | | | | | |
| **ग्राहकों से राजस्व** | | | | | |
| **राजस्व मान्यता का समय** | | | | | |
| (क.) सही समय पर (उत्पाद/सेवाएं) | 2035.30 | 22.46 | 3952.87 | 35.65 | 6046.28 |
| (ख.) समय के बाद (परियोजनाएं) | 11844.60 | 1458.89 | 802.88 | 0.73 | 14107.10 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | पावर | औद्योगिक | पावर | औद्योगिक |
| **ग्राहकों से राजस्व** | | | | |
| सीपीएसयू | **5581.63** | **1639.38** | 3807.92 | 1405.00 |
| टीएसजेन्को | **1874.88** | | 2644.40 | - |
| टैन्जेडको | **3112.02** | **-** | 1669.85 | - |
| बीआईएफपीसीएल (बांग्लादेश) | **831.59** | **-** | 1381.44 | - |

### ग. अनुबंध शेष (प्रावधानों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य | **6543.89** | 6228.59 |
| अनुबंध परिसंपत्तियां (असंबद्ध राजस्व सहित) | **29740.03** | 26939.87 |
| अनुबंध देयताएं | **5635.01** | 6047.76 |

### घ. मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| मान्यता प्राप्त राजस्व पर अनुबंध देनदारियाँ (ग्राहक अग्रिमों का समायोजन और वर्ष के दौरान मूल्यांकन समायोजन) | **3024.72** | 3592.89 |
| पिछले वर्ष के निष्पादन दायित्व पर मान्यता प्राप्त राजस्व (अनुबंध राजस्व में बदलाव के कारण प्रभाव) | **892.15** | 94.41 |

(विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एक दीर्घ चक्रीय व्यवसाय है, जहां कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट और कमीशनिंग) या बीटीजी पैकेज (यानी बॉयलर, टर्बाइन और जनरेटर पैकेज) के लिए हैं। 3 से 5 वर्ष के बीच अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि के साथ विद्युत परियोजनाएं लंबी अवधि की परियोजनाएं हैं। बीएचईएल सेवाओं के दायरे में उपकरण की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज करना, ट्रायल ऑपरेशन को पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना सम्मिलित है।

यद्यपि समग्र दायरे में कई घटक हैं, ऐसी परियोजनाओं को आमतौर पर एक प्रदर्शन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि पर एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि इकाई समय में असतत बिंदुओं के बजाय समग्र रूप से निष्पादन कार्य करती है और इसलिए प्रगति की माप के आधार पर समय की अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है (इनपुट लागत विधि)

## नोट [41] - इंड एएस–107 के अनुसार जानकारी (वित्तीय लिखत – लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन)

नकद और नकद समकक्ष, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य के धारित मुल्य का युक्तिसंगत उनकी वहन राशि का अनुमान लगाते है। व्यापार प्राप्यें का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए कंपनी निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

**उचित मूल्य पदानुक्रम**

मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर सम्मिलित किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि संपत्ति या देयताओं के लिए प्रत्यक्ष हैं (यानी, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों से प्राप्त)

स्तर 3: संपत्ति या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है– आवर्ती उचित मूल्य माप | स्तर 3 पदानुक्रम | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| **वित्तीय परिसंपत्तिः** | | |
| अनकोटिड इक्विटी उपकरणों में निवेश | **3.13** | 3.29 |

ख. उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु मूल्यांकन तकनीक

अनकोटिड इक्विटी विलेखों का उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशकर्ता कंपनी के वित्तीय विवरणों के इनपुट सम्मिलित होते हैं।

**एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत निर्विवाद इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप का समायोजन**

(₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| **मार्च 31, 2022 तक** | **3.29** |
| उचित मूल्य में परिवर्तन | (0.16) |
| **मार्च 31, 2023 तक** | **3.13** |

## वित्तीय जोखिम प्रबंधन

### उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियों के समक्ष किसी भी कंपनी के स्वाभाविक व्यावसायिक प्रकटीकरण से उत्पन्न विभिन्न व्यावसायिक जोखिम होते हैं। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय जोखिमों को दूर करने के लिए समय–समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय विलेखों के उपयोग से जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

क) क्रेडिट जोखिम

ख) लिक्विडिटी जोखिम

ग) बाजार जोखिम

यह नोट उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है जिसमें जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के उद्देश्य, नीतियां और प्रक्रियाएं और कंपनी की पूंजी का प्रबंधन सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों में आगे मात्रात्मक जानकारी सम्मिलित हैं।

### जोखिम प्रबंधन संरचना

बीएचईएल के पास एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपर्युक्त जोखिम शमन उपायों को अपनाकर जोखिमों की सही पहचान, आकलन और प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया जाना है। कंपनी के पास 3–स्तरीय जोखिम प्रबंधन ढांचा है। पहले स्तर पर, कंपनी के बोर्ड स्तर के जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। प्रमुख जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी के संयोजक होने के नाते बोर्ड / बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण यूनिट स्तर से उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए जोखिम शमन योजना तैयार करने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

### क) क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बीएचईएल भारत और विदेश में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) और निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में सम्मिलित है। परियोजनाओं को आमतौर पर वित्तीय संस्थानों / बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर किया जाता है। परियोजना की अवधि 3 से 5 वर्ष तक होती है और भुगतान को आमतौर पर अग्रिम, प्रगति भुगतान, मील के पत्थर के भुगतान और इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन सहित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणबद्ध रुप से प्राप्त किया जाता है। चूंकि अधिकांश ग्राहक सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए कुल प्राप्तियों का 79% इस तथ्य के साथ मिलकर बनता है कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रूप से एलसी के माध्यम से हैं। कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्तियों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया है, ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित ध्यान और ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी क्रेडिट हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी घटना से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए गए हैं।

## i) क्रेडिट जोखिम का विवरण

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम था:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए 12 महीने की अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है** | | |
| नकद और नकद समकक्ष | **1560.52** | 732.62 |
| अन्य बैंक शेष | **5082.06** | 6421.07 |
| अन्य वित्तीय शेष | **362.19** | 298.29 |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनके लिए हानि भत्ता को लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ईसीएल) हानि सहित मापा जाता है।** | | |
| व्यापार प्राप्यं | **6543.89** | 6228.59 |

| ऋण जोखिम पर ध्यान–भौगोलिक | कुल राजस्व का प्रतिशत | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| भारत के भीतर | **94%** | 93% |
| भारत से बाहर | **6%** | 7% |
| **कुल** | **100%** | 100% |

निम्न प्रकार के प्रतिपक्षों से व्यापार प्राप्य, अनुबंध संपत्ति एवं अन्य प्राप्य के प्रति कंपनी का क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर इस प्रकार हैं –

| विवरण | कुल राजस्व का प्रतिशत | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
| रेलवे और सरकारी विभाग सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | **39%** | 37% |
| राज्य विद्युत बोर्ड | **41%** | 42% |
| निजी ग्राहक और अन्य | **14%** | 14% |
| निर्यात | **6%** | 7% |
| **कुल** | **100%** | 100% |

## ii) इम्पेयरमेन्ट हानि

**(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके हानि भत्ते की गणना की जाती है।**
कंपनी के पास संपत्ति है जहां प्रतिपक्ष के पास देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और जहां धोखाधड़ी/डिफॉल्ट की सम्भावना बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋण के संबंध में हानि के भत्ते में संचलन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल को शेष राशि** | **14.56** | 31.95 |
| मान्य क्षति ह्रासध्बट्टे खाते में डालना / आहरित | **0.35** | (17.39) |
| मार्च 31 तक शेष | **14.91** | 14.56 |

**(ख) क्षति हानि प्रावधानों का सामायोजन**

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि भत्ता में संचलन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल को शेष राशि** | **5505.33** | 6029.37 |
| मान्य क्षति ह्रास | **550.47** | 490.97 |
| बट्टाकृत/ आहरित राशि | **(354.69)** | (1015.01) |
| **मार्च 31 को शेष** | **5701.11** | 5505.33 |

कंपनी सरप्लस फंडों में निवेश करती है, जो डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की निवेश नीति के अनुसार है। नकदी और नकद समकक्षों और सावधि जमाओं पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई उच्च क्रेडिट रेटिंग के साथ जमा में निवेश करती है।

## ख) लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखने और क्रेडिट सुविधाओं से पर्याप्त मात्रा में धन की उपलब्धता को बनाए रखते हुए और जब भी देय हो, लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को वर्ष भर में अपनी निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक शेष के अतिरिक्त, कंपनी को ऋण की सुविधा प्राप्त है। कंपनी आंतरिक संसाधनों से अपने फंड की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, अर्थात् परिचालन से उत्पन्न धन और बेहतर ट्रेजरी प्रबंधन संचालन के लिए अल्पकालिक उधार के माध्यम का उपयोग किया जाता है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर, गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय देनदारियां | 31 मार्च, 2023 को | | 31 मार्च, 2022 को | |
|---|---|---|---|---|
| गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं | 1 वर्ष के भीतर | 1 वर्ष से अधिक | 1 वर्ष के भीतर | 1 वर्ष से अधिक |
| व्यापार देनदारियां | **9895.83** | **2194.03** | 7749.59 | 2131.93 |
| ठेकेदारों और अन्य लोगों से जमा | **416.66** | **247.10** | 431.36 | 206.45 |
| पट्टा देयताएं | **34.76** | **33.75** | 49.81 | 35.12 |
| अन्य देय/देयताएं | | | | |
| कर्मचारी बकाया | **384.33** | | 214.05 | |
| अन्य बकाया राशि | **364.44** | | 397.85 | |
| कैपेक्स बकाया | **111.50** | **8.60** | 80.83 | 8.65 |
| अल्प अवधि की उधारी | **5385.00** | | 4745.00 | |
| **कुल** | **16592.52** | **2483.48** | 13668.49 | 2382.15 |

## ग) बाजार जोखिम का प्रबंधन

कंपनी के समक्ष अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाले मुद्रा, माल, ब्याज दर, कुछ जोखिम होते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। प्रमुख वस्तुओं के मूल्य में उतार–चढ़ाव से कंपनी को अप्रभावित रखने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ दावों के माध्यम से मूल्य समझौते सहित रूपरेखा समझौते नियमित रूप से किए जा रहे हैं। ऑपरेशन से उत्पन्न अधिशेष निधियों को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े–बड़े निजी बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में और सार्वजनिक क्षेत्र के म्युचुअल फंडों की ऋण आधारित योजनाओं में, निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम कम हो जाता है।

**विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर –: रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:**

(i) दिनांक 31.03.2023 को रुके हुये और शेष व्युत्पन्न विलेख शून्य (पिछला वर्ष का शून्य है) है
(ii) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा नहीं किया जाता है निम्नानुसार हैं:

विदेशी मुद्रा मिलियन में
(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को | | 31 मार्च, 2022 को | | 31 मार्च, 2023 को | 31 मार्च, 2022 को |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **संपत्तियां** | **यूरो** | **समतुल्य भा.रु.** | **यूरो** | **समतुल्य भा.रु.** | **अन्य भा.रु.** | **अन्य भा.रु.** |
| व्यापार प्राप्य | **55.50** | **496.43** | 61.72 | 520.18 | **3.44** | 3.16 |
| अनुबंध की संपत्ति | **332.04** | **2959.08** | 327.57 | 2753.33 | **11.92** | 35.27 |
| अन्य संपत्ति | **1.24** | **10.29** | 0.93 | 7.56 | **75.49** | 21.98 |
| **उप योग(क)** | **388.78** | **3465.80** | 390.22 | 3281.07 | **90.84** | 60.41 |
| **देयताएं** | | | | | | |
| ग्राहक से अग्रिम | **36.15** | **240.84** | 36.42 | 242.50 | **22.65** | 39.47 |
| व्यापार का भुगतान और अन्य | **34.70** | **315.32** | 101.40 | 869.73 | **579.03** | 131.99 |
| **उप योग(ख)** | **70.85** | **556.15** | 137.82 | 1112.23 | **601.68** | 171.46 |
| **परिसंपत्ति (देयताओं को छोड़कर)** | **317.93** | **2909.64** | 252.40 | 2,168.84 | **(510.83)** | (111.05) |

| **परिसंपत्तियां** | **यूएसडी** | **समतुल्य भा.रु.** | **यूएसडी** | **समतुल्य भा.रु.** |
|---|---|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य | **70.72** | **579.07** | 64.88 | 489.70 |
| अनुबंध परिसंपत्ति | **322.62** | **2640.15** | 333.77 | 2517.59 |
| अन्य परिसंपत्ति | **0.36** | **2.41** | 6.08 | 45.30 |
| **उप योग (क)** | **393.70** | **3221.63** | 404.73 | 3052.59 |
| **देयताएं** | | | | |
| ग्राहक से अग्रिम | **58.00** | **326.40** | 78.92 | 457.24 |
| व्यापार का भुगतान और अन्य | **97.39** | **806.03** | 161.30 | 1231.18 |
| लघु अवधि की उधारी | **-** | **-** | - | - |
| **उप योग (ख)** | **155.40** | **1132.43** | 240.22 | 1,688.42 |
| **संपत्ति (देयताओं को छोड़कर) (क–ख)** | **238.31** | **2,089.21** | 164.51 | 1,364.17 |

उपर्युक्त आंकड़े प्रावधानों को छोड़कर हैं, यदि कोई हो

## संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रुपये के अमरीकी डालर, यूरो और अन्य की तुलना में मजबूत / कमजोर होने के प्रभाव को वर्षांत लाभ या हानि के रूप में नीचे दिखाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर संस्करण पर आधारित है जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रूप से संभव माना है। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए इसी आधार पर किया जाता है, यद्यपि विदेशी मुद्रा विनिमय दर संस्करण भिन्न था, जैसा कि नीचे बताया गया है।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 | | 31 मार्च, 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| लाभ पर प्रभाव/(हानि) | मजबूत | कमजोर | मजबूत | कमजोर |
| 1% संचलन | | | | |
| यूरो | **29.10** | **(29.10)** | 21.69 | (21.69) |
| यूएसडी | **20.89** | **(20.89)** | 13.64 | (13.64) |
| अन्य | **(5.11)** | **5.11** | (1.11) | 1.11 |

## पूंजी प्रबंधन

क्रियाशील इकाई के रूप में पूंजी प्रबंधन करते हुए कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को सुरक्षित, संरक्षित रखना और इसमें वृद्धि करना है ताकि शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके और पूंजी लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखी जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी मॉनिटरिंग करते हैं। कंपनी समान्यतः उद्योग द्वारा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर मध्यम कालिक दृष्टिकोण व दीर्घकालिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पूंजी को मॉनिटर करती है। कंपनी बाह्य पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है जैसा की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

## नोट [42] - परिचालन सेगमेंट

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए ऑर्डर के आधार पर सेगमेंटों की पहचान 'पावर' और 'उद्योग' के रूप में की गई है। ये सेगमेंट तीन व्यावसायिक क्षेत्रों यानी पावर सेक्टर, उद्योग सेक्टर, अंतरराष्ट्रीय परिचालन द्वारा परिचालित होते हैं।

पावर सेगमेंट में मुख्य रूप से थर्मल, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, संबंधित स्पेयर और सेवा व्यवसाय के अलावा कोयले से लेकर रसायन, उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर और गैर–बीएचईएल सेट के लिए स्पेयर के नए व्यवसाय शामिल हैं।

उद्योग खंड प्रमुख उपस्कर आपूर्ति को पूरा करता है और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर, नवीकरणीय, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक गतिशीलता सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम करता है।

अंतरराष्ट्रीय परिचालन समूह द्वारा बुक किए गए ऑर्डर को, जैसा भी मामला हो, पावर या इंडस्ट्री में ले जाया जाता है।
कंपनी के कार्यकारी निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में चिह्नित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्षांत 31 मार्च 2023 | | | वर्षांत 31 मार्च 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पावर | उद्योग | कुल | पावर | उद्योग | कुल |
| **I. क्षेत्र राजस्व** | | | | | | |
| बाहरी–परिचालन राजस्व | **17498.98** | **4637.32** | **22136.30** | 15361.25 | 4792.13 | 20153.38 |
| **II. खंड परिणाम** | | | | | | |
| क. खंड परिणाम | **1400.32** | **432.53** | **1832.85** | 1949.24 | (39.02) | 1910.22 |
| ख. गैर–आबंटित व्यय (आय को छोड़कर) | | | **861.82** | | | 1118.55 |
| ग. वित्त लागत और आयकर से पूर्व लाभ (अ) – (आ) | | | **971.03** | | | 791.67 |
| घ. वित्त लागत (ब्याज सहित छूट) | | | **521.43** | | | 354.72 |
| ङ. आयकर से पूर्व शुद्ध लाभ (इ) – (ई) | | | **449.60** | | | 436.95 |
| च. आयकर | | | **2.05** | | | 26.71 |
| छ. आयकर के बाद शुद्ध लाभ (उ) –(ऊ) | | | **447.55** | | | 410.24 |
| **III परिसंपत्तियां और देयताएं** | | | | | | |
| क. क्षेत्र परिसंपत्तियां | **40666.48** | **8234.70** | **48901.18** | 37196.23 | 8194.28 | 45390.51 |
| ख. सामान्य परिसंपत्तिया | | | **10902.73** | | | 11317.81 |
| ग. कुल परिसंपत्तिया | | | **59803.91** | | | 56708.32 |
| घ. क्षेत्र देयताएं | **22366.53** | **5140.86** | **27507.39** | 20096.06 | 4754.42 | 24850.48 |
| ङ. सामान्य देयताएं | | | **5034.36** | | | 4886.68 |
| च. कुल देयताएं | | | **32541.75** | | | 29737.16 |
| **IV अन्य सूचनाएं** | | | | | | |
| क. पूंजीगत व्यय | **121.75** | **80.26** | | 140.56 | 55.40 | |
| ख. अवमूल्यन और परिशोधन | **167.99** | **63.96** | | 209.45 | 71.29 | |
| ग. गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन के अतिरिक्त) | **(507.61)** | **(296.77)** | | (1241.57) | (62.11) | |

| भौगोलिक क्षेत्र | भारत के भीतर | भारत से बाहर | कुल | भारत के भीतर | भारत से बाहर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 शुद्ध बिक्री / राजस्व से परिचालन | **21061.08** | **1075.22** | **22136.30** | 18635.65 | 1517.73 | 20153.38 |
| 2 गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ (पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियाँ) | **2826.69** | **3.14** | **2829.83** | 2812.21 | 17.23 | 2829.44 |
| 3 पूंजीगत व्यय | **261.79** | **0.15** | **261.94** | 225.32 | 5.77 | 231.09 |

**प्रमुख ग्राहक–बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक एकल ग्राहक से राजस्व का विवरण**

| विवरण | पावर | उद्योग | कुल | पावर | उद्योग | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सीपीएसयू | **5581.63** | **1639.38** | **7221.01** | 3807.92 | 1405.00 | 5212.92 |
| टेनजेडको | **3112.02** | **-** | **3112.02** | 1,669.85 | - | 1669.85 |
| टीएसजेन्को | **1874.88** | **-** | **1874.88** | 2644.40 | - | 2644.40 |

## नोट [43] - अनुपात

| विवरण | अंश | हर | 2022-23 | 2021-22 | % भिन्नता | भिन्नता का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क. चालू अनुपात | कुल चालू परिसंपत्तियां | कुल चालू देयताएं | 1.29 | 1.30 | 1.19 | |
| ख ऋण–इक्विटी अनुपात | कंपनी पर कोई दीर्घावधि ऋण नहीं है और इसलिए ये अनुपात लागू नहीं होते हैं। | | | | | |
| ग. ऋण सेवा कवरेज अनुपात | | | | | | |
| घ. कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घावधि ऋण | | | | | | |
| ङ. ब्याज सेवा कवरेज अनुपात | | | | | | |
| च. कुल ऋण और कुल परिसंपत्ति अनुपात | कुल ऋण | कुल परिसंपत्ति | 0.091 | 0.085 | -7.07 | |
| छ. मालसूची टर्नओवर अनुपात | ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व | औसत मालसूची (निवल) | 3.32 | 2.93 | 13.43 | |
| ज. व्यापार प्राप्य राशियां टर्नओवर अनुपात | ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व | औसत व्यापार प्राप्य राशियां (शुदध) | 3.47 | 3.00 | 15.60 | |
| झ. लेनदारी लेखों और अशोध्य ऋण का अनुपात | बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण | सकल व्यापार प्राप्य राशियां | 0.003 | 0.012 | -73.83 | निरपेक्ष रूप से नगण्य परिवर्तन |
| ञ. चालू देयताएं अनुपात | चालू देयताएं | कुल देयताएं | 0.718 | 0.719 | -0.15 | |
| ट. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात | क्रय और उपसंविदा | औसत व्यापार देनदारी | 1.50 | 1.54 | -2.59 | |
| ठ. शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात | ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व | कुल चालू परिसंपत्ति – कुल चालू देयताएं | 3.29 | 3.10 | 5.92 | |
| ड. इक्विटी अनुपात पर प्रतिलाभ | वर्ष के लिए लाभ (पीएटी) | औसत कुल इक्विटी–ओसीआई | 1.63% | 1.51% | 7.67 | संचालन की अधिक मात्रा और आयकर रिफंड के कारण, विनिमय दर लाभ से भी सहायता मिली |
| ढ. परिचालन लाभ अनुपात | ब्याज, मूल्यह्रास और कर पूर्व लाभ – अन्य आय | परिचालन से राजस्व | 3.07% | 3.48% | -11.85 | |
| ण. निवल लाभ अनुपात | वर्ष के लिए लाभ (पीएटी) | परिचालन से राजस्व | 1.92% | 1.93% | -0.96 | |
| त. प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिलाभ | ब्याज और कर पूर्व अर्जन | प्रयुक्त पूंजी = कुल इक्विटी - CWIP - विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति – आस्थगित कर परिसंपत्ति | 4.13% | 3.44% | 20.17 | संचालन की अधिक मात्रा और आयकर रिफंड के कारण, विनिमय दर लाभ से भी सहायता मिली |
| थ. निवेश पर प्रतिलाभ | लागू नहीं | | | | | |
| द. निवल मूल्य (₹ करोड़) | शेयर पूंजी+रिजर्व और अधिशेष | | 27262.16 | 26971.16 | 1.08 | |
| ध. कर पश्चात लाभ (₹ करोड़) | कर पश्चात लाभ | | 447.55 | 410.24 | 9.09 | संचालन की अधिक मात्रा और आयकर रिफंड के कारण, विनिमय दर लाभ से भी सहायता मिली |
| न. प्रति शेयर अर्जन (₹) | वर्ष के लिए लाभ (पीएटी) | भारित औसत शेयरों की संख्या | 1.29 | 1.18 | 9.09 | |
| न. पूंजी मोचन आरक्षित निधि (₹ करोड़)/ | | | 37.87 | 37.87 | 0.00 | |

## नोट [44] - अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

| क. आयात की श्रेणी | समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | **2022-2023** | **2021-2022** |
| **सीआईएफ आधार पर आयात** | | |
| कच्चा माल | **734.51** | 620.73 |
| कम्पोनेंट और स्पेयर पार्ट्स | **674.48** | 1182.34 |
| पूंजीगत सामग्री | **6.21** | 4.75 |
| **कुल आयात** | **1415.20** | 1807.82 |

(₹ करोड़ में)

| ख. व्यय के प्रकार (विदेशी मुद्रा में किए गए) | समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | **2022-2023** | **2021-2022** |
| i) रॉयल्टी | **51.36** | 38.19 |
| ii) तकनीकी जानकारी | **13.72** | 6.57 |
| iii) व्यवसायी परामर्श शुल्क | **17.83** | 3.48 |
| iv) ब्याज और अन्य (विदेशी साइटों पर सम्मिलित) | **31.68** | 30.06 |

(₹ करोड़ में)

| ग. खपत का वर्गीकरण [कच्चे माल, कम्पोनेंट, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स] | समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | **2022-2023** | **2021-2022** |
| i) आयात (कस्टम ड्यूटी सहित) | **1609.95** | 2016.33 |
| ii) स्वदेशी | **9326.84** | 7459.26 |
| iii) **कुल खपत का प्रतिशत** | | |
| आयातित | **14.72** | 21.28 |
| स्वदेशी | **85.28** | 78.72 |

(₹ करोड़ में)

| घ. विदेशी मुद्रा में आय | समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | **2022-2023** | **2021-2022** |
| माल का निर्यात (FOB आधार) | **395.58** | 775.33 |
| निर्माण और अन्य सेवाएं | **596.38** | 608.29 |
| अनुमानित निर्यात पर विदेशी मुद्रा (घरेलू अनुबंध और एसईजेड निर्यात सहित) | **592.61** | 1093.21 |
| **कुल** | **1584.57** | 2476.83 |

(₹ करोड़ में)

| ङ. खपत किए गए कच्चे माल और कलपुर्जों का विवरण | समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 2022-2023 | 2021-2022 |
| **सामग्री का समूह** | | |
| i) लौह सामग्री | **2575.80** | 1875.60 |
| ii) अलौह सामग्री | **476.47** | 260.50 |
| iii) इन्सुलेटिड सामग्री | **136.75** | 106.15 |
| iv) इन्सुलेटड केबल और चुंबक तार (मैग्नेट वायर) | **6.34** | 4.46 |
| v) अन्य कलपुर्जे | **2533.30** | 2450.89 |
| vi) अन्य | **146.62** | 364.80 |
| **कुल** | **5875.28** | 5062.40 |
| **खरीदी गई सामग्री** | | |
| i) लौह सामग्री | **38.39** | 30.14 |
| ii) अलौह सामग्री | **43.10** | 24.02 |
| iii) इन्सुलेटिड सामग्री | **105.15** | 764.49 |
| iv) इन्सुलेटड केबल और चुंबक तार (मैग्नेट वायर) | **31.47** | 20.99 |
| v) अन्य कलपुर्जे | **3190.16** | 2484.56 |
| vi) अन्य | **1249.06** | 817.55 |
| **कुल** | **4657.33** | 4141.75 |

## नोट [45]

सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं], विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी द्वारा प्रदत्त ऋण की प्रकृति में अग्रिम और ऋणों का अपेक्षित विवरण नीचे दिए गया है:

i) ऐसा कोई ऋण नहीं दिया गया है (कर्मचारियों को दिए गए ऋण के अतिरिक्त), जिसमें कोई चुकौती की समय–सीमा नहीं है या चुकौती अवधि सात वर्षों से अधिक है

ii) फर्मों / कंपनियों के पास ऋण के रुप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है, जिनसे निदेशक हितबद्ध हैं।

## नोट [46]

परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर–चालू के बीच वर्गीकृत किया गया है, जिनके लिए 12 महीने की अवधि को परिचालन चक्र के रूप में माना गया है।

## नोट [47]

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

## नोट [48]

सांविधिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई चार्ज या सेटिसफेक्शन नहीं था।

## नोट [49]

कंपनी द्वारा कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

## नोट [50]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यवस्था की योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

## नोट [51]

कंपनी का ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया है जो कि खाता बहियां में दर्ज नहीं है।

## नोट [52]

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

## नोट [53]

पूर्व की अवधि की त्रुटियां जो प्रत्यक्ष हैं पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई अवधि के लिए तुलनात्मक राशि को बहाल करके पूर्वव्यापी रूप से ठीक की जाती हैं जिसमें ऐसी त्रुटि हुई। प्रस्तुत अवधि से पहले हुई त्रुटि के लिए, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियाँ, देनदारियां और इक्विटी की प्रारंभिक शेष राशि को बहाल किया जाता है।

## नोट [54]

रूपए करोड़ में दिए गए आंकड़े दशमलव के बाद दो अंकों तक राऊंड ऑफ किए गए हैं।

## नोट [55]

जहां आवश्यक समझा गया वहाँ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित / पुर्नव्यवस्थित किया गया है

## नोट [56]

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (''एमसीए'') समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, MCA ने 1 अप्रैल, 2023 से लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 जारी करके कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन किया, जो निम्नानुसार हैः

### इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

संशोधनों के अनुसार कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। लेखांकन नीति की जानकारी, अन्य जानकारी के साथ, तब महत्वपूर्ण होती है जब उससे सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है। कंपनी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा।

### इंड एएस 12 – आयकर

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि कंपनियां पट्टों और डीकमीशनिंग दायित्वों जैसे लेनदेन पर आस्थगित कर का भुगतान कैसे करती हैं। संशोधनों ने इंड एएस 12 (स्कॉग्नीशन छूट) के अनुच्छेद 15 और 24 में स्कॉग्नीशन छूट के दायरे को सीमित कर दिया ताकि यह अब उन लेनदेन पर लागू न हो, जो प्रारंभिक स्कॉग्नीशन पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतर को बढ़ावा देते हैं। कंपनी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा।

### इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन

संशोधनों से संस्थाओं को लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी। लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा को लेखांकन अनुमानों की परिभाषा से बदल दिया गया है। नई परिभाषा के तहत, लेखांकन अनुमान "वित्तीय विवरणों में मौद्रिक राशियाँ हैं जो गणना संबंधी अनिश्चितता के अधीन हैं"। यदि लेखांकन नीतियों के लिए वित्तीय विवरणों में वस्तुओं की ऐसे तरीके से गणना की आवश्यकता होती है जिसमें गणना अनिश्चितता शामिल हो तो संस्थाएं लेखांकन अनुमान विकसित करती हैं। कंपनी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा।

## नोट [57]

निदेशक मंडल ने 26 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय विवरण 2022–23 जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

| | | |
|---|---|---|
| **(राजीव कालड़ा)** | **(जय प्रकाश श्रीवास्तव)** | **(डॉ. नलिन सिंघल)** |
| कंपनी सचिव | निदेशक (ई,आर एंड डी),<br>निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| **M. No. 14567** | **DIN: 09703643** | **DIN: 01176857** |

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

| | | |
|---|---|---|
| **एबीपी और एसोसिएट्स के लिए** | **पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए** | **एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए** |
| चार्टर्ड अकाउंटेंट | चार्टर्ड अकाउंटेंट | चार्टर्ड अकाउंटेंट |
| **FRN - 315104E** | **FRN - 008567C** | **FRN - 000709C/C400277** |
| **(बिमल कुमार चंदुका)** | **(स्वाति सिंह)** | **(विजित वैदमुथा)** |
| भागीदार | भागीदार | भागीदार |
| **M. No. 053714** | **M. No. 404531** | **M. No. 406044** |

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

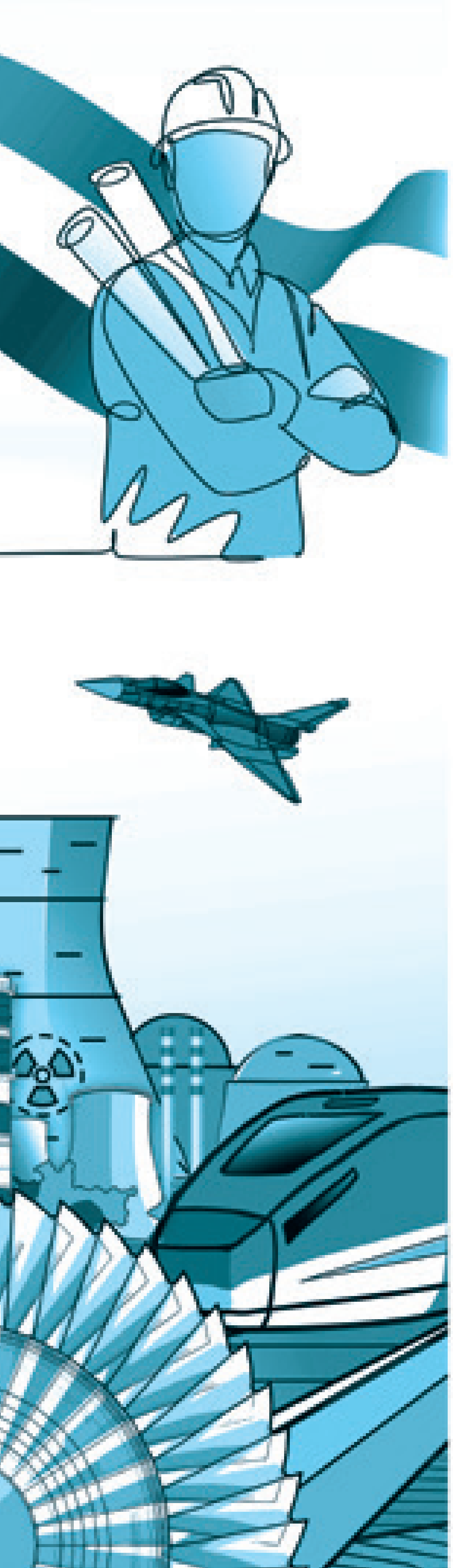

# वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण ........ 264

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**सेवा में,**
**सदस्यगण**
**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**

## समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

### राय

हमने **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** (इसके बाद 'यहाँ इसे 'धारक कंपनी' के रूप मे लिखा जाएगा) एवं इसकी सहायक कंपनियों ('धारक कंपनी' और इसकी सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से "समूह" के नाम से सम्बोधित किया जाएगा) और तीन संयुक्त नियत्रित इकाइयों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 को समेकित तुलन पत्र, इस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण एवं वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है, (इसके पश्चात् इसे "समेकित वित्तीय विवरण" लिखा जाएगा)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") में अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं और यथा संशोधित कंपनी (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, (इंड एएस–) एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2023 को कंपनी के समेकित लाभ एवं कुल समेकित व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति को यथार्थ व उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

### राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां खंड में वर्णित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी आचार संहिता के साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और इससे आधारित नियमों के प्रवधानों के अंतर्गत समेकित वितीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उचित हैं।

### मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा के विषय वे हैं जो कि हमारे व्यावसायिक मतानुसार वर्तमान कालखंड के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थे। अपनी राय बनाते हुए और समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समग्र रूप से समाधान किया गया और हमें इन विषयों पर और कोई राय नहीं देनी है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों के नीचे वर्णित मामलों का उल्लेख किया है।

| मुख्य लेखा परीक्षा विषय | लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया |
|---|---|
| **इंड एएस 115 के अंतर्गत "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के सम्बंध मे राजस्व एवं अन्य शेषों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति की सटीकता।**<br><br>इन राजस्व लेखा मानकों के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों को चिह्नित करना, चिह्नित विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लेन–देन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में मान्य राजस्व के मापन के आधार की उपयुक्तता, वित्तीय विवरणों में शेष के प्रस्तुतिकरण सहित प्रकटीकरण से संबंधित कतिपय मुख्य निर्णय शामिल हैं।<br><br>आकलित प्रयास राजस्व निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण आकलन है क्योंकि इसके लिए संविदा की प्रगति, आज तक किए गए प्रयासों, शेष निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है।<br><br>समेकित वित्तीय विवरण के **नोट 43** को देखें। | **प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं**<br><br>आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैः<br>• पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई जानकारी रचना प्रक्रिया पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।<br>• मौजूदा जारी संविदाओं और नए संविदाओं में से एक सेंपल चुनकर विशिष्ट निष्पादन दायित्व और लेन–देन मूल्य का निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया।<br>• इंड एएस115 के अनुरूप राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में अनुप्रयुक्त लेखांकन प्रणालियों और संविदाओं एवं इससे संबद्ध सूचनाओं में परिवर्तन के संगत सूचनाओं का परीक्षण किया, जिनका नए राजस्व लेखा मानकों के अनुसार खुलासा करने और अभिलेखबद्ध करने में प्रयोग किया गया।<br>• महत्वपूर्ण उपलब्धियां (माइलस्टोन) प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान के लिए संविदाओं में से एक सेंपल चुनकर समीक्षा की गई, जिसमें कि शेष निष्पादन दायित्व को पूर्ण करने में आकलित प्रयासों को बदलने की आवश्यकता है।<br>• तर्कसंगतता और अन्य संबंधित प्रत्यक्ष मदों के ब्योरों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया गया। |
| **व्यापार प्राप्य एवं अनुबंध संपत्तियों का मूल्यांकन एवं वसूली की संभावना**<br>31 मार्च, 2023 के अंत में कंपनी के पास ₹ 29,740.03 करोड़ (निवल) की अनुबंध संपत्तियां तथा ₹ 6,543.89 करोड़ के व्यापार प्राप्य बकाया हैं।<br><br>यह शेष इंड एएस115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार पूर्ण हुए अनुबंधों और चालू अनुबंधो के लिए मान्य राजस्व से संबंधित हैं। इसके आकार और प्रबंधकीय निर्णय के उच्च स्तरीय होने के कारण इसकी वसूली की संभावना का आकलन एक मुख्य लेखा विषय है।<br><br>समेकित वित्तीय विवरणों के **नोट 6, 9, 43** को देखें। | **प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया**<br>अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य के राजस्व मान्यता और समीक्षा तंत्र के लिए हमने कंपनी की आतंरिक प्रक्रिया का आकलन किया है। आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैः<br>• ग्राहकों के साथ पुनर्मिलान की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया।<br>• परियोजनावार बकाया विवरण और प्रबंधन द्वारा इसके समीक्षा तंत्र की सूची को प्राप्त किया।<br>• अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की क्षति पर कंपनी के दिशानिर्देशों और नीतियों की समीक्षा की।<br>• सैंपल आधार पर वर्ष के अंत में अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की एजिंग की सटीकता की जांच की।<br>• तर्कसंगतता, वसूली की संभावना और अन्य संबंधित सामग्री मदों के विवरणों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया। |

| मुख्य लेखा परीक्षा विषय | लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया |
|---|---|
| **आकस्मिक देयता का आकलन**<br><br>कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है।<br><br>हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता है।<br><br>तद्नुसार, हमारी लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों के विश्लेषण और शामिल कानून के निर्णय/ व्याख्या पर केंद्रित थी।<br><br>(समेकित विवरण के लिए नोट 33 देखें) | प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं<br><br>लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं थे:<br><br>– दावों या विवादों के संबंध में प्रबंधन की विस्तृता को समझना प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को प्राप्त करना<br>– चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा जांच करना:<br>– प्रबंधन बैठक के पत्राचार, संप्रेषण के कार्यवृत्त को पढ़कर मामलों को समझना<br>– स्थिति अद्यतन, आधार के साथ परिणामों की अपेक्षा, और कंपनी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के भविष्य के पाठ्यक्रम सहित प्रबंधन कर्मियों के उचित स्तर के साथ पुष्ट पूछताछ करना, और प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय, यदि कोई हो, का अवलोकन करना।<br>– कंपनी के कानूनी वकीलों से सीधे पुष्टि प्राप्त करना और उनकी राय को ध्यान में रखते हुए परिणामों की संभाव्यता मूल्यांकन पर विचार करना<br>– संभावित परिणामों और अनुमानों की तर्कसंगतता के बारे में प्रबंधन के निर्णय का समर्थन करने वाले साक्ष्य का मूल्यांकन करना।<br>– लागू लेखा मानकों के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। |

## समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधकीय परिचर्चा व विश्लेषण में सम्मिलित की गई जानकारी, निदेशक मण्डल रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन तथा शेयरधारकों की सूचना आती है परंतु समेकित वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं होती है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर कोई आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए ध्यान रखना कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाएं कहीं सारतः असंगत तो नहीं हैं अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से अनुचित प्रतीत तो नहीं हो रही है।

जब हमें ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो हम उसे पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है तो हमें शासकीय प्रभारी व्यक्तियों को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

## समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार किए जाने हेतु उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और इंड एएस के अनुरूप कंपनी के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तनों तथा समेकित नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हों। इस उत्तरदायित्व में ऐसे पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी सम्मिलित है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को पता लगाने और रोकने हेतु; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण आकलन और निर्णय लेने; एवं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के मूर्त अनुचित कथन से मुक्त तथा वास्तविक और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत कराने वाले वित्तीय विवरणों के निर्माण और प्रस्तुतीकरण हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव हेतु प्रासंगिक हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह को एक क्रियाशील इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए समूह की योग्यता का आकलन करने, क्रियाशील इकाई से संबन्धित जानकारियां यथा आवश्यक प्रकटीकरण करने और जब तक प्रबंधन समूह के परिसमापन या परिचालन रोकने की मंशा न रखती हो अथवा इसके अतिरिक्त कोई यथार्थ कारण न हो, तब तक समूह को लेखांकन का आधार बनाने के लिए कंपनियों के निदेशक मण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं।

समूह में सम्मिलित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

## समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले सारतः त्रुटिपूर्ण कथन से समग्र रूप में मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण सदैव किसी सारतः त्रुटिपूर्ण कथन का पता लगा ही लेगा, यदि कोई हो तो। त्रुटिपूर्ण कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें संदेहास्पद माना जाता है, यदि, एकल रूप में या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप में प्रभावित करना प्रत्याशित है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, पूरे लेखा परीक्षण के दौरान हम व्यावसायिक रूप से निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारतः मिथ्या कथन, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, की पहचान करना और इसके जोखिमों को आंकना और इन जोखिमों के अनुक्रियाशील लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करना एवं निष्पादित करना, और लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो कि हमारी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप सारतः मिथ्या कथन को न पहचाने का जोखिम, गलती से किए गए सारतः मिथ्या कथन से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल–साजी, जानबूझकर की गई चूकें, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी (override) किया जाता है।

- परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन में प्रभावशीलता है।

- अनुप्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के क्रियाशील इकाई को लेखांकन का आधार की तरह उपयोग करने उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, एक क्रियाशील इकाई के रूप मे बने रहने की समूह की क्षमता पर सार्थक संदेह उत्पन्न करने हेतु साक्ष्य या स्थितियों से संबन्धित कोई वास्तविक अनिश्चितता पर निष्कर्ष प्राप्त करना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता व्याप्त है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर इस संबंध मे उल्लेख करना होगा, यदि यह प्रकटीकरण अपर्याप्त लगे तो हमें अपनी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष, इस दिनांक तक हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां समूह को क्रियाशील इकाई के रूप में न बने रहने का कारण बन सकती हैं। प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या समेकित वित्तीय विवरण वास्तविक लेनदेनों और घटनाओं का इस प्रकार वर्णन करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करता हो।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अन्य मामले शीर्षक वाले खंड के पैरा 1 से पैरा 4 में आगे वर्णित किया गया है।

प्रत्यक्षता (Materiality) समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथनी की मात्रा है जो, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने और परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई किसी मिथ्या कथनी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता (Materiality) और गुणात्मक कारकों (Qualitative factors) पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ ही लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र एवं समय सीमा के निर्धारण और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में अभिशासन प्रभारियों से संवाद करते हैं।

हमने अभिशासन के प्रभारियों को स्वतंत्रता की प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन संबंधी एक विवरण प्रदान किया है और हमारी स्वतंत्रता के साथ, और जहां लागू हो संगत सुरक्षा से तर्कसंगत रूप से लगाने वाले उन सभी रिश्तों एवं अन्य विषयों के बारे में उन्हें बता दिया है।

अभिशासनके प्रभारियों को वर्णित विषयों में से, हमने उन विषयों का निर्धारण किया है जो समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण/ उल्लेखनीय हैं और इसलिए वे प्रधान लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन इन विषयों के प्रकटीकरण को निषेध ना करता हो, और अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में जब, हमें यह प्रतीत हो की इस विषय के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम से इस सूचना के जनहित लाभों पर हावी होने की यथोचित संभावना है।

**अन्य विषयः**

1. हमने एक बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की (संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई)। संलग्न बयानों में इस सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम/विवरण शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरण/परिणाम 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के 56.28 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ और 0.59 करोड़ रुपये की अन्य व्यापक आय को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित में माना गया है। इस संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इस संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–ध ाारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट , जहां तक यह पूर्वोक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

2. हमने रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं)। समेकित वित्तीय विवरणों में इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शुद्ध नुकसान और अन्य व्यापक नुकसान के समूह के हिस्से को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि

समूह ने इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में अपने वित्तीय विवरणों में निवेश की लागत के बराबर संचित हानियों को पहले ही मान्यता दे दी है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक यह इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, और उनके संदर्भ में हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की धारा (3) और (11) जहां तक यह उपरोक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

3. बीएचईएल के एक संयुक्त उद्यम– पावरप्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट्स लिमिटेड के खातों को समेकित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त कंपनी परिसमापन के अधीन है और इक्विटी निवेश की पूरी राशि प्रदान कर दी गई है।

प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षा पूर्व वित्तीय विवरणों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर निर्भरता के संबंध में समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त विषयों के सापेक्ष संशोधित नहीं की गई है ।

**अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्टः–**

1) अधिनियम के खंड 143(3) के अनुसार आवश्यक हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और "अन्य विषय" पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट सहायक कंपनी, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षा पूर्व वित्तीय विवरण पर विचार करने पर, यथा संभव तक, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर हमने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरणों कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं;

ख) हमारे विचार से, कंपनी ने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरण बनाने के संबंध में विधि के अनुसार लेखा बहियां बनाई हैं, जहां तक हमारे द्वारा इन बहियों की जांच से और अन्य प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय रिपोर्टों से प्रतीत होता है;

ग) इस रिपोर्ट के साथ व्यावहृत समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण; समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई संगत लेखा पुस्तिकाओं के अनुबंध में है;

घ) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 सहपाठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों और भारत में सामान्यत; स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं;

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.: जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05–06–2015 कंपनी पर लागू नहीं है;

च) भारत में निगमित धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईओं की वित्तीय रेपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में "अनुलग्नक–क" में हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें;

छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों को, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुरूप और सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में पृथक वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर विचार सहित अन्य विषयों को पैराग्राफ में उल्लेखित किया गया है;

i. समेकित वित्तीय विवरण समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 देखें;

ii. दीर्घकालिक अनुबंधों में मूर्त निकटवर्ती हानि, यदि हो तो, के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है जैसा कि लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत आवश्यक है– ऐसे मदों के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 42 देखें क्योंकि इनका संबंध समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों से है और

iii. भारत में निगमित धारक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों और उसकी सहायक कंपनियों के द्वारा इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई विलंब नहीं किया गया है

2. कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैरा 3 (xxi) और 4 के मामले के संबंध में, सहायक और तीन संयुक्त संस्थाएं अलेखापरीक्षित बनी हुई हैं और इस रिपोर्ट के जारी होने की तारीख को इन संस्थाओं के संबंध में इनके लेखापरीक्षकों द्वारा CARO रिपोर्ट जारी नहीं की गई है,जैसा की अन्य मामलों के शीर्षक वाले खंड में उल्लिखित किया गया है। अतः 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी CARO रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि CARO रिपोर्ट में कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# अनुलग्नक "क" भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की इंड एएस के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समसंख्यक रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

**कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएसके अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन के रूप में, हमने इसी दिनांक पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (इसके बाद में इसे धारक कंपनी के रूप में लिखा गया है।") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है। हमने तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है। उनमें से तीनों संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों का लेखा परीक्षण नहीं हुआ है।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां, जो भारत में निगमित की गई कंपनियां हैं, के संगत निदेशक मण्डल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशानिर्देश नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के वांछित घटकों पर विचार करते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समयबद्ध बनाया जाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और संपूर्णता, त्रुटियों व धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, संबंधित कंपनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव इन जिम्मेदारियों में सम्मिलित है।

## लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दि नोट ("दिशानिर्देश नोट") एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गई हों, के अनुरूप हम अपना लेखा परीक्षण करते हैं। उन मानकों और गाइडेंस नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और इस तथ्य पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित था और यह नियंत्रण सभी मूर्त पहलुओं पर प्रभावी रूप से संचालित था, लेखा परीक्षा योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कि पर्याप्तता और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे मे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को निष्पादित करना सम्मिलित है। हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी मूर्त निर्बलता के होने के संकट का आकलन और आकलित संकट के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता एवं डिजाइन का मूल्यांकन व परीक्षण करना सम्मिलित है। वित्तीय विवरणों की मूर्त मिथ्या कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का संकट के आकलन सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर प्रक्रियाएं चयनित की जाती हैं।

हमें विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हेतु लेखा परीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने हेतु डिजाइन की जाती है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जो (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जिसमें कंपनी की सम्पत्तियों के लेनदेन और निपटान का यथार्थ और उचित रूप में विवरण दर्शाया गया है। (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और कंपनी कि प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसरण में हो रही है और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान जो वित्तीय विवरणों पर मूर्त प्रभाव डाल सकते हैं, का समय पर पता लगाने या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिनमें मिलीभगत की संभावना, नियंत्रण अधिभाव का अनुचित प्रबंधन सम्मिलित है, के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी से मूर्त मिथ्या कथनी हो सकती है जिसका पता नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

## अन्य विषय

अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक एक सहायक कंपनी और तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों जो कि भारत में निगमित कंपनियाँ है, से संबंधित है,भारत में निगमित इन तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और एक सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन प्रमाणपत्र पर आधारित है।

## राय

हमारी राय में, होल्डिंग कंपनी और तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां, जो भारत में निगमित की गई कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशानिर्देश नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के वांछित घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड के आधार पर, सभी मूर्त पहलुओं के सापेक्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित थी और 31 मार्च, 2023 को प्रभावशाली रूप से संचालित थी।

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

**INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT**
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Date:

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

**विषय:** 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना शीघ्र भेजी जाए।

भवदीय,

(संजय कु. झा)
महानिदेशक

संलग्नक: यथोपरि

5th, 6th, 7th & 8th Floor C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023**

The preparation of consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2023 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of NTPC-BHEL Power Projects Private Limited and Raichur Power Corporation Limited for the year ended on that date. Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to the BHEL-GE Gas Turbine Services Private Limited, being private entity, for appointment of their Statutory Auditor(s) and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller & Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditor(s) nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Sanjay K. Jha)
Director General of Audit (Energy)

Place: New Delhi
Dated: 27 July 2023

# समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | नोट | पृ. सं | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क. परिसंपत्तियाँ** | | | | | | |
| **1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ** | | | | | | |
| (क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर | 3क | 288 | | 2408.74 | | 2336.34 |
| (ख) पूंजीगत चालू कार्य | 3ख | 288 | | 344.59 | | 422.32 |
| (ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 4क | 289 | | 67.24 | | 62.12 |
| (घ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां | 4ख | 289 | | 9.26 | | 8.66 |
| (ङ) इक्विटी पद्धति का उपयोग करके गणना किया गया निवेश | 5 | 294 | | 232.29 | | 201.86 |
| (ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | | | |
| (i) निवेश | 5a | 295 | 3.13 | | 3.29 | |
| (ii) व्यापार प्राप्य | 6 | 296 | 3415.54 | | 3203.84 | |
| (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 7 | 298 | 83.96 | 3502.63 | 86.73 | 3293.86 |
| (च) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियां) | 8 | 298 | | 3422.62 | | 3530.08 |
| (छ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ | 9 | 299 | | 19300.14 | | 18526.54 |
| **कुल गैर चालू परिसंपत्तियाँ** | | | | **29287.51** | | **28381.78** |
| **2. चालू परिसंपत्तियाँ** | | | | | | |
| (क) माल सूची | 10 | 300 | | 6755.90 | | 6560.21 |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | | | | | |
| (i) व्यापार प्राप्य | 6 | 296 | 3128.35 | | 3024.75 | |
| (ii) नकद एवं नकद समकक्ष | 11 | 301 | 1560.52 | | 732.62 | |
| (iii) नकद एवं नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक बैलेंस | 12 | 301 | 5082.06 | | 6421.07 | |
| (iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 7 | 298 | 278.23 | 10049.16 | 211.56 | 10390.00 |
| (ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) | 13 | 302 | | 226.38 | | 119.24 |
| (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | 9 | 299 | | 13050.84 | | 10792.53 |
| **कुल चालू परिसंपत्तियाँ** | | | | **30082.28** | | **27861.98** |
| **कुल परिसंपत्तियाँ** | | | | **59369.79** | | **56243.76** |
| **ख. इक्विटी एवं देयताः** | | | | | | |
| **3. इक्विटी** | | | | | | |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 14 | 302 | | 696.41 | | 696.41 |
| अन्य इक्विटी | 15 | 303 | | 26131.62 | | 25810.19 |
| कुल इक्विटी | | | | **26828.03** | | **26506.60** |
| **4. देयताएं** | | | | | | |
| **4.1 गैर चालू देयताएं** | | | | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| (i) पट्टा देयताएं | 16 | 303 | 33.75 | | 35.12 | |
| (ii) व्यापार देय | 17 | 304 | | | | |
| (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि | | | 128.11 | | 127.45 | |
| (ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया राशि | | | 2065.92 | | 2004.48 | |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएँ | 18 | 305 | 255.70 | 2483.48 | 215.10 | 2382.15 |

# समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | नोट | पृ. सं | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ख) प्रावधान | 19 | 305 | | 4101.02 | | 3771.21 |
| (ग) अन्य गैर–चालू देयताएँ | 20 | 305 | | 2605.81 | | 2212.65 |
| **कुल गैर चालू देयताएं** | | | | **9190.31** | | **8366.01** |
| **4.2 चालू देयताएं** | | | | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | | | | | | |
| (i) ऋण | 21 | 306 | 5385.00 | | 4745.00 | |
| (ii) पट्टा देयताएं | 16 | 303 | 34.76 | | 49.81 | |
| (iii) व्यापार देय | 17 | 304 | | | | |
| (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि | | | 1211.53 | | 745.82 | |
| (ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि | | | 8684.30 | | 7003.77 | |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएँ | 18 | 305 | 1276.93 | 16592.52 | 1124.09 | 13668.49 |
| (ख) प्रावधान | 19 | 305 | | 2796.63 | | 3066.70 |
| (ग) अन्य चालू देयताएँ | 20 | 305 | | 3962.29 | | 4635.96 |
| **कुल चालू देयताएं** | | | | **23351.44** | | **21371.15** |
| **कुल देयताएं** | | | | **32541.75** | | **29737.16** |
| **कुल इक्विटी एवं देयताएं** | | | | **59369.79** | | **56243.76** |
| तैयारी का आधार , मापन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | 282 | | | | |

साथ में दिए गए नोट (1–57) इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

**(राजीव कालड़ा)**
कंपनी सचिव
**M. No. 14567**

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एंड डी),
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार
**DIN: 09703643**

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**DIN: 01176857**

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# लाभ हानि का समेकित विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | नोट | पेज | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **व्यय** | | | | | | |
| परिचालनों से राजस्व | **22** | **307** | | 23364.94 | | 21211.09 |
| अन्य आय | **23** | **308** | | 488.63 | | 354.54 |
| **कुल आय** | | | | **23853.57** | | **21565.63** |
| व्यय | | | | | | |
| खपत किए गए कच्चे माल की लागत | | | | 5875.28 | | 5062.40 |
| खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य | | | | 4657.33 | | 4141.75 |
| सिविल, इरेक्शन और इंजीनियरिंग खर्चे | | | | 5421.08 | | 4792.61 |
| स्टोर और स्पेयर की खपत | | | | 404.18 | | 271.44 |
| तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन | **24** | **308** | | (57.15) | | 525.64 |
| कर्मचारी लाभ व्यय | **25** | **308** | | 5700.63 | | 5519.05 |
| अन्य व्यय | **26** | **309** | | 647.03 | | 162.62 |
| वित्त लागत | **27** | **311** | | 521.43 | | 355.96 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च | **3.1/4.1** | **291/293** | | 260.34 | | 314.12 |
| **कुल व्यय** | | | | **23430.15** | | **21145.59** |
| **इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर निवेश का लाभ (हानि) पूर्व शेयर का शुद्ध लाभ/(पूर्व) तथा कर** | | | | **423.42** | | **420.04** |
| इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर संयुक्त उद्यम का शुद्ध लाभ/(हानि) | | | | 56.02 | | 50.42 |
| **कर पूर्व लाभ** | | | | **479.44** | | **470.46** |
| **कर व्यय** | **28** | **311** | | | | |
| क) वर्तमान कर | | | (111.22) | | (77.13) | |
| ख) आस्थगित कर | | | 113.27 | 2.05 | 102.88 | 25.75 |
| **वर्ष के लिए लाभ (क)** | | | | **477.39** | | **444.71** |
| **अन्य व्यापक आय** | **29** | **312** | | | | |
| वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (शुद्ध कर) | | | | | | |
| निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनर्मापन | | | | (17.27) | | 76.87 |
| इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर संयुक्त उद्यम में ओसीआई का शेयर | | | | 0.59 | | 0.03 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (ख) | | | | **(16.68)** | | **76.90** |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ख) | | | | **460.71** | | **521.61** |
| **पर भारित** | | | | | | |
| मूल इकाई के इक्विटी धारक | | | | **460.71** | | **522.93** |
| अनियंत्रित ब्याज | | | | - | | (1.32) |

# लाभ हानि का समेकित विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | नोट | पेज | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| कुल | | | **460.71** | **521.61** |
| **वर्ष की कुल अन्य व्यापक आय** | | | | |
| **पर भारित** | | | | |
| मूल इकाई के इक्विटी धारक | | | (16.68) | 76.90 |
| अनियंत्रित ब्याज | | | - | |
| **कुल** | | | **(16.68)** | **76.90** |
| **वर्ष के लिए कुल लाभ** | | | | |
| **पर भारितः** | | | | |
| मूल इकाई के इक्विटी धारक | | | 477.39 | 446.03 |
| अनियंत्रित ब्याज | | | - | (1.32) |
| **कुल** | | | **477.39** | **444.71** |
| प्रति इक्विटी शेयर आय | **30** | **312** | | |
| 1. मूल [प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये] | | | 1.37 | 1.28 |
| 2. मिश्रित [प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये] | | | 1.37 | 1.28 |

तैयारी का आधार , मापन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां **2** **282**

साथ में दिए गए नोट (1–57) इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

**(राजीव कालड़ा)**
कंपनी सचिव
**M. No. 14567**

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एंड डी),
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार
**DIN: 09703643**

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**DIN: 01176857**

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

## अ. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

| 2 रु प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी, अभिदान और पूर्ण भुगतान | शेयरों की संख्या | | राशि | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष की शुरूआत में शेष | **3482063355** | 3482063355 | **696.41** | 696.41 |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | **-** | - | **-** | - |
| वर्ष के अंत में शेष | **3482063355** | 3482063355 | **696.41** | 696.41 |

## अ. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | आरक्षित एवं अधिशेष | | | | अन्य व्यापक आय की अन्य मदें | कुल अन्य इक्विटी | अनियंत्रित ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरक्षित पूंजी | पूंजी मोचन कोष | सामान्य कोष | प्रतिधारित आय | | | |
| **1 अप्रैल 2022 को शेष राशि** | **35.18** | **37.87** | **30476.66** | **(4421.45)** | **(318.08)** | **25810.19** | **0.00** |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां | | | | | | - | - |
| **1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि** | **35.18** | **37.87** | **30476.66** | **(4421.45)** | **(318.08)** | **25810.19** | **0.00** |
| जोड़ें : वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | | | | 477.39 | (16.68) | 460.71 | 0.00 |
| घटाएं : अंतिम लाभांश (नोट 31) | | | | (139.28) | | (139.28) | 0.00 |
| 31 मार्च 2023 तक शेष | **35.18** | **37.87** | **30476.66** | **(4083.33)** | **(334.76)** | **26131.62** | **0.00** |

# इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)

| विवरण | रिजर्व एवं अधिशेष | | | | अन्य व्यापक आय की अन्य मदें | कुल अन्य इक्विटी | अनियंत्रित ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरक्षित पूंजी | पूंजी मोचन कोष | सामान्य कोष | प्रतिधा. रित आय | | | |
| **1 अप्रैल 2021 को शेष राशि** | **35.18** | **37.87** | **30476.66** | **(4867.48)** | **(394.98)** | **25287.26** | **(11.66)** |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटिया | | | | | | - | - |
| **1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि** | **35.18** | **37.87** | **30476.66** | **(4867.48)** | **(394.98)** | **25287.26** | **(11.66)** |
| जोड़ें : वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | | | | 428.95 | 76.90 | 505.85 | (1.32) |
| घटाएं : सहायक इक्विटी का परिसमापन एंव माइनरिटी ब्याज | | | | (17.08) | | (17.08) | (12.98) |
| 31 मार्च 2023 तक शेष | **35.18** | **37.87** | **30476.66** | **(4421.45)** | **(318.08)** | **25810.19** | **0.00** |

* कुल अन्य इक्विटी मूल मालिकों का प्रतिनिधित्व करती है

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

**(राजीव कालड़ा)**
कंपनी सचिव
**M. No. 14567**

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एंड डी),
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार
**DIN: 09703643**

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**DIN: 01176857**

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

# नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **अः परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह** | | |
| कर पूर्व लाभ/(हानि) | **479.44** | 470.46 |
| समायोजन के लिए: | | |
| प्रावधान एवं राइट ऑफ | **(86.31)** | (1120.06) |
| मूल्य ह्रास एवं परिशोधन | **260.34** | 314.12 |
| वित्तीय लागत (ब्याज की छूट सहित) | **521.43** | 355.96 |
| ब्याज एवं लाभांश आय | **(421.12)** | (302.79) |
| संयुक्त उद्यमों में हानि/(लाभ) का हिस्सा | **(56.02)** | (50.42) |
| अनुषंगी में हिस्सेदारी का विनिवेश | **0.00** | (17.08) |
| अप्राप्त विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ) | **(401.85)** | 19.26 |
| सरकारी अनुदान का परिशोधन | **(8.90)** | (6.20) |
| अन्य | **(33.02)** | (6.61) |
| **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनों से प्राप्त/(खर्च) नकद** | **253.99** | **(343.36)** |
| कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन: | | |
| व्यापारिक प्राप्तियां | **92.04** | 1881.12 |
| अनुबंध संपत्तियां | **(2370.65)** | (2594.15) |
| मालसूची | **(192.40)** | 603.40 |
| ऋण,अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां | **(262.28)** | 143.49 |
| **उप कुल** | **(2733.29)** | **33.86** |
| व्यापारिक देयताएं | **2103.68** | 1300.96 |
| ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जमा एवं अन्य प्रावधान | **(167.84)** | (381.49) |
| प्रावधान | **(308.48)** | (358.60) |
| **उप कुल** | **1627.36** | **560.87** |
| **शुद्ध नकदी (उपयोग की गई) / कार्यशील पूंजी से** | **(1105.93)** | **594.73** |
| **परिचालन से उत्पन्न नकदी** | **(851.94)** | **251.37** |
| आय कर भुगतान | **(155.54)** | (258.00) |
| आयकर वापसी | **265.96** | 666.88 |
| **परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह** | **(741.52)** | **660.25** |
| **ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| बैंक जमा का प्रतिदान/परिपक्वता (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक की होने पर) | **1358.78** | (1251.12) |
| प्राप्त ब्याज | **250.72** | 257.93 |
| निवेश से प्राप्त आय | **25.42** | 0.00 |
| संयुक्त उद्धमों से प्राप्त लाभांश | **26.18** | 30.35 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री | **7.76** | 6.90 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद | **640.00** | (87.53) |
| **निवेश गतिविधियों से प्राप्त/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी** | **(49.77)** | **(48.79)** |

# नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | (7.27) | **(9.57)** |
| अल्पावधि ऋण से आय | (139.18) | (0.30) |
| पट्टे की बाध्यता (मूलधन) की कार्यवाही (चुकौती) | (354.82) | (183.30) |
| लीज दायित्व (ब्याज) की कार्यवाही / (चुकौती) | 88.96 | (329.49) |
| लाभांश भुगतान | 827.90 | (794.56) |
| ब्याज भुगतान | 732.62 | 1519.90 |
| **निवल नकद (प्रयुक्त) / वित्तपोषण गतिविधियों से (देखें बिंदु 4)** | **0.00** | **7.28** |
| **घ. नकदी व नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(ह्रास)** | **1560.52** | **732.62** |
| **नकदी व नकदी समकक्ष का प्रारंभिक शेष (अतिरिक्त नकद ऋण को छोड़कर)** | **732.62** | **1519.90** |
| सहायक कंपनी के नकद ऋण का समायोजन – प्रारंभिक शेष से बीएचईएल ईएमएल | **0.00** | 7.28 |
| **नकदी व नकदी समकक्षों का जमा शेष (नोट 11 देखे)** | **1560.52** | **732.62** |

(1) इंड एएस–7: नकदी प्रवाह विवरण में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है।

(2) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं भी लागू किए गए हैं, उन्हें फिर से एकत्र/पुनर्गठित किया गया है।

(3) नकद और नकद समकक्षों के अंतिम शेष शून्य (पिछले वर्ष 0.15 करोड़) की विनिमय भिन्नता हानि शामिल है।

(4) वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन नोट 21 (vi), एवं नोट 39 बी, पर उपलब्ध हैं।

(5) वर्ष के दौरान कंपनी ने 266 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड मिला है, जिसमें 106 करोड़ रुपये की ब्याज आय भी शामिल है।

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

**(राजीव कालड़ा)**
कंपनी सचिव
**M. No. 14567**

**(जय प्रकाश श्रीवास्तव)**
निदेशक (ई,आर एंड डी),
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार
**DIN: 09703643**

**(डॉ. नलिन सिंघल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
**DIN: 01176857**

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**एबीपी और एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 315104E**

**(बिमल कुमार चंदुका)**
भागीदार
**M. No. 053714**

**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 008567C**

**(स्वाति सिंह)**
भागीदार
**M. No. 404531**

**एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
**FRN - 000709C/C400277**

**(विजित वैदमुथा)**
भागीदार
**M. No. 406044**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 मई, 2023

# 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकीकृत वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

## नोट [1] – कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल" या "कंपनी") भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली –110049 में है।

कंपनी विद्युत संयंत्र उपस्कारों की एकीकृत विनिर्माता है और अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों, जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल, तेल एवं गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस के लिए उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, इरेक्शन, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग का कार्य करती है।

कंपनी के पास बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड, एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड के नाम से संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं।

## नोट [2] – तैयार करने तथा मापने का आधार तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (समेकित वित्तीय विवरण)

### 1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधारः

**क) अनुपालन का विवरण**

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में और उसके संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

**ख) माप का आधार**

वित्तीय विवरण क्रियाशील इकाई– प्रतिष्ठान (going concern) आधार पर और संग्रहण (accrual) लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक पॉलिसी में अन्यथा उल्लेखित न हो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

**ग) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा**

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल करेंसी (कार्यकारी मुद्रा) है।

**घ) अनुमान और निर्धारण का उपयोग**

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। तदनुसार, लेखांकन अनुमानों में पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण किया जाता है।

**लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन**

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार हैंः

**i) राजस्व**

कंपनी निर्माण ठेकों/अनुबंधों के लिए राजस्व लेखांकन में अपनाए गए लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है।

**ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर**

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एवं इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

**iii) कर्मचारी लाभ योजनाएं**

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक म न्यताओं के आधार पर मापी जाती हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

**iv) प्रावधान और आकस्मिकताएँ**

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए हैं।

### 2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एवं इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (विदेश में संविदा के तहत उपयोग किए गए के अलावा) पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी, अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी लाभप्रदता काल–खंड के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि द्वारा की जाती है, इसमें से तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी काल–खंड के आकलन के आधार पर उपयोगी काल–खंड वाली निम्नलिखित मदों को छोड़कर यह गणना की जाती हैः–

| संपत्ति श्रेणी | (वर्ष) |
|---|---|
| प्लांट एवं उपकरण | 15.30 |
| बिल्डिंग | 5.60 |
| बिजली अधिष्ठापन एवं उपकरण | 10.30 |
| इरेकशन उपकरण, कैपिटल टूल्स एवं टैकल | 5 |
| जल निकासी, सीवरेज और जल आपूति | 30 |
| सर्वर और नेटवर्क | 5 |
| सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र | 25 |

मूल्यह्रास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है। जब तक कंपनी लीज अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियाँ लीज अवधि के छोटे और उनके उपयोगी लाभप्रदता वाले समयांतराल से अधिक हो जाती हैं। फ्री होल्ड जमीन का मूल्यह्रास नहीं होता है।

प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण जिनकी लागत रु 10,000/– या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य 10,000/– रुपए या उससे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है।

इरेक्शन/परियोजना स्थलों परः सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबंध के कार्यकाल पर पूरी तरह से परिशोधित होती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत प्रतिष्ठान और अन्य समान सक्षम कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) के कार्यकाल में मूल्यह्रास किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद अनुबंध, यदि कोई हो।

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में होता है।

निर्माण के वर्ष में अस्थायी संरचनाएं पूरी तरह से ह्रासमान हैं।

अलग–अलग उपयोगी जीवन के साथ महत्वपूर्ण घटकों को अलग से हिसाब में लेकर मूल्यह्रास किया जाता है।

**बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में**

परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का सरल रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों के बराबर/कम है । परिसंपत्तियों के वास्तविक उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

| संपत्ति श्रेणी | अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्ष मे) |
|---|---|
| प्लांट एवं उपकरण | 2-25 |
| बिजली अधिष्ठापन | 2-10 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर | 3-10 |
| कंप्यूटर | 2-5 |
| कार्यालय उपकरण | 2-10 |

राइट–ऑफ–यूज एसेट का मूल्यह्रास स्ट्रेट–लाइन पद्धति का उपयोग करके शुरू होने की तारीख से लेकर राइट–ऑफ–यूज एसेट के उपयोगी जीवन के अंत तक या लीज अवधि की समाप्ति तक किया जाता है।

**रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में**

मूल्यह्रास सीईआरसी/केईआरसी विनियमन 2009 में निर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लागत की 90% सीमा तक किया जाता है और 10% को अवशेष मूल्य के रूप में रखा जाता है।

परिसम्पत्तियों में वृद्धि पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है अर्थात उस तिथि से/(तक) जब तक कि परिसंपत्तियां अपने नियत उपयोग (निपटान) के लिए उपलब्ध हों। 5000 रु. तक की निजी परिसंपत्ति पर उपयोग में न लाए जाने के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

**एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित उपयोगी कार्य अवधि के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया जाता है।

### 3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उक्त व्यवस्था पट्टा है अथवा इसमें पट्टा शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद लीज/पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर परिसंपत्ति के राइट–ऑफ–यूज के तहत पूंजीगत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर लीज देयता का प्रारंभिक निर्धारण, प्रोत्साहन के बिना प्रारंभिक पट्टा भुगतान, निहित परिसंपत्ति को नष्ट किए जाने और हटाने की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हैं।

पट्टों के तहत किए गए पट्टा भुगतान वित्त व्यय और बकाया लीज देयता में की गई कमी के मध्य सेट/स्थिर किया जाता है। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि दायित्व/देयता के अधिशेष पर लगातार आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके। वित्त पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है।

आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें वित्त पट्टा प्राप्य के प्रारंभिक निर्धारण में शामिल हैं और पट्टे की अवधि में मान्य आय को कम करती हैं। पट्टा परिचालन से होने वाली आय को स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर पट्टे की अवधि में आय के रूप में जाना जाता है, जहां पट्टे के किराये में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप है।

### 4. अमूर्त परिसंपत्ति

10000/ – से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति को जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है। अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:

सॉफ्टवेयर 3 साल

अन्य 10 साल

वर्ष की शुरुआत में 10000/– या उससे कम डब्ल्यूडीवी की अमूर्त संपत्ति का पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और परिशोधन के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, का लेखा–जोखा संभावित रूप से किया जाता है।

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीगत होता है जब व्यय को मजबूती से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन हैं। खर्च की गई पूंजी में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल हैं जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

अनुसंधान और विकास हेतु अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीगत किया जाता है।

## 5. उधार लागत

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष उधार लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा गया है।

जिस परिसंपत्ति में उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से अधिक समय लगता है, जैसे कि बारह महीने से ज्यादा, उसे इस प्रयोजन के लिए अर्हक परिसंपत्ति माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ – हानि के स्टेटमेंट में दर्शाया गया है, जिसमें वे खर्च हुए हैं।

## 6. माल सूची

इन्वेंटरी की कीमत लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली जाती है। तैयार माल और कार्य–प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, खुले उपकरणों, दुकानों और पुर्जों की लागत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

## 7. राजस्व मान्यता

जिन वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहकों से वादा किया गया है, उनके अंतरण को दर्शाने के लिए राजस्व को ऐसी राशि में दर्शाया गया है, जो उस प्रतिफल को दर्शाती है, जिसे वह संस्था उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्राप्त करने के लिए पात्र होने की उम्मीद रखती है।

निर्माण और दीर्घकालिक सेवा अनुबंधों के संबंध में, कंपनी माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को स्थानांतरित करती है और कुछ समय के बाद राजस्व का निर्धारण करती है। राजस्व का निर्धारण लागत दृष्टिकोण पर आधारित इनपुट पद्धति से किया जाता है। समय के साथ संतुष्ट निष्पादन बाध्यता की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में फिर से मापा जाता है।

माल और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व का निर्धारण नियंत्रण को ग्राहक को अंतरित करते समय और अनुबंध के तहत निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि के आधार पर किया गया है।

### अन्य आय

- लाभ और हानि विवरण/स्टेटमेंट में कंपनी को भुगतान प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि को लाभांश से प्राप्त आय मान्य है।
- ब्याज आय, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग द्वारा मान्य है।
- निर्यात प्रोत्साहन/शुल्क वापसी और बीमा के लिए दावों का प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

**बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में:**

**पाट्र्स की बिक्री**

सामान्य गतिविधियों के दौरान गैस टरबाइन पाट्र्स की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री कर और बिक्री रिटर्न को घटाकर प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व को ग्राहकों को वादा किए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण को उस राशि में हस्तांतरित करने पर पहचाना जाता है जो उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने वाले प्रतिफल को दर्शाता है।

**अभियांत्रिकी सेवाएं**

निश्चित–मूल्य, निश्चित–समय–सीमा इंजीनियरिंग और आपूर्ति अनुबंधों से राजस्व, जहां निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरे किए जाते हैं और जहां माप या विचार की संग्रहणीयता के विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, उसे पूर्णता प्रतिशत विधि के अनुसार मान्यता दी जाती है।

**रिपेयर सेवाएँ**

रिपेयर सेवाओं के मामले में, राजस्व ग्राहक के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। रिपेयर सेवा अनुबंध के तहत आपूर्ति किए गए प्रतिस्थापन पाट्र्स की बिक्री को ग्राहक को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल के हस्तांतरण पर स्वीकार की जाती है और यह बिक्री कर और बिक्री रिटर्न को छोड़कर होती है।

**रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) के मामले में** ठेकेदारों को दिए गए कार्य अग्रिम पर ब्याज से उत्पन्न ठेकेदारों की आय की गणना वसूली/स्वीकृति के आधार पर की जाती है।

- सीईआरसी/केईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थिर ऊर्जा की बिक्री और अन्य विविध प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व की गणना पूंजी लागत से कम करके की जाती है।
- ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को सीईआरसी/केईआरसी

(जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी गई है।

## 8. विदेशी मुद्रा अंतरण/लेनदेन (विनिमय)

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को लेन–देन की तिथि को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

विदेशी मुद्रा वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर–मौद्रिक देनदारियों और गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर पर परिवर्तित (अदल–बदल) किया जाता है।

## 9. कर्मचारी लाभ

### परिभाषित योगदान योजना

कंपनी द्वारा कर्मचारियों हेतु पेंशन एवं फेमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा–काल हेतु लाभ एवं हानि विवरणिका में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

### परिभाषित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपयुक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

एक्चुअरी लाभ और हानि के साथ–साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के शुद्ध) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

### दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरूप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर–संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि सबंधी विवरणिका में दर्शाया गया है।

## 10. प्रावधान

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के दावों को, समान लेन–देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

(ii) जब कंपनी संबंधित उत्पादों या अनुबंधों पर राजस्व का निर्धारण करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है तो कंपनी वारंटी के लिए अनुमानित लागत प्रदान करती है। प्रावधान पिछले अनुभव/ तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

(iii) जब यह संभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अनुमानित नुकसान का तुरंत पता लगाया जाता है।

(iv) यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को खर्च करने की जरूरत पड़े।

तथापि, जहां धन के कालिक मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हो, जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

## 11. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब आश्वासन मिलता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। गैर मौद्रिक अनुदानों को परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के रूप में देखा जाता है और इसे आस्थगित आय के रूप में माना जाता है। आस्थगित आय को संपत्ति के उपयोगी लाभप्रदता काल पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ – हानि विवरण में दर्शाया जाता है। राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित लागतों के साथ मिलान हेतु आवश्यक अवधियों पर लाभ और हानि के विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी वे क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं।

## 12. आय–कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर। वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए निर्धारित किया गया है और इसमें पिछले वर्षों के कर को भी समायोजित किया गया है।

आस्थगित कर बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है, जो बैलेंस शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर

आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शाई जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की दर्शाई गई राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति हो पाएगी।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

## 13. परिसंपत्तियों की हानि

### वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार और पट्टे की प्राप्य राशियों के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है, यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर, वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

### गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहां किसी भी तरह की हानि का संकेत होता है। लाभ और हानि का आकलन हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है, जहां कैरींग राशि नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि संकेतों से पता चलता है कि हानि में कमी आई है अथवा अब हानि नहीं हो रही है, तो पूर्व कालावधि में नुकसान से हुई हानि का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है। यदि वसूली राशि को इंगित करते हुए लागत में परिवर्तन हो तो, इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

यदि कोई इम्पेयरमेंट लॉस होना नहीं पाया गया है तथा संपत्ति की वहन राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का शुद्ध है तो इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

## 14. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारण खंड विशेष की परिचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार पर किया जाता है। जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अनावंटित राजस्व/ व्यय/ सम्पत्ति/ देनदारियों के तहत शामिल किया गया है।

## 15. वित्तीय लिखत

### i) नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

– ए) परिशोधित लागत और (बी) लाभ एवं हानि ("FVTPL") के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां।

– परिशोधित लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियां

प्रारंभ में, सभी वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो कैरींग राशि का निर्धारण करने में लेनदेन की लागत शामिल होती है, जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो अंतरित किए जाते हैं और न ही रोककर रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डि–रेकोग्नाइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में वित्तीय देनदारियों को डि–रेकोग्नाइज किया जाता है।

बाद में नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है:

**क. परिशोधित लागत –**

"परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखत का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से परिशोधित लागत पर किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि में दर्शाया जाता है। इम्पेयरमेन्ट से होने वाले नुकसान को लाभ – हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

**ख. एफवीटीपीएल श्रेणी –**

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय लिखत बाद में लाभ – हानि विवरण में दर्ज परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर तैयार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष लेनदेन लागत को लाभ – हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्न रूप में दर्शाया जाता है:

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है।

**ii) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत**

यदि प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाला कोई एंबेडेड डेरिवेटिव हो उसे हॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट से अलग रखा जाता है और अलग से हिसाब में लिया जाता है। यदि हॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट की आर्थिक विशेषताएं एवं जोखिम और एम्बेडेड डेरिवेटिव आपस में जुड़े ना हों तो उसी प्रकार का एक अलग लिखत एम्बेडेड डेरिवेटिव को परिभाषित करेगा और संयुक्त लिखत को लाभ – हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं निर्धारित किया जाएगा।

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर निर्धारित और परिकलित किया जाता है। लेनदेन की अट्रीब्युटेबल लागत को लाभ और हानि में लागत के रूप में दर्शाया जाता है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, डेरिवेटिव को लाभ–हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

## 17. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में बैंक में शेष और अपने पास उपलब्ध नकदी शामिल होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा शामिल हैं जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रूप में परिवर्तनीय हैं और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

## नोट [3क] – गैर चालू परिसंपत्तियाँ
## संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर (पीपीई) पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिंदु 2 को देखें (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| सकल खंड | **6620.97** | 6330.89 |
| घटाएँ : संचित मूल्यह्रास | **4212.23** | 3994.55 |
| **निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.1 देखें)** | **2408.74** | **2336.34** |

आरओयू परिसंपत्तियों के संबंध में निवल ब्लॉक में ₹ 155.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 154.83 करोड़) शामिल हैं।

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, एवं तदनुसार इंड एएस ट्रांजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है।

## नोट [3क] – गैर चालू परिसंपत्तियाँ
## प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| संयत्र, मशीनरी एवं अन्य उपस्कर | | | | |
| प्रगति पर इरेक्शन/ फेब्रिकेशन/प्रतीक्षारत इरेक्शन | **82.41** | | 131.43 | |
| ट्रांजिट में | **6.95** | **89.36** | 9.37 | 140.80 |
| प्रगति पर निर्माण कार्य –सिविल | | **253.96** | | 280.12 |
| निर्माण भंडार – (मार्गस्थ सहित) | | **1.27** | | 1.40 |
| कुल | | **344.59** | | **422.32** |

**सीडब्ल्यूआईपी कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2023** (₹ करोड़ में)

| विवरण | अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| प्रगतिशील परियोजनाएं | **115.98** | **53.36** | **73.56** | **89.13** | **332.03** |
| अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं | **-** | **0.59** | **-** | **-** | **0.59** |

**सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता सूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है)– 31 मार्च, 2023 को** (₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष में पूरा किया जाना है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| **परियोजनाएं प्रगति पर हैं** | | | | | |
| नई बिल्डिंग – नोएडा | **227.76** | **-** | **-** | **-** | **227.76** |
| ट्रांसफॉर्मर डबल बॉटलनेक्किंग | **10.27** | **-** | **-** | **-** | **10.27** |
| ₹ 10 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या– 18) | **16.99** | **0.09** | **-** | **0.34** | **17.42** |
| **अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं** | | | | | |
| उपस्कर फेब्रिकेशन संयंत्र – भंडारा | **-** | **-** | **-** | **7.74** | **7.74** |
| ₹ 1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या – 4) | **-** | **0.280** | **-** | **1.60** | **1.88** |

## सीडबल्यूआईपी कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2022

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| प्रगतिशील परियोजनाएं | 115.39 | 127.88 | 115.41 | 51.31 | 409.99 |
| अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं | 0.59 | 0.07 | 2.36 | 9.31 | 12.33 |

## सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता सूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है) – 31 मार्च, 2022 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष में पूरा किया जाना है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| प्रगतिशील परियोजनाएं | | | | | |
| नई बिल्डिंग – नोएडा | 217.38 | - | - | - | 217.38 |
| सेलेक्टिव कैटलिस्ट रीडक्सन प्लांट – बेंगलुरु | 62.12 | - | - | - | 62.12 |
| 10 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या – 25) | 37.83 | - | - | - | 37.83 |
| **अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं** | | | | | |
| इक्युप्मेंट फेब्रिकेशन प्लांट – भंडारा | - | - | - | 7.74 | 7.74 |
| ₹ 1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या – 4) | 0.07 | - | - | 1.58 | 1.65 |

## नोट [4क] – गैर–चालू संपत्तियां

## अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिंदु 4 को देखें

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| सकल खंड | **327.88** | 308.92 |
| घटाएँ: संचित परिशोधन | **260.64** | 246.80 |
| **निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 4.1 देखें)** | **67.24** | **62.12** |

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, एवं तदनुसार इंड एएस ट्रांजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है

## नोट [4ख] – गैर–चालू संपत्तियां

## विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां | **9.26** | 8.66 |
| **कुल** | **9.26** | **8.66** |

## विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों की कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2023 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| प्रगतिशील परियोजनाएं | 5.67 | 1.05 | - | 2.54 | 9.26 |
| अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |

## निर्माणाधीन अमूर्त संपत्तियों की पूर्णता अनुसूची (जो अतिदेय हैं या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है) – 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष में पूरा किया जाना है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| **प्रगतिशील परियोजनाएं** | - | - | - | - | - |
| अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |

## विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2022 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष में पूरा किया जाना है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| परियोजनाएं प्रगति पर | 1.39 | | 1.18 | 6.09 | 8.66 |
| परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित | - | - | - | - | - |

## निर्माणाधीन अमूर्त संपत्तियों की पूर्णता अनुसूची (जो अतिदेय हैं या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है) – 31 मार्च, 2022 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष में पूरा किया जाना है | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| **प्रगतिशील परियोजनाएं** | | | | | |
| एससीआर परियोजनाएं तकनीकी जानकारी | 4.71 | - | - | - | 4.71 |
| **अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं** | - | - | - | - | - |

## नोट 3.1 – संपत्ति, प्लांट व उपस्कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास/ परिशोधन | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2022 को प्रारंभिक शेष | परिवर्धन/ समायोजन | कटौती/ समायोजन | 31.03.2023 को अंतिम शेष | 01.04.2022 पर संचित मूल्यह्रास | वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन | मूल्यह्रास समायोजन | 31.03.2023 को संचित मूल्यह्रास | 31.03.2023 को निवल ब्लॉक | 31.03.2022 को निवल ब्लॉक |
| भूमि–फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित) | 27.71 | 0.02 | 0.00 | **27.73** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **27.73** | 27.71 |
| भवन– फ्री होल्ड भवन | 1743.65 | 86.92 | (6.49) | **1824.08** | 669.59 | 56.04 | (5.48) | **720.15** | **1103.93** | 1074.06 |
| सड़कें, पुल एवं पुलियाँ | 15.85 | 0.25 | 0.00 | **16.10** | 14.16 | 0.60 | 0.00 | **14.76** | **1.34** | 1.69 |
| जल व मल निकासी एवं जल–आपूर्ति | 31.49 | 4.73 | (0.01) | **36.21** | 8.21 | 1.17 | (0.01) | **9.37** | **26.84** | 23.28 |
| प्लांट व मशीनरी | 3209.81 | 121.78 | (5.96) | **3325.63** | 2390.20 | 117.15 | (2.96) | **2504.39** | **821.24** | 819.61 |
| रेलवे साईडिंग | 8.85 | 0.00 | 0.00 | **8.85** | 5.31 | 0.44 | 0.00 | **5.75** | **3.10** | 3.54 |
| लोकोमोटिव व वेगन | 28.33 | 0.00 | 0.00 | **28.33** | 17.57 | 1.66 | 0.00 | **19.23** | **9.10** | 10.76 |
| फर्नीचर व फिक्चर्स | 62.09 | 9.03 | (1.11) | **70.01** | 44.08 | 4.60 | (0.86) | **47.82** | **22.19** | 18.01 |
| वाहन | 14.33 | 0.57 | (0.00) | **14.90** | 10.24 | 1.21 | (0.00) | **11.45** | **3.45** | 4.09 |
| कार्यालय व अन्य उपकरण | 141.10 | 7.72 | (1.46) | **147.36** | 120.11 | 9.69 | (1.23) | **128.57** | **18.79** | 20.99 |
| इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर | 152.83 | 2.55 | 9.87 | **165.25** | 141.97 | 8.50 | 9.89 | **160.36** | **4.89** | 10.86 |
| इलेक्ट्रिकल अधिष्ठापन | 251.67 | 30.57 | 4.04 | **286.28** | 180.44 | 4.31 | 3.31 | **188.06** | **98.22** | 71.23 |
| निर्माण उपस्कर | 71.85 | 0.25 | (0.21) | **71.89** | 69.22 | 1.23 | (0.21) | **70.24** | **1.65** | 2.63 |
| 10,000/– तक की लागत वाली अचल संपत्तियाँ | 22.05 | 1.78 | (0.91) | **22.92** | 22.05 | 1.78 | (0.91) | **22.92** | **-** | - |
| सोलर पावर जेनरेशन | 119.54 | 19.84 | 4.08 | **143.46** | 26.48 | 4.87 | 1.10 | **32.45** | **111.01** | 93.06 |
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ | **429.75** | **33.59** | **(31.37)** | **431.97** | **274.92** | **33.00** | **(31.21)** | **276.71** | **155.26** | **154.83** |
| कुल | **6330.90** | **319.60** | **(29.53)** | **6620.97** | **3994.55** | **246.25** | **(28.57)** | **4212.23** | **2408.74** | **2336.35** |
| पिछला वर्ष | 6172.41 | 208.19 | (49.71) | **6330.89** | 3746.26 | 295.79 | (47.50) | **3994.55** | **2336.34** | 2426.15 |

**नोटः**

सकल ब्लॉक (पूर्व में आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2023 को रु. 13756.12 करोड़ और 31.03.2022 को ₹ 13507.29 करोड़ था।

31.03.2023 को सकल ब्लॉक में ₹ 14.90 करोड़ रुपए ((पिछले वर्ष ₹ 7.11 करोड़) की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग में न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

31.03.2023 को निवल ब्लॉक में 0.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.12 करोड़) अनुपयोगी और सक्रिय उपयोग में न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

सकल ब्लॉक में भारत सरकार से अनुसंधान के लिए प्राप्त अनुदान से खरीदी गई संपत्ति की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति ₹ 237.42 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 259.42 करोड़ रुपये) कंपनी की नहीं है।

वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है।

## टेबल 3.1(क): राइट ऑफ यूज परिसंपत्तियों में शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास/ परिशोधन | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2022 को प्रारंभिक शेष | परिवर्धन/ समायोजन | कटौती/ समायोजन | 31.03.2023 को अंतिम शेष | 01.04.2022 पर संचित मूल्यह्रास | वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन | मूल्यह्रास समायोजन | 31.03.2023 को संचित मूल्यह्रास | 31.03.2023 को निवल ब्लॉक | 31.03.2022 को निवल ब्लॉक |
| भूमि (विकास व्यय सहित) | 118.86 | 0.98 | 0.00 | **119.84** | 14.13 | 3.38 | (0.00) | **17.51** | **102.33** | 104.73 |
| भवन | 1.63 | 0.00 | 0.00 | **1.63** | 0.36 | 0.05 | 0.00 | **0.41** | **1.22** | 1.27 |
| प्लांट व मशीनरी | 37.81 | 8.46 | (6.26) | **40.01** | 23.10 | 10.62 | (6.26) | **27.46** | **12.55** | 14.71 |
| कार्यालय व अन्य उपस्कर | 16.84 | 0.00 | (0.33) | **16.51** | 15.02 | 0.42 | (0.31) | **15.13** | **1.38** | 1.82 |
| ईडीपी उपस्कर | 229.51 | 15.38 | (19.13) | **225.76** | 208.73 | 13.46 | (19.13) | **203.06** | **22.70** | 20.78 |
| वाहन | 5.50 | 3.80 | (2.87) | **6.42** | 3.08 | 1.34 | (2.74) | **1.68** | **4.74** | 2.42 |
| अन्य | 19.61 | 4.97 | (2.78) | **21.80** | 10.51 | 3.73 | (2.77) | **11.46** | **10.34** | 9.10 |
| **कुल** | **429.75** | **33.59** | **(31.37)** | **431.97** | **274.92** | **33.00** | **(31.21)** | **276.71** | **155.26** | **154.83** |
| पिछला वर्ष | 455.37 | 33.18 | (58.80) | **429.75** | 291.18 | 42.35 | (58.61) | **274.92** | **154.83** | 164.19 |

## नोट [3.1] – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के बारे में अतिरिक्त प्रकटीकरण

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| 2. भूमि एवं भवन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: | | |
| क i) जमीन, जिसके लिए औपचारिक अंतरण पट्टा लिखत नहीं किया गया है (एकड़ में) | **8421.02** | 8421.02 |
| निवल ब्लॉक (₹ करोड़ में) | **64.96** | 65.68 |
| ii) फ्लैटों की संख्या, जिनके लिए औपचारिक पट्टा लिखत नहीं किया गया है (संख्या में) | **12** | 12 |
| निवल ब्लॉक (₹ करोड़ में) | **1.01** | 1.06 |
| iii) जमीन, जिसके लिए प्रदत लागत अनंतिम है; (एकड़ में) | **480.04** | 480.04 |
| पंजीकरण प्रभार एवं स्टांप शुल्क (प्रावधानों को छोड़कर), जिसकी गणना भुगतान पर की जाएगी।, | | |
| निवल ब्लॉक (₹ करोड़ में) | **61.26** | 61.98 |
| ख. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्य को पट्टे पर दी गई जमीन (एकड़ में)) | **20.47** | 29.78 |
| ग. जमीन, जो प्रतिकूल/ अनधिकृत कब्जे में है (एकड़ में) | **873.48** | 883.66 |

घ. हरिद्वार संयंत्र में 1297.86 एकड़ (पिछला वर्ष 1297.86 एकड़) भूमि का म्यूटेशन लंबित है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें 934 एकड़ (PY 934 एकड़) भूमि ऐसी है जो बीएचईएल के कब्जे में है लेकिन वर्ष 2004 से 2007 में उत्तराखंड सरकार के सिडकुल के नाम पर गलत तरीके से म्यूटेट की गई है।

ङ. इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार के दिनांक 01.12.2003 के कार्यालय ज्ञापन के तहत हरिद्वार संयंत्र में 8 एकड़ भूमि का आईओसीएल/ राज्य सरकार को हस्तांतरण लंबित है।

(उपर्युक्त (ख से ङ) की भूमि की लागत प्रत्यक्ष नहीं है)

## नोट [3.1] परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के बारे में अतिरिक्त प्रकटीकरण

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| 2. i) भूमि का कुल क्षेत्रफल एकड़ में | **16660.72** | 16660.72 |
| ii) 3(i) में से फ्री होल्ड भूमि (सेल डीड)/ कब्जे / लाइसेंस अधिकार (एकड़ में) | **15987.38** | 15987.38 |
| iii) 3(i) में से पट्टा होल्ड भूमि (एकड़ में) | **673.34** | 673.34 |

3. कंपनी 10000/— रु. तक की लागत/ओपनिंग नेट ब्लॉक वाले किसी पीपीई मद पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करती है। पिछले वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की एक वस्तु पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| 10,000/— रु. तक की पीपीई पर 100% मूल्यह्रास चार्ज ऑफ | **7.21** | 6.50 |
| घटाएँ : उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्रास | **(4.39)** | (3.53) |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित अतिरिक्त राशि | **2.82** | 2.97 |

4. परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत, आवश्यक अनुमोदन के अधीन इन संपत्तियों (i) चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, कोलकाता में दूसरी मंजिल का कार्यालय (ii) इंदौर आवासीय फ्लैट, नागपुर — भूमि और भवन और (iii) वडोदरा टाउनशिप — भूमि और भवन, जिन सबका निवल ब्लॉक मूल्य ₹ 1.42 करोड़ है, की पहचान बिक्री के लिए की गई है।

## नोट 4.1 — अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास/ परिशोधन | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2022 को प्रारंभिक शेष | परिवर्धन/ समायोजन | कटौती/ समायोजन | 31.03.2023 को अंतिम शेष | 01.04.2022 पर संचित मूल्यह्रास | वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन | मूल्यह्रास समायोजन | 31.03.2023 को संचित मूल्यह्रास | 31.03.2023 को निवल ब्लॉक | 31.03.2022 को निवल ब्लॉक |
| **आंतरिक स्रोतों से विकसित** | | | | | | | | | | |
| — अन्य | 71.02 | 0.44 | 0.00 | **71.46** | 66.66 | 2.59 | 0.00 | **69.25** | **2.21** | 4.37 |
| **आंतरिक स्रोतों के अलावा अन्य स्त्रोतों से विकसित** | | | | | | | | | | |
| — सॉफ्टवेयर | 53.05 | 3.46 | (0.25) | **56.26** | 50.52 | 1.76 | (0.25) | **52.03** | **4.23** | 2.52 |
| — तकनीकी ज्ञान | 184.85 | 15.31 | 0.00 | **200.16** | 129.62 | 9.74 | 0.00 | **139.36** | **60.80** | 55.23 |
| **कुल** | **308.92** | **19.21** | **(0.25)** | **327.88** | **246.80** | **14.09** | **(0.25)** | **260.64** | **67.24** | **62.12** |
| पिछले वर्ष | 290.83 | 18.25 | (0.15) | **308.92** | 228.67 | 18.27 | (0.14) | **246.80** | **62.12** | 62.16 |

सकल ब्लॉक (पिछले आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2023 को ₹ 598.12 करोड़ एवं 31.03.2022 को ₹ 584.11 करोड़ था।

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में कोई ह्रास हानि नहीं हुई।

## नोट [5] – गैर चालू परिसंपत्ति

## निवेश (इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब लगाया गया)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| बीएचईएल गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | | |
| आरंभिक शुद्ध संपत्ति | **201.86** | 181.76 |
| वर्ष का लाभ/(हानि) | **56.02** | 50.42 |
| अन्य व्यापक आय | **0.59** | 0.03 |
| घटाएँ: भुगतान किया गया लाभांश | **26.18** | 30.35 |
| **समापनीय शुद्ध संपत्ति** | **232.29** | 201.86 |

(i) आरपीसीएल (संयुक्त उद्यम कंपनी) को घाटा हुआ है, जिसके कारण समूह ने 31 मार्च, 2019 तक निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को मान्यता दी है। समूह ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के अनुक्रम में अपने अपरीक्षित लेखा के आधार पर ₹ 1152 करोड़ की हानि का गैर–मान्यता प्राप्त हिस्सा लिया है।

(ii) एनबीपीपीएल (संयुक्त उद्यम कंपनी) को घाटा हुआ है, जिसके कारण समूह ने 31 मार्च, 2019 तक निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को मान्यता दी है। समूह ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के अनुक्रम में अपने अपरीक्षित लेखा के अनुसार ₹ 92 करोड़ की हानि का गैर–मान्यता प्राप्त हिस्सा लिया है।

## नोट [5] – गैर चालू परिसंपत्तियां
## वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | | | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रुपये में) | राशि | | शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रुपये में) | राशि | |
| I कोटेड इक्विटी लिखत | | | | | | |
| II अनकोटेड इक्विटी लिखत (पूरी तरह भुगतान किए गए शेयर) | | | | | | |
| (क) संयुक्त उद्यमों में निवेश (लागत पर)) | | | | | | |
| (प) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड | 1999999 (10) | 2.00 | | 1999999 (10) | 2.00 | |
| घटाएँ: हानि के लिए प्रावधान | | 2.00 | | | 2.00 | |
| (ख) पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी लिखत में निवेश (एफ़वीटीपीएल पर) | | | | | | |
| (i) नीलांचल इस्पात निगम लि. | | | | 5000000 (10) | 5.00 | |
| उचित मूल्य समायोजन जोड़ें/(घटाएँ)। | | | | | (5.00) | - |
| (ii) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लि. | 728960 (10) | 0.91 | | 728960 (10) | 0.91 | |
| उचित मूल्य समायोजन जोड़ें/(घटाएँ)। | | 2.22 | 3.13 | | 2.38 | 3.29 |
| (iii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. | 1892 (10) | * | | 1892 (10) | * | |
| सहकारी समितियों में हिस्सेदारी # | | | | | | |
| कुल | | | 3.13 | | | 3.29 |
| *रु. 1 लाख से कम का मूल्य | | | | | | |
| अनकोटड निवेश की कुल राशि | | | 2.91 | | | 7.19 |
| निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि | | | (0.22) | | | 4.62 |

# विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य 1 लाख /– से कम है –

## संयुक्त उद्यमों के बारे में जानकारी

| विवरण | देश जहां निगमन हुआ | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (क) संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी) | | स्वामित्व का अनुपात (%) | |
| बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्रा. लि. (बीजीजीटीएस) | भारत | **एक शेयर 50% से कम** | एक शेयर 50% से कम |
| एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. (एनबीपीपीएल) | भारत | **50%** | 50% |
| रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. (आरपीसीएल) | भारत | **22.14%** | 22.14% |
| | | **-** | - |
| पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. (पीपीआईएल) | भारत | **एक शेयर 50% से कम** | एक शेयर 50% से कम |

(i) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर 50.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष तक 50.00 करोड़ रुपए) तक किया गया है। 08 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के समापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) ने एनटीपीसी को सलाह दी है कि वह बीएचईएल की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करे एवं या तो इसे एक ई–हाउस शाखा के रूप में चलाता रहे या वर्तमान कार्य पूरा होने के बाद इसे बंद करने का निर्णय ले। यह सलाह एनबीबीपीएल बोर्ड द्वारा 29.08.2019 को हुई बैठक में नोट की गई थी।

(ii) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रुवमेंट लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान 2.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.00 करोड़ रुपए) किया गया है क्योंकि जेवीसी परिसमान के तहत है एवं इक्विटी के रूप मेँ भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

(iii) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में निवेश का निपटान कर दिया गया है और वर्ष के दौरान 25.39 करोड़ की बिक्री आय प्राप्त हुई है।

## नोट [6] – वित्तीय परिसंपत्तियाँ – व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 13 देखें। (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| असुरक्षित, शोध्य | **3743.94** | **3433.95** | 3538.39 | 3340.61 |
| साख का मूल्यह्रास (बी एंड डी ऋणों के लिए भत्तों में शामिल) | **11176.04** | **367.08** | 11599.09 | 277.54 |
| | **14919.98** | **3801.03** | 15137.48 | 3618.15 |
| घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | **11504.44** | **672.68** | 11933.64 | 593.40 |
| **कुल व्यापार प्राप्य (शुद्ध)** | **3415.54** | **3128.35** | 3203.84 | 3024.75 |
| व्यापार प्राप्यों के मूल्यह्रास हेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण इंड एएस 109 के के अनुसार किया जाता है; | | | | |
| व्यापार प्राप्तियों में शामिल हैं: | | | | |
| (क) निदेशकों से प्राप्य | - | - | - | - |
| (ख) अधिकारियों से प्राप्य | - | - | - | - |

## गैर–चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च 2023

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | बिल नहीं किया गया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य | 50.85 | 100.34 | 116.08 | 78.12 | 1410.59 | - | - | 1755.98 |
| ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण ह्रासित | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य | 1.72 | 0.01 | 3.56 | 21.61 | 1961.06 | - | - | 1987.96 |
| iv) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण ह्रासित | 95.54 | 91.62 | 283.17 | 340.39 | 10365.32 | - | - | 11176.04 |

## गैर–चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च 2023

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | बिल नहीं किया गया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य | 2395.97 | 331.70 | 281.11 | 107.69 | 317.48 | - | - | 3433.95 |
| ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण ह्रासित | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iv) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण ह्रासित | 2.72 | 0.81 | 23.33 | 14.67 | 325.55 | - | - | 367.08 |

## गैर–चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च 2022

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | बिल नहीं किया गया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य | 39.02 | 38.13 | 172.50 | 288.06 | 1063.63 | - | - | 1601.34 |
| ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण ह्रासित | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य | 0.89 | 5.28 | 16.95 | 66.50 | 1847.41 | - | - | 1937.03 |
| iv) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण ह्रासित | 95.20 | 100.67 | 395.44 | 630.60 | 10377.20 | - | - | 11599.11 |

## गैर–चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च 2023

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | बिल नहीं किया गया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – स्वीकृत माल | 2214.21 | 237.21 | 337.62 | 197.02 | 354.55 | - | - | 3340.61 |
| ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iii) विवादित व्यापार प्राप्य – स्वीकृत माल | - | - | - | - | - | - | - | - |
| iv) विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित | 11.23 | 0.88 | 35.77 | 35.58 | 194.08 | - | - | 277.54 |

## नोट [7] – वित्तीय परिसंपत्तियाँ – अन्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 13 देखें। (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| प्रतिभूति जमा | | | | |
| एसईबी, पोर्ट ट्रस्ट एवं अन्य के पास जमा | | | | |
| असुरक्षित, शोध्य | **83.96** | **116.98*** | 81.80 | 112.86* |
| साख का मूल्यह्रास | **3.59** | **11.32** | 2.87 | 11.69 |
| | **87.55** | **128.30** | 84.67 | 124.55 |
| घटाएँ: दोषयुक्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | **3.59** | **11.32** | 2.87 | 11.69 |
| | **83.96** | **116.98** | 81.80 | 112.86 |
| **12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि** | **-** | **-** | 4.93 | - |
| **बैंक जमा पर अर्जित ब्याज** | **-** | **140.68** | | 76.62 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | **-** | **20.61** | - | 22.19 |
| घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के भत्ते | **-** | **0.04** | - | 0.11 |
| | **-** | **20.57** | - | 22.08 |
| **कुल** | **83.96** | **278.23** | 86.73 | 211.56 |

*अदालतों में जमा राशि ₹ 88.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 81.77 करोड़) शामिल है

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| प्रतिभूति जमा में शामिल है: | | | | |
| निदेशकों से प्राप्य | **-** | **-** | - | - |
| अधिकारियों से प्राप्य | **-** | **0.01** | - | 0.01 |

## नोट [8] – गैर चालू परिसंपत्तियाँ

## आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियां)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 12 देखें. (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ** | | |
| प्रावधान | **1654.02** | 1629.68 |
| भुगतान आधार पर देय राशि की अनुमति | **549.35** | 440.00 |
| मूल्यह्रास (पीपी एंड ई एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ) | **12.13** | 46.04 |
| करयोग्य हानि पर | **1105.79** | 1311.74 |
| अन्य | **101.33** | 102.62 |
| **उप कुल** | **3422.62** | **3530.08** |
| घटाएँ : आस्थगित कर देयताएं | **-** | - |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियां)** | **3422.62** | **3530.08** |

## नोट [9] – अन्य परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 13 देखें

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| **अनुबंध परिसंपत्तियाँ (बिना बिल किया हुआ राजस्व सहित)** | | | | |
| आरक्षित, शोध्य | 18928.58 | 10811.45 | 18248.24 | 8691.63 |
| साख का मूल्यह्रास | 2773.38 | 584.87 | 2768.53 | 663.72 |
| | 21701.96 | 11396.32 | 21016.77 | 9355.35 |
| घटाएँ: दोषयुक्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | 2773.38 | 584.87 | 2768.53 | 663.72 |
| **उप कुल (क)** | 18928.58 | 10811.45 | 18248.24 | 8691.63 |
| **सुरक्षा जमा** | | | | |
| कर प्राधिकरणों एवं अन्यों के पास जमा | | | | |
| आरक्षित, शोध्य | 103.09 | 378.58 | 79.96 | 443.32 |
| आरक्षित, संदिग्ध | 31.19 | 71.19 | 30.45 | 89.74 |
| | 134.28 | 449.77 | 110.41 | 533.06 |
| घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान | 31.19 | 71.19 | 30.45 | 89.74 |
| **उप कुल (ख)** | 103.09 | 378.58 | 79.96 | 443.32 |
| **ऋण व अग्रिम** | | | | |
| आरक्षित, शोध्य | | | | |
| क्रय के लिए अग्रिम (वेंडर एवं सब कॉन्ट्रैक्टर) | 41.14 | 128.69 | 41.54 | 56.42 |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य | - | 1079.97 | - | 958.31 |
| वसूली योग्य दावे एवं अन्य | 210.04 | 652.15 | 139.76 | 642.85 |
| पूंजी अग्रिम | 17.29 | - | 17.04 | - |
| आरक्षित, अशोध्य | | | | |
| क्रय के लिए अग्रिम (वेंडर एवं सब कॉन्टैक्टर) | 11.92 | 9.65 | 11.50 | 35.69 |
| इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य | - | 6.44 | - | 5.38 |
| वसूलीयोग्य दावे एवं अन्य | 90.29 | 149.02 | 49.67 | 111.92 |
| पूंजी अग्रिम | - | - | 4.69 | - |
| | 370.68 | 2025.92 | 264.20 | 1810.57 |
| घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान | 102.21 | 165.11 | 65.86 | 152.99 |
| **उप–कुल (ग)** | 268.47 | 1860.81 | 198.34 | 1657.58 |
| **कुल (क+ख+ग)** | 19300.14 | 13050.84 | 18526.54 | 10792.53 |

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| i) निर्विवाद संविदा परिसंपत्तियां – स्वीकृत माल | 15020.29 | 10811.45 | 13874.67 | 8691.63 |
| ii) अविवादित संविदा परिसंपत्तिया – ऋण बाधित | - | - | - | - |
| iii) विवादित संविदा परिसंपत्तिया – स्वीकृत माल | 3908.29 | - | 4373.57 | - |
| iv) विवादित संविदा परिसंपत्तिया – ऋण बाधित | 2773.38 | 584.87 | 2768.53 | 663.72 |
| **कुल** | 21701.96 | 11396.32 | 21016.77 | 9355.35 |
| **ऋण व अग्रिम में शामिल है:** | | | | |
| (क) निदेशकों से प्राप्य | - | - | - | - |
| (ख) अधिकारियों से प्राप्य | - | - | - | - |

## नोट [10] - चालू परिसंपत्तियाँ
## माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 6 देखें। (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| कच्चा माल एवं अवयव | **2900.92** | | 2784.94 | |
| पारगमन में सामग्री | **127.98** | **3028.90** | 129.30 | 2914.24 |
| प्रगतिशील कार्य (उप ठेकेदारों वाली मदों सहित) | | **3482.75** | | 3349.47 |
| तैयार माल | **422.57** | | 518.09 | |
| इंटर डिविजन ट्रान्सफर इन ट्रांसिट | **89.20** | **511.77** | 89.85 | 607.94 |
| स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स | | | | |
| उत्पादन | **149.68** | | 151.94 | |
| ईंधन स्टोर | **6.14** | | 5.70 | |
| विविध | **47.37** | **203.19** | 50.32 | 207.96 |
| अन्य माल सूची | | | | |
| फेब्रिकेटर्स/ ठेकोदारों के पास सामग्री | **85.43** | | 60.10 | |
| खुले औजार | **24.35** | | 24.32 | |
| स्क्रेप (अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य पर) | **163.30** | **273.08** | 143.26 | 227.68 |
| | | **7499.69** | | 7307.29 |
| घटाएँ: अचल माल सूची के लिए प्रावधान | | **743.79** | | 747.08 |
| **कुल** | | **6755.90** | | 6560.21 |
| **नोटः** | | | | |
| माल सूची का बट्टाकरण | | **59.72** | | 76.77 |
| घटाएँ: इसके उलट | | **63.01** | | 49.21 |
| **कुल** | | **(3.29)** | | **27.56** |

## नोट [11] - चालू परिसंपत्तियां
## वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद और नकद के समकक्ष

नकद और नकद के समकक्ष पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 16 देखें। (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| बैंकों में शेष : | | | | |
| ईईएफसी खाता | 226.21 | | 28.20 | |
| चालू/नकद क्रेडिट खाता | 1205.22 | 1431.43 | 687.82 | 716.02 |
| हाथ में चेक, डिमांड ड्राफ्ट | | 128.99 | | 13.06 |
| हाथ में नकदी एवं स्टेम्प | | 0.08 | | 0.08 |
| पारगमन में प्रेषित धन | | 0.02 | | 3.46 |
| **कुल** | | 1560.52 | | 732.62 |

* विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए निलंब (एस्क्रो) खाते में ₹ 112.23 करोड़ शामिल हैं।

## नोट [12] - चालू परिसंपत्तियाँ
## वित्तीय परिसंपत्तियाँ – बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| 3 महीने से अधिक की लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता वाली फिक्स्ड डिपॉजिट | | 4852.34 | | 6211.12 |
| जारी किए गए बीजी के लिए मार्जिन मनी के नामे फिक्स्ड डिपॉजिट | | 213.43 | | 202.65 |
| बैंकों में शेष (निर्धारित): | | | | |
| चार्जिंग स्टेशन परियोजना | 7.06 | | 3.94 | |
| लावारिस लाभांश खाता | 1.91 | | 1.81 | |
| सीईएफ़सी खाता | 6.92 | | - | |
| गैर–प्रत्यावर्तनीय खाता | 0.37 | | 1.52 | |
| बोनस अंक पर आंशिक शेयरों की बिक्री से आय | 0.03 | 16.29 | 0.03 | 7.30 |
| **कुल** | | 5082.06 | | 6421.07 |
| **कुल नकद एवं बैंक में जमा राशि [11 + 12]** | | 6642.58 | | 7153.69 |

## नोट [13] - चालू परिसंपत्तियाँ
## वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ / देयताएं (शुद्ध)

आयकर पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 12 देखें। (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| अग्रिम कर एंव टीडीएस | **285.80** | 180.71 |
| घटाएँ: कराधान के प्रावधान | **59.42** | 61.47 |
| **कुल** | **226.38** | 119.24 |

## नोट [14] - इक्विटी
## इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में) | राशि | शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में) | राशि |
| **अ. इक्विटी शेयर पूंजी** | | | | |
| **प्राधिकृत** | **10000000000 (2)** | **2000.00** | 10000000000 (2) | 2000.00 |
| **जारी, सब्सक्राइब्ड एवं पूर्णतः प्रदत्त** | **3482063355 (2)** | **696.41** | 3482063355 (2) | 696.41 |
| क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान | | | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष | **3482063355** | **696.41** | 3482063355 | 696.41 |
| बढ़े/घटे वर्ष के दौरान परिवर्तन | **-** | **-** | - | - |
| वर्ष के अंत में शेष | **3482063355** | **696.41** | 3482063355 | 696.41 |
| **ख) 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों द्वारा वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों का विवरण** | | | | |
| भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर) | **2199650402** | **63.17%** | 2199650402 | 63.17% |
| वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग का प्रतिशत परिवर्तन | | **Nil** | | Nil |
| भारतीय जीवन बीमा निगम | **350770257** | **10.07%** | 350769757 | 10.07% |
| प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹) | | **2.00** | | 2.00 |

ग) **इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम/अधिकार**

कंपनी के पास केवल 2 रुपए प्रति शेयर (पिछले वर्ष 2 रुपए प्रति शेयर) के बराबर मूल्य वाली श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है।

घ) **बोनस शेयर जारी करना (31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के पिछले पाँच वर्षों में)**

कंपनी ने 03 अक्टूबर, 2017 को 1रू 2 के अनुपात में बोनस शेयर आवंटित किया, यानी दो मौजूदा पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के लिए एक इक्विटी शेयर। परिणामस्वरूप, भुगतान की गई पूंजी वित्त वर्ष 2016–17 में 489.52 करोड़ रुपए से बढ़कर आरक्षित निधि के पूंजीकरण द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 में 734.28 करोड़ रुपए हो गई।

(ङ) **शेयर बायबैक (31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के पिछले पाँच वर्षों में)**

कंपनी ने 25 अक्टूबर, 2018 के अपने बोर्ड के अनुमोदन के तहत, अपने 18,93,36,645 रुपए के शेयर 2 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को वापस खरीद लिया, जिनमें से प्रत्येक कुल जारी किए गए 5.16% एवं पेड–अप इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्त वर्ष 2018–19 में 86 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर 1628,29,51,470 की राशि के लिए कंपनी के पात्र इक्विटी शेयरधारक को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, भुगतान की गई शेयर पूंजी वित्त वर्ष 2017–18 में 734.28 करोड़ रुपए से कम होकर वित्त वर्ष 2018–19 में 696.41 करोड़ रुपए हो गई।

## नोट [15] - अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| पूंजी कोष | **35.18** | 35.18 |
| पूंजी मोचन कोष | **37.87** | 37.87 |
| सामान्य कोष | **30476.66** | 30476.66 |
| प्रतिधारित आय | **(4083.33)** | (4421.45) |
| ओसीआई (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन) | **(334.76)** | (318.08) |
| **कुल** | **26131.62** | 25810.19 |

उपर्युक्त प्रत्येक विशिष्ट शीर्ष के तहत जोड़ने और कटौती के लिए, SOCIE (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) को संदर्भित किया जा सकता है।

### आरक्षित कोष की प्रकृति एवं उद्देश्य

**(क) पूंजी कोष:** यह मुख्य रूप से बीएचईएल के साथ तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के समामेलन के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की लागत से अधिक निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

**(ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधि:** कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की खरीद पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित निधि में वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर राशि है।

**(ग) सामान्य आरक्षित निधि:** यह भविष्य में (ज्ञात / अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लाभ के संचय का प्रतिनिधित्व करता है।

**(घ) प्रतिधारित आय:** सामान्य कोष को हस्तांतरण, लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) या शेयरधारकों को भुगतान किए गए अन्य वितरण घटाकर जो वही कंपनी की प्रतिधारित कमाई है।

**(ङ) शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः माप:** योजना परिसंपत्तियों एवं वास्तव में हासिल की गई रिटर्न पर ब्याज से आय के बीच अंतर, एवं योजनाओं के भीतर एक्चुरियल धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष में देनदारियों में कोई भी परिवर्तन, 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता प्राप्त हैं एवं इसके बाद लाभ एवं हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत करने के लिए नहीं है।

## नोट [16] - वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

पट्टा पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 3 देखें।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| पट्टा देयताएं | **33.75** | **34.76** | 35.12 | 49.81 |
| **कुल** | **33.75** | **34.76** | 35.12 | 49.81 |

पट्टा पर और अधिक विवरण नोट [39] में दिया गया है।

## नोट [17] - वित्तीय देयताएं – व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| **व्यापार देय** | | | | |
| (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि | **128.11** | **1211.53** | 127.45 | 745.82 |
| (ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | **2065.92** | **8558.03** | 2004.48 | 6881.11 |
| (iii) स्वीकृती | **-** | **126.27** | - | 122.66 |
| **कुल** | **2194.03** | **9895.83** | 2131.93 | 7749.59 |

## गैर–चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | बिल नहीं हुआ बकाया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) एमएसएमई | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **125.82** | **125.82** |
| ii) अन्य | **-** | **-** | **-** | **-** | **0.36** | **1710.97** | **1711.33** |
| iii) विवादग्रस्त बकाया–एमएसएमई | **-** | **-** | **-** | **2.29** | **-** | **-** | **2.29** |
| iv) विवादग्रस्त बकाया – अन्य* | **1.51** | **59.06** | **9.86** | **271.70** | **0.09** | **12.37** | **354.59** |

## गैर–चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च, 2022 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | बिल नहीं हुआ बकाया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) एमएसएमई | **0.02** | **-** | **-** | **-** | **196.38** | **1010.60** | **1207.00** |
| ii) अन्य | **581.83** | **0.58** | **0.27** | **2.10** | **1534.73** | **6455.49** | **8575.00** |
| iii) विवादग्रस्त बकाया–एमएसएमई | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.53** | **4.53** |
| iv) विवादग्रस्त बकाया – अन्य | **-** | **-** | **-** | **6.98** | **-** | **102.32** | **109.30** |

## गैर–चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची – 31 मार्च, 2022 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | बिल नहीं हुआ बकाया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) एमएसएमई | - | - | - | - | 0.04 | 125.96 | 126.00 |
| ii) अन्य | - | - | - | - | 0.21 | 1637.95 | 1638.16 |
| iii) विवादग्रस्त बकाया–एमएसएमई | - | - | - | 0.50 | - | 0.95 | 1.45 |
| iv) विवादग्रस्त बकाया – अन्य | 0.32 | 59.58 | 27.22 | 261.62 | 0.09 | 17.49 | 366.32 |

## चालू व्यापार देय कालप्रभावन कार्यक्रम – 31 मार्च, 2022 को

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | बिल नहीं हुआ बकाया | भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | | | |
| i) एमएसएमई | - | - | - | - | 166.16 | 579.66 | 745.82 |
| ii) अन्य | 2.41 | - | - | - | 1497.22 | 5488.49 | 6988.12 |
| iii) विवादग्रस्त बकाया–एमएसएमई | - | - | - | - | - | | - |
| iv) विवादग्रस्त बकाया – अन्य* | 0.04 | 0.97 | 0.51 | 13.10 | - | 1.03 | 15.65 |

$ भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं, यह संविदात्मक रूप के अनुसार रखी गई रकम को दर्शाता है जो चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होना है।

* बकाया का विवरण संविदात्मक रूप से नियत तिथि के आधार पर दिया जाता है, लेकिन इनका भुगतान तभी किया जाएगा जब विवाद का समाधान उनके पक्ष में होगा।

## नोट [18] वित्तीय देयताएं– अन्य

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| ठेकेदारों एवं अन्य से जमा राशि | **247.10** | **416.66** | **206.45** | **431.36** |
| देयताएँ | | | | |
| - कर्मचारियों का बकाया | **-** | **384.33** | - | 214.05 |
| - पूंजीगत व्यय~ | **8.60** | **111.50** | 8.65 | 80.83 |
| - अन्य* | **-** | **354.33** | - | 386.92 |
| भुगतान नहीं किया गया लाभांश** | **-** | **1.91** | - | 1.81 |
| उधार पर ब्याज | **-** | **8.20** | - | 9.12 |
| **कुल** | **255.70** | **1276.93** | 215.10 | 1124.09 |

* अन्य में बोनस शेयरों के कारण भिन्नात्मक शेयरों की बिक्री आय ₹ 0.03 करोड़ शामिल हैं।

**वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि देय और बकाया नहीं है।

## नोट [19] - प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 9 और 10 देखें।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| अनुबंधातमक दायित्व | 2990.16 | 784.26 | 2620.03 | 1235.45 |
| कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान* | **878.37** | **1383.68** | 856.82 | 1060.62 |
| दूसरे प्रावधान | **232.49** | **622.54** | 292.69 | 760.14 |
| कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ** | **-** | **6.15** | 1.67 | 10.49 |
| **कुल** | **4101.02** | **2796.63** | 3771.21 | 3066.70 |

*कर्मचारी लाभों पर अधिक विवरण/प्रकटीकरण नोट (25) में उपलब्ध है

## नोट [20] - अन्य देयताएं

सरकारी अनुदान पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 11 देखें। (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर चालू | चालू | गैर चालू | चालू |
| संविदा देयताएं (राजस्व से अधिक बिलिंग सहित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम) | **2585-67** | **3049-34** | 2193-43 | 3854-33 |
| वैधानिक बकाया की तरफ देयताएँ | **-** | **908.32** | - | 775.55 |
| आस्थगित आय– सरकारी अनुदान # | **20.14** | **4.63** | 19.22 | 6.08 |
| **कुल** | **2605.81** | **3962.29** | 2212.65 | 4635.96 |

# सरकारी अनुदान मात्र सौर पीवी संयंत्र की स्थापना और मॉड्यूल के निर्माण, सीईएफसी (कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर) योजना के लिए प्राप्त होता है

## नोट [21] - चालू वित्तीय देयताएं–ऋण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **संरक्षित** | | |
| बैंकों से ऋण (सावधि जमा द्वारा सुरक्षित) | **1115.00** | - |
| बैकों से ऋण | **4270.00** | 4745.00 |
| (कच्चे माल, घटकों, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल एवं भंडार के दृष्टिबंधक द्वारा संरक्षित) | | |
| **उप– कुल (क)** | **5385.00** | 4745.00 |
| असंरक्षित | | |
| **उप– कुल (ख)** | **-** | - |
| **कुल उधार (क+ख)** | **5385.00** | 4745.00 |

**(i) स्वीकृत सीमा का विवरण**

| विवरण | स्वीकृत सीमा | उपयोग | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति | | 31 मार्च 2022 की स्थिति | |
| | | मूल्य (₹/करोड़) | % उपयोग | मूल्य (₹/करोड़) | % उपयोग |
| **गैर–निधि आधारित सीमाएं** | **54000** | **33602** | **62.23%** | **33936** | **62.84%** |
| बैंक गारंटी# | 51000 | 30853 | 60.50% | 31369 | 61.51% |
| साख पत्र (क्रेता क्रेडिट सहित) | 3000 | 2749 | 91.63% | 2567 | 85.57% |
| **फंड आधारित सीमाएं** | **6000** | **4270** | **71.17%** | **4745** | **79.08%** |
| डब्ल्यूसीडीएल | | 4270 | | 4745 | |
| पीसीएफसी | | NIL | | NIL | |
| **वाणिज्य पत्र** | **5000** | **NIL** | | **NIL** | |

"₹ 60000 करोड़ की कुल सहायता संघ सीमा (निधि आधारित, गैर–निधि आधारित) कच्चे माल, घटकों, प्रगति पर काम, तैयार माल, स्टोर, व्यापार प्राप्तियों और अन्य वर्तमान और भविष्य दोनों वर्तमान संपत्ति के दृष्टिबंधक के माध्यम से पहले शुल्क द्वारा सुरक्षित।

कंपनी बैंकों की सीमा (फंड बेस रु. 9000 करोड़ और नॉन फंड रु. 51000 करोड़) के पुन: आवंटन पर सहयोगी बैंकों के साथ चर्चा कर रही है, जिससे समग्र सीमा रु. 60000 करोड़ पर अपरिवर्तित रहती है।

वाणिज्यिक पत्र असुरक्षित अल्पकालिक उधार की प्रकृति के होते हैं।

# बकाया बैंक गारंटियों में 31 मार्च, 2023 को पहले से बदले गए लेकिन वेकेशन के लंबित बीजी के कारण ₹4 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 439 करोड़) शामिल हैं। इसके अलावा, 31.03.2023 को बकाया बीजी ₹30849 करोड़ है। (पिछले वर्ष 30930 करोड़)

(ii) वित्त वर्ष 2022–23 में बैंकों से ऋण ₹ 4270 करोड़ WCDL (कार्यशील पूंजी मांग ऋण) और पिछले वर्ष के लिए, सावधि जमा के खिलाफ रु. 1115 करोड़ ऋण तथा ₹ 4745 करोड़ WCDL के लिए ऋण को दर्शाता है।

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल की गई त्रैमासिक रिटर्न या चालू संपत्ति के विवरण "खाता बहियां" के अनुरूप हैं।

(v) 31.03.2023 को बकाया स्वयं के दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी ₹ 403 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1165 करोड़) है।

(vi) वित्तीय गतिविधियों के कारण ऋण में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 की स्थिति | 31 मार्च 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष (नकद ऋण को छोड़कर) | **4745.00** | 4841.99 |
| घटाएँ: बीएचईएल ईएमएल के विनिवेश के परिणामस्वरूप असुरक्षित ऋण का समायोजन | **-** | 8.21 |
| वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह | **640.00** | (88.78) |
| अंतिम शेष (नकद ऋण को छोड़कर) | **5385.00** | 4745.00 |

वित्तीय गतिविधियों के कारण पट्टा देयता में परिवर्तन के लिए, नोट 39 [बी] देखें।

## नोट [22]
## परिचालनों से राजस्व

राजस्व मान्यता पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 7 देखें (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व** | | |
| निर्माण और परियोजना से संबंधित गतिविधि से राजस्व | **16083.09** | 14107.10 |
| उत्पाद और अन्य सेवाओं की बिक्री | **6053.21** | 6046.28 |
| **कुल (क)** | **22136.30** | 20153.38 |
| **अन्य परिचालन आय** | | |
| भाड़ा व बीमा | **187.84** | 129.35 |
| स्क्रेप बिक्री | **299.90** | 273.63 |
| आपूर्तिकर्ताओं से वसूली | **131.33** | 113.98 |
| रिटेन बैक देयताएं | **406.22** | 239.95 |
| बीमा दावे | **47.94** | 76.51 |
| निर्यात प्रोत्साहन | **19.63** | 50.50 |
| अन्य | **135.78** | 173.79 |
| **कुल (ख)** | **1228.64** | 1057.71 |
| **परिचालन से राजस्व (क + ख)** | **23364.94** | 21211.09 |
| परिचालन से प्राप्त राजस्व में माल और सेवा कर शामिल नहीं है | **3566.00** | 2970.00 |

## नोट [23]
## अन्य आय

राजस्व निर्धारण पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 7 देखें (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **ब्याज से आय' *** | | |
| बैंकों से | **302.35** | 246.75 |
| अन्य | **118.77** | 56.04 |
| **कुल (क)** | **421.12** | 302.79 |
| **अन्य आय** | | |
| निवेश की बिक्री पर लाभ – एनआईएनएल | **25.42** | - |
| कैप्टिव उपयोग के लिए सोलर पीवी प्लांट पर सरकारी अनुदान | **8.90** | 6.20 |
| पीपीई व पूँजी स्टोर की बिक्री से लाभ (शुद्ध) | **7.76** | 6.90 |
| अन्य | **25.43** | 38.65 |
| **कुल (ख)** | **67.51** | 51.75 |
| **कुल अन्य आय (क+ख)** | **488.63** | 354.54 |
| *टीडीएस शामिल है | **13.44** | 18.92 |

## नोट[24]
## तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन (वृद्धि)/कमी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| **प्रगतिशील कार्य** | | | | |
| अंतिम शेष | **3482.75** | | 3349.47 | |
| आरंभिक शेष | **3349.47** | **(133.28)** | 3786.38 | 436.91 |
| **तैयार माल** | | | | |
| अंतिम शेष | **422.57** | | 518.09 | |
| आरंभिक शेष | **518.09** | **95.52** | 628.72 | 110.63 |
| **स्क्रेप** | | | | |
| अंतिम शेष | **163.30** | | 143.26 | |
| आरंभिक शेष | **143.26** | **(20.04)** | 147.46 | 4.20 |
| **अंतर विभागीय स्थानांतरण ट्रांसिट में** | | **0.65** | | (26.10) |
| **(वृद्धि)/कमी** | | **(57.15)** | | 525.64 |

## नोट [25]
## कर्मचारी अनुलाभ व्यय

कर्मचारी लाभ की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 9 का संदर्भ लें (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते और अन्य लाभ | **4859.69** | 4713.20 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान | **473.56** | 460.01 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | **244.69** | 239.89 |
| उपदान (ग्रेच्युटी) निधि में योगदान | **114.14** | 95.78 |
| समूह बीमा | **8.55** | 10.17 |
| **कुल** | **5700.63** | 5519.05 |

## नोट [26]
## अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| विद्युत व ईंधन | | **487.67** | | 415.08 |
| अन्य उप अनुबंधों पर व्यय | | **243.91** | | 243.72 |
| कैरिज आउटवर्ड | | **249.55** | | 241.23 |
| सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान | | **153.97** | | 148.93 |
| मरम्मत व अनुरक्षण: | | | | |
| भवन | **33.00** | | 27.32 | |
| प्लांट व मशीनरी | **32.41** | | 26.44 | |
| अन्य | **77.55** | **142.96** | 74.05 | 127.81 |
| बीमा | | **108.03** | | 95.88 |
| यात्रा व वाहन | | **110.59** | | 84.89 |
| बैंक प्रभार | | **90.76** | | 92.17 |
| आर एंड डी व्यय | | **12.81** | | 12.10 |
| भाड़ा व्यय | | **51.01** | | 48.22 |
| कोलबोरेशन्स व रॉयल्टी पर व्यय | | **54.61** | | 45.21 |
| दर एवं कर | | **36.62** | | 23.04 |
| कार्यालय व्यय | | **29.32** | | 27.32 |
| कौशल विकास पर व्यय | | **11.47** | | 12.83 |
| विधिक, लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन व्यय | | **47.67** | | 32.45 |
| ईडीपी, सॉफ्टवेयर व पट्टा व्यय | | **17.61** | | 17.40 |
| पानी प्रभार | | **22.83** | | 20.50 |
| निर्यात संबंधी व्यय | | **8.64** | | 8.01 |
| गैर आवासीय किराया | | **9.85** | | 12.77 |
| सत्कार एंव शिष्टाचार व्यय | | **3.14** | | 2.73 |
| पर्यावरण सुरक्षा | | **5.14** | | 4.59 |
| सेमिनार, विकास एवं प्रशिक्षण व्यय | | **2.90** | | 1.28 |
| इक्विटी शेयर के निवेश में अप्राप्त हानि | | **0.16** | | 0.29 |
| प्रचार एवं जनसम्पर्क व्यय | | **3.62** | | 1.94 |
| विविध व्यय | | **49.29** | | 50.10 |
| विनिमय भिन्नता [शुद्ध (लाभ) / हानि] | | **(459.93)** | | (81.62) |
| प्रावधान और बट्टे खाते में डालना (नीचे बिंदु संख्या पर विवरण) | | **(847.17)** | | (1526.25) |
| **योग** | | **647.03** | | 162.62 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| विस्तृत जानकारी | | |
| (i) निदेशक की फीस | **0.26** | 0.25 |
| (ii) विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय | | |
| प्लांट एवं मशीनरी | **175.59** | 159.08 |
| भवन | **31.41** | 33.06 |
| अन्य | **33.34** | 33.09 |
| (iii) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय | **128.49** | 122.83 |
| (iv) विदेश यात्रा पर व्यय | | |
| दौरों की संख्या | **302** | 127 |
| व्यय | **5.57** | 1.92 |

(v) प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना:

(परिसंपत्तियों के प्रावधान और हानि पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2), का बिंदु 10,13 देखें.)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| **संदिग्ध ऋण, परिसमाप्त क्षति और ऋण, अग्रिम और जमा** | | | | |
| वर्ष के दौरान बनाया गया | **885.10** | | 729.55 | |
| कमः वर्ष के दौरान निकासी | **1112.29** | **(227.19)** | 2209.16 | (1479.61) |
| **संविदात्मक दायित्व** | | | | |
| वर्ष के दौरान बनाया गया | **313.68** | | 151.95 | |
| कमः वर्ष के दौरान निकासी | **881.27** | **(567.59)** | 526.44 | (374.49) |
| **अन्य** | | | | |
| वर्ष के दौरान बनाया गयाr | **171.95** | | 367.26 | |
| कमः वर्ष के दौरान निकासी | **372.24** | **(200.29)** | 389.38 | (22.12) |
| निवेश बट्टे खाते में डाला गया | | | | 5.36 |
| अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए | | **30.62** | | 98.34 |
| परिसमापन हर्जाना और संविदात्मक शुल्क चार्ज ऑफ किया गया | | **113.55** | | 233.59 |
| नुकसान बट्टे खाते में डाला गया | | **3.73** | | 12.68 |
| **कुल** | | **(847.17)** | | (1526.25) |

## नोट [27]

## वित्तीय लागत

उधार लेने की लागत और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के नोट [2] के बिंदु 5 और 10 देखें.

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| वाणिज्यिक पत्र पर छूट | | **51.17** | | 137.41 |
| प्रावधान की समाप्तिः | | **160.50** | | 156.01 |
| ब्याज लागतः | | | | |
| बैंक/वित्तीय संस्थान | **296.55** | | 47.89 | |
| विदेशी वित्तीय संस्थान | **1.45** | | 0.74 | |
| पट्टा दायित्व पर | **7.03** | | 8.50 | |
| अन्य | **4.24** | **309.27** | 4.01 | 61.14 |
| वाणिज्यिक पत्र जारी करने पर अन्य व्यय | | **0.49** | | 1.40 |
| **उप कुल** | | **521.43** | | 355.96 |
| कमः उधार लेने की लागत पूंजीगत | | **-** | | - |
| **कुल** | | **521.43** | | 355.96 |

## नोट [28]

## कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के नोट [2] के बिंदु 12 देखें

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| **चालू कर** | | | | |
| वर्तमान वर्ष के लिए | **47.88** | | 48.86 | |
| पहले के वर्षों के लिए | **(159.10)** | **(111.22)** | (125.99) | (77.13) |
| **आस्थगित कर** | | | | |
| वर्तमान वर्ष के लिए | **114.02** | | 108.00 | |
| पहले के वर्षों के लिए | **(0.75)** | **113.27** | (5.12) | 102.88 |
| **कुल** | | **2.05** | | 25.75 |

## नोट [29]
## अन्य व्यापक आय / व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| आय / (व्यय) | | |
| परिभाषित कर्मचारी लाभ का पुनः मापन | **(23.08)** | 102.72 |
| घटाएँ: उक्त मदों से संबंधित आय कर * | **(5.81)** | 25.85 |
| **कुल** | **(17.27)** | 76.87 |
| * शामिल है | | |
| चालू कर | **-** | - |
| आस्थगित कर | **(5.81)** | 25.85 |

**आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) का आयकर दर से गुणा का पुनर्मिलान**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **कर पूर्व कुल व्यापक आय/हानि (टीसीआई) (क)** | **456.95** | 573.21 |
| **सांविधिक आय कर दर (ख)** | **25.168%** | 25.168% |
| **कर व्यय ग= (कxख)** | **115.01** | 144.27 |
| | | |
| **के कारण अंतर: (घ)** | | |
| कर उद्देश्यों के लिए व्यय कटौती योग्य नहीं है | **55.33** | 51.90 |
| विशेष दर पर कर योग्य आय के कारण कर में अंतर | | (0.76) |
| जेवी के लाभ/हानि के शेयर पर कर प्रभाव | **(14.25)** | (12.70) |
| कर व्यय में परिवर्तन – पहले के वर्ष | **(159.85)** | (131.11) |
| **उप– कुल (घ)** | **(118.77)** | (92.67) |
| **शुद्ध कर व्यय ई = (ग+घ)** | **(3.76)** | 51.60 |

## नोट[30]
## प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| इक्विटी शेयरधारको के लिए लाभ/(हानि) | **477.39** | 446.03 |
| इक्विटी शेयरो की भारित औसत संख्या | **348.21** | 348.21 |
| **₹ 2 के प्रति शेयर पर मूल और मिश्रित आय** | **1.37** | 1.28 |

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारांक औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर की गई आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ के हिसाब से की जाती है जो कि प्रति शेयर पर बेसिक कमाई को प्राप्त करने के लिए मानी जानी वाली इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से होती है एवं उन सभी इक्विटी शेयरों की वैटेज औसत संख्या जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

## नोट [31]

## प्रति शेयर लाभांश

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश जिनकी पहचान देनदारियों में नहीं की गई है** | | |
| प्रति शेयर पर रूपए 0.40 का प्रस्तावित अंतिम लाभांश (वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 0.40 प्रति शेयर) | **139.28** | 139.28 |

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और बैलेंस शीट की तारीख में देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

## नोट [32]

## खातों के लिए नोट्स

समेकित वित्तीय विवरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी), संयुक्त उद्यम संस्थाओं में इसके हित से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं–

### लेखांकन का आधार

i) समेकन में संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण क्रमशः मूल कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि तक हैं।

ii) समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस 110 और इंड एएस–28 "एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण पर तैयार किए गए हैं।.

### समेकन का आधार

1. इक्विटी–अकाउंट वाले निवेशितियों में कंपनी की रुचि में संयुक्त उद्यम में रुचि शामिल है। संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कंपनी का संयुक्त नियंत्रण होता है, जिसके तहत कंपनी को अपनी संपत्तियों और देनदारियों के लिए दायित्वों के बजाय व्यवस्था की शुद्ध संपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त उद्यम में हितों का हिसाब इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। उन्हें प्रारंभ में लागत पर पहचाना जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय में कंपनी के लाभ या हानि का हिस्सा और इक्विटी–खाते वाले निवेशकर्ताओं का ओसीआई शामिल होता है, जब तक कि उस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता।

   जब किसी संयुक्त उद्यम के घाटे में समूह का हिस्सा उस संयुक्त उद्यम में समूह के हित से अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान के अपने हिस्से को मान्यता देना बंद कर देता है। अतिरिक्त घाटे को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब समूह ने कानूनी या रचनात्मक दायित्व वहन किया हो या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

2. समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं और यथासंभव सीमा तक प्रस्तुत किए गए हैं।

### समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं–

| विवरण | व्यवसाय का मुख्य स्थान | स्वामित्व का अनुपात | |
|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | 2021-22 |
| संयुक्त उद्यम कंपनियाँ | | | |
| (इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब लगाया गया) | | | |
| बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | भारत | 50% से कम का एक शेयर | 50% से कम का एक शेयर |
| एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | भारत | **50%** | 50% |
| रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | भारत | **22.14%** | 22.14% |

क) बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड के सापेक्ष संयुक्त उद्यमों में हित 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना जाता है।

ख) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सापेक्ष संयुक्त उद्यमों में हित को 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना जाता है।

ग) पावर प्लांट परफोरमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड के संबंध में वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रतिफल मान्य नहीं किया गया है क्योंकि कम्पनी परिसमापन के अधीन है। इक्विटी निवेश की पूर्ण राशि रुपये 2 करोड़ ह्रास के रूप में उपलब्ध करायी गई है।

## नोट [33]

## आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएँ

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **क.** आकस्मिक देयताएं | | |
| कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए : | | |
| (क) बिक्री कर मामले | **1227.09** | 1279.61 |
| (ख) सेवा कर मामले | **606.56** | 920.46 |
| (ग) न्यायालय और मध्यस्थता मामले | **711.81** | 592.77 |
| (घ) उत्पाद शुल्क मामले | **166.39** | 162.18 |
| (ङ) सीमा शुल्क और अन्य | **934.51** | 880.06 |
| (च) वस्तु एवं सेवा कर | **4.14** | - |
| (छ) अन्य मामले (कर्मचारी विवाद मामलों सहित) | **59.69** | 48.37 |
| (ज) परिनिर्धारित हर्जाना का दावा (एलडी) | **3596.61** | 2872.25 |
| **कुल** | **7306.80** | 6755.70 |

(i) कंपनी द्वारा विभिन्न अदलतों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को देखते हुए, इस स्तर पर संसाधनों का बहिर्वाह का इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है। आमतौर पर, अदालत और मध्यस्थता मामलों की आकस्मिक देयताएं पुरस्कार/अदालत के निर्णय पर निर्भर होता हैं और आकस्मिक देयता के मामले दर मामले के आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

(ii) संबंधित कार्यवाहियों में संकल्प के लंबित होने के कारण (क) से (च), यदि कोई हो, के संबंध में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, नकदी के बहिर्वाह की संभावना आकस्मिक है।

(iii) परिनिर्धारित क्षति परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है जो विलंब विश्लेषण के आधार पर परियोजन के कमीशनिंग और ट्रायल ऑपरेशन के बाद निपटारा किया जाएगा और इसका प्रकटीकरण एएस–37 के अनुरूप किया जा रहा है।

**(iv) आकस्मिक देनदारियों में बदलाव**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **वर्ष की शुरुआत में शेष** | **6755.70** | 6045.49 |
| घटाएँ: आरंभिक शेष से कटौती | **727.70** | 129.84 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध) | **1278.81** | 840.05 |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **7306.80** | 6755.70 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **ख. प्रतिबद्धताएं** | | |
| (अ) अनुबंध की अनुमानित राशि, शुद्ध अग्रिम, बाकी शेष को पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था। | **282.05** | 209.20 |
| (उपर्युक्त में अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित सम्मिलित हैं) | **32.71** | 7.56 |
| ख. संयुक्त उद्यम संस्थाओं में निवेश जिसके लिए कंपनी को परियोजना के निगमन वाणिज्यिक परिचालन / परियोजना की पहली इकाई / पहली ईपीसी अनुबंध के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए उनके निपटान के लिए प्रतिबंध है,जैसा भी मामला हो, इस निवेश के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है। | **50.00** | 50.00 |

(स) व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध होने के नाते सामग्री की खरीद के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं जिसे सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया माना गया है।

## नोट [34]

वर्तमान वित्तीय देनदारियों में 1990–91 तक सरकार के अनुरोध पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में भारत सरकार द्वारा मांगे गए गारंटी शुल्क के लिए **₹100.51 करोड़** (पिछले वर्ष ₹100.51 करोड़) की राशि शामिल है। चूंकि कंपनी द्वारा ऋण (सरकार द्वारा गारंटीकृत) लिए जाने के समय इस तरह के गारंटी शुल्क के भुगतान के लिए कोई शर्त नहीं थी, उचित कार्रवाई के लिए मामले की समीक्षा की जा रही है।

## नोट [35]

कंपनी ने अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (ASSCP), गुड़गांव को 1 अप्रैल 1999 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) से 30 साल की अवधि के लिए लीज पर लिया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक पट्टा समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

## नोट [36]

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और स्टॉक / सामग्री उप–ठेकेदारों / फैब्रिकेटर के पास प्रदर्शित शेष राशि पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है, ग्राहक द्वारा अनुमोदित बिलिंग अनुसूची के अनुसार अनुबंध के अनुसार ग्राहकों पर बिल बनाए जाते हैं और समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है और जहां भी आवश्यक समझा जाता है, प्रावधान किए जाते हैं। ग्राहक के साथ अंतिम समाधान परियोजना के पूरा होने पर किया जाता है (परीक्षण संचालन और पीजी परीक्षण पूरा हो गया है)। पूर्ण की गई परियोजनाओं का प्राप्य व्यापार ₹ 7963 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7593 करोड़) है। पूर्ण किए गए अनुबंधों में से, ग्राहकों के साथ समाधान की गई परियोजनाओं पर ₹6185 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6376 करोड़) की बकाया व्यापार प्राप्तियां हैं।

## नोट [37] सहायक कंपनी

| क. सहायक कंपनी का नाम | व्यवसाय का मुख्य स्थान | कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व का अनुपात | | गैर–नियंत्रित हित द्वारा धारित स्वामित्व हित का अनुपात | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | यथानुसार | | यथानुसार | |
| | | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च, 2022 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड | भारत | - | - | - | - |

बीएचईएल ने बीएचईएल ईएमएल में अपनी हिस्सेदारी 11 अगस्त, 2021 को केरल सरकार को अंतरित कर दी है।

(ख) सहायक कंपनी की सारांशित वित्तीय जानकारी इस प्रकार है। सहायक कंपनी के लिए प्रकट की गई राशियाँ अंतर–कंपनी समाप्ति से पहले की हैं:–

(₹ करोड़ में)

| सारांशित बैलेंस शीट | यथानुसार | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 |
| गैर तात्कालिक परिसंपत्ति | - | - |
| वर्तमान संपत्ति | - | - |
| कुल संपत्ति | - | - |
| गैर मौजूदा देनदारियां | - | - |
| वर्तमान देनदारियां | - | - |
| कुल देनदारियों | - | - |
| निवल संपत्ति | - | - |
| **संचित गैर–नियंत्रित ब्याज (एनसीआई)** | - | - |

(₹ करोड़ में)

| लाभ–हानि का सारांश विवरण | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| आय | - | - |
| वर्ष का लाभ/(हानि) | - | (2.69) |
| अन्य व्यापक आय | - | - |
| कुल व्यापक आय | - | (2.69) |
| एनसीआई के कारण लाभ/(हानि) | - | (1.32) |

(₹ करोड़ में)

| सारांशित नकदी प्रवाह | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह | - | (0.02) |
| निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह | - | - |
| वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह | - | - |
| **नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)।** | - | (0.02) |

बीएचईएल ने बीएचईएल ईएमएल में अपनी हिस्सेदारी 11 अगस्त, 2021 को केरल सरकार को अंतरित कर दी है।

## नोट [38] संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ

**(ब) इंड एएस– वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरण में निवेश की धारित राशि के साथ समाधान के आधार पर संयुक्त उद्यम की सारांशित वित्तीय सूचना नीचे दी गयी है :**

(₹ करोड़ में)

| क) संयुक्त उद्यम का नाम (इक्विटी प्रणाली के प्रयोग से गणना की गई) | व्यवसाय का मुख्य स्थान | स्वामित्व का अनुपात | | धारित राशि (कैरिंग अमाउंट) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च तक | | 31 मार्च तक | |
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| बीएचईएल – जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस) | भारत | **50% माइनस 1 शेयर** | 50% माइनस 1 शेयर | **2.38** | 2.38 |
| एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) | भारत | **50.00%** | 50.00% | **-** | - |
| रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) | भारत | **22.14%** | 22.14% | **664.04** | 664.04 |

(क) बीजीजीटीएस बीएचईएल और जीई, यूएसए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे जीई डिजाइन गैस टर्बाइन की मरम्मत और सर्विसिंग करने के लिए गठित किया गया है।

(ख) बीएचईएल ने एनटीपीसी लिमिटेड के साथ भारत और विदेशों में बिजली संयंत्रों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ईपीसी अनुबंध करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी "एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड" का गठन किया।

08 फरवरी, 2018 को हुई अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के समापन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने एनटीपीसी को बीएचईएल की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करने और या तो इसे आंतरिक ईपीसी शाखा के रूप में जारी रखने या वर्तमान कार्य पूरा होने के बाद इसे बंद करने का निर्णय लेने की सलाह दी है। यह सलाह एनबीबीपीएल बोर्ड द्वारा 29.08.2019 को हुई अपनी बैठक में नोट की गई थी।

(ग) रायचुर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएचईएल और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है। इसे स्वयं निर्माण एवं परिचालन के आधार पर यरमारस, रायचुर, कर्नाटक में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट; एदलापुर, रायचुर, कर्नाटक में 1x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु गठित किया गया है। यरमारस टीपीपी की यूनिट–I और यूनिट–II का सीओडी क्रमशः मार्च 2017 और अप्रैल 2017 में प्राप्त किया गया।

(घ) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में 2 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपये) की क्षति का प्रावधान किया गया है क्योंकि कंपनी परिसमापन के अधीन है और इक्विटी के रूप में भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

**ख) संयुक्त उद्यम कंपनियों के समूह की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है:–**

नीचे दी गई तालिका में संयुक्त उद्यम कंपनियों के समूह की इक्विटी पद्धति पर वित्तीय जानकारी को संक्षेप में दर्शाया गया है। यह जानकारी संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अनुसार है न कि इन राशियों के समूह की हिस्सेदारी से संबंधित है।

### बीएचईएल – जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

| बैलेंस शीट | वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| गैर चालू परिसंपत्तियाँ | **63.28** | 126.30 |
| चालू परिसंपत्तियाँ | **813.49** | 626.37 |
| नकद एवं नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां | **50.02** | 41.97 |
| गैर–चालू देयताएं | **9.24** | 12.77 |
| गैर चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर) | **9.24** | 12.77 |
| चालू देयताएं | **402.94** | 336.69 |
| चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर) | **73.76** | 67.62 |

(₹ करोड़ में)

| लाभ–हानि का विवरण | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| परिचालन से आय | **967.13** | 801.18 |
| ब्याज आय | **18.32** | 15.79 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | **8.91** | 9.65 |
| ब्याज व्यय | **0.87** | 1.08 |
| आयकर व्यय | **38.54** | 34.27 |
| वर्ष का लाभ/हानि | **112.56** | 100.84 |
| अन्य व्यापक आय | **(1.18)** | (0.06) |
| **कुल व्यापक आय** | **113.75** | 100.90 |

## रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

| तुलन पत्र | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| गैर चालू परिसंपत्तियाँ | **9252.93** | 9802.61 |
| चालू परिसंपत्तियाँ | **3694.36** | 2860.89 |
| नकद एवं नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां | **17.10** | 11.11 |
| गैर–चालू देयताएं | **14529.74** | 12856.52 |
| गैर चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर) | **-** | - |
| चालू देयताएं | **3620.84** | 3895.70 |
| चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर) | **3402.93** | 3452.34 |

(₹ करोड़ में)

| लाभ–हानि का विवरण | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| परिचालन से राजस्व | **3035.43** | 3198.68 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | **658.37** | 659.11 |
| ब्याज व्यय | **1524.73** | 1704.64 |
| आयकर व्यय | **-** | - |
| वर्ष का लाभ/(हानि) | **(1114.58)** | (678.22) |
| कुल व्यापक आय | **(1114.58)** | (678.22) |

## एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

| बैलेंस शीट | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| गैर चालू परिसंपत्तियाँ | **198.89** | 223.91 |
| चालू परिसंपत्तियाँ | **404.19** | 390.93 |
| नकद एवं नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां | **6.90** | 6.67 |
| गैर–चालू देयताएं | **84.48** | 112.86 |
| चालू देयताएं | **702.05** | 679.96 |
| चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर) | **367.38** | 371.74 |

(₹ करोड़ में)

| लाभ–हानि का विवरण | समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| परिचालन से राजस्व | **44.45** | 54.74 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | **5.79** | 5.81 |
| ब्याज व्यय | **0.17** | 0.71 |
| आयकर व्यय | **3.69** | (12.86) |
| वर्ष का लाभ/(हानि) | **(5.49)** | (19.87) |
| कुल व्यापक आय | **(5.49)** | (19.73) |

## नोट [39]

## पट्टों पर प्रकटीकरण – इंड एस–16

**पट्टों पर प्रतिबद्धताएं – कंपनी पट्टेदार के रूप में**

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे समझौते भूमि, भवन और ईडीपी उपकरणों के संबंध में हैं। कंपनी ने कंप्यूटर आइटम, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और पेरिफेरल्स पट्टा व्यवस्था के लिए दर अनुबंध किया है। पट्टे पर ली गई संपत्तियों को पूंजीगत किया जाता है तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के प्रयोग के अधिकार का संपत्ति के रूप में अलग से प्रकटीकरण किया जाता है। पट्टा रेंटल को ब्याज, रखरखाव और मूलधन मूल्य के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और रखरखाव शुल्क लाभ–हानि के विवरण पर लगाया जाता है और मूल राशि को पट्टा देयताओं के लिए समायोजित किया जाता है।

**कंपनी ने निम्न उपलब्ध व्यावहारिक उपायों को लागू किया:**

(i) ऐसे पट्टे, जिनकी पट्टा अवधि अनुप्रयोग की प्रारम्भिक दिनांक से 12 माह तक है और कुल पट्टा अवधि 12 माह से कम है, के लिए अल्पकालिक छूट।

(ii) अल्पमूल्य (50000 रुपये से कम की संपत्ति) की आधारभूत परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए अल्पमूल्य पट्टा छूट।

### क पट्टा देनदारियों का आयु–वार विश्लेषण इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान | | ब्याज | | न्यूनतम का वर्तमान मूल्य ख्वीवी, पट्टा भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष हेतु | | वर्ष हेतु | | वर्ष हेतु | |
| | 31 मार्च , 2023 | 31 मार्च , 2022 | 31 मार्च , 2023 | 31 मार्च , 2022 | 31 मार्च , 2023 | 31 मार्च , 2022 |
| अधिकतम एक वर्ष तक # | **36.62** | 54.51 | **3.52** | 6.60 | **33.10** | 47.91 |
| एक वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर | **34.60** | 40.52 | **2.78** | 5.40 | **31.82** | 35.12 |
| पाँच वर्ष से अधिक | **2.14** | - | **0.21** | - | **1.93** | - |

# उन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि, जहां 31 मार्च,2023 के अंत तक शेष पट्टा अवधि 12 महीने से कम है, ₹ 16.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.56 करोड़) है।

### ख वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान पट्टा देनदारियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| **1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं*** | **84.93** | 101.61 |
| जोड़ें: परिवर्धन | **33.58** | 33.18 |
| जोड़ें ब्याज की वृद्धि | **7.03** | 8.50 |
| कम: भुगतान/ समायोजन | **57.04** | 58.36 |
| **31 मार्च की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं *** | **68.50** | 84.93 |

* मार्च 31,2023 और मार्च 31,2022 तक क्रमशः ₹ 1.66 करोड़ (₹₹ ₹ 1.90 करोड़) और ₹ 1.90 करोड़ (₹₹ ₹ 2.96 करोड़) का अर्जित ब्याज शामिल है।

**ग लाभ या हानि के रूप में निर्धारित राशियाँ:** (₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय | **4.91** | 2.27 |
| कम मूल्यों की पट्टा संपत्ति से संबंधित व्यय | **1.26** | 1.23 |
| प्रयोग की गई संपत्ति का मूल्यह्रास शुल्क | **33.00** | 42.35 |
| ब्याज पर व्यय (वित्त लागत सहित) | **7.03** | 8.5 |

**घ कंपनी के पास विभिन्न पट्टा अनुबंध हैं जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इन गैर–रद्द करने योग्य पट्टा अनुबंधों के लिए भविष्य के पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| अधिकतम एक वर्ष तक | **0.04** | - |
| एक वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर | **0.06** | - |
| पाँच वर्ष के बाद | **-** | - |

## नोट 40, 'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण – इंड एएस 19

**क. कंपनी के पास परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्न योजनाएं हैं:**

i) उपदान (ग्रेच्युटी) योजना
ii) सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य योजना
iii) भविष्य निधि योजना
iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा

### (1) ग्रेच्युटी (वित्त पोषित योजना)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है वह सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन पर ग्रेच्युटी (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का पात्र है, अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है। ग्रेच्युटी देयताएं भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जिसकी सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। अनुमानित इकाई क्रेडिट बीमांकिक विधि का उपयोग से देयताएं का आकलन किया गया है।

**ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता में बदलाव** (₹ करोड़ में)

| विवरण | परिभाषित लाभ दायित्व | | योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | | शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) दायित्व | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च 31 तक | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| **प्रारंभिक शेष** | **1933.60** | 2011.42 | **1581.44** | 1697.44 | **352.16** | 313.98 |
| सहायक कम्पनी की शेयर बिक्री का समायोजन जोड़ें (घटाएँ) | **-** | (6.16 ) | **-** | - | **-** | (6.16) |
| वर्ष के लाभ में शामिल: | | | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | **89.49** | 95.78 | **-** | - | **89.49** | 95.78 |
| विगत सेवा लागत | **-** | - | **-** | - | **-** | - |
| ब्याज लागत / (आय) | **135.35** | 135.35 | **110.70** | 135.35 | **24.65** | - |
| **वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **224.84** | 231.13 | **110.70** | 135.35 | **114.14** | 95.78 |

## ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता में बदलाव

(₹ करोड़ में)

| विवरण | परिभाषित लाभ दायित्व | | योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | | शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) दायित्व | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च 31 तक | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल: | | | | | | |
| पुनर्मापन हानि (लाभ): | | | | | | |
| निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ): | | | | | | |
| जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन | **(19.36)** | - | **-** | - | **(19.36)** | - |
| वित्तीय अनुमान में परिवर्तन | **(74.88)** | (47.57) | **-** | - | **(74.88)** | (47.57) |
| अनुभव समायोजन | **23.95** | (19.22) | **(0.73)** | (15.35) | **24.68** | (3.87) |
| अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि | **(70.29)** | (66.79) | **(0.73)** | (15.35) | **(69.56)** | (51.44) |
| अन्य | | | | | | |
| नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान | **-** | - | **-** | - | **-** | - |
| लाभ का भुगतान किया गया | **(237.93)** | (236.00) | **(237.93)** | (236.00) | **-** | - |
| अवैतनिक लाभ का भुगतान किया गया | | | | | | |
| जमा शेष | **1850.22** | 1933.60 | **1453.48** | 1581.44 | **396.74** | 352.16 |

## योजना परिसंपत्तियों का विवरण

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि | **79.03%** | 76.96% |
| उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (उद्धृत) | **16.52%** | 19.55% |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्धृत) | **3.00%** | 2.80% |
| बैंक में जमा राशि | **1.45%** | 0.69% |
| **कुल** | **100.00%** | 100.00% |

## बीमांकिक धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ निम्नलिखित थीं।

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **आर्थिक अनुमान:** | | |
| छूट की दर | **7.40%** | 7.00% |
| वेतन वृद्धि दर | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष |
| **जनसंख्या अनुमान:** | | |
| सेवानिवृत्ति की आयु | **60** | 60 |
| मृत्यु दर तालिका | आईएएलएम का 100% (2012–14) | आईएएलएम का 100% (2012–14) |
| **निकासी दर% (सभी आयु वर्ग)** | | |
| 30 वर्ष तक | **3%** | 3% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1%** | 2% |
| 44 वर्ष से अधिक | **1%** | 1% |

## संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयताएं की संवेदनशीलता इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

| विवरण | उपदान (ग्रेच्युटी) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | | 31 मार्च, 2022 की स्थिति | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर (0.50% संचालन) में परिवर्तन | **(91.64)** | **99.80** | **(91.26)** | 99.51 |
| वेतन वृद्धि दर (0.50% संचालन) में परिवर्तन | **36.56** | **(42.09)** | **43.70** | (47.40) |

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं है और इसलिए इन के कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति पूर्व पेंशन वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के रूप में संवेदनशीलता नहीं लागू होती हैं।

उपर्युक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग–अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से संबद्ध हो सकते हैं।

**भविष्य के वर्षों में उपदान (ग्रेच्युटी) योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | उपदान (ग्रेच्युटी) | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| 1 वर्ष से कम | **160.65** | 213.13 |
| 1–2 वर्ष के बीच | **135.51** | 149.43 |
| 2–3 साल के बीच | **113.15** | 134.26 |
| 3–4 साल के बीच | **100.52** | 112.14 |
| 4–5 साल के बीच | **88.94** | 98.80 |
| 5–6 साल के बीच | **80.57** | 87.74 |
| 6 वर्षों से अधिक | **1170.88** | 1138.10 |
| **कुल** | **1850.22** | 1933.60 |

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपदान/ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान ₹ 102.96 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपदान/ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 14.60 वर्ष है (31 मार्च 2022 : 14.81 वर्ष)

## रिस्क एक्सपोजर्स

मूल्यांकन कुछ गतिशील प्रकृति की मान्यताओं पर आधारित होते हैं, और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

## सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (वित्तपोषित योजना)

कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति / पत्नी को कंपनी के अस्पतालों /सूचीबद्ध अस्पतालों में मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है, जो कंपनी के मेडिकल नियमों के अधीन हैं। वे कंपनी द्वारा तय की गई सीमा में बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए वार्षिक देयताएं वास्तविक मूल्यांकन आधार पर मान्य की जाती है।

### सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | परिभाषित लाभ दायित्व | | योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | | शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) दायित्व | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च 31 तक | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| **प्रारंभिक शेष** | **2210.85** | 2255.85 | **1919.34** | 1948.72 | **291.51** | 307.13 |
| सहायक कंपनी के शेयरों की बिक्री का समायोजन जोड़ें/घटाएँ | **-** | - | **-** | -0.38 | **-** | 0.38 |
| वर्ष के लाभ में सम्मिलितः | | | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | **40.29** | 39.26 | **-** | - | **40.29** | 39.26 |
| पिछली सेवा लागत | **-** | - | **-** | - | **-** | - |
| ब्याज दर/ (आय) | **154.76** | 152.27 | **134.36** | 152.27 | **20.40** | - |
| **वर्ष के लाभ के रूप में मान्य कुल राशि** | **195.05** | 191.53 | **134.36** | 152.27 | **60.69** | 39.64 |
| अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित | | | | | | |
| पुनर्मापन हानि (लाभ): | | | | | | |
| निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(लाभ) | | | | | | |
| जनसांख्यिकीय अनुमान | **18.72** | - | **-** | - | **18.72** | - |
| वित्तीय अनुमान | **(96.85)** | (54.57) | **-** | - | **(96.85)** | (54.57) |
| अनुभव का समायोजन | **109.13** | (16.96) | **(34.48)** | (16.27) | **143.61** | (0.69) |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **31.00** | (71.53) | **(34.48)** | (16.27) | **65.48** | (55.26) |
| अन्य | | | | | | |
| नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गये अंशदान | | | | | | |
| भुगतान किए गये लाभ | **(187.30)** | (165.00) | **(187.30)** | (165.00) | **-** | - |
| अंतिम शेष | **2249.60** | 2210.85 | **1831.92** | 1919.34 | **417.68** | 291.51 |

कंपनी की योजनागत परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी के दायित्वों के वित्तपोषण के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

## बीमांकिक धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ निम्नलिखित थीं।

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **आर्थिक अनुमानः** | | |
| छूट की दर | **7.40%** | 7.00% |
| वेतन वृद्धि दर | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष |
| **जनसंख्या अनुमानः** | | |
| सेवानिवृत्ति की आयु | **60** | 60 |
| मृत्यु दर तालिका | आईएएलएम का 100% (2012–14) | आईएएलएम का 100% (2012–14) |
| **निकासी दरः (सभी आयु वर्ग)** | | |
| 30 वर्ष तक | **3%** | 3% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1%** | 2% |
| 44 वर्ष से अधिक | **1%** | 1% |

## सेंसिटिविटी अनालिसिस

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता हैः

(₹ करोड़ में)

| विवरण | उपदान (ग्रेच्युटी) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | | 31 मार्च, 2022 की स्थिति | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर (0.50% संचालन) में परिवर्तन | **(105.76)** | **104.84** | **(100.44)** | 101.60 |
| वेतन वृद्धि दर (0.50% संचालन) में परिवर्तन | **106.07** | **(104.21)** | **101.79** | (100.97) |

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को बढ़ाता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ धारणाएं एक–दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

## भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| 1 वर्ष से कम | **183.29** | 133.39 |
| 1–2 वर्ष के बीच | **198.87** | 140.73 |
| 2–3 साल के बीच | **203.84** | 149.11 |
| 3–4 साल के बीच | **210.98** | 158.65 |
| 4–5 साल के बीच | **220.47** | 169.44 |
| 5–6 साल के बीच | **228.18** | 181.98 |
| 6 वर्षों से अधिक | **1003.97** | 1277.55 |
| **कुल** | **2249.60** | 2210.85 |

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित योगदान ₹ 49.81 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.34 वर्ष है (31 मार्च 2022:12.78 वर्ष )

### जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है जैसे चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी।

### (iii) भविष्य निधि

कंपनी पृथक न्यास को पूर्वनिर्धारित दरों पर नियत भविष्य निधि योगदान का भुगतान करती है जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्टि न्यूनतम दर में वापसी सुनिश्चित करना कंपनी का देयताएं है। तदनुसार, कंपनी ने एक्चयूरी से रिपोर्ट प्राप्त की है, एक्चुरियल वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देयताओं के अनुसार जहां भी संभावित ब्याज की कमी उत्पन्न हो, के लिए, खातों में इसका प्रावधान किया गया है।

भविष्य निधि न्यास में ब्याज की कमी का विवरण: (₹ करोड़ में)

| विवरण | समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2021-22 |
| वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में अतिरिक्त / (कमी)। | **(14.90)** | 1.26 |
| बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देनदारी में कमी के लिए संचित प्रावधान | **28.10** | 13.20 |
| अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से पुनर्माप लाभ/(हानि) की पहचान की गई | **(24.20)** | (1.39) |
| ब्याज की कमी/(अधिशेष) का हिसाब लाभ–हानि के विवरण के माध्यम से किया जाता है | **(9.30)** | (2.65) |

कंपनी में विभिन्न स्थानों पर स्थित पीएफ न्यास हैं जो संबन्धित कर्मचारियों को सेवा प्रदान करते हैं और इनका प्रबंधन पृथक–पृथक है। नियोजित संपत्ति और देयताओं का विवरण निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

| विवरण | परिभाषित लाभ दायित्व | | योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | | अधिशेष/(कमी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च 31 तक | | | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार | **1764.84** | 1664.32 | **1776.01** | 1680.03 | **11.17** | 15.71 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–त्रिची | **916.65** | 935.88 | **906.77** | 929.35 | **(9.88)** | (6.53) |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल | **1493.84** | 1394.81 | **1487.41** | 1395.61 | **(6.43)** | 0.80 |
| बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट | **1433.99** | 1375.80 | **1433.50** | 1386.09 | **(0.49)** | 10.29 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–हैदराबाद | **843.58** | 823.06 | **871.94** | 853.42 | **28.36** | 30.36 |
| बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई | **907.95** | 854.23 | **896.65** | 847.56 | **(11.30)** | (6.67) |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–बेंगलुरु | **614.87** | 620.46 | **626.89** | 627.07 | **12.02** | 6.61 |
| बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट | **332.24** | 357.05 | **332.46** | 359.84 | **0.22** | 2.79 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट झाँसी | **476.99** | 455.36 | **491.52** | 468.66 | **14.53** | 13.30 |
| भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि–विज़ाग | **148.74** | 145.91 | **186.84** | 179.46 | **38.10** | 33.55 |
| **कुल** | **8933.69** | 8626.88 | **9009.99** | 8727.09 | **76.30** | 100.21 |

## भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में बदलाव

(₹ करोड़ में)

| विवरण | बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास (समेकित) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | परिभाषित लाभ दायित्व | | नियोजित परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य | |
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| **प्रारंभिक शेष** | **8626.88** | 8395.04 | **8727.09** | 8465.86 |
| वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलितः | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | **353.89** | 337.15 | **-** | - |
| ब्याज लागत / आय | **683.04** | 657.45 | **683.04** | 657.45 |
| **वर्ष के लाभ के रूप में मान्य कुल राशि** | **1,036.93** | 994.60 | **683.04** | 657.45 |
| **अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलितः** | | | | |
| पुनर्मापन हानि (लाभ) | | | | |
| निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ): | | | | |
| जनसांख्यिकी अनुमान | | | | |
| वित्तीय अनुमान | **(1.22)** | (1.65) | **-** | - |
| अनुभव समायोजन | **(4.04)** | 3.54 | **(29.15)** | 31.28 |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशिः** | **(5.26)** | 1.89 | **(29.15)** | 31.28 |
| **अन्य** | | | | |
| नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान | **-** | | **353.89** | 337.15 |
| कर्मचारी अंशदान | **717.79** | 725.84 | **717.79** | 725.84 |
| लाभ का भुगतान किया | **(1862.90)** | (1904.95) | **(1862.90)** | (1904.95) |
| समायोजन / अंतरण | **420.24** | 414.46 | **420.24** | 414.46 |
| **अंतिम शेष** | **8933.68** | 8626.88 | **9009.99** | 8727.09 |

ध्यान दें: घाटे वाले पीएफ न्यास के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ–हानि विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से लेखांकित की गई है जैसा कि ऊपर बिंदु (i) के अंतर्गत दिखाया गया है।

उपरोक्त के अलावा, पुनर्प्राप्ति के सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ट्रस्ट निवेश में कमी से संचयी रूप से ₹ 68.47 करोड़ की कुल वृद्धि भी हुई है।

## नियोजित परिसम्पत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| भारत सरकार प्रतिभूतियाँ [उद्धरण] | **905.49** | 1026.09 |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत] | **4451.33** | 4061.08 |
| कॉर्पोरेट बांड [उद्धृत] | **3017.93** | 3062.28 |
| विशेष जमा [अनउद्धृत] | **364.71** | 384.27 |
| लिक्विड फंड [उद्धृता] | **17.19** | 14.25 |
| अल्पावधि जमा [उद्धृत नहीं] | **33.46** | 13.07 |
| म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर [उद्धृत] | **219.88** | 166.05 |
| **कुल** | **9009.99** | 8727.09 |

### बीमांकिक धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ निम्नलिखित थीं।

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **आर्थिक अनुमानः** | | |
| छूट दर | **7.40%** | 7.00% |
| खाता बही पर वैधानिक ब्याज दर की उम्मीद | **8.15%** | 8.10% |
| निधि पर ब्याज आय में अपेक्षित कमी | **0.05%** | 0.05% |
| **जनसांख्यिकी मान्यताएँः** | | |
| मृत्यु दर तालिका | **IALM का 100% (2012-14)** | IALM का 100% (2012-14) |
| **निकासी दरः (सभी आयु वर्ग)** | | |
| 30 वर्ष तक | **3.00%** | 3.00% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1.00%** | 2.00% |
| 44 वर्ष से अधिक | **1.00%** | 1.00% |

### संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता हैः

(₹ करोड़ में)

| विवरण | बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | | 31 मार्च, 2022 की स्थिति | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर में परिवर्तन (0.50% उतार–चढ़ाव) | **(1.67)** | **1.83** | **(1.30)** | 1.38 |

### आगामी भविष्य में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | Provident Fund | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| अगले 12 महीनों के भीतर | **860.93** | 916.15 |
| 2–5 वर्ष के बीच | **1706.54** | 1681.13 |
| 5–10 वर्ष के बीच | **1396.90** | 2150.37 |
| 10 वर्ष से अधिक | **4969.31** | 3879.23 |
| **कुल** | **8933.68** | 8626.88 |

### (iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा– (निपटान भत्ता – गैर वित्त पोषित योजना)

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर स्वयं व परिजनों एवं सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों की गृह नगर या इच्छानुसार भारत में किसी भी स्थान पर पुनर्वास करने हेतु यात्रा व सामान के परिवहन के व्यय की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय निपटान भत्ता (सैटलमेंट अलाउंस) है।

### निपटान भत्ता देनदारी में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | निपटान भत्ता | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| **आरंभिक शेष** | **11.63** | 10.30 |
| वर्तमान सेवा लागत | **0.81** | 0.69 |
| ब्याज दर / (आय ) | **0.81** | 0.69 |
| **वर्ष के लाभ में शामिल** | **1.62** | 1.38 |
| बीमांकिक हानि (लाभ) | **2.97** | 2.60 |
| **वर्ष के लिए टीसीआई मेँ मान्यता प्राप्त कुल राशि** | **4.59** | 3.98 |
| **अन्य** | | |
| नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान | **-** | - |
| लाभ का भुगतान | **(2.79)** | (2.65) |
| **अंतिम शेष** | **13.43** | 11.63 |

### बीमांकिक धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ निम्नलिखित थीं।

| विवरण | निपटान भत्ता | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| **आर्थिक अनुमान:** | | |
| छूट की दर | **7.40%** | 7.00% |
| वेतन वृद्धि दर | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष |
| **जनसंख्या अनुमान:** | | |
| सेवानिवृत्ति की आयु | **60** | 60 |
| मृत्यु दर तालिका | आईएएलएम का 100% (2012–14) | आईएएलएम का 100% (2012–14) |
| **निकासी दर: (सभी आयु वर्ग)** | | |
| 30 वर्ष तक | **3%** | 3% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1%** | 2% |
| 44 वर्ष से अधिक | **1%** | 1% |

### दीर्घकालीन छुट्टी देयताएं (अर्जित छुट्टी –ई एल /अर्धवैतनिक अवकाश–एचपीएल) – (गैर वित्त पोषित योजना)

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति छमाही में 15 दिन (अधिकतम) अर्जित अवकाश और और 10 दिन का अर्ध वैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान करती है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा के दौरान होता है। कंपनी नीतियों व नकदीकरण नियमों के आधार पर सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता आयु पर अर्जित अवकाश और अर्ध वैतनिक अवकाश एक साथ मिलाकर अधिकतम 300 दिनों तक नकदीकरण किया जा सकता है। अवकाश देयताओं को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रूप में माना जाता है और अनुमानित यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया है।

## दीर्घकालिक अवकाश देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | दीर्घकालिक अवकाश देयता | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| **प्रारंभिक शेष** | **1030.72** | 1242.08 |
| सहायक कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री का समायोजन जोड़ें/(घटाएँ) | **-** | (0.34) |
| **वर्ष हेतु लाभ में शामिलः** | | |
| वर्तमान सेवा लागत | **130.91** | 142.00 |
| ब्याज लागत (आय) | **72.15** | 83.82 |
| बीमांकिक हानि/(लाभ) | **(61.60)** | (181.51) |
| **वर्ष के कुल लाभ के रूप में मान्य कुल राशि** | **141.46** | 44.31 |
| लाभ का भुगतान | **135.00** | 255.33 |
| **अंतिम शेष** | **1037.18** | 1030.72 |

## बीमांकिक धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ निम्नलिखित थीं।

| विवरण | दीर्घकालिक अवकाश देयता | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| **आर्थिक अनुमानः** | | |
| छूट की दर | **7.40%** | 7.00% |
| वेतन वृद्धि दर | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष | प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष |
| **जनसंख्या अनुमानः** | | |
| सेवानिवृत्ति की आयु | **60** | 60 |
| मृत्यु दर तालिका | आईएएलएम का 100% (2012–14) | आईएएलएम का 100% (2012–14) |
| **निकासी दरः (सभी आयु वर्ग)** | | |
| 30 वर्ष तक | **3%** | 3% |
| 31 से 44 वर्ष तक | **1%** | 2% |
| 44 वर्ष से अधिक | **1%** | 1% |

## पेंशन निधि

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2022–23 में पेंशन निधि (परिभाषित अंशदान योजना) के लिए 247 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपए 254 करोड़ ) का योगदान किया।

## नोट [41] - इंड एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण – संबंधित पक्ष

### क. संबंधित पक्षों की सूची

(i)

| | |
|---|---|
| संयुक्त उद्यम कंपनियाँ | बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा लिमिटेड (बीजीजीटीएस)<br>एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा लिमिटेड<br>रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड<br>पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड |
| रोजगारोत्तर लाभ योजनाएँ | भविष्य निधि न्यास<br>ग्रेच्युटी न्यास<br>पीआरएमबी न्यास<br>पेंशन न्यास |
| अन्य | केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं |

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। महत्वपूर्ण लेनदेन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिताओं, रेलवे आदि के साथ हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से. ऐसी संस्थाओं के साथ लेन–देन सामान्य है, जो आर्म्स लेंथ प्राइस पर बाजार संचालित दरों पर आधारित है।

### ii) अन्य संबंधित पक्षः

#### क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक [केएमपी]

| विवरण | पद का नाम | धारित पद [प्रभावी / से] |
|---|---|---|
| **कार्यात्मक निदेशक** | | |
| श्री ख्डॉ., नलिन सिंघल | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | |
| श्री सुबोध गुप्ता | निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ | |
| सुश्री रेणुका गेरा | निदेशक (आईएस एवं पी) | |
| श्री उपिंदर सिंह मथारू | निदेशक (पावर) | |
| श्री. जय प्रकाश श्रीवास्तव | निदेशक (ई, आर एंड डी) | 12 अगस्त 2022 से |
| **राजीव कालड़ा** | | |
| ैतप ंरममअ झंसतं | कंपनी सचिव | |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| **प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को भुगतान** | | |
| – अल्पकालिक कर्मचारी लाभ | **2.85** | 3.29 |
| – सेवोपरान्तलाभ | **0.50** | 0.38 |
| – अन्य दीर्घकालिक लाभ | **-** | - |
| – सेवामुक्ति के समय लाभ | **-** | - |
| – शेयर आधारित भुगतान | **-** | - |
| **कुल** | **3.35** | 3.67 |

### ख. सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

| नाम | सरकारी/स्वायत्त | धारित पद [प्रभावी/से] |
|---|---|---|
| श्री शशांक प्रिय | सरकारी निदेशक | 14.02.2023 तक |
| श्री विजय मित्तल | सरकारी निदेशक | 14.02.2023 से |
| श्रीमती आरती भटनागर | सरकारी निदेशक | 27.01.2023 तक |
| श्री राज कमल बिंदल | स्वतंत्र निदेशक | 27.01.2023 तक |
| श्री मनीष कपूर | स्वतंत्र निदेशक | 12.09.2022 तक |
| श्री (डॉ.) राज के. अग्रवाल | स्वतंत्र निदेशक | 14.02.2023 तक |
| श्री (डॉ.) के. शिवप्रसाद | स्वतंत्र निदेशक | |
| श्रीमती (डॉ.) लेखश्री सामंतसिंघर | स्वतंत्र निदेशक | |
| श्री आदित्य प्रसाद साहू | स्वतंत्र निदेशक | 30.05.2022 तक |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| बैठक शुल्क – स्वतंत्र निदेशक | 0.26 | 0.25 |

### ग. सेवोपरान्त लाभ योजनाओं के साथ लेन–देन अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है

(₹ करोड़ में)

| ट्रस्ट का नाम | रोजगारोत्तर लाभ योजना | नियोक्ता द्वारा योगदान | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु | |
| | | 2023 | 2022 |
| पीआरएमबी ट्रस्ट | सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना | - | - |
| ग्रेच्युटी ट्रस्ट | ग्रेच्युटी | - | - |
| कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि | पेंशन निधि | 246.95 | 115.00 |
| बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार | भविष्य निधि | 57.81 | 55.13 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–त्रिची | भविष्य निधि | 56.00 | 53.43 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल | भविष्य निधि | 56.25 | 53.03 |
| बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट | भविष्य निधि | 44.01 | 41.46 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–हैदराबाद | भविष्य निधि | 42.45 | 40.56 |
| बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई | भविष्य निधि | 30.67 | 28.21 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि–बेंगलुरु | भविष्य निधि | 28.60 | 27.75 |
| बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट | भविष्य निधि | 17.83 | 18.58 |
| बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट झाँसी | भविष्य निधि | 13.77 | 13.19 |
| भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि–वाइजग | भविष्य निधि | 6.50 | 5.81 |

## घ. संयुक्त उद्यमों के साथ लेनदेन का विवरण और शेष

समेकित

(₹ करोड़ में)

| विवरण | समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| **उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री** | | |
| बीजीजीटीएस | **239.24** | 281.48 |
| आरपीसीएल | **9.42** | 3.27 |
| एनबीपीपीएल | **2.21** | 3.83 |
| **लाभांश आय** | | |
| बीजीजीटीएस | **26.18** | 30.35 |
| **रॉयल्टी आय** | | |
| बीजीजीटीएस | **1.85** | 1.80 |
| **उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय** | | |
| बीजीजीटीएस | **0.87** | 1.04 |
| एनबीपीपीएल | **-** | 1.52 |
| **वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि** | | |
| बीजीजीटीएस | **112.07** | 143.55 |
| आरपीसीएल | **636.90** | 550.90 |
| एनबीपीपीएल | **225.17** | 263.89 |
| **वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि** | | |
| बीजीजीटीएस | **0.44** | 0.11 |
| आरपीसीएल | **20.90** | 20.95 |
| एनबीपीपीएल | **23.58** | 67.95 |
| **संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान** | | |
| बीजीजीटीएस | **10.27** | - |
| आरपीसीएल | **20.81** | 20.17 |
| एनबीपीपीएल | **190.15** | 188.70 |

नोटः निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान के लिए नोट [5क] देखें

## नोट [42] - प्रकटीकरण [प्रावधानों में संचलन] – इंड एएस – 37

(₹ करोड़ में)

| क परिनिर्धारित हर्जाना | वर्ष हेतु | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| **आरंभिक शेष** | **8559.20** | 9511.80 |
| जोड़ें: परिवर्धन | **259.62** | 152.07 |
| घटाएँ: उपयोग / राईट ऑफ / भुगतान | **86.73** | 111.76 |
| घटाएँ: निकासी / समायोजन | **497.42** | 992.91 |
| **अंतिम शेष** | **8234.67** | 8559.20 |

कंपनी के लेखांकन नीति के अनुरूप परिनिर्धारित हर्जाने का प्रावधान किया गया है और इसे निपटान या अन्यथा खातों में उपयुक्त तरीके से लिखा जाता है। परिनिर्धारित हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 41 के पैरा क (ज) में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

| ख संविदात्मक दायित्व | वर्ष हेतु | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | | 31 मार्च, 2022 | |
| **आरंभिक शेष** | | | | |
| नोट (19) के अनुसार | **3855.48** | | 3992.45 | |
| नोट (6) के अनुसार | **708.05** | | 723.45 | |
| नोट (9) के अनुसार | **632.23** | **5195.76** | 699.86 | 5415.76 |
| जोड़ें: उधार लागत | | **160.11** | | 155.78 |
| जोड़ें: परिवर्धन | | **409.04** | | 277.50 |
| घटाएँ: पीवी समायोजन | | **94.65** | | 107.45 |
| घटाएँ: उपयोग / राईट ऑफ / भुगतान | | **192.24** | | 88.78 |
| घटाएँ: निकासी / समायोजन | | **688.44** | | 438.94 |
| जोड़ें / (कम): अनुमान और दरों में परिवर्तन | | **(0.71)** | | (18.11) |
| **अंतिम शेष** | | | | |
| नोट (19) के अनुसार | **3774.42** | | 3855.48 | |
| नोट (6) के अनुसार | **552.05** | | 708.05 | |
| नोट (9) के अनुसार | **462.40** | **4788.87** | 632.23 | 5195.76 |

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 10 के अनुरूप पैसे के समय मूल्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक दायित्व का प्रावधान किया गया है। अनुबंध के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बरकरार रखा जाता है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक खर्च अनुबंध से अनुबंध और संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर साल–दर–साल भिन्न हो सकते हैं। नोट 6 और 9 में बी एंड डी ऋणों के लिए गैर–चालू भत्ते में खुलासा पूरी तरह से प्रदान की गई परियोजनाओं से बकाया राशि से संबंधित संविदात्मक दायित्व शामिल हैं

## नोट [43] - प्रकटीकरण – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व – इंड एएस–115

### क. ह्रास प्रावधानों में संचलन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | व्यापार प्राप्य | अनुबंध संपत्ति | व्यापार प्राप्य | अनुबंध संपत्ति |
| **आरंभिक शेष** | **4314.79** | **1190.54** | **4890.48** | 1,142.25 |
| जोड़ें: परिवर्धन | **279.02** | **271.45** | **344.18** | 146.78 |
| घटायें: बट्टा | **57.46** | **-** | **216.42** | - |
| कम: लौटाया हुआ | **213.90** | **83.34** | **703.45** | 98.49 |
| **अंतिम शेष** | **4322.46** | **1378.65** | **4314.79** | 1190.54 |

*सहायक कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री पर समायोजन ₹ (3.36 करोड़) सहित

### ख ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व का विभाजन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | पावर | | उद्योग | | सकल |
|---|---|---|---|---|---|
| | भारत के भीतर | भारत के बाहर | भारत के भीतर | भारत के बाहर | |
| **2022-23** | | | | | |
| **ग्राहकों से राजस्व** | | | | | |
| **राजस्व पहचान का समय** | | | | | |
| (क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएँ) | **2640.50** | **32.82** | **3335.32** | **44.57** | **6053.21** |
| (ख) ओवर टाइम (परियोजनाएँ) | **13903.36** | **922.29** | **1181.90** | **75.54** | **16083.09** |
| **2021-22** | | | | | |
| **ग्राहकों से राजस्व** | | | | | |
| **राजस्व पहचान का समय** | | | | | |
| (क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएँ) | 2035.30 | 22.46 | 3952.87 | 35.65 | 6046.28 |
| (ख) ओवर टाइम (परियोजनाएँ) | 11844.60 | 1458.89 | 802.88 | 0.73 | 14107.10 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|
| | ऊर्जा | उद्योग | ऊर्जा | उद्योग |
| **ग्राहकों से राजस्व** | | | | |
| सीपीएसयू | **5581.63** | **1639.38** | 3807.92 | 1405.00 |
| टीएसजेनको | **1874.88** | **-** | 2644.40 | - |
| टैनजेडको | **3112.02** | **-** | 1669.85 | - |
| बीआईएफपीसीएल [बांग्लादेश] | **831.59** | **-** | 1381.44 | - |

### ग अनुबंध शेष (प्रावधानों का शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य | **6543.89** | 6228.59 |
| संविदा परिसंपत्तियाँ (बिना बिल किया हुआ राजस्व सहित) | **29740.03** | 26939.87 |
| अनुबंध देनदारियां | **5635.01** | 6047.76 |

### घ अनुबंध राजस्व को मान्यता दी गई

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| अनुबंध देनदारियों (ग्राहक का समायोजन) के विरुद्ध मान्यता प्राप्त राजस्व वर्ष के दौरान अग्रिम और मूल्यांकन समायोजन) | **3024.72** | 3592.89 |
| पूर्व में संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के विरुद्ध राजस्व को मान्यता दी गई वर्ष (अनुबंध राजस्व में परिवर्तन के कारण प्रभाव) | **892.15** | 94.41 |

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एक दीर्घचक्रीय व्यवसाय है, जहां कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट और कमीशनिंग) या बीटीजी पैकेज (यानी बॉयलर, टर्बाइन और जनरेटर पैकेज) हैं। 3 से 5 वर्ष के बीच अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि के साथ विद्युत परियोजनाएं लंबी अवधि की परियोजनाएं हैं। बीएचईएल सेवाओं के दायरे में उपकरण की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन को पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना सम्मिलित है।

यद्यपि समग्र दायरे में कई घटक हैं, ऐसी परियोजनाओं को आमतौर पर एक प्रदर्शन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि पर एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि इकाई समय में असतत बिंदुओं के बजाय समग्र रूप से निष्पादन कार्य करती है और इसलिए प्रगति की माप के आधार पर समय की अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है (इनपुट लागत विधि)

## नोट [44] - इंड एएस–107 के अनुपालन में प्रकटीकरण [वित्तीय लिखत – लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन]

क. नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, प्रतिभूति जमा और अन्य का उचित मूल्य उनके युक्तिसंगत धारित मुल्य को दर्शाता है। व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए कंपनी निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

**उचित मूल्य पदानुक्रम**

मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर सम्मिलित किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि संपत्ति या देयताएं के लिए प्रत्यक्ष हैं (यानी, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों से प्राप्त)

स्तर 3: संपत्ति या देयताएं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

(₹ करोड़ में)

| उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप | स्तर 3 पदानुक्रम | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 के अनुसार | 31 मार्च, 2022 के अनुसार |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | |
| गैर–उद्धृत इक्विटी लिखतों में निवेश | **3.13** | 3.29 |

## ख उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकें

अनकोटेड इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशित कंपनी के वित्तीय विवरणों के इनपुट शामिल होते हैं।

**अनकोटेड इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप के समाधान को एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**

(₹ करोड़ में)

| | |
|---|---|
| **31 मार्च, 2022 की स्थिति** | **3.29** |
| उचित मूल्य में परिवर्तन | (0.16) |
| **31 मार्च, 2023 की स्थिति** | **3.13** |

## वित्तीय जोखिम प्रबंधन

### उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियों के समक्ष किसी भी कंपनी के स्वाभाविक व्यावसायिक प्रकटीकरण से उत्पन्न विभिन्न व्यावसायिक जोखिम होते हैं। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय जोखिमों को दूर करने के लिए समय–समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय विलेखों के उपयोग से जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. क्रेडिट जोखिम

ख. लिक्विडिटी जोखिम

ग. बाजार जोखिम

यह नोट उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है;जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के उद्देश्य, नीतियां और प्रक्रियाएं और कंपनी की पूंजी का प्रबंधन सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों में आगे मात्रात्मक प्रकटीकरण सम्मिलित हैं।

### जोखिम प्रबंधन संरचना

बीएचईएल के पास एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को अपनाकर जोखिमों की सही पहचान, आकलन और प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया जाना है। कंपनी के पास 3–स्तरीय जोखिम प्रबंधन ढांचा है। पहले स्तर पर, कंपनी के बोर्ड स्तर के जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। प्रमुख जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी के संयोजक होने के नाते बोर्ड / बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण यूनिट स्तर से उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए जोखिम शमन योजना तैयार करने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

### क. क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

''क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बीएचईएल भारत और विदेश में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) और निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में सम्मिलित है। परियोजनाओं को आमतौर पर वित्तीय संस्थानों / बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर किया जाता है। परियोजना की अवधि 3 से 5 वर्ष तक होती है और भुगतान को आमतौर पर अग्रिम, प्रगति भुगतान, माइलस्टोन भुगतान और इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन सहित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में प्राप्त किया जाता है। चूंकि अधिकांश ग्राहक सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए कुल प्राप्तियों का 81% इस तथ्य के साथ मिलकर बनता है कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रूप से एलसी के माध्यम से हैं। कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्तियों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया है, ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी क्रेडिट हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी घटना से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए हुए हैं।''

### (i) क्रेडिट जोखिम की संभावना

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम था:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **12 महीनों की अपेक्षित क्रेडिट जोखिम के उपयोग से हानि भत्तों के मापन वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | |
| **अपेक्षित क्रेडिट हानियाँ (ईसीएल)** | | |
| नकद एवं नकद समकक्ष | **1560.52** | 732.62 |
| अन्य बैंक शेष | **5082.06** | 6421.07 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | **362.19** | 298.29 |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ता जीवन काल का उपयोग करके मापा जाता है** | | |
| **क्षति हानि सहित अपेक्षित क्रेडिट हानियाँ (ईसीएल)** | | |
| व्यापार प्राप्य | **6543.89** | 6228.59 |

| ऋण जोखिम का घनत्व – भौगोलिक | कुल प्राप्य का प्रतिशत | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| भारत के भीतर | **94%** | 93% |
| भारत के बाहर | **6%** | 7% |
| **कुल** | **100%** | 100% |

व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और प्रतिपक्ष के प्रकार द्वारा अन्य प्राप्य के लिए कंपनी का ऋण जोखिम इस प्रकार है:

| नोट | कुल व्यापार प्राप्य का प्रतिशत | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
| रेलवे और सरकारी विभाग सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | **39%** | 37% |
| राज्य विद्युत बोर्ड | **41%** | 42% |
| निजी ग्राहक और अन्य | **14%** | 14% |
| निर्यात | **6%** | 7% |
| **कुल** | **100%** | 100% |

### (ii) क्षति हानि

**क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है**

कंपनी के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षियों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋणों के संबंध में हानि भत्ते में संचलन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल को शेष राशि** | **14.56** | 31.95 |
| मान्य क्षति ह्रास/बट्टे खाते में डालना / आहरित | **0.35** | (17.39) |
| **मार्च 31 तक शेष** | **14.91** | 14.56 |

## ख मूल्यह्रास प्रावधानों का पुनर्मिलान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के भत्ता में संचलन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2023 की स्थिति | 31 मार्च, 2022 की स्थिति |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल को शेष राशि** | **5505.33** | 6032.73 |
| मान्य क्षति ह्रास | **550.47** | 490.97 |
| बट्टाकृत/ आहरित राशि(समायोजन सहित) | **(354.69)** | (1018.37) |
| **31 मार्च को शेष** | **5701.11** | 5505.33 |

कंपनी बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी की नीति के अनुसार अधिशेष निधि से निवेश करती है। नकद एवं नकद समतुल्य और सावधि जमा पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आम तौर पर वित्तीय रूप से मजबूत बैंकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले वित्तीय संस्थानों में जमा में निवेश करती है।

### (ख) तरलता जोखिम का प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखकर और जब भी देय हो, दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता के माध्यम से तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को पूरे वर्ष अपनी धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक शेष के अलावा, कंपनी को ऋण सुविधाएं भी प्राप्त हैं। कंपनी अपनी सभी फंड आवश्यकताओं को आंतरिक संसाधनों से पूरा करने में सक्षम है, यानी परिचालन से उत्पन्न धन और बेहतर ट्रेजरी प्रबंधन परिचालन के लिए अल्पकालिक उधार के माध्यम से भी।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

| वित्तिय उत्तरदायित्व | वर्ष हेतु 31 मार्च , 2023 | | वर्ष हेतु 31 मार्च , 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं | 1 वर्ष के भीतर | 1 वर्ष से अधिक | 1 वर्ष के भीतर | 1 वर्ष से अधिक |
| व्यापार देनदारियां | **9895.83** | **2194.03** | 7749.59 | 2131.93 |
| ठेकेदारों और अन्य से जमा राशि | **416.66** | **247.10** | 431.36 | 206.45 |
| वित्त पट्टा दायित्व | **34.76** | **33.75** | 49.81 | 35.12 |
| अन्य देय/देयताएं | | | | |
| कर्मचारी बकाया | **384.33** | | 214.05 | |
| अन्य बकाया | **364.44** | | 397.85 | |
| कैपेक्स बकाया | **111.50** | **8.60** | 80.83 | 8.65 |
| लघु अवधि की उधारी | **5385.00** | | 4745.00 | |
| **कुल** | **16592.52** | **2483.48** | 13668.49 | 2382.15 |

## ग बाजार जोखिम प्रबंधन

कंपनी को अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्रा, वस्तु, ब्याज दर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। प्रमुख कमोडिटी मूल्य में उतार–चढ़ाव के खिलाफ कंपनी को बचाने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला के दावों सहित फ्रेमवर्क समझौते नियमित रूप से दर्ज किए जा रहे हैं। परिचालन से उत्पन्न अधिशेष धनराशि को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े आकार के निजी बैंकों में अल्पकालिक जमा और सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंड की ऋण आधारित योजनाओं में निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम की कोई भी संभावना कम हो जाती है।

**विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर –: रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:**

(i) दिनांक 31.03.2023 को रुके हुये और शेष व्युत्पन्न विलेख शून्य (पिछला वर्ष का शून्य है) है

(ii) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा नहीं किया जाता है निम्नानुसार हैं:

FC ' **मिलियन में**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | तारीख को | | तारीख को | | तारीख को | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | | 31 मार्च, 2022 | | 31 मार्च, 2023 | 31 मार्च, 2022 |
| **परिसंपत्तियां** | **यूरो** | **समतुल्य भा.रु.** | **यूरो** | **समतुल्य भा.रु.** | **अन्य भा.रु.** | **अन्य भा.रु.** |
| व्यापार प्राप्य | **55.50** | **496.43** | 61.72 | 520.18 | **3.44** | 3.16 |
| अनुबंध परिसंपत्तियाँ | **332.04** | **2959.08** | 327.57 | 2753.33 | **11.92** | 35.27 |
| अन्य परिसंपत्तियां | **1.24** | **10.29** | 0.93 | 7.56 | **75.49** | 21.98 |
| **उप–कुल (क)** | **388.78** | **3465.80** | 390.22 | 3281.07 | **90.84** | 60.41 |
| **देयताएं** | | | | | | |
| ग्राहक से अग्रिम | **36.15** | **240.84** | 36.42 | 242.50 | **22.65** | 39.47 |
| व्यापार देय और अन्य | **34.70** | **315.32** | 101.40 | 869.73 | **579.03** | 131.99 |
| **उप–कुल (ख)** | **70.85** | **556.15** | 137.82 | 1112.23 | **601.68** | 171.46 |
| **परिसम्पत्तियां (शुद्ध देयताएं)** | **317.93** | **2909.64** | 252.40 | 2,168.84 | **(510.83)** | (111.05) |

| **परिसम्पत्तियां** | **यूएसडी** | **समतुल्य भा.रु.** | **यूएसडी** | **समतुल्य भा.रु.** |
|---|---|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य | **70.72** | **579.07** | 64.88 | 489.70 |
| अनुबंध परिसंपत्तियाँ | **322.62** | **2640.15** | 333.77 | 2517.59 |
| अन्य परिसंपत्तियां | **0.36** | **2.41** | 6.08 | 45.30 |
| **उप–कुल (क)** | **393.70** | **3221.63** | 404.73 | 3052.59 |
| **देयताएं** | | | | |
| ग्राहक से अग्रिम | **58.00** | **326.40** | 78.92 | 457.24 |
| व्यापार देय और अन्य | **97.39** | **806.03** | 161.30 | 1231.18 |
| लघु अवधि की उधारी | **-** | **-** | - | - |
| **उप–कुल (ख)** | **155.40** | **1132.43** | 240.22 | 1,688.42 |
| **परिसम्पत्तियां (शुद्ध देयताएं)** | **238.31** | **2,089.21** | 164.51 | 1,364.17 |

उपरोक्त आंकड़े प्रावधानों, यदि कोई हों, को मिलाकर हैं

(₹ करोड़ में)

| विवरण | तारीख के अनुसार | | तारीख के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2023 | | 31 मार्च, 2022 | |
| लाभ/(हानि) पर प्रभाव | चढ़ाव/मजबूती | कमजोर/उतार | चढ़ाव/मजबूती | कमजोर/उतार |
| 1% संचलन | | | | |
| यूरो | **29.10** | **(29.10)** | 21.69 | (21.69) |
| यूएसडी | **20.89** | **(20.89)** | 13.64 | (13.64) |
| अन्य | **(5.11)** | **5.11** | (1.11) | 1.11 |

**विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर –: रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:**

(i) दिनांक 31.03.2023 को रुके हुये और शेष व्युत्पन्न विलेख शून्य (पिछला वर्ष का शून्य है) है

(ii) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा नहीं किया जाता है निम्नानुसार हैं:

### संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रुपये के अमरीकी डालर, यूरो और अन्य की तुलना में मजबूत / कमजोर होने के प्रभाव को वर्षांत लाभ या हानि के रूप में नीचे दिखाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर संस्करण पर आधारित है जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रूप से संभव माना है। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए इसी आधार पर किया जाता है, यद्यपि विदेशी मुद्रा विनिमय दर संस्करण भिन्न था, जैसा कि नीचे बताया गया है।

### पूंजी प्रबंधन

क्रियाशील इकाई के रूप में पूंजी प्रबंधन करते हुए कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को सुरक्षित, संरक्षित रखना और इसमें वृद्धि करना है ताकि शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके और पूंजी लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखी जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी मॉनिटरिंग करते हैं। कंपनी समान्यतः उद्योग द्वारा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर मध्यम कालिक दृष्टिकोण व दीर्घकालिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पूंजी को मॉनिटर करती है। कंपनी बाह्य पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है जैसा की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

## नोट [45] - समेकित परिचालन खंड

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए ऑर्डरों के आधार पर खंडों की पहचान "पावर" और "उद्योग" के रूप में की गई है। इन खंड़ो के कार्यों को तीन बिजनेस क्षेत्रों–पावर क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन द्वारा निष्पादित किया जाता है।

पावर खंड (सेक्टर) में मुख्य रूप से थर्मल, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, संबंधित स्पेयर और सेवा व्यवसाय के अलावा कोयले से रसायन, उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर और गैर–बीएचईएल सेट के लिए स्पेयर के नए व्यवसाय शामिल हैं।

उद्योग खंड प्रमुख उपस्कर आपूर्ति को पूरा करता है और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव ऊर्जा, नवीकरणीय, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक गतिशीलता सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम करता है।

इंटरनेशनल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा बुक किया गया ऑर्डर, जैसा भी मामला हो, पावर या उद्योग खंड में ले जाया जाता है।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | 31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए | | | 31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पावर | इंडस्ट्री | कुल | पावर | इंडस्ट्री | कुल |
| **I.** | **खंड राजस्व** | | | | | | |
| | परिचालन राजस्व–बाह्य | **17498.98** | **4637.32** | **22136.30** | 15361.25 | 4792.13 | 20153.38 |
| **II.** | **खंड परिणाम** | | | | | | |
| a. | खंड परिणाम | **1400.32** | **432.53** | **1832.85** | 1949.24 | (41.42) | 1907.82 |
| b. | गैर–आबंटित व्यय (शुद्ध आय) | | | **831.98** | | | 1081.40 |
| c. | वित्त लागत और आयकर से पूर्व लाभ (ए–बी) | | | **1000.87** | | | 826.42 |
| d. | वित्त लागत (ब्याज छूट सहित) | | | **521.43** | | | 355.96 |
| e. | आयकर से पूर्व शुद्ध लाभ (सी–डी) | | | **479.44** | | | 470.46 |
| f. | आयकर | | | **2.05** | | | 25.75 |
| g. | आयकर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)(ई–एफ) | | | **477.39** | | | 444.71 |
| **III** | **परिसंपत्तियां और देयताएं** | | | | | | |
| a. | खंड संपत्ति | **40666.48** | **8234.70** | **48901.18** | 37196.23 | 8194.28 | 45390.51 |
| b. | आम संपत्ति | | | **10468.61** | | | 10853.25 |
| c. | कुल संपत्ति | | | **59369.79** | | | 56243.76 |
| d. | खंड देयताएं | **22366.53** | **5140.86** | **27507.39** | 20096.06 | 4754.42 | 24850.48 |
| e. | सामान्य देयताएं | | | **5034.36** | | | 4886.68 |
| f. | कुल देयताएं | | | **32541.75** | | | 29737.16 |
| **IV** | **अन्य सूचनाएं** | | | | | | |
| a. | पूंजीगत व्यय | **121.75** | **80.26** | | 140.56 | 55.40 | |
| b. | अवमूल्यन और परिशोधन | **167.99** | **63.96** | | 209.45 | 71.29 | |
| c. | गैर नकद व्यय (मूल्य ह्रास और परिशोधन के अतिरिक्त) | **(507.61)** | **(296.77)** | | (1241.57) | (62.11) | |

| | भौगोलिक खंड | भारत के अंदर | भारत के बाहर | सकल | भारत के अंदर | भारत के बाहर | सकल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परिचालन से शुद्ध बिक्री/राजस्व | **21061.08** | **1075.22** | **22136.30** | 18635.65 | 1517.73 | 20153.38 |
| 2 | गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां (पीपीई और अमूर्त संपत्ति) | **2826.69** | **3.14** | **2829.83** | 2812.21 | 17.23 | 2829.44 |
| 3 | पूंजीगत व्यय | **261.79** | **0.15** | **261.94** | 225.32 | 5.77 | 231.09 |

**प्रमुख ग्राहक– बीएचईएल के कुल राजस्व के 10% से अधिक एकल ग्राहक से प्राप्त राजस्व का विवरण**

| विवरण | विद्युत | उद्योग | कुल | विद्युत | उद्योग | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सीपीएसयू | **5581.63** | **1639.38** | **7221.01** | 3807.92 | 1405.00 | 5212.92 |
| टैनजेडको | **3112.02** | **-** | **3112.02** | 1,669.85 | - | 1669.85 |
| टीएसजेनको | **1874.88** | **-** | **1874.88** | 2644.40 | - | 2644.40 |

## नोट [ 46 ] - अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

| समूह में इकाई का नाम | वित्तीय वर्ष | शुद्ध संपत्ति, यानी, सकल संपत्ति घटा सकल देनदारियां | | लाभ या हानि में हिस्सेदारी | | अन्य व्यापक आय में हिस्सा | | सकल व्यापक आय में हिस्सेदारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | समेकित शुद्ध परिणामों के % के रूप में | राशि | समेकित लाभ या हानि % के रूप में | राशि | कुल अन्य व्यापक आय के % के रूप में | राशि | कुल व्यापक आय के % के रूप में | राशि |
| बीएचईएल | **2022-23** | **99.13** | **26595.74** | **88.27** | **421.37** | **103.54** | **(17.27)** | **87.71** | **404.10** |
| | 2021-22 | 99.24 | 26304.74 | 89.27 | 396.98 | 99.96 | 76.87 | 90.84 | 473.85 |
| सहायक | | | | | | | | | |
| बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल ईएमएल) | **2022-23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | 2021-22 | - | - | (0.31) | (1.37) | - | - | (0.26) | (1.37) |
| बीएचईएल ईएमएल में गैर–नियंत्रित हित | **2022-23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | 2021-22 | - | - | (0.30) | (1.32) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | (1.32) |
| **संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)–** | | | | | | | | | |
| बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | **2022-23** | **0.87** | **232.29** | **11.73** | **56.02** | **(3.54)** | **0.59** | **12.29** | **56.61** |
| | 2021-22 | 0.76 | 201.86 | 11.34 | 50.42 | (0.18) | 0.03 | 9.67 | 50.45 |
| एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | **2022-23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | **2022-23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **2022-23** | **100.00** | **26828.03** | **100.00** | **477.39** | **100.00** | **(16.68)** | **100.00** | **460.71** |
| | 2021-22 | 100.00 | 26506.60 | 100.00 | 444.71 | 100.00 | 76.90 | 100.00 | 521.61 |

## नोट [47]

परिचालन चक्र के रूप में 12 महीने की अवधि को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर–वर्तमान के बीच वर्गीकृत किया गया है।

## नोट [48]

कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

## नोट [49]

कंपनी; कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन कर रही है।

## नोट [50]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

## नोट [51]

कंपनी का कोई भी लेन–देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया है जो कि खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है।

## नोट [52]

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

## नोट [53]

पूर्व अवधि की त्रुटियां जो भौतिक हैं, पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशि को पुनः प्रस्तुत करके ठीक की जाती हैं, जिसमें ऐसी त्रुटि हुई थी। प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई त्रुटि के लिए, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

## नोट [54]

आंकड़ों को दो दशमलव के साथ करोड़ के निकटतम पूर्णांकित किया गया है।

## नोट [55]

जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

## नोट [56]

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, MCA ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 जारी करके कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2023 से निम्नानुसार लागू होगा:

### इंड एएस 1– वित्तीय विवरण की प्रस्तुति

संशोधनों के अनुसार कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी वास्तविक लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। लेखांकन नीति की जानकारी, अन्य जानकारी के साथ, तब वास्तविक कहलाती हैं जब उससे सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सके । कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

### इंड एएस 12 – आयकर

संशोधन स्पष्ट करते हैं कि कंपनियां पट्टों और डीकमीशनिंग दायित्वों जैसे लेनदेन पर विलंबित कर का भुगतान कैसे करती हैं। संशोधनों ने इंड एएस 12 (मान्यता छूट) के पैराग्राफ 15 और 24 में मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया ताकि यह अब उन लेनदेन पर लागू न हो, जो प्रारंभिक मान्यता पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतर को जन्म देते हैं। कंपनी, संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों की अपेक्षा नहीं करती है ।

### इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियों, लेखा अनुमान में परिवर्तन और त्रुटियां

संशोधनों से संस्थाओं को लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी। लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा को लेखांकन अनुमानों की परिभाषा से बदल दिया गया है। नई परिभाषा के तहत, लेखांकन अनुमान "वित्तीय विवरणों में मौद्रिक राशियाँ हैं जो माप अनिश्चितता के अधीन हैं"। यदि लेखांकन नीतियों के लिए वित्तीय विवरणों में वस्तुओं को ऐसे तरीके से मापने की आवश्यकता होती है जिसमें माप अनिश्चितता शामिल हो तो संस्थाएं लेखांकन अनुमान विकसित करती हैं। कंपनी यह उम्मीद नहीं करती है कि संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

## नोट [57]

निदेशक मंडल ने 26 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय विवरण 2022–23 जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

**निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए**

| | | |
|---|---|---|
| **(राजीव कालड़ा)** | **(जय प्रकाश श्रीवास्तव)** | **(डॉ. नलिन सिंघल)** |
| कंपनी सचिव | निदेशक (ई,आर एंड डी),<br>निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ–अतिरिक्त प्रभार | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| **M. No. 14567** | **DIN: 09703643** | **DIN: 01176857** |

**समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

| | | |
|---|---|---|
| **एबीपी और एसोसिएट्स के लिए** | **पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए** | **एस.एल. छाजड़ एंड कंपनी एलएलपी के लिए** |
| चार्टर्ड अकाउंटेंट | चार्टर्ड अकाउंटेंट | चार्टर्ड अकाउंटेंट |
| **FRN - 315104E** | **FRN - 008567C** | **FRN - 000709C/C400277** |
| **(बिमल कुमार चंदुका)** | **(स्वाति सिंह)** | **(विजित वैदमुथा)** |
| भागीदार | भागीदार | भागीदार |
| **M. No. 053714** | **M. No. 404531** | **M. No. 406044** |

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 मई, 2023

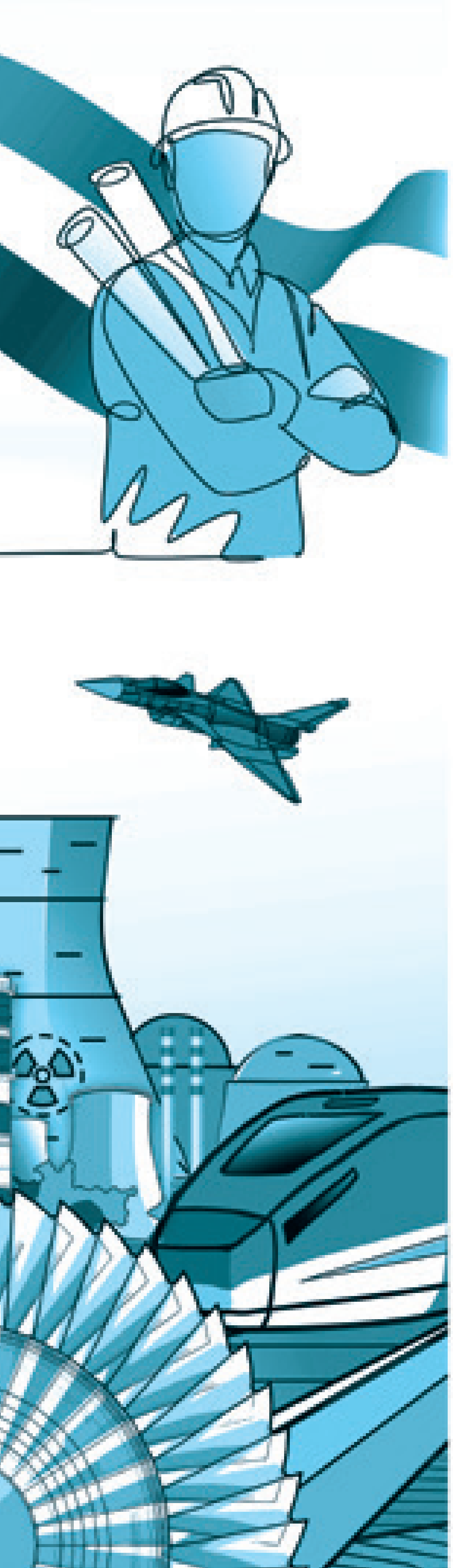

# हितधारकों के लिए अतिरिक्त जानकारी


वित्तीय निष्पादन रुख ........................................ 346

उत्पाद सूची ........................................ 349

शब्दावली ........................................ 358

शब्दावली (वित्तीय पारिभाषिक शब्द) ........................................ 359

# वित्तीय निष्पादन रुख

| क्र.सं | विवरण | इकाइयां | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ऑर्डर बुक (करों को छोड़कर)** | | | | | | |
| | प्राप्त आदेश | ₹ करोड़ में | **23548** | 20379 | 11470 | 20200 | 19995 |
| | बकाया आदेश | ₹ करोड़ में | **91336** | 90084 | 89813 | 95687 | 96082 |
| क. | परिचालन परिणाम | | | | | | |
| I | **कुल आय** | | | | | | |
| | राजस्व | ₹ करोड़ में | **22136** | 20153 | 16296 | 20491 | 29423 |
| | अन्य परिचालन आय | ₹ करोड़ में | **1229** | 1058 | 1013 | 969 | 1000 |
| | **परिचालनों से राजस्व (क)** | ₹ करोड़ में | **23365** | **21211** | **17308** | **21459** | **30423** |
| | अन्य आय (ख) | ₹ करोड़ में | **515** | 368 | 370 | 581 | 678 |
| | **कुल(I=क+ख)** | **₹ करोड़ में** | **23880** | **21579** | **17678** | **22040** | **31101** |
| II | **परिचालन व्यय** | | | | | | |
| | सामग्री उपभोग, खरीदे गए आइटम, इरेक्शन व इंजीनियरिंग व्यय | ₹ करोड़ में | **15954** | 13997 | 11071 | 14727 | 18837 |
| | स्टोर एवं स्पेयर का उपभोग | ₹ करोड़ में | **404** | 271 | 289 | 353 | 412 |
| | एफजी, डबल्यूआईपी एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन | ₹ करोड़ में | **(57)** | 526 | 511 | (1042) | (991) |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | ₹ करोड़ में | **5701** | 5517 | 5372 | 5427 | 5502 |
| | विद्युत एवं ईंधन | ₹ करोड़ में | **488** | 415 | 319 | 459 | 497 |
| | उत्पादकता , प्रशासन एवं एस–डी की प्रकृति के अन्य व्यय | ₹ करोड़ में | **1466** | 1355 | 1480 | 1970 | 2263 |
| | विनिमय परिवर्तन (लाभ) / हानि (शुद्ध) | ₹ करोड़ में | **(460)** | (82) | (66) | (435) | (67) |
| | प्रावधान | ₹ करोड़ में | **(847)** | (1526) | 1467 | 233 | 1837 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | ₹ करोड़ में | **260** | 314 | 473 | 503 | 475 |
| | वित्तीय लागतें | ₹ करोड़ में | **521** | 355 | 373 | 507 | 287 |
| | **कुल (II)** | **₹ करोड़ में** | **23430** | **21142** | **21290** | **22702** | **29053** |
| III | **परिचालन लाभ/(हानि) (क-II)** | ₹ करोड़ में | **(65)** | **69** | **(3982)** | **(1243)** | **1370** |
| IV | **कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)** | ₹ करोड़ में | **450** | **437** | **(3612)** | **(662)** | **2048** |
| | कर व्यय (शुद्ध) | ₹ करोड़ में | **2** | 27 | (894) | 811 | 839 |
| V | **कर पश्चात लाभ / (हानि)** | ₹ करोड़ में | **448** | **410** | **(2717)** | **(1473)** | **1209** |
| | **अन्य व्यापक आय** | ₹ करोड़ में | **(17)** | **77** | **20** | **(274)** | **(120)** |
| VI | **कुल व्यापक आय** | **₹ करोड़ में** | **430** | **487** | **(2697)** | **(1747)** | **1089** |
| | लाभांश भुगतान | ₹ करोड़ में | **139** | 139 | - | - | 696 |
| | लाभांश वितरण कर | ₹ करोड़ में | **-** | - | - | - | 143 |
| | ईबीआईटी | ₹ करोड़ में | **971** | 792 | (3239) | (155) | 2335 |
| | ईबीआईटीडीए | ₹ करोड़ में | **1231** | 1106 | (2765) | 348 | 2810 |
| | **नगदी प्रवाह:** | | | | | | |
| | परिचालन गतिविधियों से | ₹ करोड़ में | **(742)** | 660 | 560 | (2892) | (3856) |
| | निवेश गतिविधियों से | ₹ करोड़ में | **1480** | (1125) | (43) | 1877 | 1915 |
| | वित्तीय गतिविधियों से | ₹ करोड़ में | **89** | (330) | (393) | 1622 | (32) |

# वित्तीय निष्पादन रुख

| क्र.सं | विवरण | इकाइयां | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब. | वित्तीय स्थिति (परिसंपत्ति, हिस्सेदारी और देयताएं) | | | | | | |
| VII | परिसंपत्तियां | | | | | | |
| | संपत्ति, प्लांट व उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां | ₹ करोड़ में | **2476** | 2398 | 2488 | 2814 | 2967 |
| | पूंजी डब्ल्यूआईपी और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति | ₹ करोड़ में | **354** | 431 | 420 | 314 | 235 |
| | गैर–वर्तमान निवेश | ₹ करोड़ में | **670** | 670 | 670 | 670 | 669 |
| | अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति | ₹ करोड़ में | **456** | 365 | 365 | 321 | 362 |
| | व्यापार प्राप्य (शुद्ध) | ₹ करोड़ में | **6544** | 6229 | 7213 | 11641 | 15796 |
| | अनुबंध परिसंपत्ति (शुद्ध) | ₹ करोड़ में | **29740** | 26940 | 24079 | 23794 | 22819 |
| | नगद और बैंक शेष | ₹ करोड़ में | **6643** | 7154 | 6701 | 6419 | 7503 |
| | मालसूची | ₹ करोड़ में | **6756** | 6560 | 7191 | 8905 | 7797 |
| | आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध) | ₹ करोड़ में | **3423** | 3530 | 3660 | 2756 | 3497 |
| | अन्य चालू परिसंपत्तियां | ₹ करोड़ में | **2744** | 2432 | 2913 | 2601 | 2784 |
| | **कुल परिसंपत्ति** | **₹ करोड़ में** | **59804** | **56708** | **55701** | **60236** | **64431** |
| VIII | **हिस्सेदारी** | | | | | | |
| | हिस्सेदारी शेयर पूँजी | ₹ करोड़ में | **696** | 696 | 696 | 696 | 696 |
| | अन्य हिस्सेदारी | ₹ करोड़ में | **26566** | 26275 | 25788 | 28485 | 30735 |
| | **कुल हिस्सेदारी** | ₹ करोड़ में | **27262** | **26971** | **26484** | **29181** | **31432** |
| IX | **देयताएं** | | | | | | |
| | उधारी | ₹ करोड़ में | **5385** | 4745 | 4834 | 4933 | 2432 |
| | व्यापार देयताएं | ₹ करोड़ में | **12090** | 9882 | 8559 | 9900 | 12078 |
| | अनुबंध देयताएं | ₹ करोड़ में | **5635** | 6048 | 6864 | 6718 | 6839 |
| | अन्य गैर चालू देयताएं | ₹ करोड़ में | **310** | 269 | 295 | 266 | 225 |
| | गैर चाल प्रावधान | ₹ करोड़ में | **4101** | 3771 | 3913 | 4212 | 5463 |
| | अन्य चाल देयताएं | ₹ करोड़ में | **2225** | 1956 | 1589 | 1943 | 3477 |
| | वर्तमान प्रावधान | ₹ करोड़ में | **2797** | 3067 | 3164 | 3082 | 2486 |
| | **कुल देनदारियाँ** | **₹ करोड़ में** | **32542** | **29737** | **29217** | **31054** | **32999** |
| X | **कुल हिस्सेदारी और देयताएं (VIII+IX)** | **₹ in crore** | **59804** | **56708** | **55701** | **60236** | **64431** |
| | इक्विटी शेयर (प्रत्येक का रू. 2 अंकित मूल्य) | करोड़ में सं. | **348** | 348 | 348 | 348 | 348 |
| | वर्ष के अंत में बाजार पूंजीकरण | ₹ करोड़ में | **24420** | 17184 | 16975 | 7243 | 26081 |
| | निवल मूल्य | ₹ करोड़ में | **27262** | 26971 | 26484 | 29181 | 31432 |
| | निवल मूल्य (ओसीआई को छोडकर) | ₹ करोड़ में | **27563** | 27254 | 26844 | 29561 | 31538 |
| | नियोजित पूँजी | ₹ करोड़ में | **23486** | 23010 | 22405 | 26111 | 27699 |
| XI | **मानव संसाधन** | संख्या | **29536** | **30758** | **32131** | **33752** | **35471** |
| | कार्यपालक | संख्या | **10187** | 10280 | 9742 | 10075 | 10400 |
| | गैर कार्यपालक | संख्या | **19349** | 20478 | 22389 | 23677 | 25071 |

| क्र.सं | विवरण | इकाइयां | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII | **वित्तीय निष्पादन अनुपात** | | | | | | |
| 1 | निवल संपत्ति पर आय | % | **1.63** | 1.52 | (9.63) | (4.82) | 3.77 |
| 2 | नियोजित पूँजी पर आय | % | **4.13** | 3.44 | (14.45) | (0.59) | 8.43 |
| 3 | ईबीआईडीटीए मार्जिन | % | **5.16** | 5.12 | (15.64) | 1.58 | 9.04 |
| 4 | परिचालन लाभ मार्जिन | % | **(0.28)** | 0.33 | (23.01) | (5.79) | 4.50 |
| 5 | प्रति कर्मचारी राजस्व | ₹ लाख म | **75** | 66 | 51 | 61 | 83 |
| 6 | कर्मचारी लाभ व्यय का प्रति रुपया राजस्व | ₹ | **3.88** | 3.65 | 3.03 | 3.78 | 5.35 |
| XIII | **तुलन पत्र अनुपात** | | | | | | |
| 1 | वर्तमान अनुपात | अनुपात | **1.29** | 1.30 | 1.39 | 1.45 | 1.67 |
| 2 | चालू वर्ष के शुद्ध बिलिंग का (%) परिसमापन | % | **86** | 86 | 82 | 73 | 59 |
| 3 | प्राप्य व्यापार (दिनों की संख्या) | दिनों में | **102** | 107 | 152 | 198 | 190 |
| 4 | माल सूची (दिनों की संख्या) | दिनों में | **111** | 119 | 161 | 159 | 97 |
| 5 | परिसंपत्ति कारोबार | समय | **0.40** | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.48 |
| XV | **प्रति शेयर डेटा** | | | | | | |
| 1 | प्रति शेयर अर्जन | (₹) | **1.29** | 1.18 | (7.80) | (4.23) | 3.33 |
| 2 | प्रति शेयर निवल मूल्य | (₹) | **78.29** | 77.46 | 76.06 | 83.80 | 90.27 |
| 3 | वर्ष के अंत में प्रति शेयर बाजार मूल्य (बीएसई) | (₹) | **70.13** | 49.35 | 48.75 | 20.80 | 74.90 |
| 4 | बाजार मूल्य का बुक मूल्य | Ratio | **0.90** | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.83 |
| XVI | **खंड राजस्व** | | | | | | |
| | पावर क्षेत्र | ₹ करोड़ में | **17499** | 15361 | 11386 | 14960 | 23474 |
| | उद्योग क्षेत्र | ₹ करोड़ में | **4637** | 4792 | 4910 | 5530 | 5949 |
| | **कुल** | ₹ करोड़ में | **22136** | **20153** | **16296** | **20491** | **29423** |
| | **खंड शेयर** | | | | | | |
| | पावर क्षेत्र | % | **79** | 76 | 70 | 73 | 80 |
| | उद्योग क्षेत्र | % | **21** | 24 | 30 | 27 | 20 |

I पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुर्नव्यवस्थित किया गया है।
II परिचालन से प्राप्त राजस्व में उत्पाद शुल्क व कर सम्मलित नहीं है।
III लाभांश भुगतान अंतरिम लाभांश एवं वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश है।
IV वित्त वर्ष 2018–19 के अंत में इक्विटी शेयर पूंजी जनवरी 2019 में बायबैक के पश्चात है।

**टिप्पणियाँ:**

1 ईबीआईटी = पीबीटी + वित्तीय लागत
2 ईबीआईटीए = ईबीआईटी + मूल्यह्रास व परिशोधन
3 नियोजित पूंजी = नेट वर्थ–कार्यशील पूंजी और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति – आस्थगित कर
4 नेट वर्थ पर आमदनी = (पीएटी/औसत नेट वर्थ को छोड़कर ओसीआई)*100
5 नियोजित पूंजी पर वापसी = ईबीआईटी/पूंजी नियोजित*100
6 ईबीआईटीए मार्जिनः = ईबीआईटीए/राजस्व *100
7 परिचालन लाभ मार्जिन = परिचालन लाभ / परिचालन से राजस्व *100
8 चालू अनुपात = चालू संपत्तिध्चालू देनदारियां
9 व्यापार प्राप्य (दिनों की संख्या) = व्यापार प्राप्य *365 / परिचालन से राजस्व (जीएसटी सहित)
10 इन्वेंटरी (दिनों की संख्या) = इन्वेंटरी *365/राजस्व
11 संपत्ति कारोबार = राजस्व/कुल संपत्ति

# बीएचईएल निम्नलिखित खंडों के लिए उत्पादों के डिजाइन, विनिर्माण एवं अधिष्ठापन और सेवा प्रदान करने का कार्य करता है:

## थर्मल पावर प्लांट

- थर्मल पावर प्लांटों के लिए अत्याधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण सहित संपूर्ण ईपीसी समाधान
- स्टीम जेनरेटर, स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर (टीजी) पुनर्योजी फ़ीड चक्र के साथ 1000 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक, जिसमें सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 / 700 / 800 मेगावाट यूनिट रेटिंग सेट और सबक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 600 मेगावाट तक यूनिट रेटिंग सेट शामिल हैं।
- एयर और वाटर कूल्ड कंडेन्सर, कंडेन्सेट एक्सट्रैक्शन पंप, बॉयलर फीड पंप, डुप्लेक्स हीटर, वाल्व और हीट एक्सचेंजर्स 1000 मेगावाट तक के टीजी सेट की आवश्यकता को पूरा करते हैं।
- उच्च संयंत्र क्षमता वाले 350 मेगावाट तक के संयुक्त चक्र संयंत्र
- पुराने थर्मल पावर प्लांटों का अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन (आरएलए) अध्ययन और जीवन विस्तार, लचीले संचालन के समाधान सहित विद्युत संयंत्र उपकरणों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन के माध्यम से संयंत्र के निष्पादन में सुधार

## परमाणु (न्यूक्लियर) पावर प्लांट

- न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रिएक्टर साइड घटक (कंपोनेंट्स) जैसे – स्टीम जेनरेटर, रिएक्टर हेडर्स, एंड शील्ड्स, स्पेशल पर्पज (विषेष उद्देश्य) हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स, मोटर्स आदि।
- पीएचडबल्यूआर (उच्च दबाव वाले वाटर रिएक्टरों), एफबीआर (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) और एएचडबल्यूआर (एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर) जिसमें तीन टर्बाइन, टर्बो जनरेटर, एमएसआर (मोइष्चर सेपरेटर रिहिटर्स) अन्य हीट एक्सचेंजर्स और पंप शामिल हैं, जो ईपीसी समाधान भी प्रदान करते हैं।

## गैस आधारित पावर प्लांट

- निम्नलिखित विषेषताओं के साथ 26 मेगावाट से 299 मेगावाट (आईएसओ) रेटिंग तक के गैस टर्बाइन और उनके जनरेटर:
- उद्योग और यूटिलिटी (उपयोगिता) अनुप्रयोगों के लिए गैस टरबाइन आधारित सह–उत्पादन और संयुक्त–चक्र प्रणाली
- विभिन्न मिश्रित संयोजनों के ईंधन को जलाने की क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के ईंधनों (गैसीय और तरल दोनों) को जलाने की क्षमता।
- ड्राईलो NOx (डीएलएन) कंबस्तर (दहन) और षोर को कम करने हेतु उत्सर्जन स्तर की आवश्यकता को 15 पीपीएम तक कम करना।

## हाइड्रो पावर प्लांट

- 100 मेगावाट तक के कपलान प्रकार, फ्रांसिस और पेल्टन प्रकार के 400 मेगावाट तक के कस्टम निर्मित पारंपरिक हाइड्रो टर्बाइन की इंजीनियरिंग और विनिर्माण की क्षमता।
- 250 मेगावाट तक के पंप भंडारण संयंत्रों के लिए प्रतिवर्ती पंप –टर्बाइन
- 200 मेगावाट तक की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (एलआईएस) के लिए उच्च क्षमता वाले पंप
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए बटर फ्लाई, स्फेरिकल वाल्व और उपकरण
- सभी प्रकार के जल विद्युत संयंत्रों के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल गवर्निंग सिस्टम
- प्लांट लेआउट और प्लांट पर शेष कार्य (बीओपी)
- 400 मेगावाट तक कस्टम–निर्मित सैलिएंट पोल वर्टिकल सिंक्रोनस हाइड्रो जेनरेटर की इंजीनियरिंग, विनिर्माण, स्थापना और कमीशनिंग की क्षमता।
- 200 मेगावाट तक एलआईएस मोटर
- 300 मेगावाट तक के पंप भंडारण संयंत्रों के लिए फिक्स्ड स्पीड जेनरेटर–मोटर्स
- 10 मेगावाट तक के मेचिंग जनरेटर और 20 मेगावाट तक हॉरिजॉन्टल जनरेटर के साथ मेचिंग स्थैतिक एक्सिटेशन प्रणाली / ब्रशलेस एक्सिटेशन प्रणाली के साथ बल्ब टर्बाइन
- 5 मेगावाट रेटिंग तक के मिनी, सूक्ष्म और लघु जल विद्युत संयंत्र
- जल विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन
- प्लांट (बीओपी) और सिस्टम एकीकरण का संतुलन

## सौर ऊर्जा प्रणाली

- सोलर पीवी पावर प्लांट के एसपीसी समाधान:
- ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम (बीईएसएस के साथ और बिना बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली)
- फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र
- स्टैंडअलोन सिस्टम
- रूफ टॉप सिस्टम
- हाइब्रिड सिस्टम
- कैनाल टॉप सिस्टम
- सौर आधारित वाटर पम्पिंग सिस्टम

## अलवणीकरण और जल उपचार संयंत्र

- विभिन्न उपचार प्रौद्योगिकियों के साथ विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक अनुप्रयोगों और नगरपालिका अनुप्रयोगों के लिए संपूर्ण जल प्रबंधन समाधान:
- प्री–ट्रीटमेंट प्लांट (पीटी)
- अलवणीकरण प्लांट

- विखनिजीकरण संयंत्र (डीएम)
- इलेक्ट्रो डियोनाइजेशन प्लांट
- प्रवाह(धाराप्रवाह) उपचार संयंत्र (ईटीपी
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)
- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्रणाली
- कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
- टरशियरी ट्रीटमेंट प्लांट

## प्रणालियाँ और सेवाएं

- विद्युत उत्पादन प्रणालियां
- टर्नकी विद्युत स्टेशन / ईपीसी अनुबंध
- संयुक्त–चक्र विद्युत संयंत्र
- को–जनरेशन सिस्टम
- कैप्टिव पावर प्लांट
- पावर स्टेशनों का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और उनके शेष जीवन–चक्र का अध्ययन
- विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए सिमुलेटर सहित सॉफ्टवेयर पैकेज
- उपर्युक्त सभी प्रणालियों के लिए निर्माण, कमीशनिंग, सहायक सेवाएं, स्पेयर (पुर्जों का) प्रबंधन और परामर्श सेवाएं

## औद्योगिक प्रणालियाँ

- कोल हैंडलिंग प्लांट और ऐश हैंडलिंग प्लांट जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कार्य और ऑटोमेशन सिस्टम शामिल हैं
- माइन (खदान) विंडर सिस्टम
- कच्चे माल के प्रसंस्करण और कॉम्पैक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक्स, ड्राइव, नियंत्रण और स्वचालन प्रणाली, लौह निर्माण, प्राथमिक और माध्यमिक स्टील बनाना, मिलों की तरह कैस्टर और स्टील फिनिशिंग और लंबे उत्पादों और फ्लैट उत्पादों दोनों के लिए प्रक्रिया लाइनें
- इस्पात और अन्य उद्योगों के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम सहित कच्चे माल की हैंडलिंग प्रणाली
- ऐल्युमिनियम प्लांटो के लिए प्रोसेसिंग मिल्स और स्मेल्टर्स के हाई करंट रेक्टिफायर के लिए इलेक्ट्रिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम
- स्वचलित भंडारण और रिट्रीवल सिस्टम (एएसआरएस)

# विस्तृत उत्पाद सूची इस प्रकार है:

## स्टीम जनरेटर

- कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस या इन ईंधनों के संयोजन का उपयोग करके उपयोगिताओं के लिए 30 से 1000 मेगावाट क्षमता तक के स्टीम जनरेटर; 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल मापदंडों के साथ बॉयलर बनाने की क्षमता
- युटिलिटीज के लिए 310 एटीए और 710 डिग्री सेल्सियस / 720 डिग्री सेल्सियस के उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) मापदंडों के साथ स्टीम जनरेटर
- युटिलिटीज के लिए 660 मेगावाट यूनिट तक के सुपरक्रिटिकल मापदंडों के साथ सर्कुलेटिंग फ्लुडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) स्टीम जनरेटर
- आयातित/ भारतीय कोयले की विभिन्न किस्मों के मिश्रण/ को–फायरिंग, लिग्नाइट, पेटकोक आदि की ब्लेंडिंग सभी के लिए सक्षम फ्यूल फ्लेसिबल बॉयलर
- एएसएमई सेक्टर–III एनबी क्लास–1 आवश्यकताओं के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए स्टीम जेनरेटर और रिएक्टर हेडर के विनिर्माण और आपूर्ति की क्षमता
- कोयला, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक गैसों, बायोमास, लिग्नाइट, तेल, पेटकोक, खोई या इनके संयोजन का उपयोग करके 40 टन/घंटा से 450 टन/घंटा क्षमता तक के निम्नलिखित प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए भाप जनरेटर
- चूर्णित कोयला/लिग्नाइट से चलने वाले बॉयलर
- स्टोकर फायर बॉयलर
- बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (बीएफबीसी) बॉयलर
- सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर
- हीट–रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी)
- कागज उद्योग के लिए रासायनिक रिकवरी बॉयलर, 100 से 1000 टी/दिन सूखे ठोस पदार्थों की क्षमता तक
- बॉयलर में कोयले के साथ बायोमास सह–फायरिंग को लागू करने में विशेषज्ञता और क्षमता
- बॉयलरों के लचीले संचालन के लिए संपूर्ण समाधान

## बॉयलर के सहायक उपकरण

- एयर प्रीहीटर्स
  - ट्यूबलर एयर प्रीहीटर्स
  - रोटरी रीजनरेटिव एयर–प्रीहीटर्स (विभिन्न प्रकार जैसे बाइसेक्टर, ट्राई सेक्टर और क्वाड सेक्टर)
- कण उत्सर्जन नियंत्रण
  - कम से कम 15 मिलीग्राम/एनएम3 (99.97% तक दक्षता) के आउटलेट उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर
  - यूटीलिटी और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बैग फ़िल्टर
  - यांत्रिक धूल संग्राहक
  - अमोनिया ग्रिप गैस कंडीशनिंग प्रणाली
- फैन (पंखे)
  - स्वच्छ वायु अनुप्रयोगों और 200°C तक की धूल भरी गर्म गैसों के लिए, 40 से 1300 घन मीटर प्रति सेकंड तक की क्षमता और 225 से 1,500 एमएमडबल्यूसी तक के प्रेशर के लिए सिंगल स्टेज और डबल स्टेज के रिएक्शन फैन।
  - शुद्ध हवा और 200°C तक की फ्लू गैस अनुप्रयोगों के लिए 25 से 600 घन मीटर प्रति सेकंड तक की क्षमता और 300 से 700 एमएमडबल्यूसी तक के दबाव के लिए, एक्सियल इंपल्स फैन।
  - स्वच्छ वायु और 400°C तक की धूल भरी गर्म गैसों के अनुप्रयोगों

के लिए, 4 से 660 घन मीटर प्रति सेकंड तक की क्षमता और 200 से 3000 एमएमडबल्यूसी तक के दबाव के लिए सिंगल और डबल–सक्शन रेडियल फैन (प्लेट एरोफॉइल ब्लेड)।

- पल्वराइजर
  - धीमी और मध्यम गति की बाउल मिलें (दबावयुक्त और सक्शन वातावरण दोनों के लिए) जिनकी क्षमता 10 टन/घंटा है। 120 टी/घंटा तक
  - बॉल ट्यूब मिल्स 30 टी/घंटा से 110 टी/घंटा तक.
  - एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए वेट बॉल मिल्स (50 टन/घंटा तक)।
- गिलोटिन गेट्स और डैम्पर्स
  - विद्युत/वायवीय एक्चुएटर के साथ गिलोटिन गेट। सील एयर के साथ 100% लीक प्रूफ (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप 1:7 मीटर/14.5 मीटर, टाइप 2:14.6 मीटर/4.5 मीटर, टाइप 3:11.5 मीटर/6.5 मीटर
  - विद्युत/वायवीय एक्चुएटर के साथ द्वि–प्लेन डैम्पर्स। सील एयर के साथ 100% लीक प्रूफ (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप–1: 7 मीटर/14.5 मीटर, टाइप–2: 12 मीटर/10.5 मीटर
  - इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई) के साथ लौवर डैम्पर्स (ओपन क्लोज/रेगुलेटिंग): टाइप–1: 6.5 मीटर/14.5 मीटर, टाइप–2: 12 मीटर/10.5 मीटर
- इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई) के साथ डैम्पर्स (रेगुलेटिंग) को नियंत्रित करें: टाइप– 1:6.5मी./14.5मी. टाइप–2: 12मी./10.5मी.
- स्टील चिमनी
  - ग्रिप गैस निकास अनुप्रयोगों के लिए स्टील चिमनी, अधिकतम ऊंचाई 80 मीटर और भीतरी व्यास 6.5 मीटर तक
- फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली
  - गीला चूना पत्थर और समुद्री जल आधारित FGD प्रणालियाँ
  - अवशोषक – डीसीएफएस प्रौद्योगिकी (डबल संपर्क प्रवाह स्क्रबर)
  - गीला चूना पत्थर एफजीडी – सिंगल और ट्विन टॉवर अवशोषक
  - समुद्री जल एफजीडी – ग्रिड टॉवर अवशोषक
  - गैस से गैस हीटर के साथ और उसके बिना अवशोषक
  - 99.9% की $SO_2$ दक्षता के साथ FGD
- चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एससीआर) प्रणाली
  - एनओएक्स उत्सर्जन नियंत्रण के लिए निर्जल अमोनिया/जलीय अमोनिया/यूरिया अभिकर्मक के साथ एससीआर प्रणाली (हनीकॉम्ब और प्लेट प्रकार)
  - एनओएक्स उत्सर्जन नियंत्रण के लिए एससीआर प्लेट प्रकार उत्प्रेरक
- वायु गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली
  - डी एनओएक्स
  - भट्टी में दहन नियंत्रण समाधान
  - चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एससीआर) प्रणाली।

## सूट ब्लोवर्स

- 12.2 मीटर तक की दूरी के लिए लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोवर्स (एलआरएसबी)
- 10 मीटर की दूरी के लिए फर्नेस टेम्प्रेचर प्रोब (एफ़टीपी )
- एयर प्री हीटर के लिए फॉरवर्ड ब्लोइंग के साथ लंबे समय तक वापस लेने योग्य नॉन–रोटेटिंग (एलआरएनआर) सूट ब्लोअर
- रोटरी सूट ब्लोवर्स
- रैक टाईप लंबे रिट्रेक्टबल सूट ब्लोअर
- सीएफबीसी बॉयलर अनुप्रयोग के लिए ऐश डिस्चार्ज वाल्व
- अनुक्रमिक पीएलसी, नियंत्रण कक्ष और इंटीग्रल स्टार्टर के साथ सूट ब्लोअर

## वाल्व्स

- यूटिलिटीज और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए उच्च और निम्न दबाव वाले टर्बाइन बाईपास वाल्व और हाइड्रोलिक प्रणाली
- 950 मिमी व्यास तक भाप, तेल और गैस कर्तव्यों के लिए गेट, ग्लोब, नॉन–रिटर्न (स्विंग–चेक और पिस्टन लिफ्ट–चेक) प्रकार के उच्च और मध्यम दबाव वाले वाल्व, कास्ट और फोर्ज्ड स्टील वाल्व, अधिकतम दबाव वर्ग 4500 (791 किग्रा /cm2) और $650^0$ C तापमान
- 900 मिमी तक के पाइप आकार वर्ग 1500 और भाप तापमान $650^0$ Cतक के हॉट रिहीट एवं कोल्ड रिहीट आइसोलेटिंग डिवाइस
- 372 किग्रा/सेमी2 तक दबाव और $630^0$ C तक तापमान सेट करने के लिए उच्च क्षमता वाले स्प्रिंग लोडेड सुरक्षा वाल्व
- 320 किग्रा/सेमी2 तक दबाव और $610^0$ C तक तापमान सेट करने के लिए स्वचालित विद्युत चालित दबाव राहत वाल्व
- 421 किग्रा/सेमी2 तक दबाव और $537^0$ तक तापमान सेट करने के लिए सुरक्षा राहत वाल्व
- अधिकतम 2700 मिमी व्यास के रिऐक्टिव कम अब्जॉर्प्टिव वेंट साइलेंसर
- डारेक्ट वॉटर लेवल गेज
- एंगल ड्रेन वाल्व – टर्बाइन ड्रेन एप्लीकेशन के लिए सिंगल और मल्टी स्टेज
- री–हीटर और सुपर हीटर स्प्रे लाइनों के लिए गंभीर सेवा नियंत्रण वाल्व
- एक्सट्रैक्शन लाइनों और पावर असिस्टेड नॉन रिटर्न वाल्व के लिए त्वरित समापन नॉन रिटर्न वाल्व, 900 मिमी व्यास तक, 158 किग्रा/सेमी$^2$ दबाव और 540 डिग्री सेल्सियस तापमान
- एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए 1300 मिमी और 1400 मिमी व्यास के नाइफ एज गेट वाल्व

## पाइपिंग सिस्टम (प्रणालियाँ)

- पावर साइकिल पाइपिंग, कॉन्स्टैन्ट लोड हैंगर, वेरिएबल स्प्रिंग हैंगर, हैंगर कॉम्पोनेंट्स, सुपर क्रिटिकल सेट सहित 1000 मेगावाट क्षमता तक के पावर स्टेशनों के लिए सर्कुलेटिंग वॉटर पाइपिंग सहित लो प्रेशर पाइपिंग
- न्युक्लियर पावर स्टेशनों, कम्बाइंड साइकल पावर प्लान्टों और औद्योगिक बॉयलरों और प्रक्रिया उद्योगों के लिए पाइपिंग सिस्टम

- नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोज़न इंजीनियर्स (एनएसीई) की अपेक्षाओं के अनुरूप रिफाइनरी सेगमेंट को पूरा करने के लिए पूर्वनिर्मित पाइपिंग/डक्ट स्पूल

## सीमलैस स्टील ट्यूब्स

- एएसटीएम / एएसएमई और अन्य शृंखला विशिष्टताओं के अनुरूप कार्बन स्टील और लो–एलॉय स्टील की 21 से 133 मिमी के बाहरी व्यास और 2 से 12.5 मिमी की वाल थिकनेस (दीवार की मोटाई) में विभिन्न रेंज वाली हॉट फिनिश्ड (गर्म–तैयार) और कोल्ड–ड्रॉन सीमलेस स्टील ट्यूब।
- एएसएमई और अन्य अंतरराष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप कार्बन स्टील और कम–मिश्र धातु स्टील्स में 38.1 से 63.5 मिमी तक के बाहरी व्यास और 5.6 मिमी से 7.1 मिमी तक दीवार की मोटाई वाले राइफल्ड ट्यूब (रिब्ड)
- एएसएमई मानकों के अनुरूप कार्बन स्टील और मिश्र धातु स्टील्स में स्पाइरल फिन्ड ट्यूब, जिनका बाहरी व्यास 31.8 से 114.3 मिमी, दीवार की मोटाई 2.4 मिमी से 9.5 मिमी, फिन की ऊंचाई 12.5 मिमी से 21 मिमी और फिन का घनत्व 40 से 240 फिन प्रति मीटर है।

## प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफायर (पीएफबीजी) (कोल से कैमिकल्स)

- एकल इकाई का उच्च दबाव ऑक्सी–ब्लो कोल गैसीफायर प्रतिदिन 2500 टन तक की क्षमता, निम्नलिखित अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए सिनगैस का उत्पादन करने में सक्षमः
  - हाइड्रोजन/अमोनिया/अमोनियम नाइट्रेट
  - मेथनॉल/डाइमिथाइल ईथर
  - आइरन ओर का डाइरैक्ट रिडक्शन
  - पावर थ्रो आईजीसीसी
  - सिंथेटिक नेचुरल गैस
- पीएफबीजी तकनीक लिग्नाइट सहित उच्च और निम्न श्रेणी के कोयले के गैसीकरण के लिए उपर्युक्त है

## स्टीम टर्बाइन

- थर्मल सेट के लिए 1000 मेगावाट रेटिंग तक और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 मेगावाट रेटिंग तक के स्टीम टर्बाइन
- समुद्री प्रणोदन के लिए 15000 एचपी टर्बाइन

## टर्बो जनरेटर

- थर्मल/गैस पावर प्लांटों के लिए 1000 मेगावाट तक उच्च रेटिंग के टर्बोजेनरेटर
- सीसीपीपी अनुप्रयोगों के लिए जेनरेटर
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 731 मेगावाट तक के जेनरेटर
- जनरेटर शीतलन प्रणाली: वायु, हाइड्रोजन, जल
- एक्साइटेशन प्रणाली: ब्रश रहित / स्थिर प्रकार
- सहायक प्रणालियाँ: प्राथमिक जल प्रणाली, सील तेल प्रणाली, गैस प्रणाली, आदि।

## औद्योगिक सेट

- स्टीम टर्बाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट
  - स्टीम टर्बाइन–जनरेटर (एसटीजी)/ बॉयलर/बॉयलर–टरबाइन–जनरेटर (बीटीजी)/ इंजीनियरिंग– प्रोक्योरमेंट–कंस्ट्रक्शन (ईपीसी): 200 मेगावाट तक यूनिट रेटिंग
  - 120 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक नॉन रीहीट
  - 70 मेगावाट से 200 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक रीहीटिंग
- स्टीम टर्बाइन से लेकर मैकेनिकल ड्राइव जैसे कंप्रेसर, पंप, ब्लोअर आदि।
- गैस टरबाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट जीटीजी/एचआरएसजी/ईपीसी: 26 मेगावाट (एफआर–5) से 126 मेगावाट (एफआर–9ई)

## कास्टिंग और फोर्जिंग

- सब क्रिटिकल, सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा–सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के घटकों के लिए कड़े अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशों को पूरा करने वाले क्रीप प्रतिरोधी मिश्र धातु स्टील्स, स्टेनलेस स्टील और मिश्र धातु स्टील्स के अन्य ग्रेड की भारी कास्टिंग और फोर्जिंग

## कंडेन्सर और हीट एक्सचेंजर्स

**सर्फेस कंडेन्सरः**

  - 1000 मेगावाट तक के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए
  - 700 मेगावाट तक के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए
  - 12.5 मेगावाट समुद्री अनुप्रयोग
  - इंडस्ट्रीयल कंडेनसर
- 660 और 800 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एयर कूल्ड कंडेनसर
- फ़ीड वॉटर हीटर (एचपी हीटर, एलपी हीटर, ड्रेन कूलर, डुप्लेक्स हीटर, डी–सुपर हीटर, आदि)
  - थर्मलः 7 से 600 मेगावाट (सब–क्रिटिकल) और 350– 1000 मेगावाट (सिंगल स्ट्रीम के साथ सुपर क्रिटिकल)
  - परमाणुः 236 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट
- नमी विभाजक और रिहीटर (एमएसआर)
  - परमाणुः 236 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट
- लाइव स्टीम रेहीटर (एलएसआर)
  - 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) परमाणु सेट
- परमाणु प्राथमिक चक्र के लिए डी2ओ और मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर्स
- टर्बो और हाइड्रो जेनरेटर के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
  - एयर कूलर (फ़्रेम और ट्यूब प्रकार)
  - ऑयल कूलर (शैल और ट्यूब प्रकार और प्लग इन प्रकार)
  - हाइड्रोजन कूलर (फ़्रेम और ट्यूब प्रकार)
- ऑइल कूलर (शैल और ट्यूब टाइप सिंगल ट्यूब और कन्सेंट्रिक डबल ट्यूब टाइप) ट्रान्सफ़ोर्मर के लिए (फ्रेम एवं ट्यूब टाइप)
- सामान्य अनुप्रयोग के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स (शेल और ट्यूब प्रकार)।

- 400एन बी से 2800एन बी तक जल अनुप्रयोग के लिए बटरफ्लाई वाल्व और रबर एक्सपेन्शन जोड़
- फ्लैश टैंक एवं मिशलेनियश, ऑयल और वाटर स्टोरेज के लिए टैंक
- ट्रान्स्फ़ोर्मर के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
    - ऑयल कूलर (शैल और ट्यूब टाइप सिंगल ट्यूब और कन्सेंट्रिक डबल ट्यूब टाइप) (फ्रेम एवं ट्यूब टाइप)
- सामान्य अनुप्रयोग के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
    - वाटर – वाटर कूलर (शैल और ट्यूब टाइप)
- ग्लैंड स्टीम कंडेंसर
    - 7 मेगावाट से 150 मेगावाट तक के औद्योगिक अनुप्रयोग
    - 1000 मेगावाट तक के थर्मल प्लांट
    - 700 मेगावाट तक के परमाणु संयंत्र
- 126 मेगावाट (एफआर–9ई) तक जीटीजी के लिए एयर–कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स, और सभी रेटिंग के कंप्रेसर अनुप्रयोग
    - 150 मेगावाट तक के कंडेनसर के लिए स्टीम जेट एयर इजेक्टर
    - 7 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक डिएरेटर
    - कंप्रेसर अनुप्रयोगों के लिए गैस कूलर
    - ऑयल कूलर– 150 मेगावाट तक एसटीजी, 126 मेगावाट तक जीटीजी (एफआर–9ई)
    - 150 मेगावाट तक एसटीजी और 250 मेगावाट तक जीटीजी (9 एफए) तक जेनरेटर एयर कूलर

## पम्प

- 1000 मेगावाट क्षमता तक की विभिन्न युटिलिटीज के संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए पंपः
- बॉयलर फीड पंप (मोटर या स्टीम टरबाइन चालित) और बॉयलर फीड बूस्टर पंप।
- कंडनसैट एक्सट्रैक्सन पम्प ड्रिप पंपों सहित
- सर्कुलेटिंग वॉटर पंप (जिन्हें कूलिंग वाटर पंप के नाम से भी जाना जाता है)
- कंक्रीट वोल्यूट कूलिंग वाटर पंप
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सेकंडरी साइड(माध्यमिक पक्ष) के लिए पंप्स
- 500 मेगावाट तक के एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए स्लरी रीसर्क्युलेशन पंप

## कंप्रेसर्स

- रिफाइनरी, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, इस्पात, विद्युत और प्राकृतिक गैस परिवहन क्षेत्रों जैसे विभिन्न उद्योगों में सभी प्रमुख कम्प्रेशन अनुप्रयोगों के लिए सहायक प्रणालियों के साथ सेन्ट्रिफ्युगल कंप्रेसर (स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर और गैस टरबाइन द्वारा संचालित) की पूरी श्रृंखला
- 3,00,000 वर्ग मीटर प्रति घंटा तक की क्षमता के लिए कंप्रेसर पैकेज वायु, $CO_2$, सिनगैस, $N_2$, $H_2$, $NH_3$, प्राकृतिक गैस, गीली गैस, प्रोपलीन और अन्य सेवाओं जैसी विभिन्न गैसों के लिए।
- 40 बार डिज़ाइन दबाव तक होरीजोंटल स्प्लिट टाइप
- 350 बार डिज़ाइनप्रेशर वर्टिकल स्प्लिट टाइप
- एफ़जीडी अनुप्रयोगों के लिए ओक्सीडेशन ब्लोअर

## सोलर फोटोवोल्टिक्स

- मोनो/मल्टी क्रिस्टालाइन सोलर सेल्स
- मल्टी क्रिस्टालाइन /मोनो–पीईआरसी पीवी मॉड्यूल (400 डबल्यूपी तक के)
- सोलर इनवेरटर के लिए यूटीलिटी और रेलवे ट्रैक्शन अनुप्रयोगों के लिए
- पावर ट्रांसफार्मर (15 एमवीए और इससे अधिक)
- पैसिव सोलर ट्रेकिंग सिस्टम
- स्पेस ग्रेड सोलर ट्रेकिंग पैनल्स

## स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली

- स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियों के लिए
- बॉयलर सुरक्षा सहित स्टीम जनरेटर / बॉयलर कंट्रोल्स
- **स्टीम टर्बाइन कंट्रोल्स**
    - बॉयलर फीड पंप (बीएफ़पी) ड्राइव टर्बाइन कंट्रोल
    - स्टेशन कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन / डीसीएस
    - ऑफसाइट / ऑफ बेस कंट्रोल्स / बैलेंस ऑफ प्लांट कंट्रोल्स
    - ऐश हैंडिलिंग प्लांट (एएचपी)
    - कोल हैंडिलिंग प्लांट (सीएचपी
    - ऊर्जा संयंत्रों के जल प्रणालियाँ
    - मिल रिजेक्ट सिस्टम (एमआरएस
    - कंडनसेट ऑन–लोड ट्यूब क्लिनिंग सिस्टम (सीओएलटीसीएस
    - गैस बूस्टर कम्प्रेसर (जीबीसी
    - कंडनसेट पोलिशिंग यूनिट (सीपीयू)
    - हीटिंग, वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी
    - फ्यूल ऑयल अनलोडिंग सिस्टम (एफ़ओयूएस)
- हाइड्रो पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम
- गैस टर्बाइन कंट्रोल सिस्टम
- परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्राइमरी साइकिल कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज (सीसीआईपी)
- न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्बाइन और सेकेंडरी साइकिल कंट्रोल सिस्टम
- सोलर थर्मल ऊर्जा संयंत्र के पावर ब्लॉक
- इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
- सब–स्टेशन ऑटोमेशन (एसएएस)
- गैर–एफएसटी एचवीडीसी नियंत्रण पैनल
- रिफाइनरियों इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम (ईसीएस)
- पावर प्लांटों के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस)
- एमवी / एलवी स्विच गियरों के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफेस सिस्टम

## ट्रांसमिशन सिस्टम कंट्रोल

- ईएचवी और यूएचवी सब–स्टेशन / स्विचयार्ड एआईएस और जीआईएस दोनों प्रकार के जिनकी रेंज 33kV से 765kV तक है।

- एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम
- फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफ़एसीटीएस) सोल्यूशन
    - फिक्ड सीरीज कंपनसेशन (एफ़एससी)
    - एसटीएटीसीओएम
    - कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर)
    - फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉरमर (पीएसटी)
- पावर सिस्टम स्टूडियो

## सॉफ़्टवेयर सिस्टम समाधान

- थर्मल यूटिलिटीज के लिए प्रदर्शन विश्लेषण, निदान और अनुकूलन (पीएडीओ)।
- प्रदर्शन गणना और अनुकूलन प्रणाली और वास्तविक समय प्रदर्शन डेटा निगरानी प्रणाली
- डीसीएस से थर्ड पार्टी सिस्टम तक ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस (ओपीसी) कनेक्टिविटी
- एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (ईएएमएस)
- ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर
- रिमोट मॉनिटरिंग एवं डायग्नोस्टिक सिस्टम (आरएमडीएस)

## स्विचगियर

- मध्यम वोल्टेज वैक्यूम स्विचगियर, इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए, वोल्टेज रेटिंग 36 केवी के लिए और गैस इंसुलेटिड स्विचगियर्स 420 केवी तक के।
- इनडोर स्विचगियर
    - थर्मल, परमाणु, पनविद्युत और कम्बाईंड साइकिल (संयुक्त चक्र) पावर प्लांट परियोजनाओं के लिए 12 केवी, 50 केए और 4000 एएमपी तक के
    - उद्योगों, सौर ऊर्जा संयंत्र और रिफाइनरियों के लिए 36 केवी, 31.5 केए, 2000 एएमपी तक के
    - वितरण प्रणाली के लिए कॉम्पैक्ट स्विचगियर 12 केवी, 25 केए, 1250 एएमपी के
- आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
    - डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए 12केवी, 26.5 केए, 1250 एएमपी
    - ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए 36केवी, 25केए, 1600 एएमपी
    - ट्रैक साइड रेलवे अनुप्रयोग के लिए 25 केवी (52 केवी क्लास), 20 केए, 1600 एम्पियर
- गैस इंसुलेटिड स्विचगियर्स
    - रिफाइनरियों, शहरी वितरण और उद्योगों के लिए 36 केवी, 40 केए, 2500 एम्पियर (सिंगल बसबार और डबल बसबार डिजाइन)
    - ट्रांसमिशन क्षेत्र के लिए 420के वी, 40के ए, 3150 एम्पियर (हाइड्रो स्टेशन/थर्मल पावर प्लांट/अन्य सबस्टेशन)
    - 420 केवी गैस इंसुलेटेड बस डक्टर

## ऑन लोड टैप चेंजर्स (ओएलटीसी)

- 765 केवी क्लास ट्रांसफार्मर तक ऑन लोड टैप चेंजर और 765 केवी तक ऑफ सर्किट टैप स्विच, पावर ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर इत्यादि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए 500 एमवीए क्लास ट्रांसफार्मर।

## एलटी स्विचगियर और बस डक्ट्स

- ऐसे यूटिलिटीज़ जिनके जनरेटर की पावर आउटपुट क्षमता 800 मेगावाट तक है उनके लिए अनुरूप उपकरणों सहित बस डक्ट्स।
- थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, न्यूक्लियर, सीपीपी और स्टील उद्योग के लिए 415 वोल्ट एलटी स्विचगियर।

## ट्रांसफार्मर्स और रिएक्टर्स

- 1200 केवी, वोल्टेज तक के लिए पावर ट्रांसफार्मर
- जनरेटर ट्रांसफार्मर (600 एमवीए, 420 केवी, 3 पीएच / 400 एमवीए, 765 केवी, 1 पीएच / 500 एमवीए, 420 केवी, 1 पीएच तक के )
- ऑटो ट्रांसफार्मर (1000 एमवीए, 400 केवी, 3 पीएच / 600 एमवीए, 400 केवी, 1 पीएच / 500 एमवीए, 765 केवी, 1 पीएच / 1000 एमवीए, 1200 केवी, 1 पीएच तक के)
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन के लिए कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर / स्मूथिंग रिएक्टर (600 एमवीए, ±800 केवी तक के) / (254 एमवीएआर, ±500 केवी तक के)।
- शंट रिएक्टर (150 एमवीएआर, 420 केवी, 3 पीएच / 110 एमवीएआर, 765 केवी, 1पीएच) तक के।
- फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम अनुप्रयोगों के लिए कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर्स (200 एमवीएआर, 420 केवी, 3 पीएच / 200 एमवीएआर, 420 केवी, 1 पीएच / 200 एमवीएआर, 765 केवी, 1 पीएच) तक के।
- ट्रांसमिशन लाइनों के लिए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर (500 एमवीए, 400 केवी, 3 पीएच तक के / 500 एमवीए 400 केवी 1 पीएच तक के)
- इन्स्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स
    - करंट ट्रांसफॉर्मर्स 400 केवी तक के
    - इलेक्ट्रो–मैग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स 220 केवी तक के
    - कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स (33केवी से 1200केवी)
    - एचवीडीसी परियोजनाओं के लिए 24 केवी पीआर क्लास करंट ट्रांसफॉर्मर्स
- स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स
    - रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर (120 केए, 132 केवी तक के)
    - फर्नेस ट्रांसफॉर्मर (33 केवी, 60 एमवीए तक के)
- ईएसपी ट्रांसफॉर्मर 95 केवीपी, 1600 एमए तक के
- ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर 15 एमवीए, 33केवी तक के
- पावर ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कम्पोजिट मॉनिटरिंग सिस्टम।

## कैपेसिटर्स

- एच.टी. कैपेसिटर्स
- शंट, सीरीज और एसवीसी (स्टेटिक वीएआर कंपनसेशन), हार्मोनिक फिल्टर और एचवीडीसी अनुप्रयोग (3.3केवी से 500 केवी, 1 पीएच / 3 पीएच कैपेसिटर बैंक)
- सीवीटी (33केवी जव 1200केवी ) के लिए कैपेसिटर डिवाइडर

- ट्रांसमिशन लाइन के लिए कपलिंग कैपेसिटर (33केवी से 800 केवी, 4400 पीएफ़ से 13200 पीएफ़)
- जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए सर्ज कैपेसिटर (11 केवी से 40 केवी)

## बुशिंग्स

- ट्रांसफॉर्मर अनुप्रयोगों के लिए ऑयल इम्परग्नेटेड पेपर (ओआईपी) कंडेनसर बुशिंग्स 52 से 500 केवी
  - 25 केवी लोकोमोटिव बुशिंग्स
  - 245 केवी तक वाल बुशिंग

## कंट्रोल गीयर

- उद्योगों / विद्युत संयंत्रों में ईएसपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर
- डिजिटल स्टेटिक एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम (2000 ए, 400 वी डीसी के साथ रिडंडंट थाइरिस्टर स्टैक्स और डीसी फील्ड ब्रेकर)
- पीएलसी आधारित डिजिटल कंट्रोल्स सहित लार्ज करंट रेक्टिफायर्स
- ईएचवी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल्स (400 केवी तक के)
- एससीएपी, थाइरिस्टर, आरएपीसीओएन और एसटीएटीसीओएन पैनल्स

## इंसुलेटर और सिरेमिक

- पोर्सलेन इंसुलेटर्स
  - ट्रांसफॉर्मर और एसएफ6 सर्किट ब्रेकर के लिए 765 केवी तक के खोखले इंसुलेटर।
  - सबस्टेशन अनुप्रयोगों के लिए बस पोस्ट एंव आइसोलेटर्स हेतु 400 केवी तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर
- कम्पोजिट लॉन्ग रॉड इंसुलेटर्स
  - एचवीडीसी अनुप्रयोगों के लिए ±800केवी, 420केएन तक के
  - एचवीएसी अनुप्रयोगों के लिए 765केवी, 210केएन तक के
  - भारतीय रेलवे के लिए ट्रैक्शन इंसुलेटर्स स्टेआर्म, ब्रैकेट और 9 टन इंसुलेटर्स।
- थर्मल पावर प्लांट और ऐश स्लरी अनुप्रयोगों के लिए सेरामिक लाइनिंग (सेरालीन) वीयर रेजिस्टेंट मैटेरियल।
- औद्योगिक और स्पेशल सेरामिक्स
  - बॉयलर ड्रम में वाटर लेवल मॉनिटरिंग के लिए प्रयोग होने वाले ईडबल्यूएलआई–इलेक्ट्रोनिक वाटर लेवल इंडिकेटर (बीएचईएल विजन सिस्टम)
  - क्रिसमस ट्री वाल्व के लिए सिरेमिक और टंगस्टन कार्बाइड फ्लो बीन्स।
  - थर्मल पावर प्लांट में पल्वराइजिंग के लिए ग्राइंडिंग मीडिया

## इलेक्ट्रिकल मशीन्स

- सुरक्षित क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए एसी मशीनें
  - स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर – 150 किलोवाट से 22000 किलोवाट
  - स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर – 150 किलोवाट से 10000 किलोवाट
  - सिंक्रोनस मोटर – 1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट
  - वेरिएबल स्पीड मोटर – 150 किलोवाट से 22000 किलोवाट (स्क्वेरल केज मोटर)
  - वेरिएबल स्पीड मोटर – 1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट (सिंक्रोनस मोटर)
- खतरनाक क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए एसी मोटर (फ़िक्स्ड स्पीड या वीएफ़डी के साथ)
  - फ्लेम–प्रूफ स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर – (150 किलोवाट से 1500 किलोवाट)
  - नॉन–स्पार्किंग स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर – (150 किलोवाट से 22000 किलोवाट )
  - इंक्रीज्ड सेफ्टी स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर – (150 किलोवाट से 4000 किलोवाट )
  - प्रेशराइज्ड स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर (एक्स पी) (150 किलोवाट से 22000 किलोवाट)
- प्रेशराइज्ड सिंक्रोनस मशीनें (एक्स 'पी') (1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट)
- औद्योगिक अल्टरनेटर (स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और डीजल इंजन चालित) (3000 केवीए से 25000 केवीए)
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के, प्राइमरी कूलेंट पंपों के लिए वर्टिकल मोटर
- मिनी / माइक्रो हाइड्रो प्लांट के लिए इंडक्शन जनरेटर (300 केवीए से 6000 केवीए)
- 2 पोल एयर कूल्ड स्टीम / गैस टर्बाइन चालित जनरेटर (3 मेगावाट से 160 मेगावाट)
- 4 पोल एयर कूल्ड स्टीम / गैस टर्बाइन चालित जनरेटर (3 मेगावाट से 40 मेगावाट)
- 2 पोल हाइड्रोजन कूल्ड स्टीम / गैस टर्बाइन चालित जनरेटर 36 मेगावाट से 270 मेगावाट तक के
- मरीन अनुप्रयोगों के लिए 200kw HTSC मोटर
- 5 मेगावॉट तक के स्थायी चुंबक आधारित जनरेटर।
- 270 मेगावाट तक के गैस टरबाइन जनरेटर
- 2 मेगावाट तक के सिंगल बीयरिंग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अल्टरनेटर।

# रेल परिवहन

## परिवहन प्रणालियां

- एसी इलेक्ट्रिक इंजन (9000 एचपी, 25 केवी एसी तक के)
- एसी–डीसी ड्यूल वोल्टेज इलेक्ट्रिक इंजन
- एसी ईएमयू (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) कोच
- मेट्रो कोच
- निम्नलिखित के लिए ट्रैक्शन प्रोपल्शन सिस्टम:
  - 6000 एचपी और 9000 एचपी आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव
  - 3–चरण आईजीबीटी आधारित एसी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) और मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू)
  - वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (एसीईएमयू)
  - DC ड्राइव के लिए ACEMU इलेक्ट्रिक्स
  - सेमी हाई स्पीड ट्रेनसेट (वंदे भारत)
  - 1600 एचपी आईजीबीटी आधारित डेमू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट)

- मेट्रो ट्रेन
- 1600HP मल्टी–जेनसेट लोकोमोटिव
- पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ WAG7 लोकोमोटिव
- डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार
- डीजल–इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव (3250 एचपी तक)
- ओएचई रिकॉर्डिंग–सह–परीक्षण कार
- गतिशील ट्रैक स्टेबलाइजर्स
- रेल सह सड़क वाहन
- टीसीएमएस (ट्रेन नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली) पैनल

## परिवहन उपकरण

- ट्रैक्शन कन्वर्टर और सहायक कनवर्टर
- वाहन नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स
- होटल लोड कनवर्टर
- ट्रैक्शन कन्वर्टर और होटल लोड कनवर्टर सहित कम्पोजिट कनवर्टर
- मेनलाइन लोको के लिए मोटर चालित बोगियाँ
- ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर
    - पारंपरिक लोकोमोटिव के लिए 5400 केवीए तक
    - 3 चरण ड्राइव लोकोमोटिव के लिए 9000 केवीए तक।
    - 1200 केवीए तक पारंपरिक एसी ईएमयू/एमईएमयू
    - 3 फेज ईएमयू के लिए 1578 केवीए तक के
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए 3–चरण एसी ट्रैक्शन मोटर्स (एक्सल लटका हुआ/पूरी तरह से निलंबित प्रकार) (1200 किलोवाट तक)
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए डीसी ट्रैक्शन मोटर्स (630 किलोवाट तक)।
- डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए ट्रैक्शन अल्टरनेटर (3860 किलोवाट तक)।
- 2000 किलोवाट तक ट्रैक्शन जेनरेटर
- गतिशील ब्रेकिंग सिस्टम के लिए डीसी ब्लोअर मोटर्स (50 किलोवाट तक)।
- सहायक आवश्यकताओं के लिए मोटर जेनरेटर सेट (25 किलोवाट तक)।
- एड़ी करंट क्लच
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए ट्रैक्शन गियर और पिनियन
- विशिष्ट वैगन (28 एक्सल तक, 296 टन)
- रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण
- व्हील और एक्सल मशीनिंग

## डिफेंस और एयरोस्पेस

- नौसैनिक जहाजों के लिए सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) 76/62
- नौसेना के जहाजों के लिए एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस)।
- इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम (आईबीएस)
- स्टेटिक मुख्य मोटर जनरेटर (एसएमएमजी)
- कन्ट्रोल्स सहित रोटरी मेन मोटर जनरेटर (आरएमएमजी)
- स्थायी चुंबक (पीएम) आधारित रिजर्व प्रोपल्शन मोटर और ड्राइव
- ड्राइव कन्ट्रोल्स के साथ फ्रीक्वेंसी कनवर्टर (पीएम आधारित और पारंपरिक मोटर आधारित)
- वाहनों, प्लेटफ़ॉर्मों, रेडारों, विमानों, मिसाइलों और सभी रक्षा और पैरामिलिटरी बलों के लिए प्रशिक्षण सिम्युलेटर
- टैंक आर्मर के लिए थर्मोप्रेस्ड कॉम्पोनेंट्स, इनमें टी–72 टैंक्स के लिए टरेट कास्टिंग भी शामिल है,
- जैमर के लिए 2 किलोवॉट तरल संचालन प्रणाली, जिसमें चार मॉड्यूल शामिल हैं: एसीएम मॉड्यूल, पंप मॉड्यूल, पीसीएम मॉड्यूल और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण यूनिट
- जहाजों के लिए कास्टिंग और फोर्जिंग्स
- विभिन्न लड़ाकू विमान प्लेटफ़ॉर्मों के लिए ऑनबोर्ड कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स
- प्रक्षिप्त यानों और उपग्रहों के लिए ईंधन टैंक और अन्य घटक
- रिजर्व प्रोपल्शन मोटर के साथ ड्राइव यूनिट
- कॉम्पैक्ट ब्रशलेस एल्टर्नेटर्स
- अंतरिक्ष मानक बैटरीज
- उपग्रहों के लिए सोलर पैनल
- प्रक्षिप्त यानों के लिए लीथियम आयन सेल्स
- विमानों के लिए लीथियम आयन बैटरियाँ

## ऊर्जा संग्रहण प्रणाली और ई–मोबिलिटी

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
- बैटरी ऊर्जा संग्रहण समाधान

## ऑयल फील्ड उपस्कर

- ऑइल रिग – 9,000 मीटर तक की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए एसी–वीएफडी और एसी–एसीआर प्रौद्योगिकी के साथ ऑन–शॉर ड्रिलिंग रिग, 6,100 मीटर तक की सर्विसिंग के लिए वर्क–ओवर रिग, 3,000 मीटर तक की ड्रिलिंग के लिए मोबाइल रिग, जिनमें सही ड्रॉ–वर्क्स और होइस्टिंग उपकरण के साथ–साथ:
    - मास्ट और सबस्ट्रक्चर
    - घूमने वाले उपकरणरू ड्रॉ वर्क्स; रोटरी; स्विवल्स; ट्रैवलिंग ब्लॉक्स
    - इंडिपेंडेंट रोटरी ड्राइव (आईआरडी) यूनिट
    - डेड लाइन एंकर
    - मड सिस्टम जिनमें पंप्स शामिल हैं
    - ट्रिप्लेक्स मड पंप्स 5000 पीएसआई काम की दबाव
    - मड प्रोसेसिंग उपकरण: डीगैसर, डीसैंडर
    - सकर रॉड पंप (बीम पंप स्ट्रक्चर और पंपिंग यूनिट गियर रीड्यूसर)
    - ऑयल रिगों का रिफर्बिशमेंट और अपग्रेडेशन

- 1150 एचपी तक के 3–फेज ऑयल रिग मोटर (ड्रॉ वर्क्स, मड पंप, ड्रिलिंग के लिए)
- 1000 एचपी तक के ऑयल रिग मोटर (ड्रॉ वर्क्स, मड पंप, ड्रिलिंग)
- 1750 केवीए तक के ऑयल रिग अल्टरनेटर (एसी पावर पैक के लिए)
- ई760, ई1400, ई2000 और ई3000 रिग के लिए एसी / डीसी पावर कंट्रोल रूम
- डीजी सेट्स के लिए 1430 केपीए तक के एसी पावर पैक
- एसी नियंत्रण मॉड्यूल
- डीसी नियंत्रण मॉड्यूल
- 3 मड पंप तक ड्रिलर कंसोल, आईआरडी और ड्रॉ वर्क नियंत्रण और मॉनिटरिंग, लोड रेटिंग (0–1800 ए, 0–1000 वी)
- मोबाइल लाइटिंग टॉवर, रिग लाइटिंग टॉवर
- एसी रिग्स के लिए एसी– वीएफडी कंट्रोल
- एसी एससीआर रिग्स में पावर फैक्टर सुधार के लिए स्टैटकॉम
- 15,000 पीएसआई तक के वेल हेड्स और क्रिसमस ट्री, मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मैनिफोल्ड, सीबीएम वेलहेड्स, डीएसपीएम एच–मैनिफोल्ड असेम्बली, मड वाल्व्स

## फैब्रिकेटिड उपकरण और मैकेनिकल पैकेज

- क्रायोजेनिक संग्रहण टैंक, माउंडेड स्टोरेज सिस्टम और स्टोरेज स्फीयर्स
- दबाव वेसल्स, कॉलम्स, रिएक्टर्स/ सेपरेटर्स, हीट एक्सचेंजर्स
- फायर्ड हीटर्स
- पर्ज गैस रिकवरी यूनिट
- चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए प्रेशर वैक्यूम स्विंग एडजॉर्पशन (पीवीएसए) ऑक्सीजन सिस्टम (एमओ2)
- गियर बॉक्स
- गैस टरबाइन एप्लिकेशन के लिए एक्सेसरी और लोड गियर बॉक्स
- स्टीम टरबाइन एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स
- बॉयलर फीड पंप ड्राइव टरबाइन (बीएफपी डीटी) एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स
- एयर कूल्ड कंडेंसर (एसीसी) फैन एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स
- सकर रॉड पंप (एसआरपी) एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स
- इंडिपेंडेंट रोटरी ड्राइव (आईआरडी) के लिए गियरबॉक्स
- एसी ड्रॉ वर्क्स के लिए गियरबॉक्स
- सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स

# शब्दकोष

एसीसी एयर कूल्ड कंडेनसर
एएफ़क्यूएमएस–फर्मों और उसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का अनुमोदन
एआरएआई ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एयूएससी एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल
बीईएसएस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड
बीएसई मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज
बीटीजी बॉयलर टर्बाइन जेनरेटर
सी एंड आई कंट्रोल एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन
सीएएसआईडीसी–लड़ाकू विमान प्रणाली विकास एवं एकीकरण केंद्र
सीईए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईएमआईएलएसी– सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केंद्र
सीएफबीसी सर्कुलेटिंग फल्युडाइज्ड बैड कम्बस्टन
सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड
सीपीआईओ केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीएसई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
सीएसआईआर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसपीजीसीएल–छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी
सीएसआर कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीवीसी केंद्रीय सर्तकता आयोग
डीपीई लोक उद्यम विभाग
ईडी कार्यपालक निदेशक
ईएचवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज
ईएमयू इलेक्ट्रिक मल्टिपल यूनिट
ईपीसी इंजीनियरिंग, क्रय तथा निर्माण
ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर
ईवी इलेक्ट्रिक वाहन
एफएसीटीएस फलेक्सिसबल अल्टरनेंटिंग करटं ट्रांसमिशन सिस्टम
एफजीडी फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन
जेम गवर्नमेंट ई– मार्केट प्लेस
जीआईएस गैस इंसुलेटिड सब स्टेशन
जीएसईसीएल गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
एचएएल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
एचवीडीसी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट
आईसीएआई इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया
आईसीएफ इंटेग्रल कोच फैक्ट्री
आईजीबीटी इंसुलेटेड–गेट बाइपोलर ट्रांसिस्टर
आईजीसीएआर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईओसीएल इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
आईपीएम एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली
आईपीआर बौद्धिक सम्पदा अधिकार
आईआर इंडियन रेलवे
आईएसएमएस सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
आईएसओ मानकीकरण के लिए शृंखला संगठन
इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
केपीसीएल कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एलसीए लाईट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट
एलआईएस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम
एमईआईएल मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रेक्चर लिमिटेड
एमईएमयू मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एमओयू समझौता ज्ञापन
एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसआर मेल्टन साल्ट रियक्टर
एनईपी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान
एनएलसीआईएल एनएलसी इंडिया लिमिटेड
एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
ओईएम मूल उपकरण विनिर्माता
पीसीपी पावर साइकिल पाइपिंग
पीएफ़बीजी प्रेसराइज्ड फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन
आर एंड डी अनुसंधान एवं विकास
आर एंड एम नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
आरपीसीएल रायचूर पावर कंपनी लिमिटेड
एससीओपीई स्टेंडिंग कॉनफ्रेंस आफ पब्लिक एंटरप्राईजेज
एससीआर सलेक्टिव केटल्यटिक रिडक्सन
सेबी भारतीय प्रतिभूती एवं विनिमय बोर्ड
एसजी स्टीम जनेरेटर
एसपीवी सोलर फोटो वाल्टाइक एसआरजीएम सुपर रैपिड गन माउंट
एसटीजी स्टीम टर्बाइन जेनरेटर
एसटीपीपी सुपर थर्मल पावर प्लांट
टेनजेनको– तमिलनाडु जनरेशन व ड्रिस्ट्रीब्यशन कॉर्पोरेशन
टीसीए प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते
टीसीएमएस ट्रेन नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रणाली
टीजी टरबाईन व जनरेटर
टीपीडी टन प्रति दिन
टीपीपी थर्मल पवार प्लांट
टीपीएस ताप विद्युत संयंत्र
टीआरएसएल टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड
यूबी यूटिलिटी बॉयलर
यूएचवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज
वीएफडी वैरियेवल फ्रीक्वेंसी ड्राईव
डबल्यूएजी डबल्यू (ब्राड गेज),ए (एसी ट्रेक्शन),जी (गुड्स ड्यूटी)
डबल्यूबीपीडीसीएल– वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

# शब्दावली (वित्तीय पारिभाषिक शब्द)

**लेखांकन नीतियांः** लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत एवं इनके अनुप्रयोग की विधियां हैं जिन्हें कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने व प्रस्तुत करने हेतु अपनाया गया है।

**उपचय (अक्रुअल):** वित्तीय विवरण व्यापारिक (मरसेंटाइल) प्रणाली पर तैयार किया गया है। संव्यवहार व अन्य घटनाओं के प्रभावों को उनके होने पर मान्यता दी जाती है व लेखांकन अभिलेखों में इनकी गणना की जाती है एवं संबंधित समयावधि के वित्तीय विवरण में इनका उल्लेख किया जाता है।

**परिशोधनः** एक अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि सुव्यवस्थित रूप से आंबटित करना परिशोधन है।

**तुलन पत्रः** तुलन पत्र एक इकाई की वित्तीय स्थिति का विवरण है जो किसी समय विषे पर परिसंपत्तियों, दायित्वों एवं स्वामी की इक्विटी को दर्शाता है।

**बोनस शेयरः** बोनस शेयर एक शेयरधारक के स्वामित्वो वाले शेयरों के आध ाार पर, निर्बंध आरक्षित शेयरों में वर्तमान शेयरधारक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदत्त अतिरिक्त शेयर है।

**बही मूल्यः** वह राशि जो लेखा बही अथवा वित्तीय विवरण में किसी मद के लिए दर्शाई गई है।

**शेयरों की पुनः खरीदः** पुनः खरीद शेयरों की पुनर्क्रय के रूप में भी

जाना जाता है जब एक कंपनी खुले बाजार में अपने शेयरों की उपलब्धता कम करने हेतु उसके स्वयं के बकाया शेयर क्रय करती है।

**नियोजित पूंजी की गणनाः** पूंजी डब्ल्यूआईपी पूंजी, विकासशील अमूर्त संपत्तियों एवं आस्थगित कर संपत्तियों को इकाई का निवल मूल्य घटाकर की जाती है।

**आरक्षित पूंजीः** किसी इकाई की आरक्षित पूंजी वह है जो लाभांश के रूप मे वितरित की जाने हेतु उपलब्ध हो।

**पूंजी मोचन आरक्षित निधिः** कंपनी ने अपनी सामान्य आरक्षित निधि से इक्विटी शेयरों के क्रय पर पूंजी मोचन आरक्षित निधि को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित निधि की राशि पुनः क्रय किए गए इक्विटी शेयरों की राशि के तुल्य है।

**नकदी व नकदी समतुल्यः** नकद में नकद एवं मानित (डीम्ड) जमा राशियां सम्मिलित है। नकद समकक्ष अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश हैं जो सरलता से ज्ञात नकद राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के एक तुच्छ जोखिम के अधीन हैं।

**अनुबंधित परिसंपत्तियांः** अनुबंधित परिसंपत्तियां (अस्थिगित देनदार व अगण्य राजस्व) उन राशियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध शर्तों/तय कार्यक्रम पर सहमति के अनुसार अभी भुगतान हेतु देय नहीं है। यह अनुबंध संबंधित गतिविधियों/तय शुदा चरणों के पूरा होने पर देय होगा।

**अनुबंध देयताः** इकाई का दायित्व एक ग्राहक के लिए वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करना है जिसके लिए ग्राहक से इकाई को प्रतिफल (या राशि बकाया है) प्राप्त हो चुका है।

**आकस्मिक देयताएं हैंः**

(क) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्व और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की

घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में

नहीं हैं

अथवा

(ख) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता जिसे मान्यता नहीं दी गई

क्योंकिः

(i) यह संभाव्य नहीं है कि दायित्वों के निपटान हेतु आर्थिक लाभ

प्राप्तं करने वाले स्त्रोतों का बहिर्वाह आवश्यक होगा।

अथवा

(ii) देयताओं की राशि पर्याप्त विष्वसनीयता के साथ आकलित कर पाना संभव नहीं है।

**समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)ः** समेकित वित्तीय विवरण किसी समूह के वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें किसी मूल कंपनी व उसकी सहायिकाओं के लिए परिसंपत्तियां, देयताएं, इक्विटी, तरलता, आय, व्यय एवं नकद प्रवाह को एक आर्थिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

**ऋण जोखिमः** जोखिम एक पार्टी का वित्तीय लिखित में अन्य पार्टी को देयताएं का निर्वहन में विफल होने के कारण होने वाली वित्तीय हानि है।

**चालू अनुपातः** चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो एक वर्ष के भीतर की देयताएं एवं अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की योग्यता का आंकलन करता है। इसकी गणना वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्तमान दायित्वों से विभाजित करके की जाती है।

**वर्तमान परिसंपत्तियांः** एक संपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति में वर्गीकृत किया जाता है जबः

क) संपत्ति को उसके सामान्य परिचालन चक्र में वास्विकक माना जा सके, या विक्रय या उपभोग का प्रयोजन हो सके

ख) प्राथमिक तौर पर इसे व्यापारिक उपयोग हेतु रखा हो

ग) सूचित समयकाल से 12 माह के भीतर इसे वास्ताविक माने जाने की अपेक्षा की जाती है, अथवा

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि परिसंपत्ति को

परिवर्तित किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग

अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान

करने के लिए उपयोग किया जाता है।

**वर्तमान देयताएंः** किसी देयता को वर्तमान देयता में वर्गीकृत किया जाता है जबः

क) यह अपेक्षित हो कि देयता को उसके सामान्य परिचालन चक्र में ही निपटाया जाए।

ख) प्राथमिक तौर पर इसे व्यापारिक उपयोग हेतु रखा गया हो

ग) सूचित समयकाल से 12 माह के भीतर इसे वास्ताविक माने जाने की अपेक्षा की जाती है, अथवा

घ) इसे सूचित समयकाल से कम से कम 12 माह तक देयताओं के

भुगतान को टालने का बिना शर्त अधिकार नहीं होगा।

**वर्तमान कर व्ययः** वर्तमान कर किसी अवधि के लिए कर योग्य लाभ (हानि) के संदर्भ में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है

**आस्थगित कर्जः** आस्थगित कर्ज वे कर्ज हैं जो अनुबंध शर्तों के अनुसार

चिह्नित उपलब्धियों जैसे ट्रायल ऑपरेशन, पीजी टेस्ट इत्यादि पर देय बन जाएंगे।

**आस्थगित करः** आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तिथि को

अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर कानूनों व दरों का उपयोग कर की जाती है।

**आस्थगित कर परिसंपत्तिः** आस्थगित कर परिसंपत्ति कटौती योग्य अस्थायी अंतर, आगे अग्रेषित अप्रयुक्तं कर हानि एवं आगे अग्रेषित अप्रयुक्त कर जमाओं के संदर्भ में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की राशियां हैं।

**आस्थगित कर देयताः** आस्थगित कर देयता कर योग्य अस्थाई अंतर के संदर्भ में देय आयकर की राशियां है।

**परिभाषित लाभ योजनाएंः** परिभाषित लाभ योजनाएँ परिभाषित अंशदान योजनाओं के अतिरिक्त रोजगारोपरांत लाभ योजनाएं हैं, जिसके तहत एक इकाई एक अलग इकाई (एक फंड) में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और इस पर आगे कोई योगदान देने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा, यदि फंड वर्तमान और पूर्व अवधि की कर्मचारी सेवा के लिए सभी कर्मचारी लाभों से संबंधित भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं रखता है।

**प्रति शेयर लाभांशः** इसकी गणना वर्ष के लिए कुल लाभांश (लाभांश

वितरण कर को हटा कर) को कुल बकाया इक्विटी शेयरों की संख्यां से विभाजित कर जाती है।

**मूल्यह्रासः** मूल्यह्रास एक परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि का व्यवस्थित आबंटन है।

**लाभांश वितरण करः** यह कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में किसी भी राशि के घोषित, वितरित अथवा भुगतान किए जाने पर कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त आयकर है।

**ईबीआईडीटीए** से अर्थ है ब्याज, कर, मूल्ययह्रास और परिशोधन के पूर्व अर्जित आय। परिचालन ईबीआईडीटीए का निर्धारण अन्य आय को ईबीआईडीटीए से घटाकर किया जाता है।

**प्रति शेयर आय (ईपीएस):** यह वर्ष के दौरान प्रति शेयर आय को दर्शाता है, जिसकी गणना कर अदायगी बाद लाभ को कुल बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की जाती है।

**इक्विटी पद्धतिः** लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग किसी कंपनी के संयुक्त उद्यम में विनिवेश आकार के अनुपात में संयुक्त उद्यम से अर्जित कुल आय के निर्धारण हेतु किया जाता है। इक्विटी पद्धति लेखांकन की एक पद्धति जिसमें निवेश को पहले लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशक की कुल परिसंपत्तियों के शेयर में अधिग्रहण के बाद परिवर्तन हेतु समायोजित किया जाता हैं।

**अपेक्षित ऋण हानिः** अनुबंध के अनुसार किसी इकाई को देय सभी

अनुबंधित नकद प्रवाह और एक इकाई द्वारा प्रभावी मूल ब्याज दर पर प्राप्त छूट लेने पर अपेक्षित नकदी प्रवाह का अंतर है।

**उचित मूल्यः** उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा या निर्धारित तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक क्रमबद्ध लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

**वित्तीय परिसंपत्तिः** कोई भी परिसंपत्ति जो,

क) नकद हो,

ख) किसी अन्य संस्था का इक्विटी लिखत

या

ग) किसी अन्य संस्था से नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने या किसी अन्य संस्था के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयता का आदान–प्रदान करने का संविदात्मक अधिकार,

घ) एक अनुबंध जो किसी संस्था के स्वयं के इक्विटी लिखत में तय होगा या हो सके।

**वित्तीय देयताः** कोई भी देयता जो,

क) किसी अन्य संस्था को नकद रुप में देय हो

या

जिसे अन्य वित्तीय संपत्ति के रुप में प्रदान करने या किसी अन्य संस्था के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयता का आदान–प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व हो

ख) एक अनुबंध जो किसी संस्था के स्वयं के इक्विटी लिखितों में तय होगा या हो सके।

**वित्तीय लिखतः** कोई भी अनुबंध जो किसी संस्था की वित्तीय परिसंपत्ति एवं अन्य संस्था के वित्तीय दायित्वों अथवा इक्विटी लिखित का मूल्य बढ़ाएं।

**वित्तीय गतिविधियांः** ऐसी गतिविधियां जिनके कारण किसी संस्था द्वारा अंशदान की गई इक्विटी और ऋणों के आकार व संयोजन में परिवर्तन होते हैं।

**सामान्य आरक्षित निधिः** सामान्य आरक्षित निधि किसी कंपनी की संचित आय हैं जो भविष्य की आवश्यकताओं (ज्ञात या अज्ञात) की पूर्ति हेतु अलग से रख दी जाती है।

**कार्यशील संस्थाः** इसका अर्थ उस इकाई से है जिसका निकट भविष्य मे परिचालन बंद करने का कोई प्रयोजन न हो।

**धारक/नियंत्रक कंपनीः** एक या अन्य अधिक कंपनियों के संबंध में "धारक/नियंत्रक कंपनी" का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसकी ये कंपनियां सहायिका हैं।

**इंपेयरमेंट लॉसः** इंपेयरमेंट लॉस वह राशि है जो किसी संपत्ति अथवा नकदी निर्माता इकाई से उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। किसी संपत्ति अथवा नकदी निर्माता इकाई की वसूली योग्य राशि निपटाने की लागत कम करके उचित मूल्य और इसके उपयोगी मूल्य में से जो अधिक हो वह राशि है।

**भारतीय लेखांकन मानक (संक्षेप में इंड एएस)** : कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखांकन मानक हैं।

**अमूर्त संपत्तिः** अमूर्त संपत्ति अभिज्ञेय गैर–मौद्रिक अभौतिक वस्तु है।

**दिनों की संख्या में इंवेंट्रीः** यह इंवेन्ट्री को राजस्व से विभाजित कर इसका गुणा वर्ष में दिनों की संख्या से करके ज्ञात किया जाता है।

**निवेश गतिविधियाँः** निवेश गतिविधियाँ दीर्घकालिक संपत्तियों तथा नकद समकक्षों में न आने वाले निवेशों का अधिग्रहण और निपटान है।

**संयुक्त उद्यमः** संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले संगठनों के पास व्यवस्था की निवल परिसंपत्ति के अधिकार होते हैं।

**लिक्विडिटी जोखिमः** वह जोखिम है जो एक इकाई जब और जैसे अपेक्षित वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों के निवर्हन में अनुभव कर सकती है।

**बाजार जोखिमः** बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय विलेख के उचित दाम और भावी नकद प्रवाह में होने वाले उतार–चढाव का जोखिम। बाजार जोखिम तीन प्रकार के होते हैं। मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, और अन्य कीमत जोखिम।

**निवल लाभ/(हानि) मार्जिन (%)**: यह परिचालनों से प्राप्त राजस्व के प्रतिषत के रूप में उद्यत लाभ को दर्शाता है जिसकी गणना कर पश्चात लाभ को राजस्व परिचालनों से विभाजित करके की जाती है

**शुद्ध वसूली योग्य मूल्यः** शुद्ध वसूली योग्य् मूल्य व्यापार के सामान्य दौर में अनुमानित विक्रय मूल्य को अनुमानित पूर्णता की लागत व विक्रय के लिए आवश्यक अनुमानित लागत से घटाकर ज्ञात किया जाता है।

**निवल मूल्यः** किसी इकाई की निवल परिसंपत्तियों के बही मूल्य का इसकी देयताओं से अधिकता निवल मूल्य है। यह शेयर धारकों की निधि के रूप में भी जाना जाता है।

**प्रति शेयर निवल मूल्यः** प्रति शेयर निवल मूल्य की गणना निवल मूल्य को बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर किया जाता है।

**अनियंत्रित हितः** किसी मूल कंपनी का एक सहायक कंपनी में इक्विटी स्वामित्व का वह शेयर है जो उस पर एट्रीब्यूट नहीं होता है, मूल कंपनी का नियंत्रण हित (50% से अधिक लेकिन 100% से कम) है और वह सहायक कंपनी के वित्तीय परिणामों को अपने साथ समेकित करता है।

**गैर चालू संपत्तियांः** गैर चालू संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर अप्रतिबंधित नकदी में परिवर्तित नहीं होने वाली है।

**गैर चालू देयताएंः** गैर चालू देयताएं वे दायित्व हैं जो एक वर्ष के भीतर निपटान हेतु देय नहीं है।

**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**: अन्य व्यापक आय में वे आय और व्यय (पुनःवर्गीकृत समायोजन को मिलाकर) सम्मिलित हैं जो अन्य इंड एएस के द्वारा लाभ या हानि के रूप में मान्य न करने हेतु आवश्यक हैं अथवा अनुमत की गई हैं।

**परिचालन गतिविधियांः** परिचालन गतिविधियां किसी इकाई की प्रमुख राजस्व उत्पादक गतिविधियां एवं अन्य गतिविधियां हैं जो निवेश अथवा वित्तीय गतिविधियां नहीं हैं।

**परिचालन लाभ मार्जिन(%)**: लाभप्रदता निष्पादन अनुपात का उपयोग कंपनी के द्वारा उसके परिचालनों से उत्पन्न लाभ का प्रतिशत की गणना हेतु किया जाता है। इसे कर पूर्व लाभ, कर व अन्य आय को परिचालनों से प्राप्त राजस्व को विभाजित कर परिकलित किया जाता है।

**परिसंपत्ति, संयंत्र एंव उपस्कर (पीपीई)**: परिसंपत्ति, संयंत्र एंव उपस्कर (पीपीई) वे मूर्त मदें हैं; जोः

क) उत्पादन, माल अथवा सेवा की आपूर्ति, अन्य, को किराए पर देने,

अथवा प्रशासनिक उद्देश्यों के उपयोग हेतु रखी हो, और

ख) जिन्हें एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की अपेक्षा हो

**परिचालनों से राजस्वः** किसी संस्था की सामान्य गतिविधियों के दौरान आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह, जो इक्विटी में वृद्धि करते हैं और यह वृद्धि इक्विटी प्रतिभागियों से प्राप्त अंशदान से संबंधित वृद्धि के अलावा होती है।

**शुद्ध मूल्य पर प्रतिफल(%)**: शुद्ध मूल्य पर प्रतिफल किसी कंपनी की

लाभप्रदता आकलन का एक मापक है, जिसकी गणना शुद्ध लाभ को औसत शुद्ध मूल्य (ओसीआई को हटाकर) से विभाजित करके की जाती है।

**परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकारः** वह परिसंपत्ति जो पट्टा अवधि के लिए निर्धारित किसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु, किसी पट्टेदार के अधिकार को दर्शाती है।

**सहायक कंपनीः** सहायक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व व नियंत्रण किसी अन्य कंपनी के द्वारा किया जाता है, जो कि मूल कंपनी या धारक कंपनी कहलाती है।

**कुल व्यापार प्राप्यः** प्राप्य राशियां किसी इकाई का प्रतिफल हेतु बिना

शर्त का अधिकार है। प्रतिफल का अधिकार बिना शर्त के तभी है जब उस प्रतिफल के पूर्व समय की आवश्यकता हो।

## सजगता टिप्पणी (कॉशनरी स्टेटमैंट)

वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षा या अनुमानों का वर्णन करने वाले विवरण, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ की सीमा में हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक विकास, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर व्यक्त किए गए या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

# भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः L74899DL1964GOI004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल , हाउस , सिरी फार्ट , नई दिल्ली –110049
फांन– 011–66337000, फैक्सः 011–66337428–110049
बेवसाईटः www.bhel.com, ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

## सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत हेवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 59वीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, 24 अगस्त, 2023 को भारतीय समयानुसार प्रातः10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग /अन्य ऑडियो विजूयल (वीसी) माध्यमों से निम्नलिखित कार्यनिष्पादन हेतु आयोजित की जाएगीः –

### सामान्य कार्य

1. 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा किए हुए एकल एवं समेकित विवरणों के साथ निदेशक रिपोर्ट व उस पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं स्वीकृत करना।
2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. श्री उपिंदर सिंह मठारू (डीआईएनः 09541886) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दे रहे हैं।
4. श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएनः 09703643) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दे रहे हैं।
5. वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरिक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करना।

### विशेष कार्य

6. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों एवं कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) अधिनियम 2014 (किसी भी संवैधानिक सुधारों तथा इसके पुनः प्रवर्तन सहित वर्तमान में लागू) के अनुपालन में निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों को 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी के व्ययों का लेखापरीक्षा करने हेतु पारिश्रमिक दिया जाएगा, जैसाकि इस बैठक की सूचना के साथ विवरण संलग्न किया गया है और कंपनी के शेयर होल्डर द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।"

   "यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतद द्वारा इस तरह के सभी कार्यों को करने एवं ऐसे सभी उपाय अपनाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जो इस संकल्प को प्रभाव में लाने हेतु आवश्यक, उचित या प्रभावी हो सकते हैं।"

7. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि सुश्री आरती भटनागर (DIN: 10065528), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67(iV) के अनुसार 14.02. 2023 को इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं निदेशक से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्हें लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है।''

8. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "यह संकल्प किया जाता है कि श्री रमेश पाटल्या मावास्कर (DIN: 10194932), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 161 (1) के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार 08.06.2023 को इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं निदेशक से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्हें लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

9. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

"यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण कुमार ठाकुर (DIN: 10172666), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार 04.07.2023 को इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहने के लिए एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं निदेशक से लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्हें लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2023

**सूचनाः–**

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 08.04.2020, 13.04.2020 और 05.05.2020 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 28.12.2022 के परिपत्र (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) में सदस्यों की किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (वीसी) से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक 05.01.2023 के अनुपालन में, सेबी परिपत्र दिनांक 13.05.2022 के साथ पठित, वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 कंपनी **(www.bhel.com),** बीएसई लिमिटेड **(www.bseindia.com),** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **(www.nseindia.com)** की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होगी और ई–वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होगी। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस की हार्ड प्रति उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है।

3. कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी संचार (नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और ई–वोटिंग निर्देश के साथ यूजर आईडी और पासवर्ड) प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिस के साथ संलग्न निर्देशों को देखें।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने और मतदान करने का पात्र सदस्य, अपनी ओर से उपस्थित होने और उसके स्थान पर मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होता है। इस प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम सभा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा के लिए सदस्यों को प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति सूची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।

5. चूंकि यह वार्षिक आम सभा वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, बैठक स्थल का मानचित्र भी इसके साथ संलग्न नहीं हैं।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी के माध्यम से सदस्यों की उपस्थिति वार्षिक आम सभा की गणपूर्ति (कोरम) के प्रयोजन हेतु मान्य की जाएगी।

7. कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अतिरिक्त) को अधिकृत प्रतिनिधिओं के विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षरों सहित बोर्ड के रिज़ॉल्यूशन/अथॉरिटी लेटर आदि की स्कैन की हुई प्रमाणित मूल प्रति (पीडीएफ फाइल) स्क्रूटनाइजर को **ashugupta.cs@gmail.com** पर भेजना और **evoting@nsdl.co.in** को कॉपी करना आवश्यक है।

8. संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के कंपनी सदस्यों को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9. उपर्युक्त वर्णित विशेष कार्यों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुपालन में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण, भी इसके साथ संलग्न है।

10. श्री उपिंदर सिंह मठारू और श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक, रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करते हैं। परन्तु, नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, श्री मठारू और श्री श्रीवास्तव का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो जाएगा यानी क्रमशः 31.08.2023 और 31.12.2024 को। श्री उपिंदर सिंह मठारू और श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव का संक्षिप्त बायोडाटा नोटिस के अनुलग्नक में दिया गया है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसार, 7 वर्षों की अवधि के लिए अवैतनिक/लावारिस रहने वाली लाभांश राशि को केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अंतरिम लाभांश, जो दावा न किया गया हो, क्रमशः 24.10.2023 और 08.03.2024 को उक्त खाते में अंतरित करने का प्रस्ताव है।

   जिन सदस्यों ने 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष या उसके बाद के किसी वित्तीय वर्ष के लिए अब तक अपने लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है, वे निर्धारित 7 वर्षों की अवधि की समाप्ति से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

12. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की पेड–अप इक्विटी शेयर पूंजी पर 20% (प्रत्येक 2 रुपये के प्रति शेयर 0.40 रुपये) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर देय होगा। यानी 22 सितंबर, 2023 को या उससे पहले उन सदस्यों को जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों की सूची में शामिल हैं।

   लाभांश आय शेयरधारकों के लिए कर योग्य है और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) में निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश के स्रोत से कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होती है।

भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आधार पर फॉर्म 15जी/15एच जमा करें और अपनी डिपॉजिटरी के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी के बारे में विवरण अपडेट करें। प्रतिभागियों या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास, ताकि भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश भुगतान के संबंध में लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर, यदि कोई हो, काटा जा सके।

13. सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में, सभी सूचीबद्ध कंपनियां लाभांश भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा जैसे कि ईसीएस / एनईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट आदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेंगी। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस/इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) अधिकार पत्र हेतु विधिवत भरा हुआ व हस्ताक्षरित फार्म (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) जमा करें ताकि कंपनी द्वारा ईसीएस के माध्यम से धनराशि खातों में जमा की जा सके।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पता और एनईसीएस/ईसीएस विवरण सहित अन्य संबंधित पत्राचार में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करें और स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करें:–

    i. अपने इलेक्ट्रिनिक शेयर खातों के संबंध में अपने डिपोसिट्री भागीदार (डीपी) को, और

    ii. कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स अलंकिट असाइनमेंट्स लिमिटेड (4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055) को उनके भौतिक शेयरों के संबंध में, **www.bhel.com/shareholders-information** पर उपलब्ध प्रपत्रों के प्रारूप में भर कर भेजें।

15. सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 72 के अनुरूप ऐसे किसी व्यक्ति को मनोनीत करते हुए नामांकन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं जिन्हें, उनकी मृत्यु की दशा में, कंपनी में उनके शेयर विहित होंगे।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 142 (1) के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। शेयरधारक मण्डल को 2023–24 के लेखापरीक्षकों का उपर्युक्त पारिश्रमिक जो मण्डल द्वारा उचित समझा जाए, नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकते हैं।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों की रुचि है, बनाए रखा जाता है और संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव किया जाता है। यह एजीएम के दौरान सदस्यों के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा।

18. नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज इस नोटिस के जारी होने की दिनांक से वार्षिक आम सभा की दिनांक तक सदस्यों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य shareholderquery@bhel.in पद पर ईमेल भेज सकते हैं।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। प्रस्तावों को एनएसडीएल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई–वोटिंग) द्वारा एजीएम में पारित करने का प्रस्ताव है। वे सदस्य जिनके नाम गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 (कट–ऑफ तिथि) को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, वे ई–वोटिंग/एजीएम के प्रयोजन के लिए मतदान करने के पात्र होंगे और एक व्यक्ति जो सदस्य नहीं है कट–ऑफ तिथि के अनुसार इस नोटिस को केवल सूचना प्रयोजनों के लिए माना जाना चाहिए। ई–वोटिंग की अवधि सोमवार, 21 अगस्त 2023 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी और बुधवार, 23 अगस्त 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। ई–वोटिंग मॉड्यूल 23 अगस्त 2023 को शाम 5.00 बजे ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी 17 अगस्त, 2023 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

20. ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना मत ई–रिमोट से एजीएम के पहले किया हो और वे बैठक में उपस्थित रहे हैं तो उनको पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा

21. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान (तात्क्षणिक मतदान) करने की सुविधा वार्षिक आम सभा में उपलब्ध कराई जाएगी और सुविधा वार्षिक आम सभा में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे तात्क्षणिक मतदान के माध्यम से बैठक में मतदान कर सकेंगे।

22. कंपनी ने मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की कंपनी सचिव (एफसीएस नंबर 4123, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर 6646) सुश्री आशु गुप्ता को एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया की जांच के लिए एक स्क्रूटिनाइज़र के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। संवीक्षक, एजीएम में मतदान के समापन के तुरंत बाद, बैठक में डाले गए वोटों और रिमोट ई–वोटिंग के

माध्यम से डाले गए वोटों की जांच करेगा, पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों, यदि कोई हो, की एक समेकित जांचकर्ता रिपोर्ट तैयार करके अध्यक्ष के पास जमा करेगा। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट और परिणाम बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और ये अध्यक्ष/उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट **(www.bhel.com)** और ई–वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट **(www.evoting.nsdl.com)** पर उपलब्ध कराए जाएंगे । परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को भी अग्रेषित किए जाएंगे।

23. वीसी के माध्यम से वार्षिक आम सभा में शामिल होने, दूरस्थ ई–वोटिंग एवं बैठक में (तात्क्षणिक मतदान) की प्रक्रिया के साथ इससे संबन्धित शिकायतों की सुनवाई के लिए संपर्क विवरण सूचना के साथ संलग्न निर्देशों में उपलब्ध कराए गए हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2023

# सूचना का अनुलग्नक

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण में 28 जुलाई, 2023 की संलग्न सूचना के मद संख्या 06 से 09 में उल्लिखित कार्यों से संबंधित भौतिक तथ्यों का उल्लेख है।

**मद सं. 6**

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित एवं उसके बाद सदस्यों द्वारा पुष्टि किया जाने वाला पारिश्रमिक लागत लेखापरीक्षकों को दिया जाना आवश्यक है।

लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर निदेशक मंडल ने 13 जुलाई 2023 को आयोजित बैठक में ₹ 15.76 लाख के कुल पारिश्रमिक के लिए नियुक्ति के लिए सात लागत लेखापरीक्षकों/फर्मों के नामों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:

रु. लाख में

| क्र. सं | लागत लेखा परीक्षकों का नाम | इकाई | वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पारिश्रमिक |
|---|---|---|---|
| 1 | मैसर्स विजेंदर शर्मा एंड कंपनी, दिल्ली | समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट | 1.01 |
| | | हीप हरिद्वार | 2.01 |
| | | सीएफ़एफ़पी हरिद्वार | 0.40 |
| 2 | मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, कानपुर | एचईपी भोपाल | 2.01 |
| | | टीपी झाँसी | 0.81 |
| | | एचईआरपी वाराणसी | 0.40 |
| 3 | मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, हैदराबाद | एचपीईपी हैदराबाद | 2.01 |
| 4 | मैसर्स सुब्रमण्यम राजगोपाल एंड एसोसिएट्स, तिरुचिरापल्ली | एचपीबीपी त्रिची | 2.67 |
| | | बीएपी रानीपेट | 1.33 |
| 5 | मैसर्स मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी, बेंगलुरु | एसबीडी बेंगलुरु | 0.53 |
| | | ईडीएन बेंगलुरु | 0.67 |
| 6 | मैसर्स पालीवाल एंड एसोसिएट्स, लखनऊ | सीएफ़पी रुद्रपुर | 0.40 |
| | | एफ़एसआईपी जगदीशपुर | 0.61 |
| | | आईवीपी गोइंदवाल | 0.40 |
| 7 | मैसर्स एसएसपीजीआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी, विशाखापत्तनम | एचपीवीपी विशाखापत्तनम | 0.53 |
| | | **कुल** | **15.76** |

उपर्युक्त शुल्क लागू करों और अन्य खर्च से अलग हैं जो अतिरिक्त देय हैं।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदार मद क्रमांक 6 में पारित संकल्प से वित्तीय रूप से या अन्यथा किसी प्रकार से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

**मद सं. 7**

सुश्री आरती भटनागर (DIN: 10065528), आयु 57 वर्ष, को 14 फरवरी, 2023 से बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

सुश्री भटनागर के पास अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री है और वे मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा रणनीतिक अध्ययन में एम फिल हैं। सुश्री भटनागर राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं।

वे 1990 बैच की भारतीय रक्षा लेखा सेवा की सिविल सेवक हैं। वे वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

रक्षा बलों के वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा से निपटने में लगभग 25 वर्षों के अनुभव के साथ, उनकी विशेषज्ञता रक्षा अधिग्रहण और खरीद अनुबंधों को संभालने में है। सुश्री भटनागर ने पांच वर्षों तक एसपीजी को संभालने वाले कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव (सुरक्षा) के रूप में काम किया है। उन्होंने एयर इंडिया, पवन हंस लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी काम किया है।

सुश्री आरती भटनागर एचएमटी लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, इन्वेस्ट इंडिया, एमएमटीसी लिमिटेड, द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक का पद संभालती हैं। इसके अलावा, वे भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्ष, एचएमटी लिमिटेड और एमएमटीसी लिमिटेड की लेखापरीक्षा समितियों की सदस्य और एचएमटी लिमिटेड की हितधारक संबंध समिति की सदस्य हैं।

बीएचईएल के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित होने के नाते, सुश्री आरती भटनागर को बीएचईएल से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

सुश्री आरती भटनागर के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

सुश्री आरती भटनागर ने एक बोर्ड बैठक में भाग लिया जो वित्त वर्ष 2022–23 में उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई थी।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के खंड 67(iv) के साथ पठित लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, सुश्री आरती भटनागर आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बनी रहेंगी और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी को

लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक कार्यालय के लिए सुश्री आरती भटनागर की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

सुश्री आरती भटनागर को छोड़कर, नियुक्त व्यक्ति होने के नाते, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय रूप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से मद संख्या 7 में पारित संकल्प से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

**मद सं. 8**

श्री रमेश पटल्या मावास्कर (DIN: 10194932), आयु 53 वर्ष, को 8 जून, 2023 से बीएचईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया।

श्री रमेश पाटल्या मावास्कर अमरावती विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं और उन्होंने केकेएसवी रामटेक विश्वविद्यालय से एमए (लोक प्रशासन) भी किया है।

श्री मावस्कर की विशेषज्ञता प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में है। उन्होंने बहुत कम आयु में महाराष्ट्र सरकार के साथ अपना करियर शुरू किया और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनके पास सार्वजनिक सेवाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का नियंत्रण, सभी सरकारी खाद्य गोदामों और विभिन्न प्रभागों में पीडीएस का निरीक्षण और पर्यवेक्षण में 29 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव था। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में उपायुक्त पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी।

श्री मावस्कर को लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में विविध अनुभव प्राप्त हैं। सामाजिक–आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके पास अत्यंत समर्पित और परिश्रमी दृष्टिकोण है। उन्हें समाज सेवा में गहरी रुचि है और वे विशेष रूप से आदिवासी लोगों के उत्थान और सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हैं।

श्री रमेश पाटल्या मावस्कर की नियुक्ति 01.06.2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, है। वे बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लेंगे और वे निदेशक मंडल समिति बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार हैं।

श्री रमेश पाटल्या मावास्कर के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

चूंकि श्री रमेश पाटल्या मावस्कर को 08.06.2023 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान किसी भी बोर्ड बैठक में भाग नहीं लिया।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के खंड 67(iv) के साथ पठित लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, श्री रमेश पटल्या मावस्कर आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद के लिए श्री रमेश पटल्या मावस्कर की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

कंपनी को श्री रमेश पटल्या मावस्कर से घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16 दोनों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। उनकी व्यापक विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि श्री रमेश पाटल्या मावस्कर को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। उनके पास इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं हैं। बोर्ड की राय में, श्री रमेश पटल्या मावस्कर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

श्री रमेश पटल्या मावस्कर को छोड़कर, जो कि एक नियुक्त व्यक्ति हैं, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय रूप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से मद संख्या 7 में पारित संकल्प से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

**मद सं. 9**

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर (DIN: 10172666), आयु 49 वर्ष, को 4 जुलाई, 2023 से बीएचईल के बोर्ड में निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) के 1998 बैच के अधिकारी हैं। वह तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर से साहित्य में स्नातकोत्तर हैं और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) से मानव संसाधन (पीजीडीएम–एचआर) में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की डिग्री भी रखते हैं।

उनके पास भारतीय रेलवे और सीपीएसयू में मानव संसाधन और प्रशासन को अच्छी तरह से संभालने के साथ 25 वर्षों की शानदार सेवा का विविध और बहुमुखी अनुभव है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने तीन महत्वपूर्ण रेलवे डिवीजनों यानी सोलापुर, भोपाल और मुंबई के मानव संसाधन विभाग का नेतृत्व किया, जिसमें मुंबई डिवीजन के पैंतीस हजार कर्मियों के सभी मानव संसाधन मामले शामिल थे। वे सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन को समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटाने में हमेशा असाधारण रहे हैं। कर्मचारी कल्याण सदैव उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। पश्चिम रेलवे के भर्ती सेल के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने लगभग बारह हजार कर्मचारियों की भर्ती सफलतापूर्वक पूरी की है। राइट्स के साथ सेकेंडमेंट पर काम करते हुए, उन्होंने सऊदी अरब में ट्रेन ऑपरेशन की एक विदेशी परियोजना में काम किया था और दो सौ कार्य वीजा (आईक्यूएएमए) मानव पूंजी जुटाने और ग्राहकों की संतुष्टि को पूरा करने वाले संसाधनों के कुशल प्रबंधन के मामले में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। समयबद्ध तरीके से उन्होंने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के मानव संसाधन विभाग का भी नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने केआरसीएल की मानव संसाधन नीति और प्रक्रियाओं को विकसित करने और सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

एक कुशल मानव संसाधन पेशेवर के रूप में, उन्होंने यूनियनों/संघों से निपटने में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की है, जो उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र भी रहा है। उनके सभी कार्यों में, कार्मिक मामलों के उनके सक्रिय,

प्रगतिशील और पारदर्शी संचालन ने संगठनों को सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने और कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद की थी। एक दूरदर्शी, उन्हें समग्र संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य में कॉर्पोरेट और सरकारी कामकाज के प्रमुख तत्वों के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधार का श्रेय दिया जाता है।

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर की नियुक्ति 03.07.2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 1,80,000 – 3,40,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान पर है।

श्री ठाकुर के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

चूंकि श्री कृष्ण कुमार ठाकुर को 04.07.2023 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्होंने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान किसी भी बोर्ड बैठक में भाग नहीं लिया।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के खंड 67(iv) के साथ पठित लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, श्री कृष्ण कुमार ठाकुर आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी को लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक कार्यालय के लिए श्री कृष्ण कुमार ठाकुर की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर को छोड़कर, जो कि एक नियुक्त व्यक्ति हैं, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय रूप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से मद संख्या 7 में पारित संकल्प से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2023

# पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का विवरण

## श्री उपिंदर सिंह मठारू

श्री उपिंदर सिंह मठारू (DIN: 09541886), आयु 59 वर्ष, को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के निदेशक मंडल में 21.03.2022 से निदेशक (पावर) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री मठारू थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला से 1984 बैच के मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के सरकार द्वारा प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक और ऑडिटर हैं। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) में स्नातकोत्तर डिग्री भी अर्जित की है।

श्री मठारू ने वर्ष 1985 में बीएचईएल के इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट (आईवीपी), गोइंदवाल में इसकी स्थापना के दौरान कार्यभार ग्रहण किया। उनके पास लगभग 38 वर्षों का विविध प्रकार का बहुमुखी अनुभव है; आरंभ में आईवीपी गोइंदवाल और एचपीबीपी तिरुचिरापल्ली की विनिर्माण इकाइयों का तथा उसके बाद परियोजना प्रबंधन प्रभागों सहित बीएचईएल के पावर सेक्टर प्रभाग में काम का अनुभव है। उन्होंने बीएचईएल के पावर सेक्टर–पूर्वी क्षेत्र (पीएसईआर), कोलकाता का नेतृत्व भी किया है।

परियोजना प्रबंधन समूह के प्रमुख के रूप में, श्री मठारू ने पावर सेक्टर–पूर्वी क्षेत्र प्रमुख के रूप में एफजीडी परियोजनाओं के अतिरिक्त भारत और विदेशों में 8,000 मेगावाट से अधिक की थर्मल और हाइड्रो परियोजनाओं का निष्पादन करवाया है। परियोजना प्रबंधन प्रभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पावर सेक्टर की क्षमता वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने के अतिरिक्त, कंपनी की विभिन्न परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रणालियों को विकसित करने में महती भूमिका निभाई थी। बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उपसंविदा, सामग्री प्रबंधन, ऑपरेशन प्लानिंग और कंट्रोल, प्रबंधन सेवाओं सहित विविध कार्यक्षेत्रों का अनुभव प्राप्त किया। आईवीपी, गोइंदवाल की स्थापना से ही वे सक्रिय रूप से कार्यरत थे।

श्री मठारू मृदुभाषी व्यक्ति हैं। उन्हें एक विश्वसनीय प्रोफेशनल के रूप में जाना जाता है। श्री मठारू को पावर सेक्टर परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के इकोसिस्टम का व्यापक ज्ञान और अनुभव है।

विनिर्माण इकाइयों और कॉर्पोरेट प्रकार्यों में उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें व्यावसायिक माहौल के संभावित परिवर्तनों का आकलन करने तथा कंपनी की विकास रणनीतियों के निर्माण हेतु प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाया है।

श्री उपिंदर सिंह मठारू की नियुक्ति 31.08.2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 1,80,000 रुपये – 3,40,000 रुपये प्रतिमाह के वेतनमान पर है।

श्री उपिंदर सिंह मठारू के पास बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री उपिंदर सिंह मठारू ने वित्त वर्ष 2022–23 में आयोजित सभी बोर्ड बैठकों (ग्यारह) में भाग लिया है।

## श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव

Sश्री जय प्रकाश श्रीवास्तव डीआईएनरू 09703643), आयु 58 वर्ष, को दिनांक 12.08.2022 को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के निदेशक मण्डल में निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी है और वे बीएचईएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।

श्री श्रीवास्तव भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान रुड़की (तत्कालीन रुड़की विश्वविद्यालय) से 1985 बैच के मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं और व्यवसाय प्रशासन (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं।

श्री श्रीवास्तव ने 1985 में बीएचईएल के इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर में अभियंता प्रशिक्षु के रूप में में कार्यग्रहण किया। उनके पास विभिन्न क्षमताओं में 36 वर्षों से अधिक कालखंड का विविध और व्यापक अनुभव है। इसमें सभी प्रमुख प्रकार्यों (फंग्शंस) जैसे विपणन और व्यवसाय विकास, परियोजना प्रबंधन, विनिर्माण परिचालन, आयोजना एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन प्रबंधन, रणनीतिक और हितधारक प्रबंधन में संपूर्ण बीएचईएल वेल्यू चेन अर्थात विनिर्माण इकाइयों (आईपी जगदीशपुर, सीएफपी रुद्रपुर, एचपीवीपी विजाग), व्यावसाय क्षेत्र (उद्योग क्षेत्र, श्रृंखला परिचालन) और सीएमडी सचिवालय के प्रमुख के रूप में दो वर्ष के कार्यकाल सहित कॉर्पोरेट कार्यालय का कार्य अनुभव शामिल है। उन्होंने निदेशक मंडल रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रकटीकरण और अनुपालन, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण, सीईओ/सीएफओ प्रमाणन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता, वित्तीय जोखिम प्रबंधन, पर्याप्तता और वित्तीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता, प्राप्तियों के परिसमापन के लिए संरचनात्मक ढांचे, रणनीतिक लागत प्रबंधन, इन्वेंटरी अनुकूलन, खरीद दक्षता, तरलता प्रबंधन, एमओयू के वित्तीय मापदंडों की उपलब्धि आदि से जुड़ी शीर्ष स्तर की जिम्मेदारियों से संबंधित सभी अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं ।

इससे पूर्व कार्यपालक निदेशक एवं उद्योग क्षेत्र के इकाई प्रमुख के रूप में, उन्होंने रिकॉर्ड संग्रह हासिल करने के लिए नकदी–केंद्रित परियोजना निष्पादन के अपने केंद्रित दृष्टिकोण के साथ उद्योग क्षेत्र के कई व्यवसायों के वित्तीय प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों में से एक के प्रमुख के रूप में, सख्त बजटीय नियंत्रण, बेहतर टर्नओवर वसूली और लाभ अधिकतमीकरण के माध्यम से वित्तीय प्रदर्शन को अधिकतम करने में उनके व्यापक प्रयासों के परिणामस्वरूप यूनिट के लिए पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय परिणाम प्राप्त हुए थे।

श्री श्रीवास्तव, निदेशक (ई, आर एंड डी) और निदेशक (वित्त) – अतिरिक्त प्रभार के रूप में, रक्षा और एयरोस्पेस, रेलवे परिवहन, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, कोयला से रसायन, उन्नत प्रणोदन जैसे नए विकास क्षेत्रों

आदि के साथ–साथ राष्ट्रीय सुविधाओं और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में कंपनी–व्यापी क्षमता निर्माण पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। वे कंपनी के विकास पथ को गति देने के लिए कंपनी की यूएसपी का लाभ उठाते हुए कंपनी में नवीन राजस्व मॉडल भी चला रहे हैं। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में, वे व्यावसायिक रणनीतियों को वित्तीय परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे हैं और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए वित्तीय जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता को बनाए रख रहे हैं। वे व्यवसाय संचालन के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सक्षम करने के लिए प्रणालीगत ढांचे को विकसित करने और नीतियों को पुनरू व्यवस्थित करने पर जोर दे रहे हैं। श्री श्रीवास्तव ने मौजूदा और अभूतपूर्व चुनौतियों के तहत, मिशन मोड में वित्तीय प्रदर्शन को अधिकतम करने और संचालन में तरलता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए विवेकपूर्ण संचालन, निवेश और वित्तपोषण रणनीतियों को तैयार करने का काम किया है। वे परिचालन में अनुपालन, पारदर्शिता और वित्तीय औचित्य सुनिश्चित करते हुए, जहां भी संभव हो, डिजिटल एकीकरण के माध्यम से परिचालन उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

वह अपने कैरियर के पूरे इतिहास में विभिन्न पहलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप ष्कई प्रथम उपलब्धियांष हासिल हुईं। बीएचईएल संचालन में उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने और बाजार के लिए तैयारी हेतु क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक मजबूत कौशल से समृद्ध किया है और उन्हें बदलते कारोबारी माहौल में रणनीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रभावी ढंग से योगदान करने और बीएचईएल को स्थायी विकास के पथ पर लाने में सक्षम बनाया है।

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव बीएचईएल – जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में गैर–कार्यकारी अध्यक्ष और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में गैर–कार्यकारी निदेशक का पद भी संभाल रहे हैं।

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव की नियुक्ति 31.12.2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 1,80,000 रुपये – 3,40,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान पर है।

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव के पास बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव ने वित्त वर्ष 2022–23 में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित सभी बोर्ड बैठकों (छह) में भाग लिया है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2023

# वीसी, रिमोट के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया ई–वोटिंग और एजीएम में वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 यथासंशोधित, सपठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 44 के प्रावधानों, तथा ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं के संबंध में सेबी परिपत्र संख्याः सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020, के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम सभा में (एजीएम) पारित किए जाने वाले संकल्पों पर उनके मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई–वोटिंग) के माध्यम से करने की सुविधा प्रदान कर रही है। यह सुविधा एनएसडीएल की ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि इस प्रकार होगीः–

| | |
|---|---|
| रिमोट ई–वोटिंग की शुरुआतः | सोमवार, अगस्त 21, 2023 को प्रातः 9:00 बजे से |
| रिमोट ई–वोटिंग की समाप्तिः | बुधवार, 23 अगस्त 2023 को शाम 5:00 बजे तक |

गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 यानी कट–ऑफ तारीख तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य उपर्युक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। सदस्यों के पास 21 अगस्त, 2023 से शुरू होने वाली और 23 अगस्त, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान या एजीएम के समय ई–वोटिंग के दौरान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करके किसी भी प्रस्ताव पर अपना वोट डालने का विकल्प है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रस्ताव पर दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की सुश्री आशु गुप्ता को स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है।

सदस्यों का मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

संवीक्षक, बैठक में ई–वोटिंग के समापन के बाद, बैठक में डाले गए वोटों एवं दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की जांच करेगा और इन्हे समेकित कर संवीक्षक रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगा। ई–वोटिंग का परिणाम बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसी के साथ, समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और ई–वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर डाल दी जाएगी। परिणाम उसी समय स्टॉक एक्सचेंजों को भेज दिये जाएंगे।

अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त होने पर, नोटिस में प्रस्तावित प्रस्तावों को बैठक की तिथि पर, अर्थात् 24 अगस्त, 2023 को पारित माना जाएगा।

## इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग और आभासी (वर्चुअल) बैठकों में भाग लेने की प्रक्रिया

**क. रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के लिए प्रक्रिया नीचे समझाई गई हैः**

**चरण –1: एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम में प्रवेश एवं एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालना**

**क.1) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले शेयरधारक व्यक्ति के लिए लॉगिन विधि**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई–वोटिंग सुविधा संबंधी सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार और मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के हिस्से के रूप में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग प्रक्रिया को इस प्रकार सक्षम किया गया है कि वे डिपॉजिटरी /डिपॉजिटरी की वेबसाइट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास खोले गए उनके डीमैट खाते के माध्यम से वोट कर सकें। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी अपडेट करें।

| शेयरधारकों का प्रकार | लॉगिन विधि |
|---|---|
| एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | **I. एनएसडीएल आईडीएएस (IDeAS) सुविधाः**<br>• **यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा में पंजीकृत हैं:**<br>1. कृपया एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन के वेब ब्राउजर में निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके खोलें: **https://eservices.nsdl.com.**<br>2. ई–सेवाओं का होमपेज दिखाई देने के बाद, 'आइडीएएस' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' के अंतर्गत 'बेनिफिशियल ओनर' आइकन पर क्लिक करें।<br>3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे।<br>4. ई–वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई–वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे।<br>5. कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता – एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें। तब आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट पर री–डाइरेक्ट किया जाएगा। |

| | |
|---|---|
| | • **यदि आप आईडीईएएस ई–सेवाओं में पंजीकृत नहीं हैं:**<br>1. पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है।<br>2. 'IDeAS में ऑनलाइन पंजीकरण करें' चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।<br>3. सफलतापूर्वक पंजीकरण होने पर, कृपया उपर्युक्त बिंदु 1 – 5 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।<br>II. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट:<br>1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन के वेब ब्राउजर में निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके खोलें: https://www.evoting.nsdl.com<br>2. ई–वोटिंग सिस्टम का होमपेज दिखाई देने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें।<br>3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के पास 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा।<br>4. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता – एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।<br>III. शेयरधारक / सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप 'एनएसडीएल स्पीड–ई' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।<br>NSDL Mobile App is available on<br>App Store Google Play |

| | |
|---|---|
| सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ई–वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प बिना किसी और प्रमाणीकरण के उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और 'New System Myeasi' पर क्लिक करें।<br>ईज़ी/ईज़ीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद, आप ई वोटिंग मेनू भी देख पाएंगे। मेनू में ई–वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) यानी एनएसडीएल पोर्टल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें।<br>3. यदि आप Easi/Easiest में पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है।<br>4. वैकल्पिक रूप से, आप www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई–वोटिंग चल रही है। |
| शेयरधारकों (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) का उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन | 1. आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग इन कर सकते हैं।<br>2. लॉग इन करने के बाद आपको ई–वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं।<br>3. कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता–एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान या मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। |

**महत्वपूर्ण टिप्पणी:** जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड याद करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर आईडी एंड पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

**डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों की डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हेल्पडेस्क**

| लॉगिन प्रकार | हेल्पडेस्क विवरण |
|---|---|
| एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य NSDL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं वे **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबरः 1800–1020–990 और 1800–22–4430 पर कॉल करके समस्या का हल पा सकते हैं। |
| सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य NSDL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं वे **elpdesk.evoting/evoting/cdslindia.com** पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबरः 022– 23058738 और 022–23058542/43 पर कॉल करके समस्या का हल पा सकते हैं। |

**क.2) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि**

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल के वेब ब्राउज़र पर निम्नलिखित URL टाइप करके खोलेंः **https://www.evoting.nsdl.com**

2. ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज दिखाई देने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

4. वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सेवाओं यानी आईडीईएएस में पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन से **https://eservices.nsdl.com/** पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई–सेवाओं में लॉग इन करते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

5. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया हैः

| शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक | आपकी यूजर आईडी हैः |
|---|---|
| क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं। | 8–अक्षर डीपी आईडी के बाद 8–अंकीय क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी है<br>12****** तो आपकी यूजर आईडी है IN300***12****** |
| ख) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर हैं। | 16–अंकीय लाभार्थी आईडी<br>उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12************** है |
| ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए | कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर<br>उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN 124661 है तो उपयोगकर्ता आईडी 124661001*** है |

6. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैंः

   क) यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग से लॉग इन करके अपना वोट डाल सकते हैं।

   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको **'प्रारंभिक पासवर्ड'** याद/प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना **'प्रारंभिक पासवर्ड'** याद/प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए संकेत देगा।

   ग) अपना **'प्रारंभिक पासवर्ड'** कैसे याद/प्राप्त करें?

   (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका **'प्रारंभिक पासवर्ड'** आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल को आपके मेलबॉक्स से ट्रेस करें। इस ईमेल खोलें और अटैचमेंट में एक pdf फ़ाइल होगी, उसे खोलें। pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते में आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते में क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों का फोलियो नंबर है। pdf फाइल में आपकी **'यूजर आईडी'** और आपका **'प्रारंभिक पासवर्ड'** दिया गया है।

   (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे **'शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश'** में उल्लिखित

चरणों का पालन करें।

7. यदि आप पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्राप्त नहीं किया है **'प्रारंभिक पासवर्ड'** या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क) **'फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड?'** पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल में डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   ख) **'फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?'** पर क्लिक करें (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   ग) यदि आप अभी भी उपर्युक्त दोनों विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

   घ) सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग–इन का भी उपयोग कर सकते हैं।

8. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, **'नियमों और शर्तों से सहमत'** के चेक बॉक्स पर चयन करके टिक करें।

9. अब, आपको **'लॉगिन'** बटन पर क्लिक करना होगा।

10. **'लॉगिन'** बटन पर क्लिक करने के बाद ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

**चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों**

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को 'EVEN' देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए कंपनी के **'EVEN 120855'** का चयन करें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको **'ज्वाइन जनरल मीटिंग'** के तहत दिए गए 'VC/OAVM' लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. जैसे ही वोटिंग पेज खुलेगा, आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4. सहमति या असहमति में से उचित विकल्प का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और **'सबमिट'** पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर 'कनफर्म' पर भी क्लिक करें।

5. **'कनफर्म'** होने पर, **'वोट कास्ट सक्सेसफुली'** संदेश प्रदर्शित होगा और आपको डिपॉजिटरी से पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के माध्यम से एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**ख. सदस्यों को वीसी के माध्यम से आम बैठक में भाग लेने तथा आम सभा के दिन वोटिंग करने संबंधी निर्देश:**

1. सदस्यों को वीसी के माध्यम से एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **'एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम में प्रवेश'** हेतु ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्यों को कंपनी के नाम के सामने श्ज्वाइन जनरल मीटिंगश मेन्यू के तहत रखे गए **'वीसी/ओएवीएम लिंक'** पर क्लिक करना चाहिए। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा।

2. जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने का परामर्श दिया जाता है। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो व्यवधान का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

5. ऐसे सदस्य जिन्हें एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे एनएसडीएल से evoting/nsdl.co.in/ 022-4886 7000 और 022–2499 7000 पर संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल की सुश्री पल्लवी म्हत्रे से sonis/nsdl.co पर संपर्क कर सकते हैं।

6. ऐसे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 16 अगस्त, 2023 (सुबह 9:00 बजे भा.स.अ.) से 19 अगस्त, 2023 (5:00 बजे भा.स.अ.) तक अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर और संभावित प्रश्न (यदि कोई हो) का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई–मेल पते से shareholderquery/bhel.in पर अनुरोध भेजकर खुद को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता के अधीन प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

7. सदस्य अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपेक्षित विचारों/प्रश्नों का उल्लेख करते हुए अग्रिम रूप से shareholderquery/bhel.in पर मेल भेजकर लिखित में प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका कंपनी द्वारा उपर्युक्त उत्तर

दिया जाएगा।

8. बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोली जाएगी और एजीएम की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी।

9. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की प्रक्रिया वही है जो रिमोट ई–वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार है।

10. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

11. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। परंतु वे एजीएम में मतदान करने पात्र नहीं होंगे।

**ग. शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश**

1. संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रमाणित मूल प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता होती है। स्क्रूटिनाइज़र को ashugupta.cs/gmail.com पर एवं evoting/nsdl.co.in पर कॉपी भेजना आवश्यक है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने बोर्ड के संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र आदि को **''ई–वोटिंग''** टैब के तहत प्रदर्शित ''**अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र**'' पर क्लिक करके भी अपलोड कर लॉग इन सकते हैं।

2. प्रबल अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको '**उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?**' के माध्यम से जाना होगा? या 'भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?' पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

3. नोटिस भेजने के बाद भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है एवं कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा अंतिम तिथि को शेयर रखता है, वह evoting/nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। नोटिस भेजने के बाद डीमैट मोड में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है एवं कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा अंतिम तिथि को शेयर रखता है, वह उपर्युक्त वर्णित डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले शेयरधारक व्यक्ति के लिए लॉगिन विधि में दिए निर्देशों का पालन कर सकता है।

4. किसी भी शंका के समाधान हेतु, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 022–4886 7000 और 022–2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हत्रे को evoting/nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

5. जिन सदस्यों की ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/कंपनी में पंजीकृत नहीं हैं, वे ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु evoting/nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैंः

   i) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की प्रति स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की प्रति स्व–सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) प्रदान करें।

   ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की प्रति की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी) प्रदान करें।

   iii) यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप (बिंदु संख्या ए.1) में बताई गई लॉगिन विधि, अर्थात डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि को देखें।

   iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई–वोटिंग सुविधा संबंधी सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही अपडेट करना आवश्यक है।

6. कंपनी में अपना ईमेल पता स्थायी रूप से पंजीकृत/अपडेट करने के लिए और भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी संचार (नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और ई–वोटिंग निर्देश, यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ) प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेंः

   क. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य प्रथम शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, की स्कैन की गई प्रति के साथ shareholderquery@bhel.in को अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को rta@alankit.com पर–मेल अनुरोध भेज सकते हैं, जिससे आरटीए उनका ई–मेल पता पंजीकृत कर सकेगा। अनुरोध पत्र में ईमेल, मोबाइल नंबर, पैन की स्व–सत्यापित प्रति एवं शेयर प्रमाणपत्र की एक प्रति होनी चाहिए।

   ख. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ईमेल पते को रजिस्टर/अपडेट करें।

   ग. इस संबंध में किसी अन्य प्रश्न के उत्तर हेतु सदस्यों से अनुरोध है कि वे rta@alankit.com पर मेल लिखें या 011–42541234 पर कॉल करें।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(सीआईएन: L74899DL1964GOI004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल, हाउस, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली –110049
फोन– 011–66337000, फैक्सः 011–66337428
वेबसाईट: www.bhel.com, ईमेल: shareholderquery@bhel.in

प्रिय शेयरधारको,

**विषयः राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (एनईसीएस)/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश का भुगतान**

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियां लाभांश के भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ईसीएस/एनईसीएस/डायरेक्ट क्रेडिट आदि का उपयोग करेंगी।

यदि आपने एनईसीएस/ईसीएस/बैंक खाते का विवरण हमारे रजिस्ट्रार को अर्थात् मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड या आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (डीमैट होल्डिंग के मामले में) नहीं भेजा है, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उक्त विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराएं ताकि कंपनी द्वारा किसी भी समय घोषित लाभांश का तत्काल, सुरक्षित और सही भुगतान किया जा सके।

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा रजिस्ट्रार/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं क्योंकि इसमें किसी भी त्रुटि के परिणामस्वरूप लाभांश राशि गलत खाते में जमा हो सकती है।

आपकी बेहतर सेवा करने के इस प्रयास में कृपया हमारी सहायता करें।

भवदीय

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

**पी.एस. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं, तो कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपने बैंक खाते के विवरण/एनईसीएस/ईसीएस/डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट पर ध्यान देने की सलाह दें।**

---

## एनईसीएस/ईसीएस मैंडेट/बैंक खाता विवरण के लिए प्रपत्र

मैं/हम........................................................................................ एतद्द्वारा बीएचईएल/अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित के लिए अधिकृत करते हैं

☐ मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित विवरण प्रिंट करने
☐ एनईसीएस/ईसीएस/डायरेक्ट क्रेडिट द्वारा मेरे बैंक खाते में मेरी लाभांश राशि जमा करने
(जो लागू न हो उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियो नंबर ............................................ और डीपी आईडी नंबर ............................................ ग्राहक खाता संख्या ..................है

बैंक खाते का विवरण:

क. बैंक का नाम : ..........................................................................................................................

ख. ब्रांच का नाम : ..........................................................................................................................
(पता केवल मैंडेट के लिए) .................................................................................................. ..................................

ग. बैंक और शाखा का 9 अंकों का कोड नंबर, जैसाकि : ......................................................................................
MICR चेक पर प्रदर्शित है :..........................................................................................................................

घ. आईएफएससी कोड : ..........................................................................................................................

ड. खाते का प्रकार (बचत/चालू) :..........................................................................................................................

च. खाता संख्या जैसा कि चेक बुक पर प्रदर्शित है : ......................................................................................

छ. शेयरधारक का टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड सहित : ......................................................................................

**यदि एनईसीएस/ईसीएस लागू नहीं किया जा सका या बैंक किसी भी कारण से एनईसीएस/ईसीएस को बंद कर देता है तो मैं/हम कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।**

भेजें ⇨

**मैसर्स अलिंकत असाइनमेंटस लिमिटेड**
यूनिट: बीएचईएल
4E/2, अलिंकत हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110055

..........................................................
शेयरधारक के हस्ताक्षर

कृपया (i) अपने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक की फोटोकॉपी या आपके उपर्युक्त खाते से संबंधित एक खाली कैन्सिल किए गए चेक को 9 अंकों की कोड संख्या की सत्यता को सत्यापित करने के लिए संलग्न करें और (ii) इस फॉर्म के साथ अपने पैन कार्ड की एक प्रति संलग्न करें।

# बैंकर्स, लेखा परीक्षक एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

| बैंकर्स | लेखा परीक्षक |
|---|---|
| ऐक्सिस बैंक | मैसर्स एबीपी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | मैसर्स पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली |
| केनरा बैंक | मेसर्स एस. एल छाजेड़ एंड कंपनी एलएलपी, भोपाल |
| एक्सपोर्ट–इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया | मैसर्स एसआरएन एंड एसोसिएट्स, त्रिची |
| एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | मैसर्स चंद्रन और रमन, बेंगलुरु |
| आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | मैसर्स एम. आनंदम एंड कंपनी, हैदराबाद |
| आईडीबीआई बैंक | मैसर्स गोपाल अय्यर और सुब्रमण्यम, चेन्नई |
| इंडियन बैंक | |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | **लागत लेखा परीक्षक** |
| इंडसइंड बैंक | मैसर्स शोम एंड बनर्जी, दिल्ली |
| कोटक महिंद्रा बैंक | मैसर्स विजेंदर शर्मा एंड कंपनी, दिल्ली |
| पंजाब नेशनल बैंक | मैसर्स केआरजे एंड एसोसिएट्स, हैदराबाद |
| आरबीएल बैंक लिमिटेड | मैसर्स सुब्रमण्यम राजगोपाल एंड एसोसिएट्स, तिरुचिरापल्ली |
| भारतीय स्टेट बैंक | मैसर्स मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी, बेंगलुरु |
| फेडरल बैंक लिमिटेड | मैसर्स पालीवाल एंड एसोसिएट्स, लखनऊ |
| हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | मैसर्स उप्पलापति एंड एसोसिएट्स, विशाखापत्तनम |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | |
| यस बैंक लिमिटेड | |
| | |
| | **शेयर ट्रांसफर एजेंट** |
| | अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड |
| | अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055 |
| | फोन : 011–4254 1234 |
| | फ़ैक्स : 011–2355 2001 |


**पंजीकृत कार्यालय**

बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली– 110049 (भारत)

सीआईएन: L74899DL1964GOI004281

फोन : 011–66337000, फ़ैक्स: 011–66337428

बेबसाइट: www.bhel.comwww.bhel.com ई–मेल: sshareholderquery@bhel.inareholderquery@bhel.in

# नोट्स (टिप्पणी)

# नोट्स(टिप्पणी)

# परमाणु ऊर्जा विद्युत : विश्वसनीय और संधारणीय बेस–लोड समाधान का निर्माण

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने त्रिची प्लांट से 44वां न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटर भेजा और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटर के प्रमुख स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। यह स्टीम जेनरेटर हरियाणा में एनपीसीआईएल की गोरखपुर साइट पर 700 MWe इकाई को भेजा गया था।

बीएचईएल 1976 से रिएक्टर हेडर, स्टीम जेनरेटर, स्टीम टर्बाइन जेनरेटर, हीट एक्सचेंजर्स और प्रेशर वेसल्स जैसे महत्वपूर्ण परमाणु घटकों की इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परीक्षण और आपूर्ति के माध्यम से देश के परमाणु कार्यक्रम में योगदान दे रहा है।

उल्लेखनीय हैं कि बीएचईएल परमाणु भाप टरबाइन और जनरेटर का एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता है, और भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सभी तीन चरणों से जुड़ी एकमात्र भारतीय कंपनी है – पहला चरण प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर), दूसरा चरण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) और तीसरा चरण एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर (एएचडब्ल्यूआर)। बीएचईएल स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में पांच दशकों से भागीदार रहा है।

देश के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम चरण ने परिपक्वता प्राप्त कर ली है। अब तक 18 PHWRs ऑपरेटिंग स्थिति में हैं। इनमें से,स्वदेशी परमाणु ऊर्जा क्षमता वाले 12 पीएचडब्ल्यूआर बीएचईएल द्वारा प्रदत्त स्टीम टर्बाइन जेनरेटर सेट (220 मेगावाट की 10 इकाइयां और 540 मेगावाट की 2 इकाइयां) से सुसज्जित हैं।

बीएचईएल के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विभिन्न घटकों/उपकरणों के अंतरराष्ट्रीय कोड और मानकों का अनुपालन करते हुए विशेष डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित बुनियादी ढांचा और कुशल जनशक्ति है। बीएचईएल ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिक (रिएक्टर हेडर, एंड शील्ड आदि) और माध्यमिक (टरबाइन, जनरेटर, हीट एक्सचेंजर्स, आदि) दोनों साइड उपकरणों के लिए अपनी क्षमता साबित की है।

बीएचईएल को भारत की अंतरिक्ष आकांक्षाओं को शक्ति देने वाले संगठन **इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन)** के साथ दो दशकों से जुड़े रहने पर गर्व है।

चंद्रयान 3 के टाइटेनियम प्रोपेलेंट टैंक का निर्माण बीएचईएल ने किया था। इसके लैंडर मॉड्यूल एवं प्रोपल्शन मॉड्यूल भी बीएचईएल निर्मित बैटरियों से युक्त थे।

**क्या आप जानते हैं**

इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अधिकांश उपग्रह बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए अंतरिक्ष ग्रेड सौर पैनलों और अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम-आयन बैटरियों से सुसज्जित हैं।

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली -110049
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L74899DL1964GOI004281
www.bhel.com

Follow us on

BHELOfficial | BHEL_India | BHEL_India | bhel.india | company/bhel